त्रयोदश माला, खंड 9, अंक 19

FOR REFERENCE ONLY.
NOT TO BE ISSUED

सोमवार, 21 अगस्त, 2000
30 श्रावण, 1922 (शक)

लोक सभा वाद-विवाद

(हिन्दी संस्करण)

चौथा सत्र
(तेरहवीं लोक सभा)

सत्यमेव जयते

No. 50
Date 4/10/01

(खंड 9 में अंक 11 से 20 तक हैं)

लोक सभा सचिवालय
नई दिल्ली

मूल्य : पचास रुपये

सम्पादक मण्डल

गुरदीप चन्द मलहोत्रा
महासचिव
लोक सभा

डा. अशोक कुमार पांडेय
अपर सचिव

हरनाम सिंह
संयुक्त सचिव

प्रकाश चन्द्र भट्ट
प्रधान मुख्य सम्पादक

यशपाल कृष्ण अबरोल
मुख्य सम्पादक

डा. राम नरेश सिंह
वरिष्ठ सम्पादक

पीयूष चन्द्र दत्त
सम्पादक

उर्वशी शर्मा
सहायक सम्पादक

[अंग्रेजी संस्करण में सम्मिलित मूल अंग्रेजी कार्यवाही और हिन्दी संस्करण में सम्मिलित मूल हिन्दी कार्यवाही ही प्रामाणिक मानी जायेगी। उनका अनुवाद प्रामाणिक नहीं माना जायेगा।]

विषय-सूची

[त्रयोदश माला, खंड 9, चौथा सत्र, 2000/1922 (शक)]

अंक 19, सोमवार, 21 अगस्त, 2000/30 श्रावण, 1922 (शक)

विषय	कालम
निधन सम्बन्धी उल्लेख	1
प्रश्नों के मौखिक उत्तर	
*तारांकित प्रश्न संख्या 381 और 382	10–28
प्रश्नों के लिखित उत्तर	
तारांकित प्रश्न संख्या 383 से 400	28–57
अतारांकित प्रश्न संख्या 4227 से 4456	57–371
सभा पटल पर रखे गए पत्र	371–379
राज्य सभा से संदेश	379
सरकारी उपक्रमों संबंधी समिति	
विवरण	380
नियम 377 के अधीन मामले	406–408
(एक) ग्रामीण विद्युतीकरण के लिए राष्ट्रीय विद्युत प्राधिकरण की स्थापना किए जाने की आवश्यकता	
श्री नवल किशोर राय	406
(दो) बेरोजगार स्नातकों और अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के युवाओं को रेलवे स्टेशनों पर किताबों की दुकानें आवंटित करने तथा खान-पान वस्तुएं बेचने के लिए ठेके दिए जाने की आवश्यकता	
श्री अजय चक्रवर्ती	407
(तीन) हसन और बंगलौर के बीच नई रेल लाइन बिछाए जाने के कार्य को शीघ्र पूरा किए जाने की आवश्यकता	
श्री जी. पुट्टास्वामी गौड़ा	407
अनुपूरक अनुदानों की मांगें (सामान्य), 2000-2001 और अतिरिक्त अनुदानों की मांगें (सामान्य), 1997-98	408–462
श्री रूपचन्द्र पाल	408

*किसी सदस्य के नाम पर अंकित + चिह्न इस बात का द्योतक है कि सभा में उस प्रश्न को उस सदस्य ने ही पूछा था।

विषय	कालम
डा. रघुवंश प्रसाद सिंह	414
डा. बी.बी. रमैया	419
श्री प्रियरंजन दासमुंशी	424
श्री बिक्रम केशरी देव	434
श्री तिलकधारी प्रसाद सिंह	438
श्री त्रिलोचन कानूनगो	440
श्री सुदीप बंद्योपाध्याय	442
श्री बसुदेव आचार्य	444
श्री पी.एच. पांडियन	445
श्री यशवन्त सिन्हा	447
विनियोग (संख्यांक 3) विधेयक, 2000.	461–462
विचार करने के लिए प्रस्ताव	462
खण्ड 2, 3 और 1	462
पारित करने के लिए प्रस्ताव	462
विनियोग (संख्यांक 4) विधेयक, 2000.	463–464
विचार करने के लिए प्रस्ताव	464
खण्ड 2, 3 और 1	464
पारित करने के लिए प्रस्ताव	464
जम्मू-कश्मीर में निर्दोष लोगों की हत्या की घटनाओं पर रोष और गहरी संवेदना व्यक्त करना तथा इस मामले की जांच करने के लिए जांच आयोग की नियुक्ति की मांग किए जाने के बारे में प्रस्ताव.	464
अध्यक्ष महोदय	464
श्री प्रियरंजन दासमुंशी	465
डा. विजय कुमार मल्होत्रा	481
श्री सोमनाथ चटर्जी	488
श्री एम.वी.वी.एस. मूर्ति	495
श्री मुलायम सिंह यादव	498
श्री अनंत गंगाराम गीते	503
श्री मणिशंकर अय्यर	506
श्री खारबेल स्वाईं	514
कुमारी मायावती	521

विषय	कालम
श्री प्रभुनाथ सिंह	524
श्री टी.एम. सेल्वागनपति	532
श्री वैको	539
डा. रघुवंश प्रसाद सिंह	548
श्री सुदीप बंद्योपाध्याय	550
श्री सत्यव्रत चतुर्वेदी	554
श्री ए. कृष्णास्वामी	561
श्री अजय चक्रवर्ती	562
श्री अब्दुल रशीद शाहीन	564
श्री जी.एम. बनातवाला	569
श्री रतन लाल कटारिया	574
श्री अधीर चौधरी	576
कुंवर अखिलेश सिंह	578
श्री हरिभाऊ शंकर महाले	581
श्री सुरेश रामराव जाधव	582
मंत्री द्वारा वक्तव्य	
उत्तर प्रदेश में एटा में समाजवादी पार्टी को आवंटित सरकारी भवन को खाली कराया जाना	581–582
श्री प्रमोद महाजन	581

लोक सभा

सोमवार, 21 अगस्त, 2000/30 श्रावण, 1922 (शक)

लोक सभा पूर्वाह्न ग्यारह बजे समवेत हुई।

[अध्यक्ष महोदय *पीठासीन हुए*]

निधन सम्बन्धी उल्लेख

अध्यक्ष महोदय: मुझे सभा को अपने पूर्व सहयोगी, श्री गंगा सिंह के दु:खद निधन की सूचना देनी है।

श्री गंगा सिंह छठी लोक सभा के सदस्य थे तथा उन्होंने 1977-79 तक हिमाचल प्रदेश के मंडी संसदीय निर्वाचन क्षेत्र का प्रतिनिधित्व किया।

इससे पूर्व, श्री गंगा सिंह 1972-77 तक हिमाचल प्रदेश विधान सभा के सदस्य थे।

व्यवसाय से वकील, श्री सिंह एक सक्रिय सामाजिक और राजनीतिक कार्यकर्ता थे। वह विभिन्न संगठनों से विभिन्न हैसियत से संबद्ध रहे। वह ग्रामीण लोगों के उत्थान के लिए हमेशा कार्य करते रहे।

श्री गंगा सिंह का निधन 70 वर्ष की आयु में 15 अगस्त, 2000 को उनके पैतृक गांव, सुन्दर नगर, तहसील मंडी, हिमाचल प्रदेश में हुआ।

हम अपने इस मित्र के निधन पर गहरा शोक व्यक्त करते हैं और मुझे विश्वास है कि सभा शोक संतप्त परिवार के प्रति संवेदना व्यक्त करने में मेरे साथ है।

अब सदस्यगण दिवंगत आत्मा के सम्मान में थोड़ी देर मौन खड़े रहेंगे।

पूर्वाह्न 11.01 बजे

(तत्पश्चात् सदस्यगण थोड़ी देर मौन खड़े रहे।)

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय: प्रश्न संख्या 381

कर्नल (सेवानिवृत्त) सोना राम चौधरी: प्रश्न संख्या 381

संचार मंत्री (श्री राम विलास पासवान): एक विवरण सभा पटल पर रख दिया गया है।...*(व्यवधान)*

[हिन्दी]

श्री चन्द्रनाथ सिंह (मछलीशहर): अध्यक्ष महोदय, एटा जनपद में राष्ट्रपिता महात्मा गांधी का अपमान किया गया है।...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय: अभी नहीं, जीरो आवर में बोलिये।

...(व्यवधान)

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय: इसे कार्यवाही-वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया जाएगा।

*...(व्यवधान)**

[हिन्दी]

अध्यक्ष महोदय: आप बैठ जाइए, प्लीज। हम खड़े हुए हैं।

(व्यवधान)

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय: मैं बोल रहा हूं। आपको अध्यक्षपीठ का सम्मान करना चाहिए। यह क्या तरीका है?

...(व्यवधान)

[हिन्दी]

श्री मुलायम सिंह यादव (संभल): आप नाराज क्यों हो रहे हैं, इतनी गंभीर स्थिति है। *...(व्यवधान)*

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय: श्री मुलायम सिंह यादव, मैं बोल रहा हूं।

...(व्यवधान)

[हिन्दी]

अध्यक्ष महोदय: पहले चेयर की भी सुननी है।

...(व्यवधान)

श्री मुलायम सिंह यादव: राष्ट्रपिता महात्मा गांधी, डा. राम मनोहर लोहिया, श्री जयप्रकाश नारायण, डा. भीमराव अम्बेडकर सारे चित्रों को कहीं फेंका गया है।...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय: मुलायम सिंह जी, हम बोल रहे हैं कि आप इसे जीरो ऑवर में भी उठा सकते हैं। आप क्या कर रहे हैं।

---

*कार्यवाही-वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया गया।

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय: कार्यवाही-वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया जाएगा।

*(व्यवधान)**

पूर्वाह्न 11.04 बजे

(इस समय श्री रामसागर रावत तथा कुछ अन्य माननीय सदस्य आए और सभा पटल के निकट खड़े हो गये।)

[हिन्दी]

अध्यक्ष महोदय: टैलीकास्ट बंद कर दिया जाए।

...(व्यवधान)

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय: कार्यवाही-वृतांत में सम्मिलित नहीं किया जाएगा।

*...(व्यवधान)**

अध्यक्ष महोदय: कार्यवाही-वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया जाएगा।

*...(व्यवधान)**

अध्यक्ष महोदय: कार्यवाही-वृतांत में सम्मिलित नहीं किया जाएगा।

*...(व्यवधान)**

[हिन्दी]

अध्यक्ष महोदय: आप बैठ जाइये, आपको जीरो ऑवर में मौका मिलेगा।

...(व्यवधान)

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय: कृपया समझिए, प्रश्न काल महत्वपूर्ण कार्यवाही है। आपको सभा की कार्यवाही रोकने के लिए बल का प्रयोग नहीं करना चाहिऐ।

...(व्यवधान)

[हिन्दी]

अध्यक्ष महोदय: आप अपनी जगह पर बैठ जाइये। यह ठीक नहीं है।

...(व्यवधान)

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय: कार्यवाही-वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया जाएगा।

*...(व्यवधान)**

[हिन्दी]

अध्यक्ष महोदय: मैं लीडर्स को भी अपील कर रहा हूं, मुलायम सिंह जी, आप अपनी पार्टी के सदस्यों को बोल दीजिए, यह ठीक नहीं है। अभी लास्ट डेज हैं और बहुत सारा बिजनेस है, यह ठीक नहीं है। आपको जीरो ऑवर में मौका देंगे।

...(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय: आप बैठ जाएं। प्रश्न काल के बाद जीरो ऑवर में आपको मौका दूंगा। प्रश्नकाल सभा की महत्वपूर्ण कार्यवाही है। अनेक सदस्य अनुपूरक प्रश्न पूछने के इच्छुक हैं।

...(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय: यह ठीक नहीं है, आप बैठ जाएं।

...(व्यवधान)

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय: श्री मुलायम सिंह मैं आपसे पुन: अपील कर रह रहा हूं।

[हिन्दी]

आप अपने सदस्यों को कहें कि वे अपनी-अपनी सीट पर जाएं। मैं प्रश्न काल के बाद आपको मौका दूंगा।

श्री मुलायम सिंह यादव (संभल): राष्ट्रपिता महात्मा गांधी, बाबा साहेब अम्बेडकर, श्री जयप्रकाश नारायण, डा. लोहिया, चौधरी चरण सिंह की तस्वीरें दफ्तरों से उतार कर उनका अपमान किया जा रहा है।...*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय: कार्यवाही-वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया जाएगा।

*...(व्यवधान)**

*कार्यवाही-वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया गया।

*कार्यवाही-वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया गया।

[हिन्दी]

अध्यक्ष महोदय: यह हाउस है, आप नेशन को गलत मैसेज भेज रहे हैं, यह ठीक नहीं है। अगर कोई समस्या है तो क्या उसको डिसकस करने के लिए आप हाउस की प्रोसिडिंग स्टॉल करेंगे, यह कैसा प्रोसिजर है? कोई नया प्रोसिजर है आपके सदस्यों के लिए? आपका नोटिस डिसअलाऊ हो गया है। आपको जीरो ऑवर में मौका दूंगा।

...(व्यवधान)

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय: आप सभा की कार्यवाही को ऐसे कैसे रोक सकते हैं।

...(व्यवधान)

[हिन्दी]

अध्यक्ष महोदय: आप अपनी जगहों पर जाएं, आपको मौका मिलेगा, तब आप रेज कर सकते हैं।

...(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय: हाउस का ट्रांजेक्शन रोकना क्या आपका काम है? आप बैठ जाएं आपको मौका मिलेगा।

...(व्यवधान)

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय: कार्यवाही-वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया जाएगा।

*...(व्यवधान)**

[हिन्दी]

अध्यक्ष महोदय: आप पहले समझ लें कि आप क्या कोई नया प्रोसीजर चेयर को बता रहे हैं?

...(व्यवधान)

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय: कार्यवाही-वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया जाएगा।

*...(व्यवधान)**

[हिन्दी]

अध्यक्ष महोदय: आप पहले सुन लीजिए। क्वश्चन ऑवर सस्पेंड करने के लिए आपने नोटिस दिया है, वह डिज्जॉल्व कर दिया है। कैसी बात कर रहे हैं? हाउस का कोई प्रोसीजर है न।

...(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय: आप चेयर की कुछ भी बात नहीं सुनेंगे तो हम कैसे सुनेंगे? पहले आप अपनी जगह में जाकर बैठिए।

...(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय: आप चेयर की कुछ भी नहीं सुनेंगे। आपका अगला सिस्टम है, अगला रुल्स है, अगला प्रोसीजर है। पहले आप बैठ जाइए।

...(व्यवधान)

श्री मुलायम सिंह यादव: अध्यक्ष महोदय, आप नाराज हो रहे हैं।*...(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय: नाराज नहीं हैं, सीरियस बात है। आप सीनियर मेम्बर हैं।

श्री मुलायम सिंह यादव: आप हमारी मदद कीजिए।

अध्यक्ष महोदय: मदद करेंगे। हमने आपके नोटिस को डिजॉल्व कर दिया है। हमने बोला है कि आपको जीरो ऑवर में मौका मिलेगा। आप सुनते ही नहीं हैं। आप अपने मेम्बर्स को वैल में भेज रहे हैं।

...(व्यवधान)

श्री मुलायम सिंह यादव: आप नाराज हो रहे हैं।*...(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय: कुछ भी सुन नहीं रहे हैं। यह ठीक नहीं है। ऐसा होगा तो हाउस को कैसे रन करेंगे?

...(व्यवधान)

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय: सदस्य महत्वपूर्ण मामले उठाने का इंतजार कर रहे हैं।

...(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय: श्री रामदास आठवले, सभा में आपका व्यवहार हमेशा उचित नहीं होता है।

...(व्यवधान)

*कार्यवाही-वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया गया।

[हिन्दी]

श्री माधवराव सिंधिया (गुना): मेरा एक अनुरोध है। जो बात अभी यहां उठाई गई है ...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय: वैल में ऐसे खड़े रहना अच्छा नहीं है।

...*(व्यवधान)*

श्री माधवराव सिंधिया: अध्यक्ष जी, राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जी और लोहिया जी के बारे में जो बात उठाई गई है कि उनकी स्मृति को, डा. अम्बेडकर जी की स्मृति को पूरी तरह से अपमानित किया गया है।...*(व्यवधान)* वे इतने ऊंचे कद के राष्ट्रीय नेता हैं, राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जी का नाम भी आया है तथा लोहिया जी, अम्बेडकर जी का नाम भी आया है।...*(व्यवधान)* यह राष्ट्रीय स्तर का मामला है, इसलिए यह बड़ा गंभीर विषय है और पार्लियामेंट को निश्चित रूप से इसके बारे में चिंतित होना चाहिए। हम सबको चिंता होनी चाहिए और इसीलिए मैं आपके माध्यम से सरकार से अनुरोध करूंगा कि ऊंचे कद के नेता हैं, आप इसके बारे में जानकारी ले लीजिए।...*(व्यवधान)* इसमें कमिटमेंट देने में आप संकोच क्यों करते हैं? आप प्रदेश सरकार से जानकारी ले लीजिए।...*(व्यवधान)* हमारी बात पहले सुन लीजिए। इसके बारे में क्या सत्य है और क्या नहीं है, अगर अपमान किया गया हो तो ऐसे व्यक्तियों के विरुद्ध कठोर से कठोर कार्यवाही करनी चाहिए और हम सबको समर्थन करना चाहिए। इसमें कौन सी आपत्ति की बात है? मुझे समझ में नहीं आता है।...*(व्यवधान)* बार-बार सरकार भयभीत होकर भागती क्यों है?...*(व्यवधान)* सरकार जानकारी लेकर पार्लियामेंट में आ जाये। सब मामला खामोश हो जाएगा।...*(व्यवधान)* प्रमोद जी, आप मुझसे बात मत करिए। आप चेयर से बात करिए। ...*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय: श्री सिंधिया, क्या किसी मामले पर चर्चा करने का यही तरीका है।

श्री माधवराव सिंधिया: जी नहीं, जो मैं कह रहा हूं वह यह है कि उन्हें कहने दें कि उन्हें सूचना दी जाएगी और सभा में वापस आयेंगे। यदि यह सच है कि ऐसी उच्चस्तरीय नेतागणों की बेइज्जती हुई है तो सरकार को पूरी सूचना के साथ सभा में आना चाहिए।

अध्यक्ष महोदय: लेकिन सरकार को भी सूचना मिलनी चाहिए।

श्री सोमनाथ चटर्जी (बोलपुर): महोदय, यह स्पष्ट है कि इस मुद्दे के बारे में सम्पूर्ण सभा चिंतित है। इसलिए, कुछ नहीं होगा यदि मंत्री यहां उत्तर दें ताकि सदस्य अपने स्थान पर वापस जा सकें और प्रश्न काल शुरू हो सके। मैं अनुरोध कर रहा हूं कि प्रत्येक मामले को आम मामले की तरह नहीं लिया जा सकता। महोदय मुझे विश्वास है कि आप इससे सहमत होंगे कि राष्ट्रीय नेताओं की बेइज्जती की गई है। सरकार को इसका उत्तर देना चाहिए।

[हिन्दी]

संसदीय कार्य मंत्री तथा सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री (श्री प्रमोद महाजन): अध्यक्ष जी, पहली बात यह है कि राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जी, भारत रत्न डा. अम्बेडकर या डा. राम मनोहर लोहिया जैसे महान व्यक्तियों के छायाचित्र का कहीं भी अपमान हुआ हो तो स्वाभाविक रूप से गलत बात है।...*(व्यवधान)* मुलायम सिंह यादव जी ने इस विषय को उठाया है। चूंकि यह उत्तर प्रदेश के जिले में हुई घटना है, अगर आप मुझे आदेश दे रहे हैं तो मैं निश्चित रूप से आज सदन उठने के पहले ही राज्य सरकार से यह जानकारी लेकर सदन को दे दूंगा।...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय: अब आपने सुना है, संसदीय कार्य मंत्री जी ने अभी बोला है।

...*(व्यवधान)*

श्री प्रमोद महाजन: लेकिन मैं केवल एक वाक्य एड करना चाहूंगा कि आपने एलाउ ही नहीं किया था तो फिर गवर्नमेंट रनिंग अवे, शाइ और एफ्रैड यह फ्रैजियोलौजी क्यों यूज की जा रही है, मुझे समझ में नहीं आता? अगर आपने एलाउ किया होता तो मैं रेस्पांड करने के लिए हमेशा तैयार हूं। लेकिन आपने एलाउ नहीं किया तो इसमें सरकार को क्यों घसीटा जा रहा है? यह मुझे समझ में नहीं आ रहा है? ...*(व्यवधान)*

श्री मुलायम सिंह यादव: अध्यक्ष महोदय, यह सहानुभूति जो संसदीय कार्य मंत्री जी ने दिखाई है और यह मामला आपके संज्ञान में आ गया है। हमें अपने अपमान की चिंता नहीं है। हमारी तस्वीर कहां फेंकी गई, हमारा दफ्तर खाली करा दिया गया?...*(व्यवधान)* राष्ट्रीय अध्यक्ष की तस्वीर हरेक दफ्तर के कार्यालय में रहती है, मेरी तस्वीर को कुचल-कुचल कर नालों में फेंका गया,...*(व्यवधान)* हमें कोई चिंता नहीं है, हम जिंदा हैं लेकिन महात्मा गांधी जी, लोहिया जी, अम्बेडकर जी, जयप्रकाश जी, श्री रामसेवक यादव, श्री राजनारायण जी, कर्पूरी ठाकुर जी जैसे आदर्श जो पूरे देश के लिए हैं, उनकी तस्वीरों को फेंक कर अपमान किया गया। ...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय: अभी आपने संसदीय कार्य मंत्री जी को सुना है।

श्री मुलायम सिंह यादव: हमें जवाब कब मिलेगा? यह बहाना लेकर कह रहे हैं कि आपने अनुमति नहीं दी। आप बताएं कि सरकार कब जवाब देगी? हमारी मांग थी कि...*(व्यवधान)* हमने विशेषाधिकार और लोक सभा की कमेटी की बात कही थी...*(व्यवधान)* लोक सभा की कमेटी बने ...*(व्यवधान)* हमारे विशेषाधिकार हनन का क्या हुआ है? हमारा दफ्तर, हमारे कूपन, हमारे रुपये, लगभग एक लाख रुपये डी.एम. व एस.एस.पी. से लुटवा दिया गया।...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय: मुलायम सिंह जी, जरा समझ लीजिए। अभी पार्लियामेंट्री अफेयर्स मिनिस्टर ने अभी-अभी बोल दिया है कि आज ही सदन को बता देंगे।

...(व्यवधान)

श्री मुलायम सिंह यादव : यह गलत हो रहा है। वह सदन को बता देंगे। हमारी मांग है कि लोक सभा की कमेटी बने और संसदीय कार्य मंत्री जी की अध्यक्षता में बने। ...*(व्यवधान)* हमारी कमेटी बने तब यहां संसद में कार्यवाही होगी। ...*(व्यवधान)* संसदीय कार्य मंत्री जी चले जायें और हमारे दल के सारे नेता और मेम्बर्स जो जाना चाहें, जाये और वहां जाकर कर लें। ...*(व्यवधान)* ऐसा नहीं है। लोक तंत्र की व्यवस्था में इतने अपमानजनक, बर्बरता पूर्ण व्यवहार की कभी कल्पना नहीं की गई। ...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय : आप इतना बोल रहे हैं लेकिन आपने अपने मेम्बर्स के डिसीप्लिन के बारे में एक सेंटेंस भी नहीं बोला है।

...(व्यवधान)

श्री मुलायम सिंह यादव: आपके निर्देश का पालन करना चाहते हैं। लेकिन हम मजबूर हैं, न्याय नहीं मिलता है। न्याय हर तरह से मांगा जाता है। हम आपके निर्देशों का पालन करेंगे।...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय: पार्लियामेंट्री मिनिस्टर ने कहा है कि रिपोर्ट आज ही हाउस में देंगे।

श्री मुलायम सिंह यादव: डीएम कह देगा कि हमने नहीं किया है।...*(व्यवधान)* अकेले में प्रधान मंत्री, गृह मंत्री और संसदीय कार्य मंत्री बैठ जायें, हम बता देंगे।...*(व्यवधान)* डीएम सीधे मुख्यमंत्री से बात करता है...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय: क्वैश्चन आवर का आधा घंटा खत्म हो गया।

श्री मुलायम सिंह यादव: खुल्लमखुल्ला एसएसपी और डीएम कहते हैं लखनऊ में मुख्यमंत्री से और दिल्ली में उच्च पदों पर बैठे लोगों से सीधे टेलीफोन पर बात होती हैं, तुम जो करना चाहो, करिए। जब ये बातें हो रही हैं, तो रिपोर्ट कैसे देंगे, रिपोर्ट किससे लेंगे, आप बतायें।...*(व्यवधान)* विशेषाधिकार हनन के मामले को कब लेंगे और हमने एक कमेटी मांगी है। एक-दो मिनट में अपनी बात समाप्त करके, आपके आदेश का पालन करेंगे। ...*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय: कार्यवाही-वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया जाएगा।

*...(व्यवधान)**

[हिन्दी]

अध्यक्ष महोदय: आप कुछ भी नहीं सुन रहें हैं, क्या पालन कर रहे हैं। आप चेयर की बात नहीं सुन रहे हैं।

...(व्यवधान)

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय: इसे कार्यवाही-वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया जाएगा।

*...(व्यवधान)**

[हिन्दी]

अध्यक्ष महोदय: आप अपने मैम्बर्स को कहिए कि सीट पर जायें। क्वैश्चन आवर होने दीजिए। आधा घन्टा खत्म हो गया है।

...(व्यवधान)

पूर्वाह्न 11.28 बजे

(इस समय, श्री रामसागर रावत और कुछ अन्य माननीय सदस्य अपने-अपने स्थानों पर वापस चले गये)

डा. रघुवंश प्रसाद सिंह: विशेषाधिकार के हनन का प्रश्न आपके विचाराधीन है।...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय: आपको क्या हो गया?

..(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय: ऐसे हाउस चलाना बहुत मुश्किल होता है।

...(व्यवधान)

पूर्वाह्न 11.30 बजे

प्रश्नों के मौखिक उत्तर

[अनुवाद]

डाक सेवाओं का आधुनिकीकरण

***381. कर्नल (सेवानिवृत्त) सोना राम चौधरी:** क्या संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या डाक विभाग ने देश में और विशेष रूप से पश्चिमी राजस्थान के थार क्षेत्र में डाक सेवाओं का आधुनिकीकरण करने के लिए एक योजना प्रारम्भ की है;

---

*कार्यवाही-वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया गया।

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) इस प्रयोजन के लिए कितने योजनागत परिव्यय का प्रावधान किया गया है और पिछले तीन वर्षों के दौरान इस संबंध में कितनी धनराशि का राज्य-वार उपयोग किया गया है; और

(घ) सरकार द्वारा देश में डाक सेवाओं में और सुधार लाने के लिए प्रस्तावित योजनाओं का ब्यौरा क्या है?

संचार मंत्री (श्री राम विलास पासवान): (क) से (घ) एक विवरण सभा पटल पर रखा गया है।

विवरण

विभाग ने नब्बे के दशक के आरंभ से ही देश में डाक सेवाओं के आधुनिकीकरण हेतु एक योजना शुरू की है। इसमें पश्चिमी राजस्थान के थार क्षेत्र को भी शामिल किया गया है।

2. जिन व्यापक क्षेत्रों में प्रौद्योगिकी के समावेश का प्रयास किया जा रहा है वे इस प्रकार हैं:-

(1) समस्त लेन-देन कार्यों के लिए एक ही काउंटर की व्यवस्था करने की दृष्टि से काउंटर, जोकि ग्राहक के संपर्क का प्रमुख स्थान होता है, के कार्यों का कम्प्यूटरीकरण करना।

(2) विशेष रूप से ग्रामीण क्षेत्रों में आम जनता के लिए मनीआर्डरों के पारेषण हेतु उपग्रह आधारित प्रौद्योगिकी का प्रयोग करना।

(3) प्रमुख महानगरों में मेल प्रोसेसिंग प्रणाली का स्वचलीकरण करना।

3. आठवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान देश में 2660 कम्प्यूटर आधारित बहुउद्देशीय काउंटर मशीनें और 77 वेरी स्माल अपर्चर टर्मिनल (वीएसएटी) की स्थापना क्रमश: 16.28 करोड़ रु. और 14.11 करोड़ रुपये की लागत से की गई। डाक की स्वचालित प्रोसेसिंग के लिए मुम्बई और चेन्नई में 46.46 करोड़ रु. की लागत से दो कम्प्यूटरीकृत केन्द्रों की स्थापना की गई है। पश्चिमी राजस्थान के विशेष संदर्भ में यह सूचित किया जाता है कि एक वी एस ए टी स्टेशन, 14 ई एस एम ओ केन्द्र और 82 बहुउद्देशीय काउंटर मशीनें लगाई गई हैं जैसा कि अनुबंध-I में दिया गया है। इसके अतिरिक्त जोधपुर, शास्त्रीनगर, बीकानेर और श्रीगंगानगर प्रधान डाकघरों में बचत बैंक कार्यों का पूर्णत: कम्प्यूटरीकरण कर दिया गया है तथा जोधपुर में एक कम्प्यूटरीकृत ग्राहक सुविधा केन्द्र, एक कम्प्यूटरीकृत फिलैटली ब्यूरो स्थापित किया गया है। 1997-98, 1998-99 और 1999-2000 के दौरान आधुनिकीकरण और कम्प्यूटरीकरण के संबंध में कुल योजना परिव्यय इस प्रकार रहा:-

	परिव्यय	व्यय
1997-98	42.95 करोड़	38.76 करोड़
1998-99	44.48 करोड़	37.77 करोड़
1999-2000	61.09 करोड़	संकलन किया जा रहा है।

पिछले 3 वर्षों के दौरान राज्य-वार व्यय अनुबंध-II में दिया गया है। इसमें डाक कार्यालयों के आधुनिकीकरण पर व्यय शामिल है।

4. क्षेत्र में डाक सेवाओं में आगे प्रगति करने के लिए सरकार द्वारा निम्नलिखित कार्यकलाप शुरू किए गये हैं:-

(1) आधुनिकतम प्रौद्योगिकी के समावेश के साथ वीएसएटी प्रणाली का उन्नयन करना।

(2) मेघदूत, 98 नामक आधुनिकतम साफ्टवेयर की सहायता से बहुउद्देशीय मशीनों का उन्नयन करना ।

(3) विनिर्दिष्ट डाकघरों में स्वचालित डाक टिकट विरुपण मशीनें संस्थापित करना।

(4) विनिर्दिष्ट डाकघरों में इलेक्ट्रानिक फ्रैंकिंग मशीनें संस्थापित करना।

(5) 1500 और विस्तारित उपग्रह मनीआर्डर स्टेशन संस्थापित करना।

(6) बिल भुगतान साफ्टवेयर संस्थापित करना जो नागरिकों को एकीकृत काउंटर सेवा प्रदान करती है।

(7) ई-कामर्स में चेन मैनेजमेंट की व्यवस्था करना।

(8) बधाई डाक।

(9) और अधिक छंटाई मशीनें स्थापित करना।

(10) एलएएन परिवेश में डाकघरों का पूर्ण कम्प्यूटरीकरण।

अनुबंध-I

पश्चिमी राजस्थान में संस्थापित बहुद्देशीय काउंटर मशीनों की सूची

क्रम सं.	डाकघर का नाम	कुल
1	2	3
1.	बीकानेर प्रधान डाकघर	8
2.	चुरू प्रधान डाकघर	3

1	2	3
3.	सरदारशहर एलएसजी डाकघर	1
4.	झुंझुनु प्रधान डाकघर	1
5.	जोधपुर प्रधान डाकघर	26
6.	शास्त्रीनगर प्रधान डाकघर, जोधपुर	10
7.	कचहरी उप डाकघर, जोधपुर	4
8.	चोपासनी रोड उप डाकघर, जोधपुर	1
9.	रेजीडेंसी रोड डाकघर, जोधपुर	1
10.	जैसलमेर प्रधान डाकघर	4
11.	नागौर प्रधान डाकघर	1
12.	पाली प्रधान डाकघर	1
13.	सीकर प्रधान डाकघर	3
14.	सिरोही प्रधान डाकघर	2
15.	आबू रोड उप डाकघर	1
16.	माउंट आबू उप डाकघर	1
17.	जालौर प्रधान डाकघर	1
18.	श्रीगंगानगर प्रधान डाकघर	9
19.	हनुमानगढ़ जं. प्रधान डाकघर	1
20.	पी.एस.डी. जोधपुर	1
21.	गिरडीकोट उप डाकघर, जोधपुर	2

अनुबंध-II

पिछले 3 वर्षों के दौरान डाकघरों और मेल आफिसों के आधुनिकीकरण पर राज्य-वार किया गया व्यय

(लाखों में)

क्रम सं.	राज्य का नाम	1997-98	1998-99	1999-2000
1	2	3	4	5
1.	असम	193.11	31.94	34.71
2.	आंध्र प्रदेश	85.63	38.79	93.2
3.	बिहार	32.31	37.54	27.15
4.	दिल्ली	42.67	28.37	65.87
5.	गुजरात	93.48	41.47	31.51
6.	हरियाणा	44.29	28.02	25.85
7.	हिमाचल प्रदेश	13.28	12.31	13.29
8.	जम्मू एवं कश्मीर	35.2	16.45	30.35
9.	कर्नाटक	87.21	32.72	39.87
10.	केरल	91.56	69.73	29.03
11.	मध्य प्रदेश	53.65	35.9	23.38
12.	महाराष्ट्र	69.86	90.13	70.59
13.	उत्तर-पूर्व	33.74	25.3	41.51
14.	उड़ीसा	49.18	40.22	32.97
15.	पंजाब	58.7	42.57	38.01
16.	राजस्थान	79.73	18.69	19.82
17.	तमिलनाडु	93.27	106.81	51.54
18.	उत्तर प्रदेश	161.17	100.47	60.99
19.	पश्चिम बंगाल	114.54	98.03	58.76

[हिन्दी]

कर्नल (सेवानिवृत्त) सोना राम चौधरी: अध्यक्ष महोदय डाकघर सेवायें ग्रामीण क्षेत्रों की मूल समस्यायें हैं। इसके माड्नाइजेशन और अपग्रेडेशन के लिए 42.95 करोड़ रुपये, 44.48 करोड़ रुपये, 61.90 करोड़ रुपये खर्च कर रहे हैं। यह राशि बहुत कम है। आप जानते हैं कि भारत वर्ष में 6 लाख गांव हैं, जिनमें से पौने पांच लाख गांवों में डाकघर नहीं है। एक लाख 12 हजार गांव ऐसे हैं, वहां पंचायतों के मुख्यालय हैं, लेकिन डाकघर नहीं हैं।

आप जानते हैं कि ग्रामीण इलाके में डाकघर के द्वारा ही पत्र, तार, पार्सल, मनी आर्डर और पेंशन मिलती है। 75 प्रतिशत लोग गांवों में रहते हैं और ई-मेल, इंटरनेट, सेटेलाइट की सर्विसेज केवल शहरों तक ही है। मेरा यह कहना है कि क्या आपने कुछ मापदंड रखे हैं, जिसके तहत 300 किलोमीटर की परिधि में एक डाकघर होना चाहिए। आपने यह रखा है कि आबादी तीन हजार

के अंदर होनी चाहिए। ग्रामीण इलाकों में जो पहाड़ी एरियाज हैं, उनमें पांच हजार तक रखी है। आपने यहां तक भी कहा है कि जहां 300 की आबादी है वहां लेटर बाक्स रखे हैं। मैं आपसे यह कहना चाहता हूं कि मैं पश्चिमी राजस्थान से हूं। यहां से चिट्ठी निकलने में औसतन छः-सात दिन लगते हैं और कुछ चिट्ठियों में तो दस से 15 दिन भी लगते हैं, इसलिए कि वहां 15 से 20 किलोमीटर की दूरी में कोई पोस्ट ऑफिस नहीं है। मैं सलाहकार समिति में भी मेम्बर हूं। आपने मेहरबानी की कि आपने वहां कुछ शुरुआत की और आप वहां कुछ सर्वे करवा रहे हैं। मेरा कहने का मतलब यह है कि आप डाकघर के माडर्नाइजेशन के लिए कुछ और करें।...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय: प्रश्न-काल में इनफोरमेशन देनी नहीं है, आपको पूछना है।

कर्नल (सेवानिवृत्त) सोना राम चौधरी: महोदय, मेरा पहला सवाल यह है कि आपने जो मापदंड रखे हैं, वीपीपी घोषणा की है कि सन् 2002 में सब लगा देंगे। आपने जो मापदंड रखे हैं, आप उनके तहत किस साल तक पोस्ट आफिस लगा देंगे? आपने ख भाग में कहा है कि 300 आबादी में लेटर बाक्स लग जाएंगे, ये भी किस साल तक लग जाएंगे? धन्यवाद।

श्री राम विलास पासवान: महोदय, सोना राम चौधरी जी सलाहकार समिति के सदस्य हैं, इन्हें पूरी जानकारी है। मै आपको बताता हूं कि आबाद ग्राम तो छः लाख नौ सौ अठानवे हैं, लेकिन जो पंचायतें पूरे देश में हैं वह 230,560 हैं। इनमें भी सिर्फ 115,631 पंचायतें हैं जहां पोस्ट ऑफिस हैं। सरकार की मंशा है कि हम कम से कम हर पंचायत लेवल पर पोस्ट ऑफिस की व्यवस्था करें, लेकिन फंड का अभाव है इसलिए हम उनमें हर साल मेक्सिमम 500 गांव रखते हैं। हम कोशिश करते हैं, वहां भी अगर दिक्कत होती है तो हम उसे अपने स्तर पर सॉर्टआउट करने का भी काम करते हैं, पहली बात यह है। दूसरी बात आपने कही, अभी जो क्राइटेरिया है कि तीन किलोमीटर की दूरी पर होना चाहिए, तीन हजार की पापुलेशन होनी चाहिए और कम से कम एक-तिहाई राजस्व की आय होनी चाहिए इस क्राइटेरिया के तहत भी बहुत सारे गांव हैं, जहां अभी तक पोस्ट ऑफिस नहीं हैं। उसका मुख्य कारण यह है कि जो हमारे पोस्टल और टेलीकॉम डिपार्टमेंट हैं वे अमीर हैं। वहां पैसे की कमी नहीं है, इसलिए हम सन् 2002 तक हर गांव में टेलीफोन की व्यवस्था करेंगे, लेकिन जहां तक इसमें पोस्ट ऑफिस या पोस्टल डिपार्टमेंट का सवाल है, हमारे पास पैसे की भारी कमी है। इस दृष्टिकोण से कमी को देखते हुए हम कोई एश्योरेंस नहीं दे सकते हैं। हां, हमने इतना जरूर किया है, जहां गांवों में तीन सौ की पापुलेशन है वहां हमने कहा है कि कम से कम तीन सौ पापुलेशन वाले गांवों में लेटर बॉक्स रखे जाएं। आप जानते हैं कि हमने एक दूसरी स्कीम शुरू की है- "डाक संचार सेवा केन्द्र।" आप जानते हैं कि रेगिस्तानी, फ्लड या पहाड़ी इलाकों में एक गांव से दूसरे गांव की दूरी पार करना बहुत कठिन होता है, उस दृष्टिकोण से 300 की आबादी वाले गांव में बाक्स रखेंगे। वहां आज जो डाकिया जाता है वह एक से दूसरे सेंटर तक जाता है और वहां से चिट्ठी लेकर आता है। यदि ग्राम पंचायत या उसके अंदर दो-तीन जगह पर हम व्यवस्था करेंगे तो यह होगा कि उस गांव के आदमी को फायदा हो जाएगा। आज जो उसका दूसरी जगह जाकर चिट्ठी डालने या स्टेम्प खरीदने का समय बर्बाद होता है वह समय उसका बच जाएगा।

दूसरा सरकार का यह नियम है कि जो चार से पांच घंटे कम काम करेगा तो वह एक्स्ट्रा डिपार्टमैंट एजेंट रहेगा। इससे कम से कम पोस्टमैन के काम की अवधि बढ़ेगी और उसे परमानैंट होने का मौका मिलेगा। मैं आपको जानकारी के लिए बता दूं कि पूरे देश में जहां एक लाख 54 हजार 541 पोस्ट आफिस हैं वहां लैटर बॉक्स कुल मिलाकर 587445 हैं। जो गांव के अनएम्पलायड यूथ्स हैं, संचार सेवा केन्द्र के माध्यम से उनको पहले 300 रुपये दिए जाते थे, दो दिन पहले हमने उन्हें 600 रुपये देना डिसाइड किया है। यह भी कहा गया है कि बेरोजगार युवकों की ग्राम सभा द्वारा नियुक्ति की जाए और वे पोस्टल्स और स्टैम्पस बेचें। इसमें से जो पैसा आता है उसमें से कुछ परसैंटेज निर्धारित किया जाता है। कुल मिलाकर हमारा दृष्टिकोण यह है कि अधिक से अधिक गांवों में संचार सेवा की सुविधा लोगों को मिले। जहां तक पोस्ट आफिस का सवाल है, सरकार की वित्तीय स्थिति को देखते हुए हमें हर स्टेज पर वित्त मंत्रालय पर डिपेंड रहना पड़ता है। इस कारण हम कोई समय सीमा बांध नहीं सकते हैं।...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय: सप्लीमैंट्री लम्बा होगा तो क्या इस समस्या का समाधान भी इतना लम्बा चाहिए।

...(व्यवधान)

कर्नल (सेवानिवृत्त) सोना राम चौधरी: घोषणा करने में मंत्री जी माहिर हैं लेकिन मालूम नहीं घोषणा क्यों नहीं कर रहे हैं?...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय: छोटा सप्लीमेंट्री पूछेंगे तो रिप्लाई अच्छा होगा।

कर्नल (सेवानिवृत्त) सोना राम चौधरी: नौवीं पंचवर्षीय योजना में पोस्ट आफिस के लिए 320.74 करोड़ रुपये रखे गये थे जो बहुत कम हैं। 1998-99 में 102 पोस्ट आफिसेज मॉडर्नाइज किए गये। हिन्दुस्तान में एक लाख 54 हजार पोस्ट आफिसेज हैं। इस स्पीड़ से कैसे काम होगा? यह ग्रामीण इलाकों के साथ अन्याय है। क्या मंत्री जी यह मामला कैबिनेट में ले जाकर 320.74 करोड़ रुपये की राशि को बढ़ाएंगे? यदि इस राशि को बढाया नहीं जा सकता है तो पब्लिक बॉन्ड इशू किए जाएं। आजकल सरकार की निजीकरण की नीति चल रही हैं। मेरा सुझाव है कि इसका निजीकरण करके पोस्ट आफिस की सर्विस ग्रामीण इलाके के लोगों को दी जाएं।

श्री राम विलास पासवान: अध्यक्ष महोदय, जहां तक ग्रामीण इलाकों का सवाल है, सरकार उनके बारे में चिंतित है। पोस्ट आफिस में पत्र नहीं जाते और पोस्टमैन उसे लेकर नहीं जाते, वह शिकायत नहीं है। शिकायत इस बात की है कि आप चाहते हैं कि प्रत्येक गांव में पोस्ट आफिस खुलें। इस सम्बन्ध में मैंने पहले ही कहा है कि सरकार के सामने वित्तीय कठिनाई है।

श्री जसवंत सिंह बिश्नोई: अध्यक्ष महोदय, क्या संचार मंत्री फलौदी, औसीयां, भोपालगढ़, पीपाड़, बिलाडा एवं लूणी कस्बों के डाकघरों में बहुउद्देश्यीय काउंटर मशीनों को संस्थापित करने का विचार रखते हैं। यदि हां तो कब तक और यदि नहीं तो क्यों?

श्री राम विलास पासवान: अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य का प्वाइंट नोट कर लिया गया है, मैं उसे देख लूंगा।

[अनुवाद]

श्री बसुदेव आचार्य: महोदय, डाक सेवा का विकास बहुत धीमी गति से हो रहा है, क्या मैं माननीय मंत्री से यह जान सकता हूं कि क्या सरकार एक लक्ष्य निर्धारित करेगी कि 5 या 10 वर्ष के भीतर सभी ग्राम पंचायतों को डाक सेवा से जोड़ दिया जाएगा? *...(व्यवधान)*

दूसरा, डाक सेवा की कार्यकुशलता कर्मचारियों को सेवा दशाओं पर निर्भर करती है। महोदय, मैंने अखबारों में पढ़ा है कि मंत्री जी ने तीन लाख से अधिक विभागेत्तर कर्मचारियों को नियमित करने हेतु एक प्रस्ताव भेजा है। मैं माननीय मंत्री से ये जान सकता हूं कि क्या सरकार द्वारा गठित तलवार समिति की सिफारिशों को लागू किया जाएगा अथवा नहीं?

[हिन्दी]

श्री राम विलास पासवान: अध्यक्ष महोदय, जहां तक पोस्ट आफिस सर्विसेज का सवाल है, वे सब जगह मिल रही हैं लेकिन जहां तक पोस्ट आफिसेज का सवाल है...

श्री बसुदेव आचार्य: पोस्ट आफिसेज नहीं रहने पर कैसे सर्विसेज मिलेगा?

श्री राम विलास पासवान: अध्यक्ष जी, पोस्ट आफिस सर्विसेज अलग है, पोस्ट आफिसेज अलग है। जहां तक पोस्ट आफिस सर्विसेज का सवाल है, वे मिल रही हैं लेकिन जहां तक पोस्ट आफिसेज का सवाल है उसमें लैटर बाक्स के लिए तो हम समय सीमा बांध सकते हैं कि पांच साल के अंदर हम हर पंचायत में जहां 300 से अधिक गांव रहेंगे। वहां दो साल में व्यवस्था कर देंगे ताकि आम आदमी को सुविधा मिल जाये। जहां तक पोस्ट आफिसेज का सवाल है, जैसा मैंने कहा कि प्लानिंग कमीशन इसके लिए तय करता है, हम तय नहीं कर रहे हैं। जितना पैसा हमारे पास आता है, उस आधार पर हमें तय करना पड़ता है। इसलिए हम हर पंचायत या हर गांव में पोस्ट आफिस लगाने की स्थिति में नहीं हैं।

अध्यक्ष महोदय, जहां तक माननीय सदस्य ने तलवार कमेटी का जिक्र किया, सरकार उसे देख रही है।

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय: प्रश्न संख्या 382—श्री शिवराज सिंह चौहान

...(व्यवधान)

श्री के. येरननायडू: अध्यक्ष महोदय, यह बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है। कृपया मुझे एक अनुपूरक प्रश्न पूछने की अनुमति दें*...(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय: श्री येरननायडू, कृपया अपनी सीट पर बैठ जाइए। मैं पहले ही अगले प्रश्न के बारे में बोल चुका हूं।

[हिन्दी]

नसबंदी के मामले

***382. श्री +शिवराज सिंह चौहान:**
श्री जयभान सिंह पवैया:

क्या **स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या देश की जनसंख्या में बेतहाशा वृद्धि हुई है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) गत तीन वर्षों के दौरान देश में किए गए नसबन्दी आपरेशनों का राज्य-वार ब्यौरा क्या है; और

(घ) केन्द्र सरकार द्वारा देश में बढ़ रही जन्म दर को नियंत्रित करने के लिए क्या आवश्यक कदम उठाए जा रहे हैं?

[अनुवाद]

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री (डा. सी.पी. ठाकुर): (क) से (घ) एक विवरण लोक सभा के पटल पर रखा जाता है।

विवरण

(क) और (ख) स्वतंत्रता से अब तक भारत की जनसंख्या में हुई वृद्धि इस प्रकार है:-

वर्ष	जनसंख्या (करोड़ में)	दशक के दौरान वृद्धि (प्रतिशत)
1951	36.1	-
1961	43.9	1.96 (1951-61)
1971	54.8	2.20 (1961-71)
1981	68.3	2.22 (1971-81)
1991	84.6	2.14 (1981.91)
2000 (11 मई)	100	1.75*

*1998 की स्वाभाविक वृद्धि दर।

(ग) पिछले तीन वर्षों के दौरान देश में किए गए बंध्यीकरण आपरेशनों के राज्य-वार ब्यौरे संलग्न अनुबंध में दिए गए है।

(घ) राष्ट्रीय परिवार कल्याण कार्यक्रम के अधीन जनसंख्या को स्थिर करने के लिए सरकार द्वारा निम्नलिखित कदम उठाए गए हैं:-

(1) प्रजनन एवं बाल स्वास्थ्य का एक एकीकृत और समग्रतावादी कार्यक्रम, जिसमें मातृ स्वास्थ्य, बाल स्वास्थ्य और गर्भनिरोधन मुद्दे शामिल हैं, अक्तूबर, 1997 में शुरू किया गया।

(2) छोटे परिवार के लाभों के बारे में जागरूकता में और आगे वृद्धि करने के लिए सूचना, शिक्षा और संचार कार्यक्रम को सुदृढ़ किया गया है और उसे सक्रिय किया गया है।

(3) आधारभूत ढांचे के रख-रखाव के लिए राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को परिवार कल्याण संबंधी आबंटनों और सहायता में वृद्धि करना।

(4) सेवा प्रदानगी को एक जगह उपलब्ध करवाने के बारे में स्वैच्छिक संगठनों और गैर-सरकारी संगठनों की सहभागिता और सहयोग में वृद्धि करना।

सरकार ने फरवरी, 2000 में एक राष्ट्रीय जनसंख्या नीति अपनाई है जो देश के भीतर जनसंख्या स्थिरीकरण प्राप्त करने के लिए एक समग्रतावादी और एकीकृत बहुक्षेत्रीय कार्यसूची (एजेंडा) प्रदान करती है। राष्ट्रीय जनसंख्या नीति का तात्कालिक उद्देश्य गर्भ निरोधन, स्वास्थ्य आधारभूत ढांचे, स्वास्थ्य कार्मिकों की पूरी न हुई जरूरतों पर ध्यान देना और बुनियादी प्रजनन और बाल स्वास्थ्य परिचर्या के लिए एकीकृत सेवा प्रदानगी की व्यवस्था करना है। मध्यकालिक उद्देश्य अन्तर क्षेत्रीय प्रचालनात्मक कार्यनीतियों के जोरदार कार्यान्वयन के जरिए कुल प्रजननता दरों को 2010 तक प्रतिस्थापन दरों तक लाना है। दीर्घकालिक उद्देश्य सतत आर्थिक वृद्धि, सामाजिक विकास और पर्यावरणिक सुरक्षा की अपेक्षाओं के अनुरूप स्तर पर 2045 तक जनसंख्या के स्थिरीकरण को हासिल करना है।

अनुबंध

1997-98 से 1999-2000 के दौरान किए गए बंध्यीकरण आपरेशनों की संख्या

क्रम सं.	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र/अधिकरण	1997-98	1998-99*	1999-2000*
1	2	3	4	5
I. राज्य				
1.	आंध्र प्रदेश	629,031	728,976	751,984
2.	असम	12,050	14,171	25,880
3.	बिहार	195,716	135,127	152,831
4.	गुजरात	242,364	250,379	260,223
5.	हरियाणा	94,042	91,219	96,485
6.	कर्नाटक	395,624	371,273	413,092
7.	केरल	139,804	132,734	150,112
8.	मध्य प्रदेश	367,092	358,492	405,601
9.	महाराष्ट्र	571.476	532,714	558,000
10.	उड़ीसा	127,046	122,171	108,465
11.	पंजाब	108,625	113,935	126,061
12.	राजस्थान	224,140	229,019	224,680
13.	तमिलनाडु	332,991	335,967	373,695
14.	उत्तर प्रदेश	307,799	346,333	377,765
15.	पश्चिम बंगाल	321,969	259,273	267,803
16.	अरुणाचल प्रदेश	2,353	1,983	1,000

1	2	3	4	5
17.	दिल्ली	37,699	35,159	37,182
18.	गोवा	4,158	4,358	5,101
19.	हिमाचल प्रदेश	32,474	30,760	31,783
20.	जम्मू और कश्मीर	12,510	11,471	9,241
21.	मणिपुर	2,640	2,895	1,127
22.	मेघालय	1,061	1,304	1,470
23.	मिजोरम	2,223	2,085	1,422
24.	नगालैंड	545	1,552	एन.आर.
25.	सिक्किम	1,113	1,104	970
26.	त्रिपुरा	8,449	6,949	7,689
II.	**संघ राज्य क्षेत्र**			
1.	अंडमान व निकोबार द्वीपसमूह	1,966	1,977	1,990
2.	चंडीगढ़	3,062	3,335	3,543
3.	दादरा व नगर हवेली	479	587	539
4.	दमन व दीव	536	433	458
5.	लक्षद्वीप	33	33	37
6.	पांडिचेरी	9,705	9,452	11,617
III.	**अन्य अभिकरण**			
1.	रक्षा मंत्रालय	18,888	17,761	18,074
2.	रेल मंत्रालय	28,851	26,970	19,061
	अखिल भारत	38,514	4,181,951	4,438,981

*आंकड़े अनंतिम हैं।

[हिन्दी]

श्री शिवराज सिंह चौहान: माननीय अध्यक्ष महोदय, हमारे देश की जनसंख्या 100 करोड़ की सीमा को पार कर चुकी है। विश्व में हम अन्य किसी मामले में प्रथम स्थान पर हों यो न हों लेकिन जनसंख्या वृद्धि के मामले में हम लोग प्रथम स्थान पर हैं। आजादी के बाद हम वर्ष में एक नया आस्ट्रेलिया बना रहे हैं। हमारे देश में परिवार नियोजन कार्यक्रम लागू किया गया है जिसके लिए आर्थिक सहायता भारी मात्रा में राज्यों को दी गई। जैसा माननीय मंत्री जी ने अपने उत्तर में बताया कि 1951 में हमारी जनसंख्या 36.1 करोड़ थी और 1951-61 के बीच में यह वृद्धि दर 1.96 प्रतिशत रही । लेकिन सारे प्रयत्नों के बावजूद यह वृद्धि जारी है।...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय: इतना हंगामा किया तो हाउस में सप्लीमेंटरी पूछने के लिए टाइम नहीं मिलेगा। आप चुपचाप बैठें और सप्लीमेंटरी पूछें। मैं देख रहा हूं कि आपके बीच में यह परिवर्तन आया है।

श्री शिवराज सिंह चौहान: लेकिन इतने सारे प्रयत्नों के बावजूद 1981-91 में यह वृद्धि दर 2.14 प्रतिशत रही है। यह एक खतरनाक स्थिति है। अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से मंत्री जी से पूछना चाहता हूं कि जनसंख्या वृद्धि रोकने के लिए भारी धन खर्च करने के बावजूद जनसंख्या वृद्धि नियंत्रित क्यों नहीं की जा सकी? क्या यह योजना केवल कागजों पर रह गई है?

अध्यक्ष महोदय, जनसंख्या वृद्धि में उत्तर भारत और दक्षिण भारत की स्थिति में अंतर है। जहां केरल में प्रति महिला जन्म दर 1.7 प्रतिशत है और यहां जनसंख्या वृद्धि पर नियंत्रण पा लिया है, वहां उत्तर भारत में नियंत्रण क्यों नहीं पाया जा सका है? दक्षिण भारत में जिन उपायों को लागू किया गया है, क्या उत्तर भारत में उन उपायों को लागू करने के लिए सरकार प्रयत्न करेगी?

डा. सी.पी. ठाकुर: अध्यक्ष महोदय, यह बात सही है कि जनसंख्या में वृद्धि हुई है और माननीय सदस्य का कहना और चिन्ता दोनों सही हैं। यह भी सही है कि जनसंख्या रोकने के लिए किसी समय कठोर उठाये गये थे लेकिन उसमें हुई प्रतिक्रिया को देखते हुए कोई भी सरकार या राजनैतिक दल जनसंख्या के नाम पर बोलना नहीं चाहते हैं। इससे पापुलेशन में स्पर्ट आया है, इसमें कोई दो मत नहीं हैं। जनसंख्या नियंत्रण कार्यक्रम चलता रहा। माननीय सदस्य ने जनसंख्या वृद्धि पर रोक लगाने के लिए उठाये गये कदमों के बारे में जानकारी चाही है। अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय सदस्य को बताना चाहता हूं कि सरकार ने विषय की गंभीरता को देखते हुए एक जनसंख्या आयोग का गठन किया है जिसके अध्यक्ष माननीय प्रधानमंत्री हैं। प्रधानमंत्री जी के अध्यक्ष बनने का मतलब यह है कि विषय बहुत गंभीर है। इस आयोग के सदस्य देशभर के राजनैतिक दलों के लोग, पत्रकार या जो इस विषय में रुचि रखते हैं, उसमें सदस्य रहे हैं। इस आयोग की एक बैठक भी हुई है इसमें जो सुझाव आये हैं, सरकार ने उन पर विचार किया है। देश के पत्रकारों से जो सुझाव आये हैं, उन पर विचार किया है। भारत के जितने एन.जी.ओज हैं, उनसे विचार किया है। राज्य सरकारों से विचार करके जो एक्शन प्लान बना है, उसके बाद हम इस कार्य को शुरू करने जा रहे हैं।

उनका दूसरा प्रश्न उत्तर और दक्षिण भारत से संबंधित है। यह सही है कि उत्तर भारत के राज्यों में पापुलेशन वृद्धि अधिक हो रही है, जिन्हें बीमारू स्टेट से नाम से जाना जाता है । उसमें मध्य प्रदेश की सरकार ने अपनी पापुलेशन नीति इसी बात से निकाली है और कुछ उन्होंने भी शुरू किया है कि हम इसे कंट्रोल करेंगे। उत्तर प्रदेश की सरकार ने भी पापुलेशन नीति को निकाला है। राजस्थान के मुख्य मंत्री आये थे और उन्होंने कहा था कि हम इसमें कठोर ढंग से कार्रवाई करेंगे। 31 तारीख को हमने सारे स्वास्थ्य मंत्रियों की बैठक बुलाई है और इसके क्रियान्वयन की दिशा में हम आगे बढ़े हैं।

श्री शिवराज सिंह चौहान: अध्यक्ष महोदय, जनसंख्या वृद्धि रोकने का एक कारगर उपाय गर्भ निरोधक है। मैं मध्य प्रदेश से आता हूं। लेकिन ग्रामीण क्षेत्रों में, विशेषकर उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश के ग्रामीण क्षेत्रों में अशिक्षा, जागरूकता और गरीबी के कारण महिलाओं को इन गर्म निरोधकों की ठीक जानकारी नहीं है और उनकी उपलब्धता भी ग्रामीण क्षेत्रों में नहीं हो पाती है। इसलिए मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से पूछना चाहता हूं कि इन्हें गांवों में उपलब्ध कराने हेतु क्या सरकार कोई कार्रवाई करेगी।

महोदय, एक दूसरा उपाय प्राकृतिक परिवार नियोजन का है। अगर प्राकृतिक परिवार नियोजन की ठीक जानकारी पूरे देश को दी जाए तो इसके माध्यम से भी पापुलेशन को कंट्रोल किया जा सकता है। क्या सरकार इस दिशा में कुछ काम करेगी। अंत में, मैं पूछना चाहता हूं कि जनता नेताओं के मार्ग पर चलती है। इस देश में ऐसे मुख्य मंत्री तथा पूर्व मुख्य मंत्री भी हैं जिनके नौ-नौ, दस-दस बच्चे हैं। यदि यह स्थिति होगी तो बिहार, मध्य प्रदेश तथा उत्तर प्रदेश में कैसे पापुलेशन कंट्रोल होगा। इसलिए क्या सरकार कोई ऐसा कानून बनाने पर विचार करेगी कि जिन दम्पत्तियों के दो से अधिक बच्चे होंगे उनके चुनाव लड़ने पर प्रतिबंध लगाया जा सके।

डा. सी.पी. ठाकुर: अध्यक्ष महोदय, अभी हम लोगों ने फैसला लिया है कि जैसे स्वास्थ्य विभाग के तीन विंग हैं—हैल्थ, फैमिली वैलफेयर और इंडियन सिस्टम ऑफ मैडिसन। इन तीनों विंग्स के सारे प्रोग्राम को कन्वर्ट करके स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से हर एक परिवार में हम पहुचेंगे, यह हमारा लक्ष्य है।

दूसरा माननीय सदस्य ने नेताओं की बात की । नेताओं में तमिलनाडु के नेता श्री करुणानिधि हैं, उनके स्वास्थ्य मंत्री ने कहा कि जब किसी शादी में जाते थे तो 15 वर्ष पहले आशीर्वाद देते थे कि दो से ज्यादा बच्चे पैदा मत करना। लेकिन अब कहते हैं कि एक बच्चे से ज्यादा पैदा मत करना। इसलिए मैं पूरे हाउस के माननीय सदस्यों से निवेदन करता हूं कि आप लोग भी नेताओं के रूप में इस कार्यक्रम में शामिल हों।...*(व्यवधान)*

श्री जयभान सिंह पवैया: माननीय अध्यक्ष महोदय, हमारे देश में तमाम समस्याओं और तमाम अभावों के कारण जनसंख्या में बेतहाशा वृद्धि हो रही है। हमारे देश में प्रति मिनट 29 बच्चे जन्म लेते हैं। जैसा कि माननीय सदस्य ने बताया कि हम भारतवर्ष में प्रतिवर्ष एक नया आस्ट्रेलिया पैदा कर लेते हैं। यह हमारे सामने एक बहुत बड़ा संकट है। भारत सरकार ने लम्बे सोच-विचार के बाद देश के लिए नई जनसंख्या नीति की घोषणा की है और बहुत बड़ी धनराशि हम प्रदेशों को मुहैया कराते हैं। मेरा प्रश्न है कि सरकार ने नीति बहुत अच्छी बनाई है वह राज्य सरकारों में कागज पर रह जाती है इसलिए सरकार की ओर से जो पैसा दिया जाता है क्या उसकी मानीटरिंग के लिए, उसकी जांच के लिए क्या केन्द्र सरकार कोई व्यवस्था करेगी?

डा. सी.पी. ठाकुर: अध्यक्ष महोदय, हम लोग मानीटरिंग की कड़ी व्यवस्था करने जा रहे हैं। जो पैसा हम लोग देंगे, उसकी मानीटरिंग करेंगे।

[अनुवाद]

श्री के. येरननायडू: महोदय, यह बहुत महत्वपूर्ण विषय है। मैं समझता हूं सरकार को जनसंख्या नीति घोषित करनी है और जनसंख्या आयोग भी गठित करना है। हमने इस विषय पर चर्चा इस सम्माननीय सभा के अगले सत्र में करने का निर्णय लिया है।

अध्यक्ष महोदय: फिर आप अनुपूरक प्रश्न क्यों पूछ रहे हैं?

श्री के. येरननायडू: आपके माध्यम से मैं माननीय मंत्री जी से पूछ रहा हूं कि क्या भारत सरकार अच्छा कार्य निष्पादन करने वाले राज्यों को कोई विशेष प्रोत्साहन प्रदान कर रही है या नहीं।

कुछ राज्य जनसंख्या नियंत्रण के क्षेत्र में अच्छा कार्य कर रहे है, किन्तु उन्हें प्रोत्साहन नहीं दिया जाता है। इसलिए जनसंख्या बढ़ रही है। भारत सरकार और राज्य सरकारें प्रत्येक बच्चे पर एक करोड़ रुपये खर्च कर रही है। यदि हम एक बच्चे को कम कर दें तो हमें एक करोड़ रुपये की बचत होगी। बेहतर कार्य निष्पादन वाले राज्यों को यदि भारत सरकार प्रोत्साहन दे तो उन्हें न्याय मिलेगा अन्यथा जनसंख्या बढ़ेगी और जनसंख्या पर कोई नियंत्रण नहीं होगा। भारत सरकार उन दंपत्तियों को क्या प्रोत्साहन देने जा रही है जिन्होंने एक बच्चा ही पैदा किया है?...*(व्यवधान)*

डा. सी.पी. ठाकुर: वास्तव में माननीय सदस्य ने जो मामला उठाया है वह पूरी तरह भिन्न है। सभी विदेशी निवेशक उन राज्यों में आ रहे हैं जो बेहतर कार्य निष्पादन कर रहे हैं...*(व्यवधान)*

[हिन्दी]

श्री सुरेश रामराव जाधव: अध्यक्ष महोदय, दसवीं लोक सभा में हमारी संसद का एक गुडविल डैलिगेशन चीन गया था। यह बात सही है कि चीन ने अपने देश में बर्थ रेट कंट्रोल किया है।

पॉपुलेशन तो हमारे देश में बढ़ रही है, इसमें कोई दो राय नहीं है। मैं मंत्री जी से पूछना चाहूंगा कि क्या भारत सरकार 'एक कपल एक इश्यू' या 'एक कपल दो इश्यू' जैसा कोई सख्त कानून बनाने वाली है या नहीं।

डा. सी.पी. ठाकुर: अध्यक्ष महोदय, अगर अपने घर में कोई अच्छी चीज बनती है तो उसकी नकल हम लोग नहीं करते हैं और दूसरे देश में होता है तो हम उसका नाम लेते हैं। माननीय अमर्त्य सेन जी ने कहा है कि दो उदाहरण हमारे सामने हैं। एक उन्होंने चीन का उदाहरण दिया और एक केरल का उदाहरण है। केरल की तरह करने से भी हम पॉपुलेशन कंट्रोल कर सकते हैं और हम लोग उसी माध्यम से आगे बढ़ रहे हैं। चीन जिस तरह की स्टेट है, इंडिया उस तरह की स्टेट नहीं है। कोर्सिव मैथड एक बार हमारे देश में फेल हो चुका है इसलिए हम उसको नहीं अपनाना चाहते हैं। आंध्र प्रदेश ने भी पॉपुलेशन कंट्रोल किया है, तमिलनाडु कर रहा है तो उसी मैथड से बिहार, यू.पी., राजस्थान और मध्य प्रदेश भी कर सकते हैं।

[अनुवाद]

श्री अमर राय प्रधान: अध्यक्ष महोदय, यह सच है कि हमारी जनसंख्या 33 करोड़ से 100 करोड़ तक पहुंच गई है। यह निश्चित रूप से चिन्ताजनक स्थिति है। अभी-अभी एक माननीय सदस्य ने चीन का उदाहरण दिया है। हमें इस मामले में चीन के प्रस्ताव को नजरअंदाज नहीं करना चाहिए क्योंकि यह कम्युनिस्ट देश है। हमें राज्य पर नहीं व्यक्ति पर ध्यान देना चाहिए 'हम दो हमारे दो' स्लोगन जो 1970 में दिया उसी नारे से प्रेरित होकर हमें इस समय भी कुछ कठोर उपाय करने चाहिए। जिनके पास एक बच्चा है उन्हें पुरस्कृत किया जाना चाहिए और जिनके पास दो बच्चे से अधिक बच्चे हैं उन्हें दंडित किया जाना चाहिए। क्या सरकार ऐसे उपाय करेगी या नहीं?

डा. सी.पी. ठाकुर: वास्तव में जनसंख्या आयोग की बैठक में अधिकांश नेता इस बात से सहमत थे कि दबाव के तरीके नहीं अपनाने चाहिए। 1994 में काहिरा में, विश्व के सभी देशों के नेता इस बात से सहमत थे कि जनसंख्या नियंत्रण हेतु दबाव के तरीके अपनाने की बजाय समझाने-मनाने के तरीके अपनाए जाने चाहिए। जिन्हें भारत अपना रहा है।

श्री सोमनाथ चटर्जी: महोदय, कोई इंकार नहीं करेगा और मंत्री सहमत हैं कि यह महत्वपूर्ण मुद्दा है। इस सभा के विशेष सत्र में, जो हमारी स्वतंत्रता के स्वर्ण जयंती समारोह के दौरान हुआ था। प्रत्येक माननीय सदस्य जिसने उसमें भाग लिया था वह इस बात से सहमत थे कि हमें इस मुद्दे को महत्व देना चाहिए ...*(व्यवधान)* और इस सभा में सर्वसम्मति से पारित किया गया प्रस्ताव इस समस्या के प्रति अथवा इस समस्या के समाधान के प्रति गम्भीरता दर्शाता है। जनसंख्या नियंत्रण को महत्व दिया गया था। अब, मुझे पता चला है कि हमें इस मामले पर बहुत ही कामचलाऊ प्रतिक्रिया मिली है। कोई ठोस प्रयास नहीं किए गए हैं। लोगों के दिखाने के लिए एक आयोग गठित किया गया है न कि कोई काम करने के लिए। मैं नहीं जानता इस आयोग में कितने सदस्य होंगे। वे इस तरह के मामले पर गम्भीरतापूर्वक चर्चा कैसे कर सकते हैं। वह व्यावहारिक रूप से उपयोगी आयोग नहीं हो सकता है। आपने समिति में लोगों को चुन-चुनकर शामिल किया है। मैं इस बात का बुरा नहीं मानता हूं।

इस सभा के संरक्षक के रूप में और सम्पूर्ण देश के प्रतिनिधि के रूप में आपको पहल करनी चाहिए। अन्यथा, सरकार इसे एकपक्षीय मुद्दे के रूप में लेगी...*(व्यवधान)*

डा. सी.पी. ठाकुर: नहीं ऐसा नहीं।

श्री सोमनाथ चटर्जी: हां, ऐसा ही है। आपके आयोग का गठन ऐसा ही दर्शाता है। जब कभी कोई प्रश्न उठाया जाता है तो उसे गम्भीरतापूर्वक न लेकर उसका मजाक उड़ाया जाता है। मैं किसी सदस्य पर आक्षेप नहीं कर रहा हूं। इसलिए, इस व्यापक राष्ट्रीय समस्या से उसी तरह निपटाना होगा। आपसे अनुरोध है कि हमें इस संबंध में पहल करने के लिए सरकार पर निर्भर नहीं रहना चाहिए, केवल तभी अच्छी भावना पैदा होगी। यही मेरा अनुरोध है। सरकार की इस संबंध में क्या प्रतिक्रिया है।

डा. सी.पी. ठाकुर: वास्तव में यह सरकार जनसंख्या के बारे में इतनी गम्भीर है कि पहली बार, जनसंख्या आयोग गठित किया गया है। प्रधानमंत्री इस आयोग के अध्यक्ष हैं। पहली बार, लाल किले के प्राचीर से प्रधानमंत्री ने अपनी नीतियों में से एक जनसंख्या नीति की घोषणा की थी और सरकार इस पर कार्य कर रही है। हमने जनसंख्या नियंत्रण पर कार्य शुरू कर दिया है।

अध्यक्ष महोदय: सरकार इस नीति के प्रति कितनी गम्भीर है?

डा. सी.पी. ठाकुर: जी हां, इसके बारे में हम बहुत गम्भीर हैं।

श्री ई. अहमद: मैं अलग तरीके से एक अलग प्रश्न पूछना चाहता हूं। केरल जैसे राज्य में जनसंख्या को नियंत्रित किया गया है और यहां ऐसे भी कुछ राज्य हैं जहां जनसंख्या पर कोई नियंत्रण नहीं है। लेकिन जनसंख्या के संबंध में वित्त आयोग अधिक जनसंख्या वाले राज्यों को अधिक धनराशि दे रहा है। किसी राज्य की जनसंख्या अधिक है तो उसे अधिक धनराशि मिल

रही है, हमें कम राशि मिल रही है क्योंकि हम जनसंख्या पर नियंत्रण कर रहे हैं। मैं नहीं जानता कि इसका क्या मापदंड है।

मानव विकास के क्षेत्र में केरल जैसे राज्य आगे बढ़े हैं। आंध्र प्रदेश के मुख्य मंत्री ने भी इस तथ्य की ओर से इशारा किया है। क्योंकि हम उन चीजों को लागू कर रहे हैं इसलिए हमें अधिक धनराशि देने से मना किया जा रहा है और वे राज्य जो इन्हें लागू नहीं कर रहे हैं और अधिक जनसंख्या वाले हैं उन्हें अधिक हिस्सा मिल रहा है। मैं इस मामले में सरकार की नीति के बारे में जानना चाहता हूं।

डा. सी.पी. ठाकुर: माननीय सदस्य द्वारा उठाये गए इस मुद्दे के बारे में कि वित्त आयोग सम्भवत: कम कार्यनिष्पादन करने वाले राज्यों को अधिक शेयर देता है तो मैं ये कहना चाहता हूं कि वास्तव में वित्त आयोग एक संवैधानिक निकाय है, एक स्वतंत्र निकाय है। वास्तव में ये जो भी निर्णय लेता है हमें उसका सम्मान करना चाहिए ...*(व्यवधान)*

श्री के. येरननायडू: वे उन राज्यों को प्रोत्साहन नहीं दे रहे हैं जो जनसंख्या के क्षेत्र में बेहतर कार्य निष्पादन कर रहे हैं...*(व्यवधान)* हम बेहतर कार्य निष्पादन वाले राज्यों के लिए अधिक प्रोत्साहन देने की मांग कर रहे हैं ...*(व्यवधान)* क्या सरकार हमारे अनुरोध पर विचार करेगी?

डा. सी.पी. ठाकुर: हम अपने मंत्रालय में उस पर विचार करेंगे ...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय: आज, पार्टियों के नेता सदन में बहुत सक्रिय हैं।

श्रीमती श्यामा सिंह: हमारे मंत्री बिहार के हैं जहां दुर्भाग्य से जनसंख्या देश में सबसे अधिक है।

अध्यक्ष महोदय: समय बहुत कम है। कृपया संक्षिप्त अनुपूरक प्रश्न पूछिए।

श्रीमती श्यामा सिंह: मैं मंत्री जी को केवल एक सुझाव देना चाहती हूं कि सरकार को जनसंख्या नियंत्रण का कार्य बिहार से शुरू करना चाहिए। बिहार में सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि वहां विशेषरूप से शैक्षिक सुविधाओं का अभाव है। हमें बालिकाओं के लिए अनिवार्य शिक्षा करनी चाहिए। बालिकाओं को स्कूल भेजा जाना चाहिए ताकि 12 या 14 वर्ष की आयु होने तक उसे देश के प्रति अपने उत्तरदायित्वों का आभास हो जाए।

डा. सी.पी. ठाकुर: हम माननीय सदस्यों द्वारा सुझाए गए इन सभी उपायों पर ध्यान दे रहे हैं।

[हिन्दी]

श्री मदन लाल खुराना: अध्यक्ष जी, अभी माननीय मंत्री महोदय ने यह कहा है कि हम पॉपुलेशन कंट्रोल करने पर बहुत गंभीरता से विचार कर रहे हैं। मैं माननीय मंत्री जी से पूछना चाहता हूं कि इस प्रकार का आश्वासन देने की बजाय क्या सरकार इस बात पर विचार करेगी कि जिनके दो या तीन से अधिक संतानें होंगी वे विधायक या संसद सदस्य का चुनाव नहीं लड़ पायेंगे और क्या वे ऐसा कोई कानून बनाने पर विचार करेंगे?

डा. सी.पी. ठाकुर: अध्यक्ष महोदय, बात घूम-फिर कर वहीं आएगी कि हम कोएरसिव मैथड से कंट्रोल करें या और फैसीलिटी बढ़ा कर कंट्रोल करें। सरकार और दुनिया के सारे राष्ट्रों ने फैसला लिया है कि कोएरसिव मैथड नहीं होना चाहिए।

श्री प्रभुनाथ सिंह: अध्यक्ष महोदय, चूंकि गांवों में अशिक्षित महिलाओं की संख्या ज्यादा है, गावों की महिलाएं कहती हैं कि आठवां जन्म श्रीकृष्ण का हुआ था। हम सरकार से जानना चाहते हैं कि क्या उन लोगों को प्रभावित करने के लिए गांवों में नुक्कड़ नाटक और ड्रामा के माध्मय से प्रचार करके सरकार जनसंख्या पर नियंत्रण करने का विचार करती है?

डा. सी.पी. ठाकुर: माननीय सांसद के सुझाव पर हम काम कर रहे हैं।

प्रश्नों के लिखित उत्तर

[अनुवाद]

तटीय पारिस्थितिकी और पर्यावरण की रक्षा

***383. डा. वी. सरोजा:** क्या पर्यावरण और वन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार का विचार तटीय पारिस्थितिकी और पर्यावरण की रक्षा हेतु भारत के तटीय क्षेत्र के सर्वेक्षण और अध्ययन के लिए समिति गठित करने का है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं; और

(घ) तटीय क्षेत्र की पारिस्थितिकी की रक्षा हेतु क्या उपाय किये जा रहे हैं?

पर्यावरण और वन मंत्री (श्री टी.आर. बालू): (क) से (घ) केन्द्रीय सरकार ने सेन्टर फार अर्थ साइन्स स्टडीज (सी.ई.एस.एस.), तिरुवनंथपुरम, केरल को "तटीय विनियमन क्षेत्र के अध्ययनों" पर एक अध्ययन सौंपा है। इसमें तटीय विनियमन क्षेत्र अधिसूचना, 1991 के कार्यान्वयन से संबंधित मामलों का गहराई से अध्ययन करना और तटीय क्षेत्र विनियमन तथा प्रबंधन के लिए एक बेहतर दृष्टिकोण अपनाना शामिल है। इस अध्ययन की प्रगति की पुनरीक्षा करने और एक राष्ट्रीय तटीय क्षेत्र नीति तैयार करने के लिए एक संचालन समिति गठित की गई है।

संचालन समिति से नई तटीय क्षेत्र नीति तैयार करने के लिए दिशानिर्देश प्रदान करने की भी अपेक्षा की गई है। संचालन समिति के विचारार्थ विषय निम्नलिखित हैं:-

(1) नई राष्ट्रीय तटीय क्षेत्र नीति के लिए उद्देश्यों की स्पष्ट परिभाषा।

(2) क्या विनियम भू-आकृति विज्ञानीय, पारिस्थितिकीय और जनसांख्यिकी विशेषताओं के आधार पर विभिन्न तटीय भागों और अन्तर्देशीय जल निकायों पर क्षेत्राधिकारों सहित विभिन्न विनियम लागू होंगे।

(3) विभिन्न स्तरों पर उपयुक्त विनियामक एवं प्रवर्तन मशीनरी।

(4) उन विकासात्मक गतिविधियों की सूची जिन्हें अनुमति दी जानी है। विनियमित/प्रतिबंध किया जाना है।

(5) तटीय क्षेत्रों के पर्यावरण पर विकासात्मक गतिविधियों के किसी भी प्रतिकूल प्रभाव को कम करने तथा तटीय क्षेत्रों विशेषकर समुद्री किनारों के सुधार के लिए सुझाव देने के लिए आवश्यक नियामक क्रियाविधियों की किस्म।

(6) तटीय क्षेत्रों में विकासात्मक गतिविधियों को विनियमित करने के लिए आर्थिक उपायों का सुझाव देना।

तट और उसके पर्यावरण की सुरक्षा के लिए केन्द्रीय सरकार ने फरवरी, 1991 में एक तटीय विनियमन क्षेत्र अधिसूचना जारी की है। इस अधिसूचना के द्वारा उन तटीय क्षेत्रों, जहां संवेदी-पारि-प्रणालियां हैं, में गतिविधियों पर प्रतिबंध लगाया गया है और तट के अन्य क्षेत्रों में गतिविधियों को विनियमित किया जाता है।

तटीय विनियमन क्षेत्र अधिसूचना, 1991 के कार्यान्वयन की उपयुक्त निगरानी सुनिश्चित करने के लिए केन्द्रीय सरकार ने राष्ट्रीय तटीय क्षेत्र प्रबंधन प्राधिकरण तथा राज्य/संघ शासित प्रदेश तटीय क्षेत्र प्रबंधन प्राधिकरण अधिसूचित किए हैं।

एस्केलेटर दुर्घटना की जांच

*384. **श्री अनन्त गुढ़े:**
श्रीमती श्यामा सिंह:

क्या नागर विमानन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या दिसम्बर, 1999 में इंदिरा गांधी अंतरराष्ट्रीय विमानपत्तन पर एस्केलेटर में फंस जाने के कारण हुई एक बच्ची की मौत के संबंध में जांच रिपोर्ट सरकार को प्राप्त हो गई है;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या निष्कर्ष निकले और इस दुर्घटना के लिए जिम्मेदार व्यक्तियों को दी गई सजा का ब्यौरा क्या है; और

(ग) भविष्य में ऐसी घटनाओं की पुनरावृत्ति से बचने के लिए विमानपत्तनों पर इन सुविधाओं का आधुनिकीकरण करने और ऐसी सुविधाओं में सुधार करने के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं/ उठाए जाने का प्रस्ताव है?

नागर विमानन मंत्री (श्री शरद यादव): (क) जी, हां।

(ख) आर.सी. जैन समिति ने एस्केलेटर दुर्घटना की जांच पर अपनी रिपोर्ट 7.2.2000 को दी। दुर्घटना पर दी गई रिपोर्ट के अनुसार, जांच समिति के निष्कर्ष इस प्रकार हैं:-

(1) ओटिस द्वारा किए गए रख-रखाव कार्य की गुणवत्ता संतोषप्रद नहीं थी। भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण (भा.वि.प्रा.) के कर्मचारियों द्वारा पर्यवेक्षण और मॉनिटरिंग भी अपर्याप्त थी। परिणामस्वरूप, एस्केलेटर के काम्बप्लेट और फुटप्लेट ढीले रह गए थे और दबाव में पड़ गए थे जिससे एक रिक्त जगह बच गयी थी। परिणाम-स्वरूप यह दुर्घटना हुई;

(2) एस्केलेटर को अपग्रेड नहीं किया गया था;

(3) दुर्घटना स्थल पर उपस्थित विभिन्न कर्मचारियों की प्रतिक्रिया अपर्याप्त थी और उनमें संवेदनशीलता नहीं थी; और

(4) प्रभावित व्यक्तियों के साथ किया गया व्यवहार दुर्घटना की असाधारण प्रकृति के हिसाब से उचित नहीं था।

भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण के चार अधिकारियों को निलम्बित कर दिया गया है।

(ग) भविष्य में इस तरह की दुर्घटना की पुनरावृत्ति को रोकने के लिए भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण द्वारा निम्नलिखित कदम उठाए गए हैं:-

(1) एस्केलेटर और ऐसे अन्य उपस्करों को अपग्रेड किया जा रहा है और इनमें अपेक्षित सुरक्षा यंत्र लगाए गए हैं;

(2) प्रयोगकर्ताओं के लाभ के लिए इन उपस्करों के प्रयोग संबंधी अनुदेशों को प्रमुख स्थान पर प्रदर्शित किया गया है; और

(3) उपस्करों के प्रयोग तथा किसी अप्रत्याशित स्थिति से निपटने हेतु विमानपत्तन की सभी एजेंसियों के कर्मचारियों को परिचयात्मक प्रशिक्षण दिया गया है।

अंत:क्षेत्रीय स्थानों को विमान सेवा से जोड़ना

*385. **श्री पी.आर. किन्डिया:** क्या नागर विमानन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या पूर्वोत्तर क्षेत्र में विमान सेवा से जोड़े गये स्थानों और विभिन्न स्थानों के बीच अंत:क्षेत्रीय विमान-सेवा में कमी आ रही है;

(ख) यदि हां, तो उक्त क्षेत्र में विमान सेवा और अंत:क्षेत्रीय विमान सेवा सम्पर्क बढ़ाने हेतु सरकार द्वारा उठाए जाने के लिए प्रस्तावित कदमों का ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या पूर्वोत्तर क्षेत्र में विमानपत्तन संबंधी बुनियादी सुविधाओं और विमान सेवा में सुधार हेतु एक कृतिक बल का गठन किया गया है;

(घ) यदि हां, तो कृतिक बल के गठन का ब्यौरा क्या है;

(ङ) क्या कृतिक बल द्वारा कुछ सिफारिशें की गई हैं;

(च) यदि हां, तो उसकी प्रमुख विशेषताएं क्या हैं; और

(छ) सरकार द्वारा पूर्वोत्तर क्षेत्र और सिक्किम में अंत:क्षेत्रीय सम्पर्क हेतु 50 सीटों वाले विमान की सेवा शुरू करने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं?

नागर विमानन मंत्री (श्री शरद यादव): (क) और (ख) विमान परिवहन सेवाओं के बेहतर विनियमन को प्राप्त करने की दृष्टि से और देश में विभिन्न क्षेत्रों के विमान परिवहन की आवश्यकता को ध्यान में रखते हुए मार्ग वितरण दिशा-निर्देश तैयार किए गए हैं जिनमें अन्य बातों के साथ-साथ यह अनुबंध है कि सभी अनुसूचित प्रचालक पूर्वोत्तर, जम्मू और कश्मीर, लक्षद्वीप-द्वीप समूह और अंडमान तथा निकोबार द्वीप समूह (श्रेणी-2) में अपने ट्रंक मार्गों (श्रेणी-1) की क्षमता का कम से कम 10 प्रतिशत लगाएंगे। अनुसूचित विमान कंपनियां इन अनुबंधों का कड़ाई से पालन कर रहे हैं। तथापि, छोटे और गैर महानगरीय शहरों को जोड़ने के लिए छोटे टर्बो-प्रॉप विमानों के प्रचालन को प्रोत्साहित करने की दृष्टि से उनको अंतरराष्ट्रीय मूल्यों पर एविएशन टरबाइन फ्यूल (एटीएफ) देने का निर्णय लिया गया है और ऐसे प्रचालनों के लिए एटीएफ को 'घोषित सामान' के रूप में केन्द्रीय बिक्री कर अधिनियम, 1956 के अंतर्गत अधिसूचित किया जाए जिसके द्वारा बिक्री कर की अधिकतम दर 4 प्रतिशत हो। इसके अलावा, पूर्वोत्तर क्षेत्र के सातों राज्यों के भीतरी मार्गों को अंतर्देशीय विमान यात्रा कर लेवी से छूट प्राप्त है।

(ग) जी, हां।

(घ) कार्य बल का गठन इस प्रकार था:-

(1) श्री पी.वी. जयकृष्णन, पूर्व सचिव (नागर विमानन) - अध्यक्ष

(2) श्री ए.पी. सिंह, पूर्व संयुक्त सचिव, नागर विमान मंत्रालय- सदस्य

(3) श्री एच.एस. खोला, डीजीसीए - सदस्य

(4) श्री मनेत पायस, वाणिज्यिक निदेशक, इंडियन एयरलाइंस- सदस्य

(5) श्री के. रामलिंगम, सदस्य (योजना) एएआई - सदस्य

(6) श्री एल. के. गंजू, पूर्वोत्तर परिषद - सदस्य

(ङ) और (च) संबंधित प्रमुख सिफारिशें:-

(1) विमानपत्तन आधारभूत संरचना का विकास अर्थात धावनपथ टर्मिनल भवन का निर्माण, आधुनिक दिक्चालन प्रणाली आदि का प्रतिष्ठापन,

(2) विमान सेवाओं में सुधार अर्थात् सभी पूर्वोत्तर क्षेत्र की राजधानियों को विमान सेवा से जोड़ना, 50 सीटों वाले विमानों को शामिल करना; और

(3) विमान सेवाओं को आर्थिक रूप से व्यवहार्य बनाने के लिए नागर विमानन विकास निधि का सृजन तथा कर में रियायत।

(छ) छोटे और गैर-महानगरीय शहरों को विमान सेवा से जोड़ने के लिए छोटे विमानों (टर्बो-प्रॉप) को बढ़ावा देने के लिए ऊपर भाग (क) और (ख) के उत्तर में बताए गए कतिपय कदमों को उठाया गया है। 50 सीटों वाले छ: विमानों के अधिग्रहण के संबंध में इंडियन एयरलाइंस परियोजना रिपोर्ट का और आगे विश्लेषण कर रही है। जेट एयरवेज के बेड़े में 62 सीट वाले पांच एटीआर-72-500 विमान हैं और ऐसे 3 अतिरिक्त विमानों को आयात करने का प्रस्ताव है। सहारा एयरलाइंस को 30 सीटों वाले सात ईएमबी-120 विमानों के आयात करने की पहले ही अनुमति दे दी गई है जिनका अभी आयात किया जाना है।

माइक्रो-न्यूट्रियेंट की कमी की समस्या

***386. श्रीमती जयाबहन बी. ठक्कर:** क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार को देश में 'माइक्रो-न्यूट्रियेंट' की कमी की समस्या की जानकारी है;

(ख) यदि हां, तो क्या कुपोषण पर नियंत्रण रखने हेतु सरकार द्वारा कुछ योजनाएं तैयार की गई हैं;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(घ) इन्हें कब तक क्रियान्वित किए जाने की संभावना है?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री (डा. सी.पी. ठाकुर): (क) से (घ) जी, हां। सूक्ष्म पोषक कमियों की समस्या को रोकने और नियंत्रित करने के लिए सरकार अनेक कार्यक्रम अर्थात् राष्ट्रीय आयोडीन अल्पता विकार नियंत्रण कार्यक्रम तथा ऑयरन फॉलिक एसिड की गोलियों और विटामिन 'ए' के वितरण के लिए प्रजनन और बाल स्वास्थ्य कार्यक्रम कार्यान्वित कर रही है। इसके अलावा सूक्ष्म पोषक कुपोषण के नियंत्रण के लिए एक प्रायोगिक परियोजना कार्यान्वित की जा रही है।

[हिन्दी]

घातक सड़क दुर्घटनाएं

***387. श्री सुकदेव पासवान:**
श्री नवल किशोर राय:

क्या जल-भूतल परिवहन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या देश में घातक सड़क दुर्घटनाओं के प्रतिशत में बहुत अधिक वृद्धि हो रही है;

(ख) यदि हां, तो इस संबंध में सरकार का क्या आकलन है;

(ग) क्या सरकार ने ऐसी वृद्धि के कारणों का पता लगाया है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) लापरवाही से वाहन चलाने के कारण होने वाली दुर्घटनाओं का प्रतिशत कितना है?

जल-भूतल परिवहन मंत्री (श्री राजनाथ सिंह): (क) से (ङ) उपलब्ध आंकड़ों के अनुसार, देश में वर्ष 1996, 1997 और 1998 में सड़क दुर्घटनाओं में क्रमश: कुल 71943, 61000 और 62721 व्यक्तियों की मृत्यु हुई। देश में सड़क दुर्घटनाओं के विभिन्न कारण हैं, चालकों और सड़क प्रयोक्ताओं में यातायात अनुशासन की कमी, सड़क क्षमता में संगत वृद्धि के बैगर मोटर वाहनों की संख्या में अत्यधिक वृद्धि, मिश्रित यातायात परिस्थितियां, सीमा से अधिक गति, सीमा से अधिक भार लदान, शराब पीकर वाहन चलाना, वाहनों में यांत्रिक खराबी आदि। उपलब्ध सूचना के अनुसार, इन कारकों में अनुशासनहीन वाहन चालन से लगभग 76% आंका गया है।

[अनुवाद]

नेशनल लांग डिस्टेंस टेलीकॉम सिस्टम

***388. श्री सुशील कुमार शिंदे:** क्या संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने नेशनल लांग डिस्टेंस टेलीकॉम सिस्टम (एस.टी.डी. टेलीफोनी) से नियंत्रण हटाने तथा अंतर्राष्ट्रीय "बैंडविथ एक्सेस" पर विदेश संचार निगम लिमिटेड के एकाधिकार को समाप्त करने का निर्णय लिया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इस संबंध में ऐसा निर्णय लिए जाने के क्या कारण हैं; और

(ग) नई प्रणाली के अन्तर्गत निजी तथा सरकारी एजेंसियों की गतिविधियों में किस प्रकार तालमेल लाए जाने की संभावना है?

संचार मंत्री (श्री राम विलास पासवान): (क) से (ग) नई दूरसंचार नीति, 1999 (एनटीपी, 99) में स्पष्ट उल्लेख है कि राष्ट्रीय लंबी दूरी सेवा को 1 जनवरी, 2000 से प्रतिस्पर्धा के लिए खोला जाएगा। 15 जुलाई, 2000 को सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रियों की बैठक में यह घोषणा भी की गई थी कि 15 अगस्त, 2000 तक इस प्रयोजन के लिए दिशानिर्देशों को अंतिम रूप दिया जाएगा। इन निर्णयों के अनुसरण में 13 अगस्त, 2000 को भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण के साथ उचित परामर्श के बाद राष्ट्रीय लंबी दूरी सेवा के लिए लाइसेंस जारी करने के दिशानिर्देशों की घोषणा की गई। दिशानिर्देशों की एक प्रति विवरण के रूप में संलग्न है।

इस क्षेत्र के अधिक तेज विकास को प्रोत्साहित करने के लिए आधारभूत सुविधा प्रदाताओं की दो श्रेणियां बनाई गई हैं। एक श्रेणी डार्क फाइबर इत्यादि तथा दूसरी श्रेणी छोर से छोर तक बैंडविड्थ उपलब्ध कराएगी। पूर्व श्रेणी को लाइसेंस तथा प्रवेश-शुल्क दोनों

की आवश्यकता नहीं होगी। बाद की श्रेणी के लिए एनएलडीओ की तर्ज पर राजस्व हिस्सेदारी के साथ लाइसेंस की आवश्यकता होगी और उसे बिना प्रवेश शुल्क अप्रतिबंधित प्रवेश प्राप्त होगा।

वीएसएनएल का एकाधिकार अंतर्राष्ट्रीय टेलीफोनी सेवा तक ही सीमित है। अत: सॉफ्टवेयर टेक्नोलाजी पार्क और इंटरनेट सेवा प्रदाता केवल डाटा के पारेषण के लिए अंतर्राष्ट्रीय बैंडविड्थ अक्सेस कर रहे हैं।

राष्ट्रीय लंबी दूरी टेलीफोनी को प्राइवेट क्षेत्र के लिए खोलने से प्रतिस्पर्धा पनपेगी और विशेषकर स्वदेशी बैंडविड्थ की उपलब्धता बढ़ाने के माध्यम से बेहतर सेवाएं प्राप्त होंगी।

निजी क्षेत्र के कार्यकलाप लाइसेंस की शर्तों के अनुसार शासित होंगे तथा समय-समय पर यथा संशोधित भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण अधिनियम, 1997 के अनुसरण में भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण द्वारा विनियमित होंगे, ताकि स्वस्थ प्रतिस्पर्धा और उपभोक्ताओं के हितों की सुरक्षा सुनिश्चित हो सके।

विवरण

राष्ट्रीय लंबी दूरी की सेवा के लिए लाइसेंस जारी करने के लिए मार्गनिर्देशों का ब्यौरा

नई दूरसंचार नीति, 99 में निजी ऑपरेटरों के सेवा क्षेत्र से बाहर राष्ट्रीय लंबी दूरी सेवा खोलने की परिकल्पना की गई थी। सरकार ने ऑपरेटरों की संख्या पर बिना किसी प्रतिबंध के राष्ट्रीय लंबी दूरी सेवा खोलने के निर्णय लिया है। भारत में राष्ट्रीय लंबी दूरी के प्रचालनों (एनएलडीओ) के लिए लाइसेंस जारी करने के बारे में व्यापक मार्गनिर्देश जारी किए गए हैं जो इस प्रकार हैं:-

1. आवेदक कंपनी अधिनियम, 1956 के अंतर्गत पंजीकृत एक भारतीय कंपनी होनी चाहिए।

2. आवेदक कंपनी अपना आवेदन निर्धारित आवेदन-प्रपत्र में प्रस्तुत करेगी।

3. आवेदक कंपनी एनएलडीओ के केवल एक लाइसेंस के लिए आवेदन कर सकती है।

4. एनएलडीओ के लिए लाइसेंस भारत के प्रादेशिक क्षेत्राधिकार के भीतर अंतर-सर्किल लंबी दूरी के प्रचालनों के लिए गैर-विशिष्ट आधार पर 20 वर्षों की अवधि के लिए जारी किए जाएंगे जिसे एक बार 10 वर्ष तक बढ़ाया जा सकेगा।

5. पूरी लाइसेंस अवधि के दौरान किसी भी समय आवेदक कंपनी में कुल विदेशी इक्विटी 49 प्रतिशत से अधिक नहीं होनी चाहिए। किसी अनिवासी भारतीय/ओसीबी/ अन्तर्राष्ट्रीय फंडिंग एजेंसियों द्वारा आवेदक कंपनी की इक्विटी में निवेश, इसकी विदेशी इक्विटी में निवेश माना जाएगा। इस संबंध में आवेदक कंपनी सक्षम प्राधिकारी से इस आशय का प्रमाण-पत्र प्रस्तुत करेगी कि आवेदक कंपनी में कुल विदेशी इक्विटी 49 प्रतिशत से अधिक नहीं है।

6. आवेदक कंपनी अलाभकारी तथा दूरस्थ क्षेत्रों की कवरेज सहित चार चरणों में कवरेज के लिए अपने आवेदन के साथ प्रत्येक दूरसंचार सर्किल में लंबी दूरी के प्रभारण क्षेत्रों (एलडीसीए) का नाम उल्लेख करते हुए एक रोल आउट योजना प्रस्तुत करेगी।

7. आवेदक कंपनी लाइसेंस पर हस्ताक्षर करने से पूर्व एक बार प्रवेश शुल्क के रूप में 100 करोड़ रुपये वेतन एवं लेखा अधिकारी (मुख्यालय) दूरसंचार विभाग के पक्ष में नई दिल्ली में देय डिमांड ड्राफ्ट/भुगतान आदेश के रूप में भुगतान करेगी, जो अप्रतिदेय होगा। इसके अतिरिक्त, 100-100 करोड़ रुपये की चार बैंक गारंटियां दी जायंगी जो एलडीसीए में पॉइंट ऑफ प्रेजेंस स्थापित करके नेटवर्क रोल आउट दायित्वों को पूरा करने की शर्त पर नीचे दिए गए तरीके से प्रत्येक चरण के पूरे होने पर वापस रिलीज की जाएंगी।

   1. चरण-1 का पूर्ण होना - 100 करोड़ रु.
   2. चरण-2 का पूर्ण होना - 100 करोड़ रु.
   3. चरण-3 का पूर्ण होना - 100 करोड़ रु.
   4. चरण-4 का पूर्ण होना - 100 करोड़ रु.

8. नेटवर्क कवरेज-चरण 1, 2, 3 तथा 4 की प्रतिशतता में किसी प्रकार की कमी हो उसे उस विशेष चरण से संबंधित बैंक गारंटी भुना तथा जब्त कर ली जाएगी। पूरे नहीं किए नेटवर्क दायित्वों को एक चरण से दूसरे चरण में नहीं ले जाया जाएगा।

9. आवेदक कंपनी परियोजना का वित्तपोषण करने के लिए इसकी वित्त की व्यवस्था के ब्यौरे सहित एक कारोबार-योजना प्रस्तुत करेगी।

10. आवेदक कंपनी "राइट ऑफ वे" (आरओडब्ल्यू) के लिए अपनी व्यवस्था स्वयं करेगी। तथापि, केन्द्र सरकार भारतीय तार अधिनियम, 1885 के भाग-3 के अंतर्गत अनुरोध किए जाने पर तार लाइनें बिछाने के उद्देश्य से एनएलडीओ लाइसेंसधारकों को लाने के लिए आवश्यक अधिसूचना जारी करेगी। लेकिन शर्त है कि "राइट ऑफ वे" की अनुपलब्धता अथवा किसी एजेंसी

से अनुमति/क्लियरेंस प्राप्त करने में हुए किसी विलंब को रोल आउट दायित्वों को पूरा नहीं करने के लिए किसी प्रकार का बहाना नहीं माना जाएगा।

11. आवेदन कंपनी के पास आवेदन करने के दिन 250 करोड़ रुपये की न्यूनतम प्रदत्त इक्विटी पूंजी होगी तथा वह लाइसेंस के लिए आवेदन के साथ इसका सर्वोत्तम प्रमाण प्रस्तुत करेगी।

12. आवेदक कंपनी के प्रवर्तकों का संयुक्त निवल मूल्य 2500 करोड़ रु. होगा। केवल उन प्रवर्तकों के नेटवर्थ की गणना की जाएगी जिनका कंपनी की कुल इक्विटी में कम से कम 10 प्रतिशत का इक्विटी हिस्सा हो। यहां नेटवर्थ का अर्थ, प्रदत्त इक्विटी-पूंजी तथा स्वतंत्र आरक्षित पूंजी का भारतीय रुपयों में कुल योग है। नेटवर्थ की गणना करते समय विदेशी मुद्रा को आवेदन की तारीख को भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा उल्लिखित दर पर भारतीय रुपयों में बदला जाएगा।

13. जिन व्यक्तियों की आवेदक कंपनी में कम से कम 30 प्रतिशत की कुल इक्विटी हो, उन्हें दूरसंचार क्षेत्र का अनुभव होना चाहिए तथा लाइसेंस के आवेदन के साथ इसका प्रमाण संलग्न होना चाहिए।

14. ऊपर बताए गए प्रवेश शुल्क के अतिरिक्त, लाइसेंस-शुल्क के रूप में 10 प्रतिशत की दर से राजस्व शेयर तथा उसमें "यूनिवर्सल सर्विस ऑब्लीगेशन फंड" (यूएसओ फंड) के प्रति निर्धारित अंशदान जोड़कर 15 प्रतिशत के कुल कैप के साथ देय होगा।

15. यह भी शर्त है कि स्पैक्ट्रम के इस्तेमाल तथा बेतार टैलीग्राफी उपस्कर के स्वामित्व के लिए शुल्क/रॉयल्टी बेतार योजना तथा समन्वय स्कंध के ब्यौरों तथा विवरण के अनुसार अलग से देय होगी। उपभोक्ता स्पैक्ट्रम/बेतार टेलीग्राफी उपस्कर का स्वामित्व शुल्क/रायल्टी फ्रीक्वेन्सी हॉप व लिंक लेंथ तथा प्रचालन-क्षेत्र आदि जैसे विभिन्न फैक्टरों पर आश्रित है।

16. आवेदक कम्पनी को, लाइसेंस करार पर हस्ताक्षर की तारीख से एक वर्ष के पश्चात् या सेवा की शुरुआत से पूर्व, जो भी पहले हो, लाइसेंस-करार में दिए गए विहित प्रपत्र में 20 करोड़ रु. का वित्तीय बैंक-गारंटी (एफ.बी.जी) देनी होगी। शुरू में वित्तीय बैंक-गारंटी छः माह की अवधि तक वैध रहेगी तथा उतनी राशि के लिए नवीकृत (रिन्यू) करानी होगी, जितनी राशि केन्द्र सरकार समय-समय पर निर्दिष्ट करे।

17. स्पैक्ट्रम के उपयोग के लिए बेतार टेलीग्राफी-उपस्कर के स्वामित्व की देयताओं/शुल्कों/रॉयल्टियों की, एक वर्ष की अवधि के लिए समान राशि की एफबीजी देकर पृथक रूप से समीक्षा की जाएगी जो ऐसी देयताओं के अंतिम शोधन होने तक, समय-समय पर नवीकरणीय हो।

18. कंपनी अधिनियम, 1956 के प्रावधानों के अनुसार, आवेदक कंपनी/या लाइसेंसधारी, जैसी भी स्थिति हो, के नाम में परिवर्तन अनुमत्य होगा।

19. व्यवहार्यतः, आवेदन प्रस्तुत करने के 15 दिनों के भीतर उस पर निर्णय लेकर आवेदक कम्पनी को तदनुसार सूचित कर दिया जाएगा। यदि आवेदक एन.एल.डी.ओ. लाइसेंस पाने का पात्र पाया जाता है तो, उसे पत्र जारी होने के तीन माह के भीतर तत्काल प्रवेश-शुल्क, बैंक-गारंटी/अन्य दस्तावेज जमा कराकर लाइसेंस-करार पर हस्ताक्षर करने होंगे अन्यथा यह माना जाएगा कि आवेदक की लाइसेंस लेने में कोई रुचि नहीं है तथा उसका आवेदन रद्द कर दिया जाएगा।

20. यदि आवेदन एनएलडीओ-लाइसेंस पाने का पात्र नहीं पाया जाता है तो, उसे तदनुसार सूचित कर दिया जाएगा। उसके बाद, वह खामियां दूर कर नया आवेदन प्रस्तुत कर सकता है।

21. एनएलडी-सेवा का संबंध लंबी दूरी की स्विच्ड बीयरर टेलीकॉम-सर्विस चलाने से है तथा उक्त सेवा के लाइसेंस धारक को, अंतरा-सर्किल ट्रैफिक से भिन्न, अंतः सर्किल ट्रैफिक के वहन का अधिकार होगा। जबकि अंतः सर्किल का वहन, फिक्स्ड सर्विस-प्रदाता के साथ परस्पर सहमति की शर्तों के अनुसार प्रदान किया जाता है। एनएलडी-ऑपरेटर, लंबी दूरी के प्रभारण-केन्द्रों (एनएलडीसी) व कम दूरी के प्रभारण-केन्द्रों (एसडीसीसी) के बीच के पड़ाव के ट्रैफिक के चयन हेतु, फिक्स्ड-सेवा-प्रदाताओं से आपसी सहमति की व्यवस्था कर सकते हैं।

22. एनएलडी-ऑपरेटरों को, एक्सेस प्रदाताओं के साथ लीज्ड लाइनों को अंतिम मील के लिए स्वयं के अपने उपयुक्त प्रबंध/करार करने होंगे।

23. प्रवेशकों की संख्या पर बिना किसी प्रकार के प्रतिबंध के एनएलडी-सेवाओं के लाइसेंस जारी किए जाएंगे।

24. विभिन्न सेवा-प्रदाताओं के नेटवर्कों के मध्यवर्ती इंटर कनैक्शन, दूरसंचार इंजीनियरी केन्द्र (टीईसी) द्वारा समय-समय पर जारी सीसीएस सं. 7 के राष्ट्रीय मानकों के अनुरूप होंगे।

25. इंटर कनेक्टेड नेटवर्कों से निम्नलिखित कार्यों के निष्पादन की समुचित व्यवस्था हेतु, एनएलडी-आपरेटर अन्य सेवा-प्रदाताओं से इन कनैक्शनों के करारों के बारे में बातचीत कर सकते हैं:

(क) अपनी व्यवहार्य प्रणालियों को जोड़ना व उन्हें चालू रखना;

(ख) व्यवहार्य प्रणालियों को जरिए संदेशों के पारेषण व रिसेप्शन में मदद के लिए वाजिब तौर से अपेक्षित पर्याप्त क्षमता व पर्याप्त संख्या के एक या अधिक इंटर कनैक्ट प्वाइंटों की स्थापना व उनका रखरखाव।

(ग) इण्टर कनेक्टेड-प्रणालियों के मध्य पारेषण व रिसेप्शन की समूची वाजिब मांग पूरी करना।

26. मानक इंटरफेसों, इंटर कनेक्शनों के प्वाइंटों व तकनीकी पहलुओं सहित इंटर कनेक्शन की शर्तें सेवा-प्रदाताओं के बीच आपसी सहमति से तय की जाएंगी।

27. एनएलडीओ लाइसेंसधारी सेवा प्रदान करने के प्रयोजन से, अन्य सेवा/एक्सेस-प्रदाताओं के उपस्करों के अनुकूल अपना स्वयं का उपकरण लगायेगा, जो इंटर कनेक्शन हेतु एनएलडीओ-लाइसेंसधारी व्यवहार्य प्रणालियों के लिए अपेक्षित है।

28. एनएलडीओ-लाइसेंसधारी ट्राई अधिनियम, 1997 के तहत ट्राई द्वारा जारी इंटर कनेक्शन के विनियम संबंधी सभी प्रकार के निदेशों का पालन करेगा।

29. एनएलडीओ-लाइसेंसधारी नेटवर्क व नेटवर्क-इंटरफेस की बाबत सेवा-प्रदाताओं के बीच आपसी सहमति सेवा-मानकों की गुणवत्ता के अनुरूप लाइसेंस शुदा नेटवर्क चलाएगा व उसका रखरखाव करेगा।

30. अन्य नेटवर्कों के साथ एक्सेस या इंटर कनैक्शन के प्रभार सेवा-प्रदाताओं की आपसी सहमति पर आधारित होंगे, बशर्ते वे प्रभार ट्राई-अधिनियम, 1997 के तहत ट्राई द्वारा समय-समय पर जारी पाबंदियों के अनुसार हों।

31. लंबी दूरी की राष्ट्रीय सेवा की सेवा अपेक्षाएं पूरी करने हेतु, नेटवर्कों के उन्नयन/सुधार लागत समेत नेटवर्क के संसाधन, सेवा-प्रदाताओं के मध्य हिस्सेदारी-व्यवस्था को आपसी बातचीत से तय किए जाएंगे।

32. फिक्स्ड सेवा-प्रदाताओं, सेल्यूलर मोबाइल सेवा-प्रदाताओं केबल-सेवा प्रदाताओं के लिए एनएलडी सेवा-प्रदाताओं को इंटर कनैक्शन उपलब्ध कराना लाजिमी होगी, ताकि उपभोक्ता एनएलडी सेवा-प्रदाता के माध्यम से कहीं भी अंत: सर्किल/लंबी दूरी की अंतर्राष्ट्रीय कालें कर सकें।

33. आवेदक कम्पनी वेतन एवं लेखाधिकारी (मुख्यालय) दूरसंचार विभाग के नाम से नई दिल्ली में देय डिमाण्ड ड्राफ्ट/पे आर्डर के रूप में 15,000 रुपये का प्रोसेसिंग-शुल्क आवेदन के साथ अदा करेगी। किसी भी हालत में उक्त राशि वापिस नहीं लौटाई जाएगी।

34. आवेदन, अनुभाग अधिकारी, बीएस-1, दूरसंचार विभाग, कमरा नं. 1119, संचार भवन, 20 अशोक रोड़, नई दिल्ली-110001 को प्रस्तुत करना होगा।

आधारभूत सुविधा प्रदाताओं श्रेणी-1 (आईपी-1) के रजिस्ट्रेशन के लिए दिशानिर्देश

आधारभूत सुविधा प्रदाता श्रेणी-1, वे आधारभूत सुविधा प्रदाता हैं जो डार्क फाइबर्स, राईट-आफ-वे, डक्ट स्पेस और टावर जैसी परिसम्पत्तियां प्रदान करते हैं।

आधारभूत सुविधा प्रदाता श्रेणी-1, जिन्हें आई पी 1 कहा जाएगा के रजिस्ट्रेशन के लिए दिशानिर्देश इस प्रकार हैं-

1. आवेदक को, कंपनी अधिनियम 1956 के तहत रजिस्टर्ड एक भारतीय कंपनी होना चाहिए।

2. आवेदक कंपनी में विदेशी इक्विटी के लेवल पर कोई प्रतिबंध नहीं है।

3. कंपनी रजिस्ट्रेशन के लिए निर्धारित प्रपत्र में आवेदन प्रस्तुत करेगी।

4. आवेदक कंपनी राईट-आफ-वे (आर ओ डब्ल्यू) के लिए स्वयं व्यवस्था करेगी।

5. आवेदक कंपनी के नाम अथवा लाइसेंसशुदा आई पी-1 में परिवर्तन करने संबंधी मामले की अनुमति कंपनी अधिनियम 1956 के तहत दिए गए उपबंधों के अनुसार की जाएगी।

6. जहां तक व्यवहार्य हो, आवेदक कंपनी को आवेदन प्रस्तुत करने की तारीख के 15 दिनों के भीतर आवेदन पत्र स्वीकृत होने के बारे में सूचित कर दिया जाएगा।

7. प्रवेशकों की संख्या पर प्रतिबंध लगाए बिना आई पी-1 के लिए रजिस्ट्रेशन गैर-विशिष्ट आधार पर होगा।

8. आई-पी-1 रजिस्टर्ड कंपनी, परस्पर सहमत नियम व शर्तों पर दूरसंचार सेवाओं के लाइसेंसधारकों को डार्क फाइबर्स, राईट-आफ-वे, डक्ट स्पेस, टावर आदि पट्टे पर/किराए पर/बिक्री आधार पर प्रदान करेगी।

9. आई-पी-1 रजिस्टर्ड कंपनी, अन्य सेवा प्रदाताओं अथवा आई-पी-2 के साथ किए गए करार की एक प्रति ऐसे करार के हस्ताक्षर की तारीख से 15 दिनों के भीतर दूरसंचार विभाग को प्रस्तुत करेगी।

10. आई-पी-1 रजिस्टर्ड कंपनी बिना किसी भेदभाव के आधारभूत सुविधा के उपयोग की व्यवस्था करेगी।

11. आवेदक कंपनी भुगतान एवं लेखा अधिकारी (मुख्यालय) दूरसंचार विभाग के नाम से नई दिल्ली में देय डिमांड ड्राफ्ट/पे आर्डर के रूप में अपने आवेदन-पत्र के साथ 5000 रुपये के संवीक्षा शुल्क (प्रोसेसिंग फी) का भुगतान करेगी जो किसी भी कारण बाद में लौटाया नहीं जाएगा।

12. आवेदन, अनुभाग अधिकारी, बीएस-1 दूरसंचार विभाग, कमरा, नं. 1119 संचार भवन, 20 अशोक रोड, नई दिल्ली-110001 को प्रस्तुत किए जाएं।

आधारभूत सुविधा प्रदाता श्रेणी-2 (आईपी-2) को लाइसेंस जारी करने के लिए दिशानिर्देश

आधारभूत सुविधा प्रदाता श्रेणी-2 (आई पी-2) वे सुविधा प्रदाता हैं, जो एक छोर से दूसरे छोर तक बैंडविड्थ, अर्थात् एक संदेश वहन करने के लिए सक्षम डिजिटल पारेषण क्षमता को पट्टे पर/किराए पर देते/बेचते हैं।

आधारभूत सुविधा प्रदाता (श्रेणी-2), जिन्हें आई पी-2 कहा जाएगा, के लिए लाइसेंस जारी करने संबंधी दिशानिर्देश निम्नानुसार हैं:

1. आवेदक, भारतीय कम्पनी अधिनियम, 1956 के अंतर्गत पंजीकृत एक भारतीय कंपनी होनी चाहिए।

2. आधारभूत सुविधा प्रदाता श्रेणी-2 (आई पी-2) के लिए लाइसेंस प्राप्त करने हेतु आवेदक कंपनी को निर्धारित आवेदन फार्म में आवेदन प्रस्तुत करना होगा।

3. लाइसेंस की समस्त अवधि के दौरान आवेदक कंपनी में विदेशी इक्विटी कभी भी 49 प्रतिशत से अधिक नहीं होगी। किसी एनआरआई/ओसीबी/अंतर्राष्ट्रीय वित्त पोषक कंपनी द्वारा आवेदक कंपनी की इक्विटी में निवेश को विदेशी निवेश माना जाएगा। इस संबंध में आवेदक कंपनी को सक्षम प्राधिकारी से प्राप्त एक प्रमाण-पत्र भी प्रस्तुत करना होगा, कि आवेदक कंपनी में कुल विदेशी इक्विटी 49 प्रतिशत से अधिक नहीं है।

4. आवेदक कंपनी राइट ऑफ वे (आरओडब्ल्यू) की अपनी व्यवस्था स्वयं करेगी। तथापि, टेलीग्राफ लाइनें देने के प्रयोजन से, आई पी-2 लाइसेंसधारकों से प्राप्त अनुरोध पर उन्हें भारतीय तार अधिनियम, 1885 के भाग-3 के तहत लाने हेतु केन्द्र सरकार आवश्यक अधिसूचना जारी करेगी।

5. आवेदक कंपनी लाइसेंस करार पर हस्ताक्षर करने से पूर्व 100 करोड़ रु. की कार्य निष्पादन बैंक गारंटी (पीबीजी) प्रस्तुत करेगी, ताकि लाइसेंस करार के प्रारूप में दिए गए निर्धारित प्रोफार्मा में स्पैक्ट्रम के प्रयोग/वायरलैस (बेतार) टेलीग्राफी उपस्कर प्राप्त करने हेतु लाइसेंस शुल्क तथा अन्य बकाया/शुल्क/रॉयल्टी के समय पर भुगतान सहित लाइसेंस शर्तों का अनुपालन सुनिश्चित किया जा सके। आरंभ में पी जी बी दो वर्ष के लिए मान्य होगा और फिर लाइसेंस की अवधि समाप्त होने तक लाइसेंस प्रदाता द्वारा यथा-निर्देशित रूप से समय-समय पर इसका नवीकरण किया जाएगा।

6. 10 प्रतिशत की दर पर राजस्व हिस्सेदारी के रूप में लाइसेंस शुल्क जमा यूनिवर्सल सर्विस ऑब्लीगेशन्स (यू एस ओ) निधि, जिसमें 15 प्रतिशत की कुल सीमा (कैप) है का भुगतान किया जाना है।

   बशर्ते कि स्पॅक्ट्रम के प्रयोग तथा वायरलैस टेलीग्राफी उपस्कर रखने के शुल्क/रॉयल्टी का भुगतान बेतार आयोजना तथा समन्वय स्कन्ध के आदेश तथा ब्यौरे के अनुसार अलग-अलग से किया जाना है। स्पॅक्ट्रम के प्रयोग/वायरलैस टेलीग्राफी उपस्कर का अधिकार कई तत्वों जैसे फ्रीक्वैंसी हॉप एण्ड लिंक लैंग्थ, एरिया ऑफ ऑपरेशन इत्यादि पर निर्भर करता है जिसका ब्यौरा बेतार आयोजना तथा समन्वय स्कन्ध से प्राप्त किया जा सकता है।

7. आवेदक कंपनी अथवा लाइसेंसधारक जैसा भी मामला हो, के नाम में परिवर्तन की अनुमति कंपनी अधिनियम, 1956 के अनुसार दी जाएगी।

8. आवेदन पर निर्णय, यथा व्यवहार्य रूप से आवेदन प्रस्तुत करने के 15 दिनों के अन्दर लिया जाएगा और आवेदक कंपनी को तदनुसार सूचित कर दिया जाएगा। यदि आवेदक को ई पी-2 लाइसेंस प्रदान किए जाने

के लिए पात्र पाया गया, तो उसे अपेक्षित शुल्क जमा कराना होगा, तथा अनुमोदन जारी किए जाने की तारीख से तीन माह की अवधि के अन्दर बैंक गारंटी और अन्य दस्तावेज भी प्रस्तुत करने होंगे, और लाइसेंस करार पर भी तुरन्त हस्ताक्षर करने होंगे, ऐसा न करने पर यह मान लिया जाएगा कि आवेदक इसके लिए इच्छुक नहीं है और इस प्रकार उसका आवेदन रद्द कर दिया जाएगा।

9. यदि आवेदक आई पी-2 के लाइसेंस के लिए पात्र नहीं पाया गया तो उसे तदनुसार सूचित कर दिया जाएगा, जिसके बाद वह कमियों को दूर करके नए सिरे से आवेदन कर सकता है।

10. आई पी-2 के लिए लाइसेंस गैर-विशिष्ट आधार पर भारत के प्रादेशिक अधिकार क्षेत्र के भीतर छोर से छोर तक बैंडविड्थ को पट्टे पर देने/बेचने/किराए पर देने हेतु 20 वर्ष के लिए जारी किया जाएगा और यदि उचित समझा गया, तो एक बार 10 वर्ष के लिए बढ़ा दिया जाएगा।

11. आई पी-2 के क्षेत्र में प्रवेशकों की संख्या पर किसी प्रकार के प्रतिबंध के बिना आवेदक को लाइसेंस जारी किया जाएगा।

12. लाइसेंसधारक परस्पर सहमति पर टीआरएआई अधिनियम, 1997 के तहत टीआरएआई द्वारा जारी प्रतिबंधों की शर्ताधीन दूरसंचार सेवा विभाग के अन्य लाइसेंसधारकों को छोर से छोर तक बैंडविड्थ पट्टे पर देगा/बेचेगा या किराए पर देगा। ऐसे करारों की प्रति, करार विशेष पर हस्ताक्षर किए जाने के 15 दिनों के भीतर केन्द्र सरकार को प्रस्तुत की जाएगी।

13. आई पी-2 लाइसेंसधारक पक्षपात रहित आधारभूत सुविधाएं प्रदान करेगा।

14. आवेदक कंपनी आवेदन के साथ वेतन तथा लेखा अधिकारी (मुख्यालय), दूरसंचार विभाग के नाम पर, नई दिल्ली में देय, डिमांड ड्राफ्ट/पे-ऑर्डर के रूप में 10,000 रुपये के संवीक्षा शुल्क का भुगतान करेगा, जो किसी भी कारण से प्रतिदेय नहीं होगा।

15. आवेदन, अनुभाग अधिकारी, बीएस-1, दूरसंचार विभाग, कमरा नं. 1119, संचार भवन, 20 अशोक रोड, नई दिल्ली को प्रस्तुत किया जाना है।

[हिन्दी]

अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान (एम्स) में चिकित्सकों का शैक्षिक स्तर

***389. श्री मोहम्मद शहाबुद्दीन:** क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार का ध्यान अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान से उत्तीर्ण होने वाले चिकित्सकों के गिरते स्तर/गुणवत्ता की ओर दिलाया गया है;

(ख) यदि हां, तो अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान में चिकित्सकों के शैक्षिक स्तर में ऐसी गिरावट आने के क्या कारण हैं;

(ग) क्या सरकार ने इस दिशा में कोई कदम उठाए हैं; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री (डा. सी.पी. ठाकुर): (क) से (घ) जी, नहीं। यह संस्थान उच्च गुणवत्ता वाले डाक्टर तैयार कर रहा है जिन्होंने कड़ी अखिल भारतीय प्रवेश परीक्षा के माध्यम से प्रवेश प्राप्त किया है। इस संस्थान का शैक्षणिक स्तर निरन्तर ऊंचा बना हुआ है क्योंकि छात्रों/डाक्टरों को न केवल अद्यतन चिकित्सीय प्रगति और आधुनिक चिकित्सीय प्रौद्योगिकियों से अवगत कराया जाता है बल्कि वे जटिल नैदानिकीय व्यावहारिक अनुभव भी प्राप्त करते हैं। इस संस्थान से उत्तीर्ण होकर निकलने वाले डाक्टरों की गुणवत्ता को भारत तथा विदेशों के अस्पतालों और अनुसंधान/शैक्षणिक संस्थाओं द्वारा मान्यता दी जाती है और उसकी सराहना की जाती है।

[अनुवाद]

डी.जी.सी.ए. द्वारा विमानों का निरीक्षण

***390. प्रो. उम्मारेड्डी वेंकटेस्वरलु:** क्या नागर विमानन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या नागर विमानन महानिदेशालय ने पटना में हुई विमान दुर्घटना के पश्चात् एलायंस एअर के सभी विमानों का निरीक्षण किया है;

(ख) यदि हां, तो क्या बोइंग तथा अन्य विमान निर्माताओं से कोई तकनीकी सलाह ली गई है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(घ) क्या विमान निर्माताओं ने अपने विमानों की तकनीकी दक्षता को प्रमाणित किया है; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

नागर विमानन मंत्री (श्री शरद यादव): (क) एलायंस एयर के सभी बोइंग 737-200 विमानों का एयरलाइन के क्वालीफाइड इंजीनियरों द्वारा अनुमोदित अनुरक्षण कार्यक्रम के अनुसार नियमित रूप से निरीक्षण किया जाता है। डी जी सी ए एयरलाइनों द्वारा निष्पादित किए गए अनुरक्षण कार्य की निगरानी का कार्य देखता है। विमान दुर्घटना के बाद, एलायंस एयर के विमान के अनुरक्षण कार्य की गहन निगरानी शुरू कर दी गई है।

(ख) और (ग) अनुरक्षण शैड्यूल तथा अनुरक्षण शेड्यूल्स की पीरियोडिसिटि विनिर्माता कार्यक्रम के अनुसार है जैसा कि विनिर्माता के अनुरक्षण योजना दस्तावेज (एमपीडी) में दिया गया है।

(घ) और (ङ) यू एस ए के फैडरल एविएशन एडमिनिस्ट्रेशन ने जो यू एस ए में विमानन उद्योग की रेगुलेटरी आथारिटी है, मैसर्स बोइंग कंपनी द्वारा विनिर्मित बोइंग 737-200 सीरीज के विमानों के संबंध में टाइप संबंधी प्रमाण-पत्र जारी किए हैं। टाइप प्रमाण-पत्र से विमान संबंधी तकनीकी प्रवीणता प्रमाणित होती है। एलायंस एयर इन विमान सीरीज का प्रचालन करती है।

राष्ट्रीय राजमार्गों के रख-रखाव के लिए जारी धन का अन्य कार्यों के लिए उपयोग

***391. श्री राजेन गोहेन:** क्या जल-भूतल परिवहन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या केन्द्र सरकार की राष्ट्रीय राजमार्गों के रख-रखाव के लिए जारी की गई धनराशि को राज्य सरकारों द्वारा अन्य शीर्षों पर उपयोग करने की समस्या से निपटने के संबंध में कोई नीति है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या केन्द्र सरकार को विभिन्न राज्यों और विशेषकर असम से धनराशि के अन्यत्र उपयोग के बारे में कोई शिकायत मिली है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और केन्द्र सरकार द्वारा इस पर क्या कार्रवाई की गई है; और

(ङ) वर्ष 1999-2000 के दौरान राष्ट्रीय राजमार्गों के रख-रखाव और मरम्मत के लिए असम को कुल कितनी धनराशि जारी की गई?

जल-भूतल परिवहन मंत्री (श्री राजनाथ सिंह): (क) और (ख) राज्यों को निधियों प्रतिपूर्ति प्रक्रिया के अंतर्गत आबंटित की जाती हैं और निधियों का अन्यत्र उपयोग किया जाना संभव नहीं है।

(ग) जी नहीं।

(घ) प्रश्न नहीं उठता।

(ङ) वर्ष 1999-2000 के दौरान असम राज्य को मरम्मत तथा रख-रखाव और विशेष मरम्मत कार्यक्रम के लिए क्रमश: 3420 लाख रु. और 2000 लाख रु. की धनराशि आबंटित की गई थी।

[हिन्दी]

भारतीय जहाजों द्वारा सामान की संभलाई

***392. श्री मानसिंह पटेल:** क्या जल-भूतल परिवहन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या भारतीय जहाजों द्वारा माल के लदान और उतराई में निरतंर कमी आ रही है;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं;

(ग) गत तीन वर्षों के दौरान इस संबंध में क्या लक्ष्य निर्धारित किए गए और क्या उपलब्धियां हासिल की गई; और

(घ) भारतीय जहाजों द्वारा सामान संभलाई में बढ़ोत्तरी करने के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं?

जल-भूतल परिवहन मंत्री (श्री राजनाथ सिंह): (क) और (ख) संभवत: प्रश्न भारतीय पत्तनों में भारतीय जहाजों द्वारा तटीय कार्गो के लदान और उतराई तथा भारतीय पत्तनों में विदेशी कार्गो ट्रैफिक में भारतीय ध्वज पोतों के हिस्से के प्रतिशत के संदर्भ में है। निम्नलिखित आंकड़े उपलब्ध हैं:-

(000' टन)

वर्ष	उतराई	लदान	जोड़	समस्त कार्गों की तुलना में भारतीय जहाजों द्वारा हैंडल किए गए कार्गो का प्रतिशत
विदेशी				
1997-98	53416	7393	60809	30.0
1998-99	55054	5917	60971	30.5
तटीय				
1997-98	41106	32160	73266	89.7
1998-99	42381	33386	75767	92.0
जोड़				
1997-98	94522	39553	134075	47.2
1998-99	97435	39303	136738	48.4

आंकड़ों से मालूम होता है कि भारतीय जहाजों द्वारा हैंडल किए गए कार्गो में कोई कमी नहीं हुई है।

(ग) नौवीं योजना के दौरान विदेशी व्यापार में भारतीय ध्वज पोतों के वर्तमान हिस्से अर्थात् लाइनर व्यापार में 9.8 प्रतिशत, शुष्क बल्क व्यापार में 15.6 प्रतिशत और पैट्रोलियम उत्पादों में 51.8 प्रतिशत को बनाए रखने पर विशेष जोर दिया गया है। तथापि, प्रत्येक वर्ष के आधार पर इस प्रयोजन के लिए कोई लक्ष्य निर्धारित नहीं किया गया है।

(घ) भारतीय जहाजों द्वारा कार्गों की ढुलाई के हिस्से में वृद्धि करने के लिए सरकार द्वारा उठाए गए कदमों में निम्नलिखित शामिल हैं:-

(1) खुले सामान्य लाइसेंस के अधीन बड़े पोतों के आयात की दिनांक 1.4.97 से अनुमति देना।

(2) तरल प्राकृतिक गैस (एल एन जी) के परिवहन के लिए भारतीय नौवहन निगम द्वारा संयुक्त उद्यम में भागीदारी करना।

(3) नौवहन कंपनियों को नई खरीद के लिए भारतीय जहाजों की विक्रय धनराशि को विदेश में रखने की अनुमति दी गई है।

(4) भारतीय नौवहन कंपनियों द्वारा अंतर्राष्ट्रीय परस्पर व्यापार में तैनाती के लिए विदेशी कंपनियों को भारतीय जहाजों को समयबद्ध भाड़े पर देने (टाइम चार्टर आउट) की स्वतंत्रता।

(5) पुराने जलयानों की खरीद के लिए आयु मानकों की छूट।

(6) पुराने/नए जहाजों की खरीद की प्रक्रिया को सरल बनाना।

(7) आयकर अधिनियम की धारा 33 क ग के अंतर्गत नौवहन उद्योग को प्राप्त होने वेले लाभ को दिनांक 1.4.2000 से बहाल करना।

(8) सभी सरकारी विभागों/सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों के लिए बोर्ड पर्यन्त निशुल्क (एफओबी) के आधार पर खरीद और लागत, बीमा भाड़ा (सी आई एफ) के आधार पर बिक्री की सरकारी नीति की समय-समय पर पुनरावृत्ति करना।

[अनुवाद]

ओलम्पिक 2000 के लिए तैयारी

***393. श्री अजय सिंह चौटाला:**
श्री चिंतामन वनगा:

क्या युवक कार्यक्रम और खेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सितम्बर, 2000 में सिडनी में आयोजित किए जाने वाले ओलम्पिक खेलों में भारत के भाग लेने के लिए सरकार विशेष तैयारियां कर रही है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार ने उन प्रतियोगिताओं के संबंध में कोई निर्णय लिया है जिनमें भारत के भाग लेने की संभावना है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ङ) क्या इसके लिए विद्यमान मानदण्डों के अनुरूप भारतीय खिलाड़ियों का चयन कर लिया गया है और उन्हें कुछ विदेशी प्रशिक्षकों की सहायता से गहन प्रशिक्षण दिया जा रहा है; और

(च) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

युवक कार्यक्रम और खेल मंत्री तथा खान मंत्री (श्री सुखदेव सिंह ढिंडसा): (क) और (ख) जी, हां। सरकार हमारे उन खिलाड़ियों को विशेष प्रशिक्षण उपलब्ध करवा रही है जिन्होंने अंतर्राष्ट्रीय खेल परिसंघों द्वारा निर्धारित योग्यताप्रदायी मानदण्डों के अनुसार ओलम्पिक खेलों के लिए योग्यता हासिल कर ली है। ओलम्पिक खेलों के संभावित खिलाड़ियों को विदेशी प्रशिक्षकों द्वारा प्रशिक्षण दिया जाता है और उनमें से कुछ को गहन प्रशिक्षण के लिए विदेश भेजा जाता है। सरकार द्वारा सभी प्रकार का आवश्यक वैज्ञानिक और उपस्कर संबंधी समर्थन उपलब्ध कराया जाता है। रोइंग और हाकी में, टीमों को क्रमशः संयुक्त राष्ट्र अमेरिका और आस्ट्रेलिया में सुविज्ञ देखरेख में गहन प्रशिक्षण के लिए भेजा गया है।

(ग) और (घ) जी, हां। संबंधित अंतर्राष्ट्रीय परिसंघों द्वारा निर्धारित किए गए योग्यताप्रदायी मानदण्डों के अनुसार, भारत ने 15 सितंबर, 2000 से 1 अक्तूबर 2000 तक होने वाले 27वें ओलम्पिक खेलों में निम्नलिखित खेल विधाओं में भाग लेने के लिए योग्यता प्राप्त कर ली है:

1. एथलेटिक्स
2. बैडमिंटन
3. मुक्केबाजी
4. हाकी (पुरुष)
5. जूडो
6. रोइंग
7. निशानेबाजी
8. तैराकी
9. टेबल टेनिस
10. टेनिस
11. भारोत्तोलन
12. कुश्ती

भारत इन खेल विधाओं में भाग लेना।

(ङ) और (च) सिडनी ओलम्पिक खेलों में केवल वही खिलाड़ी/टीमें भाग ले सकते हैं जिन्होंने संबंधित अंतर्राष्ट्रीय खेल परिसंघों द्वारा निर्धारित मानदण्डों के अनुसार योग्यता प्राप्त कर ली हो। तद्नुसार, अधिकांश टीमों का चयन हो चुका है। एथलेटिक्स और भारोत्तोलक टीमों को 22 अगस्त 2000 तक अंतिम रूप दे दिया जाएगा क्योंकि नाम सहित आवेदन भेजने के लिए अंतिम तिथि 25 अगस्त 2000 है। सभी संभावित खिलाड़ियों को गहन प्रशिक्षण प्रदान करने के लिए, सरकार ने 14 विदेशी कोचों/सुविज्ञों को नियुक्त किया है।

जवाहर लाल नेहरू पत्तन न्यास के कंटेनर टर्मिनल का निजीकरण

***394. श्री वसुदेव आचार्य:** क्या जल-भूतल परिवहन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार जवाहर लाल नेहरू पत्तन न्यास के कंटेनर टर्मिनल का निजीकरण करने के प्रस्ताव पर विचार कर रही है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

जल-भूतल परिवहन मंत्री (श्री राजनाथ सिंह): (क) और (ख) जवाहरलाल नेहरू पत्तन न्यास ने अपने न्यासी बोर्ड के समक्ष हाल में अपने वर्तमान कंटेनर टर्मिनल के निजीकरण का प्रस्ताव प्रस्तुत किया है। इस मामले में न्यासी बोर्ड द्वारा अभी तक कोई निर्णय नहीं लिया गया है।

[हिन्दी]

कार्बन डाई-ऑक्साइड के स्तर में वृद्धि

***395. श्री अब्दुल रशीद शाहीन:** क्या **पर्यावरण और वन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या देश के पर्यावरण में कार्बन डाई-ऑक्साईड का स्तर तेजी से बढ़ रहा है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) सरकार द्वारा वातावरण में कार्बन डाई-ऑक्साइड के स्तर को कम करने के लिए क्या प्रयास किए गए हैं?

पर्यावरण और वन मंत्री (श्री टी.आर. बालू): (क) और (ख) जलवायु परिवर्तन संबंधी अंतर सरकारी पेनल, जो विश्व मौसम विज्ञानीय और संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम द्वारा संयुक्त रूप से स्थापित एक निकाय है, के अनुसार जैसा कि 1980 के दशक में अनुमान लगाया गया था, कार्बन डाई-ऑक्साइड की प्रतिवर्ष सान्द्रता परिवर्तन दर प्रति वर्ष मात्रा में प्रति मिलियन 1.5 भाग है (0.4%) प्रति वर्ष।

(ग) पर्यावरण की रक्षा एवं सुधार के लिए उठाए गए कई पहलुओं की सहायता से देश में विद्यमान पर्यावरणीय नीति और कानूनी फ्रेमवर्क वायुमंडल में कार्बन डाईऑक्साइड स्तरों को स्थिर रखने में योगदान करता है।

पेड़ों का काटा जाना

***396. श्री रतन लाल कटारिया:** क्या **पर्यावरण और वन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या पहाड़ों पर पेड़ों की बड़े पैमाने पर कटाई के कारण देश के विभिन्न भागों में बाढ़ का प्रकोप बढ़ गया है;

(ख) यदि हां, तो सरकार द्वारा इस समस्या से निपटने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं;

(ग) क्या पेड़ों की अंधाधुंध कटाई से पर्यावरण को गंभीर खतरा उत्पन्न हो गया है; और

(घ) यदि हां, तो सरकार द्वारा इस संबंध में क्या कदम उठाए गए हैं?

पर्यावरण और वन मंत्री (श्री टी. आर. बालू): (क) पहाड़ों पर पेड़ों की बड़े पैमाने पर कटाई के कारण देश के विभिन्न भागों में बाढ़ का प्रकोप बढ़ने के बारे में कोई सूचना नहीं मिली है। तथापि, वनों पर भारी जैव दबाव के कारण विभिन्न भागों में कुछ मात्रा में वन अवक्रमण होने से इन्कार नहीं किया जा सकता, जिसके कारण अधिक अपवाह हो सकता है और इसके परिणामस्वरूप बाढ़ें आ सकती हैं।

(ख) भारत सरकार द्वारा राष्ट्रीय वन नीति, 1988 के अनुसार भारतीय वन सर्वेक्षण की हर दो वर्षों में वन स्थिति रिपोर्ट के प्रकाशन द्वारा वन आवरण की मॉनीटरी की जाती है, गैर-वानिकी प्रयोजनों के लिए वन भूमि के अपवर्तन को नियंत्रित किया जाता है, वन सुरक्षा और विकास में लोगों की भागीदारी को बढ़ावा दिया जाता है तथा वनीकरण कार्यकलापों और विभिन्न अन्य नीतिगत हस्तक्षेपों के लिए निधियां मंजूर की जाती हैं। भारत सरकार का नौवीं योजना अवधि के दौरान वनों की सुरक्षा और विकास हेतु वानिकी एवं वन्य जीव के क्षेत्र में 1360 करोड़ रुपये खर्च करने का प्रस्ताव है।

(ग) जी, नहीं। वर्ष 1999 में भारतीय वन सर्वेक्षण द्वारा किए गए वन आवरण के नवीनतम सातवें मूल्यांकन के अनुसार देश के वन आवरण में 1997 के मूल्यांकन की तुलना में 3896 वर्ग किलोमीटर की वृद्धि हुई है। इस प्रकार पिछले दो वर्षों के दौरान देश के वन आवरण में कुल भौगोलिक क्षेत्र के 19.27 प्रतिशत से 19.39 प्रतिशत वृद्धि हुई है।

(घ) वन संसाधनों की सुरक्षा के लिए निम्नलिखित उपाय किए गए हैं-

(1) सभी राज्य सरकारों और संघ शासित प्रदेशों से अनुरोध किया गया है कि वे वानिकी के क्षेत्र में आबंटन को पर्याप्त मात्रा में बढ़ाए और वन सुरक्षा को योजना मद के रूप में मानें।

(2) वनों और वन क्षेत्रों के भीतर और आसपास स्थित गांवों के एकीकृत विकास हेतु राज्यों को यह सलाह दी गई है कि वे वन विकास अभिकरणों (संयुक्त वन प्रबंधन समिति संघ) का सृजन करें।

(3) वन नीति, 1988 के उपबंधों के अनुसार देश में संयुक्त वन प्रबंधन कार्यक्रम को कार्यान्वित किया जा रहा है और 1.1.2000 को 22 राज्यों में 36130 संयुक्त वन प्रबंधन समितियों द्वारा लगभग 10.249 मिलियन हेक्टेयर वनों की सुरक्षा की जा रही है।

(4) राज्यों से अनुरोध किया गया है कि वे इमारती लकड़ी की चोरी और तस्करी तथा वन्य जीवों के अवैध शिकार के मामलों से निपटने के लिए वन सुरक्षा तंत्र को सरल और कारगर बनाएं।

[अनुवाद]

वन क्षेत्र

***397. वैद्य विष्णु दत्त शर्मा: क्या पर्यावरण और वन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या देश में वन क्षेत्र तेजी से कम हो रहा है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी तथ्य क्या हैं;

(ग) देश में, विशेषकर जम्मू और कश्मीर में वन क्षेत्र की वर्तमान स्थिति क्या है;

(घ) वनों के संरक्षण के लिए की गई कार्यवाही का ब्यौरा क्या है;

(ङ) क्या केन्द्र सरकार ने वनों की कटाई/वन क्षेत्र में अतिक्रमण को रोकने के लिए राज्य सरकारों को कोई निर्देश जारी किए हैं; और

(च) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इस मामले में राज्य सरकारों द्वारा क्या कार्रवाई की गई है?

पर्यावरण और वन मंत्री (श्री टी.आर. बालू): (क) और (ख) भारतीय वन सर्वेक्षण द्वारा हर दो वर्ष में देश के वन आवरण का मूल्यांकन किया जाता है। अब तक सात मूल्यांकन किए गए हैं। 1981 से 1995 की अवधि के पहले छ: मूल्यांकनों के अनुसार, देश के वन आवरण में 19.49 प्रतिशत से 19.27 प्रतिशत की मामूली गिरावट आई है। तथापि, 1995-98 की अवधि के सातवें मूल्यांकन के अनुसार देश के वन आवरण में 19.27 प्रतिशत से 19.39 प्रतिशत की वृद्धि हुई है।

(ग) 1995 से 1998 की अवधि के दौरान वन आवरण के सातवें मूल्यांकन के अनुसार जम्मू और कश्मीर का वन आवरण, भौगोलिक क्षेत्र का 9.2 प्रतिशत है।

(घ) वन सम्पदा की सुरक्षा के लिए सरकार द्वारा की गई विभिन्न महत्वपूर्ण कार्रवाईयां निम्नलिखित हैं:-

(1) संविधान "46वां संशोधन" अधिनियम, 1976 के द्वारा "वन" विषय को राज्य सूची से समवर्ती सूची में स्थानांतरित कर दिया गया था।

(2) गैर-वानिकी प्रयोजनों के लिए वन भूमि के अपवर्तन को विनियमित करने के लिए वन (संरक्षण) अधिनियम, 1980 का अधिनियमन किया गया था।

(3) पारिस्थितिक सुरक्षा को सुनिश्चित करने और अनिवार्य तथा स्थानीय जरूरतों को पूरा करने हेतु वन प्रबंधन पर जोर देने के लिए राष्ट्रीय वन नीति, 1952 को 1988 में संशोधित किया गया था।

(4) देश के वन्य जीवों और जैव विविधता की सुरक्षा के लिए वन्य जीव (सुरक्षा) अधिनियम, 1972 को अधिनियमित किया गया और सुरक्षित क्षेत्रों के क्षेत्रफल में वृद्धि की गई।

(5) अवक्रमित वनों की सुरक्षा और पुनरुद्भव में ग्रामीण समुदायों को शामिल करने हेतु सभी राज्यों/संघ शासित सरकारों को दिशा-निर्देश जारी किए गए हैं।

(6) पर्यावरण एवं वन मंत्रालय ने वन संसाधनों के संरक्षण और विकास हेतु निवेश में वृद्धि करके पारिस्थितिक स्थिरता और लोक केन्द्रित विकास के लिए वानिकी और वृक्ष संसाधनों के योगदान को बढ़ाने के लिए राष्ट्रीय वानिकी कार्य योजना तैयार की है।

(7) राज्यों/संघशासित सरकारों द्वारा उनके अपने संसाधनों तथा भारत सरकार की वित्तीय सहायता से वनीकरण कार्यक्रम चलाए जाते हैं।

(8) वनों के विकास और परिरक्षण हेतु विदेशी सहायता प्राप्त परियोजनाएं कार्यान्वित की जाती हैं।

(ङ) और (च) वन भूमि पर अतिक्रमण के संबंध में पर्यावरण एवं वन मंत्रालय द्वारा 18.9.1990 को विस्तृत दिशा-निर्देश जारी किए गए हैं। इस दिशा-निर्देशों के अनुसार 25.10.80 के बाद वन भूमि पर किए गए अतिक्रमण विनियमित किए जाने के पात्र नहीं हैं और उन्हें राज्य सरकारों द्वारा खाली किया जाएगा। इन दिशानिर्देशों को कार्यान्वित किए जाने हेतु राज्य सरकारों द्वारा कार्रवाई की गई है। वन (संरक्षण) अधिनियम, 1980 के अनुसार केन्द्रीय सरकार की पूर्व अनुमति के बिना वन भूमि पर कोई भी गैर-वन कार्यकलाप किए जाने की अनुमति नहीं है।

ध्वनि प्रदूषण

***398. श्री चन्द्रकांत खैरे: क्या पर्यावरण और वन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या विश्व स्वास्थ्य संगठन की सर्वेक्षण रिपोर्ट में यह उल्लेख किया गया है कि यदि भारत के कुछ बड़े नगरों में ध्वनि प्रदूषण का वर्तमान स्तर पांच डेसिबल बढ़ गया तो इन नगरों की आधी जनसंख्या बहरी हो जाएगी;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इस संबंध में नगर-वार क्या कदम उठाए जाने का प्रस्ताव है;

(ग) क्या सरकार का देश में ध्वनि प्रदूषण के प्रसार को रोकने के लिए ठोस उपाय करने का विचार है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

पर्यावरण और वन मंत्री (श्री टी.आर. बालू): (क) और (ख) विश्व स्वास्थ्य संगठन के अनुसार ऐसा कोई अध्ययन नहीं किया गया है।

(ग) और (घ) ध्वनि प्रदूषण को विनियमित और नियंत्रित करने के लिए सरकार ने कई उपाय किए हैं जिनमें निम्नलिखित शामिल हैं:-

(1) वायु प्रदूषण (निवारण एवं नियंत्रण) अधिनियम और पर्यावरण (सुरक्षा) अधिनियम के अंतर्गत ध्वनि प्रदूषण को विनियमित किया जाता है। पर्यावरण (सुरक्षा) अधिनियम के अन्तर्गत परिवेशी ध्वनि मानक निर्धारित किए गए हैं।

(2) मोटर-कारों, घरेलू उपकरणों और निर्माण उपस्करों के लिए विनिर्माण प्रावस्था में ही ध्वनि सीमाएं निर्धारित की गई हैं। स्थिर डीजल जेनरेटर सैटों से होने वाले ध्वनि प्रदूषण को नियंत्रित करने के लिए मानक और दिशा-निर्देश हैं।

(3) हाल ही में, पर्यावरण (सुरक्षा) अधिनियम के अंतर्गत ध्वनि प्रदूषण को नियंत्रित करने के लिए निम्नलिखित कदम उठाए गए हैं:-

(i) अक्तूबर, 1999 में बम-पटाखों के लिए मानक अधिसूचित किए गए।

(ii) फरवरी, 2000 में ध्वनि प्रदूषण (विनियमन एवं नियंत्रण) नियमावली, 2000 को अधिसूचित किया गया है।

नियमों को लागू किया जाना

*399. **श्रीमती संगीता कुमारी सिंह देव:** क्या नागर विमानन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या हवाई अड्डों के आस-पास बस्तियों से हवाई अड्डों और विमानों के लिए गम्भीर खतरा पैदा होता है;

(ख) यदि हां, तो ऐसी बस्तियों के हवाई अड्डों के निकट होने के कारण कितनी दुर्घटनाएं हुई हैं;

(ग) क्या सरकार हवाई अड्डों के आस-पास भी नियत परिधि में बस्तियां बसाने की अनुमति नहीं दिए जाने के नियमों को कड़ाई से लागू करने पर विचार कर रही है; और

(घ) यदि हां, तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

नागर विमानन मंत्री (श्री शरद यादव): (क) जी, हां। हवाई अड्डे के आस-पास अप्राधिकृत बस्तियां विमान प्रचालन के लिए खतरनाक हो सकती हैं, क्योंकि खुले में फेंका गया कूड़ा आदि पक्षियों को आकर्षित करने का स्रोत बन सकता है। इसके अतिरिक्त, हवाई अड्डे के आस-पास बसे निवासी पैरीमीटर दीवार को तोड़ सकते हैं। फलस्वरूप, प्रचालनात्मक क्षेत्र में जानवरों का प्रवेश हो सकता है जिससे विमान प्रचालनों की सुरक्षा को खतरा हो सकता है।

(ख) हवाई अड्डे के आस-पास बस्तियों की निकटता के कारण किसी पंजीकृत भारतीय सिविल विमान की दुर्घटना नहीं हुई है।

(ग) और (घ) हवाई अड्डे के निकट या आस-पास रिहायशी क्षेत्र के निर्माण को रोकने के लिए कोई कानूनी प्रावधान नहीं है। तथापि, अंतरराष्ट्रीय नागर विमानन संगठन द्वारा निर्धारित मानकों तथा स्वीकृत पद्धतियों के अनुरूप सतह संबंधी विभिन्न सीमा बाधाओं को दृष्टि में रखते हुए भवनों की ऊंचाई को सीमित किया जाता है।

राष्ट्रीय खेल विकास निधि

*400. **श्री उत्तमराव ढिकले:** क्या युवक कार्यक्रम और खेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या एक राष्ट्रीय खेल विकास निधि स्थापित की गई है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) इसकी स्थापना के समय से ही निधि की क्या गतिविधियां रही हैं?

युवक कार्यक्रम और खेल मंत्री तथा खान मंत्री (श्री सुखदेव सिंह ढिंडसा): (क) जी, हां।

(ख) देश में खेल-कूद के संवर्धन को मानव संसाधन विकास के एक महत्वपूर्ण पहलू के रूप में देखते हुए और इस तथ्य को ध्यान में रखते हुए कि संसाधनों की कमी इस दिशा में एक मुख्य बाधा है, सरकार ने 1998-99 के दौरान राष्ट्रीय खेल विकास निधि (एन.एस.डी.एफ.) स्थापित करने का निर्णय लिया था। तद्नुसार, राष्ट्रीय खेल विकास निधि 12.11.98 को अधिसूचित की गई थी। यह निधि विभिन्न सरकारी/अर्ध-सरकारी संगठनों, सार्वजनिक/निजी क्षेत्र की इकाईयों तथा अप्रवासी भारतीयों सहित अलग-अलग

व्यक्तियों से संसाधन जुटाने के उद्देश्य से स्थापित की गई थी। निधि में संचित राशि का उपयोग, राष्ट्रीय तथा अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर खेलकूद के क्षेत्र में उत्कृष्टता हासिल करने के लिए, सामान्य रूप से खेल-कूद के संवर्धन तथा खास तौर पर, विशिष्ट खेल विधाओं तथा अलग-अलग खिलाड़ियों के लिए किया जाएगा।

निम्नलिखित प्रयोजनों के लिए निधि में से सहायता प्रदान की जाती है:

* खिलाड़ियों, प्रशिक्षकों तथा खेल विशेषज्ञों को संबंधित खेल विधाओं में विशेष प्रशिक्षण तथा अनुशिक्षण के लिए।
* खेल अवस्थापना के सृजन तथा रख-रखाव के लिए।
* खेल उपस्कर की प्राप्ति के लिए।
* अनुसंधान तथा विकासपरक अध्ययन प्रारंभ करने के लिए।
* उपर्युक्त किसी भी परियोजना के लिए ब्याज मुक्त अथवा कम ब्याज पर ऋण भी प्रदान किये जा सकते हैं।

इस निधि का प्रबंध करने के लिए मंत्रालय के प्रभारी मंत्री की अध्यक्षता में एक परिषद के गठन का प्रावधान है। सरकारी सदस्यों के अलावा, परिषद में आठ विख्यात खिलाड़ी और निगमित क्षेत्र, निजी प्रतिष्ठानों तथा लाभ न कमाने वाले स्वैच्छिक संगठनों का प्रतिनिधित्व करने वाले विख्यात व्यक्ति होते हैं, जिनकी संख्या नौ तक होती है। दैनिक कार्यकरण का प्रबंध करने के लिए, सचिव (युवक कार्यक्रम और खेल) की अध्यक्षता में एक कार्यकारिणी समिति के लिए प्रावधान है।

(ग) आरंभ में, इस निधि में धनराशि आकर्षित करने पर ध्यान दिया जा रहा है जिसमें इस समय कुल 2,46,92,447/रु. जमा हैं। इस संबंध में सतत प्रयास किए जा रहे हैं। निधि संबंधी परिषद और कार्यकारिणी समिति का भी गठन कर लिया गया है। जैसाकि उपरोक्त भाग (ख) में पहले ही उल्लेख किया गया है, निधि में संवर्धनकारी गतिविधियों पर ध्यान केन्द्रित किया जाएगा।

पे टेलीफोन लाइनें

4227. श्री प्रभुनाथ सिंह: क्या संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या स्टार प्लस टी वी गेम शो "कौन बनेगा करोड़पति" की टेलीफोन लाइनें पे लाइनें हैं और इन पर सामान्य कॉल शुल्क के अतिरिक्त शुल्क का भुगतान करना पड़ता है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) इसके परिणामस्वरूप एमटीएनएल द्वारा कितने राजस्व की ठगाही की गई है?

संचार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री तपन सिकदर): (क) और (ख) "कौन बनेगा करोड़पति" कार्यक्रम में प्रयोग में लाई जा रही टेलीफोन लाइनें पे-लाइनें नहीं हैं। इन नम्बरों पर कॉल करने वाले उपभोक्ता, केवल सामान्य स्थानीय अथवा एस टी डी फोन प्रभारों का भुगतान कर रहे हैं।

(ग) उपरोक्त भाग (क) तथा (ख) के उत्तर को देखते हुए प्रश्न नहीं उठता।

[हिन्दी]

सब्जियों में ऑक्सीटोसीन का प्रयोग

4228. डा. रघुवंश प्रसाद सिंह: क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार का ध्यान दिनांक 3 मई, 2000 के "राजस्थान पत्रिका" में "ऑक्सीटोसीन इंजेक्शन की बिक्री पर रोक की मांग" शीर्षक से प्रकाशित समाचार की ओर आकृष्ट किया गया है;

(ख) क्या सब्जियों में अब ऑक्सीटोसीन का प्रयोग किया जा रहा है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(घ) मनुष्य के स्वास्थ्य पर इस रसायन का क्या दुष्प्रभाव पड़ता है; और

(ङ) कृषि तथा बागवानी में इस रसायन के प्रयोग पर प्रतिबंध लगाने के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (प्रो. रीता वर्मा): (क) से (ङ) सूचना एकत्र की जा रही है और सदन के पटल पर रख दी जाएगी।

[अनुवाद]

'एयर इंडिया' द्वारा 'कैरिबजेट' को राशि का भुगतान

4229. श्री गंता श्रीनिवास राव: क्या नागर विमानन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या 'एयर इंडिया' का विचार लंदन में अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में माध्यस्थम कार्यवाही में हारने के पश्चात् 'कैरिबजेट' को मुआवजे के रूप में 103 करोड़ रुपये का भुगतान करने का

है और अब इसे 136 करोड़ रु. का आयकर (आई. टी.) की मांग का भुगतान करने के लिए फंसाया जा रहा है;

(ख) विवाचकों को यह व्यवस्था देने के क्या कारण हैं कि कर-मांग को 'एअर इंडिया' पर डाला जाना चाहिए न कि 'कैरिबजेट' पर; और

(ग) 'एयर इंडिया' के पास अगली कार्यवाही के क्या विकल्प बचे हैं?

नागर विमानन मंत्री (श्री शरद यादव): (क) और (ख) न्यायिक न्यायाधिकरण ने मैसर्स कैरिबजेट को समाप्ति व्यय के रूप में 2.2 मिलियन अमरीकी डालर तथा समाप्ति हानि के लिए 22 मिलियन अमरीकी डालर की गणना की है तथा एआर इंडिया को देय राशि का समंजन करने के पश्चात् एअर इंडिया को मैसर्स कैरिबजेट को 23.6 मिलियन अमरीकी डालर की राशि दी जानी अपेक्षित थी। 136 करोड़ रुपये के लिए आय कर की मांग मैसर्स कैरिबजेट से है न कि एअर इंडिया से।

(ग) लन्दन की वाणिज्यिक अदालत ने न तो टैक्स अवार्ड के विरुद्ध अपील के लिए एअर इंडिया की प्रार्थना को स्वीकार किया है और न ही लन्दन अदालत के निर्णय के विरुद्ध कोर्ट में अपील के अनुरोध को स्वीकार किया है। तथापि, एअर इंडिया को भारतीय कानून अथवा एअर इंडिया के मामले में किसी अन्य क्षेत्राधिकार के अधीन मैसर्स कैरिबजेट के विरुद्ध क्षतिपूर्ति का अधिकार होगा तथा मैसर्स कैरिबजेट कर देयताओं का भुगतान भारत में "प्रतिनिधित्व आंकलनकर्ता" के रूप में दिया जाना है। इसके अतिरिक्त यह आय कर अधिनियम तथा कानूनों के अन्य प्रावधानों के अधीन एअर इंडिया के अधिकार अधीन होगा जो एअर इंडिया कैरिबजेट की देयताओं की उगाही के लिए एअर इंडिया के विरुद्ध आय कर प्राधिकारियों को कार्रवाई करने से बचाएगा।

फाइबर लिंक अराउण्ड ग्लोब

4230. श्री सुरेश रामराव जाधव: क्या संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि फाइबर लिंक अराउण्ड ग्लोब (एफएलएजी) विदेश संचार निगम लिमिटेड (वीएसएनएल) के साथ 1995 में निर्माण और रख-रखाव संबंधी हुए अपने समझौते का उल्लंघन करते हुए अपनी अत्यधिक क्षमता को सीधे निजी इंटरनेट सेवा प्रदाताओं (आईएसपी) को बेचने के लिए सभी तरह का दबाव बना रहा है; और

(ख) यदि हां, तो यह सुनिश्चित करने के लिए कि एफएलएजी समझौते का उल्लंघन न करे तथा इंटरनेट सेवा प्रदाताओं या किसी लाइसेंसधारक व्यक्ति को केवल वीएसएनएल के माध्यम से ही अपनी क्षमताओं को पट्टे पर दे तथा भारत में अपनी क्षमताओं को सीधे बेचने के लिए दक्षिण भारत में एक अन्य धू-केन्द्र स्थापित करने से एफएलएजी को रोकने के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गये हैं/उठाने का विचार है?

संचार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री तपन सिकदर): (क) और (ख) समस-समय पर समाचार-पत्रों में समाचार प्रकाशित हुए हैं कि एफ एल ए जी अपनी बैंडविड्थ सीधे भारत में इंटरनेट सेवा प्रदाताओं को बेचने का इच्छुक था। वीएसएनएल के अनुसार एफएलएजी और वीएसएनएल के बीच हस्ताक्षरित संविदा और अनुरक्षण करार की शर्तों के अनुसार एफएलएजी की बैंडविड्थ क्षमता भारत में केवल वीएसएनएल के माध्यम से ही बेची जा सकती है। बैंडविड्थ की बढ़ती मांग को ध्यान में रखते हुए, सरकार ने वीएसएनएल को सलाह दी है कि इस करार के कार्य ढांचे के भीतर एफएलएजी के साथ बातचीत करे ताकि भारत में एफएलएजी के पास उपलब्ध बैंडविड्थ का पूरी तरह प्रयोग किया जा सके।

दवा/औषधि बनाने के लिए लाइसेंस

4231. श्री जयभद्र सिंह: क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) तैयार दवाओं व थोक औषधियों को बनाने के लिए उत्पादन लाइसेंस प्रदान करने हेतु क्या नियम और शर्तें हैं;

(ख) क्या ऐसे लाइसेंसों को जारी करने या इनके नवीकरण करने से पहले कोई निरीक्षण किया जाता है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इन लाइसेंसों की वैधता कितनी अवधि तक की रहती है;

(घ) क्या इस प्रयोजनार्थ इन लाइसेंसों के नवीकरण में कई वर्ष का समय लगता है; और

(ङ) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं और इस दिशा में क्या सुधारात्मक उपाय किए गए हैं?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (प्रो. रीता वर्मा): (क) तैयारशुदा दवाओं तथा थोक (बल्क) औषधियों के उत्पादन की अनुमति औषध और प्रसाधन सामग्री नियम, 1945 के अधीन राज्य लाइसेंस प्राधिकारियों द्वारा यह सुनिश्चित करने के बाद दी जाती है कि विनिर्माता परिसरों, उपस्कर, भण्डारण तथा

सक्षम तकनीकी स्टाफ के पर्यवेक्षण में विनिर्माण तथा उत्तम विनिर्माण प्रक्रियाओं के अनुपालन से संबंधित निबंधन और शर्तों का पालन करेगा।

(ख) और (ग) उपर्युक्त नियमों के अन्तर्गत, विनिर्माण के लिए लाइसेंस संबद्ध औषध निरीक्षक द्वारा विनिर्माण परिसरों के निरीक्षण के पश्चात् प्रदान किए जाते हैं। निरीक्षक विनिर्माण की प्रक्रिया के साथ-साथ सम्पूर्ण परिसरों, संयंत्र तथा उपयन्त्रों का निरीक्षण करता है तथा लाइसेंस प्राधिकारी को एक विस्तृत रिपोर्ट विचारार्थ प्रस्तुत करता है। ये लाइसेंस राज्य लाइसेंस प्राधिकारियों द्वारा अधिकतम दो वर्षों की अवधि के लिए प्रदान किए जाते हैं या इनका नवीकरण किया जाता है।

(घ) और (ङ) औषध और प्रसाधन सामग्री नियम, 1945 के अन्तर्गत लाइसेंसों के नवीकरण के लिए कोई नियत समय निर्धारित नहीं किया गया है। कभी-कभी नवीकरण में देरी हो जाती है। लाइसेंसों की वैधता की अवधि बढ़ा कर इसे सुप्रवाही बनाने की आवश्यकता प्रतीत होती है।

मलियारा दूरभाष केन्द्र

4232. श्री सुनील खां: क्या संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या पश्चिम बंगाल के बांकुरा जिले का मलियारा दूरभाष केन्द्र 5 जून, 2000 को 3 बजे अपराह्न तक बंद रहा है;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं; और

(ग) सरकार द्वारा इस संबंध में क्या कदम उठाए गए हैं?

संचार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री तपन सिकदर): (क) मलियारा एक्सचेंज 5 जून, 2000 को दोपहर 3.00 बजे से 5.00 बजे तक बंद नहीं था। तथापि, उक्त अवधि के दौरान बरजौरा के साथ इसकी संपर्कता बाधित थी। इस अवधि के दौरान स्थानीय सेवाएं संतोषजनक ढंग से काम कर रही थीं।

(ख) मलियारा ओवरहेड लाइन के माध्यम से बरजौरा से जुड़ा हुआ था, जो 5.6.2000 को उक्त अवधि के दौरान खराब हो गई थी।

(ग) मलियारा एक्सचेंज को 7.7.2000 को बरजौरा के साथ विश्वसनीय माध्यम से जोड़ दिया गया है।

इंटरनेट के लिए राष्ट्रीय केन्द्र

4233. श्री एस.डी.एन.आर. चडियार: क्या संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार का देश में इंटरनेट को बढ़ावा देने के लिए नेशनल सैंटर फॉर इंटरनेट एक्सीलैंस स्थापित करने का प्रस्ताव है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या इस प्रयोजनार्थ कृतक बल भी गठित किये जाने का प्रस्ताव है; और

(घ) सरकार द्वारा इंटरनेट को बढ़ावा देने के लिए क्या कदम उठाए जा रहे हैं?

संचार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री तपन सिकदर): (क) और (ख) न्यू मुंबई में राष्ट्रीय साफ्टवेयर प्रौद्योगिकी केन्द्र के विस्तार संबंधी परियोजना की गतिविधि के भाग के रूप में नेटवर्किंग और इंटरनेट में "ए सेन्टर ऑफ एक्सीलैंस" की स्थापना की जा रही है।

(ग) ऐसा कोई प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है।

(घ) देश में इंटरनेट को बढ़ावा देने के लिए सरकार द्वारा उठाये गए कदम संलग्न विवरण में दिए गए हैं।

विवरण

1. राष्ट्रीय इंटरनेट बैकबोन (एनआईबी) डीटीएस, की इंटरनेट परिवात के आवागमन के लिए राष्ट्रीय इंटरनेट बैकबोन स्थापित करने की योजना है। इसका उद्देश्य एक इंटरनैट सेवा प्रदाता के रूप में डीटीएस के लिए पॉइन्ट्स ऑफ प्रेजेन्स स्थापित करने के अतिरिक्त इंटरनेट सेवा प्रदाताओं (आईएसपी) को आसान इंटरनेक्ट पॉइन्ट उपलब्ध कराना है। प्रत्येक सेकेण्डरी स्विच क्षेत्र में कम से कम एक इंटरनेट नोड स्थापित करने का प्रस्ताव है।

2. डीटीएस द्वारा इस समय इंटरनेट एक्सेस के लिए तथा सॉफ्टवेयर निर्यात प्रयोजनों के लिए ली गई लीज्ड लाइनों के वार्षिक किराए पर 20 प्रतिशत रियायत दी जा रही है।

3. मान्यता प्राप्त शैक्षिण संस्थाओं/सरकारी संगठनों/समाचार पत्रों तथा समाचार एजेंसियों को इस समय पोर्ट प्रभारों

पर डीटीएस द्वारा 50 प्रतिशत रियायत दी जा रही है। 100 प्रतिशत निर्यातोन्मुख यूनिटों (जिनका वार्षिक निर्यात पण्यावर्त 1,00,000 अमरीकी डालर से अधिक है)/ सॉफ्टवेयर निर्यातकों को भी वार्षिक पोर्ट प्रभारों पर 20 प्रतिशत रियायत दी जा रही है।

4. इंटरनेट सेवा प्रदान करने के लिए लाइसेंस प्राप्त आईएसपी द्वारा आवश्यक आधे टेलीफोन कनेक्शन डीटीएस द्वारा नॉन-ओवाईटी जनरल श्रेणी में बिना आधार पर दिए जाएं ताकि आईएसपी द्वारा मांग पर उनके डॉयल-अप उपभोक्ता आधार के 1/12वें हिस्से तक इंटरनेट डायल-अप पोर्ट उपलब्ध कराए जा सकें।

5. जम्मू-कश्मीर में करगिल और पुंछ जिला मुख्यालयों को छोड़कर देश के अन्य सभी जिला मुख्यालयों में निकटतम इंटरनेट नोड तक स्थानीय कॉल आधार पर अभिगम्यता उपलब्ध है।

6. डीटीएस द्वारा इंटरनेट पर स्टोर एण्ड फोरवर्ड सर्विसेस (अर्थात् वॉइस, डॉटा, वीडियों इत्यादि) की अनुमति दी गई है, बशर्ते पब्लिक स्विच्ड टेलीफोन नेटवर्क (पीएसटीएन)/इंटीग्रेटेड सर्विस डिजिटल नेटवर्क (आईएसडीएन) लाइनों/ई 1 और 2 संपर्कों के माध्यम से गंतव्य छोर तक "नो डायलिंग आर्डर" हो तथा पीएसटीएन/आईएसडीएन से स्विचिंग के बिना एक इंटरनेट नोड से दूसरे इंटरनेट नोड तक सूचना भेजी जाए।

7. इंटरनेट सेवा प्रदाताओं को सुरक्षा संबंधी अनापत्ति प्राप्त करने के बाद अंतर्राष्ट्रीय गेटवे स्थापित करने की अनुमति दी गई है। इंटरनेट के लिए अंतर्राष्ट्रीय बैंडविड्थ उपलब्ध कराने के लिए उपग्रह माध्यम के प्रयोग के संदर्भ में भारत के ऊपर निर्देशांकित उपग्रहों से बैंडविड्थ प्राप्त करने के लिए इंटरनेट, इंटरनेट सेवा प्रदाताओं को अनुमति दी गई है।

8. सरकार ने आवश्यक अनापत्ति प्राप्त करने के बाद इंटरनेट के लिए अंतर्राष्ट्रीय गेटवे हेतु सबमैरीन केबल लैंडिंग स्टेशन स्थापित करने हेतु इंटरनेट सेवा प्रदाताओं को अनुमति दी है।

9. सरकार ने मार्च, 2001 तक देश के सभी ब्लाक मुख्यालयों में इंटरनेट डाबे खोलने की योजना बनाई है।

पर्यावरण संबंधी जागरूकता

4234. श्री अवतार सिंह भडाना:
श्री जयभद्र सिंह:

क्या **पर्यावरण और वन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने सरकारी अधिकारियों, पर्यावरण स्वयंसेवी तथा नागरिकों को इस संबंध में शिक्षित करने हेतु कोई विशेष कदम उठाए हैं;

(ख) यदि हां, तो क्या इस प्रयोजन हेतु कोई विशेष लघु अवधि के पाठ्यक्रम/संस्थाएं चलाई जाती हैं;

(ग) यदि हां, तो क्या सरकार द्वारा लोगों में विशेषकर छात्रों में पर्यावरण संबंधी जागरूकता पैदा करने हेतु फिल्मों को बनाने के लिए, कॉमिक्स या अन्य सामग्रियों को प्रकाशित करने के लिए कोई प्रोत्साहन दिया जा रहा है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

पर्यावरण और वन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री बाबू लाल मरांडी): (क) जी हां। सरकार नागरिकों और पर्यावरण स्वयंसेवकों को शिक्षित करने के लिए प्रतिवर्ष राष्ट्रीय पर्यावरण जागरूकता अभियान चलाती है। सरकार उत्कृष्ट केन्द्र तंत्र के माध्यम से अन्यों के साथ-साथ सरकारी अधिकारियों को भी पर्यावरण शिक्षा प्रदान करने के लिए पाठ्यक्रम चलाती है।

(ख) उत्कृष्ट केन्द्र के रूप में अभिनिर्धारित पर्यावरण शिक्षा केन्द्र, अहमदाबाद और सी पी आर पर्यावरण शिक्षा केन्द्र, चेन्नई विभिन्न लक्षित दलों को पर्यावरण शिक्षा प्रदान करने के लिए प्रतिवर्ष अल्प अवधि के पाठ्यक्रमों का आयोजन करते हैं।

(ग) और (घ) सरकार जनता में, विशेष रूप से छात्रों में पर्यावरण जागरूकता पैदा करने के लिए उत्कृष्ट केन्द्रों को पर्यावरणीय विषयों पर पुस्तकें, बुकलेट, पोस्टर, पैमफ्लेट्स, शैक्षिक किटें, विडियो फिल्में, आडियो कैसेट्स आदि तैयार करने के लिए वित्तीय सहायता देती है।

समझौता ज्ञापन

4235. श्री वाई.एस. विवेकानन्द रेड्डी: क्या संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या आंध्र प्रदेश सरकार और भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन ने राज्य में शिक्षा, स्वास्थ्य, परिचर्या और ग्रामीण विकास

के क्षेत्र में लोगों के घरों तक सैटेलाइट आधारित संचार प्रणाली को लाने के लिए एक ऐतिहासिक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं;

(ख) यदि हां, तो क्या मध्य प्रदेश, गुजरात, कर्नाटक और उड़ीसा के बाद आंध्र प्रदेश इस क्षेत्र में इनसैट-3बी की सेवाओं का उपयोग करने वाला पांचवां राज्य बन गया है;

(ग) यदि हां, तो इससे शिक्षा, स्वास्थ्य परिचर्या और ग्रामीण विकास के क्षेत्र में राज्य के विकास में किस हद तक सहायता मिलेगी; और

(घ) इस परियोजना पर कब तक कार्य शुरू हो जाने की संभावना है?

संचार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री तपन सिकदर): (क) जी, हां।

(ख) जी, हां।

(ग) दूरस्थ शिक्षा, टेलीमेडिसिन, ई-संचालन, सामुदायिक इंटरनेट केन्द्र इत्यादि के क्षेत्रों में उपग्रह आधारित संचारण के इस्तेमाल को बढ़ावा देने के लिए नेटवर्क का इस्तेमाल किया जाएगा।

(घ) इस परियोजना का प्रारंभिक परीक्षण सितम्बर 2000 तक शुरू किए जाने की संभावना है।

[हिन्दी]

बिहार में दूरसंचार का विकास

4236. श्री राजो सिंह: क्या संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) पिछले तीन वर्षों और चालू वर्ष के दौरान बिहार में दूरसंचार सेवाओं के विकास हेतु कितनी राशि आबंटित की गई;

(ख) क्या इस संबंध में निर्धारित लक्ष्य के अनुरूप टेलीफोन सर्किलों ने कार्य पूरा कर लिया है;

(ग) पिछले तीन वर्षों और चालू वर्ष के दौरान इन उद्देश्यों हेतु व्यय की गई राशि का ब्यौरा क्या है; और

(घ) पिछले तीन वर्षों के दौरान बिहार में विशेषकर शेखपुरा और लखीसराय जिले में एक्सचेंज-वार कितने टेलीफोन कनेक्शन दिए गए?

संचार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री तपन सिकदर): (क) संबंधित वर्षों के दौरान बिहार में दूरसंचार सेवाओं के विकास के लिए आबंटित फंड इस प्रकार थे/हैं:-

1997-98	–	226.67 करोड़ रु.
1998-99	–	335.16 करोड़ रु.
1999-2000	–	385.04 करोड़ रु.
2000-2001	–	715.45 करोड़ रु. (बी.ई.)

(ख) वीपीटी को छोड़कर, देश में सभी पैरामीटरों में तीनों वर्षों में सारे लक्ष्य प्राप्त कर लिए गए हैं। तथापि, बिहार में डीईएल और वीपीटी में आई कमी इस प्रकार थी:-

सर्किल

वर्ष	लक्ष्य		उपलब्धियां	
	डीईएल	वीपीटी	डीईएल	वीपीटी
1997-98	60,000	12,000	66,294	2,615
1998-99	1,31,000	6,00	1,03,128	2,137
1999-2000	1,63,000	8,000	1,25,179	4,602

(ग) देश के सभी सर्किलों में दूरसंचार सेवाओं के विकास पर निम्नलिखित वर्षों में खर्च की गई धनराशि:

1997-98	8646.10 करोड़ रु.
1998-99	9450.34 करोड़ रु.
1999-2000	12510.77 करोड़ रु.
2000-2001	1841.74 करोड़ रु. जून, 2000 तक

(घ) पिछले तीन वर्षों के दौरान बिहार में उपलब्ध कराई गई सीधी एक्सचेंज लाइनें:

(1) वर्ष	उपलब्ध कराई गई सीधी एक्सचेंज लाइनें
1997-98	66,294
1998-99	1,03,128
1999-2000	1,25,179

(2) शेखपुरा और लखीसराय में एक्सचेंज-वार उपलब्ध कराई गई सीधी एक्सचेंज लाइनें:

जिला	एक्सचेंज	1997-98	1998-99	1999-2000
शेखपुरा				
	(1) बरबीघा	11	55	75
	(2) चेवारा	-	-	20
	(3) हथियामा	4	7	18
	(4) मेहस	3	19	4
	(5) शेखपुरा	158	262	223
लखीसराय				
	(1) बारहिया	71	80	32
	(2) घोसेथ	-	97	54
	(3) हलसी	-	-	152
	(4) कैथमा	-	-	5
	(5) कजारा	33	43	-
	(6) लखीसराय	300	298	1261
	(7) मेदिनी चौकी	17	49	4
	(8) रामगढ़	13	64	40
	(9) राम पुर	-	-	102
	(10) शेखोपुर सराय	-	-	5
	(11) सूर्यगरहा	65	51	201
	(12) तेतरहाट	-	-	152

[अनुवाद]

दिल्ली-मुम्बई-दिल्ली के बीच विमान सेवाएं

4237. श्री त्रिलोचन कानूनगो: क्या नागर विमानन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) जून और जुलाई, 2000 के दौरान दिल्ली से मुम्बई और मुम्बई से दिल्ली के बीच प्रतिदिन प्रदान की जाने वाली उड़ानों की संख्या कितनी थी तथा प्रत्येक उड़ान का प्रस्थान समय, विमान का प्रकार क्या था, विमान सेवाएं प्रदान करने वाली कंपनियां कौन-कौन सी थीं, प्रत्येक विमान की प्रत्येक श्रेणी में सीटों की उपलब्धता और प्रत्येक विमान की प्रत्येक श्रेणी में यात्रियों की वास्तविक संख्या कितनी-कितनी थी; और

(ख) मुम्बई से दिल्ली तथा दिल्ली से मुम्बई होते हुए प्रतिदिन आने-जाने वाली कितनी विमान सेवाएं उपलब्ध हैं?

नागर विमानन मंत्री (श्री शरद यादव): (क) और (ख) उपलब्ध आंकड़ों के अनुसार, दिल्ली/मुम्बई और मुम्बई/दिल्ली सेक्टर पर तीनों अनुसूचित एयरलाइनों की उड़ान संख्या, विमान के प्रकार, प्रस्थान/आगमन समय तथा दिनों का ब्यौरा संलग्न विवरण में दिया गया है। जून/जुलाई, 2000 के दौरान उनके उड़ानों की समग्र सीट गुणक निम्नवत है:-

	जून, 2000	जुलाई, 2000
इंडियन एयरलाइंस/एलायंस एयर	67.1	61.4
जेट एयरवेज	74.9	76.4
सहारा एयरलाइंस	44.8	34.7

विवरण

एयरलाइंस

दिल्ली-मुम्बई सेक्टर पर प्रचालनों की अनुसूची

उड़ान संख्या	विमान की किस्म	प्रस्थान समय	आगमन समय	प्रचालन का दिन
1	2	3	4	5
क. दिल्ली-मुम्बई				
इंडियन एयरलाइंस/एलायंस एयर				
आईसी- 865	ए-320	0600*	0755	रोजाना
165	ए-300	0700	0855	रोजाना

1	2	3	4	5
167	ए-320	0800	0955	रोजाना
657	ए-320	0900	1055	रोजाना
887	ए-320	1300	1455	रोजाना
822	ए-320	1700	1855	रोजाना
863	ए-320	1800*	1955	रोजाना
810	ए-320	1900	2055	रोजाना
805	ए-320	2000	2155	रोजाना
सीडी- 7443 जेट एयरवेज	बी-737	2300	0055	शनिवार/रविवार को छोड़कर 5 दिन
9डब्ल्यू- 332	बी-737-800	0650	0845	रोजाना
334	बी-737-700	0800	0955	रोजाना
302	बी-737-800	0935	1130	रोजाना
352	बी-737-800	1400	1555	रोजाना
362	बी-737-800	1725	1920	रोजाना
354	बी-737-800	1935	2130	रोजाना
312	बी-737-800	2030	2225	रोजाना
2306	बी-737-400	2230	0025	रोजाना
सहारा एयरलाइंस				
एस2-505	बी-737	0645	0840	रोजाना (रविवार को छोड़कर)
506	बी-737	0920	1115	रोजाना
507	बी-737	1810	2005	रोजाना
ख. मुम्बई-दिल्ली				
इंडियन एयरलाइंस/एलायंस एयर				
आईसी- 821	ए-320	0600*	0755	रोजाना
806	ए-320	0700	0855	रोजाना
809	ए-320	0800	0955	रोजाना
866	ए-320	0900	1055	रोजाना
658	ए-320	1300	1455	रोजाना

1	2	3	4	5
	166	ए-320	1700	1855	रोजाना
	168	ए-320	1800	1955	रोजाना
	888	ए-320	1900	2055	रोजाना
	864	ए-320	2000*	2155	रोजाना
सीडी-	7444	बी-737	2300	0055	शनिवार/रविवार को छोड़कर 5 दिन
जेट एयरवेज					
9डब्ल्यू-	301	बी-737-800	0700	0855	रोजाना
	333	बी-737-700	0805	1000	रोजाना
	331	बी-737-800	0925	1120	रोजाना
	351	बी-737-800	1345	1540	शुक्रवार
	351	बी-737-800	1410	1605	रोजाना (शुक्रवार को छोड़कर)
	353	बी-737-800	1700	1855	रोजाना
	311	बी-737-800	1750	1945	रोजाना
	361	बी-737-800	2010	2205	रोजाना
	2305	बी-737-400	2330	0025	रोजाना
सहारा एयरलाइंस					
	एस2-911	बी-737	0645	0840	रोजाना (रविवार को छोड़कर)
	912	बी-737	0920	1115	रोजाना
	913	बी-737	2035	2230	रोजना

विमान की सीट क्षमता

विमान की किस्म	क्लब क्लास	इकोनोमी क्लास	कुल
1	2	3	4
इंडियन एयरलाइंस			
ए-320	20	125	145
ए-300	33	215	248

1	2	3	4
बी-737	–	119	119
जेट एयरवेज			
बी-737-400	24	112	136
बी-737-700	20	102	122
बी-737-800	28	126	154
सहारा एयरलाइंस			
बी-737-200	8	101	109
बी-737-400	24	112	136
बी-737-700	12	126	138
बी-737-800	12	156	168

*वर्तमान में वापस ले लिया गया है।

[हिन्दी]

भारतीय टेलीफोन उद्योग को घाटा

4238. डा. जसवंत सिंह यादव: क्या संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या "मोबाइल रेडियो ट्रंक सर्विस" के कारण भारतीय टेलीफोन उद्योग को करीब साढ़े छः करोड़ रुपये का घाटा हुआ है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसके क्या कारण हैं;

(ग) क्या उक्त सेवा को आरम्भ करने से पहले कोई सर्वेक्षण कराया गया था; और

(घ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

संचार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री तपन सिकदर): (क) जी, नहीं।

(ख) उपरोक्त भाग (क) के उत्तर को देखते हुए प्रश्न नहीं उठता।

(ग) और (घ) कोई पृथक रूप से सर्वेक्षण नहीं किया गया, चूंकि दूरसंचार विभाग ने इस प्रकार की सेवाओं की मांग के आकलन के पश्चात् देश में मोबाइल रेडियो ट्रंक सेवा आरम्भ करने का निर्णय लिया है।

तार सेवा

4239. श्री जय प्रकाश: क्या संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार का विचार देश में तार सेवा की पुनरीक्षा करने का है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या उक्त सेवा का आधुनिकीकरण करने की कोई योजना है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

संचार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री तपन सिकदर): (क) और (ख) इस समय देश में तार सेवाओं की पुनरीक्षा का कोई प्रस्ताव नहीं है।

(ग) तार सेवाओं का माइक्रोप्रोसेसर आधारित इलेक्ट्रॉनिक स्विच जैस स्टोर एंड फॉरवर्ड स्विचिंग सिस्टम (एसएफएमएसएस),

फॉरमेटेड टर्मिनल कंसन्ट्रेटर्स (एफटीसी) तथा इलेक्ट्रॉनिक की-बोर्ड कंसन्ट्रेटर्स (ईकेबीसी) का प्रयोग शुरू करके आधुनिकीकरण किया जा चुका है।

(घ) ब्यौरा संलग्न विवरण में दिया गया है।

(ङ) उपर्युक्त भाग (घ) के उत्तर को देखते हुए प्रश्न नहीं उठता।

विवरण

देश में उपलब्ध कराई गई माइक्रोप्रोसेसर आधारित प्रणालियों का ब्यौरा

1.	स्टोर फॉरवर्ड मैसेज स्विचिंग सिस्टम 128 लाइनें (एसएफएमएसएस 128 लाइन)	– 10
2.	स्टोर एंड फॉरवर्ड मैसेज स्विचिंग सिस्टम 64 लाइनें (एसएफएमएसएस 64 लाइन)	– 13
3.	स्टोर एंड फॉरवर्ड मैसेज स्विचिंग सिस्टम 32 लाइनें (एसएफएमएसएस 32 लाइन)	– 30
4.	फॉरमेटेड टर्मिनल कंसन्ट्रेटर्स (एफटीसीएस)	– 31
5.	इलेक्ट्रॉनिक की-बोर्ड कंसन्ट्रेटर्स (इकेबीसीएस)	– 397
6.	ब्यूरो फैक्स सेन्टर्स (फैक्स मशीनें)	– 1398

[अनुवाद]

रुद्रप्रयाग में टेलीफोन सुविधा

4240. श्री ए. नरेन्द्र: क्या संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या उत्तर प्रदेश के पहाड़ी क्षेत्रों विशेषकर रुद्रप्रयाग जिले में दूरसंचार सेवा खराब है;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं और सरकार द्वारा क्या कार्रवाई की गई;

(ग) रुद्रप्रयाग जिले में बिना टेलीफोन सुविधा के कितनी ग्राम पंचायतें हैं;

(घ) क्या सरकार का विचार उक्त जिले की सभी ग्राम पंचायतों और रातुरा गांव में उक्त सुविधा प्रदान करने का है;

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और उक्त सुविधा कब तक प्रदान कर दिए जाने की संभावना है; और

(च) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

संचार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री तपन सिकदर): (क) उत्तर प्रदेश के पहाड़ी क्षेत्रों विशेषकर रुद्रप्रयाग में दूरसंचार सेवाएं संतोषजनक हैं। तथापि, खराब मौसम हो जाने के कारण सेवाओं में कभी-कभी व्यवधान आ जाता है।

(ख) व्यवधान के कारण नीचे दिए गए हैं:

1. भारी वर्षा से भू-स्खलन के कारण
2. वृक्षों के गिरने तथा ओवर हैड पारेषण के टूट जाने से
3. खम्भों के गिरने के कारण
4. सड़क अवरुद्ध होने के कारण पहुंचने में कठिनाई के कारण मरम्मत में विलम्ब
5. जनशक्ति की कमी।

उपर्युक्त कारणों के बावजूद, सेवाओं को चालू करने के लिए विभाग द्वारा हर सम्भव प्रयास किए जाते हैं।

(ग) इस समय, रूद्रप्रयाग जिले में 208 ग्राम पंचायतें टेलीफोन सुविधा रहित हैं।

(घ) जी, हां।

(ङ) रातुरा ग्राम में दूरसंचार सुविधा प्रदान कर दी गई है। इस ग्राम में एक पीसीओ कार्य कर रहा है जिसका नं. 39216 है। वर्ष 2002 तक सभी ग्रामों में टेलीफोन प्रदान करने की योजना बना ली गई है।

(च) उपरोक्त भाग (क) के उत्तर को देखते हुए प्रश्न नहीं उठता।

[हिन्दी]

आयुर्वेद योजनाओं के लिए धन का आवंटन

4241. श्री रामशेठ ठाकुर: क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या आयुर्वेद विभाग एक ओर धन के अभाव में अपनी योजनाओं को लागू नहीं कर रहा है, वहीं दूसरी ओर इसके लिए आबंटित धनराशि में से लगभग 35 लाख रुपये की राशि का व्यपगमन हो गया है;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार ने इस संबंध में कोई जांच कराई है;

(ग) यदि हां, तो इस जांच के क्या निष्कर्ष निकले हैं; और

(घ) यदि नहीं, तो इस संबंध में सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (प्रो. रीता वर्मा): (क) वर्ष 1999-2000 के बजट आवंटन को पूर्ण रूप से उपयोग में नहीं लाया जा सका क्योंकि वर्ष के लिए प्रस्तावित कुछ योजनाओं को अनुमोदित नहीं किया जा सका।

(ख) यह आवश्यक नहीं समझा गया है।

(ग) प्रश्न नहीं उठता।

(घ) प्रश्न नहीं उठता।

[अनुवाद]

प्रमुख पत्तनों का वित्तीय निष्पादन

4242. श्री सुबोध मोहिते: क्या जल-भूतल परिवहन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने प्रमुख पत्तनों के वित्तीय निष्पादन का मूल्यांकन किया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या गत तीन वर्षों के दौरान कुल आय-व्यय अनुपात सबसे निचले स्तर पर आ गया था;

(घ) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं; और

(ङ) पत्तनों की आय में वृद्धि हेतु सरकार ने क्या उपाय किए हैं?

जल-भूतल परिवहन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री हुकमदेव नारायण यादव): (क) से (ङ) पत्तन न्यासों के संपरीक्षित लेखों के आधार पर वर्ष 1996-97 से 1998-99 के लिए पत्तनवार कुल आय, कुल व्यय और कुल अनुपात विवरण के रूप में संलग्न है।

संलग्न विवरण से यह स्पष्ट है कि सात महापत्तन न्यासों की कुल आय और कुल व्यय के अनुपात में कमी आई है क्योंकि उनका व्यय लगातार बढ़ रहा है। व्यय में वृद्धि का कारण वेतन और मजदूरी, ईंधन लागत और अन्य निवेश लागतों में हुई बढ़ोत्तरी है। आय में आनुपातिक रूप से वृद्धि नहीं हुई है जिसका प्रमुख कारण बहुत से मामलों में टैरिफ में संशोधन न किया जाना है। पत्तन न्यासों की प्रबंध समितियों को परिहार्य व्यय समाप्त करने, प्रचालनात्मक कार्यकुशलता बढ़ाने तथा जहां कहीं भी लागू हो, टैरिफ संशोधित करने की सलाह दी गई है।

विवरण

(मिलियन रु. में)

पत्तन का नाम	कुल आय			कुल व्यय			कुल अनुपात		
	96-97	97-98	98-99	96-97	97-98	98-99	96-97	97-98	98-99
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
कलकत्ता	5931.5	7408.1	6832.2	4498.9	5673.4	5704.0	1.32	1.31	1.20
चेन्नई	3837.8	4167.6	4392.8	2139.2	2440.0	2683.4	1.79	1.71	1.64
कोचीन	1586.6	1774.8	1956.0	1360.2	1503.1	1643.5	1.17	1.18	1.19
जवाहरलाल नेहरू	3175.0	4173.2	4822.7	1749.7	2125.6	2468.4	1.81	1.96	1.95

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
कांडला	2549.6	2881.3	3449.2	921.7	979.3	987.3	2.77	2.94	3.49
मुरगांव	1105.5	1331.7	1484.9	891.2	1029.7	1257.5	1.07	1.29	1.18
मुंबई	6885.2	6852.0	6863.2	4966.0	5116.0	5786.8	1.39	1.34	1.19
नव मंगलूर	1342.2	1785.2	1692.3	927.5	1093.8	1300.9	1.45	1.63	1.30
पारादीप	1797.3	1890.3	1925.1	1329.3	1383.2	1444.5	1.35	1.37	1.33
टूटीकोरिन	670.9	864.9	959.3	406.3	502.5	595.6	1.65	1.72	1.61
विशाखापत्तनम	2834.9	2944.2	2930.7	2095.1	2193.6	2242.4	1.35	1.34	1.31

[हिन्दी]

डाक, तार और दूरसंचार की असंतोषजनक गुणवत्ता

4243. श्री हरिभाई चौधरी: क्या संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार को गुजरात में डाक, तार और दूरसंचार क्षेत्र द्वारा उपलब्ध कराई जा रही आवश्यक सेवाओं की असंतोषजनक गुणवत्ता की जानकारी है;

(ख) क्या वहां इन सेवाओं की गुणवत्ता में सुधार की आवश्यकता है; और

(ग) यदि हां, तो सरकार द्वारा इस संबंध में क्या कदम उठाए गए हैं?

संचार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री तपन सिकदर): (क)

डाक सेवाएं:

गुजरात डाक सर्किल में अनिवार्य सेवाओं की गुणवत्ता सामान्य तौर पर संतोषजनक है। तथापि, जब कभी किन्हीं विशेष डाक-सेवाओं के संबंध में शिकायतें प्राप्त होती हैं तो उनकी तत्काल जांच की जाती है और उनका शीघ्र निवारण सुनिश्चित किया जाता है।

टेलीग्राफ सेवाएं:

जी नहीं, गुजरात में दिन के 12 घंटों के अंदर वितरित होने वाले टेलीग्रामों के प्रतिशत के आधार पर टेलीग्राफ सेवाओं की गुणवत्ता पर्याप्त संतोषजनक पाई जाती है। पिछले पांच वर्षों के दौरान निर्धारित लक्ष्यों और उपलब्धियों का ब्यौरा नीचे दिया गया है:

वर्ष	लक्ष्य	उपलब्धियां
1995-96	93%	96.3%
1996-97	95%	97.2%
1997-98	98%	97.7%
1998-99	98%	97.5%
1999-2000	98%	97.6%

दूरसंचार सेवाएं:

महोदय, दूरसंचार सेवाओं का गुजरात में कार्य निष्पादन पर्याप्त संतोषजनक है।

(ख) और (ग)

डाक सेवाएं:

डाक सेवाओं की गुणवत्ता में सुधार लाना एक अनवरत प्रक्रिया है। गुजरात सर्किल में इस संबंध में निम्नलिखित कदम उठाए गए हैं:-

(1) डाक के वितरण को फील्ड और मुख्यालय, दोनों स्तरों पर ध्यानपूर्वक मानीटर किया जाता है और जहां कहीं कोई कमियां पता चलती हैं, उन्हें दूर करने के लिए आवश्यक सुधारात्मक कदम उठाए जाते हैं।

(2) मेल कार्यालयों में डाक संचालन को आधुनिकीकृत किया जा रहा है। अब तक, गुजरात में 10 मेल कार्यालयों और दो कार्यालयों में पंजीकरण कार्य का कम्प्यूटरीकरण किया जा चुका है।

(3) 1.6.1999 से अहमदाबाद शहर में डाक के और अधिक कुशल वितरण के लिए 15 मोपेड की आपूर्ति की जा चुकी है।

(4) वर्ष 1999-2000 के दौरान दो नए विभागीय उप डाकघरों, 28 नए अतिरिक्त विभागीय शाखा डाकघरों, 75 नए पंचायत संचार सेवा केन्द्रों और एक अतिरिक्त ट्रांजिट सेक्शन के माध्यम से डाक नेटवर्क का विस्तार और सेवाओं में सुधार सुनिश्चित किया गया है। काउंटर सेवाओं के आधुनिकीकरण के लिए 104 बहुउद्देशीय काउंटर मशीनें उपलब्ध कराई गई हैं। सेवाओं में सुधार के लिए तीन नए ग्राहक सुविधा केन्द्र और 49 विस्तारित उपग्रह मनीआर्डर कांउटरों सहित 4 उच्च गति वाले वेरी स्माल अपर्चर टर्मिनल स्टेशन (वीएसएटी) स्थापित किए जा चुके हैं।

(5) जन शिकायतों के शीघ्र निपटारे के लिए प्रभावपूर्ण अभियान शुरू किए गए।

टेलीग्राफ सेवाएं:

गुजरात में माइक्रो-प्रोसेसर आधारित इलेक्ट्रानिक मैसेज स्विचेज जैसे स्टोर एवं फॉरवर्ड मैसेज स्विचिंग सिस्टम (एसएफएमएसएस) तथा इलेक्ट्रानिक की-बोर्ड कनसंट्रेटर (ईकेबीसी) के समावेश द्वारा टेलीग्राफ सेवाओं को आधुनिकीकृत किया गया है। टेलीग्रामों के शीघ्र पारेषण के लिए टेलीग्राफ कार्यालयों को एक-दूसरे से जोड़ने और नेटवर्किंग के लिए 2 एसएफएमएसएस, 4 सोलह लाइन वाले कनसंट्रेटर्स और 18 इलेक्ट्रानिक की-बोर्ड कनसंट्रेटर्स उपलब्ध कराए गए हैं। इसके साथ ही टेलीग्रामों के शीघ्र वितरण के लिए टेलीग्राफ संदेशवाहकों को दी जाने वाली प्रोत्साहन राशि की दर को भी बढ़ा दिया गया है। इसके अतिरिक्त सेवा की गुणवत्ता में सुधार लाना एक निरंतर प्रक्रिया है और इसके लिए लगातार प्रयास किए जाते हैं।

दूरसंचार सेवाएं:

दूरसंचार सेवाओं में सुधार लाना एक अनवरत प्रक्रिया है। इस संबंध में निम्नलिखित कदम उठाए गए हैं:

(1) चालू वित्तीय वर्ष में अधिकांश एक्सचेंजों में विश्वसनीय पारेषण माध्यम की व्यवस्था करना।

(2) बड़े शहरों में लोकल लूप में वायरलैस की शुरुआत की गई है।

(3) शिकायतों को शीघ्र दूर करने के लिए लाइनमैन को पेजर दिए गए हैं।

(4) लाइन स्टाफ को व्यवहारगत प्रशिक्षण दिया जाता है।

[अनुवाद]

ताम्रपर्णी नदी पर बने पुल की स्थिति

4244. श्री पोन राधाकृष्णन: क्या जल-भूतल परिवहन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या राष्ट्रीय राजमार्ग-47 पर ताम्रपर्णी नदी पर बने पुल की स्थिति अत्यधिक जीर्णशीर्ण हो चुकी है और इस पुल की मियाद पूरी हो चुकी है; और

(ख) यदि हां, तो सरकार द्वारा उक्त पुल के पुनर्निर्माण अथवा नवीकरण हेतु क्या कदम उठाए गए हैं?

जल-भूतल परिवहन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री हुकमदेव नारायण यादव): (क) और (ख) जी नहीं। फिर भी, चूंकि विद्यमान पुल पुराना है, अत: बी ओ टी (निर्माण, प्रचालन एवं हस्तांतरण) स्कीम के अंतर्गत इसके पुनर्निर्माण का प्रस्ताव है।

[हिन्दी]

भारतीय पत्तन न्यास अधिनियम में संशोधन

4245. श्री सुरेश चन्देल: क्या जल-भूतल परिवहन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या देश के प्रमुख पत्तनों के चहुंमुखी विकास हेतु विदेशी पूंजी लाने के लिए भारतीय पत्तन न्यास अधिनियम में आवश्यक संशोधन किए गए हैं;

(ख) यदि हां, तो अधिनियम में किए गए संशोधनों की मुख्य बातें क्या हैं;

(ग) क्या ये लागू कर दिए गए हैं;

(घ) यदि हां, तो ये किस तारीख से प्रभावी हुए हैं; और

(ङ) यदि नहीं, तो विलम्ब के क्या कारण हैं?

जल-भूतल परिवहन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री हुकमदेव नारायण यादव): (क) जी नहीं।

(ख) से (ङ) प्रश्न नहीं उठता।

[अनुवाद]

कन्नूर "एस एस ए" का विभाजन

4246. श्री टी. गोविन्दन: क्या संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार को कन्नूर "एस एस ए" के नियंत्रणाधीन 47 एक्सचेंजों के ग्राहकों से 100 कि.मी. की दूरी पर स्थित होने के कारण उक्त "एस एस ए" को विभाजित करने हेतु कोई अनुरोध प्राप्त हुआ है;

(ख) यदि हां, तो इस संबंध में सरकार ने क्या कार्रवाई की है; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

संचार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री तपन सिकदर): (क) जी, हां।

(ख) और (ग) प्रत्येक सैकण्डरी स्विचन क्षेत्र (एसएसए) प्रशासन, प्रभारण, रूटिंग तथा नंबरिंग योजना के प्रयोजन के लिए दूरसंचार सर्किलों के ऑपरेशन की बुनियादी इकाई है। मौजूदा नीति के अनुसार प्रशासनिक और प्रचालनात्मक कारणों से एस.एस.ए. का द्विभाजन नहीं किया जाता है।

गैर-सरकारी संगठनों का पंजीकरण

4247. श्री पी. मोहन: क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) पिछले तीन वर्षों के दौरान प्रतिवर्ष और आज की तारीख तक जिन गैर-सरकारी संगठनों ने पंजीकरण के लिए आवेदन किया, उनका ब्यौरा क्या है; और

(ख) जिन गैर-सरकारी संगठनों का पंजीकरण किया गया, उनका ब्यौरा क्या है?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (प्रो. रीता वर्मा): (क) इस मंत्रालय का भारतीय चिकित्सा पद्धति और होमियोपैथी विभाग भारतीय चिकित्सा पद्धति और होमियोपैथी के क्षेत्र में अनुसंधान और विकास करने के उद्देश्य से संगठन प्रत्यायन योजना कार्यान्वित करता आ रहा है। इस योजना के तहत विगत तीन वर्षों के दौरान पंजीयन के लिए आवेदन कर चुके गैर-सरकारी संगठनों (एन जी ओ) का अद्यतन ब्यौरा विवरण-I के रूप में दिया गया है।

(ख) विवरण-II संलग्न है।

विवरण-1

1998-99 के दौरान प्राप्त आवेदन-पत्र

क्रम सं.	संगठन का नाम
1	2
1.	तिलक महाराष्ट्र विद्यापीठ, पुणे।
2.	श्री चन्द्रशेखरेन्द्र सरस्वती विश्व महाविद्यालय, नजरथपेट, तमिलनाडु।
3.	डा. एम. एल. धावले मेमोरियल ट्रस्ट, मुम्बई।
4.	लामडिंग चेरापुर होमियोपैथिक एंड यूनानी एसोशिएशन, मणिपुर।
5.	भारतीय विद्या भवन स्वामी प्रकाशनन्द आयुर्वेद रिसर्च सेन्टर (एसपीएआरसी), मुम्बई।
6.	रूरल हेल्थ आरगेनाइजेशन, इम्फाल।
7.	पंडित जवाहर लाल नेहरू मेमोरियल इंस्टीट्यूट आफ होमियोपैथिक मेडिकल साइंसेज, अमरावती।
8.	विद्या चन्द्र प्रकाश केंसर रिसर्च फाउंडेशन, देहरादून।
9.	द योगा एंड नेचर क्योर होम, इम्फाल इस्ट, मणिपुर।
10.	आनन्द सिंह योगा एंड नेचर केयर रिसर्च हास्पिटल, काकचिंग, मणिपुर।
11.	मणिपुर खोन खुट सिंगली थुप्पा यंगबा मरूप, इम्फाल, मणिपुर।
12.	रामजिनी रिसर्च इंस्टीट्यूट आफ अक्यूपेशनल हेल्थ सर्विस, पुणे।
13.	इंडियन ड्रग्स रिसर्च एसोशिएशन, पुणे।
14.	स्वामी दयानन्द शिक्षा सदन योगा आयुर्विज्ञान संस्थान, फतेहगढ़ (उ. प्र.)

1	2
15.	निसारग्रोप्वर ग्राम सुधार ट्रस्ट, पुणे।
16.	योग विद्या निकेतन, मुम्बई।
17.	बापू नेचर क्योर हास्पिटल एंड योगाश्रम, पटपडगंज, दिल्ली।
18.	चारिक परेंग चाइल्ड वेलफेयर एसोशिएशन, मणिपुर।
19.	योगसाधन आश्रम, अहमदाबाद।
20.	लोकमान्य मेडिकल रिसर्च सेन्टर, पुणे।
21.	अस्टांग आयुर्वेद महाविद्यालय, पुणे।
22.	गोपाबाबधू आयुर्वेद महाविद्यालय, पुरी।
23.	कुन्नेथ इंस्टीट्यूट आफ मेडिकल साइंसेज ट्रस्ट, तमिलनाडु।
24.	एसोसिएशन ऑफ होलिस्टिक मेडिसिन्स, इन्दौर।
25.	योग साधन आश्रम, जयपुर।
26.	सेंटर आफ गंगा एजूकेशन सोसाइटी आयुर्वेदिक मेडिकल कालेज, कोल्हापुर।
27.	वसंत नेचर क्योर हास्पिटल एंड प्रतिभा मैटर्निटी हास्पिटल ट्रस्ट, अहमदाबाद।
	1999-2000 के दौरान प्राप्त आवेदन-पत्र
28.	नार्थ इस्टर्न ट्राइबल फाउंडेशन मैट्रो आयुर्वेदिक सेन्टर, अरुणाचल प्रदेश।
29.	लोनावाला योगा इंस्टीट्यूट फार रिसर्च फाउंडेशन एंड थिरेपी, लोनावाला।
30.	फैकल्टी आफ मेडिसिन (यूनानी), जामिया हमदर्द, दिल्ली।
31.	विवेकानंद केन्द्र योगा रिसर्च फाउंडेशन, बंगलौर।
32.	भगवान शिक्षण प्रसारक मंडल भवन होम्योपैथिक मेडिकल कालेज, औरंगाबाद।
33.	भगवान शिक्षण प्रसारक मंडल भवन कालेज आफ फार्मेसी, औरंगाबाद।
34.	कैवल्यधाम इश्वरदास चुन्नीलाल योगिक हैल्थ सेन्टर, मुम्बई।
35.	श्री अरविन्दो सोसायटी, पांडिचेरी।
36.	सुश्रुत मेडिकल केयर एंड रिसर्च सोसायटी, पुणे।
37.	उत्तान वनौषिधी सम्शोधन समस्था (उत्तान वनस्पति संशोधन संस्था), उत्तान (जिला थाणे)।
38.	सोसायटी फार स्पेसिफाइड एण्ड हाइटेक प्रोमोशन, भोपाल।
39.	आयुर्वेद ग्राम-उद्योग शोध संस्थान, जोधपुर।
40.	कविराज अनन्त त्रिपाठी शर्मा, आयुर्वेदिक कालेज, गंजम (उड़ीसा)।
41.	अंजुमन-आई-इसलामस तिब्बिया कालेज और अस्पताल, मुम्बई।
42.	श्री सी.बी. पटेल रिसर्च सेन्टर फार कैमिस्ट्री एंड बायलोजिकल साइन्स, मुम्बई।
43.	जे आर डी टाटा फाउंडेशन फार रिसर्च इन आयुर्वेदा एंड योगा साइन्स, आरोग्यधाम, दीनदयाल रिसर्च इंस्टीट्यूट, चित्रकूट, जिला-सतना, मध्य प्रदेश।
	2000-2001 (17.8.2000 तक) के दौरान प्राप्त आवेदन-पत्र
44.	कृष्णामाचार्य योगा मंदिरम, चैन्नई।
45.	डालमिया सेन्टर फार रिसर्च एंड डवलपमेंट, कोयमबटुर।
46.	संजीवनी वैलफेयर एंड केयर सोसायटी, इलाहाबाद।
47.	श्री वेद भारथी, हैदराबाद।
48.	चन्द्र कालेज फार योगा एंड नैचुरोपैथी एंड कृष्णा दत्त हैल्थ सैन्टर, चन्द्रावती चौधरी स्मारक ट्रस्ट, ईस्ट आफ कैलाश, नई दिल्ली।
49.	डिपार्टमेंट आफ मेडिकल एलिमेंटोलोजी एंड टोक्सीकोलोजी, फैकल्टी आफ साइन्स, हमदर्द यूनिवर्सिटी, नई दिल्ली।

विवरण-2

भारतीय चिकित्सा पद्धति और होमियोपैथी पर अनुसंधान और विकास करने के लिए स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय से प्रत्यायित गैर सरकारी संगठनों की सूची

क्रम सं.	संगठन का नाम
1	2
1.	तिलक महाराष्ट्र विद्यापीठ, पुणे।
2.	विद्या चन्द्रा प्रकाश कैंसर रिसर्च फाउंडेशन, देहरादून।

1	2
3.	रामजिनी रिसर्च इंस्टीट्यूट आफ आक्यूपेशनल हैल्थ सर्विस, पुणे।
4.	भारतीय विद्या भवन स्वामी प्रकाशनंदा आयुर्वेदा रिसर्च सेन्टर (एस पी ए आर सी), मुम्बई।
5.	आनन्दसिंह योगा एंड नैचर केयर रिसर्च हास्पिटल, काकचिंग, मणिपुर।
6.	लोकमान्य मेडिकल रिसर्च सेन्टर, पुणे।
7.	पंडित जवाहरलाल नेहरू मेमोरियल इंस्टीट्यूट आफ होम्योपैथिक मेडिकल साइन्सेज, अमरावती।
8.	श्री अरबिन्दो सोसायटी, पांडिचेरी।
9.	विवेकानंद केन्द्र योग रिसर्च फाउंडेशन, बंगलौर।
10.	फैकल्टी आफ मेडिसिन (यूनानी), जामिया हमदर्द, दिल्ली।
11.	बापू नेचर केयर हास्पिटल एंड योगाश्रम, पटपड़गंज, दिल्ली।
12.	सुश्रुत मेडिकल केयर एंड रिसर्च सोसायटी, पुणे।

[हिन्दी]

एयर इंडिया की उड़ान दुर्घटनाओं को टालने के लिए योजना

4248. श्री भालचन्द्र यादव: क्या नागर विमानन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार एयर इंडिया की उड़ान दुर्घटनाओं को टालने के लिए कोई योजना बना रही है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) इस तरह की दुर्घटनाओं के क्या कारण हैं?

नागर विमानन मंत्री (श्री शरद यादव): (क) से (ग) गत दिनों में एयर इंडिया के उड़ानों की कोई घटना नहीं हुई है। तथापि, एअर इंडिया के सुरक्षा विभाग ने विभिन्न दुर्घटना/घटना बचाव कार्यक्रम आरंभ किये हैं, जैसे:-

(1) विभिन्न सुरक्षा के पहलुओं तथा सुधारात्मक प्रक्रिया पर विचार करने के लिए सुरक्षा प्रोन्नति बैठकें की जाती है; (2) स्थायी जांच बोर्ड विभिन्न घटनाओं/दुर्घटनाओं की जांच करता है तथा उपयुक्त प्रशिक्षण/सुधारात्मक उपायों की सिफारिश करता है; (3) कॉकपिट वॉयस रिकार्डर की मॉनिटरिंग की जाती है; (4) उड़ान प्रचालन की गुणवत्ता में वृद्धि करने के लिए डिजिटल उड़ान डाटा रिकार्डर की मॉनिटरिंग की जाती है; (5) एअर इंडिया के सभी स्टेशनों की आवधिक सुरक्षा लेखा-परीक्षा; (6) नागर विमानन महानिदेशालय द्वारा एअर इंडिया के प्रचालन विभाग की आवधिक सुरक्षा लेखा-परीक्षा की जाती है।

इसके अतिरिक्त, पायलटों को मानवीय तथ्यों, कर्मीदल संसाधन प्रबंधन, ट्रैफिक एलर्ट एण्ड कोलिजन एवॉयडेंस सिस्टम प्रशिक्षण तथा खतरनाक सामग्री प्रशिक्षण इत्यादि के क्षेत्र में विशेष प्रशिक्षण दिया जाता है। अपने कैशल तथा ज्ञान को अद्यतन बनाए रखने के लिए वे आवधिक रूप से पुनश्चर्या पाठ्यक्रम/प्रशिक्षण भी लेते हैं।

हैंगर आवंटित करने के लिए मानदंड

4249. प्रो. रासा सिंह रावत: क्या नागर विमानन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) निजी एयरलाइनों के विमानों के लिए हैंगर और भूमि के आबंटन हेतु भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण द्वारा क्या मानदंड अपनाए जाते हैं;

(ख) किन-किन कंपनियों को और साथ ही किन-किन शर्तों पर ये सुविधाएं दी गई हैं तथा कितने विमानों को ये सुविधाएं प्रदान की गई हैं;

(ग) इससे भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण की आमदनी में कहां तक वृद्धि होगी;

(घ) हवाई अड्डों के रख-रखाव और इनके विस्तार तथा यात्रियों को सुविधाएं देने के संबंध में भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण की क्या योजनाएं हैं; और

(ङ) राजस्थान में विमान यातायात के विस्तार हेतु किन मार्गों पर किन निजी कम्पनियों को अपनी सेवाएं शुरू करने के लिए अनुमति प्रदान की गई है?

नागर विमानन मंत्री (श्री शरद यादव): (क) से (ङ) सूचना एकत्र की जा रही है और वह सदन के पटल पर रख दी जाएगी।

[अनुवाद]

आराम बाग क्षेत्र में टेलीफोन के खम्बे

4250. श्रीमती सुशीला सरोज: क्या संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि आराम बाग में लगाए गए और ईदगाह टेलीफोन केन्द्र के तहत आने वाले टेलीफोन के कुछ खम्बे खराब हालत में हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) टेलीफोन के इन खम्बों को बदलने के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाए जाने का प्रस्ताव है;

(घ) क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि इन दयनीय खम्बों से जुड़े अधिकतर टेलीफोन कनेक्शन महीनों तक खराब रहते हैं और उक्त खम्बों से प्रयोक्ता को दिए गए केबलों की भी यही स्थिति है; और

(ङ) आराम बाग क्षेत्र में प्रयोक्ता की शिकायतें दूर करने के लिए सरकार का विचार क्या कदम उठाने का है?

संचार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री तपन सिकदर): (क) और (ख) आराम बाग क्षेत्र के कुछ पॉकिटों के कई खंबे बहुत अच्छी हालत में नहीं हैं तथा एक खंबे पर लगभग 2-4 डी पी लगे हुए हैं। उस क्षेत्र में टेलीफोन के उच्च घनत्व के कारण ऐसा है।

(ग) बाहरी संयंत्र की पुनर्स्थापना की योजना पहले से बनी हुई है। भविष्य में केवल वालनुमा डी पी तथा उपभोक्ता परिसरों के निकटवर्ती मौजूदा सार डी पी को क्रमिक रूप से उखाड़ कर उनकी जगह दीवारनुमा डी पी लगाने का विचार है।

(घ) कुछ टेलीफोन केबलों में बारिश का अत्यधिक पानी भर जाने से केबल खराब होने के कारण कुछ दिनों के लिए खराब हो गए थे। तथापि, केबलों की मरम्मत और सेवाएं सामान्य करने के लिए शीघ्रता से कार्रवाई की गई थी।

(ङ) क्षेत्र में दर्ज सभी शिकायतें दूर करने के लिए शीघ्रता से कार्रवाई की जा रही है।

[हिन्दी]

राष्ट्रीय राजमार्गों को चौड़ा करना तथा उनका विकास

4251. श्री माणिकराव होडल्या गावित: क्या जल-भूतल परिवहन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या केन्द्र सरकार देश के विशेषकर महाराष्ट्र और आंध्र प्रदेश के राष्ट्रीय राजमार्गों को चौड़ा करने तथा विकास करने हेतु किसी योजना पर विचार कर रही है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी राज्य-वार ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या केन्द्र सरकार को राज्य सरकारों से कोई प्रस्ताव प्राप्त हुआ है; और

(घ) यदि हां, तो सरकार द्वारा क्या कार्यवाही की जा रही है और इस संबंध में कितनी धनराशि आबंटित की जा रही है?

जल-भूतल परिवहन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री हुकमदेव नारायण यादव): (क) जी हां।

(ख) आंध्र प्रदेश और महाराष्ट्र के संबंध में ब्यौरे दर्शाने वाला एक विवरण संलग्न है।

(ग) जी हां।

(घ) राज्य सरकारों से प्राप्त प्रस्तावों को वर्ष 2000-2001 के लिए मंत्रालय की वार्षिक योजना में शामिल कर लिया गया है। वार्षिक योजना में शामिल कार्यों के लिए प्राक्कलन राज्य सरकार द्वारा विस्तृत प्राक्कलन प्रस्तुत करने के बाद संस्वीकृत किए जाते हैं।

वर्ष 2000-2001 में राष्ट्रीय राजमार्गों के विकास और अनुरक्षण के लिए आंध्र प्रदेश और महाराष्ट्र को आबंटित की गई धनराशि इस प्रकार है:-

(राशि करोड़ रु. में)

राज्य	रा.रा. (ओ.)	ई ए पी	अनुरक्षण एवं मरम्मत
आंध्र प्रदेश	91.00	0.50	30.30
महाराष्ट्र	118.00	72.50	35.15

विवरण

आंध्र प्रदेश और महाराष्ट्र में प्रस्तावित विकास/चौड़ा करने के कार्य

(क) राज्य लोक निर्माण विभागों द्वारा:

क्रम सं.	कार्य का नाम	लम्बाई (कि.मी.)
आंध्र प्रदेश		
1.	चार लेन बनाने और मिसिंग लिंक के लिए साध्यता अध्ययन	329.40
2.	दो लेन में चौड़ा करना	55.00
3.	सड़कों की वाहन चालन गुणता में सुधार	189.40
4.	पुलों का निर्माण/पुनर्निर्माण	संख्या में 13
महाराष्ट्र		
1.	चार लेन बनाने के लिए साध्यता अध्ययन	592.00
2.	दो लेन में चौड़ा करना	45.00
3.	सड़कों की वाहन चालन गुणता में सुधार	185.00
4.	पुलों का निर्माण/पुनर्निर्माण	संख्या में 18

(ख) भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण द्वारा:

स्वर्णिम चतुर्भुज पर आंध्र प्रदेश से 1011 कि.मी. और महाराष्ट्र में 509 कि.मी. में तथा उत्तर-दक्षिण कॉरिडोर पर आंध्र प्रदेश में 753 कि.मी. और महाराष्ट्र में 232 कि.मी. में चार लेन में चौड़ा करने का कार्य भी चरणबद्ध रूप में करने की योजना है।

[अनुवाद]

वन्य भूमि का अन्यत्र उपयोग

4252. श्री किरीट सोमैया: क्या **पर्यावरण और वन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या महाराष्ट्र ने कानपुर जिले के सिरले, टर्फ, मलकपुर, तालु, शहयावाड़ी गांवों में समाधि स्थल और भगवान शिव के मंदिर का विकास करने हेतु वन्य भूमि को अंतरित किए जाने की मंजूरी संबंधी कोई प्रस्ताव भेजा है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या वन्य भूमि के इस छोटे से टुकटे में वर्ष 1983 से कोई बड़ा अवैध निर्माण, वाणिज्यिक दोहन का कार्य चल रहा है;

(घ) यदि हां, तो क्या ग्रामीणों तथा भक्त मंडली ने वन विभाग को कोई वैकल्पिक भूमि देने का प्रस्ताव किया है;

(ङ) यदि हां, तो क्या महाराष्ट्र सरकार और विभिन्न संगठनों ने सरकार से इस प्रस्ताव पर विचार करने का अनुरोध किया है; और

(च) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

पर्यावरण और वन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री बाबू लाल मरांडी): (क) और (ख) महाराष्ट्र सरकार ने दिनांक 14 जुलाई, 1992 के अपने पत्र संख्या एफएलडी-2392/सीआर-156/एफ-10 के द्वारा वन (संरक्षण) अधिनियम, 1980 के अंतर्गत ग्राम शिराले टर्फ मल्कापुर, तालुका शाहूवाडी, जिला कोल्हापुर में प्राचीन "समाधि" स्थलों तथा भगवान शिव के मंदिर के विकास के लिए 1.89 हैक्टेयर वन भूमि उपयोग में लाने के लिए केन्द्रीय सरकार को एक प्रस्ताव भेजा था।

(ग) राज्य सरकार द्वारा उपलब्ध कराई गई सूचना के अनुसार वन (संरक्षण) अधिनियम, 1980 के उल्लंघन में वर्ष 1984 में इस भूमि पर ग्रामीणों ने एक मठ का निर्माण किया था।

(घ) से (च) वन (संरक्षण) अधिनियम, 1980 के अंतर्गत प्रस्ताव को मंजूरी के लिए भेजते समय महाराष्ट्र सरकार ने क्षतिपूरक वनीकरण के लिए वैकल्पिक वनेत्तर भूमि देने की पेशकश की थी। इसके अलावा इस अधिनियम के उल्लंघन किए जाने के बदले में उपयोग में लाए जा रहे क्षेत्र की दुगनी अवक्रमित भूमि पर क्षतिपूरक वनीकरण का प्रस्ताव भी दिया गया था। इस प्रस्ताव को पहले केन्द्रीय सरकार ने 5.2.1993 को नामंजूर कर दिया था। तथापि, प्रस्ताव पर पुनर्विचार करने के लिए मंत्रालय को अनुरोध प्राप्त हुए और अब यह प्रस्ताव मंत्रालय के विचाराधीन है।

खेल-अकादमी के लिए सहायता

4253. श्री सुरेश कुरुप: क्या युवक कार्यक्रम और खेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या प्रख्यात एथलीट पी.टी. उषा ने उनके मंत्रालय को एक खेल अकादमी खोलने के लिए सहायता मांगने के संबंध में एक प्रस्ताव पेश किया है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और सरकार का इस संबंध में क्या कार्यवाही करने का विचार है?

युवक कार्यक्रम और खेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सैयद शाहनवाज हुसैन): (क) और (ख) जी, हां। सुश्री पी.टी. उषा ने उस अकादमी की एक रूपरेखा दी है जिसे वे एथलेटिक्स के लिए केरल में शुरू करना चाहती हैं। तथापि, उन्हें एक विस्तृत परियोजना रिपोर्ट तैयार करने और उस रिपोर्ट को इस संबंध में आगे आवश्यक कार्रवाई के लिए सरकार को भेजने की सलाह दी गई है।

[हिन्दी]

भारत में विमान-चालन प्रशिक्षण संस्थानों में पायलट-प्रशिक्षक

4254. श्री अशोक अर्गल: क्या **नागर विमानन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या किसी विमान-चालन प्रशिक्षण संस्थान में किसी मुख्य पायलट-प्रशिक्षक/पायलट-प्रभारी प्रशिक्षक का होना अनिवार्य है;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं और इसकी आवश्यकता के संबंध में ब्यौरा क्या है;

(ग) देश में ऐसे कितने विमानचालन-प्रशिक्षण संस्थान हैं जिनमें कोई मुख्य पायलट-प्रशिक्षक/पायलट प्रभारी प्रशिक्षक नहीं है और फिर भी वे विमान उड़ाने का प्रशिक्षण दे रहे हैं;

(घ) क्या ऐसे विमानचालन-प्रशिक्षण संस्थानों द्वारा उड़ान करने का प्रशिक्षण देना सुरक्षित है; और

(ङ) यदि हां, तो सभी संस्थानों को बिना कोई मुख्य पायलट-प्रशिक्षक/पायलट-प्रभारी प्रशिक्षक रखे उड़ान का प्रशिक्षण देने की अनुमति प्रदान न करने के क्या कारण हैं?

नागर विमानन मंत्री (श्री शरद यादव): (क) जी, हां। उड़ान संस्थान को चलाने के लिए मुख्य उड़ान अनुदेशक (सीएफआई)/विमान अनुदेशक प्रभारी (पीआईआई) का होना अनिवार्य है।

(ख) सीएफआई/पीआईआई के पास निर्धारित अर्हता और उड़ान का अनुभव होना चाहिए। उनके पास किसी दुर्घटना/घटना से मुक्त उड़ान रिकार्ड भी होना चाहिए तथा सोलो उड़ान पर प्रशिक्षु विमानचालकों को भेजने में सक्षम होना चाहिए।

(ग) शून्य।

(घ) और (ङ) प्रश्न नहीं उठते।

[अनुवाद]

जड़ी-बूटियों से औषधि का निर्माण करने वाले उद्योग क्षेत्र

4255. श्री जितेन्द्र प्रसाद: क्या **स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार का विचार जड़ी-बूटी निर्मित औषधि के सुसंगत और व्यापक विकास के लिए एक उच्चस्तरीय औषधीय पादप बोर्ड का गठन करने का है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार का विचार सभी भारतीय जड़ी-बूटियों/औषधीय पादपों को सूचीबद्ध करने और उन्हें अन्य देशों में पेटेण्ट कराए जाने से रोकने के लिए भारत में ही पेटेण्ट कराए जाने का भी है; और

(घ) यदि हां, तो इसे कब तक किए जाने की संभावना है?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (प्रो. रीता वर्मा): (क) और (ख) एक अभिकरण के रूप में एक "औषधीय पादप बोर्ड" की स्थापना करने के एक प्रस्ताव पर कार्रवाई की जा रही है जो औषधीय पादप क्षेत्र के विकास से संबंधित सभी मामलों का समन्वय करने के लिए उत्तरदायी होगा।

(ग) और (घ) मंत्रालय का एक पारंपरिक ज्ञान डिजिटल पुस्तकालय की स्थापना करने का प्रस्ताव है जो हमारे पादपों और औषधीय उपचारों को पेटेंट करने से रोकने की दृष्टि से पहले से सार्वजनिक अधिकार क्षेत्र में मौजूद पारंपरिक ज्ञान को एक स्वीकार्य रूप में लाने में मदद करेगा।

पटना हवाई अड्डे पर अनियमितताएं

4256. श्री अशोक ना. मोहोल: क्या नागर विमानन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या एक उच्चस्तरीय दल ने पटना में जयप्रकाश नारायण अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे के रख-रखाव में अनियमितताओं का पता लगाया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार ने इस संबंध में जांच के आदेश दिए हैं;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) उच्चस्तरीय दल की सिफारिशों के आधार पर क्या कार्रवाई की जा रही है?

नागर विमानन मंत्री (श्री शरद यादव): (क) से (ङ) जी, नहीं। तथापि, विमान के अवतरण के समय रनवे पर कुत्ते की उपस्थिति की घटना के संबंध में भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण द्वारा जांच की गई थी। प्रभावी पर्यवेक्षण की वास्तविक चूक के मद्देनजर, हवाई अड्डा निदेशक, उप-महाप्रबंधक (एयर ट्रैफिक कंट्रोल) तथा पटना हवाई अड्डे पर तैनात केन्द्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल के निरीक्षक का स्थानांतरण कर दिया गया है और भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण द्वारा हवाई अड्डे की चार दीवारी पूरी करने संबंधी कार्रवाई की गई है।

विमानपत्तन पर विदेशी मुद्रा विनिमय कारोबार संबंधी काउंटरों का आबंटन

4257. श्री एम.वी.वी.एस. मूर्ति:
श्री राम मोहन गाड्डे:

क्या नागर विमानन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण विमानपत्तन पर विदेशी मुद्रा विनिमय कारोबार संबंधी सभी काउंटरों को सभी भारतीय सरकारी क्षेत्र के बैंकों जो इस विमानपत्तन के शुरू होने के पश्चात् से उक्त कारोबार कर रहे थे की अनदेखी करके इन्हें एकमात्र अंतर्राष्ट्रीय एजेंसी "थॉमस कुक" को आबंटित करने का निर्णय लिया है;

(ख) यदि हां, तो सभी भारतीय सरकारी क्षेत्र के बैंकों की अनदेखी करके किसी अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय संस्थान को अनुमति दिए जाने के क्या कारण हैं; और

(ग) सरकार द्वारा इस संबंध में क्या कार्रवाही किए जाने का विचार है?

नागर विमानन मंत्री (श्री शरद यादव): (क) से (ग) भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण (ए.ए.आई) द्वारा विभिन्न हवाई अड्डों पर मनी एक्सचेंज कांउटर का आवंटन खुली निविदा के आधार पर कर दिया गया है और सबसे ऊंची बोली लगाने वाले का चयन कर लिया गया है। ए.ए.आई. का यह वाणिज्यिक निर्णय है। तथापि भारतीय स्टेट बैंक तथा पंजाब नेशनल बैंक जिन्हें हवाई अड्डों पर कस्टम ड्यूटी उगाहने के लिए अधिकृत किया गया था, वे इस प्रयोजनार्थ आबंटित काउंटरों से ऐसा करते रहेंगे।

सड़क सुरक्षा

4258. श्री ए. कृष्णैया: क्या जल-भूतल परिवहन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या भारत के राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण ने सभी नवनिर्मित राष्ट्रीय राजमार्गों में सड़क सुरक्षा के उपायों को समायोजित किया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या आंध्र प्रदेश के राष्ट्रीय राजमार्गों में सड़क सुरक्षा के उपायों का समामेलन किया गया है;

(घ) यदि नहीं, तो आंध्र प्रदेश के राष्ट्रीय राजमार्गों में भी सड़क सुरक्षा के उपायों की उपेक्षा करने के क्या कारण हैं;

(ङ) क्या आंध्र प्रदेश में सड़क सुरक्षा के विशेषज्ञों से सड़क सुरक्षा में अनेक तरह की खामियों के संबंध में बहुत से अभ्यावेदन प्राप्त हुए हैं; और

(च) यदि हां, तो इस संबंध में तथ्य क्या हैं और सरकार द्वारा आंध्र प्रदेश में राष्ट्रीय राजमार्गों पर सड़क सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं?

जल-भूतल परिवहन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री हुक्मदेव नारायण यादव): (क) से (ग) भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण आन्ध्र प्रदेश में अवस्थित राष्ट्रीय राजमार्गों सहित उनको सौंपे गए राष्ट्रीय राजमार्गों पर 4 लेनों में विभाजित कैरिजवे का निर्माण कर रहा है जिनके डिजाइन में सुरक्षा की विशिष्टताओं का यथोचित ध्यान रखा गया है।

(घ) प्रश्न नहीं उठता।

(ङ) और (च) कुछ अभ्यावेदन प्राप्त हुए हैं। तथापि सुझाए गए इंजोनियरी उपायों को आन्ध्र प्रदेश में अवस्थित राष्ट्रीय राजमार्गों के उन्नयन के लिए पहले ही ध्यान में रखा गया है।

गुड़गांव में टेलीफोन एक्सचेंज

4259. श्री चन्द्र विजय सिंह: क्या संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या दूरसंचार विभाग ने हरियाणा के गुड़गांव जिले के गढ़ी हरसरु में आप्टीकल फाइबर केबल लिंक के साथ आई.के. क्षमता का टेलीफोन एक्सचेंज स्थापित किया है;

(ख) यदि हां, तो इस टेलीफोन एक्सचेंज से अब तक कितने टेलीफोन कनेक्शन दिए हैं और टेलीफोन कनेक्शन हेतु कितने आवेदन-पत्र आज की स्थिति के अनुसार लम्बित हैं; और

(ग) इस टेलीफोन एक्सचेंज के अन्तर्गत टेलीफोन की खराबी दूर करने का ब्यौरा क्या है?

संचार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री तपन सिकदर): (क) जी, हां।

(ख) गढ़ी हरसरू एक्सचेंज में 800 टेलीफोन कनेक्शन कार्यरत हैं। प्रतीक्षा-सूची में 19 आवेदकों के नाम दर्ज हैं। 136 ओ बी लम्बित पड़ी हैं, क्योंकि कुछ क्षेत्र तकनीकी रूप से व्यवहार्य (टी एन एफ) नहीं हैं।

(ग) अधिकांश दोष एक्सचेंज में 24 घंटे के भीतर दूर कर दिए जाते हैं।

[हिन्दी]

गैर-सरकारी अस्पतालों में काम करने वाले सरकारी डाक्टर

4260. श्री महेश्वर सिंह: क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या देश के विभिन्न सरकारी अस्पतालों, विशेष रूप से दिल्ली और विभिन्न महानगरों के बड़े अस्पतालों में नियुक्त डाक्टर और विशेषज्ञ गैर-सरकारी अस्पतालों में काम करने में रुचि रखते हैं;

(ख) यदि हां, तो उसके क्या कारण हैं;

(ग) उन वरिष्ठ डाक्टरों और शल्य चिकित्सकों का प्रतिशत कितना है जिन्होंने गत तीन वर्षों के दौरान अपना त्याग-पत्र देकर गैर-सरकारी अस्पतालों में काम करना शुरू कर दिया है; और

(घ) सरकार द्वारा उनकी सेवाएं पुन: प्राप्त करने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (प्रो. रीता वर्मा): (क) से (घ) प्राइवेट अस्पतालों में नौकरी प्राप्त करने हेतु केन्द्रीय स्वास्थ्य सेवा छोड़ने वाले अधिकारियों की संख्या महत्वपूर्ण नहीं है। पिछले तीन वर्षों के दौरान केन्द्रीय स्वास्थ्य सेवा की कुल संवर्ग क्षमता में से केवल 1.8 प्रतिशत डाक्टरों ने सेवा से त्याग-पत्र दिया है। ऐसे डाक्टरों द्वारा प्राइवेट अस्पतालों में नौकरी प्राप्त करने के बारे में कोई संकेत नहीं दिए गए हैं। केन्द्रीय स्वास्थ्य सेवा के अधिकारियों के प्रैक्टिसबंदी भत्ते सहित वेतन और भत्तों में पांचवें केन्द्रीय वेतन आयोग की सिफारिशों के अनुसार वृद्धि कर दी गई है।

[अनुवाद]

समेकित महिला अधिकारिता कार्यक्रम

4261. श्री हरीभाऊ शंकर महाले: क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) गत तीन वर्षों के दौरान उनके मंत्रालय को गैर-सरकारी संगठनों तथा राजस्थान के उपकार संस्थान से समेकित महिला अधिकारिता कार्यक्रम से संबंधित कितने प्रस्ताव प्राप्त हुए हैं;

(ख) क्या उनमें से कुछेक प्रस्ताव अभी भी सरकार के पास स्वीकृति हेतु लम्बित पड़े हैं;

(ग) यदि हां, तो उसके क्या कारण हैं; और

(घ) इन्हें कब तक स्वीकृति प्रदान कर दी जाएगी?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (प्रो. रीता वर्मा): (क) समेकित महिला अधिकारिता नाम के किसी भी कार्यक्रम को इस मंत्रालय द्वारा वित्त पोषित नहीं किया जा रहा है। इसलिए समेकित महिला अधिकारिता कार्यक्रम संबंधी कोई

प्रस्ताव प्राप्त नहीं हुआ है। तथापि, गैर-सरकारी संगठन प्रभाग से संचालित की जाने वाली योजनाओं जैसे मदर एन जी ओ स्कीम, इन्नोवेटिव प्रोजेक्ट्स और सपोर्ट टू जेंडर इश्यूज प्रोजेक्ट में महिलाओं की अधिकारिता हेतु घटक हैं।

उपकार संस्थान, अलवर, राजस्थान नामक एक संगठन से यू एन एफ पी ए सहायता प्राप्त "सपोर्ट टू जेंड़र इश्यूज" परियोजना के अंतर्गत वित्तपोषण का एक प्रस्ताव प्राप्त हुआ था। परिवार कल्याण विभाग की सहायता अनुदान समिति ने जुलाई, 1999 में इस प्रस्ताव पर विचार किया था जिसके बाद संगठन से एक संशोधित प्रस्ताव प्रस्तुत करने का अनुरोध किया गया जो प्राप्त हो गया है।

(ख) से (घ) इस बीच, वित्तीय दबाव के कारण, यू एन एफ पी ए ने "सपोर्ट टू जेंडर इश्यूज" परियोजना के अंतर्गत किसी नए प्रस्ताव को सहयोग देना बन्द कर दिया है।

केरल में क्षेत्रीय कैंसर केन्द्र हेतु वित्तीय सहायता

4262. श्री कोडीकुनील सुरेश: क्या **स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या क्षेत्रीय कैंसर केन्द्र ने अधिक वित्तीय सहायता प्राप्त करने हेतु केन्द्र सरकार के पास कोई परियोजना अथवा प्रस्ताव प्रस्तुत किया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार ने चालू वर्ष के दौरान केरल में त्रिवेन्द्रम क्षेत्रीय कैंसर केन्द्र को अधिक वित्तीय सहायता प्रदान करने का निर्णय किया है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (प्रो. रीता वर्मा): (क) और (ख) जी, हां। क्षेत्रीय कैंसर केन्द्र, तिरुवनंतपुरम के लिए एक हाई-एनर्जी लिनियर एक्सेलेरेटर प्रदान करने के लिए 5.00 करोड़ रुपये की वित्तीय सहायता हेतु एक प्रस्ताव केरल सरकार से प्राप्त हुआ।

(ग) से (ङ) स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय ने प्रस्ताव को पहले ही स्वीकृति दे दी है तथा इस प्रस्ताव को जापानी ऋण राहत अनुदान सहायता के लिए आर्थिक कार्य विभाग को अग्रेषित किया गया है।

क्षेत्रीय कैंसर केन्द्र, त्रिवेन्द्रम, केरल सरकार के अधीन एक स्वायत्त संगठन है। यह मंत्रालय इस संस्थान को क्षेत्रीय कैंसर केन्द्र के रूप में विकसित करने के लिए उपकरणों की खरीद के लिए 75.00 लाख रुपये का एक वार्षिक अनुदान प्रदान करता है। उपर्युक्त के अतिरिक्त 1999-2000 के दौरान क्षेत्रीय कैंसर केन्द्र, त्रिवेन्द्रम को ब्रेकी-थिरेपी यूनिट की खरीद के लिए 1.00 करोड़ रुपये जारी किए गए थे। यह एक बार में प्रदत्त अनुदान है। स्वास्थ्य का राज्य-विषय होने के कारण, इस उद्देश्य के लिए अतिरिक्त निधियां संस्थान/राज्य सरकार को प्रदान करनी होती हैं।

खनन संबंधी विधान

4263. श्री साहिब सिंह: क्या **खान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या वर्तमान 'खनन संबंधी विधान' व्यापक अधिनियम है और इसमें अन्य आवश्यक अधिनियमों, नामत: खनन अधिनियम, 1952, खान और खनिज (विकास और पंजीकरण) अधिनियम, 1957 और वन संरक्षण अधिनियम और पर्यावरण संरक्षा अधिनियम के प्रावधान शामिल हैं; और

(ख) यदि नहीं, तो सरकार द्वारा ऐसे एक समेकित और व्यापक अधिनियम का प्रारूप तैयार करने के लिए एक 'कृतिक बल' बनाने हेतु क्या कदम उठाए गए हैं/उठाए जाने का विचार है।

युवक कार्यक्रम और खेल मंत्री तथा खान मंत्री (श्री सुखदेव सिंह ढिंडसा): (क) संविधान की सातवीं अनुसूची की संघीय सूची की प्रथम सूची की प्रविष्टि संख्या 54, केन्द्र सरकार को खान और खनिज विकास के विनियमन के लिए उस सीमा तक अधिकार देती है जहां तक संघ के नियंत्रणाधीन ऐसे विनियमन और विकास को संसद के विधान द्वारा जनहित में उचित घोषित किया जाता है। तदनुसार, खान और खनिज (विकास और विनियमन) अधिनियम, 1957 बनाया गया है तथा खान मंत्रालय द्वारा उसे लागू किया जा रहा है। विभिन्न मंत्रालयों द्वारा विशिष्ट उद्देश्यों के लिए बनाए तथा लागू किए गए कानून, जिनका खनन क्षेत्र पर प्रभाव पड़ता है जैसे खान अधिनियम, 1952, वन (संरक्षण) अधिनियम, 1980 तथा पर्यावरण (संरक्षा) अधिनियम, 1986 आदि खनन क्षेत्र पर भी लागू होते हैं।

(ख) ऐसे किसी एकीकृत तथा व्यापक अधिनियम को बनाने के लिए कृतिक बल (टास्क फोर्स) बनाने का कोई प्रस्ताव नहीं है।

केन्द्रीय सड़क कोष द्वारा संवितरित की गई धनराशि का प्रतिशत

4264. श्री जी. एस. बसवराज: क्या जल-भूतल परिवहन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार धनराशि की कमी की बात करते हुए राष्ट्रीय राजमार्गों का अनुरक्षण और मरम्मत करने के लिए वित्त उपलब्ध कराने से पीछे हट रही है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) राष्ट्रीय राजमार्गों के विकास के लिए अलग से किए गए कुल आबंटन में केन्द्रीय सड़क कोष से कितने प्रतिशत राशि का संवितरण किया गया है;

(घ) क्या सरकार ने सड़कों की खस्ता हालत के कारण होने वाली सड़क दुर्घटनाओं पर मुआवजे के दावों के निपटान के संबंध में बढ़ते उत्तरदायित्व पर विचार किया है; और

(ङ) यदि हां, तो क्या सरकार दुर्घटना दावों पर खर्च होने वाली धनराशि को बचाने के लिए एक सही कदम के रूप में राष्ट्रीय राजमार्गों के विकास और मरम्मत पर आबंटन बढ़ाने पर विचार करेगी?

जल-भूतल परिवहन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री हुक्मदेव नारायण यादव): (क) जी नहीं।

(ख) एक विवरण संलग्न है।

(ग) राष्ट्रीय राजमार्गों के विकास के लिए मौजूदा केन्द्रीय सड़क कोष से धनराशि का उपयोग/वितरण नहीं किया जा रहा है।

(घ) मोटरयान अधिनियम, 1988 के अधीन किसी कारक घटक के संदर्भ में नहीं बल्कि समग्र दुर्घटना के संदर्भ में प्रतिपूर्ति देय होती है।

(ङ) राष्ट्रीय राजमार्गों के विकास/मरम्मत के लिए निधियों के आबंटन को सरकार द्वारा संसाधनों की उपलब्धता को ध्यान में रखते हुए उत्तरोत्तर बढ़ाया गया है।

विवरण

रख-रखाव और मरम्मत के लिए किए गए आबंटन में कमी को दर्शाने वाला विवरण

वर्ष	वित्त पोषण के लिए परियोजना आवश्यकता (करोड़ रु.)	प्रदान की गई राशि (करोड़ रु.)	कमी (करोड़ रु.)	कमी का%
1	2	3	4	5
1981-82	55.55	47.00	8.55	15.39
1982-83	60.00	51.00	9.00	15.00
1983-84	71.90	61.00	10.00	15.16
1984-85	108.30	75.00	33.30	30.75
1985-86	116.82	90.00	26.82	22.96
1986-87	176.78	94.25	82.53	46.69
1987-88	177.24	99.03	78.21	44.13
1988-89	198.00	142.36	55.64	28.10
1989-90	194.50	143.55	50.95	26.20
1990-91	257.91	153.12	104.79	40.63
1991-92	291.29	166.76	124.53	42.75

1	2	3	4	5
1992-93	330.00	168.67	161.33	48.89
1993-94	415.00	214.50	200.50	48.31
1994-95	475.00	246.90	230.50	48.52
1995-96	535.00	288.43	250.50	46.80
1996-97	570.00	372.00	248.00	44.00
1997-98	600.00	497.50	203.00	34.00
1998-99	1000.00	549.80	450.20	45.00
1999-2000*	1250.00	703.00	547.00	44.00
2000-2001	1350.00	702.50	647.50	48.00

*वाहन चालन गुणता में सुधार करने के लिए विशेष मरम्मत कार्यक्रम को चलाने के लिए योजना शीर्ष के अंतर्गत उपकर की राशि में से 547 करोड़ रु. उपलब्ध कराए गए हैं परन्तु वर्ष 1999-2000 के लिए गैर-योजना शीर्ष के अंतर्गत सामान्य रख-रखाव कार्यक्रम के अंतर्गत केवल 703 करोड़ रु. आवंटित किए गए हैं।

आई.एस.डी. कालों में कमी

4265. श्री भान सिंह भौरा: क्या संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या विशेषकर भारत-अमेरिका के बीच विदेश संचार निगम लि. (वी.एस.एन.एल.) की अन्तर्राष्ट्रीय कॉल दरों में कमी किए जाने के विषय में सरकार विचार कर रही है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या इस प्रस्ताव पर अमेरिकी बहुराष्ट्रीय कंपनियों के दबाव में विचार किया जा रहा है; और

(घ) यदि हां, तो सरकार की इस पर क्या प्रतिक्रिया है?

संचार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री तपन सिकदर): (क) जी, नहीं।

(ख) उपर्युक्त (क) भाग के उत्तर को देखते हुए प्रश्न नहीं उठता।

(ग) और (घ) अंतर्राष्ट्रीय लेखा दरें प्रचालन कंपनियों द्वारा परस्पर रूप से निर्धारित की जाती हैं (भारत के मामले में ऑपरेटर होने के नाते वीएसएनएल)। वीएसएनएल ने सूचित किया है कि बाजार रुझान के साथ मेल खाती अंतर्राष्ट्रीय लेखा दर में कटौती के लिए उसके अमेरिकी काउंटर पार्ट ने वीएसएनएल से सम्पर्क किया है। ऑपरेटर सभी संगत पहलुओं को ध्यान में रखते हुए स्वयं इस मुद्दे पर निर्णय लेंगे।

[हिन्दी]

भारतीय चिकित्सा पद्धति और होम्योपैथी के अनुसंधान अधिकारियों को संशोधित वेतनमान

4266. श्री एस. अजय कुमार: क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार द्वारा स्वीकृति प्राप्त पांचवें वेतन आयोग की सिफारिशों के भाग "ख" के अनुसार भारतीय चिकित्सा पद्धति और होम्योपैथी विभाग के अधीन कार्य कर रहे आयुर्वेदिक चिकित्सकों को एलोपैथिक चिकित्सकों के सदृश ही समूह "क" के अनुसार वर्ग "क" में 8000-13500 रु. का न्यूनतम वेतनमान दिया जाना है;

(ख) क्या भारतीय चिकित्सा पद्धति विभाग (आई.एस.एम.) के अधीन केन्द्रीय आयुर्वेद और सिद्ध अनुसंधान परिषद में कार्यरत अनुसंधान अधिकारियों को भी संशोधित वेतनमान वर्ग में शामिल किया गया है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(घ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं; और

(ङ) सरकार द्वारा इस संबंध में क्या कार्यवाही की गई है?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (प्रो. रीता वर्मा): (क) जी, हां।

(ख) से (ङ) ये संस्तुतियां स्वत: अनुसंधान परिषद के लिए लागू नहीं होती। इस अवस्था में, समान प्रकार की श्रेणियों से संबंधित तुलनात्मक सूचना मांगी गई है जिसे उपलब्ध भी करा दिया गया है।

विश्व बैंक की सहायता से एड्स अनुसंधान केन्द्र

4267. श्रीमती निवेदिता माने: क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने विश्व बैंक की सहायता से देश में एड्स अनुसंधान केन्द्रों की स्थापना की है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी राज्य-वार ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार महाराष्ट्र में भी एड्स अनुसंधान केन्द्र को स्थापित करने पर विचार कर रही है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी स्थान-वार ब्यौरा क्या है; और

(ङ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (प्रो. रीता वर्मा): (क) और (ख) जी, नहीं।

(ग) से (ङ) पुणे में राष्ट्रीय एड्स अनुसंधान संस्थान की स्थापना की गई है और इसे एच आई वी/एड्स के क्षेत्र में अनुसंधान को बढ़ावा देने हेतु भारतीय आयुर्विज्ञान अनुसंधान परिषद द्वारा वित्तपोषित किया जा रहा है।

एअर इंडिया की दिल्ली-मास्को उड़ान

4268. श्री तूफानी सरोज: क्या नागर विमानन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या एअर इंडिया ने अपनी दिल्ली-मास्को साप्ताहिक उड़ान को बंद कर दिया है;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं;

(ग) क्या उक्त उड़ान के परिचालन के कारण एअर इंडिया को घाटा हो रहा था; और

(घ) यदि नहीं, तो उक्त उड़ान को बंद करने के वास्तविक कारण क्या हैं?

नागर विमानन मंत्री (श्री शरद यादव): (क) से (ग) एअर इंडिया ने दिनांक 1.8.2000 से कोड शेयर प्रबंध-व्यवस्था द्वारा, क्योंकि यह अपेक्षाकृत अधिक लाभप्रद हैं, दिल्ली-मास्को सेक्टरों पर अपने भौतिक प्रचालनों को प्रतिस्थापित कर दिया है।

(घ) प्रश्न नहीं उठता।

[अनुवाद]

हैदराबाद बाई-पास एक्सप्रेस मार्ग के लिए सहायता

4269. श्री एन. जनार्दन रेड्डी: क्या जल-भूतल परिवहन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या आंध्र प्रदेश सरकार ने 195 कि.मी. लंबे हैदराबाद एक्सप्रेस मार्ग बिछाने हेतु केन्द्रीय सहायता मांगी है; और

(ख) यदि हां, तो इस पर सरकार द्वारा की गई कार्रवाई का ब्यौरा क्या है?

जल-भूतल परिवहन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री हुकमदेव नारायण यादव): (क) जी, हां।

(ख) आंध्र प्रदेश सरकार को सलाह दी गई है कि इस मंत्रालय में संसाधनों की कमी और प्रस्तावित बाइपास पर यातायात की संभावित भारी मात्रा को ध्यान में रखते हुए इस बाइपास का निर्माण बी ओ टी आधार पर गैर-सरकारी निवेश से किया जा सकता है।

[हिन्दी]

बिहार में टेलीफोन सेवाएं

4270. श्री रवीन्द्र कुमार पाण्डेय: क्या संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या बिहार में टेलीफोन सेवाओं से संबंधित समस्याओं को हल करने हेतु हाल में एक उच्चस्तरीय बैठक हुई है;

(ख) यदि हां, तो बिहार के जिन संसद सदस्यों ने उक्त बैठक में भाग लिया उनके नामों सहित तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) उक्त बैठक में लिए गए निर्णयों का ब्यौरा क्या है; और

(घ) इस पर सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं/उठाने का विचार है?

संचार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री तपन सिकदर): (क) जी, हां।

(ख) और (ग) 15 मई, 2000 को दूरसंचार सेवाओं की स्थिति पर विचार-विमर्श करने और राज्य में इसके विकास को सुनिश्चित करने के लिए माननीय संचार मंत्री की बिहार के माननीय संसद सदस्यों और संचार मंत्रालय के उच्च अधिकारियों के साथ एक उच्च-स्तरीय बैठक हुई थी। बैठक में लिए गए निर्णय का ब्यौरा संलग्न विवरण-I में दिया गया है और बैठक में भाग लेने वाले बिहार के माननीय सांसदों के नामों की सूची संलग्न विवरण-II में दी गई है।

(घ) सभी मुद्दों पर उत्तरोत्तर रूप से कार्रवाई की जा रही है।

विवरण-I

बिहार के माननीय संसद सदस्यों द्वारा उठाए गए मामलों के संबंध में लिए गए निर्णय

1. ग्रामीण दूरसंचार

   * ग्रामीण सार्वजनिक टेलीफोन (वीपीटी)- यह निर्णय लिया गया था कि जहां कहीं भी वीपीटी एम ए आर आर पर कार्यरत हैं, उनकी मरम्मत की जाएगी और यदि उनकी मरम्मत करना संभव नहीं होगा तो उन्हें बदल दिया जाएगा। ऐसे सभी वीपीटी को ठीक किया जाएगा और दो वर्ष के भीतर चालू कर दिया जाएगा।
   * यह निर्णय लिया गया था कि बिहार के सभी ब्लाक मुख्यालयों को टेलीफोन से जोड़ा जाएगा।

2. जिला मुख्यालयों में इन्टरनेट कनेक्शन

   * 30 जून, 2000 तक प्रत्येक एसएसए (गौण स्विचन क्षेत्र) मुख्यालय में इन्टरनेट के लिए नोड्स लगवाने का निर्णय लिया गया था, जिसके उपस्कर के लिए आदेश दे दिए गए हैं।

3. टेलीफोन सेवाएं

   * यह निर्णय लिया गया था कि केबल की अनुपलब्धता की समस्या पर नवम्बर, 2000 तक डब्ल्यू एल एल (स्थानीय लूप में बेतार) के माध्यम से काबू पा लिया जाएगा।
   * यह भी निर्णय लिया गया कि एक्सचेंजों के ठीक से काम न करने तथा साथ ही समय पर शिकायतों की ओर ध्यान देने की समस्या के समाधान के लिए तत्काल उपाय किए जाएँ।

4. टेलीफोन/दूरसंचार सलाहकार समिति

   * यह निर्णय लिया गया कि दूरसंचार सलाहकार समिति की बैठकें नियमित रूप से आयोजित की जाएं।
   * यह भी निर्णय लिया गया कि टी ए सी के सदस्यों को शीघ्र ही टेलीफोन प्रदान किए जाएं।

5. जी.एस.एम. (मोबाइल कम्यूनिकेशन के लिए विश्वव्यापी सेवा) तथा वायरलेस इन लोकल लूप

   * यह निर्णय लिया गया कि बिहार में दुर्गा पूजा तक जी. एस. एम. सेवाओं तथा नवम्बर, 2000 तक डब्ल्यू.एल.एल. प्रौद्योगिकी की शुरुआत की जाएगी।

6. संसद सदस्यों का बिना बारी का कोटा

   * यह निर्णय लिया गया कि सांसद कोटे के तहत दिए जाने वाले टेलीफोनों के बकाया मामलों का निपटान करने के लिए एक पखवाड़ा/माह नियत कर दिया जाए।
   * यह भी निर्णय लिया गया कि मुख्य महाप्रबंधक/महा प्रबंधक को उन क्षेत्रों के बारे में सांसदों को पहले ही सूचित कर देना चाहिए, जहां इस समय टेलीफोन प्रदान करना तकनीकी रूप से व्यवहार्य न हो।

7. टेलीफोन निदेशिका

   * यह निर्णय लिया गया कि बिहार के सभी एस.एस.ए. की टेलीफोन निर्देशिका उपलब्ध/प्रकाशित करवाई जाए।
   * यह भी निर्णय लिया गया कि बिहार के प्रत्येक सांसद को एम.टी.एन.एल./दिल्ली की टेलीफोन निदेशिका की एक प्रति दी जाए।

8. संसद सदस्यों के पत्रों के उत्तर

* यह निर्णय लिया गया कि बिहार दूरसंचार के सर्किल कार्यालय में संसद सदस्यों से संबंधित मामलों को देखने तथा समयबद्ध तरीके से अन्तिम जवाब भेजने के लिए एक अधिकारी विशेष को नामित किया जाए।

9. विविध

* भ्रष्ट कर्मचारियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई करने का निर्णय लिया गया।

10. आगामी बैठक

* आगामी बैठक बिहार में आंचलिक स्तर पर आयोजित करने का निर्णय लिया गया।

विवरण-II

15.5.2000 को माननीय संचार मंत्री के साथ आयोजित बैठक में भाग लेने वाले माननीय सांसदों के नामों की सूची

क्रम सं	सांसदों के नाम
1	2
1.	श्री देवेन्द्र प्रसाद यादव
2.	श्रीमती आभा महतो
3.	श्री रघुवंश प्रसाद
4.	श्रीमती कांति सिंह
5.	श्री हुकुम देव नारायण यादव
6.	श्री नवल किशोर राय
7.	श्री गया सिंह
8.	श्री निखिल कुमार चौधरी
9.	श्री रामजी मांझी
10.	श्री नागमणि
11.	श्री राजो सिंह
12.	श्री रघुनाथ झा
13.	श्री कीर्ति झा आजाद
14.	श्री प्रभुनाथ सिंह
15.	डा. एम. पी. जायसवाल
16.	मौ. शहाबुद्दीन
17.	श्री राम टहल चौधरी
18.	श्री राधामोहन सिंह
19.	श्री रविशंकर प्रसाद
20.	श्री परमेश्वर कुमार अग्रवाल
21.	श्री तिलकधारी प्रसाद सिंह
22.	श्री रामचन्द्र पासवान
23.	डा. संजय पासवान
24.	कैप्टन जय नारायण प्रसाद निषाद
25.	श्री मंजय लाल
26.	श्रीमती रेणु कुमारी
27.	श्री सुकदेव पासवान
28.	मौ. अनवरुल हक
29.	श्री अरुण कुमार
30.	प्रो. (श्रीमती) रीता वर्मा
31.	श्री शिबू सोरेन

[अनुवाद]

डोडा में नीलम के स्रोतों के लिए सहायता

4271. श्री के.पी. सिंह देव: क्या खान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या केन्द्र सरकार का विचार डोडा में देश के एकमात्र नीलम के स्रोत की सुरक्षा और विकास हेतु जम्मू और कश्मीर राज्य को सहायता प्रदान करने का है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

युवक कार्यक्रम और खेल मंत्री तथा खान मंत्री (श्री सुखदेव सिंह ढिंडसा): (क) से (ग) खान और खनिज (विकास और विनियमन) अधिनियम, 1957 के प्रावधानों तथा उनके अधीन बनाए गए नियमों के अनुसार, संबंधित राज्य सरकारों द्वारा अपने-अपने प्रादेशिक कार्यक्षेत्र में, खनिज रियायतें प्रदान की जाती हैं। चूंकि खनिज अधिकार राज्य सरकारों के पास होते हैं अत: राज्य सरकारें खनिजों पर रायल्टी से राजस्व अर्जित करती हैं, और राज्य सरकारें नीलम सहित खनिजों के विकास तथा संरक्षण के लिए उत्तरदायी होती हैं। केन्द्र सरकार किसी खनिज विशेष के विकास तथा संरक्षण के लिए किसी भी राज्य सरकार को कोई सहायता प्रदान नहीं करती है।

जलने के मामलों के लिए अलग प्रबंध

4272. श्री रतिलाल कालीदास वर्मा: क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार का ध्यान 7 जून, 2000 के "नवभारत टाइम्स" में "उच्चतम न्यायालय के निर्देशों का आज तक पालन नहीं हो सका" शीर्षक से प्रकाशित समाचार की ओर आकृष्ट किया गया है;

(ख) यदि हां, तो क्या देश के विशेषकर बिहार के सरकारी अस्पतालों में जलने या बम विस्फोट में घायल होने वालों के अलावा, उपचार करने हेतु अलग प्रबंध किया गया है;

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं; और

(घ) सरकारी अस्पतालों में से ऐसे मामलों का उपचार करने हेतु पर्याप्त प्रबन्ध करने की अनुमति देने के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (प्रो. रीता वर्मा): (क) जी, हां।

(ख) और (ग) सफदरजंग अस्पताल और डा. राम मनोहर लोहिया अस्पताल, नई दिल्ली में अलग बर्न वार्ड कार्यरत हैं। मध्यम स्तर के जले हुए रोगियों का उपचार करने के लिए सुविधाएं लेडी हार्डिंग मेडिकल कालेज और संबद्ध अस्पताल, नई दिल्ली में उपलब्ध हैं। राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार ने सूचित किया है कि जले हुए रोगियों का उपचार करने के लिए लोक नायक अस्पताल, नई दिल्ली में पहले ही पर्याप्त प्रबंध हैं। गुरु तेग बहादुर अस्पताल में 18 पलंगों वाले अच्छी तरह से सुसज्जित विशेष वर्न वार्ड का प्रावधान है और दीन दयाल उपाध्याय अस्पताल में 30 पलंगों की क्षमता के साथ अलग प्रबन्ध किए जा रहे हैं। ऐसे अस्पतालों में जहां पर बर्न वार्ड अलग से नहीं हैं, उन अस्पतालों में लाए जाने वाले रोगियों को प्राथमिक उपचार/चिकित्सा दी जाती है और यदि आवश्यकता होती है तो चिकित्सकों के पर्यवेक्षण में अस्पताल एम्बूलेंस में अन्य अस्पतालों में स्थानांतरित कर दिया जाता है। अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान में कोई अलग से बर्न्स यूनिट नहीं है जो अत्यधिक रोगियों की आवश्यकता को पूरा कर सके। अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान कैज्युलटी में आने वाले सभी रोगियों को प्राथमिक उपचार देकर और नियंत्रित स्थिति के बाद सफदरजंग अस्पताल में रैफर कर दिया जाता है।

दिल्ली नगर निगम ने सूचित किया है कि दिल्ली नगर निगम के किसी भी अस्पताल में अलग से कोई बर्न विभाग नहीं है। तथापि हिन्दू राव अस्पताल में 12% तक जले हुए रोगियों का उपचार करने के लिए प्रबंध मौजूद हैं।

नई दिल्ली नगर पालिका परिषद् ने सूचित किया है कि सभी रोगों के लिए केवल 150 पलंगों वाला एक अस्पताल है और जले हुए रोगियों के लिए अलग से कोई वार्ड नहीं है। जले हुए रोगियों को तुरन्त सूचित कर दिया जाता है कि इस अस्पताल में कोई बर्न यूनिट नहीं है।

संविधान के अंतर्गत "स्वास्थ्य" राज्य का विषय है और अपने प्रशासकीय नियंत्रण के अधीनस्थ अस्पतालों में जले हुए रोगियों के लिए अलग व्यवस्था करना संबंधित राज्य सरकार की जिम्मेवारी है।

(घ) दिल्ली के केन्द्रीय सरकारी अस्पतालों में जले हुए रोगियों का उपचार करने के लिए सभी प्रयास और सभी उपाय किये जाते हैं।

[हिन्दी]

आई.एस.डी. सुविधा का दुरुपयोग

4273. श्री रामदास आठवले:
श्री शंकर प्रसाद जायसवाल:

क्या **संचार मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या इंटरनेट, आई.एस.डी. और इ-मेल सुविधाओं से सुरक्षा के लिए गंभीर समस्या खड़ी हो गई है और असामाजिक तत्व सेना की गुप्त रिपोर्टें राजस्थान के जैसलमेर जिले से पाकिस्तान भेज रहे हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) इस संबंध में सरकार ने क्या कार्यवाही की है?

संचार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री तपन सिकदर): (क) से (ग) सूचना एकत्र की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जाएगी।

कॉल शुल्क

4274. कुंवर अखिलेश सिंह: क्या संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या दिल्ली में तथा कुछ अन्य स्थानों पर निजी ऑपरेटर दूरसंचार विभाग की तुलना में तीन मिनट की कॉल के लिए कम शुल्क ले रहे हैं;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं;

(ग) गुवाहाटी से दिल्ली की एक मिनट की कॉल का शुल्क कितना है और इसमें से दूरसंचार विभाग (डी.ओ.टी.) और निजी आपरेटरों का हिस्सा कितना है;

(घ) क्या डी.ओ.टी. के एक्सचेंज और अन्य आधारभूत ढांचे का इस्तेमाल करने के बावजूद निजी ऑपरेटर कहीं अधिक लाभ कमा रहे हैं जबकि डी.ओ.टी. को इसमें से काफी कम हिस्सा मिल रहा है;

(ङ) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं; और

(च) इस संबंध में सरकार ने क्या कदम उठाए हैं?

संचार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री तपन सिकदर): (क) और (ख) दूरसंचार-सेवाओं के टैरिफ प्रभार "ट्राई" अधिनियम के अनुसार "भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण" द्वारा तय किए जाते हैं। "ट्राई" ने, 9 मार्च 1999 को विभिन्न दूरसंचार-सेवाओं के लिए टैरिफ निर्धारित करने संबंधी दूरसंचार टैरिफ आदेश (टीटीओ) 1999 जारी किया था। ये टैरिफ केवल "सीलिंग" मात्र हैं तथा सेवा प्रदाता इन सीलिंगों के भीतर अपने स्वयं के टैरिफ तय करने को स्वतंत्र हैं, जो कुछेक मामलों में डॉट के टैरिफों से कम हैं।

(ग) डीटीओ-दरों के अनुसार गुवाहाटी से दिल्ली एक मिनट की कॉल के अधिकतम टैरिफ-प्रभार 28.80 रुपये हैं। गुवाहाटी-क्षेत्र में कोई निजी बेसिक सेवा ऑपरेटर नहीं है। अत: किसी बेसिक सेवा आपरेटर के साथ राजस्व का बंटवारा नहीं होता।

(घ) से (च) डीटीओ को उसके नैटवर्क के इस्तेमाल की क्षतिपूर्ति हेतु "ट्राई" ने, 28 मई 1999 को 1999 के अपने विनियम सं. 1 के जरिए डीटीओ व निजी ऑपरेटरों के बीच राजस्व-शेयर तय किए हैं।

विसंगति संबंधी समिति

4275. डॉ. बलिराम: क्या संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या पांचवें वित्त आयोग की रिपोर्ट के क्रियान्वित होने के बाद विभिन्न मंत्रालयों में विसंगति संबंधी समिति का गठन किया गया था;

(ख) यदि हां, तो क्या संचार मंत्रालय में गठित विसंगति संबंधी समिति ने अपनी रिपोर्ट दे दी है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(घ) इस समिति की सिफारिशों को कब तक क्रियान्वित कर दिए जाने की संभावना है?

संचार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री तपन सिकदर): (क) जी, हां। दूरसंचार विभाग में विसंगति समिति का गठन पांचवें वेतन आयोग की रिपोर्ट के कार्यान्वयन के पश्चात् किया गया था।

(ख) जी, हां। उक्त समिति ने अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत कर दी है।

(ग) विसंगति के मामलों से संबंधित सिफारिशें सरकार का अनुमोदन प्राप्त करने के लिए निम्न ब्यौरों के अनुसार कार्मिक तथा प्रशिक्षण विभाग को भेज दी गई थी:

नवम्बर, 1998 - दो मामले

मई, 1999 - एक मामला

अक्तूबर, 1999 - छ: मामले

नवम्बर, 1999 - दो मामले

(घ) विभागीय विसंगति समिति की सिफारिशों के कार्यान्वयन के लिए सरकार का अनुमोदन प्राप्त करना होता है। तीन मामलों के संबंध में निर्णय प्राप्त हो गया है। इन्हें नोडल मंत्रालय अर्थात् कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग ने स्वीकार नहीं किया था। अन्य 8 मामलों के संबंध में कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग तथा वित्त मंत्रालय का निर्णय प्राप्त हो जाने के पश्चात् संचार मंत्रालय विभागीय विसंगति समिति की सिफारिशों का क्रियान्वयन करने में समर्थ होगा।

[अनुवाद]

संसद सदस्यों को तीसरा टेलीफोन

4276. श्री प्रवीण राष्ट्रपाल: क्या संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने हाल ही में संसद सदस्यों को तीसरे टेलीफोन पर पांच हजार निशुल्क कॉलें उपलब्ध कराने की घोषणा की है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसके लिये क्या दिशा-निर्देश बनाए गए हैं;

(ग) इस व्यय को किस व्यय शीर्ष से पूरा किया जाएगा;

(घ) जनता से पैसा वसूल कर संसद सदस्यों पर लुटाने के क्या कारण हैं;

(ङ) सरकार का विचार देश की आम जनता को ऐसी ही सुविधा किस सीमा तक प्रदान करने का है; और

(च) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

संचार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री तपन सिकदर): (क) जी, हां।

(ख) संसद सदस्यों के वेतन और भत्तों संबंधी संयुक्त समिति की सिफारिशों और दिनांक 13.5.2000 की राजपत्रित अधिसूचना सं. 272 को ध्यान में रखते हुए एक संसद सदस्य को 13.5.2000 को दिल्ली/चुनाव क्षेत्र/राज्य में इन्टरनेट कनेक्टिविटी के लिए एक वर्ष में 50,000 मुफ्त कालों के साथ एक तीसरे टेलीफोन की अनुमति दे दी गई है।

(ग) इस संबंध में होने वाला व्यय लोक सभा/राज्य सभा सचिवालय द्वारा वहन किया जाएगा।

(घ) संसद सदस्यों को संसद सदस्यों के वेतन और भत्तों संबंधी संयुक्त समिति की सिफारिश पर उपर्युक्त सुविधा की अनुमति दी गई है जिस पर आने वाला व्यय लोक सभा/राज्य सभा सचिवालय को वहन करना होगा।

(ङ) और (च) टीआरएआई अधिनियम 1997 के तहत उन्हें प्रदान किए गए अधिकारों का प्रयोग करते हुए भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण (टीआरएआई) ने टैरिफ को पुन: संतुलित करके कॉल प्रभारों का औचित्य स्थापित किया है; उपभोक्ता की मुफ्त कॉलों की संख्या में कमी की सिफारिश करते हुए 1.5.1999 से 1.40 रु. से 1.20 रु. प्रति कॉल के उच्चतम स्तर को कम किया है। उच्चतम स्तर में कमी को मंजूर करते हुए सरकार ने प्रत्येक उपभोक्ता को मुफ्त कॉलों की वर्तमान अनुमेय अधिकतम संख्या बनाए रखने का निर्णय लिया है।

आर.पी.एम. प्रणाली

4277. डा. संजय पासवान: क्या संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार को देश के लगभग सभी बड़े शहरों में प्रचलित आर.पी.एम. प्रणाली की जानकारी है;

(ख) यदि हां, तो क्या मनोरंजन के इस तरीके के प्रभाव का कभी आकलन किया गया है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(घ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

संचार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री तपन सिकदर): (क) से (घ) सूचना एकत्र की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जाएगी।

शुक्ला आयोग

4278. श्री होलखोमांग हौकिप: क्या संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या शुक्ला आयोग ने पूर्वोत्तर में दूरसंचार क्षेत्र संबंधी अपनी सिफारिशें प्रस्तुत कर दी हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) उक्त सिफारिशों को कब तक क्रियान्वित किया जाएगा?

संचार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री तपन सिकदर): (क) जी, हां।

(ख) और (ग) प्रधानमंत्री के विशेष पैकेज के संदर्भ में पूर्वोत्तर क्षेत्र में दूरसंचार के विकास के संबंध में शुक्ला आयोग की प्रमुख सिफारिशें इस प्रकार हैं:

सिफारिश-1

दुर्गम पठारों विशेषकर अरुणाचल प्रदेश में डाक संचार में लगने वाले लम्बे समय को देखते हुए तालुक/ब्लॉक स्तर के सभी प्रशासनिक अधिकारियों को फैक्स कनेक्शन उपलब्ध कराए जाने चाहिए। ऐसा दूरसंचार विभाग को मल्टीपल एक्सेस, रेडियो रिले

सिस्टम (एमएआरआर) के माध्यम से अनुलिपि पारेषण सुविधाएं देकर करना चाहिए जो इस समय केबल ऑडियो क्वालिटी पे-फोन प्रचालन ही उपलब्ध कराता है। इसे उच्च प्राथमिकता दी जानी चाहिए।

सिफारिश-2

संबंधित विभाग को समग्र लागत में बचत की संभावना की पुनरीक्षा करनी चाहिए, यदि दूरसंचार विभाग, रक्षा तथा अर्ध सैनिक बलों, पुलिस, आकाशवाणी, दूरदर्शन तथा अन्य की आवश्यकता साझा स्थलों तथा भवनों सहित साझा पारेषण मस्तूलों, भू-केन्द्रों और अन्य सुविधाओं के माध्यम से पूरी की जा सकें।

सिफारिश-3

मोरे (मणिपुर) में एक अलग एक्सचेंज है। सीमा-पार व्यापार के नए अवसरों को देखते हुए इस एक्सचेंज को वीएसएनएल के माध्यम से आईएसडी सुविधाएं उपलब्ध कराई जानी चाहिए। यही बात चम्पारन (मिजोरम) तथा अन्य संभावित अंतर्राष्ट्रीय व्यापार केन्द्रों के लिए भी लागू होती है। पूर्वोत्तर क्षेत्र का ढाका, चिटगांव, रंगून, मंडालय तथा थिम्पू के साथ दूरसंचार सम्पर्कों को उचित ढंग से सुदृढ़ किया जाना चाहिए।

सिफारिश-4

क्षेत्र के भीतर अभिनिर्धारित स्थानों में तथा भूटान और बंगला देश में वर्षापात, जलस्राव तथा बाढ़ के आंकड़े सही समय में देने के लिए विशेष कनेक्शन और सम्पर्क उपलब्ध कराए जाने चाहिए। दूरसंचार विभाग/विदेश संचार निगम लि. को क्षेत्रीय सहयोग के हितों में जल संसाधन मंत्रालय के साथ परामर्श से इसकी योजना बनाई जानी चाहिए।

उपर्युक्त सिफारिशों की स्थिति इस प्रकार है:-

(1) मल्टीपल एक्सेस रेडियो रिले सिस्टम (एमएआरआर) पर फैक्स संभव है। तथापि, चूंकि एमएआरआर प्रौद्योगिकी को विश्वसनीय नहीं पाया गया है अत: इस प्रणाली को और शुरू करना बंद कर दिया गया है। ग्रामीण सार्वजनिक टेलीफोन के प्रावधान के लिए विचाराधीन फैक्स सुविधा सी-डॉट पीएमपी तथा उपग्रह प्रणालियों जैसी नई प्रौद्योगिकी की प्रणालियों पर संभव है। सरकार, राज्य सरकारों की फैक्स संबंधी आवश्यकताएं प्राप्त करते ही उनको सभी संभव सहायता उपलब्ध करा सकेगी।

(2) रक्षा, अर्द्धसैनिक बलों, पुलिस तथा आकाशवाणी की आवश्यकताएं आमतौर पर दूरसंचार प्रचालन विभाग को बता दी जाती हैं। इन आवश्यकताओं को डीटीओ के साझा माध्यम से पूरा किया जाता है। पूर्वोत्तर क्षेत्र में डीटीओ का नेटवर्क आवश्यकताएं पूरी करने के लिए पर्याप्त है। विस्तार योजनाएं मांगों के आधार पर तैयार की जाती हैं।

(3) मोरे (मणिपुर) में 1000 लाइनों का सी-डॉट डिजिटल इलेक्ट्रानिक एक्सचेज है, जो एसडीटी/आईएसडी सुविधा के लिए आप्टिकल फाइबर प्रणालियों के माध्यम से इम्फाल से जुड़ा हुआ है। चम्पई (मिजोरम) में 512 आईएलटी तथा 1000 लाइनों का सी-डॉट एक्सचेंज है। यह इस उपग्रह संचार प्रणाली पर सिंगल चैनल पर कैरियर पर 5+4 सर्किटों के साथ जुड़ा हुआ है। चम्पई में संचार सुविधा में सुधार लाने के लिए वहां उपग्रह माध्यम पर इंटरमीडिएट डाटारेट (आईडीआर) प्रणाली तथा ओएफसी की भी योजना बनाई जा रही है।

पूर्वोत्तर राज्य की अंतर्राष्ट्रीय कॉलें पड़ोसी देशों की अंतर्राष्ट्रीय संपर्कता के साथ उपलब्ध कराए गए नेशनल गेटवे तक डीटीओ के नेटवर्क के माध्यम से जाती हैं। अगरतला से बंगलादेश में ब्राह्मणबरिया तक संपर्क रखने का प्रस्ताव है। पड़ोसी देशों के साथ मौजूदा संपर्कता का ब्यौरा संलग्न विवरण में दिया गया है।

(4) इस संदर्भ में संबंधित मंत्रालयों से कोई आवश्यकता प्राप्त नहीं हुई है। तथापि, डीटीओ के दूरसंचार नेटवर्क से कोई भी आवश्यकता पूरी की जा सकती है।

विवरण

पड़ोसी देशों के साथ अंतर्राष्ट्रीय संपर्कता

1. नेपाल

(क) नेपाल और भारत के बीच डिजिटल माध्यम है-पटना से बीरंगज तक डिजिटल माध्यम ऑप्टिकल फाइबर केबल पर है तथा बीरगंज से काठमांडु तक डिजिटल माइक्रोवेव पर है।

(ख) पटना और काठमांडु के बीच उपलब्ध 30 एमबी/एस क्षमता में से वर्तमान में ग्यारह पीसीएम स्लॉट व्यस्त हैं तथा 5 स्लॉट खाली हैं, जिसे लीज्ड लाइनों के लिए उपलब्ध कराया जा सकता है।

2. भूटान

(क) भारत और भूटान के बीच माध्यम डिजिटल है- सिलिगुड़ी से हशिमारा के बीच माध्यम ऑप्टिकल फाइबर केबल पर है तथा हशिमारा से फुटशोलिंग तक 2 जेगाहर्टज 120 चैनल माइक्रोवेव संपर्क पर है।

(ख) फुटशोलिंग तथा सिलिगुड़ी के बीच उपलब्ध चार पीसीएम में से तीन में टैक्स सर्किट है तथा एक पीसीएम कलकत्ता तथा फुटशिलांग में उपलब्ध प्रथम श्रेणी के एमयूएक्स सहित नॉन-टैक्स सर्किटों के लिए उपलब्ध है। इस माइक्रोवेव रूट में उपलब्ध शेष 30 चैनलों में 5 चैनल इस समय व्यस्त हैं तथा पच्चीस सर्किट खाली हैं, जिनका प्रयोग लाइनों की भावी मांग के लिए किया जा सकता है।

3. बंगलादेश

(क) भारत और बंगलादेश के बीच माध्यम एनालॉग माइक्रोवेव है। कलकत्ता से जस्सोर के बीच ऑप्टिकल फाइबर लिंक का तथा अगरतला में बहृणबरिया एक माइक्रोवेव लिंक का प्रस्ताव है।

(ख) भारत और बंगलादेश के बीच खाली स्लॉट उपलब्ध नहीं है, क्योंकि इस समय केवल एक सुपरग्रुप काम कर रहा है, जो टैक्स सर्किटों से युक्त है।

कलकत्ता से थिम्पू (भूटान) तक तथा कलकत्ता से ढ़ाका (बंगलादेश) तक आउटगोइंग टेलेक्स परियात को वीएसएनएस गेटेक्स स्विच के माध्यम से पुन: भेजा जाता है।

[हिन्दी]

दूरसंचार विभाग के कर्मचारियों द्वारा उपभोक्ताओं का उत्पीड़न

4279. श्री मणिभाई रामजीभाई चौधरी: क्या संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार को ग्रामीण क्षेत्रों में दूरसंचार विभाग के कर्मचारियों द्वारा उपभोक्ताओं के टेलीफोन काटकर किसी और को आवंटित करने के बारे में कोई शिकायत प्राप्त हुई है;

(ख) यदि हां, तो गत तीन वर्षों के दौरान तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) इस संबंध में सरकार ने क्या कदम उठाए हैं?

संचार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री तपन सिकदर): (क) और (ख) इस प्रकार की कोई शिकायत प्राप्त नहीं हुई है।

(ग) उपरोक्त भाग (क) और (ख) के उत्तर को देखते हुए प्रश्न नहीं उठता। तथापि एस.एस.ए. प्रमुख आम जनता के लिए तय मुलाकात के समय के दौरान भी बिना समय लिए जो लोग आते हैं उनकी शिकायतों का निबटारा करने हेतु उनसे भी मिलते हैं। जनता की शिकायतों, यदि हों, के समाधान के लिए खुले सत्र तथा टेलीफोन अदालतें नियमित अन्तराल से आयोजित की जाती हैं।

ओ.बी. जारी करना

4280. श्री राम टहल चौधरी: क्या संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या महानगर टेलीफोन निगम, दिल्ली ओ.बी. जारी करने के बाद टेलीफोन कनैक्शनों की वरीयता तय करता है;

(ख) यदि हां, तो इस संबंध में किस अधिकारी के पास ये अधिकार सुरक्षित हैं;

(ग) 1 जनवरी, 2000 से 30 जून, 2000 के दौरान कितनी वरीयताएं प्रदान की गई हैं;

(घ) किन-किन संसद सदस्यों से कितने-कितने पत्र प्राप्त हुए हैं और उनमें से कितने पत्रों को वरीयता प्रदान की गई;

(ङ) क्या ऐसे भी कुछ मामले हैं जिनमें संसद सदस्यों ने जिनकी सिफारिश की थी उनके ऊपर दूसरे अन्य व्यक्तियों को वरीयता दी गई; और

(च) इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है?

संचार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री तपन सिकदर): (क) और (ख) महानगर टेलीफोन निगम लि., दिल्ली में ओ.बी. जारी होने के पश्चात् टेलीफोन कनेक्शन लगाने के वरीयता का निर्धारण दूरसंचार विभाग द्वारा दिनांक 2.3.1998 के पत्र सं. 2-41/92-पीएचए के तहत निर्धारित किए गए प्रक्रियात्मक दिशा-निर्देश के अनुसार किया जाता है। (प्रति संलग्न)

(ग) 1 जनवरी, 2000 से 30 जून, 2000 की अवधि के दौरान प्रक्रिया के अनुसार टेलीफोन लगाने के लिए 6563 वरीयताएं दी गई हैं।

(घ) ब्यौरे निम्नानुसार हैं:

क्रम सं.	संसद सदस्य का नाम सर्व/श्री	1 जनवरी, 2000 से 30 जून, 2000 के दौरान प्राप्त पत्रों की संख्या	ऐसे उन पत्रों की संख्या जिन पर वरीयता निर्धारित की गई	अभ्युक्ति यदि कोई हो
1.	कर्ण सिंह	5	5	-
2.	एम.एल. खुराना	49	49	-
3.	विजय गोयल	23	23	-
4.	डॉ. अनीता आर्या	13	13	-
5.	एल.बी. तिवारी	28	28	-
6.	वी.के. मल्होत्रा	13	31	-
7.	ए.आर. किदवई	1	1	-
8.	कुलदीप नैय्यर	2	1	माननीय संसद सदस्य द्वारा एमटीएनएल, दिल्ली से बाहर के लिए एक मामले की सिफारिश की गई थी।
9.	करतार सिंह	3	-	माननीय संसद सदस्य द्वारा एमटीएनएल, दिल्ली से बाहर के लिए सभी तीन मामलों की सिफारिश की गई थी।

(ङ) और (च) जी, हां। उपर्युक्त (क) और (ख) के उत्तर में विवरण के रूप में संलग्न उल्लिखित पत्र में निहित मार्गनिर्देशों के अनुसार।

विवरण

सं. 2-41/92 पीएचए दिनांक 2.3.1998

सेवा में,

सभी मुख्य महाप्रबंधक दूरसंचार सर्किल/दूरसंचार जिले/
मुख्य महाप्रबंधक, एमटीएनएल, दिल्ली/मुंबई।
अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक, एमटीएनएल, दिल्ली।

विषय: टेलीफोन कनेक्शनों के स्थानांतरण एवम् संस्थापना से संबंधित प्राथमिकता।

उपर्युक्त उल्लिखित विषय पर इस कार्यालय के दिनांक 2.11.1993 के समसंख्यक परिपत्र के अतिक्रमण में यह निर्णय लिया गया है कि टेलीफोन कनेक्शनों के स्थानान्तरण एवं संस्थापना में दूरसंचार सर्किलों/जिलों द्वारा परस्पर प्राथमिकता के निम्नलिखित क्रम का तत्काल प्रभाव से अनुपालन करना होगा:-

(क) कैजुअल कनेक्शन/अस्थाई कनेक्शन-राष्ट्रीय महत्व की केन्द्र/राज्य स्तर की घटनाओं के लिए 3 माह तक

(ख) टेलीफोन का स्थानान्तरण

(ग) तत्काल

(घ) नॉन-ओवाईटी-जी-एस डब्ल्यू एस/नॉन-ओवाईटी-जी एसई-डी ओ टी

(ङ) सरकारी कनेक्शन

(च) उपर्युक्त (क) के अलावा अस्थायी कनेक्शन

(छ) संसद सदस्यों/निदेशालय द्वारा स्वीकृत बिना बारी का कनेक्शन

(ज) नॉन ओवाईटी-एसएस

(झ) ओवाईटी-स्पेशल

(ञ) ओवाईटी- जनरल

(ट) नॉन-ओवाईटी- स्पेशल

(ठ) टीएसी के सदस्यों की सिफारिशों के आधार पर स्वीकृत बिना बारी के कनेक्शन

(ड) नॉन ओवाईटी- जनरल

जहां तक लोकल तथा एसटीडी/आईएसडी पे-फोनों का संबंध है, एक्सचेंज की क्षमता का 5% भाग सुरक्षित रखना होगा और ऐसे पे-फोन दिनांक 14.8.1992 के ज्ञापन सं. 31.13.91-पीएचबी में निहित हमारे अनुदेशों के अनुसार केवल 5% के इसी आरक्षित कोटा में आबंटित/संस्थापित किए जाएंगे।

ह./-
(एस.के. भारद्वाज)
सहायक महानिदेशक (पीएचए)

[अनुवाद]

सी.एस.बी.एल. की वित्तीय स्थिति

4281. श्री रघुनाथ झा: क्या जल-भूतल परिवहन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या कलकत्ता डॉक सिस्टम के वित्तीय सलाहकार और लेखाधिकारी ने सी.एस.बी.एल. की वित्तीय स्थिति के बारे में सलाह दी है;

(ख) यदि हां, तो क्या कलकत्ता डॉक विभाग द्वारा सी.एस.बी.एल. को लंबे समय के लिए ड्राई डॉक लीज दी गई थी; और

(ग) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं?

जल-भूतल परिवहन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री हुक्मदेव नारायण यादव): (क) और (ख) जी हां।

(ग) चोखानी शिपयार्ड (बंगाल) लि. कंपनी अधिनियम, 1956 के तहत एक विधिवत निगमित कंपनी है। कलकत्ता पत्तन न्यास के न्यासी मंडल ने सभी पहलुओं पर विस्तार से विचार करने के बाद एन.एस. शुष्क गोदी को चोखानी शिपयार्ड (बंगाल) लि. को सौंपने का निर्णय लिया।

एअर इंडिया का केरिबजेट के साथ समझौता

4282. श्री आर.एल. भाटिया:
श्री कालवा श्रीनिवासुलु:
श्री बच्चन राजभर:

क्या नागर विमानन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या 1994 से 1997 तक केरिबजेट के साथ भारत में तीन विमानों के परिचालन के लिए "वेट लीज" समझौते के कारण एअर इंडिया को भारी घाटा हुआ था;

(ख) केरिबजेट को किस दर से भुगतान किया गया;

(ग) क्या समझौते से पहले कानूनी राय ली गई थी; और

(घ) यदि हां, तो "टेक ऑर पे" करार पर हस्ताक्षर हेतु क्या कार्रवाई की गई है या किए जाने का प्रस्ताव है?

नागर विमानन मंत्री (श्री शरद यादव): (क) और (ख) एअर इंडिया ने दिसम्बर, 1994 से आरंभ में छ: महीने के लिए मैसर्स कैरिबजेट से दो ए-310-300 विमान वेट लीज पर लिए थे जिसे 3285 अमरीकी डालर प्रति घंटे की दर से दिसम्बर, 1995 तक बढ़ाया जाना था। पट्टे को दिसम्बर 1995 तक बढ़ाया गया था। नवम्बर, 1995 में पुन: एअर इंडिया में निम्नलिखित पट्टा दरों पर 1.1.96 से दो वर्षों के लिए, दो एल-1011-500 विमान तथा एक ए-310-300 विमान के वेट लीज के लिए मैसर्स कैरिबजेट के साथ एक करार किया था:

	दो एल-1011-500 के लिए	एक ए-310-300 के लिए
न्यूनतम गारंटी उपयोगिता (घंटे/ए/सी/महीना)	333	333
पट्टा दर (अमरीकी डालर/घंटे)		
0-333 घंटे	5450	4822
333+ घंटे	4628	3825

एअर इंडिया ने तकनीकी चूकों तथा नागर विमानन महानिदेशालय के विभिन्न मानकों को पूरा न कर पाने के कारण 4 सितम्बर, 1996 से कैरिबजेट के साथ वेट लीज करार समाप्त कर दिया था। कैरिबजेट ने करार के प्रावधानों के अनुसरण में मामले को न्यायिक न्यायाधिकरण, लन्दन के साथ उठाया। न्यायाधिकरण ने बेहतर साक्ष्य के बावजूद इस बात का निर्धारण किया कि लाभ के घाटे को मैसर्स कैरिबजेट को अदा करना था तथा पट्टे के शेष भाग

के लिए मैसर्स कैरिबजेट को 23.63 मिलियन अमरीकी डालर (103 करोड़ रुपये) की निवल प्रतिपूर्ति करने को कहा।

(ग) जी, हां। 1994 तथा 1995 में कैरिबजेट के साथ किए गए वेट लीज करार की एअर इंडिया के सोलिसिटर द्वारा इन करारों के हस्ताक्षर से पूर्व विधिवत जांच की गई थी।

(घ) नागर विमानन मंत्रालय ने 1994 तथा 1995 के वेट लीज करारों की छानबीन करने के लिए केन्द्रीय अन्वेषण ब्यूरो को कहा है।

इंडियन एयरलाइंस के स्टाफ द्वारा तस्करी

4283. डा. मन्दा जगन्नाथ:
श्री के. येरननायडू:

क्या नागर विमानन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या इंडियन एयरलाइंस के स्टाफ ने आई.सी.-882 उड़ान में जून के अन्तिम सप्ताह में शारजाह से सोने के बिस्कुटों की तस्करी की थी;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) ऐसे राष्ट्र विरोधी तत्वों से छुटकारा पाने के लिए क्या कार्रवाई किये जाने का प्रस्ताव है?

नागर विमानन मंत्री (श्री शरद यादव): (क) और (ख) राजस्व आसूचना निदेशालय, नई दिल्ली द्वारा यह रिपोर्ट दी गई है कि 27 जून, 2000 को श्री वासुदेव प्रसाद, फोरमैन, कर्मचारी नं. 278866 को विमान के एक पिछले शौचालय से जिसने 27 जून, 2000 की सुबह के समय आईसी-882 (शारजाह-दिल्ली) की उड़ान प्रचालित की थी और वह जिस समय अपनी अंतर्राष्ट्रीय उड़ान के प्रचालन के बाद घरेलू हवाई अड्डे पर खड़ा हुआ था, एक पैकेट प्राप्त हुआ था जिसमें 10 तोला वजन के 44 स्वर्ण बिस्कुट थे और जिनका कुल वजन 5.130 कि.ग्रा. था। बाद में श्री वासुदेव प्रसाद ने किसी आउटसाइडर को ये बिस्कुट सौंप दिए थे। राजस्व आसूचना निदेशालय के अधिकारियों द्वारा आगे और पूछताछ के बाद उन्होंने एक और पैकेट प्राप्त किया जिसमें 44 स्वर्ण बिस्कुट थे और जिसे उसी विमान के पिछले शौचालय में छिपाया हुआ था। श्री वासुदेव प्रसाद को राजस्व आसूचना निदेशालय द्वारा गिरफ्तार कर लिया गया और वह अब न्यायिक हिरासत में है।

(ग) श्री वासुदेव प्रसाद को 27 जून, 2000 से सक्षम प्राधिकारी द्वारा निलंबित कर दिया गया है। उनके विरुद्ध अनुशासनिक कार्रवाई की जा रही है।

इंटरनेट टेलीफोनी

4284. श्री अशोक प्रधान: क्या संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या कुछ निजी कंपनियों/व्यक्तियों ने इंटरनेट टेलीफोनी का उपयोग आरम्भ किया है;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार ने इसकी अनुमति दी है; और

(ग) यदि नहीं, तो सरकार ने इस संबंध में क्या कदम उठाए हैं?

संचार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री तपन सिकदर): (क) और (ग) इंटरनेट टेलीफोनी के प्रयोग की अनुमति नहीं है। नई दूरसंचार नीति (एनटीपी)'99 के अनुसार इंटरनेट टेलीफोनी की अनुमति इस समय नहीं दी जाएगी। तथापि, सरकार प्रौद्योगिकी नवीनताओं और राष्ट्रीय विकास पर इसके प्रभाव की निगरानी करती रहेगी और उचित समय पर इस मुद्दे का पुनरीक्षण करेगी।

(ख) उपर्युक्त (क) तथा (ग) भाग का उत्तर देखते हुए प्रश्न नहीं उठता।

[हिन्दी]

राष्ट्रीय जनसंख्या को स्थिर करना

4285. श्रीमती रेणु कुमारी:
डा. जसवंत सिंह यादव:

क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने राष्ट्रीय जनसंख्या को स्थिर करने के लिए कोष की स्थापना करना और एक उच्च शक्ति प्राप्त कार्यकारी दल के गठन का निर्णय लिया है;

(ख) यदि हां, तो इसके सदस्यों के नाम क्या हैं और इनकी स्थापना कब तक किए जाने की संभावना है; और

(ग) इस संबंध में विभिन्न राज्यों की क्या प्रतिक्रिया है?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (प्रो. रीता वर्मा): (क) जी, हां.। सरकार ने एक राष्ट्रीय जनसंख्या स्थिरीकरण निधि और कार्य समूह गठित करने का फैसला किया है।

(ख) और (ग) उपर्युक्त के गठन की रूपरेखा तैयार की जा रही है और शीघ्र ही अन्तिम रूप दिए जाने की संभावना है। 22 जुलाई, 2000 को आयोजित राष्ट्रीय जनसंख्या आयोग की पहली बैठक के दौरान, अधिकांश राज्यों ने राष्ट्रीय जनसंख्या स्थिरीकरण निधि स्थापित करने के बारे में अनुकूल उत्तर दिया है।

[अनुवाद]

आयुर्वेदिक अस्पताल की स्थापना

4286. श्री विलास मुत्तेमवार:
श्री त्रिलोचन कानूनगो:

क्या **स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या प्रधान मंत्री ने आयुर्वेद में गहरी रुचि दिखाई है;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार ने देश में आयुर्वेदिक अस्पतालों, औषधालयों और शिक्षण संस्थाओं की सुविधाएं बढ़ाने का निर्णय लिया है;

(ग) यदि हां, तो पिछले तीन वर्षों के दौरान प्रति वर्ष और नौवीं योजना अवधि की शेष अवधि के दौरान राज्य-वार प्राप्त प्रस्तावों, धनराशि के आबंटन, उन पर किए गए खर्च, निर्धारित लक्ष्यों और प्राप्त की गई उपलब्धियों का ब्यौरा क्या है; और

(घ) यदि नहीं, तो नौवीं योजना अवधि की शेष-अवधि के दौरान अन्य भारतीय चिकित्सा पद्धतियों के विस्तार हेतु क्या कदम उठाए गए हैं?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (प्रो. रीता वर्मा): (क) जी, हां।

(ख) से (घ) स्वास्थ्य राज्य विषय है। राज्य सरकारें और संघ राज्य क्षेत्र अपनी जरूरतों, उच्च प्राथमिकताओं और वित्तीय संसाधनों को देखते हुए अस्पतालों औषधालयों और चिकित्सा संस्थाओं की स्थापना करते हैं। केन्द्र सरकार राष्ट्र स्तरीय संस्थाएं स्थापित करती है। इसने राष्ट्रीय आयुर्वेद संस्थान (एन.आई.ए.) जयपुर, राष्ट्रीय होमियोपैथी संस्थान (एन.आई.एच.) कलकत्ता, राष्ट्रीय प्राकृतिक चिकित्सा संस्थान (एन.आई.एन) पुणे, मोरारजी देसाई राष्ट्रीय योग संस्थान (एम.डी.एन.आई.वाई.), नई दिल्ली, राष्ट्रीय यूनानी चिकित्सा संस्थान (एन.आई.यू.एम.), बेंगलूर की स्थापना पहले ही कर दी है। राष्ट्रीय यूनानी चिकित्सा संस्थान बेंगलूर के मुख्य भवन का निर्माण कार्य जल्द ही शुरू किया जाएगा।

इसके अलावा, आयुर्वेद और सिद्ध, यूनानी और होमियोपैथी चिकित्सा पद्धति अनुसंधान परिषदों के कार्यकलापों में सहायता करने, स्नातकपूर्व/स्नातकोत्तर शिक्षा संस्थाओं के सुदृढ़ीकरण और उन्नयन, कृषि तकनीकों का निर्माण, जागरूकता सृजन आदि जिन पर संबंधित संगठनों और अभिकरणों के जरिए योजनाओं के अनुसार सीधे अमल किया जाता है, से व्यय को बहुत हद तक संबद्ध कर दिया गया है।

9वीं योजना की शेष अवधि के दौरान विभिन्न योजनाएं निर्माण की अन्तिम अवस्था में हैं जिनमें अन्य बातों के साथ चिकित्सीय पादप मंडल की स्थापना करना तथा राज्य औषध जांच प्रयोगशालाओं और फार्मेसियों को मजबूत करना शामिल है। योजनाओं को अनुमोदित किए जाने के बाद निधियों का आबंटन निश्चित किया जाएगा।

[हिन्दी]

राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या-2 का निर्माण

4287. डा. राम लखन सिंह: क्या **जल-भूतल परिवहन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) चार लेन वाली सड़क राष्ट्रीय राजमार्ग-2 का निर्माण करने के लिए अब तक कितनी धनराशि आवंटित की गई है;

(ख) उक्त राष्ट्रीय राजमार्ग पर कितने किलोमीटर लम्बी सड़क का निर्माण कार्य पूरा किया जा चुका है और इसका शेष कार्य कब तक पूरा होने की संभावना है;

(ग) क्या इस राष्ट्रीय राजमार्ग के रास्ते में वन पड़ने से निर्माण काय रुक गया है; और

(घ) यदि हां, तो इस समस्या का समाधान कब तक कर लिए जाने की संभावना है और तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

जल-भूतल परिवहन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री हुक्मदेव नाराधण यादव): (क) और (ख) रा.रा.-2 पर 4 लेन बनाने से संबंधित कार्य का ब्यौरा इस प्रकार है:-

	खंड	अनुमानित लागत (करोड़ रु.)	स्थिति
1.	दिल्ली-मथुरा (111.03 कि.मी.)	194.50	पूरा हो गया।
2.	मथुरा-आगरा (51.33 कि.मी.)	154.10	पूरा हो गया।
3.	आगरा-बरवा अड्डा		
	(1) चुनिंदा खंड (477 कि.मी.)	2616.00	विश्व बैंक ऋण पर हस्ताक्षर किए गए। परियोजना सौंपी जानी है
	(2) यथोक्त (532 कि.मी.)	2099.00	विश्व बैंक ऋण पर वार्ता की जानी है।
4.	बरवा अड्डा-बराकर (42.69 कि.मी.)	187.60	चालू है, अक्तूबर, 2000 तक पूरा करने का लक्ष्य है।
5.	बराकर-रानीगंज (35.40 कि.मी.)	141.91	चालू है, अक्तूबर, 2000 तक पूरा करने का लक्ष्य है।
6.	रानीगंज-पानागढ़ (41.24 कि.मी.)	231.90	चालू है, अप्रैल, 2001 तक पूरा करने का लक्ष्य है।
7.	पानागढ़-पाल्सित (69 कि.मी.)	310.00	शुरू किया जाना है। दिसम्बर, 2003 तक पूरा करने का लक्ष्य है।
8.	पाल्सित-धनकुरिल (65 कि.मी.)	324.00	-यथोक्त-

(ग) जी नहीं।

(घ) प्रश्न नहीं उठता।

[अनुवाद]

कर्नाटक में राष्ट्रीय अंधता नियंत्रण कार्यक्रम का कार्यान्वयन

4288. श्री आर.एल. जालप्पा: क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) कर्नाटक राज्य में उन सरकारी/साधारण अस्पतालों का ब्यौरा क्या है जिनका राष्ट्रीय अन्धता नियंत्रण कार्यक्रम के अन्तर्गत ग्रामीण समुदायों को क्लीनिक और नेत्र शल्य चिकित्सा सेवाएं प्रदान करने के लिए दर्जा बढ़ाया गया है; और

(ख) वर्ष 2000-2001 में उपरोक्त कार्यक्रम के अन्तर्गत दर्जा बढ़ाए जाने के लिए प्रस्तावित अस्पतालों का ब्यौरा क्या है?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (प्रो. रीता वर्मा): (क) ग्रामीण समुदायों को नेत्र देखरेख सेवाएं प्रदान करने के लिए राष्ट्रीय दृष्टिहीनता नियंत्रण कार्यक्रम के अन्तर्गत 24 जिला अस्पतालों का उन्नयन किया गया है। प्रत्येक जिले में मोबाईल नेत्र एकक है जो ग्रामीण क्षेत्रों में जांच शिविर आयोजित करती है तथा शल्य चिकित्सीय सेवाओं की जरूरत वाले रोगियों को मूल (बेस) अस्पताल लाता है।

(ख) वर्ष 2000-01 के दौरान, आवश्यक उपकरणों की आपूर्ति तथा नेत्र शल्य चिकित्सकों के प्रशिक्षण द्वारा आई.ओ.एल मोतियाबिन्द की शल्य चिकित्सा करने के लिए जिला अस्पतालों को सुदृढ़ किया जा रहा है। नेत्र वार्ड तथा ऑपरेशन थियेटरों के नवीकरण तथा मरम्मत के लिए राज्य सरकार को 10 लाख रुपये भी आबंटित किए गए हैं।

इंडियन एयरलाईंस की उड़ान संख्या 540 को न उड़ाया जाना

4289. श्री बी. वेंकटेस्वरलु:
प्रो. उम्मारेड्डी वेंकटेस्वरलु:

क्या नागर विमानन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या दिल्ली और चेन्नई के बीच इंडियन एयरलाइंस की उड़ान संख्या 540 को 12 जुलाई, 2000 को नहीं उड़ाया गया;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं;

(ग) क्या इस उड़ान के बंद करने की जवाबदेही तय की गई है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ङ) विमान में यात्रियों को सवार कराने से पूर्व विमान का धूम्रीकरण न किए जाने के क्या कारण हैं; और

(च) ऐसी घटनाओं की पुनरावृत्ति भविष्य में न हो, इसके लिए क्या कदम उठाए गये हैं?

नागर विमानन मंत्री (श्री शरद यादव): (क) जी, हां।

(ख) आई सी 539 विमान वी टी-ई वी डी आने वाली उड़ान से सिंगापुर प्रचालन के लिए चेन्नई में बी-4 प्रकार के विमान की आवश्यकता के कारण 1900 बजे की एस टी डी के प्रति 21.45 बजे के लिए दिनांक 12.07.2000 की फ्लाइट आई सी 540 हेतु दिल्ली-चेन्नई के प्रचालन के लिए समय-परिवर्तन किया गया था। टी एन बी 128 यात्रियों सहित उड़ान 2145 बजे वापिस आ गई। 2155 बजे सूचित किया गया था कि विमान में एक चूहा दिखाई दिया था और इसलिए विमान के कप्तान ने विमान को वापस बे में लाने का निर्णय लिया । विमान बे में पहुंचा और यात्रियों को उतारा गया तथा टर्मिनल भवन पर लाया गया।

(ग) और (घ) इंडियन एयरलाइंस द्वारा मामले पर विचार किया गया था। विमान के ग्राउंडिंग के लिए किसी भी व्यक्ति विशेष को जिम्मेदार ठहराना संभव नहीं था।

(ङ) प्रत्येक उड़ान से पूर्व विमान का धूम्रीकरण नहीं किया जाता है। जैसे ही विमान में चूहे का पता चला वैसे ही विमान के सुरक्षित प्रचालन को सुनिश्चित करने के लिए अगली उड़ान भरने के लिए विमान को धूम्रीकृत किया गया।

(च) खान-पान प्रबंधक को नियमित रूप से धूम्रीकृत करने की सलाह दी गई है जिसके द्वारा खाद्य सामग्री विमान में लाई जाती है संभव कृन्तक संकट के प्रति अधिक सावधानी बरतने के लिए खान-पान प्रबन्धन अनुभाग को सलाह दी गई है।

[हिन्दी]

रांची-गुमला राष्ट्रीय राजमार्ग सं. 22 की स्थिति

4290. प्रो. दुर्गा भगत: क्या जल-भूतल परिवहन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या ठेकेदार द्वारा की गई अनियमितताओं के कारण रांची-गुमला राष्ट्रीय राजमार्ग-22 की स्थिति दयनीय हो गई है;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं; और

(ग) सरकार द्वारा उक्त राजमार्ग की मरम्मत और इसे यातायात योग्य बनाए जाने के लिए क्या कार्यवाही की गई है?

जल-भूतल परिवहन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री हुकमदेव नारायण यादव): (क) जी नहीं। रांची-गुमला खंड जो राष्ट्रीय राजमार्ग 23 का एक भाग है, पर ठेकेदार की ओर से कार्य के कार्यान्वयन में किसी अनियमितता की जानकारी नहीं मिली है। रांची-गुमला खंड यातायात योग्य स्थिति में है।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

(ग) इस खंड को उपलब्ध संसाधनों से यातायात योग्य स्थिति में रखा जा रहा है।

बिहार में वन भूमि को नियंत्रण मुक्त करना

4291. श्री ब्रजमोहन राम: क्या पर्यावरण और वन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या केन्द्र सरकार के पास बिहार के गढ़वा जिले के भवनाथपुर के हसलदग क्षेत्र में भारतीय इस्पात प्राधिकरण लि. द्वारा डोलोमाइट खानों के परिचालन हेतु 100 एकड़ वन भूमि को नियंत्रण मुक्त कराने का कोई प्रस्ताव विचाराधीन है;

(ख) यदि हां, तो क्या मध्य प्रदेश में बिरला औद्योगिक घराने द्वारा खनिजों के दोहन हेतु 100 एकड़ वन भूमि को नियंत्रण मुक्त किया गया है; और

(ग) यदि हां, तो बिहार के गढ़वा जिले के भवनाथपुर के हसलदग क्षेत्र में भारतीय इस्पात प्राधिकरण लि. द्वारा डोलोमाइट खानों हेतु वन भूमि को नियंत्रण मुक्त न करने का क्या कारण है?

पर्यावरण और वन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री बाबू लाल मरांडी): (क) से (ग) 1998 में वन (संरक्षण) अधिनियम 1980 की धारा-2 के अंतर्गत बिहार राज्य सरकार से गढ़वा जिले में भारतीय इस्पात प्राधिकरण के पक्ष में भावनाथपुर चूना पत्थर खानों के खनन पट्टे के नवीकरण हेतु 198.24 हैक्टेयर वन भूमि को उपयोग में लाने का एक प्रस्ताव प्राप्त हुआ था। प्रस्ताव की छानबीन के दौरान बिहार राज्य सरकार से कुछ अतिरिक्त सूचना 22.03.1999 को मांगी गई थी। बिहार राज्य सरकार द्वारा आवश्यक सूचना तीन माह की निर्धारित समयावधि के भीतर प्रस्तुत न करने

के कारण प्रस्ताव को आवश्यक सूचना न प्राप्त होने के कारण 11.11.1999 को नामंजूर कर दिया गया था।

बिहार राज्य से वन (संरक्षण) अधिनियम 1980 के अंतर्गत बिरला इन्डस्ट्रीयल हाऊस के पक्ष में गढ़वा जिले में खनिज पदार्थों के खनन के लिए वन भूमि को उपयोग में लाने का कोई प्रस्ताव प्राप्त नहीं हुआ है।

[अनुवाद]

पी.जी.आई. चण्डीगढ़ में अस्पताल संबंधी सुविधाएं

4292. श्री रामसागर रावत: क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या 1995-98 के दौरान शोध उद्देश्य के लिए इनडोर और आउटडोर रोगियों से अस्पताल संबंधी सुविधा देने के बदले 5.17 करोड़ रुपये और विभिन्न अस्पताल संबंधी परीक्षणों के लिए 2.30 करोड़ रुपये वसूलने में पी.जी.आई. चण्डीगढ़ असफल रहा है;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं;

(ग) क्या इस हानि के लिए सरकार ने कोई जबावदेही निर्धारित की है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) यदि नहीं, तो उक्त पैसा वसूलने के लिए सरकार ने क्या कदम उठाए हैं?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (प्रो. रीता वर्मा): (क) से (ङ) आधारभूत और जीवन रक्षक दवाइयां/ डिस्पोजेबल इस अस्पताल द्वारा 1962 में अपनी स्थापना के बाद से ही अंतरंग और बहिरंग रोगियों को दिए जाते रहे थे। अस्पताल की आय को बढ़ाने के संस्थान द्वारा अस्पताल के शुल्कों के संबंध में एक समीक्षा की गई और 24 अप्रैल, 1995 को एक आदेश जारी किया गया था जिसमें अन्य बातों के साथ-साथ यह व्यवस्था थी कि सभी दवाइयों और डिस्पोजेबल रोगियों द्वारा स्वयं उपलब्ध किए जाएंगे। तथापि, आपात स्थिति में, जीवन रक्षक दवाइयां अस्पताल द्वारा प्रदान की जाएंगी और वे रोगी द्वारा प्रतिस्थापित की जाएंगी। उपर्युक्त आदेश को लागू नहीं किया जा सका क्योंकि इसमें निम्नलिखित कठिनाइयां थी:

1. कुछ जीवन रक्षक औषधों जैसे इंजेक्शन एन्टी डिप्थेरिया सीरम, एन्टी स्नेक वेनम और इंजेक्शन मारफिन, टैबलेट मॉरफिन, इंजेक्शन पेथिडाइन, इंजेक्शन मिडाजोलाम जैसी स्वापक (नारकोटिक) औषधों, जो बाजार में उपलब्ध नहीं थी, को अस्पताल द्वारा प्राप्त तथा उपलब्ध करवाकर रोगियों को दिया जाना था।
2. आई./वी. फ्ल्यूड, पट्टियां, जाली (गॉज), चिपकने वाले (स्टिकिंग) प्लास्टर तथा स्प्रिट, एन्टिसेप्टिक सॉल्यूशन, क्रीम, लोशन डिसइन्फेक्टैंट आदि जैसी अन्य ड्रेसिंग सामग्री अस्पताल द्वारा उपलब्ध कराए जाने की आशा की जाती है।
3. आपात वार्ड में भर्ती कुछ रोगी अज्ञात थे। इनमें से अधिकांश रोगी दुर्घटना के शिकार थे और या तो पुलिस या सामान्य नागरिकों द्वारा लाए गए थे।
4. ऐसे रोगियों जिनका निधन हो गया, के मामले में प्रतिस्थापना की मांग नहीं की जा सकी हालांकि वे रोगी गरीब नहीं भी थे।

इसके अतिरिक्त, चण्डीगढ़ में तैनात पंजाब, हरियाणा सरकार और संघ राज्य क्षेत्र प्रशासन के कर्मचारीगण इस संस्थान में निःशुल्क उपचार करवाने के हकदार थे। साथ ही, इस संस्थान के कर्मचारीगण और उनके आश्रित भी निःशुल्क उपचार के हकदार थे। इसलिए स्नातकोत्तर संस्थान, चण्डीगढ़ में उनके उपचार के दौरान उन्हें दवाइयां और डिसपोजेबल अस्पताल द्वारा प्रदान किए गए थे। इस पृष्ठभूमि के साथ और संस्थान के कार्यात्मक उद्देश्यों तथा सामान्यतया रोगियों के प्रति इसकी सामाजिक उत्तरदायित्व को ध्यान में रखकर अप्रैल, 1995 में जारी आदेश की समीक्षा की गई और इसे आस्थगित रखा गया।

[हिन्दी]

बिहार में डाक सेवाएं

4293. श्री दिनेश चन्द्र यादव: क्या संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने आठवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान बिहार के ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों में विशेषकर सहरसा, सुपौल और मधेपुरा जिलों में डाक सेवाओं के विकास/आधुनिकीकरण और विस्तार के लिए कोई योजना तैयार की थी;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इस पर कितना व्यय हुआ है; और

(ग) राज्य में और उक्त जिलों में डाक सेवाओं के विकास/ आधुनिकीकरण और विस्तार हेतु नौवीं पंचवर्षीय योजना के लिए शुरू किए गए कार्यक्रमों का ब्यौरा क्या है?

संचार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री तपन सिकदर): (क) से (ग) डाक विभाग के विकास/आधुनिकीकरण के कार्यों का कार्यान्वयन प्रत्येक वार्षिक योजना के अंतर्गत, ग्रामीण एवं शहरी क्षेत्रों में विभिन्न डाक क्रियाकलापों के लिए आबंटित लक्ष्यों के अनुसार किया जाता है। 8वीं पंचवर्षीय योजना (1992-97) और 9वीं पंचवर्षीय योजना के प्रथम तीन वर्षों (1997-2000) के दौरान बिहार में कार्यान्वित इन कार्यों का ब्यौरा संलग्न विवरण-I में दिया गया है 8वीं पंचवर्षीय योजना और 9वीं पंचवर्षीय योजना के प्रथम तीन वर्षों के दौरान सहरसा, सुपौल और मधेपुरा जिलों में कार्यान्वित योजनागत क्रियाकलापों का ब्यौरा संलग्न विवरण-II में दिया गया है।

विवरण-I

8वीं योजना और 9वीं पंचवर्षीय योजना के प्रथम तीन वर्षों के दौरान बिहार सर्किल में किए गए विकास/आधुनिकीकरण क्रियाकलाप

	विकास कार्य	8वीं योजना में प्राप्त लक्ष्य	9वीं योजना की प्रथम 3 वर्षीय योजनाओं में प्राप्त लक्ष्य
1.	डाकघर खोलना		
	अतिरिक्त विभागीय शाखा डाकघर	183	154
	उप डाककघर	21	6
2.	पंचायत संचार सेवा केन्द्र खोलना	31	57
3.	डाकघरों में बहुउद्देशीय काउंटर मशीनें (एमपीसीएम) लगाना	203	274
4.	वेरी स्माल अपर्चर टर्मिनल स्टेशनों (वीएसएटी) की स्थापना	6	6
5.	विस्तारित उपग्रह मनीआर्डर केन्द्रों की स्थापना	20	45
6.	डाकघरों का आधुनिकीकरण	21	21
7.	मेल आफिसों का आधुनिकीकरण	3	11
8.	प्रचालक कार्यालयों का निर्माण	16	7
9.	स्टाफ क्वार्टरों का निर्माण	57	12
10.	प्रशासनिक कार्यालयों का निर्माण	2	2

बिहार सर्किल में 8वीं योजना के अंतर्गत कार्यान्वित विभिन्न योजनागत क्रियाकलापों पर 13.43 करोड़ रुपये खर्च किए गए।

विवरण-II

8वीं योजना और 9वीं योजना के प्रथम तीन वर्षों के दौरान तीन जिलों (सहरसा, सुपौल और मधेपुरा) में किए गए विकास/आधुनिकीकरण क्रियाकलाप

सहरसा जिला

आठवीं पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत

- 10 अतिरिक्त विभागीय शाखा डाकघर और 1 उप डाकघर खोला गया।
- सहरसा प्रधान डाकघर में 1 विस्तारित उपग्रह मनीआर्डर (ईएसएमओ) केन्द्र स्थापित किया गया।

नौवीं पंचवर्षीय योजना के प्रथम तीन वर्षों (1997-2000) के दौरान

- 5 अतिरिक्त विभागीय शाखा डाकघर (ईडीबीओ) खोले गए।
- सहरसा प्रधान डाकघर का आधुनिकीकरण किया गया।

- सहरसा प्रधान डाकघर को जेनरेटर सेट दिया गया।
- सहरसा प्रधान डाकघर में बचत बैंक लोकल एरिया नेटवर्क प्रणाली स्थापित की गई।

सुपौल जिला

आठवी पंचवर्षीय योजना के दौरान

- एक अतिरिक्त विभागीय शाखा डाकघर (ईडीबीओ) खोला गया।

नौवीं पंचवर्षीय योजना के प्रथम तीन वर्षों (1997-2000) के दौरान

- एक अतिरिक्त विभागीय शाखा डाकघर (ईडीबीओ) खोला गया।
- एक पंचायत संचार सेवा केन्द्र खोला गया।
- सुपौल उप डाकघर में अगले माह विस्तारित उपग्रह मनीआर्डर केन्द्र (ईएसएमओ) खोलने का प्रस्ताव है।

मधेपुरा जिला

आठवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान

- एक अतिरिक्त विभागीय शाखा डाकघर (ईडीबीओ) खोला गया।
- दो उप डाकघर खोले गए।

नौवीं पंचवर्षीय योजना के प्रथम तीन वर्षों (1997-2000) के दौरान

- 4 पंचायत संचार सेवा केन्द्र खोले गए।
- 112 पत्र पेटियां लगाई गई।
- मधेपुरा उप डाकघर में अगले माह विस्तारित उपग्रह मनीआर्डर केन्द्र खोला जाना प्रस्तावित है।

राष्ट्रीय राजमार्गों पर नए पुलों का निर्माण

4294. योगी आदित्यनाथ: क्या जल-भूतल परिवहन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार को राज्य सरकारों से विशेषत: उत्तर प्रदेश से राष्ट्रीय राजमार्गों में विभिन्न स्थानों पर नए पुलों के निर्माण संबंधी प्रस्ताव प्राप्त हुए हैं;

(ख) यदि हां, तो इसका राज्य-वार ब्यौरा क्या है; और

(ग) इस संबंध में निर्माण कार्य कब तक प्रारंभ होने की संभावना है?

जल-भूतल परिवहन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री हुकमदेव नारायण यादव): (क) और (ख) जी, हां। उत्तर प्रदेश राज्य सरकार से ऐसे दो प्रस्ताव प्राप्त हुए हैं। इन परियोजनाओं तथा अन्य राज्यों से प्राप्त प्रस्तावों के ब्यौरे विवरण के रूप में संलग्न हैं।

(ग) चूंकि इन परियोजनाओं को अभी स्वीकृति प्रदान नहीं की गई है अत: अभी यह बता पाना संभव नहीं है कि ये परियोजनाएं कब शुरू की जाएंगी। इन परियोजनाओं को स्वीकृति प्रदान करना कार्य की पारस्परिक प्राथमिकता, धनराशि की उपलब्धता और प्रस्ताव की तकनीकी उपयुक्तता पर निर्भर करता है।

विवरण

राज्य सरकारों से प्राप्त प्रस्तावों की स्थिति दर्शाने वाला विवरण

क्रम सं.	रा.रा. सं.	राज्य का नाम	पुल का नाम
1.	28	उत्तर प्रदेश	गोरखपुर में 262 कि.मी. पर राप्ती नदी पर नए पुल का निर्माण
2.	58	-वही-	सकौती टाडा में 88 कि.मी. पर सड़कोपरि पुल और पहुंच मार्गों का निर्माण
3.	12	राजस्थान	190 कि.मी. में उच्च स्तरीय पुल का निर्माण
4.	12	-वही-	219 कि.मी. मंगली पुल का निर्माण
5.	12	-वही-	223 कि.मी. में घोड़ा पछाड़ पुल का निर्माण
6.	10	पंजाब	398 कि.मी. में खुई खेड़ा पुल का निर्माण
7.	47	तमिलनाडु	604/4 कि.मी. में कुजीतुरै पुल का निर्माण
8.	4	-वही-	122/4 कि.मी. में तिरूवलम पुल का निर्माण
9.	8	गुजरात	बवाडे के समीप आर ओ बी का निर्माण

शिमला हेतु हेलीकॉप्टर सेवा की शुरुआत

4295. कुमारी भावना पुंडलिकराव गवली: क्या नागर विमानन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार का विचार शिमला के पर्यटन महत्व को देखते हुए इसके लिए हेलीकॉप्टर सेवा शुरू करने का है;

(ख) यदि हां, तो यह सेवा कब तक शुरू कर दी जाएगी; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

नागर विमानन मंत्री (श्री शरद यादव): (क) जी, नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

(ग) पवन हंस हेलीकॉप्टर्स लिमिटेड ने निविदा अपेक्षाओं के तहत 19.11.1999 को हिमाचल प्रदेश राज्य सरकार को एक हेलीकॉप्टर मुहैया करवाया जिससे शिमला के लिए/से उड़ानों सहित उनकी विभिन्न आवश्यकताओं को पूरा किया जा सके। तथापि, हिमाचल प्रदेश राज्य सरकार से अभी तक कोई उत्तर प्राप्त नहीं हुआ है।

मध्य प्रदेश में वनों का विकास

4296. श्री सुन्दर लाल तिवारी:
श्री कांतिलाल भूरिया:

क्या **पर्यावरण और वन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या मध्य प्रदेश सरकार ने राज्य में वनों के विकास के संबंध में केन्द्र सरकार को कोई परियोजना भेजी है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) परियोजना को कब तक मंजूरी मिल जायेगी;

(घ) क्या सरकार ने देश में वनों के विकास के लिए कोई सर्वेक्षण किया है या करने का प्रस्ताव है; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा है?

पर्यावरण और वन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री बाबू लाल मरांडी): (क) से (ग) जी, हां। पर्यावरण एवं वन मंत्रालय को संलग्न विवरण में दिए गए ब्यौरे के अनुसार नौवीं योजना के दौरान मध्य प्रदेश राज्य में एकीकृत वनीकरण एवं पारि-विकास परियोजना, क्षेत्रोंमुखी ईंधन की लकड़ी और चारा परियोजना, औषधीय पादपों सहित गैर-इमारती वनोत्पाद का संरक्षण और विकास, भोगाधिकार हिस्सेदारी के आधार पर अवक्रमित वनों के पुनरुद्भव में अनुसूचित जनजातियों और ग्रामीण निर्धन व्यक्तियों को शामिल करना नामक केन्द्रीय प्रायोजित स्कीमें प्राप्त हुई हैं और उनके कार्यान्वयन के लिए मंजूरी भी दे दी गई है। इनके अतिरिक्त 1380 करोड़ रुपये की लागत पर 6 वर्ष की अवधि में 8.05 मिलियन हैक्टेयर क्षेत्र को कवर करने के लिए एक "मध्य प्रदेश वानिकी परियोजना, चरण-2" परियोजना प्राप्त हुई है। यह परियोजना विश्व बैंक को विचारार्थ भेजी गई है। इस परियोजना की वित्त व्यवस्था के लिए उनके द्वारा निर्णय नहीं लिया गया है।

(घ) और (ङ) पर्यावरण एवं वन मंत्रालय ने राष्ट्रीय वन नीति, 1988 में यथानिर्धारित देश के कुल भौगोलिक क्षेत्र के 33 प्रतिशत भाग को वन/वृक्षावरण के अंतर्गत लाने और वनों के सतत विकास के लिए एक 20-वर्षीय संदर्शी योजना "राष्ट्रीय वानिकी कार्यक्रम-भारत" तैयार की है। इस योजना में 31 मिलियन हैक्टेयर अवक्रमित वनों के पुनर्वास और 29 मिलियन हैक्टेयर गैर-वन भूमियों पर 3 मिलियन हैक्टेयर प्रतिवर्ष वनीकरण/पुनरुद्भव पर विचार किया गया है।

विवरण

1997 से 2001 के दौरान विभिन्न केन्द्रीय प्रायोजित स्कीमों के अंतर्गत आबंटित केन्द्रीय सहायता और जारी की गई धनराशि का विवरण

(लाख रुपये में)

स्कीम	1997-98 जारी की गई राशि	1998-99 जारी की गई राशि	1999-00 जारी की गई राशि	2000-01 आबंटित केन्द्रीय सहायता
1	2	3	4	5
एकीकृत वनीकरण एवं पारि-विकास परियोजना (आईएईपी)	279.02	231.27	352.83	500.64

1	2	3	4	5
क्षेत्रोन्मुखी ईंधन की लकड़ी और चारा परियोजना (एओएफएफपी)	21.18	500.5	388.13	636.5
औषधीय पादपों सहित गैर-इमारती वनोत्पाद (एनटीएफपी)	71	68	77.5	322.94
अनुसूचित जनजातियों और ग्रामीण निर्धन व्यक्तियों को शामिल करना (एएसटी एण्ड आरपी)	47.4	48.01	50	75.58

विमानों का खराब रख-रखाव

4297. श्री रामपाल सिंह:
श्री जोवाकिम बखला:

क्या नागर विमानन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार का ध्यान 22 जुलाई, 2000 को "द हिन्दुस्तान टाइम्स" में "एयरक्राफ्ट मेनटेन्स शाकिंगली पुअर" शीर्षक के अन्तर्गत प्रकाशित समाचार की ओर दिलाया गया है;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार ने एलायंस एयर के विमानों के समुचित रख-रखाव के लिए कोई महत्वाकांक्षी योजना तैयार की है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(घ) क्या इंजीनियरों ने सरकार को एक रिपोर्ट सौंपी थी और एलायंस एयर के जीर्ण-शीर्ण बेड़े को बदलने के लिए अनुरोध किया था; और

(ङ) यदि हां, तो सरकार की इस पर क्या प्रतिक्रिया है?

नागर विमानन मंत्री (श्री शरद यादव): (क) जी, हां।

(ख) और (ग) एलाइंस एयर बोइंग 737-200 विमान प्रचालित कर रही है जिसका अनुरक्षण कार्य मै० बोइंग कंपनी के विनिर्माता द्वारा अपने अनुरक्षण आयोजना दस्तावेज (एम पी डी) तथा महानिदेशक नागर विमानन की अपेक्षाओं के संबंध में दिए गए अनुरक्षण कार्यक्रम के अनुसार कठोरता से किया जा रहा है। विमानों का निरीक्षण संबंधी कार्य एलायंस एयर के अर्हता प्राप्त विमान अनुरक्षण इंजीनियरों (ए एम ई) द्वारा महानिदेशक नागर विमानन द्वारा अनुमोदित अनुरक्षण कार्यक्रम के अनुसार विनिर्दिष्ट अंतरालों के मुताबिक किया जाता है। नागर विमानन मंत्रालय ने विमान अनुरक्षण प्रेक्टिस तथा क्रियाविधियों, उनकी पर्याप्तता की जांच करने तथा उनमें सुधार संबंधी सिफारिश करने के उद्देश्य से महानिदेशक नागर विमानन की अध्यक्षता में एक टास्क फोर्स का भी गठन किया है।

(घ) जी, नहीं।

(ङ) प्रश्न नहीं उठता।

[अनुवाद]

निजी-होमियोपैथी-कॉलेजों को अनुदान

4298. श्री अजय चक्रवर्ती: क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या निजी होमियोपैथी कालेज 23 दिसम्बर, 1999 को उनके मंत्रालय द्वारा जारी एक परिपत्र के अनुसार नौवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान भारतीय चिकित्सा पद्धति और होमियोपैथी के वर्तमान पूर्व स्नातक कॉलेजों को सुदृढ़ करने हेतु अनुदान सहायता योजना के अन्तर्गत कॉलेजों के भवनों के निर्माण के लिए वित्तीय सहायता के पात्र नहीं हैं;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं;

(ग) क्या सरकार का प्रस्ताव उक्त परिपत्र से पहले कॉलेज-भवनों के निर्माण हेतु सहायता अनुदान के लिए दिए गए आवेदनों पर विचार करने का है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (प्रो. रीता वर्मा): (क) संशोधित स्कीम के अनुसार भारतीय चिकित्सा पद्धति और होमियोपैथी के प्राइवेट कालेज भवन निर्माण आदि के लिए सहायता हेतु पात्र नहीं हैं।

(ख) प्राथमिकताओं और संसाधनों को देखते हुए केवल राज्य द्वारा संचालित और राज्य द्वारा सहायता प्राप्त कालेजों को निर्माण आदि कार्यों के लिए सहायता दी जाती है।

(ग) और (घ) ऐसा कोई प्रस्ताव नहीं है।

[हिन्दी]

विकास कुंज में खराब पड़े टेलीफोन

4299. श्री चिन्मयानन्द स्वामी: क्या संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या गाजियाबाद में संचार प्रणाली ठीक ढंग से काम नहीं कर रही है;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं;

(ग) क्या इस क्षेत्र के टेलीफोन प्रयोक्ताओं ने विकास कुंज कालोनी के निवासियों द्वारा जानबूझकर उनके टेलीफोन कनैक्शनों में उत्पन्न की गई रुकावटों की ओर लोनी टेलीफोन केन्द्र का ध्यान दिलाया है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और सरकार द्वारा इस संबंध में क्या कदम उठाए गए हैं?

संचार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री तपन सिकदर): (क) जी, नहीं। गाजियाबाद में संचार प्रणाली समुचित रूप से कार्य कर रही है।

(ख) उपरोक्त भाग (क) के उत्तर को देखते हुए प्रश्न नहीं उठता।

(ग) जी, नहीं।

(घ) उपरोक्त भाग (ग) के उत्तर को देखते हुए प्रश्न नहीं उठता।

मध्य प्रदेश में नई खानों हेतु सर्वेक्षण

4300. श्री पुन्नूलाल मोहले: क्या खान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश में नई खानों की सम्भावना का पता लगाने के लिए कोई सर्वेक्षण किया जा रहा है; और

(ख) यदि हां, तो इस संबंध में अब तक कितनी प्रगति हुई है?

युवक कार्यक्रम और खेल मंत्री तथा खान मंत्री (श्री सुखदेव सिंह ढिंडसा): (क) और (ख) जी, हां। सर्वेक्षण से मध्य प्रदेश के छत्तीसगढ़ क्षेत्र में स्वर्ण और हीरे का पता चला है जिनका ब्यौरा इस प्रकार है:

स्वर्ण: बस्तर जिले में सोनादेही और गुरबांदी के पूर्वेक्षणों से स्वर्ण प्राप्ति स्थलों की सूचना मिली है। भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण द्वारा और जांच की जा रही है। रायगढ़ जिले के पेंडरीपानी क्षेत्र में, स्वर्ण के लिए किए गए अन्वेषण से अयस्क के 0.25 एम.टी. भण्डारों की मौजूदगी का पता चला है।

हीरा: पयालीखण्ड-बेहराडीह सैक्टर, मेनपुर तहसील, रायपुर जिले में किए गए अन्वेषण से डायमंडीफैरिस किम्बरलाइट पाइपों की मौजूदगी का पता चला है।

विभिन्न पत्तनों पर खड़े जलयान

4301. श्री ब्रह्मानन्द मंडल:
श्री अशोक कुमार सिंह चन्देल:

क्या जल-भूतल परिवहन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या देश भर के विभिन्न पत्तनों पर बड़ी संख्या में जलयान खड़े हैं;

(ख) यदि हां, तो विभिन्न पत्तनों पर पत्तन-वार कितने जलयान खड़े हैं;

(ग) क्या सरकार इन जलयानों की मरम्मत कराने पर विचार कर रही है;

(घ) क्या सरकार का विचार इन जलयानों की नीलामी करने और उक्त नीलामी से राजस्व अर्जित करने का है; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है है?

जल-भूतल परिवहन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री हुक्मदेव नारायण यादव): (क) और (ख) पत्तन न्यासों की सीमा में खड़े पोतों (जलयानों) की पत्तनवार संख्या इस प्रकार है:-

कलकत्ता पत्तन न्यास-1

मुरगांव पत्तन न्यास-7

मुम्बई पत्तन न्यास-5

(ग) जी नहीं।

(घ) और (ङ) कलकत्ता पत्तन न्यास की सीमा में खड़ा जलयान उस जलयान के मालिक के प्रभार में है और वह उसको यथासंभव बचाने का प्रयास कर रहे हैं। मुरगांव पत्तन न्यास की सीमा में खड़े 7 जलयानों में से 4 जलयानों के मालिकों को पत्तन में खड़े जलयान हटाने के लिए नोटिस जारी कर दिए गए हैं और 3 जलयान (फिशिंग ट्रॉलर) आयकर विभाग द्वारा जब्त किए हुए हैं। मुम्बई पत्तन न्यास के क्षेत्र में खड़े जलयानों से बन्दरगाह क्षेत्र में नौचालन में कोई बाधा नहीं आती, इसलिए उनको हटाना लाभकारी नहीं समझा गया है।

[अनुवाद]

पशुओं के प्रति मानवीय व्यवहार

4302. श्री अनन्त नायक: क्या **पर्यावरण और वन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या प्रधानमंत्री ने विभिन्न राज्यों के मुख्य मंत्रियों को पशुओं के प्रति और अधिक मानवीय व्यवहार करने को सुनिश्चित बनाने के लिए कानूनों का प्रवर्तन करने के लिए कहा है;

(ख) यदि हां, तो विभिन्न राज्य सरकारों ने इस संबंध में क्या कदम उठाए हैं; और

(ग) सरकार ने पशुओं के प्रति न्यूनतम बुनियादी व्यवहार सुनिश्चित करने के लिए क्या कदम उठाए हैं?

पर्यावरण और वन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री बाबू लाल मरांडी): (क) और (ख) जी, हां। भारत के प्रधान मंत्री ने सभी राज्यों के मुख्य मंत्रियों को जानवरों के प्रति और अधिक मानवीय व्यवहार करने के उद्देश्य को पूरा करने के लिए 31 मई, 2000 को एक पत्र लिखा है। कुछ राज्य सरकारों ने उत्तर भेजा है कि उन्हें पत्र प्राप्त हो चुका है तथा मामले की जांच कर रहे हैं।

(ग) सरकार प्रत्येक जिले में एक "जानवरों के प्रति क्रूरता निवारण सोसाएटी" के गठन तथा जानवरों के प्रति क्रूरता निवारण संबंधी विद्यमान सोसायटियों, जो निष्क्रिय हो चुकी हैं, को सक्रिय बनाने के लिए इस मामले पर और आगे कार्रवाई भी कर रही है।

नेशनल लांग डिस्टैन्स टेलीफोनी

4303. श्री अन्नासाहेब एम.के. पाटील: क्या **संचार मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या नेशनल लांग डिस्टैन्स टेलीफोनी को निजी क्षेत्र के लिए खोलने संबंधी दिशा-निर्देश तैयार कर लिए गये हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या योजना आयोग ने दिशा-निर्देश में शामिल करने के लिए कुछ सुझाव दिए हैं;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है?

संचार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री तपन सिकदर): (क) जी, हां।

(ख) संलग्न विवरण के अनुसार।

(ग) से (ङ) योजना आयोग ने राष्ट्रीय लंबी दूरी ऑपरेटरों के प्रचालन क्षेत्र तथा इस क्षेत्र में प्रवेशकों की संख्या संबंधी मामले पर सुझाव दिए हैं। राष्ट्रीय लंबी दूरी टेलीफोनी में प्राइवेट सेक्टर के प्रवेश के लिए दिशानिर्देशों का निर्धारण करते समय योजना आयोग के सुझावों को ध्यान में रखा गया था।

विवरण

राष्ट्रीय लंबी दूरी की सेवा के लिए लाइसेंस जारी करने के लिए मार्गनिर्देशों का ब्यौरा

नई दूरसंचार नीति, 99 में निजी ऑपरेटरों के सेवा क्षेत्र से बाहर राष्ट्रीय लंबी दूरी सेवा खोलने की परिकल्पना की गई थी। सरकार ने ऑपरेटरों की संख्या पर बिना किसी प्रतिबंध के राष्ट्रीय

लंबी दूरी की सेवा खोलने का निर्णय लिया है। भारत में राष्ट्रीय लंबी दूरी के प्रचालनों (एनएलडीओ) के लिए लाइसेंस जारी करने के बारे में व्यापक मार्गनिर्देश जारी किए गए हैं जो इस प्रकार हैं:

1. आवेदक कंपनी अधिनियम, 1956 के अंतर्गत पंजीकृत एक भारतीय कंपनी होनी चाहिए।

2. आवेदक कंपनी अपना आवेदन निर्धारित आवेदन प्रपत्र में प्रस्तुत करेगी।

3. आवेदक कंपनी एनएलडीओ के केवल एक लाइसेंस के लिए आवेदन कर सकती है।

4. एनएलडीओ के लिए लाइसेंस भारत के प्रादेशिक क्षेत्राधिकार के भीतर अंतर-सर्किल लंबी दूरी के प्रचालनों के लिए गैर-विशिष्ट आधार पर 20 वर्षों की अवधि के लिए जारी किए जाएंगे जिसे एक बार 10 वर्ष तक बढ़ाया जा सकेगा।

5. पूरी लाइसेंस अवधि के दौरान किसी भी समय आवेदक कंपनी में कुल विदेशी इक्विटी 49 प्रतिशत से अधिक नहीं होनी चाहिए। किसी अनिवासी भारतीय/ओसीबी/ अन्तर्राष्ट्रीय फंडिंग एजेंसियों द्वारा आवेदक कंपनी की इक्विटी में निवेश, इसकी विदेशी इक्विटी में निवेश माना जाएगा। इस संबंध में आवेदक कंपनी सक्षम प्राधिकारी से इस आशय का प्रमाण-पत्र प्रस्तुत करेगी कि आवेदक कंपनी में कुल विदेशी इक्विटी 49 प्रतिशत से अधिक नहीं है।

6. आवेदक कंपनी अलाभकारी तथा दूरस्थ क्षेत्रों की कवरेज संहित चार चरणों में कवरेज के लिए अपने आवेदन के साथ प्रत्येक दूरसंचार सर्किल में लंबी दूरी के प्रभारण क्षेत्रों (एलडीसीए) का नाम उल्लेख करते हुए एक रोल आउट योजना प्रस्तुत करेगी।

7. आवेदक कंपनी लाइसेंस पर हस्ताक्षर करने से पूर्व एक बार प्रवेश शुल्क के रूप में 100 करोड़ रु. वेतन एवं लेखा अधिकारी (मुख्यालय), दूरसंचार विभाग के पक्ष में नई दिल्ली में देय डिमांड ड्राफ्ट/भुगतान आदेश के रूप में भुगतान करेगी, जो अप्रतिदेय होगा। इसके अतिरिक्त, 100-100 करोड़ रु. की चार बैंक गारंटियां दी जाएंगी जो एलडीसीए में पॉइंट ऑफ प्रजेंस स्थापित करके नेटवर्क रोल आउट दायित्वों को पूरा करने की शर्त पर नीचे दिए गए तरीके से प्रत्येक चरण के पूरे होने पर वापस रिलीज की जाएंगी:

   (i) चरण-1 का पूर्ण होना - 100 करोड़ रु.

   (ii) चरण-2 का पूर्ण होना - 100 करोड़ रु.

   (iii) चरण-3 का पूर्ण होना - 100 करोड़ रु.

   (iv) चरण-4 का पूर्ण होना - 100 करोड़ रु.

8. नेटवर्क कवरेज-चरण 1, 2, 3 तथा 4 की प्रतिशतता में किसी प्रकार की कमी होने से उस विशेष चरण से संबंधित बैंक गारंटी भुना तथा जब्त कर ली जाएगी। पूरे नहीं किए नेटवर्क दायित्वों को एक चरण से दूसरे चरण में नहीं ले जाया जाएगा।

9. आवेदक कंपनी परियोजना का वित्तपोषण करने के लिए इसकी वित्त की व्यवस्था के ब्यौरे सहित एक कारोबार-योजना प्रस्तुत करेगी।

10. आवेदक कंपनी "राइट ऑफ वे" (आरओडब्ल्यू) के लिए अपनी व्यवस्था स्वयं करेगी। तथापि, केंद्र सरकार भारतीय तार अधिनियम, 1885 के भाग-3 के अंतर्गत अनुरोध किए जाने पर तार लाइनें बिछाने के उद्देश्य से एनएलडीओ लाइसेंस धारकों को लाने के लिए आवश्यक अधिसूचना जारी करेगी। लेकिन शर्त है कि "राइट ऑफ वे" की अनुपलब्धता अथवा किसी एजेंसी से अनुमति/क्लियरेंस प्राप्त करने में हुए किसी विलंब को रोल आउट दायित्वों को पूरा नहीं करने के लिए किसी प्रकार का बहाना नहीं माना जाएगा।

11. आवेदक कंपनी के पास आवेदन करने के दिन 250 करोड़ रु. की न्यूनतम प्रदत्त इक्विटी पूंजी होगी तथा वह लाइसेंस के लिए आवेदन के साथ इसका सर्वोत्तम प्रमाण प्रस्तुत करेगी।

12. आवेदक कंपनी के प्रवर्तकों का संयुक्त निवल मूल्य 2500 करोड़ रु. होगा। केवल उन प्रवर्तकों के नेटवर्थ की गणना की जाएगी जिनका कंपनी की कुल इक्विटी से कम से कम 10 प्रतिशत का इक्विटी हिस्सा हो। यहां नेटवर्थ का अर्थ, प्रदत्त इक्विटी-पूंजी तथा स्वतंत्र आरक्षित पूंजी का भारतीय रुपयों में कुल योग है। नेटवर्थ की गणना करते समय विदेशी मुद्रा को आवेदन की तारीख को भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा उल्लिखित दर पर भारतीय रुपयों में बदला जाएगा।

13. जिन व्यक्तियों की आवेदक कंपनी में कम से कम 30 प्रतिशत की कुल इक्विटी हो, उन्हें दूरसंचार क्षेत्र का अनुभव होना चाहिए तथा लाइसेंस के आवेदन के साथ इसका प्रमाण संलग्न होना चाहिए।

14. ऊपर बताए गए प्रवेश शुल्क के अतिरिक्त, लाइसेंस-शुल्क के रूप में 10 प्रतिशत की दर से राजस्व शेयर तथा उसमें ''यूनिवर्सल सर्विस ऑब्लीगेशन फंड'' (यूएसओ फंड) के प्रति निर्धारित अंशदान जोड़कर 15 प्रतिशत के कुल कैप के साथ देय होगा।

15. यह भी शर्त है कि स्पेक्ट्रम के इस्तेमाल तथा बेतार टेलीग्राफी उपस्कर के स्वामित्व के लिए शुल्क/रॉयल्टी बेतार योजना तथा समन्वय स्कंध के ब्यौरों तथा विवरण के अनुसार अलग से देय होगी। उपभोक्ता स्पैक्ट्रम/बेतार टेलीग्राफी उपस्कर स्वामित्व शुल्क/रॉयल्टी फ्रीक्वेन्सी हॉप व लिंक लेंथ तथा प्रचालन-क्षेत्र आदि जैसे विभिन्न फैक्टरों पर आश्रित है।

16. आवेदक कम्पनी को, लाइसेंस करार पर हस्ताक्षर की तारीख से एक वर्ष के पश्चात् या सेवा की शुरूआत से पूर्व, जो भी पहले हो, लाइसेंस-करार में दिए गए विहित प्रपत्र में 20 करोड़ रु. की वित्तीय बैंक-गारंटी (एफ.बी.जी.) देनी होगी। शुरू में, वित्तीय बैंक-गारंटी छः माह की अवधि तक वैध रहेगी तथा उतनी राशि के लिए नवीकृत (रिन्यू) करानी होगी, जितनी राशि केन्द्र सरकार समय-समय पर निर्दिष्ट करे।

17. स्पैक्ट्रम के उपयोग के लिए बेतार टेलीग्राफी-उपस्कर के स्वामित्व की देयताओं/शुल्कों/रॉयल्टियों की, एक वर्ष की अवधि के लिए समान राशि की एफबीजी देकर पृथक रूप से समीक्षा की जाएगी जो ऐसी देयताओं के अंतिम शोधन होने तक, समय-समय पर नवीकरणीय हो।

18. कम्पनी अधिनियम, 1956 के प्रावधानों के अनुसार, आवेदक कम्पनी/या लाइसेंसधारी जैसी भी स्थिति हो, के नाम में परिवर्तन अनुमत्य होगा।

19. व्यवहार्यतः आवेदन प्रस्तुत करने के 15 दिनों के भीतर उस पर निर्णय ले कर आवेदक कम्पनी को तदनुसार सूचित कर दिया जाएगा। यदि आवेदक एनएलडीओ-लाइसेंस पाने का पात्र पाया जाता है तो, उसे पत्र जारी होने के तीन माह के भीतर तत्काल प्रवेश-शुल्क, बैंक-गारंटी/अन्य दस्तावेज जमा कराकर लाइसेंस-करार पर हस्ताक्षर करने होंगे अन्यथा यह माना जाएगा कि आवेदक की लाइसेंस लेने में कोई रुचि नहीं है तथा उसका आवेदन रद्द कर दिया जाएगा।

20. यदि आवेदक एनएलडीओ-लाइसेंस पाने का पात्र नहीं पाया जाता है तो उसे तदनुसार सूचित कर दिया जाएगा। उसके बाद, वह खामियां दूर कर नया आवेदन प्रस्तुत कर सकता है।

21. एनएलडी-सेवा का संबंध लंबी दूरी की स्विच्ड बीयरर टेलीकॉम-सर्विस चलाने से है तथा उक्त सेवा के लाइसेंस धारक को, अंतरा-सर्किल ट्रैफिक से भिन्न, अंतः-सर्किल ट्रैफिक के वहन का अधिकार होगा। जबकि अंतःसर्किल का वहन, फिक्स्ड सर्विस-प्रदाता के साथ परस्पर सहमति की शर्तों के अनुसार प्रदान किया जाता है। एनएलडी-ऑपरेटर, लंबी दूरी के प्रभारण-केन्द्रों (एनएलडीसी) व कम दूरी के प्रभारण-केन्द्रों (एसडीसीसी) के बीच के पड़ाव के ट्रैफिक के चयन हेतु, फिक्स्ड-सेवा-प्रदाताओं से आपसी सहमति की व्यवस्था कर सकते हैं।

22. एनएलडी-आपरेटरों को, एक्सेस प्रदाताओं के साथ लीज्ड लाइनों को अंतिम मील के लिए स्वयं के अपने उपयुक्त प्रबंध/करार करने होंगे।

23. प्रवेशकों की संख्या पर बिना किसी प्रकार के प्रतिबंध के एनएलडी-सेवाओं के लाइसेंस जारी किए जाएंगे।

24. विभिन्न सेवा-प्रदाताओं के नेटवर्कों के मध्यवर्ती इंटर कनैक्शन, दूरसंचार इंजीनियरी केन्द्र (टीईसी) द्वारा समय-समय पर जारी सीसीएस सं. 7 के राष्ट्रीय मानकों के अनुरूप होंगे।

25. इंटर कनेक्टेड नेटवर्कों से निम्नलिखित कार्यों के निष्पादन की समुचित व्यवस्था हेतु, एनएलडी-आपरेटर अन्य सेवा-प्रदाताओं से इन कनैक्शनों के करारों के बारे में बातचीत कर सकते हैं:-

(क) अपनी व्यवहार्य प्रणालियों को जोड़ना व उन्हें चालू रखना;

(ख) व्यवहार्य प्रणालियों के जरिए संदेशों के पारेषण व रिसेप्शन में मदद के लिए वाजिब तौर से अपेक्षित पर्याप्त क्षमता व पर्याप्त संख्या के एक या अधिक इंटर कनैक्ट प्वाइंटों की स्थापना व उनका रखरखाव।

(ग) इण्टर कनेक्टेड-प्रणालियों के मध्य पारेषण व रिसेप्शन की समूची वाजिब मांग पूरी करना।

26. मानक इंटरफेसों, इंटर कनेक्शनों के प्वाइंटों व तकनीकी पहलुओं सहित इंटर कनेक्शन की शर्तें सेवा-प्रदाताओं के बीच आपसी सहमति से तय की जाएंगी।

27. एनएलडीओ-लाइसेंसधारी सेवा प्रदान करने के प्रयोजन से, अन्य सेवा/एक्सेस-प्रदाताओं के उपस्करों के अनुकूल अपना स्वयं का उपकरण लगाएगा, जो इंटर कनेक्शन हेतु एनएलडीओ-लाइसेंसधारक व्यवहार्य प्रणालियों के लिए अपेक्षित है।

28. एनएलडीओ-लाइसेंसधारी, ट्राइ अधिनियम, 1997 के तहत ट्राइ द्वारा जारी इंटर कनेक्शन के विनियम संबंधी सभी प्रकार के निदेशों का पालन करेगा।

29. एनएलडीओ-लाइसेंसधारी, नेटवर्क व नेटवर्क-इंटरफेस की बाबत सेवा-प्रदाताओं के बीच आपसी सहमति सेवा-मानकों की गुणवत्ता के अनुरूप लाइसेंस शुदा नेटवर्क चलाएगा व उसका रख-रखाव करेगा।

30. अन्य नेटवर्कों के साथ एक्सेस या इंटर कनैक्शन के प्रभार सेवा-प्रदाताओं की आपसी सहमति पर आधारित होंगे, बशर्ते वे प्रभार ट्राई-अधिनियम, 1997 के तहत ट्राई द्वारा समय-समय पर जारी पांबदियों के अनुसार हों।

31. लंबी दूरी की राष्ट्रीय सेवा की सेवा अपेक्षाएं पूरी करने हेतु, नेटवर्कों के उन्नयन/सुधार-लागत समेत नेटवर्क के संसाधन, सेवा-प्रदाताओं के मध्य हिस्सेदारी-व्यवस्था को आपसी बातचीत से तय किए जाएंगे।

32. फिक्स्ड सेवा-प्रदाताओं, सेल्यूलर मोबाइल सेवा-प्रदाताओं, केबल-सेवा प्रदाताओं के लिए एनएलडी सेवा-प्रदाताओं को इंटर कनैक्शन उपलब्ध कराना लाजिमी होगा, ताकि उपभोक्ता एनएलडी सेवा-प्रदाता के माध्यम से कहीं भी अंत: सर्किल/लंबी दूरी की अंतर्राष्ट्रीय कालें कर सकें।

33. आवेदक कम्पनी वेतन एवं लेखाधिकारी (मुख्यालय) दूरसंचार विभाग के नाम से नई दिल्ली में देय डिमाण्ड ड्राफ्ट/पे आर्डर के रूप में 15,000/रु. का प्रोसेसिंग - शुल्क आवेदन के साथ अदा करेगी। किसी भी हालत में उक्त राशि वापिस नहीं लौटाई जाएगी।

34. आवेदन, अनुभागाधिकारी, बीएस-1, दूरसंचार विभाग, कमरा नं. 1119, संचार भवन, 20 अशोक रोड, नई दिल्ली-110001 को प्रस्तुत करना होगा।

महाराष्ट्र में झीलों और तटीय क्षेत्रों का विकास

4304. श्री दिलीपकुमार मनसुखलाल गांधी: क्या पर्यावरण और वन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार का विचार महाराष्ट्र के तटीय क्षेत्रों और झीलों के विकास हेतु कोई मास्टर प्लान लागू करने का है;

(ख) यदि हां, तो क्या उक्त योजना नौवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान लागू की जायेगी;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इस योजना हेतु कितनी धनराशि आवंटित की गई है;

(घ) क्या सरकार का विचार आस-पास के क्षेत्रों की पारिस्थितिकी को सुनिश्चित करने के लिए कुछ अन्य कदम उठाने का है; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

पर्यावरण और वन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री बाबू लाल मरांडी): (क) से (ङ) महाराष्ट्र की झीलों और तटीय क्षेत्रों के विकास के लिए कोई मास्टर प्लान नहीं है। तथापि राष्ट्रीय झील संरक्षण योजना के अंतर्गत दस शहरी झीलों, जिनमें महाराष्ट्र की पवाई झील शामिल है, को संरक्षण और रख-रखाव के लिए अभिनिर्धारित किया गया है। परंतु राष्ट्रीय झील संरक्षण योजना को अभी तक सरकार द्वारा अनुमोदित नहीं किया गया है। सरकार ने तटीय पर्यावरण को बचाने और सुरक्षित रखने के लिए पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 के अंतर्गत तटीय विनियमन क्षेत्र अधिनियम, 1991 भी जारी किया है। यह अधिसूचना देश के विशिष्ट तटीय क्षेत्रों में विकास को विनियमित करती है। तटीय विनियम क्षेत्र में पारिस्थितिकी दृष्टि से संवेदी क्षेत्रों में किसी भी तरह के विकास की अनुमति नहीं है। मैनग्रोव और कोरल रीफ के संरक्षण और रख-रखाव की अन्य स्कीम के अंतर्गत सरकार ने महाराष्ट्र में गहन संरक्षण और रख-रखाव के लिए 7 मैनग्रोव क्षेत्रों का अभिनिर्धारण किया है।

पी.जी.आई. चण्डीगढ़ में रिक्त पद

4305. श्री चन्द्रनाथ सिंह:
श्री शीशराम सिंह रवि:

क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या पी.जी.आई. चण्डीगढ़ में विभिन्न वर्गों/संवर्गों में अनेक पद रिक्त हैं;

(ख) यदि हां, तो ये पद कब से रिक्त हैं और इसके क्या कारण हैं;

(ग) इस संबंध में सरकार द्वारा क्या उपाय किए गए हैं;

(घ) किन उद्देश्यों और लक्ष्यों के लिए पी.जी.आई. चण्डीगढ़ की स्थापना की गई थी;

(ङ) क्या पी.जी.आई. चण्डीगढ़ का प्रबन्धन उन उद्देश्यों और लक्ष्यों को प्राप्त करने में असफल रहा है; और

(च) यदि हां, तो इस संबंध में सरकार द्वारा क्या कार्यवाही की गई है?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (प्रो. रीता वर्मा): (क) से (ग) निम्नलिखित पद स्नातकोत्तर संस्थान चण्डीगढ़ में रिक्त पड़े हुए हैं:

1.	संकाय	-	91
2.	ग्रुप-क	-	20
3.	ग्रुप-ख	-	43
4.	ग्रुप-ग	-	127
5.	ग्रुप-घ	-	82

कुछ संकाय पद पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय/उच्चतम न्यायालय में आरक्षण के मुद्दे पर लम्बे समय तक चलने वाले मुकदमें के कारण रिक्त हैं। अन्य रिक्तियां सेवानिवृत्ति, निधन, त्यागपत्र, प्रोन्नति आदि के कारण होने वाली नेमी रिक्तियां हैं। संस्थान ने संलग्न नेहरू अस्पताल के नए बहिरंग रोगी विभाग ब्लाक के लिए भी कुछ पद हाल ही में सृजित किए हैं। ये रिक्तियां अधिसूचित कर दी गई हैं, शीघ्र ही विज्ञापित की जा रही हैं।

(घ) से (च) संस्थान के लक्ष्य और उद्देश्य हैं:-

(1) आयुर्विज्ञान शिक्षा का उच्च मानक प्रदर्शित करने के प्रयोजन से इसकी सभी शाखाओं में स्नातकपूर्व और स्नातकोत्तर आयुर्विज्ञान शिक्षा में अध्ययन पैटर्न का विकास करना।

(2) स्वास्थ्य गतिविधि की सभी महत्वपूर्ण शाखाओं के कार्मिकों को प्रशिक्षण देने के उद्देश्य से उच्चतम कोटि की शैक्षिक सुविधाओं को यथासंभव एक स्थान पर उपलब्ध कराना;

(3) विशेषज्ञों तथा आयुर्विज्ञान डाक्टरों के लिए देश की जरूरतें पूरी करने के प्रयोजन से स्नातकोत्तर आयुर्विज्ञान शिक्षा में आत्मनिर्भरता प्राप्त करना।

जिन लक्ष्यों एवं उद्देश्यों हेतु स्नातकोत्तर संस्थान को स्थापित किया गया, उन्हें संस्थान ने प्राप्त कर लिया है।

मांग पर टेलीफोन दिया जाना

4306. श्री राम प्रसाद सिंह: क्या संचार मंत्री यह बताने की करेंगे कि:

(क) क्या वर्ष 1994 और 1999 की राष्ट्रीय दूरसंचार नीति में आसान दरों पर मांग पर टेलीफोन दिए जाने के संबंध में की गई व्यवस्था के उद्देश्यों को प्राप्त कर लिया गया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

संचार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री तपन सिकदर): (क) जी, नहीं।

(ख) उपर्युक्त (क) भाग के उत्तर को देखते हुए प्रश्न नहीं उठता।

(ग) राष्ट्रीय दूरसंचार नीति, 1994 में वर्ष 1997 तक मांग पर टेलीफोन उपलब्ध कराने सहित विभिन्न महत्वपूर्ण उद्देश्यों की परिकल्पना की गई थी। इसे ध्यान में रखते हुए कि इस उद्देश्य को केवल सरकारी संसाधनों से पूरा नहीं किया जा सकेगा, सरकार द्वारा बुनियादी सेवाओं में निजी क्षेत्र की भागीदारी की अनुमति दी गई। लेकिन निजी क्षेत्र का प्रवेश कुछ संविदात्मक, विधिक तथा राजस्व संबंधी समस्याओं के कारण राष्ट्रीय दूरसंचार, नीति, 1994 में की गई परिकल्पना की अपेक्षा धीमी गति से हुआ है। परिणामस्वरूप "मांग पर टेलीफोन" का उद्देश्य उस समय पूरा नहीं किया जा सका।

नई दूरसंचार नीति, 1999 के अनुसार सरकार शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों में वर्ष 2002 तक वहनीय और उचित मूल्यों पर टेलीफोन उपलब्ध कराने के लिए वचनबद्ध है।

क्रेडिट कार्डों द्वारा टेलीफोन बिलों का भुगतान

4307. डा. (श्रीमती) सी. सुगुणा कुमारी: क्या संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार का विचार कतिपय बैंकों में क्रेडिट कार्डों के माध्यम से टेलीफोन बिलों का भुगतान करने की सुविधा प्रदान करने का है; और

(ख) यदि हां, तो किन-किन बैंकों को क्रेडिट कार्डों के माध्यम से टेलीफोन बिलों को स्वीकार करने के लिए प्राधिकृत किया गया है?

संचार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री तपन सिकदर): (क) दूरसंचार विभाग ने ठोस वित्तीय आधार वाले प्रमुख बैंकों को अपने क्रेडिट कार्ड धारकों के टेलीफोन बिलों का भुगतान करने के संबंध में इन बैंकों से बातचीत के लिए दूरसंचार सर्किलों को प्राधिकृत किया है।

(ख) अब तक, सर्किलों ने निम्नलिखित बैंकों को अपने क्रेडिट कार्ड धारकों की ओर से टेलीफोन बिलों का भुगतान करने के लिए प्राधिकृत किया है:-

बंगलौर, कलकत्ता, चेन्नई तथा मुम्बई में सिटी बैंक, बंगलौर तथा कलकत्ता में स्टैंडर्ड चार्टर्ड बैंक, मुम्बई में केनरा बैंक तथा टाइम्स बैंक।

कलकत्ता गोदी प्रणाली का आधुनिकीकरण

4308. श्री रामजी मांझी: क्या जल-भूतल परिवहन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) कलकत्ता डॉक सिस्टम (सी.डी.एस.) द्वारा रेल के पटरी से उतरने की घटना को कम करने हेतु रेल लाइन के आधुनिकीकरण पर कितनी राशि व्यय की गई;

(ख) क्या योजना संतोषजनक रूप से कार्य कर रही है;

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं; और

(घ) सरकार द्वारा इस पर क्या कदम उठाए गए/उठाए जाने का प्रस्ताव है?

जल-भूतल परिवहन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री दुक्खदेव नारायण यादव): (क) कलकत्ता गोदी प्रणाली द्वारा 7वीं योजना और 8वीं योजना अवधि के दौरान रेलवे ट्रेक के आधुनिकीकरण पर क्रमश: 311 लाख रु. (लगभग) और 146 लाख रु. (लगभग) खर्च किए गए हैं।

(ख) और (ग) स्कीम के संभावित लाभों का पूर्णत: आकलन नहीं किया जा सकता क्योंकि अभी इसका कार्यान्वयन चल रहा है।

(घ) इस स्कीम के निष्पादन के लिए राज्य सरकार सहित सभी संबंधित एजेंसियों की सहायता ली जा रही है।

[हिन्दी]

गैंडों की सुरक्षा

4309. श्री दलपत सिंह परस्ते:
श्रीमती रेणुका चौधरी:

क्या पर्यावरण और वन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार का ध्यान 9 जून, 2000 को "राजस्थान पत्रिका" में "राइनोस कुड विकम एक्सटिंक्ट ऐज फंड क्रंच हिट्स काजीरंगा" शीर्षक के अंतर्गत प्रकाशित समाचार की ओर दिलाया गया है;

(ख) यदि हां, तो क्या काजीरंगा में कोषाभाव के कारण एक सींग वाले गैंडों के विलुप्त हो जाने के खतरे की ओर सरकार ने ध्यान दिया है; और

(ग) विश्व प्रसिद्ध एक सींग वाले गैंडों को विलुप्त हो जाने से बचाने और उनकी संख्या बढ़ाने के लिए क्या कदम उठाए गये हैं/उठाये जाने का प्रस्ताव है?

पर्यावरण और वन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री बाबू लाल मरांडी): (क) जी, नहीं। यह समाचार 'राजस्थान पत्रिका' के 9 जून, 2000 के जयपुर संस्करण में प्रकाशित नहीं हुआ था।

(ख) काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान में गैंडों की संख्या के आकलन में वृद्धि का रुख देखा गया है। तथापि, अवसंरचना के सुधार और गैंडों तथा उनके आवासों की प्रभावी सुरक्षा के लिए केन्द्रीय सरकार द्वारा वित्तीय सहायता दी जाती है। पिछले तीन वर्षों के दौरान "राष्ट्रीय उद्यानों और अभयारण्यों का विकास" नामक केन्द्रीय प्रायोजित योजना के अंतर्गत भारत सरकार द्वारा निम्नलिखित वित्तीय सहायता जारी की गई है:

वर्ष	जारी धनराशि (लाख रु. में)
1997-98	50.89
1998-99	50.85
1999-2000	0.44

(ग) एक सींग वाले गैंडों के संरक्षण के लिए सरकार द्वारा निम्नलिखित कदम उठाए गए हैं:-

1. वन्य जीव (सुरक्षा) अधिनियम, 1972 की अनुसूची 1-4 में सम्मिलित किए गए वन्य प्राणियों के शिकार पर कानूनी प्रतिबंध लगाया गया है।

2. बाघ, हाथी और गैंडों तथा उनके आवासों की सुरक्षा और संरक्षा के लिए विशेष परियोजनाएं कार्यान्वित की जा रही हैं।

3. वन्य प्राणियों के अवैध व्यापार की जब भी सूचना मिलती है, तो वन्य जीव प्राधिकारियों द्वारा छापे मारे जाते हैं।

4. वन्य वनस्पतिजात और प्राणिजात की संकटापन्न प्रजातियों के अंतर्राष्ट्रीय व्यापार से संबंधित कन्वेंशन (सी आई टी ई एस) के उपबंधों के अंतर्गत प्राणियों की संकटापन्न प्रजातियों तथा उनसे बनी वस्तुओं के अंतर्राष्ट्रीय व्यापार को नियंत्रित किया जाता है।

5. वन्यजीव उत्पादों की तस्करी को रोकने के लिए देश के अधिकांश प्रमुख निर्यात केन्द्रों पर वन्यजीव परिरक्षण क्षेत्रीय और उप-क्षेत्रीय कार्यालयों की स्थापना की गई है।

6. पुलिस, सीमा सुरक्षा बल, कस्टम, भारत-तिब्बत सीमा पुलिस, तट-रक्षक आदि जैसे अन्य प्रवर्तन संगठनों के साथ अंतर्विभागीय समन्वय बढ़ाया गया है।

7. राष्ट्रीय उद्यानों और अभयारण्यों में अवैध शिकार को रोकने के लिए राष्ट्रीय उद्यानों और अभयारण्यों के कर्मचारियों को आधुनिक हथियार, वायरलैस उपकरण और संचार सुविधाएं प्रदान की जाती हैं।

8. केन्द्र की भांति राज्यों को भी समस्त प्रवर्तन अभिकरणों की समन्वय समिति स्थापित करने के लिए कहा गया है ताकि अवैध शिकार को रोका जा सके तथा अवैध व्यापार को नियंत्रित किया जा सके।

[अनुवाद]

चिड़ियाघरों को धनराशि

4310. श्रीमती रेणूका चौधरी: क्या पर्यावरण और वन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) देश में राज्य-वार और संघ राज्य क्षेत्र वार कितने चिड़ियाघर हैं और उनके नाम क्या हैं;

(ख) गत तीन वर्षों के दौरान सरकार द्वारा इनके रख-रखाव हेतु कितनी धनराशि स्वीकृत की गई;

(ग) उक्त अवधि के दौरान इन पर कितना खर्च आया और कितनी धनराशि अप्रयुक्त पड़ी रही;

(घ) क्या सरकार द्वारा स्वीकृत की गई धनराशि का पूर्ण उपयोग किया गया है; और

(ङ) यदि नहीं, तो इस धनराशि का पूरा उपयोग नहीं होने के राज्य-वार क्या कारण हैं?

पर्यावरण और वन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री बाबू लाल मरांडी): (क) पूरे देश में 199 मान्यताप्राप्त चिड़ियाघर हैं। राज्य-वार ब्यौरा संलग्न विवरण में दिया गया है।

(ख) केन्द्र सरकार, केन्द्रीय चिड़ियाघर प्राधिकरण को सहायता अनुदान देती है और जिससे वह देश के विभिन्न चिड़ियाघरों को वित्तीय सहायता देता है। चिड़ियाघरों के रख-रखाव के लिए केन्द्रीय चिड़ियाघर प्राधिकरण द्वारा कोई वित्तीय सहायता नहीं दी जाती। प्राणियों की गृह व्यवस्था और स्वास्थ्य परिचर्या आदि जैसे विकास कार्यों के लिए वित्तीय सहायता दी जाती है। पिछले तीन वर्षों (अर्थात् 1997-98, 1998-99 और 1999-2000) के दौरान केन्द्रीय चिड़ियाघर प्राधिकरण ने देश के विभिन्न चिड़ियाघरों को 1788.21 लाख रुपये की सहायता प्रदान की है।

(ग) केन्द्रीय चिड़ियाघर प्राधिकरण द्वारा चिड़ियाघरों को जारी की गई और उनके द्वारा उपयोग की गई धनराशि की वर्षवार स्थिति नीचे दी गई है:

(लाख रुपये में)

वर्ष	चिड़ियाघरों की संख्या	स्वीकृत धनराशि	उपयोग की गई धनराशि	उपयोग न की गई शेष धनराशि
1997-98	23	321.49	242.18	79.31
1998-99	20	393.14	168.75	224.39
*1999-2000	21	1073.58	-	1073.58
कुल		1788.21	410.93	1377.28

* उपयोग प्रमाणपत्र प्रतीक्षित है।

(घ) और (ङ) पिछले तीन वर्षों के दौरान केन्द्रीय चिड़ियाघर प्राधिकरण द्वारा प्रदत्त उपयोग न की गई धनराशि की स्थिति नीचे दी गई है:

1997-98

1. निम्नलिखित राज्य सरकारों द्वारा बराबर का हिस्सा न दिए जाने के कारण धनराशि का उपयोग नहीं किया गया।

(क) पंजाब सरकार लुधियाना और छतबीर चिड़ियाघरों में विकास कार्यों के लिए 41.75 लाख रुपये।

(ख) असम सरकार असम राज्य चिड़ियाघर, गुवाहाटी के लिए 19.56 लाख रुपये।

2. अहाते के अभीकल्पों को देरी से अंतिम रूप देने/परिवर्तन के कारण धनराशि का उपयोग नहीं किया गया।

(क) अहमदाबाद चिड़ियाघर - 12.00 लाख रुपये

(ख) मैसूर चिड़ियाघर - 6.00 लाख रुपये

1998-99

सभी चिड़ियाघरों में कार्य प्रगति पर है, उनसे उपयोग प्रमाण-पत्र प्राप्त नहीं हुए हैं। पूरी धनराशि के संबंध में उपयोग प्रमाण-पत्र शीघ्र मिल जाने की संभावना है।

1999-2000

जिस काम के लिए अनुदान स्वीकृत किया जाता है। उसे 18 महीने के भीतर पूरा किया जाना होता है। अत: केन्द्रीय चिड़ियाघर प्राधिकरण को विभिन्न चिड़ियाघरों से यथासमय उपयोग प्रमाण-पत्र मिलने की संभावना है।

विवरण

अंडमान एवं निकोबार द्वीपसमूह			
1.	चिड़िया टापू जैव उद्यान	पोर्टब्लेयर	छोटा चिड़ियाघर
आंध्र प्रदेश			
1.	अलीसागर हरिण उद्यान	अलीसागर	लघु चिड़ियाघर/हरिण उद्यान
2.	हरिण उद्यान, चित्तूर रिजर्व फारेस्ट	चित्तूर पूर्वी मंडल	लघु चिड़ियाघर/हरिण उद्यान
3.	हरिण उद्यान, कांडालेरू	कांडालेरू	लघु चिड़ियाघर/हरिण उद्यान
4.	हरिण उद्यान, केशोराम सीमेंट	बसंत नगर	लघु चिड़ियाघर/हरिण उद्यान
5.	हरिण उद्यान, म्यूनिसिपल पार्क, राजामुंदरी	राजामुन्दरी	लघु चिड़ियाघर/हरिण उद्यान
6.	हरिण उद्यान, एन एफ सी एल, ग्रीन बेल्ट	काकीनाड़ा	लघु चिड़ियाघर/हरिण उद्यान
7.	गोदावरी वाइल्डरनैस पार्क, उप्पडा	जिला ईस्ट गोदावरी	लघु चिड़ियाघर/हरिण उद्यान
8.	इंदिरा गांधी प्राणि उद्यान	विशाखापत्तनम	बड़ा चिड़ियाघर
9.	जवाहर झील पर्यटन परिसर	शामिर पेट	लघु चिड़ियाघर/हरिण उद्यान
10.	किन्नेरसारी हरिण उद्यान	किन्नेरसारी	लघु चिड़ियाघर/हरिण उद्यान
11	मानसरोवर प्रकृति उद्यान, ताकेल्लापाडु	गुंटूर	लघु चिड़ियाघर/हरिण उद्यान
12.	लघु चिड़ियाघर, हिमायत सागर	जिला रंगारेड्डी	लघु चिड़ियाघर/हरिण उद्यान
13.	मृगया मिचिलकुर हरिण उद्यान	चिलकुर	लघु चिड़ियाघर/हरिण उद्यान
14.	नेहरू प्राणि उद्यान	हैदराबाद	बड़ा चिड़ियाघर
15.	पिल्लालामरी हरिण उद्यान	महबूब नगर	लघु चिड़ियाघर/हरिण उद्यान

16.	श्री वेंकटेश्वर प्राणि उद्यान	तिरूपति	छोटा चिड़ियाघर
17.	वन विज्ञान केन्द्र हंटर रोड, हनमकोंडा	वारांगल	लघु चिड़ियाघर/हरिण उद्यान
अरुणाचल प्रदेश			
1.	लघु चिड़ियाघर	रोइंग	लघु चिड़ियाघर/हरिण उद्यान
2.	लघु चिड़ियाघर	मियाओ	लघु चिड़ियाघर/हरिण उद्यान
3.	प्राणी उद्यान	एटानगर	मध्यम आकार का उद्यान
असम			
1.	असम प्राणि एवं वनस्पति उद्यान	गुवाहाटी	बड़ा उद्यान
बिहार			
1.	भगवान बिरसा जैव उद्यान	रांची	छोटा चिड़ियाघर
2.	बिरसा मृग विहार	कालामाटी	लघु चिड़ियाघर/हरिण उद्यान
3.	चन्द्रपुरा हरिण उद्यान	चन्द्रपुरा	लघु चिड़ियाघर/हरिण उद्यान
4.	हरिण उद्यान	मैथोन डैम, जीवीसी	लघु चिड़ियाघर/हरिण उद्यान
5.	जय प्रकाश उद्यान	बोध गया	लघु चिड़ियाघर/हरिण उद्यान
6.	जवाहर लाल नेहरू जैव उद्यान	बोकारो	मध्यम आकार का चिड़ियाघर
7.	संजय गांधी जैव उद्यान	पटना	बड़ा चिड़ियाघर
8.	बाल शिक्षा हेतु सत्संग चिड़ियाघर	सत्संग	लघु चिड़ियाघर/हरिण उद्यान
9.	टाटा स्टील जैव उद्यान	जमशेदपुर	छोटा चिड़ियाघर
दादरा व नगर हवेली			
1.	लायन सफारी	वासोना	लघु चिड़ियाघर/हरिण उद्यान
2.	सत्मैया हरिण उद्यान	सत्मैया	लघु चिड़ियाघर/हरिण उद्यान
दमन और दीव			
1.	हरिण उद्यान	दमन	लघु चिड़ियाघर/हरिण उद्यान
दिल्ली			
1.	हरिण उद्यान	हौजखास	लघु चिड़ियाघर/हरिण उद्यान
2.	राष्ट्रीय प्राणि उद्यान	दिल्ली	बड़ा चिड़ियाघर
गोवा			
1.	बोंडला चिड़ियाघर	उसगांव	गुजरात
गुजरात			
1.	फर्टिलाइजर नगर हरिण उद्यान	बड़ौदा	लघु चिड़ियाघर/हरिण उद्यान
2.	इन्दरोड़ा प्रकृति उद्यान	गांधी नगर	छोटा चिड़ियाघर

3.	कमला नेहरू प्राणि उद्यान	अहमदाबाद	बड़ा चिड़ियाघर
4.	प्रकृति शिक्षा केन्द्र	जामनगर	लघु चिड़ियाघर/हरिण उद्यान
5.	राजकोट नगर निगम चिड़ियाघर	राजकोट	छोटा चिड़ियाघर
6.	शक्करबाग चिड़ियाघर	जूनागढ़	बड़ा चिड़ियाघर
7.	सायाजी बाग चिड़ियाघर	बड़ोदरा	मध्यम आकार का चिड़ियाघर
8.	सुन्दरवन नेचर डिस्कवरी सैंटर	जोधपुर टीकरा	लघु चिड़ियाघर/हरिण उद्यान
हरियाणा			
1.	हरिण उद्यान	चांदी मंदिर	लघु चिड़ियाघर/हरिण उद्यान
2.	हरिण उद्यान	हिसार	लघु चिड़ियाघर/हरिण उद्यान
3.	हरिण उद्यान, एन एफ एल	पानीपत	लघु चिड़ियाघर/हरिण उद्यान
4.	लघु चिड़ियाघर	जींद	लघु चिड़ियाघर/हरिण उद्यान
5.	लघु चिड़ियाघर	भिवानी	लघु चिड़ियाघर/हरिण उद्यान
6.	लघु चिड़ियाघर	पिपली	लघु चिड़ियाघर/हरिण उद्यान
7.	लघु चिड़ियाघर, आबूशहर	आबूशहर	लघु चिड़ियाघर/हरिण उद्यान
8.	लघु चिड़ियाघर, पिंजौर	पिंजौर	लघु चिड़ियाघर/हरिण उद्यान
9.	रोहतक चिड़ियाघर	रोहतक	लघु चिड़ियाघर
हिमाचल प्रदेश			
1.	धौलाधार प्रकृति उद्यान	गोपालपुर	लघु चिड़ियाघर/हरिण उद्यान
2.	हिमालयी प्रकृति उद्यान (कुफरी)	कुफरी	लघु चिड़ियाघर
3.	फीसेन्टरी एंड मस्क डीयर फार्म	सराहन	लघु चिड़ियाघर/हरिण उद्यान
4.	फीसेन्टरी चहल	सोलन	लघु चिड़ियाघर/हरिण उद्यान
5.	रेणुके चिडियाघर/लायन सफारी	लायन सफारी	लघु चिड़ियाघर/हरिण उद्यान
6.	रेवलसार वन्यजीव चिड़ियाघर	गंडी	लघु चिड़ियाघर/हरिण उद्यान
जम्मू और कश्मीर			
1.	हरिण उद्यान, श्रीनगर	श्रीनगर	लघु चिड़ियाघर/हरिण उद्यान
2.	गंडा लघु चिड़ियाघर, रामनगर	रामनगर	लघु चिड़ियाघर/हरिण उद्यान
3.	लघु चिड़ियाघर, मानसार	मानसार	लघु चिड़ियाघर/हरिण उद्यान
कर्नाटक			
1.	भूटानल हरिण उद्यान	बीजापुर	लघु चिड़ियाघर/हरिण उद्यान
2.	बाल उद्यान और चिड़ियाघर	गडग	लघु चिड़ियाघर/हरिण उद्यान

3.	लघु चिड़ियाघर/हरिण उद्यान	जिला तुमकुर	लघु चिड़ियाघर/हरिण उद्यान
4.	डियर चिन्ड्रेन एण्ड स्नेक पार्क, कदरीहिल	मंगलोर	लघु चिड़ियाघर/हरिण उद्यान
5.	हरिण उद्यान जीजीहल रिजर्व फॉरेस्ट, चिंगातेरी	जीजीकल गुड्डा वेलरी	लघु चिड़ियाघर/हरिण उद्यान
6.	कगेरे में हरिण उद्यान	जिला तुमकुर	लघु चिड़ियाघर/हरिण उद्यान
7.	इंदिरा प्रियदर्शिनी संग्रहालय, अरागोडु	दावणगेरे तालुक	लघु चिड़ियाघर/हरिण उद्यान
8.	कोपाम्बुडी हरिण उद्यान	बंगलौर	लघु चिड़ियाघर/हरिण उद्यान
9.	कित्तुर रानी चेनम्मा निसर्ग धाम	भूटरामनहट्टी	लघु चिड़ियाघर/हरिण उद्यान
10.	कुदरेमुख लघु चिड़ियाघर	चिकमंगलूर	लघु चिड़ियाघर/हरिण उद्यान
11.	लघु चिड़ियाघर ए एम गुडी बालवन	चित्रदुर्ग	लघु चिड़ियाघर/हरिण उद्यान
12.	लघु चिड़ियाघर एवं बाल उद्यान	गुलबर्गा	लघु चिड़ियाघर/हरिण उद्यान
13.	लघु चिड़ियाघर, गेंडेनकट्टे	गेंडेनकट्टे	लघु चिड़ियाघर/हरिण उद्यान
14.	लघु चिड़ियाघर, चिकमंगलूर	चिकमंगलूर	लघु चिड़ियाघर/हरिण उद्यान
15.	नमदाचिलुम हरिण उद्यान	तुमकुर	लघु चिड़ियाघर/हरिण उद्यान
16.	राष्ट्रीय उद्यान, वनेरघट्टा जूलाजिकल यार्क	बनेरघट्ट	मध्यम आकार का चिड़ियाघर
17.	मदुशेड्डे में पिलीकुला वन्यजीव	मंगलोर	लघु चिड़ियाघर/हरिण उद्यान
18.	श्री चगाराजेन्द्र प्राणि उद्यान	मैसूर	बड़ा चिड़ियाघर
19.	बाघ और शेर सफारी, ध्यारेकोपा	शिमोगा	लघु चिड़ियाघर/हरिण उद्यान
20.	थुंगभद्र बाघ लघु चिड़ियाघर	बेल्लरी	लघु चिड़ियाघर/हरिण उद्यान
21.	चिड़ियाघर एवं सफारी बेटाडगलेस्वरा	वेटाडगलेस्वरा	लघु चिड़ियाघर/हरिण उद्यान
केरल			
1.	हरिण उद्यान, पॉनगुडी	तिरुअनंतपुरम	लघु चिड़ियाघर/हरिण उद्यान
2.	हिल पैलेस चिड़ियाघर, एरनाकुलम	तिरूअनंतपुरम	लघु चिड़ियाघर/हरिण उद्यान
3.	नैयर बांध पर शेर सफारी	तिरुअनंतपुरम	लघु चिड़ियाघर/हरिण उद्यान
4.	लघु चिड़ियाघर ''कट्टु-अरंगु'' वंदनमेदु	जिला इदुकी	लघु चिड़ियाघर/हरिण उद्यान
5.	सर्प उद्यान, मलगपुजा	पालकड	लघु चिड़ियाघर/हरिण उद्यान
6.	स्टेट म्यूजियम और चिड़ियाघर	त्रिचूर	छोटा चिड़ियाघर
7.	तिरुअनंतपुरम चिड़ियाघर	तिरुअनंतपुरम	मध्यम आकार का चिड़ियाघर
मध्य प्रदेश			
1.	टाटा एक्सपोर्ट हरिण उद्यान	देवास	लघु चिड़ियाघर/हरिण उद्यान
2.	हरिण उद्यान, एन सी एल मुख्यालय	सिंगरोली जिला सिधी	लघु चिड़ियाघर/हरिण उद्यान

3.	गांधी प्राणी उद्यान	ग्वालियर	मध्यम आकार का चिड़ियाघर
4.	कमला नेहरू प्राणी संग्रहालय चिड़ियाघर	इंदौर	छोटा चिड़ियाघर
5.	कानन पंडारी	बिलासपुर	लघु चिड़ियाघर/हरिण उद्यान
6.	मैत्री बाघ चिड़ियाघर	भिलाई	मध्यम आकार का चिड़ियाघर
7.	वन विहार राष्ट्रीय उद्यान	भोपाल	मध्यम आकार का चिड़ियाघर
महाराष्ट्र			
1.	औरंगाबाद निगम चिड़ियाघर	औरंगाबाद	छोटा चिड़ियाघर
2.	हरिण उद्यान	गंगापुर	लघु चिड़ियाघर/हरिण उद्यान
3.	महाराजा शाहजी छत्रपति चिड़ियाघर	कोल्हापुर	लघु चिड़ियाघर/हरिण उद्यान
4.	महाराज बाग चिड़ियाघर	नागपुर	छोटा चिड़ियाघर
5.	महात्मा गांधी राष्ट्रीय उद्यान चिड़ियाघर	शोलापुर	लघु चिड़ियाघर/हरिण उद्यान
6.	निसारमाकवी भीनाबाई चौधरी	पुणे	लघु चिड़ियाघर/हरिण उद्यान
7.	पाल वाइल्ड एनीमल ओरफनमें	जलगांव	लघु चिड़ियाघर/हरिण उद्यान
8.	पेशवे पार्क जूलोजिकल गार्डन	पुणे	छोटा चिड़ियाघर
9.	प्रताप सिंह उद्यान और चिड़ियाघर	संगली	लघु चिड़ियाघर/हरिण उद्यान
10.	रामबाग चीतल उद्यान	चंद्रपुर	लघु चिड़ियाघर/हरिण उद्यान
11.	रामबाग चीतल उद्यान	चंद्रपुर	लघु चिड़ियाघर/हरिण उद्यान
12.	संजय गांधी राष्ट्रीय उद्यान	बोरीबली (पूर्व)	छोटा चिड़ियाघर
13.	सेमिनारी हिल्स हरिण उद्यान	नागपुर	लघु चिड़ियाघर/हरिण उद्यान
14.	सर्प उद्यान और एवियरी	पुणे	लघु चिड़ियाघर/हरिण उद्यान
15.	सर्प उद्यान शिक्षण मंडल, कोल्हापुर	कोल्हापुर	लघु चिड़ियाघर/हरिण उद्यान
16.	सोमनाथ प्रकल्प चिड़ियाघर	चंद्रपुर	मध्यम आकार का चिड़ियाघर
17.	सुरूचि चिड़ियाघर (सुरुचि होलीडे रिसोर्ट)	शेइंग, पानवेल, रायगढ़	लघु चिड़ियाघर/हरिण उद्यान
18.	वरांत स्मृति मृग विहार, उपरसरा	यैंतगल	लघु चिड़ियाघर/हरिण उद्यान
19.	वीरमाता जीजाबाई भोसले उद्यान और चिड़ियाघर	मुंबई	बड़ा चिड़ियाघर
मणिपुर			
1.	मणिपुर प्राणि उद्यान	इंफाल	मध्यम आकार का चिड़ियाघर
मेघालय			
1.	लेडी हिदारी पार्क एनीमल लैंड	शिलांग	छोटा चिड़ियाघर
2.	लघु चिड़ियाघर	तुरा	लघु चिड़ियाघर/हरिण उद्यान

मिजोरम			
1.	एजावल चिड़ियाघर	एजवल	छोटा चिड़ियाघर
2.	हरिण उद्यान	थेंजवल	लघु चिड़ियाघर/हरिण उद्यान
नागालैंड			
1.	प्राणि उद्यान	कोहिमा	छोटा चिड़ियाघर
उड़ीसा			
1.	हरिण उद्यान, दैत्री	दैत्री	लघु चिड़ियाघर/हरिण उद्यान
2.	गंधमार्दना हरिण उद्यान	बलनगीर	लघु चिड़ियाघर/हरिण उद्यान
3.	धरियल अनुसंधान और संरक्षण एकक	टीकरपरा	लघु चिड़ियाघर/हरिण उद्यान
4.	एच ए एल हरिण उद्यान, कोरापूट	सुनाबेदा	लघु चिड़ियाघर/हरिण उद्यान
5.	इंदिरा गांधी उद्यान चिड़ियाघर, हरिण उद्यान	राउरकेला	लघु चिड़ियाघर/हरिण उद्यान
6.	कपिलेश चिड़ियाघर	धेनकनाल	लघु चिड़ियाघर/हरिण उद्यान
7.	कौनरिया हरिण उद्यान नयागढ़ वन विभाग	नयागढ़	लघु चिड़ियाघर/हरिण उद्यान
8.	मोतीझरन हरिण उद्यान	संबलपुर	लघु चिड़ियाघर/हरिण उद्यान
9.	नंदनकानन प्राणी उद्यान	भुवनेश्वर	बड़ा चिड़ियाघर
10.	ट्राइबल म्यूजियम	कोरापुट	लघु चिड़ियाघर/हरिण उद्यान
पंजाब			
1.	हरिण उद्यान, वीर मोती बाग	पटियाला	लघु चिड़ियाघर/हरिण उद्यान
2.	हरिण उद्यान, वीरतालाब	भटिंडा	लघु चिड़ियाघर/हरिण उद्यान
3.	हरिण उद्यान, नीलोन	लुधियाना	लघु चिड़ियाघर/हरिण उद्यान
4.	महेन्द्र चौधरी प्राणि उद्यान	छतबीर	बड़ा चिड़ियाघर
5.	बाघ सफारी	लुधियाना	लघु चिड़ियाघर/हरिण उद्यान
राजस्थान			
1.	हरिण उद्यान, श्री गोवर्धन ट्रस्ट	उदयपुर	लघु चिड़ियाघर/हरिण उद्यान
2.	जयपुर चिड़ियाघर	जयपुर	मध्यम आकार का चिड़ियाघर
3.	जोधपुर चिड़ियाघर	जोधपुर	मध्यम आकार का चिड़ियाघर
4.	कोटा चिड़ियाघर	कोटा	लघु चिड़ियाघर
5.	मृगवन, चित्तौगढ़	चितौड़गढ	लघु चिड़ियाघर/हरिण उद्यान
6.	पंचवटी हरिण उद्यान	पिल्लानी	लघु चिड़ियाघर/हरिण उद्यान

7.	सफारी उद्यान, हरिदास जी की मागरी	उदयपुर	लघु चिड़ियाघर/हरिण उद्यान
8.	उदयपुर चिड़ियाघर	उदयपुर	लघु चिड़ियाघर
9.	प्राणी उद्यान	बीकानेर	लघु चिड़ियाघर
सिक्किम			
1.	हिमालय प्राणि उद्यान, बुलबुले	गंगटोक	लघु चिड़ियाघर
2.	रुस्तमजी हरिण उद्यान	गंगटोक	लघु चिड़ियाघर/हरिण उद्यान
तमिलनाडु			
1.	अर्मिधि चिड़ियाघर	वेल्लोर	लघु चिड़ियाघर/हरिण उद्यान
2.	अरिगनार अन्ना प्राणि उद्यान	बंडलूर	बड़ा चिड़ियाघर
3.	चेन्नई सांप उद्यान, ट्रस्ट	गुइंडी	मध्यम आकार का चिड़ियाघर
4.	चिल्ड्रेन कार्नर	गुइंडी	मध्यम आकार का चिड़ियाघर
5.	हरिण उद्यान, उधागाय, नीलगिरीज	नीलगिरी जिला	लघु चिड़ियाघर/हरिण उद्यान
6.	गंगाइकोन्डन हरिण उद्यान, नोलिआई	कट्टाबोम्मन	लघु चिड़ियाघर/हरिण उद्यान
7.	होगाइनक्काल लघु चिड़ियाघर	धर्मापुरी	लघु चिड़ियाघर/हरिण उद्यान
8.	कुरुमबापट्टी प्राणी उद्यान	सेलम	लघु चिड़ियाघर/हरिण उद्यान
9.	मद्रास क्रोकोडाइल बैंक ट्रस्ट/सेंटर फार	महाबलीपुरम	मध्यम आकर का चिड़ियाघर
10.	मुक्कोम्बू हरिण उद्यान	मुक्कोम्बू	लघु चिड़ियाघर/हरिण उद्यान
11.	शिवगंगा उद्यान लघु चिड़ियाघर	थंजावुर	लघु चिड़ियाघर/हरिण उद्यान
12.	वी. ओ. सी. उद्यान लघु चिड़ियाघर	कोयम्बटूर	मध्यम आकार का चिड़ियाघर
13.	वी ओ सी उद्यान लघु चिड़ियाघर, इरोड	मद्रास	लघु चिड़ियाघर/हरिण उद्यान
त्रिपुरा			
1.	हरिण उद्यान	पाटीछरी	लघु चिड़ियाघर/हरिण उद्यान
2.	सेपाहीजाला प्राणि उद्यान	सेपाहीजाला	मध्यम आकार का चिड़ियाघर
उत्तर प्रदेश			
1.	अरण्य भवन	बुलंदशहर	लघु चिड़ियाघर/हरिण उद्यान
2.	बनदेवी रिक्रिएसन पार्क	मऊ	लघु चिड़ियाघर/हरिण उद्यान
3.	चीतल उद्यान, खतौली	मुजफ्फरनगर	लघु चिड़ियाघर/हरिण उद्यान
4.	हरिण उद्यान	मुरादाबाद	लघु चिड़ियाघर/हरिण उद्यान
5.	हरिण उद्यान	बरेली	लघु चिड़ियाघर/हरिण उद्यान

6.	हरिण उद्यान, कुकरेल	कुकरेल	लघु चिड़ियाघर/हरिण उद्यान
7.	हरिण उद्यान, हिंडालको इंडस्ट्रीज लि.	सुनभद्रा	लघु चिड़ियाघर/हरिण उद्यान
8.	हरिण उद्यान, नरेन तेवारी देवाल	अल्मोड़ा	लघु चिड़ियाघर/हरिण उद्यान
9.	हरिण उद्यान, यू सी एल छतनागझूसी	इलाहाबाद	लघु चिड़ियाघर/हरिण उद्यान
10.	घड़ियाल पुनर्वास केन्द्र	कुकरेल	लघु चिड़ियाघर/हरिण उद्यान
11.	इंदिरा मनोरंजन वन (हरिण उद्यान) मेहेवा	लखीमपुर खेड़ी	लघु चिड़ियाघर/हरिण उद्यान
12.	कानपुर प्राणि उद्यान	कानपुर	बड़ा चिड़ियाघर
13.	लिटिल स्कोलरर्स एकेडमी	अमरोहा	लघु चिड़ियाघर/हरिण उद्यान
14.	मालसी हरिण उद्यान	देहरादून	लघु चिड़ियाघर/हरिण उद्यान
15.	कस्तूरी हरिण प्रजनन केन्द्र, कंचुला खरक	चमोली	लघु चिड़ियाघर/हरिण उद्यान
16.	नवाबगंज हरिण उद्यान	उन्नाव	लघु चिड़ियाघर/हरिण उद्यान
17.	प्रिंस आफ वेल्स प्राणि उद्यान	लखनऊ	बड़ा चिड़ियाघर
18.	पं. गोविंद वल्लभ हाई एल्टीट्यूड चिड़ियाघर	नैनीताल	लघु चिड़ियाघर/हरिण उद्यान
19.	रामपुर मण्डी हरिण उद्यान एवं दरबा	कलसी	लघु चिड़ियाघर/हरिण उद्यान
20.	सारनाथ हरिण उद्यान	वाराणसी	छोटा चिड़ियाघर
21.	वन प्राणि उद्यान, आई वी आर आई	बरेली	लघु चिड़ियाघर/हरिण उद्यान
22.	विनोद वन लघु चिड़ियाघर, रामगढ़	गोरखपुर	लघु चिड़ियाघर/हरिण उद्यान
पश्चिम बंगाल			
1.	बेल्लीलियस उद्यान	हावड़ा	लघु चिड़ियाघर/हरिण उद्यान
2.	कलकत्ता सांप उद्यान, प्राणि उद्यान	बाडु	लघु चिड़ियाघर
3.	कोर्पोरेशन पार्क, जोगमाया	हावड़ा	लघु चिड़ियाघर/हरिण उद्यान
4.	दीपक मित्राज स्नेक हाऊस, हिंदुस्तान पार्क	कलकत्ता	लघु चिड़ियाघर/हरिण उद्यान
5.	हरिण उद्यान (लघु चिड़ियाघर)	झाड़ग्राम	लघु चिड़ियाघर/हरिण उद्यान
6.	हरिण उद्यान डोव हिट	कुरसेओंग	लघु चिड़ियाघर/हरिण उद्यान
7.	गर चुमुक (उलूघाटा) हरिण उद्यान	उलूघाटा	लघु चिड़ियाघर/हरिण उद्यान
8.	कुमारी कंगसाबुरी हरिण उद्यान, बोनपाकुरिया	बांकुरा	लघु चिड़ियाघर/हरिण उद्यान
9.	मार्बल पैलेस चिड़ियाघर	कलकत्ता	छोटा चिड़ियाघर
10.	लघु चिड़ियाघर साईंस सिटी	कलकत्ता	लघु चिड़ियाघर/हरिण उद्यान
11.	पदमजा नायडू हिमालय प्राणि उद्यान	दार्जिलिंग	छोटा चिड़ियाघर
12.	पश्चिम बंगाल सांप उद्यान एवं प्रयोगशाला, बाडु	24 परगना नार्थ	लघु चिड़ियाघर/हरिण उद्यान
13.	प्राणि उद्यान	अलीपोर	बड़ा चिड़ियाघर

[हिन्दी]

डा. राम मनोहर लोहिया अस्पताल में हृदय शल्य चिकित्सा की सुविधा

4311. श्री धर्मराज सिंह पटेल: क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या डा. राम मनोहर लोहिया अस्पताल में हृदय शल्य चिकित्सा की सुविधा प्रदान करने संबंधी प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन है;

(ख) यदि हां, तो यह सुविधा कब तक आरंम्भ हो जाएगी; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (प्रो. रीता वर्मा): (क) से (ग) जी, हां।

डा. राम मनोहर लोहिया अस्पताल में कार्डियो थोरेसिक वास्कुलर सर्जरी विभाग की स्थापना का कार्य चल रहा है और ओपन हार्ट सर्जरी के अगले दो महीनों में शुरू होने की संभावना है।

[अनुवाद]

नर्मदा और माही पुलों की प्रगति

4312. श्रीमती भावनाबेन देवराजभाई चीखलीया: क्या जल-भूतल परिवहन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) राष्ट्रीय राजमार्ग नर्मदा पुल और माही पुल के निर्माण कार्य की वर्तमान स्थिति क्या है;

(ख) क्या वर्ष 1999-2000 के दौरान गुजरात में निजी निवेशक को कोई नई परियोजना का ठेका दिया गया है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(घ) क्या विदेशी निवेशकों ने इस कार्य का ठेका लेने में अपनी रुचि दिखाई है; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

जल-भूतल परिवहन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री हुकमदेव नारायण यादव): (क) नवीनतम समीक्षा के अनुसार नर्मदा पुल की 95% भौतिक प्रगति हो चुकी है और इसे दिसम्बर, 2000 तक पूरा करने का लक्ष्य है। माही पुल पूरा हो चुका है और अप्रैल, 2000 में यातायात के लिए खोल दिया गया है।

(ख) जी नहीं।

(ग) प्रश्न नहीं उठता।

(घ) जी नहीं।

(ङ) प्रश्न नहीं उठता।

वन्य जीवन की सुरक्षा

4313. श्री रामनायडू दग्गुबाटि: क्या पर्यावरण और वन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार का विचार उड़ीसा के नंदन कानन चिड़ियाघर में वन्यजीव संरक्षण अधिनियम की अवज्ञा संबंधी मामलों की जांच करने का है;

(ख) यदि हां, तो वर्ष 2000-2001 के दौरान खाद्य खरीद प्रक्रिया में वित्तीय अनियमितताओं के कितने मामले मुख्य वार्डेन द्वारा प्रकाश में लाये गये हैं; और

(ग) वन्य जीव संरक्षण अधिनियम के नियमों के उल्लंघन और वित्तीय अनियमितताओं में संलिप्त पाए गए व्यक्यिों के विरुद्ध क्या कार्रवाई करने का प्रस्ताव है?

पर्यावरण और वन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री बाबू लाल मरांडी): (क) से (ग) उड़ीसा राज्य सरकार को नन्दनकानन चिड़ियाघर, उड़ीसा के तत्कालीन निदेशक द्वारा की गई वित्तीय अनियमितताओं के संबंध में एक रिपोर्ट प्राप्त हुई है। राज्य सरकार ने उड़ीसा सरकार के अपर सचिव स्तर के एक अधिकारी को जांच करने का कार्य सौंपा है।

भारतीय होटल निगम को घाटे

4314. श्री छत्रपाल सिंह: क्या नागर विमानन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या भारतीय होटल निगम के अंतर्गत कार्य कर रहे होटलों को घाटे हो रहे हैं;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं;

(ग) गत तीन वर्षों के दौरान इन होटलों को कुल कितने घाटे हुए;

(घ) क्या इन होटलों को बेचने की कोई योजना है;

(ङ) यदि हां, तो इसके क्या कारण है; और

(च) सरकार द्वारा इन होटलों को लाभकारी बनाने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं?

नागर विमानन मंत्री (श्री शरद यादव): (क) और (ख) भारतीय होटल निगम के अधीन चार होटल, इकाइयों में से दो ईकाइयां निम्नलिखित कारणों से हानि उठा रही हैं:-

(1) सैंटोर, दिल्ली का इसके आरम्भ से अब तक पुनरुद्धार नहीं किया गया जिसके परिणामस्वरूप इसकी स्थिति लगातार खराब होती गई ।

(2) उपरोक्त तथ्य से होटल लाग में गिरावट आई जिससे राजस्व अर्जन में गिरावट आई।

(3) 1988 से घाटी में राजनीतिक उथल-पुथल के कारण 1987-88 को छोड़कर इसके आरंभ होने से लेकर लगातार घाटा हो रहा है।

(ग) हानि का ब्यौरा निम्न प्रकार हैं:-

(करोड़ रुपये में)

वर्ष	सैंटोर होटल दिल्ली विमानपत्तन	सैंटोर लेक व्यू होटल, श्रीनगर
1997-98	0.61	2.51*
1998-99	3.87	1.37*
1999-2000 (अनन्तिम)	6.86	1.64*

*ब्याज माफी से पूर्व।

(घ) और (ङ) सरकार ने एआर इंडिया की एक पूर्ण स्वामित्व वाली अनुषंगी, भारतीय होटल निगम के विनिवेश का निर्णय किया है तथा इस प्रकार से अर्जित राजस्व एअर इंडिया को दिया जाएगा जो 1995-96 से लगातार हानि उठा रही है।

(च) हानि उठा रही ईकाइयों को लाभकारी ईकाइयों में बदलने के लिए उठाए जा रहे कदमों में सैंटोर दिल्ली में 100 कमरों का पुनरुद्धार, व्यापक विक्रय प्रचार जिसमें निगमित कार्यालय को समाहित किया गया है, मिलेनियम आफर देना तथा सैंटोर गोल्ड कार्ड इत्यादि को आरंभ करना शामिल है।

उड़ीसा में स्वास्थ्य योजना

4315. श्री भर्तृहरि महताब: क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) उड़ीसा में चलाई जा रही विभिन्न स्वास्थ्य योजनाओं का ब्यौरा क्या है;

(ख) उक्त योजनाओं के कार्यान्वयन हेतु केन्द्र सरकार ने राज्य को कितनी निधियां आबंटित की हैं और राज्य द्वारा ये निधियां किस एजेंसी के माध्यम से खर्च की गई हैं;

(ग) गत तीन वर्ष के दौरान प्रत्येक वर्ष विश्व बैंक द्वारा उड़ीसा की स्वास्थ्य क्षेत्र की विभिन्न योजनाओं हेतु स्वीकृत ऋण का ब्यौरा क्या है; और

(घ) इन योजनाओं में से प्रत्येक पर होने वाले व्यय का ब्यौरा क्या है?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (प्रो. रीता वर्मा): (क) से (घ) उड़ीसा राज्य में केन्द्रीय प्रायोजित योजनाओं के रूप में कार्यान्वित किए जा रहे मुख्य राष्ट्रीय स्वास्थ्य कार्यक्रमों और 1997-98 से 1999-2000 के दौरान राज्य को आवंटित की गई निधियों के ब्यौरे को दर्शाने वाला विवरण संलग्न है। इसमें घरेलू और विश्व बैंक परियोजना दोनों के अधीन जारी की गई निधियां शामिल हैं। निधियां अपेक्षाओं के अनुसार आवंटित की जाती हैं। केन्द्रीय सहायता मुख्य रूप से औषधों की आपूर्ति, नैदाकि सुविधाओं की स्थापना करके संचारी और गैर-संचारी रोगों के नियंत्रण/उन्मूलन के लिए राज्य सरकार के संसाधनों को पूरक बनाने के लिए प्रदान की जाती हैं। ये योजनाएं राज्य सरकारों और जिला सोसायटियों के जरिए कार्यान्वित की जाती हैं। क्षयरोग नियंत्रण कार्यक्रम को छोड़कर ये सभी कार्यक्रम उड़ीसा में विश्व-बैंक सहायता से कार्यान्वित किए जा रहे हैं। उड़ीसा में संशोधित राष्ट्रीय क्षयरोग कार्यक्रम डेनिडा सहायत से कार्यान्वित किया जा रहा है।

विवरण

उड़ीसा राज्य में कार्यान्वित की जा रही मुख्य स्वास्थ्य योजनाएं और 1997-98 से 1999-2000 के दौरान निधियों का आबंटन/भुगतान

(लाख रुपये में)

क्रम संख्या	योजना का नाम	आवंटन/भुगतान		
		1997-98	1998-99	1999-2000
1	2	3	4	5
1.	राष्ट्रीय मलेरिया रोधी कार्यक्रम	312.93	746.43	1342.51

1	2	3	4	5
2.	राष्ट्रीय क्षयरोग नियंत्रण कार्यक्रम	73.69	219.78	329.02
3.	राष्ट्रीय कुष्ठ उन्मूलन कार्यक्रम	698.59	553.04	581.09
4.	राष्ट्रीय दृष्टिहीनता नियंत्रण कार्यक्रम	516.20	551.08	420.25
5.	राष्ट्रीय एड्स नियंत्रण कार्यक्रम	75.00	100.00	200.00

[हिन्दी]

बिहार में एम.सी. मार्ग को राष्ट्रीय राजमार्ग में बदलना

4316. श्री राजेश रंजन उर्फ पप्पू यादव: क्या **जल-भूतल परिवहन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या बिहार में एम.सी. मार्ग को राष्ट्रीय राजमार्ग में बदलने का कोई प्रस्ताव है; और

(ख) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

जल-भूतल परिवहन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री हुकमदेव नारायण यादव): (क) जी नहीं।

(ख) ऐसा कोई प्रस्ताव प्राप्त नहीं हुआ है।

[अनुवाद]

बैंड वाइड्थ

4317. श्री विक्रम केशरी देव: क्या **संचार मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या विदेश संचार निगम लिमिटेड के पास उपलब्ध "बैंड वाइड्थ" सुविधा विश्वस्तरीय दूरसंचार बुनियादी ढांचे की तुलना में अत्यधिक कम है;

(ख) यदि हां, तो सरकार द्वारा विदेश संचार निगम लिमिटेड को निर्यात बाजार में प्रतिस्पर्धा योग्य बनाने हेतु इसके उन्नयन के लिए क्या कदम उठाए गए हैं;

(ग) क्या विदेश संचार निगम लिमिटेड ने "आपरेशन बैंड वाइड्थ" नामक एक अभियान शुरू किया है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

संचार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री तपन सिकदर): (क) और (ख) जी, नहीं। वीएसएनएल की बैंडविड्थ उपलब्धता भारत में सर्विस नेटवर्क के आकार और क्षमता आवश्यकता के अनुरूप है।

(ग) जी, हां।

(घ) ऑपरेशन बैंडविड्थ के अंतर्गत निम्नलिखित प्रावधान किए जा रहे हैं:

(1) प्रत्याशित मांग के आधार पर पर्याप्त बैंडविड्थ का प्रापण;

(2) 2 एमबीपीएस तक की क्षमता के लिए सभी बैंडविड्थ आवश्यकताएं 60 दिन के भीतर (छोर से छोर तक प्रावधान) तथा 2 एमबीपीएस से अधिक क्षमता की आवश्यकता को 90 दिन के भीतर पूरा करना।

(3) बैंडविड्थ प्रावधान पर सूचना की ऑन लाइन उपलब्धता।

(4) अंतर्राष्ट्रीय निविदा प्रक्रिया और बैंडविड्थ प्रापण की प्रक्रिया की गति बढ़ाना।

(5) स्वदेशी और अन्तर्राष्ट्रीय हिस्सों के प्रावधान में सभी उपायों को पूरा करना सुनिश्चित करने के लिए सलाहकार (प्रचालन), दूरसंचार सेवा विभाग की अध्यक्षता में एक स्थायी समिति के साथ राष्ट्रीय स्तर पर समन्वय।

सड़क को राष्ट्रीय राजमार्ग घोषित करना

4318. मेजर जनरल (सेवानिवृत्त) भुवन चन्द्र खण्डूड़ी: क्या **जल-भूतल परिवहन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या ऋषिकेश-श्रीनगर-बद्रीनाथ सड़क को हाल ही में राष्ट्रीय राजमार्ग घोषित किया गया है;

(ख) यदि हां, तो क्या उस सड़क को राष्ट्रीय राजमार्गों के मानकों के अनुरूप लाने के लिए कार्यवाही (कार्यवाहियां) की गई हैं;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(घ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं और इस सड़क को कब तक राष्ट्रीय राजमार्ग के मानकों के अनुरूप लाए जाने की संभावना है?

जल-भूतल परिवहन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री हुकमदेव नारायण यादव): (क) जी, हां।

(ख) से (घ) राष्ट्रीय राजमार्गों का विकास एक सतत् प्रक्रिया है। राष्ट्रीय राजमार्गों पर निर्माण कार्य धनराशि की समग्र उपलब्धता के अध्यधीन पारस्परिक प्राथमिकता के आधार पर वार्षिक योजना में शुरू किए जाते हैं।

[हिन्दी]

चोरी के मामले

4319. डा. मदन प्रसाद जायसवाल: क्या संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) गत तीन वर्षों के दौरान डाक सेवाओं से चोरी के कितने मामले प्रकाश में आये हैं और इसमें राज्य-वार कितनी राशि सन्निहित है;

(ख) गत तीन वर्षों के दौरान इसमें कितने लोग संलिप्त पाये गए हैं; और

(ग) सरकार ने अब तक उनके विरुद्ध क्या कार्यवाही की है?

संचार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री तपन सिकदर): (क) गत तीन वर्षों के दौरान सभी राज्यों से चोरी के 2581 मामलों की रिपोर्ट मिली है और इसमें 1,76,29,601 रु. (1.76 करोड़) की राशि सन्निहित है। राज्यवार ब्यौरा संलग्न विवरण में दिया गया है।

(ख) 428 व्यक्ति।

(ग) दोषी पाए गए कर्मचारियों के विरुद्ध विभागीय कार्रवाई की गई। डाक सर्किलों द्वारा ऐसे मामलों की सूचना पुलिस को दी गई जिनमें बाहरी व्यक्ति भी शामिल थे।

विवरण

गत तीन वर्षों के दौरान डाक सेवाओं से चोरी के मामलों का राज्यवार ब्यौरा

क्रम सं.	राज्य का नाम	चोरी के मामलों की संख्या	राशि रुपये में	संलिप्त व्यक्तियों की संख्या
1	2	3	4	5
1.	असम	75	2,88,385	शून्य
2.	आंध्र प्रदेश	5	4,249	1
3.	अरुणाचल प्रदेश	शून्य	शून्य	शून्य
4.	बिहार	57	24,76,928	57
5.	दिल्ली	57	9,68,436	3
6.	गोवा	शून्य	शून्य	शून्य
7.	गुजरात	99	1,05,265	4
8.	हरियाणा	3	5,640	8
9.	हिमाचल प्रदेश	2	962	2
10.	जम्मू व कश्मीर	6	2,14,601	1
11.	कर्नाटक	133	4,55,381	2
12.	केरल	223	10,41,541	2

1	2	3	4	5
13.	मध्य प्रदेश	16	34,837	7
14.	महाराष्ट्र	844	48,76,002	82
15.	मेघालय	5	13,400	शून्य
16.	मणिपुर	2	शून्य	शून्य
17.	मिजोरम	3	3,100	शून्य
18.	नागालैंड	1	4,800	शून्य
19.	उड़ीसा	6	15,370	1
20.	पंजाब	58	63,630	96
21.	राजस्थान	98	5,52,358	6
22.	तमिलनाडु	97	1,09,455	5
23.	त्रिपुरा	30	20,486	शून्य
24.	उत्तर प्रदेश	158	50,88,360	115
25.	पश्चिम बंगाल और अंडमान और निकोबार	603	12,86,415	36
26.	सिक्किम	शून्य	शून्य	शून्य
	कुल	2581	1,76,29,601	428

[अनुवाद]

भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण बोर्ड की संरचना

4320. डा. बी.वी. रमैया: क्या नागर विमानन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण बोर्ड के सदस्य कौन-कौन हैं;

(ख) बोर्ड में कामगारों के प्रतिनिधि और टूर ऑपरेटर्स कितने हैं; और

(ग) बोर्ड में कितनी रिक्तियां हैं और इन्हें भरने के लिए क्या कार्रवाई की गई है?

नागर विमानन मंत्री (श्री शरद यादव): (क) से (ग) भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण अधिनियम, 1994 में यह व्यवस्था है कि प्राधिकरण में एक अध्यक्ष, महानिदेशक, नागर विमानन (डीजीसीए) पदेन सदस्य तथा इसके अतिरिक्त, भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण के बोर्ड में केन्द्र सरकार द्वारा नियुक्त किए जाने वाले कम से कम 8 तथा अधिक से अधिक 124 सदस्य होंगे। इस समय भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण के बोर्ड में अध्यक्ष, पदेन सदस्य के रूप में महानिदेशक नागर विमानन, चार कार्यकारी डायरेक्टर तथा 4 सरकारी अंशकालिक डायरेक्टर शामिल हैं। बोर्ड में कामगारों अथवा टूर ऑपरेटरों का कोई प्रतिनिधि नहीं है। भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण के बोर्ड में सामाजिक कामगारों, उद्योगपति आदि जैसे वर्गों से चार गैर-सरकारी अंशकालिक डायरेक्टर नियुक्त किए जा सकते हैं बशर्ते कि सक्षम प्राधिकारी का अनुमोदन हो।

दिल्ली-जयपुर की स्वर्ण चतुर्भुज परियोजना

4321. श्री मुद्रागाड्डा पद्मनाभम्:
श्री विलास मुत्तेमवार:

क्या जल-भूतल परिवहन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या स्वर्ण चतुर्भुज परियोजना राजस्थान से शुरू हो गई है;

(ख) यदि हां, तो क्या दिल्ली-जयपुर राष्ट्रीय राजमार्ग के 126 कि.मी. दूरी के हिस्से को चार लेनों वाला बनाने का काम लगभग पूर्णता पर है;

(ग) यदि हां, तो क्या एशियाई विकास बैंक के सहयोग से पांच राज्यों हरियाणा, राजस्थान, पश्चिम बंगाल, बिहार और आंध्र प्रदेश तक प्रसार वाली राष्ट्रीय राजमार्ग का विकास कार्य शुरू हो गया है;

(घ) यदि हां, तो क्या चतुर्भुज परियोजना में दिल्ली-कलकत्ता, कलकत्ता-चेन्नई, चेन्नई-मुम्बई और मुम्बई-दिल्ली संभागों को भी शामिल किया गया है;

(ङ) यदि हां, तो इन परियोजनाओं के लिए कुल कितनी धनराशि प्राप्त की गई है; और

(च) परियोजना के कब तक पूरा होने की संभावना है?

जल-भूतल परिवहन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री हुकमदेव नारायण यादव): (क) स्वर्णिम चतुर्भुज परियोजना में दिल्ली, कलकत्ता, चेन्नै और मुंबई महानगरों को जोड़ने वाले राष्ट्रीय राजमार्गों को चार/छः लेन का बनाना शामिल है। इसमें राजस्थान के भी कुछ खंड शामिल हैं, जहां कुछ खंडों में यह कार्य पहले ही पूरा कर लिया गया है।

(ख) से (घ) जी हां।

(ङ) और (च) स्वर्णिम चतुर्भुज राष्ट्रीय राजमार्ग विकास परियोजना का हिस्सा है और इसकी अनुमानित लागत लगभग 54,000 करोड़ रुपए है। यह धनराशि उपकर, विदेशी सहायता, गैर-सरकारी वित्तपोषण और बाजार ऋण से जुटाई जाएगी। स्वर्णिम चतुर्भुज को 2003 तक पूरा करने का लक्ष्य है।

[हिन्दी]

बिहार में बांस रोपण

4322. श्री जगदम्बी प्रसाद यादव: क्या पर्यावरण और वन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार का विचार बिहार के ग्रामीण और जनजातीय क्षेत्रों में बांस रोपण करने के लिए एक परियोजना तैयार करने का है ताकि ग्रामीण और जनजातीय लोगों को जीविकोपार्जन के साधन प्रदान किए जा सकें और पारिस्थितिक संतुलन बना रहे; और

(ख) उक्त परियोजना को कब तक क्रियान्वित किए जाने की संभावना है?

पर्यावरण और वन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री बाबू लाल मरांडी): (क) और (ख) बांस संसाधन का विकास अब पर्यावरण एवं वन मंत्रालय का महत्वपूर्ण क्षेत्र है। दुमका और रांची जिलों में 1500 है. अवक्रमित वन क्षेत्र के सुधार के लिए बिहार में बांस रोपण के लिए 102.63 लाख रुपये के परिव्यय वाली एक परियोजना को 2 वर्षों के लिए स्वीकृति प्रदान की गई है। संयुक्त वन प्रबंधन इस परियोजना का एक अभिन्न भाग है जो स्थानीय लोगों की भोगाधिकार में हिस्सेदारी सुनिश्चित करता है।

[अनुवाद]

नई अंतरराष्ट्रीय एयरलाइनों का शुरू किया जाना

4323. श्री लक्ष्मण सेठ: क्या नागर विमानन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार का विचार नई अंतरराष्ट्रीय एयरलाइनें शुरू करने का है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

नागर विमानन मंत्री (श्री शरद यादव): (क) भारत के लिए/से अंतरराष्ट्रीय विमान सेवाएं प्रचालित करने के लिए किसी नई विमान कंपनी को नामित करने का इस समय कोई प्रस्ताव नहीं है।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

[हिन्दी]

वन विभागों द्वारा अनापत्ति प्रमाण-पत्र जारी किया जाना

4324. श्री जसवंत सिंह बिश्नोई: क्या पर्यावरण और वन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) राजस्थान से संबंधित भूमि-अंतरण के कितने मामले प्राप्त किए हैं और उनमें से अब तक कितने मामले स्वीकृत हो गए हैं;

(ख) खनिज विभाग से अनापत्ति प्रमाण-पत्र प्राप्त करने के लिए सरकार द्वारा कितने मामले प्राप्त किए गए और वर्तमान में कितने मामले विचाराधीन हैं;

(ग) क्या सरकार का विचार विचाराधीन मामलों को निपटाने का है; और

(घ) यदि हां, तो इन मामलों को कब तक निपटा दिए जाने की संभावना है?

पर्यावरण और वन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री बाबू लाल मरांडी): (क) से (घ) राजस्थान राज्य सरकार से 1996 से वन (संरक्षण) अधिनियम, 1980 की धारा-2 के अंतर्गत खनन प्रयोजनों के लिए वन भूमि को उपयोग में लाने के कुल 296 प्रस्ताव प्राप्त हुए थे। 296 में से 172 प्रस्ताव अनुमोदित किए गए हैं, 28 को नामंजूर कर दिया गया, 15 प्रस्तावों को सूचना के अभाव में वापस भेज दिया गया/वापस ले लिया गया/बंद कर दिया गया है, 65 प्रस्ताव अनिवार्य सूचना/रिपोर्ट भेजने के लिए राज्य सरकार के पास लंबित हैं तथा 16 प्रस्ताव मंत्रालय के विचाराधीन हैं।

[अनुवाद]

वन विभाग द्वारा छापा

4325. श्री मोहन रावले: क्या पर्यावरण और वन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या दिल्ली में वन विभाग के हाल ही के एक छापे में एक विशेष प्रजाति के दो हिरण ''बार्किंग डीयर'' बरामद किए गए हैं;

(ख) यदि हां, तो क्या इस मामले में कुछ व्यक्तियों को गिरफ्तार किया गया है; और

(ग) यदि हां, तो उनके विरुद्ध क्या कार्यवाही की गई है?

पर्यावरण और वन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री बाबू लाल मरांडी): (क) से (ग) दिल्ली सरकार के वन्यजीव विभाग द्वारा दी गई सूचना के अनुसार औरंगजेब रोड, नई दिल्ली स्थित एक मकान से बार्किंग प्रजाति के दो हरिण बरामद किए गये थे। इस संबंध में एक व्यक्ति को गिरफ्तार किया गया था। बाद में अभियुक्त को न्यायालय द्वारा जमानत पर छोड़ दिया गया।

कम मियाद वाली दवाइयों की खरीद

4326. श्री अमर राय प्रधान: क्या **स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या पिछले तीन वर्षों के दौरान सामान्य प्रतिबंधित दवाइयों/विशेष प्रतिबन्धित दवाइयों की श्रेणी को बहुत जल्दी-जल्दी और नियमित रूप से सामान्य श्रेणी में परिवर्तित किया जा रहा है;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं;

(ग) पिछले तीन वर्षों के दौरान प्रतिवर्ष कम मियाद वाली जिन दवाइयों को सामान्य श्रेणी में परिवर्तित किया गया, उनका ब्यौरा क्या है और प्रत्येक दवाई की लागत कितनी है;

(घ) अधिकारियों द्वारा कम्पनियों से पहले इन कम मियाद वाली दवाइयों की खरीद करना और बाद में उन्हें सामान्य श्रेणी में परिवर्तित करने के क्या कारण हैं;

(ङ) क्या इस संबंध में कोई जांच करवाई गई है;

(च) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और उसके क्या निष्कर्ष निकले;

(छ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं; और

(ज) सरकार द्वारा भविष्य में ऐसे कार्यकलापों को रोकने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (प्रो. रीता वर्मा): (क) से (ज) सूचना एकत्र की जा रही है और सभा के पटल पर रख दी जाएगी।

[हिन्दी]

गरीबी की रेखा से नीचे रहने वाले व्यक्तियों का बीमा प्रीमियम

4327. डा. अशोक पटेल: क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार का विचार देश में गरीबी की रेखा से नीचे रहने वाले उन व्यक्तियों को, जो दो बच्चों के बाद नसबंदी/नलबंदी करा लेते हैं पांच वर्षों के लिए बीमा प्रीमियम जारी करने का है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) इससे कितने व्यक्ति लाभान्वित होंगे?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (प्रो. रीता वर्मा): (क) से (ग) राष्ट्रीय जनसंख्या नीति, 2000 में गरीबी की रेखा से नीचे के उन दंपतियों के लिए 5000.00 रुपये से अनधिक की परिवार कल्याण से जुड़ी स्वास्थ्य बीमा योजना की व्यवस्था है जो दो जीवित बच्चों के बाद बन्ध्यीकरण करा लेते हैं। इस योजना के ब्यौरे तैयार किए जा रहे हैं।

[अनुवाद]

पश्चिम बंगाल का स्वास्थ्य केन्द्र

4328. श्री प्रियरंजन दासमुंशी: क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) पश्चिम बंगाल के स्वास्थ्य केन्द्रों की स्वास्थ्य परिचर्या संबंधी सुविधाओं और मूलभूत ढांचे में सुधार करने के लिए क्रियान्वित की जा रही विश्व बैंक से सहायता प्राप्त परियोजनाओं का ब्यौरा क्या है;

(ख) पश्चिम बंगाल के प्रत्येक संबंधित जिले को कुल कितनी धनराशि आबंटित की गई; और

(ग) इन परियोजनाओं में आज तक कितनी प्रगति हुई है?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (प्रो. रीता वर्मा): (क) से (ग) सूचना एकत्र की जा रही है और सदन के पटल पर रख दी जाएगी।

आई.एस.पी. पर नियंत्रण

4329. डा. ए.डी.के. जयशीलन: क्या संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या इंटरनेट सेवा प्रदाताओं (आई.एस.पी.) को अधिक शुल्क वसूलने और घटिया किस्म की सेवा प्रदान करने के कारण उन्हें विनियमित और नियंत्रित करने का कोई प्रस्ताव है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इस संबंध में सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

संचार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री तपन सिकदर): (क) और (ख) इंटरनेट सेवा प्रदाता (आई.एस.पी.) लाइसेंस के अनुसार, आई.एस.पी. उपभोक्ताओं से लिए जाने वाले टैरिफ का स्वयं निर्धारण करने के लिए स्वतंत्र है। टैरिफ-निर्धारण का निर्णय बाजार-शक्तियों के आधार पर लिया जाएगा। तथापि, भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण लाइसेंस की वैधता के दौरान किसी भी समय टैरिफ की समीक्षा तथा उसका निर्धारण कर सकती है जो लाइसेंसधारक पर बाध्यकारी होगा। भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण के कार्यों में सेवा प्रदाताओं द्वारा दी जाने वाली सेवा की गुणवत्ता का मानक निर्धारित करना भी शामिल है।

टी.आर.ए.आई. के अनुसार, इंटरनेट सेवा क्षेत्र में अत्यधिक प्रतिस्पर्धा है। अत: टैरिफ प्रतिस्पर्धात्मक दबाव में इन परिस्थितियों में विनियामक संबंधी हस्तक्षेप पर विचार नहीं किया जाता है। भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण ने इन्टरनेट प्रयोक्ताओं के समक्ष आ रही अन्य समस्याओं तथा सेवा की गुणवत्ता का सर्वेक्षण करने का कार्य शुरू किया है। सर्वेक्षण से प्राप्त किए गए परिणामों का विश्लेषण किया जा रहा है। भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण प्राप्त किए गए तथ्यों के आधार पर इन्टरनेट सेवा प्रदान करने की व्यवस्था के सम्बन्ध में सेवा की गुणवत्ता पर विनियमन जारी करेगा।

(ग) उपर्युक्त भाग (क) और (ख) के उत्तर को देखते हुए प्रश्न नहीं उठता।

रक्षा प्रयोजनों हेतु बागडोगरा हवाई अड्डे का उपयोग

4330. श्रीमती मिनाती सेन: क्या नागर विमानन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या वायु सेना प्राधिकारियों का विचार बागडोगरा हवाई अड्डे को विशेष रूप से रक्षा प्रयोजनार्थ उपयोग में लाने का है;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार का पूर्वोत्तर और इसके आसपास के क्षेत्र की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए नागर विमानन के प्रयोजनार्थ उत्तरी बंगाल में एक अन्य हवाई अड्डा स्थापित करने का कोई प्रस्ताव है; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

नागर विमानन मंत्री (श्री शरद यादव): (क) जी, नहीं।

(ख) और (ग) प्रश्न नहीं उठते।

लघु विकास-परियोजनाओं को मंजूरी

4331. श्री नरेश पुगलिया: क्या पर्यावरण और वन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या महाराष्ट्र सरकार ने केन्द्र सरकार से 20 हैक्टेयर से कम वन्य-भूमि वाली लघु विकास-परियोजनाओं को शीघ्र मंजूरी देने के लिए और नागपुर या मुम्बई में एक पृथक क्षेत्रीय कार्यालय स्थापित करने का अनुरोध किया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है;

(ग) क्या केन्द्र सरकार भोपाल क्षेत्रीय कार्यालय को किसी अन्य स्थान पर स्थानांतरित करने के एक प्रस्ताव पर विचार कर रही है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

पर्यावरण और वन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री बाबू लाल मरांडी): (क) से (ङ) केन्द्रीय सरकार महाराष्ट्र में विकास परियोजनाओं को प्राथमिकता आधार पर मंजूरी देने की आवश्यकता के प्रति संवेदनशील है किन्तु इसके लिए नागपुर अथवा चन्द्रपुर में एक पृथक क्षेत्रीय कार्यालय खोलने में असमर्थ है क्योंकि केन्द्रीय सरकार की नीति है कि कोई नया पद सृजित न किया जाए। तथापि, क्षेत्रीय मुख्य वन संरक्षक, भोपाल को यह निर्देश दिया गया है कि वे महाराष्ट्र में विकास परियोजनाओं से संबंधित मामलों को निपटाने के लिए पर्याप्त समय दें।

खाड़ी क्षेत्र में एअर इंडिया द्वारा विमान भाड़ा बढ़ाना

4332. श्री रमेश चेन्नितला: क्या नागर विमानन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या एअर इंडिया द्वारा खाड़ी क्षेत्र में विमान भाड़ा बढ़ाने हेतु कोई निर्णय लिया गया है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

नागर विमानन मंत्री (श्री शरद यादव): (क) और (ख) एअर इंडिया द्वारा खाड़ी सैक्टरों के लिए किरायों में अप्रैल, 2000 से 10.25% तक की वृद्धि कर दी गई है।

दिल्ली फ्लाइंग क्लब

4333. श्री प्रहलाद सिंह पटेल: क्या नागर विमानन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) दिल्ली फ्लाइंग क्लब में कितने चीफ फ्लाइंग इन्स्ट्रक्टर, पायलट इन्स्ट्रक्टर और असिस्टेंट पायलट इन्स्ट्रक्टर हैं; और

(ख) वर्ष 1999 और 2000 के दौरान अब तक कुल कितने घंटे का उड़ान अभ्यास किया गया?

नागर विमानन मंत्री (श्री शरद यादव): (क) स्थिति निम्नवत है:

मुख्य उड़ान अनुदेशक	-	1
पायलट अनुदेशक	-	शून्य
सहायक पायलट अनुदेशक	-	3

(ख) विभिन्न उड़ान क्लबों द्वारा निष्पादित कुल उड़ान घंटे को दर्शाने वाला विवरण संलग्न है।

विवरण

क्लब का नाम	वर्ष के दौरान कुल उड़ान घंटे	
	1999	2000 (14.8.2000 तक)
1	2	3
(क) उड़ान क्लब/विद्यालय/संस्थान		
1. अमृतसर एविएशन क्लब, अमृतसर	350.50	108.15
2. अंडमान और निकोबार फ्लाइंग ट्रेनिंग इन्स्टीट्यूट, पोर्ट ब्लेयर	शून्य	शून्य
3. आंध्र प्रदेश फ्लाइंग क्लब, हैदराबाद	1695.00	965.30
4. असम फ्लाइंग क्लब, गुवाहाटी	शून्य	शून्य
5. बनस्थली विद्यापीठ फ्लाइंग क्लब	शून्य	शून्य
6. बिहार फ्लाइंग ट्रेनिंग इन्स्टीट्यूट, पटना	170.40	221.05

	1	2	3
7.	बम्बई फ्लाइंग क्लब, मुम्बई	381.45	197.40
8.	कोयम्बटूर फ्लाइंग क्लब लिमिटेड, कोयम्बटूर	शून्य	शून्य
9.	दिल्ली फ्लाइंग क्लब	1352.45	710.15
10.	राजकीय एविएशन ट्रेनिंग इंस्टीयूट, भुवनेश्वर	353.05	216.35
11.	स्टेट सिविल एविएशन, उत्तर प्रदेश फ्लाइंग ट्रेनिंग सेंटर, लखनऊ		
12.	-वही- फैजाबाद ब्रांच	1550.35	510.15
13.	-वही- कानपुर ब्रांच		
14.	-वही- वाराणसी ब्रांच		
15.	राजकीय फ्लाइंग ट्रेनिंग इन्स्टीट्यूट, कलकत्ता	शून्य	शून्य
16.	राजकीय फ्लाइंग ट्रेनिंग स्कूल, बंगलौर	35.40	13.45
17.	गुजरात फ्लाइंग क्लब, बड़ौदा	990.35	658.40
18.	हरियाणा इन्स्टीट्यूट ऑफ सिविल एविएशन, करनाल	1481.30	794.20
19.	-वही- हिसार ब्रांच	1324.10	634.00
20.	-वही- पिंजौर ब्रांच	1062.45	582.15
21.	जमशेदपुर को-ऑपरेटिव फ्लाइंग क्लब, जमशेदपुर (अस्थाई रूप से बंद)	–	–
22.	केरला एविएशन ट्रेनिग इन्स्टीट्यूट, तिरूवनन्तपुरम	661.55	124.40
23.	लुधियाना एविएयशन क्लब	1591.50	727.45
24.	मध्य प्रदेश फ्लाइंग क्लब, इंदौर	3139.50	1579.20
25.	मध्य प्रदेश फ्लाइंग क्लब, भोपाल	–	–
26.	मद्रास फ्लाइंग क्लब, चेन्नई	658.20	508.10
27.	नागपुर फ्लाइंग क्लब, नागपुर	शून्य	शून्य
28.	नॉर्थर्न इंडिया फ्लाइंग क्लब, जालन्धर (कैम्प एट पटियाला)	2824.30	1397.45
29.	पटियाला एविएशन क्लब, पटियाला,	1786.55	1167.35
30.	राजस्थान स्टेट फ्लाइंग स्कूल, जयपुर	525.00	589.00
	(ख) निजी उड़ान क्लब/विद्यालय/संस्थान		
1.	अकादमी ऑफ कारवेर एविऐशन, मुम्बई	345.20	588.15
2.	अहमदाबाद एविएशन अकादमी, अहमदाबाद	5056.55	1880.30

1		2	3
3.	बंगलौर एरानॉटिक्स टैक्निकल सर्विस प्रा. लि., बंगलौर	शून्य	शून्य
4.	प्लाइटैक एविएशन अकादमी, सिकन्दराबाद	1564.25	625.50
5.	गर्ग एविएशन लि., कानपुर	1948.13	1091.46
6.	हॉल रोटरी विंग अकादमी, बंगलौर	-	8.00
7.	औरिएंट प्लाइट स्कूल, पांडिचेरी,	982.00	421.05
8.	राजपूताना एविएशन एण्ड अकादमी, जयपुर	960.00	282.00
9.	तनेजा एरोस्पेस एण्ड एविएशन लि., बंगलौर	441.35	शून्य
10.	टाटा नगर एविएशन, जमशेदपुर	2233.40	1048.35
11.	टेटरा एविएशन अकादमी, मद्रास	(अस्थाई रूप से बंद)	
12.	फ्रैंक एयरवेज प्रा.लि. इंदौर	शून्य	शून्य
13.	विंग्स एविएशन प्रा.लि. हैदराबाद	1008.50	719.50
(ग) नागर विमानन मंत्रालय के अधीन स्वायत्त संगठन			
	इंदिरा गांधी राष्ट्रीय उड़ान अकादमी, फुरसतगंज	4603.25	3883.30

अस्पतालों द्वारा अपशिष्ट पदार्थों का निपटान

4334. **श्री ए. वेंकटेश नायक:**
श्री रामशेठ ठाकुर:

क्या **पर्यावरण और वन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने अस्पतालों द्वारा चिकित्सा संबंधी अपशिष्ट पदार्थों का निपटान करने के संबंध में केन्द्र सरकार द्वारा बनाए गए दिशा-निर्देशों का अनुपालन करने के लिए सभी राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्डों को निर्देश जारी किये हैं;

(ख) यदि हां, तो क्या किसी भी राज्य/केन्द्र शासित प्रदेश ने इन दिशा-निर्देशों का पालन नहीं किया है;

(ग) यदि हां, तो क्या राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्डों ने इस संबंध में कोई कार्रवाई नहीं की है;

(घ) यदि हां, तो क्या सरकार ने इस मामले में कोई जिम्मेदारी निर्धारित की है; और

(ङ) यदि हां, तो इन दिशा-निर्देशों का उल्लंघन करने वाले व्यक्तियों के खिलाफ क्या कार्रवाई की गई है?

पर्यावरण और वन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री बाबू लाल मरांडी): (क) अस्पतालों द्वारा जैव चिकित्सा अपशिष्टों का प्रबंधन और निपटान पर्यावरण एवं वन मंत्रालय द्वारा 2 जून, 2000 को अधिसूचित जैव चिकित्सा अपशिष्ट (प्रबंधन और हथालन) (द्वितीय संशोधन) नियम 2000 के अनुसार किया जाता है। इन नियमों के उपबंधों को लागू करने के लिए निर्धारित प्राधिकरण, राज्यों के मामलों में राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड और केन्द्र शासित प्रदेशों के मामलों में प्रदूषण नियंत्रण समितियां हैं। पहले नियुक्त निर्धारित प्राधिकारियों के पास पड़े लम्बित सभी मामले संबंधित राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड या जैसा भी मामला हो, प्रदूषण नियंत्रण समितियों को हस्तांतरित कर दिए जाने चाहिए। पर्यावरण एवं वन मंत्रालय ने सभी राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्डों और प्रदूषण नियंत्रण समितियों को उपर्युक्त नियमों के विभिन्न उपबंधों को कठोरता से लागू करने के अनुदेश दिए हैं।

(ख) इस मामले में मंत्रालय को कोई आपत्ति/रिजर्वेशन प्राप्त नहीं हुए हैं।

(ग) से (ङ) प्रश्न नहीं उठता।

राज्यों द्वारा उपकरणों की खरीद के लिए सहायता

4335. श्री अनिल बसु: क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार उपस्करों/उपकरणों की खरीद हेतु राज्यों और केन्द्रीय सरकारी अस्पतालों/संस्थानों को भी अनुदान या ऋण के रूप में वित्तीय सहायता प्रदान करती है; और

(ख) यदि हां, तो गत तीन वर्षों के दौरान प्रत्येक वर्ष सरकार द्वारा कुल कितनी धनराशि दी गई और साथ ही कितनी राशि की सीधी खरीद की गई?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (प्रो. रीता वर्मा): (क) और (ख) सूचना एकत्र की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जाएगी।

राज्य जनसंख्या आयोग

4336. श्री जी. पुट्टास्वामी गौड़ा: क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) किन-किन राज्यों ने केन्द्रीय जनसंख्या आयोग की तर्ज पर राज्य जनसंख्या आयोग का गठन किया है;

(ख) क्या केन्द्र सरकार का सभी राज्यों पर राज्य जनसंख्या आयोग बनाने पर जोर देने का विचार है; और

(ग) यदि हां, तो इसका ब्यौरा क्या है?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (प्रो. रीता वर्मा): (क) सूचना एकत्र की जा रही है और सदन के पटल पर रख दी जाएगी।

(ख) और (ग) सभी राज्य/संघ राज्य क्षेत्र सरकारों/प्रशासनों से अनुरोध किया गया है कि वे राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों में राष्ट्रीय जनसंख्या नीति, 2000 के कार्यान्वयन का निरीक्षण/समीक्षा करने के लिए राष्ट्रीय जनसंख्या आयोग के सादृश्य पर मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में राज्य/संघ राज्य क्षेत्र आयोग का गठन करें। यह नई दिल्ली में 1-2 जून, 2000 को हुई राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों के परिवार कल्याण के प्रभारी सचिवों की बैठक में और 22 जुलाई, 2000 को हुई राष्ट्रीय जनसंख्या आयोग की पहली बैठक में भी दोहराया गया था।

राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग

4337. श्री सदाशिवराव दादोबा मंडलिक: क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग ने सरकार से अनुरोध किया है कि स्वास्थ्य के अधिकार को संविधान में मौलिक अधिकार का दर्जा दिया जाए;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) सरकार द्वारा उक्त सुझाव के क्रियान्वयन हेतु क्या कदम उठाए गए हैं?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (प्रो. रीता वर्मा): (क) और (ख) जी, हां। 26 से 27 अप्रैल, 2000 को महिला एवं बाल विकास विभाग तथा यूनिसेफ के सहयोग से राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग द्वारा मातृत्व रक्ताल्पता के विशेष प्रसंग में स्वास्थ्य और मानवाधिकार पर एक कार्यशाला आयोजित की गई। अन्य बातों के साथ-साथ कार्यशाला में स्वास्थ्य के अधिकार को संविधान में मौलिक अधिकार का दर्जा प्रदान करने के लिए सरकार से अनुशंसा की गई। आयोग ने कार्यशाला की रिपोर्ट को अन्तिम रूप प्रदान किया है तथा रिपोर्ट की कुछ अनुशंसाओं को संबद्ध मंत्रालयों/विभागों द्वारा की जाने वाली अनुवर्ती कार्रवाई के लिए अपनाया है।

(ग) रिपोर्ट अभी ही प्राप्त हुई है और इसकी जांच की जा रही है।

[हिन्दी]

देश में राष्ट्रीय राजमार्ग विकास परियोजना संबंधी निर्माण कार्य

4338. श्री पी. आर. खुंटे:
श्री जे.एस. बराड़:
श्री सुखदेव पासवान:

क्या जल-भूतल परिवहन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने राष्ट्रीय राजमार्ग विकास परियोजना संबंधी निर्माण कार्य शुरू किया है;

(ख) यदि हां, तो संपूर्ण परियोजना पूरी करने के लिए कितनी धनराशि खर्च किए जाने की संभावना है और इसके कब तक पूरा होने की संभावना है;

(ग) यह निर्माण कार्य किस तारीख से चल रहा है;

(घ) मार्च, 2000 तक अब तक कुल कितनी धनराशि खर्च की गई है;

(ङ) क्या उक्त कार्य हेतु निविदा आमंत्रित की गई है/आमंत्रित किए जाने का प्रस्ताव है; और

(च) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

जल-भूतल परिवहन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री हुक्मदेव नारायण यादव): (क) जी हां।

(ख) इस परियोजना की अनुमानित लागत 54000 करोड़ रु. है और इसे दिसम्बर, 2009 तक पूरा करने का लक्ष्य है।

(ग) और (घ) राष्ट्रीय राजमार्ग विकास परियोजना (एन एच डी पी) के कुछ खंड़ों में चार/छह लेन बनाने का कार्य एन एच डी पी की घोषणा से पहले ही शुरू कर दिया गया था। केन्द्र सरकार ने ऐसे खंडों में चल रही परियोजनाओं पर मार्च, 2000 तक कुल 2050 करोड़ रु. का व्यय किया है।

(ङ) और (च) निविदा-आमंत्रण एक सतत् प्रक्रिया है और जब परियोजनाएं तैयार हो जाती हैं, बोलियां आमंत्रित की जाती हैं। अभी तक 1007 कि.मी. लम्बे खंडों में कार्य प्रगति पर है।

[अनुवाद]

सड़क क्षेत्र में सुधार

4339. श्री नारायण दत्त तिवारी: क्या जल-भूतल परिवहन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या भारतीय उद्योग परिसंघ (सी आई आई) ने सरकार का ध्यान सड़क क्षेत्र में सुधारों की तुरंत आवश्यकता की ओर दिलाया है;

(ख) यदि हां, तो भारतीय उद्योग परिसंघ द्वारा सुधारों हेतु सुझाए गए क्षेत्रों का ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार का यह मत है कि देश के राजमार्ग नेटवर्क को रख-रखाव संपर्क और मात्रा के संबंध में तुरंत ध्यान दिए जाने की आवश्यकता है;

(घ) यदि हां, तो क्या सरकार का विचार राजमार्ग उन्नयन की योजना की मौजूदा स्थिति की व्यापक समीक्षा का है; और

(ङ) यदि हां, तो सरकार द्वारा इस संबंध में उठाए जाने वाले कदमों का ब्यौरा क्या है?

जल-भूतल परिवहन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री हुक्मदेव नारायण यादव): (क) और (ख) जी हां। भारतीय उद्योग परिसंघ (सी आई आई) ने निर्माण, प्रचालन और हस्तांतरण (बी ओ टी) परियोजनाओं के लिए आदर्श रियायत करार तथा राष्ट्रीय राजमार्गों के विकास और अनुरक्षण में गैर-सरकारी क्षेत्र की भागीदारी से संबंधित सरकार की नीतियों में कतिपय परिवर्तन करने का सुझाव दिया है।

(ग) जी हां।

(घ) और (ङ) सरकार ने राष्ट्रीय राजमार्गों के विकास और अनुरक्षण के लिए धनराशि का आबंटन बढ़ाने तथा इस कार्य में गैर-सरकारी क्षेत्र की भागीदारी को प्रोत्साहित करने के लिए पहले ही अनेक उपाय कर लिए हैं। तथापि, राष्ट्रीय राजमार्गों का विकास और अनुरक्षण एक सतत् प्रक्रिया है। यातायात की आवश्यकता और पारस्परिक प्राथमिकता के आधार पर धनराशि की समग्र उपलब्धता के अध्यधीन राष्ट्रीय राजमार्गों पर विकास और अनुरक्षण कार्य किए जाते हैं।

[हिन्दी]

आई.टी.आई. मनकापुर का निष्पादन

4340. श्री बृज भूषण शरण सिंह: क्या संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या आई.टी.आई. मनकापुर का उत्पादन इस वर्ष निर्धारित कोटे से कम रहा है;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं;

(ग) क्या सरकार का विचार आई.टी.आई. मनकापुर को आधुनिक बनाने का है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

संचार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री तपन सिकदर): (क) जी हां।

(ख) दूरसंचार विभाग, एमटीएनएल तथा अन्यों में नई प्रौद्योगिकी के उपस्करों के समावेश से पुरानी प्रौद्योगिकी के ई-10बी स्विचिंग उपस्करों, जिनके लिए आई.टी.आई. मनकापुर संयंत्र स्थापित किया गया था, का उत्पादन धीरे-धीरे बंद किया जा रहा है। आई.टी.आई. मनकापुर अब ओ.सी.बी., सी.एस.एन. जैसे नई प्रौद्योगिकी के स्विचिंग उपस्करों का विनिर्माण कर रहा है, परन्तु दूरसंचार क्षेत्र में अत्यधिक प्रतिस्पर्धा के कारण नई प्रौद्योगिकी के उपस्करों की कीमत में भारी कमी आई है। अत: वित्तीय अर्थों में उत्पादन में कमी आई है।

(ग) और (घ) आई.टी.आई. मनकापुर संयंत्र नई प्रौद्योगिकी के उपस्करों के निर्माण के लिए आवश्यक सभी आधुनिक आधारभूत सुविधाओं से युक्त है।

[अनुवाद]

नालको द्वारा अनुसंधान

4341. श्री पी.एस. गड़वी: क्या खान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या नेशनल एल्युमिनियम कम्पनी (नालको) द्वारा हाल ही में किए गए अनुसंधान से पता चला है कि कोयले की राख में कृषि उत्पादन बढ़ाने की क्षमता है;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार अनुसंधान के उक्त परिणाम को देश के कृषि उत्पादन के संबंध में लागू करने पर विचार कर रही है; और

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

युवक कार्यक्रम और खेल मंत्री तथा खान मंत्री (श्री सुखदेव सिंह डिंडसा): (क) से (ग) नालको ने, क्षेत्रीय अनुसंधान प्रयोगशाला भोपाल, के सहयोग से "फ्लाई ऐश के प्रयोग द्वारा बंजर भूमि विकास" एक पर परियोजना शुरू की थी। नालको ने प्रयोगशाला तथा क्षेत्रीय परीक्षणों में परियोजना के परिणामों से प्रोत्साहित होकर अब क्षेत्रीय अनुसंधान प्रयोगशाला, भोपाल तथा विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग के फ्लाई ऐश मिशन के सहयोग से "मृदा उर्वरता तथा फसल उपज पर फ्लाई ऐश के प्रभाव पर प्रौद्योगिकी विकास परियोजना" पर एक अनुसंधान एवं विकास परियोजना शुरू की है। इस परियोजना के अप्रैल, 2002 तक पूरा हो जाने की आशा है।

तटीय विनियमन क्षेत्र संबंधी सालदान्हा समिति

4342. श्री दिलीप संघाणी: क्या पर्यावरण और वन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) तटीय विनियमन क्षेत्र (सी.आर.जेड.) और वन संरक्षण अधिनियम के तहत राज्य-वार कितने प्रस्ताव मंजूरी के लिए संबंधित हैं और कितनों को मंजूरी दे दी गई है;

(ख) क्या सरकार को तटीय विनियमन क्षेत्र अधिसूचना संबंधी सालदान्हा समिति की सिफारिशों पर जनता से आपत्ति प्राप्त हुई है; और

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

पर्यावरण और वन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री बाबू लाल मरांडी): (क) एक विवरण संलग्न है।

(ख) भारत सरकार ने तटीय क्षेत्र विनियमन संबंधी सल्दाना समिति की सिफारिशों पर जनता से आपत्तियां/टिप्पणियां नहीं मांगी थीं।

(ग) प्रश्न नहीं उठता।

विवरण

(क) जून, 1991 से जुलाई, 2000 तक तटीय विनियमन क्षेत्र अधिसूचना, 1991 के अंतर्गत मंजूर/लंबित परियोजनाएं

क्र.सं.	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	मंजूर परियोजनाओं की संख्या	लंबित परियोजनाओं की संख्या
1.	आंध्र प्रदेश	09	-
2.	गोवा	18	01
3.	गुजरात	17	01
4.	कर्नाटक	03	-
5.	केरल	16	-
6.	महाराष्ट्र	49	-
7.	उड़ीसा	05	01
8.	तमिलनाडु	16	01
9.	पश्चिम बंगाल	05	-
10.	अंडमान निकोबार द्वीप समूह	28	-
11.	दमन व दीव	06	-
12.	लक्षदीप	02	-
13.	पांडिचेरी	05	-
	कुल	179	04

(ख) वन (संरक्षण) अधिनियम, 1980 के अंतर्गत 1994 से नवम्बर, 1999 तक मंजूर/लम्बित प्रस्ताव

क्र. सं.	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	मंजूर प्रस्तावों की संख्या	लंबित प्रस्तावों की संख्या
1	2	3	4
1.	आंध्र प्रदेश	69	02
2.	अरुणाचल प्रदेश	18	04
3.	असम	120	06

1	2	3	4
4.	बिहार	79	05
5.	गोवा	18	01
6.	गुजरात	319	19
7.	हरियाणा	146	-
8.	हिमाचल प्रदेश	128	03
9.	कर्नाटक	81	14
10.	केरल	30	02
11.	मध्य प्रदेश	264	31
12.	महाराष्ट्र	445	45
13.	मणिपुर	03	-
14.	मेघालय	15	-
15.	मिजोरम	41	01
16.	उड़ीसा	134	13
17.	पंजाब	143	01
18.	राजस्थान	226	27
19.	सिक्किम	24	-
20.	तमिलनाडु	31	01
21.	त्रिपुरा	41	09
22.	उत्तर प्रदेश	469	23
23.	पश्चिम बंगाल	18	-
24.	अंडमान व निकोबार द्वीपसमूह	10	02
25.	चंडीगढ़	04	-
26.	दादर व नगर हवेली	79	06
27.	अन्य	17	04
	कुल	2972	219

राष्ट्रीय जनसंख्या नीति

4343. श्री के. येरननायडू: क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या प्रारूप राष्ट्रीय जनसंख्या नीति में अपर्याप्त गर्भनिरोध साधनों, विशेषज्ञों और प्रशिक्षित जनशक्ति तथा वित्तपोषण की दृष्टि से स्वास्थ्य आधार संरचना का अभाव है; और

(ख) यदि हां, तो परिवार नियोजन कार्यक्रम में सफलता प्राप्त करने हेतु और अधिक स्वास्थ्य उप-केन्द्रों को संचालित करने के लिए और अधिक धनराशि आबंटित करने के कारण क्या कार्यवाही करने का प्रस्ताव है?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (प्रो. रीता वर्मा): (क) और (ख) राष्ट्रीय जनसंख्या नीति 2000 में गर्भनिरोध, स्वास्थ्य और देखरेख आधार संरचना तथा स्वास्थ्य कार्मिकों की अपूर्ण आवश्यकताओं को पूरा करने तथा एकीकृत सेवा प्रदानगी को निम्नलिखित नैदानिक उपायों के साथ अपने तात्कालिक लक्ष्य के रूप में पहचाना गया है।

(1) सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्रों, प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों, उपकेन्द्रों को सुदृढ़ करना।

(2) स्वास्थ्य कार्मिकों तथा स्वास्थ्य प्रदायकों की दक्षता को सुदृढ़ करना।

(3) जिला तथा उप-जिला स्तरों पर निजी चिकित्सा व्यवसायियों, जिनका प्रत्यय-पत्र (क्रेडेंशियल) भारतीय चिकित्सा संघ द्वारा प्रमाणित किया गया हो, के डेटाबेस खंडवार रखना। इन निजी व्यवसायियों को एक बार में एक वर्ष के लिए प्रत्यायित करने की संभावना का पता लगाना तथा प्रत्येक को 5000 से अनधिक की सैटेलाईट जनसंख्या सौंपना, जिसके लिए वे प्रजनन तथा बाल स्वास्थ्य सेवाएं प्रदान करते हैं।

(4) अनुज्ञप्त चिकित्सा व्यवसायियों की पूर्ववर्ती पद्धति को पुन: चालू करना जो भारतीय चिकित्सा संघ से उचित प्रमाण-पत्र प्राप्त करने के पश्चात् नैदानिक सेवाओं में शामिल हो सकते हैं।

(5) राष्ट्रीय परिवार कल्याण प्रयत्नों को वास्तविक रूप प्रदान करने के लिए परामर्श प्रदान करने तथा समर्थन में गैर-चिकित्सीय भ्रातृत्व को शामिल करना।

जनसंख्या स्थिरीकरण के लिए जारी सरकारी वित्त पोषण के अतिरिक्त 100 करोड़ रुपये की आरंभिक राशि के साथ एक राष्ट्रीय जनसंख्या स्थिरीकरण निधि की स्थापना शहरी मलिनावासों संबंधी परियोजनाओं सहित, जनसंख्या स्थिरीकरण के प्रयत्नों में योगदान देने के लिए बनाई गई परियोजनाओं को विशेषतौर पर सहायता प्रदान करने के लिए की गई। गर्भनिरोध की अपूर्ण आवश्यकताओं को पूर्ण करने के लिए आवश्यक उपकरण तथा

आपूर्तियों के लिए अतिरिक्त निधि वर्तमान आबंटनों के अन्तर्गत पुनर्विनियोजन या उपलब्ध कराए जा रहे अतिरिक्त संसाधनों द्वारा प्रदान की जा सकती है।

बहुउद्देशीय काउंटर मशीनें

4344. श्री तिरुनावक्करसू: क्या संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) देश में विशेषकर तमिलनाडु में स्थान-वार कितनी बहुउद्देशीय काउंटर मशीनें लगाई गई हैं;

(ख) क्या सरकार का विचार वर्ष 2000-2001 के दौरान उक्त सुविधा राज्य के अन्य डाकघरों में उपलब्ध कराने का है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी स्थान-वार ब्यौरा क्या है; और

(घ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

संचार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री तपन सिकदर): (क) से (घ) देश भर में 6257 बहुउद्देशीय काउंटर मशीनें लगाई गई हैं जिनमें से 433 तमिलनाडु में हैं। तमिलनाडु में लगाई गई मशीनों का स्थान-वार ब्यौरा संलग्न विवरण-I में दिया गया है। विभाग का 2000-2001 के दौरान तमिलनाडु सहित भारत में अन्य डाकघरों में 1000 ऐसी मशीनें लगाने का प्रस्ताव है। तमिलनाडु सर्किल में 2000-2001 के दौरान लगाई जाने के लिए प्रस्तावित मशीनों का ब्यौरा संलग्न विवरण-II में दिया गया है।

विवरण-I

तमिलनाडु के डाकघरों में संस्थापित बहुउद्देशीय काउंटर मशीनों का स्थान-वार विस्तृत विवरण

डाकघर का नाम	संस्थापित एमपीसीएम की संख्या
1	2
1. चेन्नई जीपीओ	17
2. अन्ना रोड प्रधान डाकघर	17
3. टी. नगर प्रधान डाकघर	11
4. माइलापुर प्रधान डाकघर	8
5. ग्रेम्स रोड डाकघर	5
6. एनएच रोड डाकघर	2
7. शास्त्री भवन	2
8. तेनामपेट	5
9. तिरूवल्लीकेनी	2
10. अदियार	2
11. अशोक नगर	6
12. गुइंडी इंडस्ट्रीयल एस्टेट	2
13. बेसन्ट नगर	1
14. सेंट थॉमस माउंट	2
15. वडापलानी	2
16. अन्ना नगर	1
17. फुलावर बाजार	8
18. किलपौक	1
19. क्रोमपेट	1
20. अम्बाट्टूर प्रधान डाकघर	2
21. अवाडी कैंप प्रधान डाकघर	2
22. एबीटी. इंटस्ट्रीयल एस्टेट	1
23. तम्बारम प्रधान डाकघर	9
24. चेन्नई छंटाई विशेष काउंटर	1
25. एसपीसीसी	1
26. वेल्लोर प्रधान डाकघर	17
27. वेल्लोर फोर्ट	1
28. तिरूपट्टूर प्रधान डाकघर	2
29. कांचीपुरम प्रधान डाकघर	4
30. तिरुवल्लूर प्रधान डाकघर	3
31. इनातुर	1
32. कुड्डालोर प्रधान डाकघर	3
33. चिदम्बरम प्रधान डाकघर	1
34. पांडिचेरी प्रधान डाकघर	8

1		2
35.	विल्लुपुरम	2
36.	रानीपेट प्रधान डाकघर	1
37.	आईएनएस राजली	1
38.	तिरुवन्नामलाई	2
39.	करूर	8
40.	शंकरनकोइल	1
41.	कोविलपट्टी प्रधान डाकघर	3
42.	रामनाथपुरम	3
43.	परमकुड्डी प्रधान डाकघर	1
44.	मनमदुरै	1
45.	तिरुनेलवेली प्रधान डाकघर	3
46.	पलायमकोट्टाई	8
47.	महाराज नगर	2
48.	टूटीकोरिन प्रधान डाकघर	3
49.	तिरुचेंदूर प्रधान डाकघर	1
50.	श्रीवेंगुन्डम प्रधान डाकघर	1
51.	विरुधूनगर प्रधान डाकघर	2
52.	विरुधूनगर शहर	1
53.	शिवाकाशी प्रधान डाकघर	3
54.	राजापलायम प्रधान डाकघर	2
55.	त्रिप्लीकेन	2
56.	कुल्लीथलई	1
57.	कुम्बाकोनम प्रधान डाकघर	4
58.	मेलाकावेरी	1
59.	करईक्कुडी	1
60.	देवाकोट्टई	1
61.	माइलादुथुरई	4
62.	सिरकाली	1
63.	नागापट्टीनम	3
64.	तिरूवरूर	3
65.	पुड्डुकोट्टई	2
66.	अरनतंगी	4
67.	पट्टूकोटई	2
68.	तिरूथरईपुंडी	1
69.	श्रीरंगम	2
70.	थुरईयूर	2
71.	तंजावूर	22
72.	पापनासम	1
73.	मन्नरगुड्डी	1
74.	तिरूचिरापल्ली	11
75.	टिप्पाकुलम	3
76.	त्रिचीफोर्ट	2
77.	बोयलर प्रोजेक्ट	3
78.	लालगुडी	2
79.	विरधाचलम	4
80.	कल्लाकुरीची	2
81.	तिरुकोयलूर	1
82.	कोयम्बतूर	35
83.	सीबीई सेंट्रल	2
84.	रामनगर	7
85.	रामनाथपुरम	2
86.	आर.एस. पुरम	2
87.	धर्मपुरी प्रधान डाकघर	7
88.	होसुर	2
89.	कृष्णागिरि	1
90.	भवानी प्रधान डाकघर	2

1		2
91.	इरोड प्रधान डाकघर	6
92.	तिरुचेनगोड	3
93.	पोल्लाची प्रधान डाकघर	18
94.	उदूमलपेट प्रधान डाकघर	1
95.	हस्थमपट्टी	1
96.	सलेम प्रधान डाकघर	4
97.	सुरमंगलम प्रधान डाकघर	6
98.	तिरुपुर	3
99.	मदुरै प्रधान डाकघर	16
100.	तल्लकुलम प्रधान डाकघर	9
101.	अरासरदी प्रधान डाकघर	3
102.	गांधीनगर उप डाकघर	2
103.	मुनीचलई रोड उप डाकघर	2
104.	मदुरैपेलेस उप डाकघर	2
105.	मुदरैबाजार उप डाकघर	2
106.	तिरुमंगलम उप डाकघर	2
107.	डिंडीगुल प्रधान डाकघर	3
108.	पलानी प्रधान डाकघर	3
109.	कोडईकनाल उप डाकघर	2
110.	नगरकोइल प्रधान डाकघर	8
111.	पेरियाकुलम	3
112.	बोदीनयाकनूर प्रधान डाकघर	2
113.	थेनी उप डाकघर	1
114.	उथमपयालम	2
115.	तेनकाशी प्रधान डाकघर	15
116.	अम्बासमुद्रम	1
117.	सइदापेट	1
118.	पेरम्बल्लूर	1

विवरण-II

2000-2001 के दौरान एमपीसीएम प्रदान किए जाने वाले प्रस्तावित डाकघर

	डाकघर का नाम	प्रदान किए जाने वाले एमपीसीएम की संख्या
1.	इरोड	11
2.	सलेम	16
3.	त्यागराजनगर	11
4.	तिरुचिरापल्ली	10
5.	पांडिचेरी	5
6.	तिरुवनमलाई	5
7.	करूर	1

खनिज-कम्पनियों को मंजूरी

4345. श्री पी.डी. एलानगोवन: क्या पर्यावरण और वन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या मंत्रालय ने समुद्र रेत से कतिपय खनिजों का निष्कर्षण करने और उन्हें विदेशों को निर्यात करने में लगी अनेक खनिज-कम्पनियों को मंजूरी दी है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) यदि नहीं, तो इन खनिज-कम्पनियों द्वारा समुद्र-तट की रेत निकाले जाते समय पर्यावरण प्रदूषित किये जाने के कारण इनके विरुद्ध क्या कार्यवाही की गई है?

पर्यावरण और वन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री बाबू लाल मरांडी): (क) और (ख) मंत्रालय ने तटीय विनियमन क्षेत्र और पर्यावरण प्रभाव मूल्यांकन के प्रावधानों के अनुसार विशिष्ट बचाव उपायों के साथ निम्नलिखित परियोजनाओं को पर्यावरणीय मंजूरी प्रदान की है:

क्र.सं.	कंपनी का नाम	खनिज उत्पाद
1.	इंडियन रेयर अर्थस लिमिटेड उड़ीसा सैण्डस काम्पलैक्स	सिन्थेटिक रूटाइल, सिलीमेनाइट, रूटाइल, जिरकॉन, मोनोजाइट
2.	ट्रांसवर्ल्ड गारनेट इंडिया प्रा. लि.	गारनेट सैन्ड
3.	तमिलनाडु मिनरल्स लिमिटेड	गारनेट सैन्ड

(ग) मंत्रालय को ऐसे प्रस्तावक, जिन्होंने इस मंत्रालय से पर्यावरणीय मंजूरी प्राप्त की है, द्वारा बालू के अत्यधिक दोहन के बारे में जानकारी नहीं है।

तमिलनाडु में सड़क-परियोजना को मंजूरी

4346. श्री टी.एम. सेल्वागनपति: क्या पर्यावरण और वन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार को तमिलनाडु सरकार से अर्काट और तिरुवारूर के बीच सड़कों के सुधार का कोई प्रस्ताव पर्यावरण संबंधी मंजूरी के लिए प्राप्त हुआ है;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार ने उस प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है;

(ग) यदि हां, तो क्या सरकार ने औण्डेलोर-तूतीकोरिन राजमार्ग से स्तरोन्नयन के लिए भी मंजूरी प्रदान कर दी है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

पर्यावरण और वन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री बाबू लाल मरांडी): (क) जी, हां। तमिलनाडु सरकार से एरकोट से तिरुवयूर (उत्तरी कारीडोर) से सड़कों के सुधार के लिए कोई प्रस्ताव प्राप्त नहीं हुआ है।

(ख) जी, नहीं।

(ग) और (घ) 397 कि.मी. लम्बाई की कुड्डालोर से तूतीकोरिन तक (कराईकल) से होकर गुजरने वाले हिस्से को छोड़कर) सड़कों के सुधार के एक प्रस्ताव को कतिपय पर्यावरणीय सुरक्षा उपायों/उपशमन उपायों के प्रभावी कार्यान्वयन किए जाने पर ही पर्यावरणीय मंजूरी दी गई थी।

सार्वभौमिक सेवा संबंधी दायित्व

4347. श्री चन्द्र भूषण सिंह:
डा. जसवंत सिंह यादव:

क्या संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या भारत के दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण (ट्राई) ने "सार्वभौमिक सेवा संबंधी दायित्व" (यूनिवर्सल सर्विस आब्लिगेशन) पर कोई परामर्श-पत्र जारी किया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या "ट्राई" ने "सार्वभौमिक सेवा संबंधी दायित्व" के क्रियान्वयन में सामाजिक विभिन्न मुद्दों का विश्लेषण किया है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ङ) क्या सरकार का उन कम्पनियों से "सार्वभौमिक सेवा संबंधी दायित्व" कोष के प्रति प्रतिबद्धता दर्शाने पर जोर देने का विचार है जिनकी लंबी दूरी वाले दूरसंचार-बाजार में प्रवेश करने की इच्छा है;

(च) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(छ) उक्त कोष के उद्देश्य क्या हैं और इसमें संगृहीत धनराशि का क्या उपयोग किया गया है?

संचार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री तपन सिकदर): (क) से (छ) नई दूरसंचार नीति, 1999 के अंतर्गत सरकार लोगों को वहनीय तथा उचित मूल्यों पर बुनियादी दूरसंचार सेवाएं उपलब्ध कराने के लिए वचनबद्ध है। इस सार्वभौमिक सेवा दायित्व को पूरा करने के लिए सार्वभौमिक अभिगम्यता लेवी लगाकर निधियां जुटाई जाएंगी। यह लेवी विभिन्न लाइसेंसों के अंतर्गत सभी ऑपरेटरों द्वारा अर्जित राजस्व की प्रतिशतता होगी। इस प्रतिशतता का निर्णय भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण (टीआरएआई) के साथ परामर्श से सरकार द्वारा लिया जाएगा।

टीआरएआई ने हाल ही में सार्वभौमिक सेवा दायित्व के विषय पर एक परामर्श दस्तावेज जारी किया था, जिसके अंतर्गत इसने सार्वभौमिक सेवा निधि की संरचना, गठन और अनुसंधान की राशि, निवल सार्वभौमिक सेवा लागत निर्धारण की क्रियाविधियां तथा यूएसओ के कार्यान्वयन से संबंधित संगठनात्मक मुद्दों सहित यूसएओ से जुड़े अनेक मुद्दों का विश्लेषण किया है। टीआरएआई ने 24 जुलाई, 2000 तक सेवा प्रदाताओं, उभोक्ताओं तथा उनके संगठनों और वित्तीय संस्थाओं से परामर्श दस्तावेज (जो एक सार्वजनिक दस्तावेज है तथा यह इंटरनेट पर भी उपलब्ध है) के लिए इनपुट मांगे थे। यह मामला इस समय टीआरएआई द्वारा जांचा जा रहा है और सरकार इस संबंध में अंतिम निर्णय प्राधिकरण से औपचारिक सिफारिशें प्राप्त होने के बाद ही करेगी।

इस बीच, राष्ट्रीय लंबी दूरी प्रचालन सेवाओं में प्रवेश की इच्छुक कंपनियों के लिए सरकार ने 10 प्रतिशत की दर से राजस्व हिस्सा तथा सार्वभौमिक सेवा दायित्व के प्रति निर्धारित अंशदान के रूप में लाइसेंस शुल्क निर्धारित किया है, इस अंशदान की सीमा 15% है।

यातायात में अत्यधिक वृद्धि

4348. श्री प्रकाश मणि त्रिपाठी: क्या जल-भूतल परिवहन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या पिछले पचास वर्षों में सड़कों की लम्बाई सात गुणा बढ़ी है लेकिन वाहनों की संख्या 110 गुणा बढ़ी है और प्रति

वर्ष लगभग 3 करोड़ अथवा इससे अधिक वाहन पंजीकृत किए जाते हैं;

(ख) यदि हां, तो यातायात में अत्यधिक वृद्धि को ध्यान में रखते हुए क्या कदम उठाए गए हैं;

(ग) देश में सड़कों की लंबाई में और वृद्धि करने के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं; और

(घ) विभिन्न राष्ट्रीय राजमार्गों पर इस समय चल रहे कार्यों की स्थिति क्या है?

जल-भूतल परिवहन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री हुकमदेव नारायण यादव): (क) पिछले 50 वर्षों में सड़कों की लम्बाई में 8 गुणा और वाहनों की संख्या में 130 गुणा वृद्धि हुई है तथा प्रतिवर्ष 40 लाख से अधिक वाहन पंजीकृत किए जाते हैं।

(ख) और (ग) सड़क नेटवर्क का विस्तार एक सतत् प्रक्रिया है तथा यह कार्य संसाधनों की उपलब्धता के अध्यधीन किया जा रहा है।

(घ) विभिन्न राष्ट्रीय राजमार्गों पर चालू कार्यों की वर्तमान स्थिति से संबंधित एक विवरण संलग्न है।

विवरण

विभिन्न राज्यों में राष्ट्रीय राजमार्गों पर चालू कार्यों की सूची

क्रम सं.	राज्य का नाम	1.4.2000 की स्थिति के अनुसार चालू कार्यों की सं.	स्वीकृत/संशोधित स्वीकृत लागत (करोड़ रु.)
1	2	3	4
1.	आंध्र प्रदेश	65	142.00
2.	अरुणाचल प्रदेश	–	–
3.	असम	97	121.05
4.	बिहार	61	72.23
5.	चंडीगढ़	04	1.39
6.	दिल्ली	06	26.32
7.	गोवा	27	43.60
8.	गुजरात	37	183.57
9.	हरियाणा	21	68.45
10.	हिमाचल प्रदेश	70	108.07
11.	जम्मू एवं कश्मीर	09	5.20
12.	कर्नाटक	100	97.00
13.	केरल	48	142.84
14.	मध्य प्रदेश	75	115.83
15.	महाराष्ट्र	166	170.18
16.	मणिपुर	51	52.35
17.	मेघालय	64	62.65
18.	मिजोरम	10	7.61
19.	नागालैंड	20	27.30
20.	उड़ीसा	72	116.18
21.	पांडिचेरी	07	4.01
22.	पंजाब	27	78.84
23.	राजस्थान	59	106.26
24.	तमिलनाडु	92	175.42
25.	उत्तर प्रदेश	98	468.02
26.	पश्चिम बंगाल	62	303.53
	जोड़	1348	2700.10
			अर्थात 2700.00 करोड़ रु.

जामनगर में डाकघर

4349. श्री चन्द्रेश पटेल: क्या संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) गुजरात के जामनगर जिले के कितने गांवों में डाकघर हैं;

(ख) वर्ष 2000-2001 और 2001-2002 के दौरान स्थान वार कितने गांवों में डाकघर खोलने का प्रस्ताव है; और

(ग) उक्त जिले के प्रत्येक गांव में डाकघर स्थापित करने के लिए सरकार ने क्या कदम उठाए हैं?

संचार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री तपन सिकदर): (क) गुजरात के जामनगर जिले में 341 गांवों में डाकघर हैं।

(ख) 2000-2001 के दौरान निम्नलिखित गांवों में डाकघर खोलना प्रस्तावित है:-

(1) रिलायंस पेट्रो कैमिकल्स टाउनशिप

(2) गांव सांखला।

(ग) डाकघर नौवीं पंचवर्षीय योजना के एक भाग के रूप में, वार्षिक योजना के अनुसार खोले जाते हैं बशर्ते कि निर्धारित मानदंड पूरे होते हों। डाकघर खोलना संसाधनों की उपलब्धता और वित्त मंत्रालय द्वारा अपेक्षित पदों की संस्वीकृति पर भी निर्भर करता है।

डीजल और पेट्रोल से प्रदूषण

4350. श्री जोवाकिम बखला: क्या पर्यावरण और वन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार का ध्यान दिनांक 21 जुलाई, 2000 के ''द पायोनियर'' में ''हैव अ ब्रेद आफ प्वायजन'' शीर्षक से प्रकाशित खबर की ओर आकृष्ट किया गया है;

(ख) यदि हां, तो क्या डीजल और पेट्रोल से होने वाले प्रदूषण के कारण दिल्ली में प्रति वर्ष 10,000 से भी अधिक लोगों की मौत होती है; और

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

पर्यावरण और वन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री बाबू लाल मरांडी): (क) जी, हां।

(ख) दिल्ली के लिए ऐसा कोई निर्णायक आंकड़ा उपलब्ध नहीं है।

(ग) प्रश्न नहीं उठता।

इंदिरा गांधी अन्तर्राष्ट्रीय विमानपत्तन पर निर्यात कार्गो का बकाया

4351. श्री प्रभात सामन्तराय: क्या नागर विमानन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या इंदिरा गांधी अन्तर्राष्ट्रीय विमानपत्तन पर निर्यात कार्गो के भारी बकाया का ढेर लगा हुआ है;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं; और

(ग) इस बकाया के निपटान हेतु क्या कदम उठाए गए हैं?

नागर विमानन मंत्री (श्री शरद यादव): (क) जी नहीं।

(ख) और (ग) प्रश्न नहीं उठते।

कर्नाटक में परियोजनाओं को स्वीकृति

4352. श्री आर.एस. पाटिल: क्या पर्यावरण और वन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) पिछले तीन वर्षों के दौरान कर्नाटक द्वारा पर्यावरणीय मंजूरी प्राप्त करने के लिए केन्द्र सरकार को भेजी गई विभिन्न परियोजनाओं की संख्या और ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या अपर कृष्णा परियोजना चरण-एक और दो तथा उदुकोरिहाल परियोजना को पर्यावरणीय मंजूरी दी गई है; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं और केन्द्र सरकार द्वारा इस संबंध में कब तक पर्यावरणीय मंजूरी दिए जाने की संभावना है?

पर्यावरण और वन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री बाबू लाल मरांडी): (क) पिछले तीन वर्षों के दौरान कर्नाटक से पर्यावरण मंजूरी के लिए 25 परियोजनाएं प्राप्त हुई हैं। एक सूची विवरण के रूप में संलग्न है।

(ख) और (ग) अपर कृष्णा परियोजना चरण-1 में फेस-1, फेस-2 और फेस-3 शामिल हैं। फेस-1 को इस मंत्रालय में पर्यावरणीय मंजूरी के लिए नहीं भेजा गया था। फेस-2 और फेस-3 को क्रमश: 5.4.1989 और 18.7.2000 को पर्यावरणीय मंजूरी दे दी गई थी। नदी घाटी और जलविद्युत परियोजनाओं के लिए चरण-2 पर विशेषज्ञ समिति द्वारा 21.7.2000 को पर्यावरणीय मंजूरी हेतु विचार किया गया था। परियोजना प्रस्तावक से अतिरिक्त सूचना मांगी गई थी जो प्राप्त नहीं हुई है। पर्यावरणीय मंजूरी के प्रस्ताव पर निर्णय पूरी सूचना प्राप्त होने के 90 दिनों के अंदर ले लिया जाएगा।

उडुथोरेहाल परियोजना पर्यावरणीय मंजूरी के लिए प्राप्त नहीं हुई है।

विवरण

क्र.सं.	परियोजना का नाम
1	2
उद्योग	
1.	अकय इस्पात प्रा. लि. द्वारा धारवाड़ जिले में फाउंडरी यूनिट
2.	मैसर्स एच पी सी एल की मंगलौर-बंगौलर प्रोडक्ट पाईप लाईन परियोजना
3.	मैसर्स ए एम पी इंडिया लि. द्वारा एक्सपोर्ट प्रोमोशन इण्डस्ट्रीयल पार्क, वाईटफील्ड, बंगलौर में कनैक्टर और इंटर कनैक्शन डिवाइसिस का निर्माण
4.	मैसर्स एसट्रा आई डी एल द्वारा उत्तरी बंगलौर जिले के कट्टीजेहाली में बल्क ड्रग यूनिट
5.	मैसर्स इंटरप्लैक्स इलैक्ट्रोनिक्स इंडिया लि. की बंगलौर में इलैक्ट्रोनिक्स उद्योग के लिए स्टेम्पड मेटल पार्ट्स का निर्माण
6.	मैसर्स मैक्स फार्मा लि. द्वारा कल्लहल्ली गांव, मैसूर, कर्नाटक में बल्क ड्रग का विस्तार
7.	मैसर्स इंडल इलैक्ट्रोनिक्स लि. द्वारा नजागढ़ औद्योगिक क्षेत्र मैसूर में प्रिन्टिड सर्किट बोर्ड के लिए 1,00,000 से 2,00,000 वर्ग मी. तक की क्षमता का विस्तार
8.	मैसर्स अगर शुगर वर्क्स लि. द्वारा डिस्टालिरी का 30,000 से 45,000 कि.ली. प्रति दिन तक का विस्तार
9.	मैसर्स ए सी सी लि. द्वारा वाड़ी में ए सी सी वर्क्स का 1.75 मिट्रिक टन प्रति वर्ष से 6.00 मिट्रिक टन प्रति वर्ष तक का विस्तार
थर्मल पावर	
10.	मैसर्स श्री रायलसीमा अल्फलारज एंड एलाईड कैमीकल लि. द्वारा बेल्लारी के नजदीक 65 मैगावाट डी जी पावर प्लांट
11.	मैसर्स अगर सुगर वर्क्स लि. द्वारा 20 मैगावाट का कैपटिव पावर प्लांट
12.	मैसर्स टाटा पावर कंपनी लि. द्वारा बेलगाम में 81.3 मैगावाट का डी जी पावर प्लांट

1	2
13.	मैसर्स कर्नाटक पावर कारपोरेशन लि. द्वारा बेल्लारी के नजदीक तोरणगल्लु में 1×500 मैगावाट का विजयनगर थर्मल पावर प्लांट
14.	मैसर्स गोदावरी शुगर मिल्स लि. द्वारा समीरवाड़ी में 24 मैगावाट का कोजनरेशन पावर प्लांट
15.	मैसर्स बेल्लारी पावर (इंडिया) लि. द्वारा आनंतपुर रोड़ बेल्लारी में 2×30 मैगावाट का थर्मल पावर प्लांट।
16.	मैसर्स स्मिथ कोजनरेशन (इंडिया) प्रा. लि. द्वारा मंगलौर, दक्षिण कन्नड़ में 170 मैगावाट का बज माऊंट पावर परियोजना।
नदी घाटी और पन बिजली	
17.	मैसर्स कृष्ण भाग्य जल निगम लि. द्वारा अपर कृष्ण परियोजना-चरण-2
18.	मैसर्स कृष्ण भाग्य जल निगम लि. द्वारा अपर कृष्ण परियोजना-चरण-1 फेस-3
19.	अपर कृष्णा पावर परियोजना मैसर्स चमुण्डी पावर कार्पोरेशन द्वारा अल्माटी डैम पावर हाऊस और नारायणपुर तमनकल कासकेड पावर हाऊस
खनन	
20.	मैसर्स तुंगभद्रा मिनरल लि. द्वारा बेल्लारी जिले में लौह अयस्क खान का विस्तार
21.	मैसर्स ए नारायण मिनरल्स द्वारा चित्रदुर्ग जिले में ओपन कास्ट लौह अयस्क खान
22.	मैसर्स प्रहलाद एच पुजार द्वारा बगलकोट जिले में तिमारपुर चूना पत्थर खान
23.	मैसर्स ए सी सी लि. द्वारा गुलबर्गा जिले में बाड़ी चूना पत्थर खान का क्षमता विस्तार
आधारभूत विकास और विविध	
24.	मैसर्स कोस्टगार्ड द्वारा न्यू मंगलौर पोर्ट ट्रस्ट दक्षिण कन्नड़ जिले में मैरीटाईम आप्रेशन रूम, संचार स्टेशन और प्रशासन ब्लाक की स्थापना
25.	मैसर्स श्री एल.पी.जी. प्रा. लि. द्वारा उत्तर कन्नड़ जिले में जेट्टी (तादरी पत्तन क्षेत्र) माइनर पोर्ट का निर्माण

राष्ट्रीय राजमार्गों के रख-रखाव में पुरानी निर्माण पद्धति का प्रयोग

4353. श्री पी. कुमारासामी: क्या जल-भूतल परिवहन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या राष्ट्रीय राजमार्ग के रख-रखाव में जनशक्ति पर आधारित निर्माण प्रद्धति का प्रयोग करने की वर्तमान प्रणाली के स्थान पर मशीन पर आधारित निर्माण पद्धति का प्रयोग किया जाना चाहिए क्योंकि मशीन पर आधारित पद्धति में लागत कम आती है और कार्य भी शीघ्र होता है; और

(ख) यदि हां, तो सरकार द्वारा इस संबंध में क्या कार्यवाही की गई है?

जल-भूतल परिवहन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री हुकमदेव नारायण यादव): (क) जी हां।

(ख) राष्ट्रीय राजमार्ग पेवमेंट और शोल्डर्स के अनुरक्षण के लिए उपस्कर का प्रयोग करने पर बल दिया जा रहा है।

दिल्ली-मुम्बई-दिल्ली मार्ग पर यात्रियों को रियायत

4354. श्री रवि प्रकाश वर्मा: क्या नागर विमानन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या इंडियन एयरलाईंस/एअर इंडिया द्वारा जुलाई से सितम्बर, 1999 तक दिल्ली-मुम्बई-दिल्ली सेक्टर में बड़े पैमाने पर रियायत उपलब्ध कराई गई थी;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार का चालू वर्ष के दौरान भी उक्त सेक्टर में यात्रियों को वैसी ही रियायत उपलब्ध करने का प्रस्ताव है; और

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

नागर विमानन मंत्री (श्री शरद यादव): (क) जी, हां। विक्रय प्रोत्साहन अपेक्षाओं के अनुसार, दिल्ली-मुम्बई तथा विपरीत सैक्टरों पर लोड में वृद्धि से दोनों एयरलाइनों ने 1.7.99 से 30.9.99 की अवधि के लिए विशेष एकपक्षीय किराये आरंभ किए थे।

(ख) इस समय, इस वर्ष के लिए इसी प्रकार के किराए आरंभ करने का कोई प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है।

(ग) प्रश्न नहीं उठता।

डाक सामग्री के आकार और रंग में परिवर्तन करना

4355. कर्नल (सेवानिवृत्त) डा. धनीराम शांडिल्य: क्या संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने अंतर्देशीय पत्र, पोस्टकार्ड, लिफाफे और अन्य डाक सामग्री को और अधिक आकर्षक, रंगीन और गुणात्मक बनाने के लिए इनके आकारों और रंगों में परिवर्तन करने का निर्णय लिया है;

(ख) क्या अपेक्षित परिवर्तनों के बाद इन वस्तुओं के मूल्यों में वृद्धि की जाएगी;

(ग) यदि हां, तो इन वस्तुओं के मूल्यों में कितनी वृद्धि की जाएगी।

(घ) क्या मूल्य वृद्धि का प्रस्ताव करते समय देश के गरीब लोगों की स्थिति का ध्यान रखा गया है; और

(ङ) यदि हां, तो प्रत्येक वस्तु पर दी जा रही राज-सहायता का ब्यौरा क्या है?

संचार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री तपन सिकदर): (क) जी नहीं।

(ख) से (ङ) प्रश्न नहीं उठता।

सिंथेटिक दूध की बिक्री

4356. श्री रामचन्द्र पासवान:
श्री राम सजीवन:

क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार को पड़ोसी राज्यों के दुग्ध व्यापारियों द्वारा दिल्ली में सिंथेटिक दूध की बेरोकटोक बिक्री और कुछ प्रसिद्ध मार्का वाले दुग्ध आपूर्तिकर्त्ताओं/उत्पादकों द्वारा मिलावटी दूध के विपणन की जानकारी है; और

(ख) यदि हां, तो इस कदाचार को और दिल्ली में मिलावटी दूध के निपटान को रोकने के उपायों को सुदृढ़ करने और इसकी कमियों, यदि कोई है, का पता लगाने हेतु सरकार ने क्या कार्रवाई की है?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (प्रो. रीता वर्मा): (क) सिंथेटिक दूध के नाम से ज्ञात कोई खाद्य उत्पाद नहीं है। वनस्पतिवसा और रसायनों के गाढ़े के लिए "सिंथेटिक दूध" शब्द अयथार्थ नामकरण है। दिल्ली सरकार द्वारा उपलब्ध कराई गई सूचना के अनुसार कोई भी नमूना घटिया वनस्पति तेल और कास्टिक सोडा, डिटर्जेंट, मिनरल आयल, न्यू ट्रेलाइजर आदि से अपमिश्रित नहीं पाया गया।

(ख) दिल्ली सरकार अपमिश्रित दूध की समस्या से निबटने में अत्यधिक सतर्क रही है। दिल्ली में बेचा जाने वाला दूध प्रारम्भिक रूप से पड़ोसी राज्यों से आता है। उन्होंने सूचित किया है कि न केवल साथ में लगे राज्यों के दिल्ली के प्रवेश मार्गों से बल्कि पूरी दिल्ली से जहां दूध बेचा जा रहा है, ऐसे दूध और दूध उत्पादों के नमूने उठाने के लिए प्रवर्तन तंत्र को तेज कर दिया गया है और स्थानीय पुलिस से तालमेल बिठाकर प्रयास किए गए हैं। दिल्ली को उपायुक्तों की अध्यक्षता में 9 जिलों में बांट दिया गया है। प्रत्येक जिला आगे तीन उपमंडलों में बांटा गया है जिनके अध्यक्ष उपमंडल मजिस्ट्रेट हैं। नमूने उठाने और मुकदमें आदि के लिए आगे की जांच पड़ताल का कार्य अब उपमंडल मजिस्ट्रेट के पर्यवेक्षण के अधीन किया जाता है जिसे खाद्य अपमिश्रण निवारण अधिनियम/नियमों के अन्तर्गत एलएचए के रूप में अधिसूचित किया गया है।

[हिन्दी]

सौर ऊर्जा चालित खराब टेलीफोन

4357. श्री उत्तमराव पाटील: क्या संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि महाराष्ट्र के यवतमाल जिले में 99% सोलर और ऊर्जा चालित टेलीफोन खराब पड़े हैं;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं;

(ग) यह टेलीफोन कब तक ठीक कर दिए जाएंगे; और

(घ) सरकार ने अब तक इन टेलीफोनों पर कितना खर्च किया है?

संचार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री तपन सिकदर): (क) जी नहीं। यवतमाल जिले में 10 प्रतिशत वीपीटी खराब हैं। स्थिति इस प्रकार है:-

कुल एमएआरआर वीपीटी	:	844
दोषपूर्ण वीपीटी	:	86
दोषपूर्ण वीपीटी का प्रतिशत	:	10.18 प्रतिशत

(ख) (1) स्थानीय वीपीटी धारकों द्वारा उपस्कर का अनुचित रख-रखाव

(2) बेकार बैटरियां

(3) टूटे हुए सोलर पैनल

(4) कार्ड मरम्मत सुविधा की सीमित उपलब्धता

(ग) एमएआरआर पर खराब वीपीटी तीन माह के भीतर ठीक कर दिए जाएंगे।

(घ) यवतमाल जिले में एमएआरआर वीपीटी पर किया गया कुल निवेश लगभग 8 करोड़ रु. है।

[अनुवाद]

सी.सी.आर.यू.एम. द्वारा चिकित्सा-मशीनरी की खरीद

4358. श्री राम सजीवन: क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या "सैन्ट्रल काउन्सिल फॉर रिसर्च इन यूनानी मेडिसिन्स" (सी.सी.आर.यू.एम.) ने पिछले तीन वर्षों में प्रत्येक वर्ष के दौरान बिना किसी समुचित क्रय-व्यवस्था तथा मरम्मत-प्रक्रिया का अनुपालन किए बगैर महंगी मशीनरी/उपकरणों की खरीद की;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या ऐसी मशीनरी/उपकरणों की खरीद के लिए कोई कोटेशन आमंत्रित किए गए थे;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ङ) क्या कतिपय सामग्री, यहां तक कि नवगृहीत सामग्री की भी परिषद् द्वारा नीलामी की जा रही है; और

(च) यदि हां, तो इसके कारण क्या हैं और इसके परिणामस्वरूप अनुमानित रूप से कितना घाटा उठाये जाने की संभावना है?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (प्रो. रीता वर्मा): (क) से (घ) केन्द्रीय यूनानी चिकित्सा अनुसंधान परिषद् ने सूचना दी है कि उन्होंने निर्धारित नियमावली संबंधी औपचारिकताओं को पूरा करके विभिन्न फील्ड यूनिटों की आवश्यकताओं के अनुसार आवश्यक न्यूनतम पदों की ही खरीद की है।

(ङ) जी, नहीं।

(च) प्रश्न नहीं उठता।

गुड़गांव में नये टेलीफोन कनेक्शन

4359. डा. (श्रीमती) सुधा यादव: क्या संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) गत छः महीनों के दौरान गुड़गांव, हरियाणा में नए टेलीफोन कनेक्शन लगाने से संबंधित सरकार को कितनी शिकायतें प्राप्त हुई हैं;

(ख) तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) यदि हां, तो क्या सरकार का इस विषय में कोई जांच करने का विचार है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

संचार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री तपन सिकदर): (क) इस संबंध में कोई विशिष्ट शिकायतें प्राप्त नहीं हुई हैं। तथापि, प्रतीक्षा सूचीबद्ध आवेदकों के लिए नए टेलीफोन कनैक्शन उपलब्ध कराने की संभावित तारीख के बारे में सभी स्तरों पर पूछताछ होती है।

(ख) से (घ) उपर्युक्त (क) भाग के उत्तर को देखते हुए प्रश्न नहीं उठता।

चिड़ियाघरों में होमियोपैथिक दवाओं का उपयोग

4360. श्री कालवा श्रीनिवासुलु: क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या चिड़ियाघरों में पशुओं के उपचार के लिए होमियोपैथिक दवाओं का उपयोग किया जा रहा है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी राज्य-वार ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या पालतू पशुओं, जानवरों और पक्षियों के लिए होमियोपैथिक दवाओं का प्रयोग किया जा सकता है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (प्रो. रीता वर्मा): (क) से (ङ) पशुओं के उपचार के लिए औषधियां होम्योपैथी के अंतर्गत उपलब्ध हैं। तथापि, ये औषधियां केवल होम्योपैथी में प्रशिक्षित डाक्टर द्वारा ही दी जा सकती हैं, न कि पशु चिकित्सक द्वारा। भारतीय पशुचिकित्सा परिषद ने सूचित किया है कि पंजीकृत पशुचिकित्सा प्रैक्टिशनर होम्योपैथी पद्धति का प्रयोग तब तक नहीं कर सकते जब तक कि वे ऐसी औषधियों के प्रयोग की शिक्षा और प्रशिक्षण प्राप्त न कर लें।

[हिन्दी]

देश में मृत्यु दर

4361. श्री धावर चन्द गेहलोत: क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि देश में पिछले तीन वर्षों के दौरान आज तक जन्म दर तथा मृत्यु दर का प्रतिशत क्या है?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (प्रो. रीता वर्मा): भारत के महापंजीयक कार्यालय, गृह मंत्रालय की नमूना पंजीकरण प्रणाली के अनुसार वर्ष 1996-97 और 98 के दौरान प्रति हजार जनसंख्या पर अशोधित जन्म दर और अशोधित मृत्यु दर का अनुमान निम्नलिखित है:

	1996	1997	1998
अशोधित जन्म दर	27.5	27.2	26.5
अशोधित मृत्यु दर	9.0	8.9	9.0

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण कार्यक्रमों हेतु भारतीय भाषाओं को वरीयता देना

4362. श्री निखिल कुमार चौधरी: क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार का विचार स्वास्थ्य और परिवार कल्याण संबंधी कार्यक्रमों में अंग्रेजी को वरीयता देने के स्थान पर भारतीय भाषाओं को वरीयता देने का है जैसा कि मलेशिया, चीन, श्रीलंका जैसे अन्य देशों में किया जा रहा है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (प्रो. रीता वर्मा): (क) से (ग) चूंकि स्वास्थ्य राज्य का विषय है इसलिए वे अपनी भाषाओं का प्रयोग करने के लिए स्वतंत्र हैं। जहां तक केन्द्र द्वारा कार्यान्वित स्वास्थ्य और परिवार कल्याण कार्यक्रमों का संबंध है, हिन्दी और अंग्रेजी दोनों का प्रयोग किया

जाता है और जब कभी संभव होता है स्थानीय भाषाओं में उपलब्ध सामग्री भी प्रयोग में लाई जाती हैं।

[अनुवाद]

बच्चों को चिकन पॉक्स

4363. श्रीमती शीला गौतम:
श्री जयभान सिंह पवैया:

क्या **स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या भारत में विशेषकर पन्द्रह साल तक की आयु वाले बच्चों में चिकेन पॉक्स होना आम बात है;

(ख) यदि हां, तो क्या देश से इस बीमारी का उन्मूलन करने हेतु कोई प्रयास किए गए हैं; और

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (प्रो. रीता वर्मा): (क) से (ग) छोटी माता एक तीव्र विषाणु रोग है जिसके साथ अचानक ज्वर शुरू हो जाता है और फफोलेदार ददोरी से चमड़ी पर छोटी-छोटी फुंसियां हो जाती हैं। यह रोग मौसमी रूप से फैलता है और इसके मामले वर्ष के पहले छह महीनों के दौरान होते हैं। यह रोग बिरला ही घातक हैं। छोटी माता के लिए रोग प्रतिरक्षण अब तक व्यापक रोगप्रतिरक्षण का एक अंग नहीं है। यह उल्लेख करना समीचीन है कि छोटी माता स्वयं तक ही सीमित रहने वाला एक रोग है और इसका उपचार लाक्षणिक है। छोटी माता के उपचार और इसकी किसी भी जटिलता के लिए सुविधाएं विभिन्न अस्पतालों अर्थात् सरकार और निजी क्षेत्र दोनों में उपलब्ध हैं।

सरकारी अस्पतालों में चिकित्सकों को मिल वेतनमान

4364. श्री ताराचन्द भगोरा: क्या **स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) उनके मंत्रालय के नियंत्रणाधीन कितने चिकित्सा अध्यापक हैं;

(ख) क्या उनके मंत्रालय ने केन्द्रीय स्वास्थ्य योजनाओं (सी.एच.एस.) में कार्यरत इन चिकित्सा अध्यापकों के वेतन और व्यवसायगत परिलब्धियों को मंजूर और संस्तुत किया है;

(ग) क्या अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान, नई दिल्ली और स्नातकोत्तर चिकित्सा शिक्षा एवं अनुसंधान संस्थान (पी.जी.आई.एम.ई.आर.), चण्डीगढ़ में प्राध्यापकों के वेतन और परिलब्धियों को शत-प्रतिशत सरकार द्वारा वित्त पोषित किया जाता है।

(घ) क्या एम.ए.एम. कॉलेज, नई दिल्ली, लेडी हार्डिंग मेडिकल कॉलिज, नई दिल्ली और पी.जी.आई., पाण्डिचेरी में तैनात प्राध्यापकों के वेतन और परिलब्धियों को भी शत-प्रतिशत सरकार द्वारा वित्तपोषित किया जाता है;

(ङ) यदि हां, तो उपर्युक्त (ग) और (घ) में उल्लिखित दोनों संस्था-समूहों के साथ समान व्यवहार क्यों नहीं किया जा रहा है;

(च) क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि सी.एच.एस. के अधीन विभिन्न चिकित्सा महाविद्यालयों में कार्यरत चिकित्सकों/प्राध्यापकों को पांचवें वेतन आयोग की रिपोर्ट के लागू होने के बाद भी, सामान्य वरीयता सूची तैयार न होने के कारण, उनसे कनिष्ठ चिकित्सकों की तुलना में कम वेतन मिल रहा है;

(छ) यदि हां, तो क्या सरकार को इन चिकित्सकों/प्राध्यापकों से कोई अभ्यावेदन प्राप्त हुआ है; और

(ज) यदि हां, तो सरकार द्वारा इस संबंध में क्या कार्यवाही की गई है?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (प्रो. रीता वर्मा): (क) यह मंत्रालय केन्द्रीय स्वास्थ्य सेवा का संवर्ग नियंत्रक प्राधिकारी है। केन्द्रीय स्वास्थ्य सेवा के शिक्षण विशेषज्ञों के स्वीकृत पदों की संख्या 623 है।

(ख) केन्द्रीय स्वास्थ्य सेवा के शिक्षण विशेषज्ञों को पांचवें केन्द्रीय वेतन आयोग की सिफारिशों पर सरकार के निर्णय के अनुसार वेतन और भत्ते प्रदान किए जाते हैं।

(ग) और (घ) जी, हां।

(ङ) अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान, दिल्ली और स्नातकोत्तर संस्थान, चण्डीगढ़ की स्थापना संसद के अधिनियमों के अंतर्गत की गई है। इन अधिनियमों में उनके वेतन ढांचे के लिए विशिष्ट प्रावधान हैं। यद्यपि, केन्द्रीय स्वास्थ्य सेवा शिक्षण संवर्ग और अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान/स्नातकोत्तर संस्थान शिक्षण, अनुसंधान और रोगी-परिचर्या प्रदान करने का काम करते हैं तथापि इन दोनों में तुलना नहीं की जा सकती। जहां केन्द्रीय स्वास्थ्य सेवा के शिक्षण उप संवर्ग का मानक उत्तम है, वहीं अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान के ऐसे कार्मिकों का मानक अपेक्षाकृत काफी बेहतर है। यह अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान और केन्द्रीय स्वास्थ्य सेवा के पारिश्रमिकों में अंतर से स्पष्ट है।

(च) से (ज) सरकार को केन्द्रीय स्वास्थ्य सेवा के कुछ अधिकारियों से कनिष्ठों के वेतन की तुलना में उनके अपने वेतन को बढ़ाने के संबंध में अभ्यावेदन प्राप्त हुए हैं। कनिष्ठों के संदर्भ में केन्द्रीय स्वास्थ्य सेवा के अधिकारियों के वेतन को सरकार के नियमों के अनुसार बढ़ाया गया है।

राष्ट्रीय मातृत्व लाभ योजना

4365. श्री कोलूर बासवनागौड: क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) 1999-2000 के दौरान राष्ट्रीय मातृत्व लाभ योजना के अंतर्गत कर्नाटक में कुल कितने लाभभोगी हैं;

(ख) उक्त अवधि के दौरान कर्नाटक को इस योजना के अंतर्गत कितनी धनराशि जारी की गई;

(ग) क्या कर्नाटक सरकार ने 2000-2001 के दौरान उक्त योजना के अंतर्गत कोई सहायता प्रस्ताव भेजा है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (प्रो. रीता वर्मा): (क) कर्नाटक के 27 में से 17 जिलों से प्राप्त सूचना के अनुसार 1999-2000 के दौरान राष्ट्रीय मातृत्व लाभ स्कीम के अंतर्गत लाभान्वितों की कुल संख्या 35264 है

(ख) वर्ष 1999-2000 के दौरान कर्नाटक को राष्ट्रीय मातृत्व लाभ स्कीम के लिए 402.68 लाख रुपये जारी किए गए।

(ग) और (घ) वर्ष के दौरान एक जिले को पहली किस्त स्वत: जारी कर दी जाती है, यदि उस जिले ने पिछले वर्ष में दूसरी किस्त ले ली हो। तदनुसार वर्ष 2000-2001 में बंगलौर (शहरी) को छोड़कर कर्नाटक के सभी जिलों को पहली किस्त पहले ही जारी कर दी गई है क्योंकि इन जिलों ने वर्ष 1999-2000 के दौरान दूसरी किस्त ले ली थी। वर्ष 2000-2001 के दौरान दूसरी किस्त जारी किए जाने के संबंध में जिलों से अभी तक प्रस्ताव प्राप्त नहीं हुए हैं।

[हिन्दी]

भारतीय अंतर्देशीय जलमार्ग प्राधिकरण की स्थापना

4366. डा. सुशील कुमार इन्दौरा:
श्री जे.एस. बराड़:

क्या जल-भूतल परिवहन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या भारतीय अंतर्देशीय जलमार्ग प्राधिकरण की कुछ वर्ष पूर्व स्थापना की गई थी;

(ख) यदि हां, तो इसकी स्थापना किस तारीख को की गई तथा इसके उद्देश्य क्या हैं;

(ख) क्या इस प्राधिकरण द्वारा जलमार्गों का अपयोग किए जाने की संभावना का पता लगाया गया है;

(घ) यदि हां, तो अब तक उपयोग हेतु कितने जलमार्गों की खोज की गई है; और

(ङ) इसके विकास और विस्तार हेतु तैयार की गई योजनाओं का ब्यौरा क्या है तथा इनमें से कितनी योजनाओं का क्रियान्वयन किया जा रहा है?

जल-भूतल परिवहन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री हुकमदेव नारायण यादव): (क) जी हां।

(ख) भारतीय अंतर्देशीय जलमार्ग प्राधिकरण की स्थापना नौवहन और नौचालन कार्यों तथा उनसे संबंधित अथवा प्रासंगिक मामलों के लिए अंतर्देशीय जलमार्गों के विकास और विनियमन हेतु 27 अक्टूबर, 1986 को की गई थी

(ग) जी हां।

(घ) राष्ट्रीय जलमार्ग के रूप में घोषित तीन जलमार्गों अर्थात् इलाहाबाद से हल्दिया तक गंगा, धुबरी से सदिया तक ब्रह्मपुत्र और चम्पाकारा व उद्योग मंडल नहरों सहित कोल्लम से कोट्टापुरम तक पश्चिम तटीय नहर के बारे में ही अभी तक यह जानकारी प्राप्त हुई है कि उन्हें प्रयोग किया जा सकता है।

(ङ) तीन राष्ट्रीय जलमार्गों में नाव्य जलपथ और अन्य अवसंरचना के प्रावधान के लिए विभिन्न स्कीमें तैयार की गई हैं। कार्यान्वित की जा रही परियोजनाओं की सूची संलग्न विवरण में दी गई है।

विवरण

तीन राष्ट्रीय जलमार्गों के लिए चल रही स्कीमों की सूची

क्रम सं.	परियोजना/स्कीम का नाम
1	2
राष्ट्रीय जलमार्ग सं. 1	
क. कार्यान्वित की जा रही परियोजनाएं	
1.	वार्षिक नाव्य जलपथ सुधार/नदी संरक्षण कार्य।

1	2
2.	हाईड्रयूलिक सर्फेस ड्रेजर का अधिग्रहण।
3.	कलकत्ता-फरक्का सेक्टर में 24 घंटे नौचालनात्मक उपकरण।
4.	गायघाट पटना में टर्मिनल।
5.	हल्दिया और पटना (जी आर जेट्टी, कारागोला और बलिया) के बीच टर्मिनल सुविधाएं।
6.	पटना और इलाहाबाद के बीच अवसंरचनात्मक सुविधाएं (टर्मिनल)।
7.	टर्मिनल अनुरक्षण।
8.	सर्वेक्षण उपस्करों की खरीद।
9.	फ्लोटिंग क्राफ्ट की मरम्मत।
(ख) तैयार की गई स्कीमें	
10.	नदी सुधार कार्य
11.	फरक्का-पटना सेक्टर में 24 घंटे नौचालनात्मक उपकरण।
12.	कटर-सक्शन ड्रेजरों और सर्वेक्षण जलयानों का अधिग्रहण।
राष्ट्रीय जलमार्ग सं. 2	
क. कार्यान्वित की जा रही परियोजनाएं	
13.	वार्षिक नाव्य जलपथ सुधार/नदी संरक्षण कार्य।
14.	हाईड्रयूलिक सर्फेस ड्रेजर का अधिग्रहण।
15.	धुबरी-गुवाहाटी सेक्टर में 24 घंटे नौचालनात्मक उपकरण।
16.	फ्लोटिंग टर्मिनल।
17.	टर्मिनल अनुरक्षण।
18.	सर्वेक्षण उपस्करों की खरीद।
19.	सर्वेक्षण जलयान की खरीद।
ख. तैयार की गई स्कीमें	
20.	पांडु में टर्मिनल।
21.	गुवाहाटी-डिबरूगढ़ सेक्टर में 24 घंटे नौचालनात्मक उपकरण।
22.	कटर सक्शन ड्रेजरों का अधिग्रहण।
23.	नए सर्वेक्षण जलयानों का अधिग्रहण।
राष्ट्रीय जलमार्ग सं. 3	
क. कार्यान्वित की जा रही परियोजनाएं	
24.	वार्षिक अनुरक्षण कार्यकलाप।
25.	भूमि अधिग्रहण सहित कैपीटल निकर्षण।
26.	टर्मिनलों के लिए भूमि अधिग्रहण।
27.	टर्मिनलों का निर्माण।
28.	बांधों का निर्माण और अनुरक्षण।
29.	सर्वेक्षण जलयान का अधिग्रहण (पूरा हो चुका है)।
30.	सर्वेक्षण उपस्करों की खरीद।
31.	24 घंटे नौचालनात्मक उपकरण।
32.	तट सुरक्षा।

[अनुवाद]

केलकर समिति की रिपोर्ट

4367. श्री जी. एम. बनातवाला: क्या नागर विमानन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या एअर इंडिया के पुनर्गठन के संबंध में केलकर समिति ने अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की है; और

(ख) यदि हां, तो इसमें की गई सिफारिशों का ब्यौरा क्या है और इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है?

नागर विमानन मंत्री (श्री शरद यादव): (क) जी, नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

परिवार कल्याण योजना हेतु सहायता

4368. डा. रमेश चंद तोमर:
श्रीमती श्यामा सिंह:

क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार का ध्यान दिनांक 24 मई, 2000 के "द स्टेट्समैन" में "गवर्नमेंट सीक्स फॉरेन एड फार फैमिली वेल्फेयर" शीर्षक से प्रकाशित समाचार की ओर आकृष्ट किया गया है;

(ख) यदि हां, तो क्या केन्द्र सरकार ने परिवार कल्याण कार्यक्रमों हेतु विदेशी एजेन्सियों से सहायता मांगी है;

(ग) यदि हां, तो किन-किन एजेंसियों/देशों से सहायता मांगी गई है;

(घ) किन-किन परिवार कल्याण योजनाओं हेतु सहायता मांगी गई है;

(ङ) क्या सरकार का विचार उक्त, योजना हेतु निधियों का उचित उपयोग सुनिश्चित करने का है; और

(च) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (प्रो. रीता वर्मा): (क) और (ख) जी, हां।

(ग) और (घ) ब्यौरे संलग्न विवरण में दिये गए हैं।

(ङ) और (च) जी, हां। सरकार दाता अभिकरणों/देशों से प्राप्त परियोजना विशिष्ट सहायता के उपयुक्त और समय पर उपयोग को सुनिश्चित करने के लिए सभी प्रयास कर रही है।

विवरण

क्र.सं.	कार्यक्रम	दाता अभिकरण/देश	वचनबद्ध राशि	प्रयोजन/उद्देश्य
1	2	3	4	5
1.	प्रजनन एवं बाल स्वास्थ्य कार्यक्रम	विश्व बैंक	248.3 मिलियन यू.एस. डालर (आर सी एच फेज-1)	पल्स पोलियो रोगप्रतिरक्षण कार्यक्रम सहित प्रजनन एवं बाल स्वास्थ्य कार्यक्रम का कार्यान्वयन।
		यूरोपियन कमीशन	200 मिलियन ई.सी.यू.	-तदैव-
		डी.एफ.आई.डी. (यूनाइडेट किंग्डम)	86.31 मिलियन पाउण्ड	पल्स पोलियो रोगप्रतिरक्षण कार्यक्रम का कार्यान्वयन।
		के.एफ. डब्ल्यू (जर्मनी)	65 मिलियन डीएम	-तदैव-
		यूनिसेफ (जेआईसीए) (जापान) और डेनिडा डेनमार्क जैसे द्वीपक्षीय दाता अभिकरण सहित)	121 मिलियन यू.एस.डालर	पल्स पोलियो रोगप्रतिरक्षण कार्यक्रम सहित प्रजनन एवं बाल स्वास्थ्य कार्यक्रम का कार्यान्वयन।
2.	रोग प्रतिरक्षण सुदृढ़ीकरण परियोजना	विश्व बैंक	142.6 मिलियन यू.एस.डालर	नेमी रोगप्रतिरक्षण और पोलियो रोगप्रतिरक्षण कार्यक्रम का सुदृढ़ीकरण।
3.	भारत जनसंख्या परियोजना-8	विश्व बैंक	422.01 करोड़ रुपये	शहरी मलिन बस्तियों की जनसंख्या की स्वास्थ्य और परिवार कल्याण स्थितियों में सुधार लाने के लिए आंध्र प्रदेश, पश्चिम बंगाल, दिल्ली, कर्नाटक, उत्तर प्रदेश, तमिलनाडु और स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में भारत जनसंख्या परियोजना का कार्यान्वयन

1	2	3	4	5
4.	भारत जनसंख्या परियोजना-IX	विश्व बैंक	414.06 करोड़ रुपये	ग्रामीण जनसंख्या की स्वास्थ्य और परिवार कल्याण स्थितियों में सुधार लाने के लिए असम, कर्नाटक, राजस्थान और स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में भारत जनसंख्या परियोजना का कार्यान्वयन।
5.	बुनियादी स्वास्थ्य परियोजना (महाराष्ट्र)	जर्मनी	47.40 करोड़ रुपये	महाराष्ट्र के चार जिले नामत: रायगढ़ रत्नागिरी, सिंधूदुर्ग और पुणे को स्वास्थ्य परिचर्या सेवाओं, विशेषकर राज्य के कमजोर वर्गों द्वारा, के उपयोग में सुधार सुनिश्चित करने के उद्देश्य से इस परियोजना के अंतर्गत कवर किया गया है।
6.	स्वा. और परि. कल्याण परियोजना, चरण-III	डानिडा	116.39 करोड़ रुपये	इस परियोजना को तमिलनाडु और मध्य प्रदेश राज्यों में स्वास्थ्य परिचर्या सेवाओं, विशेषकर राज्य के कमजोर वर्गों द्वारा, के उपयोग में सुधार सुनिश्चित करने के उद्देश्य से कार्यान्वित किया जा रहा है।
7.	स्वास्थ्य और परिवार कल्याण परियोजना	डी.एफ.आई.डी. (यूनाइटेड किंग्डम)	14.55 करोड़ रुपये	उड़ीसा के दो जिलों (भद्रक और क्योंझर जिलों में यह परियोजना कार्यान्वित की जा रही है।
8.	पश्चिम बंगाल प्रजनन एवं बाल स्वास्थ्य परियोजना	-तदेव-	1.75 मिलियन पौंड	पश्चिम बंगाल में प्रजनन एवं बाल स्वास्थ्य कार्यक्रम का सुदृढ़ीकरण करने के लिए।
9.	सिफप्सा परियोजना (उत्तर प्रदेश)	यू.एस. एड	350 मिलियन यू.एस. डालर	उत्तर प्रदेश में दम्पति सुरक्षा दर को बढ़ाने और कुल प्रजनन दर को घटाने के लिए।
10.	कण्ट्री प्रोजेक्ट-V	यू.एन.एफ.पी.ए.	100 मिलियन यू.एस.डालर	प्रजनन स्वास्थ्य, जनसंख्या विकास कार्यनीतियों और परामर्शों का सुदृढ़ीकरण।
11.	परिवार कल्याण (द्विवार्षिक 2000-2001)	विश्व स्वास्थ्य संगठन	1.4 मिलियन यू.एस. डालर	परिवार कल्याण कार्यक्रम के लिए।

[हिन्दी]

मसौढ़ी-पटना-गया के बीच राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या-83 का निर्माण कार्य

4369. श्री अरुण कुमार: क्या जल-भूतल परिवहन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण का विचार मसौढ़ी-पटना-गया के बीच राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या-83 का निर्माण कार्य शुरू करने का है;

(ख) यदि हां, तो इस संबंध में कराए गए सर्वेक्षणों का ब्यौरा क्या है;

(ग) इस परियोजना पर कितनी लागत आने की संभावना है और राष्ट्रीय राजमार्ग के किस क्षेत्र को इसमें शामिल किए जाने का प्रस्ताव है;

(घ) भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण किन स्रोतों से इस परियोजना को पूरा करने के लिए आवश्यक धनराशि जुटा रही है; और

(ङ) इसको पूरा करने हेतु क्या तारीख निर्धारित की गई है?

जल-भूतल परिवहन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री हुक्मदेव नारायण यादव): (क) जी नहीं।

(ख) से (ङ) यह राष्ट्रीय राजमार्ग बिहार सरकार को सौंपा गया है न कि भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण को। इसके अतिरिक्त, बिहार सड़क निर्माण विभाग ने इस खंड को अपने राष्ट्रीय राजमार्ग पक्ष को अभी तक नहीं सौंपा है। इसलिए, अभी तक कोई सर्वेक्षण इत्यादि नहीं किया गया है।

उड़ीसा में आए महाचक्रवात के कारण पारिस्थितिकीय असंतुलन

4370. श्री जगन्नाथ मलिक: क्या पर्यावरण और वन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या उड़ीसा के कई तटवर्ती जिलों में 1999 में आए महाचक्रवात के कारण सभी वृक्ष उखड़ गए थे जिससे राज्य में गंभीर पारिस्थितिकीय असंतुलन पैदा हो गया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है।

(ग) सरकार द्वारा बिगड़े हुए पारिस्थितिकीय संतुलन को सुधारने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं या प्रस्तावित हैं?

पर्यावरण और वन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री बाबू लाल मरांडी): (क) और (ख) उड़ीसा में 1999 में आए चक्रवात के कारण हुई क्षति के आंकलन संबंधी केन्द्रीय दल रिपोर्ट के अनुसार, 29 अक्तूबर, 1999 और 17 अक्तूबर, 1999 के महाचक्रवात के कारण वनों, वन्यजीवन और पर्यावरण को भारी नुकसान पहुंचा। तटीय शेल्टर बेल्ट के बागानों, आरक्षित वन खण्डों, ग्रामीण वूडलॉट बागानों, सड़क के साथ लगती पगडंडियों, निजी और सरकारी भूमियों तथा सार्वजनिक भूमि, गांवों की साझा भूमियों, शहरी बागानों, अनुसंधान बाग, और प्राणी उद्यानों और अभयारण्यों से 90 मिलियन पेड़ों के उखड़ने या क्षतिग्रस्त होने का अनुमान है। लगभग 95,750 हैक्टेयर वन क्षेत्र, जिसमें साल, टीक और बांस के वन, ग्रामीण वूडलॉट बागानों, कच्छ वनस्पति वन क्षेत्र और तटवर्ती वाइन्ड-ब्रेक बागान क्षेत्र शामिल है, प्रभावित हुआ। इसके अतिरिक्त लगभग 1500 कि.मी. रोड साइड वृक्षों सहित शहरों और विशाल ग्रमीण क्षेत्रो में वृक्षों को नुकसान पहुंचा।

(ग) सरकार द्वारा उड़ीसा सरकार को इस मंत्रालय की विभिन्न स्कीमों के तहत अनुदान मंजूर करके उड़ीसा के तूफानग्रस्त जिलों में पारिस्थितिकीय, संतुलन बनाए रखने के लिए किए गए उपायों का ब्यौरा संलग्न विवरण में दिया गया है।

विवरण

(1) एकीकृत वनीकरण और पारिविकास स्कीम (आई ए ई पी एस)

उड़ीसा में महाचक्रवात आने के बाद, राज्य सरकार ने आठ परियोजना प्रस्ताव प्रस्तुत किए जिन्हें वर्ष 1999-2000 के दौरान नौवीं पंचवर्षीय योजनावधि के लिए एकीकृत वनीकरण और पारिस्थितिकीय विकास परियोजना स्कीम के तहत कुल 1249.10 लाख रुपये की लागत पर मंजूर किया गया ताकि उड़ीसा के तूफानग्रस्त जिलों में 19500 हैक्टेयर अवक्रमित वनभूमि का सुधार किया जा सके। परियोजनाओं का विवरण निम्नानुसार है:-

(क्षेत्र हैक्टेयर में और राशि रुपयों में)

जिला	कुल क्षेत्र	कुल लागत
1	2	3
कटक	2800	196.61
जयपुर	1400	117.94
मयूरभंज, बालासोर और भद्रक	2000	96.00
मयूरभंज	2000	96.00

1	2	3
कटक और जयपुर	3300	206.46
क्योंझार	2800	134.40
गंजम	3000	214.28
खुर्दा	2200	187.38
कुल	19500	1249.10

उड़ीसा राज्य सरकार ने उड़ीसा के तटवर्ती जिलों में तटवर्ती शेल्टरवेल्ट (सुरक्षा पट्टी) प्लटिंशन के लिए परियोजना प्रस्ताव प्रस्तुत किया था। नौवीं पंचवर्षीय योजनावधि के लिए एकीकृत वनीकरण और पारिस्थितिकी विकास स्कीम के तहत तटवर्ती सुरक्षा पट्टी (शेल्टर बेल्ट) प्लांटिशन के लिए कुल 1488.51 लाख रुपये मंजूर किए गए ताकि उड़ीसा के तटवर्ती क्षेत्रों के 8000 हैक्टेयर भूमि का सुधार किया जा सके। परियोजनाओं का ब्यौरा निम्नानुसार है:-

(क्षेत्र हैक्टेयर में और राशि रुपयों में)

जिला	कुल क्षेत्र	कुल लागत
भद्रक	100	18.40
बालासोर	400	73.58
गंजम	500	91.97
केन्द्रपारा	2500	463.89
पुरी	2500	466.82
जगतसिंगपुर	2000	373.85
कुल	8000	1488.51

(2) कच्छ वनस्पतिओं (मैंग्रोव) और प्रवाल भित्तियों का संरक्षण और प्रबंधन स्कीम

कच्छ वनस्पतियों और प्रवाल भित्तियों के गहन संरक्षण और प्रबंधन के लिए भितारकनिका और महानदी डेल्टा की पहचान की गयी है। तटवर्ती क्षेत्रों में कच्छ वनस्पति को हुए नुकसान का आंकलन करने के लिए इस मंत्रालय द्वारा गठित कार्यदल की सिफारिश पर निम्नलिखित तीन अतिरिक्त क्षेत्रों की पहचान की गई है। ये हैं सुवर्ण रेखा, देवी और धामरा कच्छ वनस्पति। मुख्य कार्य -कलापों के अन्तर्गत, सर्वेक्षण और सीमाबंदी, अवक्रमित क्षेत्रों में कच्छ वनस्पति को पुन: उगाना और वनीकरण, संरक्षण उपाय। पारि-विकास कार्यकलाप; कच्छ वनस्पति के संरक्षण से संबंधित शिक्षा और जागरूकता और भितारकनिका में मैंग्रोव जेनेटिक संसाधन केन्द्र और मैंग्रोव इन्टरप्रिटेशन सेन्टर स्थापित करने के लिए मूलभूत सहायता प्रदान करना शामिल है।

1999-2000 के दौरान 44.06 लाख रुपये की राशि राज्य सरकार को निम्नलिखित पहचान किए गए कच्छ वनस्पति क्षेत्रों में प्रबंधगत कार्य योजना के कार्यान्वयन के लिए जारी कर पायी:-

भितारकनिका	-	17.56 लाख रुपये
महानदी	-	26.50 लाख रुपये

वर्तमान वित्त वर्ष के दौरान राज्य सरकार को निम्नलिखित पहचान किए गए कच्छ वनस्पति क्षेत्रों में प्रबंधगत कार्य योजना लागू करने के लिए 55.75 लाख रुपये की राशि जारी की गयी:-

सुवर्ण रेखा	-	23.50 लाख रुपये
देवी	-	17.25 लाख रुपये
धामरा	-	15.00 लाख रुपये

(3) केन्द्रीय चिड़ियाघर प्राधिकरण के माध्यम से सहायता

नंदनकानन प्राणी उद्यान, भुवनेश्वर, जो तूफान से क्षतिग्रस्त हो गया था, के पुनर्निर्माण के लिए केन्द्रीय चिड़ियाघर प्राधिकरण ने वर्ष 1999-2000 में 60.00 लाख रुपये और वर्तमान वित्त वर्ष में 40.00 लाख रुपये जारी किए हैं।

(4) आग से सुरक्षा के लिए सहायता

वर्ष 1999-2000 के दौरान तूफान प्रभावित वृक्षों से इमारती लकड़ी प्राप्त करने के लिए 98.00 लाख रुपये की राशि मंजूर की गयी है।

(5) भूसंसाधन विभाग/ग्रामीण विकास मंत्रालय से सहायता अनुदान

कोई विशेष पौधरोपण कार्यक्रम नहीं चलाया जा रहा है परन्तु वाटरशेड आधार पर वनेतर बंजरभूमि के विकास के लिए एकीकृत बंजरभूमि विकास योजना स्कीम चलाई जा रही है। इस स्कीम के तहत पिछले तीन वर्षों के दौरान उड़ीसा राज्य सरकार को 1407.00 लाख रुपये जारी किए गए। इसमें से वर्ष 1999-2000 के दौरान धेनकनाल, मयूरभंज और जाजपुर जिले के महाचक्रवात प्रभावित क्षेत्रों में 335.83 लाख रुपये जारी किए गए।

[हिन्दी]

खनिजों पर रायल्टी में संशोधन

4371. श्री कांतिलाल भूरिया:
श्री चिंतामन वनगा:

क्या खान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार को विभिन्न खनिजों की रायल्टी दर को निर्धारित करने हेतु वर्तमान प्रणाली को सुचारू बनाने के संबंध में अनुरोध प्राप्त हुए हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार का विचार विभिन्न प्रकार की खनिजों की रायल्टी दर में संशोधन हेतु विशेषज्ञों का एक सांविधिक निकाय गठित करने का है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

युवक कार्यक्रम और खेल मंत्री तथा खान मंत्री (श्री सुखदेव सिंह ढिंडसा): (क) से (घ) जी, हां। प्रमुख खनिजों की रायल्टी दरों की समीक्षा के लिए, पारंपरिक तौर पर, संबंधित विभाग/मंत्रालय में एक अध्ययन दल गठित किया जाता है जिसमें राज्य सरकारों, उद्योग, तकनीकी संस्थानों तथा अन्य संबंधित मंत्रालयों/विभागों के प्रतिनिधि शामिल होते हैं। अध्ययन दल, व्यापक आधार पर विचार-विमर्श करने के बाद, रायल्टी की दरों के बारे में सिफारिशें करता है जिन पर सरकार द्वारा विचार किया जाता है तथा रायल्टी की दरों के फाइनल संशोधन को राजपत्र में अधिसूचित किया जाता है। रायल्टी दरों में संशोधन के लिए विशेषज्ञों के किसी सांविधिक निकाय की स्थापना का कोई प्रस्ताव नहीं है।

कोणार्क मंदिर की सुरक्षा

4372. श्री सत्यव्रत चतुर्वेदी:
श्री सुन्दर लाल तिवारी:

क्या पर्यावरण और वन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या उड़ीसा के कोणार्क मंदिर को प्रदूषण के कारण क्षति हो रही है;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार का विचार इसकी सुरक्षा के लिए उपचारात्मक उपाय करने का है; और

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

पर्यावरण और वन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री बाबू लाल मरांडी): (क) जी नहीं।

(ख) और (ग) प्रश्न नहीं उठता।

[अनुवाद]

राष्ट्रीय जनसंख्या नीति

4373. श्री राम मोहन गाइडे: क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या राष्ट्रीय जनसंख्या नीति के क्रियान्वयन की दिशा में पहला कदम उठाते हुए दिल्ली के अस्पताल पूर्ण स्वास्थ्य देख-भाल प्रदान करने हेतु राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र के झुग्गियों और गांवों को शामिल करेंगे;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या इस कार्यक्रम का सभी राज्यों में विस्तार करने की संभावना है;

(घ) यदि हां, तो इस संबंध में क्या समय-सीमा निर्धारित की गई है; और

(ङ) प्रस्ताव हेतु कितनी धनराशि आबंटित की गई है?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (प्रो. रीता वर्मा): (क) से (ङ) राष्ट्रीय जनसंख्या नीति, 2000 के कार्यान्वयन के लिए कार्य-योजना में शहरी मलिन बस्तियों सहित एक व्यापक शहरी स्वास्थ्य परिचर्या कार्य-नीति परिकल्पित है जिसके अंतर्गत निम्नलिखित कार्य होंगे:-

(1) आवश्यकतानुसार गैर-सरकारी संगठनों और निजी क्षेत्र के सहयोग से व्यापक बुनियादी स्वास्थ्य, प्रजनन और बाल स्वास्थ्य सेवाएं प्रदान करने के लिए सेवा प्रदान केन्द्रों को सुविधा देना,

(2) शहरी मलिन बस्तियों और गांवों में पहुंच और कवरेज को बढ़ाने के लिए सामाजिक विपणन कार्यक्रम को सुदृढ़ करना,

(3) परिवार नियोजन, रोग-प्रतिरक्षण, प्रसव-पूर्व और प्रसव-पश्चात् जांच तथा अन्य प्रजनन स्वास्थ्य परिचर्या सेवाओं से संबंधित विशेष रूप से लक्षित सूचना, शिक्षा और संप्रेषण अभियान शुरू करना, और

(4) शहरी मलिन बस्तियों को मिलने वाली अनवरत सुविधाओं की व्यवस्था को उनके द्वारा छोटे परिवार के मानदंड के अनुपालन से जोड़ना।

सभी राज्यों/संघ क्षेत्रों से इस संबंध में आगे कदम उठाने का अनुरोध किया गया है।

जनसंख्या स्थिरीकरण के लिए किए जा रहे सरकारी वित्त पोषण के अतिरिक्त शहरी मलिन बस्तियों हेतु परियोजनाओं सहित जनसंख्या स्थिरीकरण के प्रयासों में सहयोग करने के लिए तैयार किए गए विशेष अनुदान परियोजनाओं के लिए 100 करोड़ रुपये की आरंभिक राशि के साथ एक राष्ट्रीय जनसंख्या स्थिरीकरण कोष की स्थापना की गई है। इसके अलावा, गर्भनिरोधन की आपूर्ति आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए अनिवार्य आपूर्तियों तथा उपस्करों हेतु धनराशि मौजूदा आवंटन के भीतर पुनर्विनियोजन के जरिए या अतिरिक्त संसाधन उपलब्ध कराकर प्रदान की जा सकती है।

[हिन्दी]

दूरसंचार कार्यालय का स्थानान्तरण

4374. श्री आनन्दराव विठोबा अडसुल: क्या **संचार मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या महाराष्ट्र के बुलडाना जिले का दूरसंचार कार्यालय वहां काम नहीं कर रहा है;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं;

(ग) क्या सरकार का विचार उक्त दूरसंचार कार्यालय को जिला मुख्यालय में स्थानान्तरित करने का है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) वहां से उक्त कार्यालय को कब तक स्थानान्तरित किए जाने की संभावना है?

संचार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री तपन सिकदर): (क) जी, हां। महाराष्ट्र दूरसंचार सर्किल के बुलडाना जिले का दूरसंचार कार्यालय खामगांव शहर में कार्य कर रहा है।

(ख) दूरसंचार नेटवर्क के आकार, भौगोलिक स्थिति, रेल तथा सड़क से सम्पर्कता, जनता की सुविधा एवं अन्य आधारभूत सुविधाओं की दृष्टि से दूरसंचार जिला प्रबंधक मुख्यालय के लिए खामगांव शहर अत्यन्त उपयुक्त स्थान है।

(ग) जी, नहीं।

(घ) और (ङ) उपर्युक्त (ग) के उत्तर को देखते हुए लागू नहीं होता।

प्रजनन और बाल स्वास्थ्य कार्यक्रम

4375. श्री बीरेन्द्र कुमार: क्या **स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या आर.सी.एच. योजना के तहत नियत की गई अधिकांश राशि प्रशिक्षण पर खर्च नहीं की जा रही है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी राज्य-वार ब्यौरा क्या है;

(ग) इससे कितनी महिलाओं के लाभान्वित होने की संभावना है; और

(घ) मध्य प्रदेश के किन-किन स्थानों पर प्रशिक्षण दिया जा रहा है और उक्त राशि किन-किन स्थानों पर उपयोग में लाई जा रही है?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (प्रो. रीता वर्मा): (क) और (ख) प्रजनन एवं बाल स्वास्थ्य के अंतर्गत प्रशिक्षण हेतु नोडल संगठन राष्ट्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण संस्थान द्वारा राज्यों को 60.35 करोड़ रु. जारी किए गए। इसमें से 12.58 करोड़ रु. के खर्च होने की सूचना पहले ही प्राप्त हो गई है। राज्य-वार ब्यौरा संलग्न विवरण-I में है।

(ग) विभिन्न मेडिकल और परा-मेडिकल कार्मिकों को प्रजनन और बाल स्वास्थ्य में प्रशिक्षित किया जा रहा है। सहायक नर्स धात्री, महिला स्वास्थ्य परिवीक्षिका, महिला स्वास्थ्य सहायक, महिला मेडिकल अधिकारी और आंगनबाड़ी कार्यकर्ता सहित लगभग 70 प्रतिशत प्रशिक्षणार्थी महिला हैं और इस स्कीम से उनके लाभान्वित होने की आशा है।

(घ) राष्ट्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण संस्थान द्वारा मध्य प्रदेश के 42 जिलों को धनराशि जारी की गई है। जिनमें से 27 जिलों से धनराशि के उपयोग और प्रशिक्षण के आयोजन के बारे में सूचना प्राप्त हुई है। ब्यौरा संलग्न विवरण-II में दिया गया है।

विवरण-I

प्रशिक्षण हेतु राज्यों को जारी की गई धनराशि के बारे में विवरण

क्रम. सं.	विवरण	3.8.2000 तक जारी धनराशि				10.8.2000 को समाप्त सप्ताह के दौरान अतिरिक्त धनराशि				10.8.2000 तक जारी कुल धनराशि			
		एवीटी	इंट्री. स्किल ट्रेनिंग	स्पेशल स्किल ट्रेनिंग	कुल	एवीटी	इंट्री. स्किल ट्रेनिंग	स्पेशल स्किल ट्रेनिंग	कुल	एवीटी	इंट्री. स्किल ट्रेनिंग	स्पेशल स्किल ट्रेनिंग	कुल
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1.	अंडमान नि. द्वीप स.	5.56	-	0.96	6.52	-	-	-	-	5.56	-	0.96	6.52
2.	अरुणाचल प्रदेश	73.91	-	-	73.91	-	-	-	-	73.91	-	-	73.91
3.	असम	11.66	-	-	11.66	-	-	-	-	11.66	-	-	11.66
4.	बिहार	48.34	147.83	-	196.17	-	-	-	-	48.34	147.83	-	196.17
5.	दादर एवं नगर हवेली	2.44	-	-	2.44	-	-	-	-	2.44	-	-	2.44
6.	दिल्ली	18.18	-	15.56	33.74	-	-	-	-	18.18	-	15.56	33.74
7	गोवा	3.20	7.65	1.13	11.98	-	-	-	-	3.20	7.65	1.13	11.98
8.	हरियाणा	99.97	158.42	4.69	263.08	-	-	-	-	99.97	158.42	4.69	263.08
9.	हिमाचल प्रदेश	41.41	61.34	6.15	108.90	-	-	-	-	41.41	61.34	6.15	108.90
10.	जम्मू व कश्मीर	29.09	67.87	3.17	100.13	-	-	-	-	29.09	67.87	3.17	100.13
11.	केरल	17.18	112.46	13.95	143.59	-	-	-	-	17.18	112.46	13.95	143.59
12.	लक्षद्वीप	4.21	-	2.38	6.59	-	-	-	-	4.21	-	2.38	6.59
13.	मध्य प्रदेश	195.37	199.90	16.20	411.47	-	-	-	-	195.37	199.90	16.20	411.47
14.	मणिपुर	5.27	-	7.63	12.90	-	-	-	-	5.27	-	7.63	12.90
15.	मेघालय	39.92	11.70	-	51.62	-	-	-	-	39.92	11.70	-	51.62
16.	मिजोरम	13.58	-	6.33	19.91	-	-	-	-	13.58	-	6.33	19.91
17.	नागालैंड	7.33	-	11.64	18.97	-	-	-	-	7.33	-	11.64	18.97
18.	उड़ीसा	22.40	52.35	5.26	80.01	-	-	-	-	22.40	52.35	5.26	80.01
19.	पांडिचेरी	10.02	4.22	-	14.24	-	-	-	-	10.02	4.22	-	14.24
20.	पंजाब	104.91	70.11	33.77	208.79	-	-	-	-	104.91	70.11	33.77	208.79
21.	सिक्किम	5.89	-	-	5.89	-	-	-	-	5.89	-	-	5.89

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
22.	त्रिपुरा	30.30	7.96	9.58	47.84	-	-	-	-	30.30	7.96	9.58	47.84
23.	उत्तर प्रदेश	2,037.54	45.33	-	2,082.87	-	-	-	-	2,037.54	45.33	-	2,082.37
24.	पश्चिम बंगाल	119.89	65.25	29.78	214.92	-	-	-	-	119.89	65.25	29.78	214.92
	कुल	2,947.57	1,012.39	163.18	4,128.14	-	-	-	-	2,947.57	1,012.39	168.18	4,128.14
गैर-स्कोवा													
1.	आंध्र प्रदेश	267.92	194.19	4.09	466.20	-	-	-	-	267.92	194.19	4.09	466.20
2.	चण्डीगढ़	1.91	4.86	1.65	8.42	-	-	-	-	1.91	4.86	1.65	8.42
3.	गुजरात	33.98	79.94	0.31	114.23	-	-	-	-	33.98	79.94	0.31	114.23
4.	कर्नाटक	35.82	-	-	35.82	-	-	-	-	35.82	-	-	35.82
5.	महाराष्ट्र	59.83	65.46	13.66	138.95	-	67.55	-	67.55	59.83	133.01	13.66	206.50
6.	तमिलनाडु	61.27	305.77	20.68	387.72	-	-	-	-	61.27	305.77	20.68	387.72
	कुल	460.73	650.22	40.39	1,151.34	-	67.55	-	67.55	460.73	717.77	40.39	1,218.89

10.8.2000 तक जारी धनराशि का ब्यौरा

		इन्फ्रा./ कांन्ट्रा	कुल	एजीटी स्तर और बैठक	एजीटी	एकीकृत कर्म-कौशल बैठक	विशेष कर्म-कौशल बैठक	प्रबंधन प्रशिक्षण	सम्प्रेषण प्रशिक्षण	आर.एच. एच.एस. वर्कशाप	कुल
सहयोगी संस्थाएं											
	i. सरकारी संस्थाएं	187.85	98.03	12.69	-	-	-	-	-	-	298.57
	ii. गैर-सरकारी संस्थाएं	41.32	64.88	6.60	-	-	-	-1.	-	-	112.80
2.	नोडल एजेंसी (एनआईएचएफडब्ल्यू)	88.33	9.40	29.78	-	-	-	-	-	-	127.51
3.	स्कोवा	-	-	-	2,947.57	1,012.39	168.18	-	-	-	4128.14
4.	नॉन-स्कोवा	-	-	-	460.73	717.77	40.39	-	-	-	1218.89
5.	प्रबंधन संस्थाएं	-	-	-	-	-	-	92.24	-	-	92.24
6.	सम्प्रेषण संस्थाएं	-	-	-	-	-	-	-	28.70	-	28.70
7.	आरएफडब्ल्यूटीसी/एचएएफडब्ल्यूटीसी/	-	-	-	-	-	-	-	-	-	37.54
	एसआईएचएफडब्ल्यू/एनएचएफडब्ल्यू										
	जारी की गई कुल धनराशि	317.50	172.31	49.07	3,408.30	1,730.16	208.57	92.24	28.70	37.54	6044.39
	प्राप्त की गई कम धनराशि	-	1.28	-	-	-	-	0.002	-	7.15	8.43
	जारी की गई निवल धनराशि	317.50	171.03	49.07	3408.30	1730.16	208.57	92.24	28.70	30.39	6035.96

10.8.2000 में सूचित व्यय का विवरण

	इन्फ्रा./ कान्ट्रा	कुल	एजीटी स्तर और बैठक	एजीटी	एकीकृत कर्म-कौशल बैठक	विशेष कर्म-कौशल बैठक	प्रबंधन प्रशिक्षण	सम्प्रेषण प्रशिक्षण	आर.एच. एच.एस. वर्कशाप	कुल
विवरण										
1. सहयोगी संस्थाएं										
i. सरकारी संस्थाएं	17.91	61.70	6.82	-	-	-	-	-	-	86.43
ii. गैर-सरकारी संस्थाएं	45.46	35.06	2.76	-	-	-	-	-	-	83.28
2. नोडल एजेंसी (एनआईएचएफडब्ल्यू)	88.33	9.40	29.78	-	-	-	-	-	-	127.51
3. स्कोवा	-	-	-	492.39	63.07	7.91	-	-	-	563.27
4. नॉन-स्कोवा	-	-	-	288.80	17.99	10.46	-	-	-	317.25
5. प्रबंधन संस्थाएं	-	-	-	-	-	-	66.30	-	-	66.30
6. सम्प्रेषण संस्थाएं	-	-	-	-	-	-	-	5.91	-	5.91
7. आरएफडब्ल्यूटीसी/एचएफडब्ल्यूटीसी/ एसआईएचएफडब्ल्यू/एनएचएफडब्ल्यू	-	-	-	-	-	-	-	-	8.35	8.35
कुल	151.70	106.16	39.36	781.19	81.06	18.37	66.30	5.91	8.35	1,258.40

विवरण-II

मध्य प्रदेश के 27 जिलों के बारे में व्यय का ब्यौरा

क्र.सं.	जिले का नाम	बैच	प्रशिक्षितों की सं.	हुए व्यय रुपये में
1	2	3	4	5
1.	इंदौर	17	81	1,77,354
2.	झबुआ	16	409	1,76,418
3.	खण्डवा	-	-	4,83,225
4.	देवास	30	714	3,22,150
5.	रतलाम	19	469	2,24,095
6.	मंदसौर	40	1073	4,20,225
7.	शाजापुर	19	515	2,41,613
8.	उज्जैन	-	1573	7,35,634

1	2	3	4	5
9.	सतना	6	110	55,123
10.	जबलपुर	15	427	1,41,669
11.	सिवानी	16	347	1,83,200
12.	दामोह	20	561	2,41,612
13.	सागर	41	846	4,61,886
14.	पन्ना	12	201	1,03,090
15.	शिवपुरी	35	874	3,43,659
16.	भिंड	15	300	2,41,612
17.	दुर्ग	32	785	3,71,778
18.	सरगुजा	51	1527	7,24,240
19.	रायगढ़	45	1070	4,61,221
20.	भोपाल	18	477	2,33,786
21.	रायसेन	-	-	1,18,052
22.	बेतूल	28	564	1,39,668
23.	धार	54	1127	4,54,898
24.	सिद्धि	-	-	2,36,440
25.	मुरैना	20	498	2,41,612
26.	दातिया	17	346	1,64,053
27.	मंडला	10	286	1,08,998
	कुल	646	15,650	78,57,311

सेटेलाइट टेलीफोन सेवा

4376. श्रीमती जसकौर मीणा: क्या संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) देश के विभिन्न भागों को किस सीमा तक सेटेलाइट टेलीफोन सेवा से जोड़ा गया है और तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या सरकार का विचार करौली जिले के डांग क्षेत्र को सेटेलाइट टेलीफोन सेवा से जोड़ने का है;

(ग) यदि हां, तो उक्त कार्य के कब तक पूरा किए जाने की संभावना है; और

(घ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

संचार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री तपन सिकदर): (क) 31.7.2000 की स्थिति के अनुसार दूरसंचार विभाग द्वारा देश के विभिन्न भागों के 447 स्थानों को उपग्रह टेलीफोन सेवा से जोड़ दिया गया है। इस संबंध में राज्य-वार ब्यौरा दर्शाने वाला एक विवरण संलग्न है।

(ख) और (ग) जी, हां। करोली जिले (राजस्थान) के डांग क्षेत्र के मंद्रयाल और मासलपुर स्टेशन में एमसीपीसी-वीएसएटी चालू करने की योजना है। 31.3.2000 तक कार्य पूरा होने की संभावना है, बशर्ते कि उपस्कर तथा अन्य आधारभूत संसाधन समय पर उपलब्ध हों।

(घ) उपर्युक्त भाग (ख) और (ग) को देखते हुए प्रश्न लागू नहीं होता।

विवरण

31.7.2000 की स्थिति के अनुसार दूरसंचार विभाग/दूरसंचार सेवा विभाग के कार्यरत राज्य-वार उपग्रह भू-केन्द्र

क्र.सं.	राज्य का नाम	उपग्रह टेलीफोन सेवायुक्त स्थानों की संख्या
1	2	3
1.	अंडमान-निकोबार	20
2.	असम	5
3.	आंध्र प्रदेश	7
4.	बिहार	17
5.	दिल्ली	7
6.	गुजरात	25
7.	हरियाणा	-
8.	हिमाचल प्रदेश	34
9.	जम्मू-कश्मीर	54
10.	कर्नाटक	17
11.	केरल	5
	(लक्षद्वीप द्वीपसमूह)	6
12.	मध्य प्रदेश	49
13.	महाराष्ट्र	12
14.	पूर्वोत्तर (62)	-
	i. अरुणाचल प्रदेश	33
	ii. मणिपुर	5
	iii. मेघालय	13
	iv. मिजोरम	3
	v. नागालैंड	4
	vi. त्रिपुरा	5
15.	उड़ीसा	15
16.	पंजाब	1
17.	राजस्थान	11
18.	तमिलनाडु	16
19.	उत्तर प्रदेश	52
20.	पश्चिम बंगाल	13
21.	सिक्किम	18
	कुल जोड़	447

वनों और वन्यजीवों का संवर्धन

4377. श्री माधवराव सिंधिया: क्या पर्यावरण और वन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या पूर्वोत्तर के विभिन्न राज्यों ने वनों और वन्य जीवों के संरक्षण और संवर्धन हेतु प्रयत्नों को मजबूती प्रदान करने के लिए विशेष सहायता की मांग की है;

(ख) यदि हां, तो प्रत्येक राज्य द्वारा मांगी गई सहायता का ब्यौरा क्या है; और

(ग) गत पांच वर्षों के दौरान इन राज्यों में वन सम्पादा और वन्य जीव, विशेषरूप से गैंडों की संख्या को कहां तक क्षति पहुंची है?

पर्यावरण और वन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री बाबू लाल मरांडी): (क) और (ख) पर्यावरण एवं वन मंत्रालय ने वनों और वन्य जीवों आदि के संरक्षण के लिए एवं उन्हें बढ़ावा देने के लिए वर्ष 2000-2001 के दौरान पूर्वोत्तर राज्यों के लिए 85 करोड़ रुपये की धनराशि निर्धारित की है।

(ग) वनावरण तथा उसमें किस सीमा तक कमी आई है, इसका विवरण, संलग्न विवरण-I में दिया गया है। पूर्वोत्तर राज्यों में से एक सींग वाला गैंडा केवल असम राज्य में पाया जाता है और 1995 की पिछली गणना के मुकाबले 1999 के गणना

आंकड़ों में गैंडों की संख्या में वृद्धि परिलक्षित हुई है। विवरण संलग्न विवरण-II में दिया गया है।

विवरण-I

वनावरण और उसमें कमी का विवरण

राज्य	वनावरण (वर्ग कि.मी.)	
	1993-95 तक का मूल्यांकन	1995-98 तक का मूल्यांकन
अरुणाचल प्रदेश	68602	68847
असम	23824	23688
मणिपुर	17418	17384
मेघालय	15657	15633
मिजोरम	18775	18338
नागालैंड	14221	14164
त्रिपुरा	5546	5745
कुल	164043	163799

वन क्षेत्र में कुल नुकसान (-)244 वर्ग कि.मी.
स्रोत:- वन स्थिति रिपोर्ट- भारतीय वन सर्वेक्षण

विवरण-II

असम में गैंडों की गणना संबंधी आंकड़े

राष्ट्रीय पार्क/अभयारण्य	1995	1998/99
काजीरंगा	1250	1550
मानस	80	12
पोबितोरा	60	74
औरांग	100	46
अन्य क्षेत्र	40	-
कुल	1530	1684

प्रतिशत वृद्धि - 1.54 प्रतिशत

[हिन्दी]

चिकित्सा सुविधाओं के लिए विश्व बैंक की सहायता

4378. श्री अखिलेश यादव: क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या विश्व बैंक ने उत्तर प्रदेश सरकार को चिकित्सा सुविधाओं में सुधार और नये अस्पतालों की स्थापना हेतु सहायता प्रदान की है;

(ख) यदि हां, तो इस संबंध में विश्व बैंक द्वारा अब तक कुल कितनी धनराशि प्रदान की गई है;

(ग) क्या उक्त सहायता से बनाए गए इन अस्पतालों में सिर्फ अमीर लोगों को ही चिकित्सा सुविधा प्रदान की जाती है जबकि सामान्य नागरिकों की अनदेखी होती है;

(घ) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं;

(ङ) क्या सरकार का विचार इस संबंध में कोई निर्देश जारी करने का है; और

(च) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (प्रो. रीता वर्मा): (क) और (ख) जी, हां। विश्व बैंक ने उत्तर प्रदेश स्वास्थ्य प्रणाली विकास परियोजना के लिए 110 मिलियन अमरीकी डालर (लगभग 495 करोड़ रुपये) की सहायता का अनुमोदन किया है। इस परियोजना का उद्देश्य एक सुव्यवस्थित स्वास्थ्य प्रणाली स्थापित करना है जो नीति संबंधी सुधारों, संस्थागत विकास और निवेश स्वास्थ्य सेवाओं के माध्यम से और अधिक कारगर सेवाएं प्रदान करे। इस परियोजना के अंतर्गत किसी नये अस्पताल का प्रस्ताव नहीं किया गया है और विद्यमान 35 पुरुष जिला अस्पतालों, 32 जिला महिला अस्पतालों, 35 सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्रों और 50 खंड प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों के नवीकरण और सुदृढ़ीकरण का कार्य शुरू किया जाएगा।

(ग) जी, नहीं। चूंकि विश्व बैंक के ऋण के अंतर्गत नये अस्पताल का निर्माण अथवा निर्माण किए जाने का कोई प्रस्ताव नहीं किया गया है, इसलिए केवल आर्थिक रूप से वैभव-प्राप्त वर्गों को ही उपचार प्रदान करने और आम आदमी की उपेक्षा करने का प्रश्न ही नहीं उठता। इसके विपरीत, गरीबी रेखा से नीचे रहने वाले व्यक्तियों को उपयोगकर्ता प्रभार देने से मुक्त करने के लिए स्पष्ट दिशानिर्देश जारी कर दिए गए हैं।

(घ) से (च) प्रश्न नहीं उठता।

[अनुवाद]

कोयले से प्रदूषण

4379. श्री सुल्तान सल्लाहुद्दीन ओवेसी: क्या पर्यावरण और वन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड कोयले के इस्तेमाल से होने वाली पर्यावरणीय समस्याओं को कम करने पर विचार कर रहा है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या उनके मंत्रालय द्वारा कोयले से उत्पन्न प्रदूषण को न्यूनतम करने हेतु कोई तंत्र विकसित किया गया है अथवा कोयला उद्योग को इस बारे में कोई सुझाव दिया गया है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और कोयला उद्योग को इस संबंध में क्या निदेश जारी किए गए हैं?

पर्यावरण और वन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री बाबू लाल मरांडी): (क) और (ख) जी, हां। कोयला खनन, प्रसंस्करण और कोयले के दहन से होने वाली पर्यावरणीय समस्याओं में भू-अवक्रमण, जल और वायु प्रदूषण भी शामिल है।

(ग) और (घ) सरकार द्वारा कोयले के प्रयोग से होने वाले प्रदूषण को कम करने के लिए निम्नलिखित उपाय किए गए हैं:

(1) पर्यावरण (सुरक्षा) अधिनियम, 1986 के तहत कोयला खनन परियोजनाओं के लिए पर्यावरणीय स्वीकृति को सांविधिक बनाया गया है।

(2) कोयला खनन और ताप विद्युत संयंत्रों के लिए पर्यावरणीय दिशा-निर्देश और मानक अधिसूचित किए गए हैं।

(3) "पिटहैड" से 1000 कि.मी. या इससे अधिक दूरी पर या अत्यधिक प्रदूषित क्षेत्रों में और पारिस्थितिकीय दृष्टि से संवेदनशील क्षेत्रों में स्थित विद्युत संयंत्रों द्वारा जून, 2001 से पर्यावरण के अनुकूल कोयले का प्रयोग, जिसमें राख की मात्रा 34 प्रतिशत से अधिक नहीं हो, किया जाना अपेक्षित है।

(4) ताप विद्युत संयंत्रों द्वारा भू स्तर पर वायु प्रदूषण के प्रभाव को कम करने के लिए एक विशिष्ट ऊंचाई वाली चिमनी लगाया जाना अपेक्षित है।

(5) अधिकतम संभावित सीमा तक उड़न राख का उपयोग करना।

बिना लाइसेंस के विकृति विज्ञान प्रयोगशालाएं

4380. **श्री रामजीवन सिंह:**
श्री राशिद अलवी:
श्री रामचन्द्र पासवान:

क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि देश में बिना लाइसेंस के विकृति विज्ञान की अनेक प्रयोगशालाएं न्यूनतम बुनियादी ढांचा, पर्याप्त और योग्य तकनीशियनों के बिना कार्य कर रही हैं;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार द्वारा विकृति विज्ञान प्रयोगशालाओं को पहचानने के लिए अध्ययन कराया गया है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(घ) सरकार द्वारा इस संबंध में क्या कदम उठाए गए हैं/उठाए जाने का विचार है?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (प्रो. रीता वर्मा): (क) से (घ) चूंकि स्वास्थ्य राज्य विषय है, अत: सूचना एकत्र की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जाएगी।

भारतीय चिकित्सा परिषद का चिकित्सा शिक्षा कार्यक्रम

4381. **श्री जी. जे. जावीया:** क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या भारतीय चिकित्सा परिषद देश में चिकित्सा शिक्षा कार्यक्रमों का आयोजन कर रही है;

(ख) यदि हां, तो 1999-2000 के दौरान ऐसे कितने कार्यक्रम आयोजित किए गए; और

(ग) ऐसे कार्यक्रमों के क्या परिणाम निकले?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (प्रो. रीता वर्मा): (क) जी, हां।

(ख) और (ग) 1999-2000 के दौरान देश में भारतीय आयुर्विज्ञान परिषद की सहायता से मेडिकल संस्थाओं/संघों द्वारा 66 सतत मेडिकल शिक्षा (सी एम ई) कार्यक्रम आयोजित किए गए। सतत मेडिकल शिक्षा कार्यक्रम की सूची विवरण के रूप में संलग्न है। ऐसे कार्यक्रमों में हुई उपस्थिति रोगी की परिचर्या हेतु डाक्टरों की मेडिकल शिक्षा को जारी रखने में सहायक रही है।

विवरण

भारतीय आयुर्विज्ञान परिषद

वर्ष 1999-2000 में आयोजित सतत मेडिकल कार्यक्रमों की सूची

क्र. सं.	विधा	मेजबान संस्थान	दिनांक
1	2	3	4
1.	फुप्फुसी एवं हृदय वाहिका रोग	जिपमेर, पांडिचेरी	अगस्त 6-8, 1999
2.	चिकित्सा	गवर्नमेंट मेडिकल कालेज, श्रीनगर	अगस्त 21-22 1999
3.	आपाती चिकित्सा	रीजनल इंस्टीट्यूट आफ मेडिकल साइसेंज, इम्फालं	अगस्त 21-22, 1999
4.	हृदय रोग विज्ञान	श्री रामचन्द्र मेडिकल कालेज, चेन्नै	सितम्बर, 2-4, 1999
5.	गति विकार	बंगौर इंस्टीट्यूट आफ नेरोलॉजी, आईपीएमईआर, कलकत्ता	सितम्बर 10, 1999
6.	पेल्विक अल्ट्रासाउंड	रीप्रोडेक्टिव मेडिसिन रिसर्च फाउंडेशन, कलकत्ता	सितम्बर, 10-11, 1999
7.	कुष्ठ रोग उन्मूलन एवं बहुविध दृष्टिकोण की मुख्य बातें	पी.जी.आई., चंडीगढ	सितम्बर 17, 19, 1999
8.	तंत्रिका संवेदनाहरण	जी.बी. पंत अस्पताल, नई दिल्ली	सितम्बर, 25-28, 1999
9.	वृक्क रोग विज्ञान	इंस्टीट्यूट आफ मेडिकल सांइसेज, वाराणसी	सितम्बर, 28-30, 1999
10.	बधिरता	जवाहर लाल नेहरू मेडिकल कालेज, ए एम यू, अलीगढ़	अक्तूबर 8-9, 1999
11.	अग्नाशय रोग, विवाद एवं चुनौती	पीजीआईएमईआर, चंडीगढ़	अक्तूबर, 8-10, 1999
12.	इन्टरवेन्शनल हृदय रोग विज्ञान	बम्बई हास्पिटल एंड लीलावती हास्पिटल, मुम्बई	अक्तूबर 13-16, 1999
13.	बालरोग शल्यक्रिया	इंस्टीट्यूट आफ पोस्टग्रेज्यूएट मेडिकल एजूकेशन एंड रिसर्च, कलकत्ता	अक्तूबर 28-31, 1999
14.	रुधिर विज्ञान	इंदिरा गांधी मेडिकल कालेज, नागपुर	अक्तूबर, 30-31, 1999
15.	बुढ़ापे की चुनौती और जराचिकित्सा की सीमा	इंस्टीट्यूट आफ मेडिकल सांइसेज, वाराणसी	अक्तूबर 30-31, 1999
16.	हृदय-वक्ष शल्यक्रिया	निजाम इंस्टीट्यूट आफ मेडिकल सांइसेज, हैदराबाद	नवम्बर 1-5, 1999
17.	हृदय संवेदनाहरण	आल इंडिया मेडिकल सांइस, नई दिल्ली	नवम्बर 12-14, 1999

1	2	3	4
18.	जराचिकित्सा और जराविद्या	गेरिएट्रिक सोसाएटी आफ इंडिया, दिल्ली	नवम्बर 12-14, 1999
19.	कोशिका प्रकरण	कस्तूरबा मेडिकल कालेज, मनिपाल	नवम्बर 13-14, 1999
20.	पेरिनाटोलोजी	जवाहर लाल नेहरू मेडिकल कालेज, बेलगाम	नवम्बर 13-14, 1999
21.	एलर्जी एवं प्रतिरक्षा विज्ञान	पी जी आई, चंडीगढ़	नवम्बर 13-14 1999
22.	लेप्रोस्कोपिक यूरोलॉजी शल्य क्रिया	आल इंडिया मेडिकल साइंस, नई दिल्ली	नवम्बर 13-15 1999
23.	नेत्र रोग विज्ञान	गांधी मेडिकल कालेज, भोपाल	नवम्बर, 16-17, 1999
24.	नैदानिक परजीवी विज्ञान	पी जी आई, चंडीगढ़	नवम्बर 18, 1999
25.	बाल रोग चिकित्सा विज्ञान	एम एस रमैप्या मेडिकल कालेज, बंगलौर	नवम्बर 18, 1999
26.	नेत्र रोग चिकित्सा विज्ञान	सी एच नगरी म्युनिसिपल आई हास्पिटल, अहमदाबाद	नवम्बर 19-20, 1999
27.	नाजुक परिचर्या चिकित्सा	दुर्गाबाई देशमुख हास्पिटल एण्ड रिसर्च सेंटर, हैदराबाद	नवम्बर 23-24, 1999
28.	इण्डोस्कोपी एवं लेप्रोस्कोपी शल्य क्रिया	इंडियन मेडिकल एसोसिएशन, कलकत्ता	नवम्बर 25-27, 1999
29.	रक्ताधान और प्रतिरक्षण रुधिर विज्ञान	एस जी पी जी आई, लखनऊ	नवम्बर 27-30, 1999
30.	रसायन चिकित्सा	के.जी. मेडिकल कालेज, लखनऊ	नवम्बर 28-29, 1999
31.	भेषज गुणविज्ञान	इंडियन फार्माकोलॉजी सोसायटी एंड ए आई आई एम एस, नई दिल्ली	दिसम्बर 1-4, 1999
32.	विकिरण चिकित्सा	कलकत्ता मेडिकल कालेज, कलकत्ता	दिसम्बर 2-5, 1999
33.	तंत्रिका विज्ञान	जीवाजी यूनिवर्सिटी, ग्वालियर	दिसम्बर 6-8, 1999
34.	विकलांग विज्ञान	एम जी एम मेडिकल कालेज, इंदौर	दिसम्बर, 11-12, 1999
35.	अर्बुद-विद्या	कैंसर इंस्टीट्यूट, मद्रास	दिसम्बर 12-15, 1999
36.	नेत्र-नाक-गला	मौलाना आजाद मेडिकल कालेज, नई दिल्ली	दिसम्बर 12-13, 1999
37.	बाल एपिलेप्सी एवं एपिलेपटिक सिन्ड्रोम	इंडियन इपिलेप्सी एसोशिएशन एंड इंडियन इपिलेप्सी सोसायटी, हैदराबाद	दिसम्बर 15-16, 1999
38.	मूत्र रोग विज्ञान	एस जी पी जी आई, लखनऊ	दिसम्बर, 16-18, 1999

1	2	3	4
39.	वाहिका प्रकरण	जी बी पंत हास्पिटल, नई दिल्ली	दिसम्बर 17-19, 1999
40.	चिकित्सा	एम ए एम सी ओल्ड स्टूडेन्टस एसोसिएशन, नई दिल्ली	दिसम्बर 20, 2000
41.	शरीर क्रिया विज्ञान एवं भेषज गुण विज्ञान	एम. जी. इंस्टीट्यूट आफ मेडिकल साइंसेज, वर्धा	दिसम्बर 21, 1999
42.	हृदय रोग विज्ञान	एच जे दोशी हास्पिटल, राजकोट	दिसम्बर 24-26, 1999
43.	क्रिटिकल मेडिसिन	इंडियन मेडिकल एसोसिएशन, पुणे	दिसम्बर 29, 1999
44.	नेत्र, नाक एवं गला और मस्तिष्क एवं गले का कैंसर	एसोसिएशन आफ आटो-लारीनगोलॉजिस्टस आफ इंडिया, कोचिन	जनवरी 10-11, 2000
45.	नेत्र रोग चिकित्सा विज्ञान	अरविन्द आई हास्पिटल, मदुरै	जनवरी 10-11, 2000
46.	वायु मार्ग प्रबंधन एवं वेन्टीलेटरी	निजाम इंस्टीट्यूट आफ मेडिकल साइंसेज, हैदराबाद	जनवरी 16, 2000
47.	जठरान्त्र रोग विज्ञान	श्री रामचन्द्र मेडिकल कालेज, चेन्नई	जनवरी 20-21, 2000
48.	आंतरिक चिकित्सा	एसोसिएशन आफ फिजिशिएन्स आफ इंडिया, जयपुर	जनवरी 21-25, 2000
49.	समुदाय नेत्र रोग चिकित्सा विज्ञान	उम्मानिया मेडिकल कालेज, हैदराबाद	फरवरी 9, 2000
50.	नई सहस्त्राब्दी में माइक्रोसिस चुनौती एवं कार्यनीतियां	मद्रास मेडिकल कालेज, चेन्नै	फरवरी 9-11, 2000
51.	शल्यक्रिया विकृति विज्ञान	निजाम इंस्टीटयूट आफ मेडिकल सांइसेज, हैदराबाद	फरवरी 10-12, 2000
52.	हृदय रोग विज्ञान	एम एल बी मेडिकल कालेज, झांसी	फरवरी 11-12, 2000
53.	नैदानिक तंत्रिका विज्ञान के मुद्दे एवं विवाद	जी बी पंत हास्पिटल, नई दिल्ली	फरवरी 12, 2000
54.	बाल रोग चिकित्सा विज्ञान	सेंट जॉन्स मेंडिकल कालेज, बंगलौर	फरवरी 12-13, 2000
55.	नैदानिक क्षमता का मूल्यांकन	जवाहरलाल नेहरू मेडिकल कालेज, बेलगाम	फरवरी 14-18, 2000
56.	नव प्रसव शल्यक्रिया	आल इंडिया इंस्टीट्यूट आफ मेडिकल सांइस, नई दिल्ली	फरवरी 18-20, 2000
57.	नई सहस्त्राब्दी में स्वास्थ्य परिचर्या	पटना मेडिकल कालेज, पटना	फरवरी 25, 2000

1	2	3	4
58.	बाल रोग गहन परिचर्या	पी जी आई, चंडीगढ़	फरवरी 25-27, 2000
59.	अन्त:स्रावी शल्य क्रिया विकृति विज्ञान	एस जी पी जी आई, लखनऊ	फरवरी 26-27, 2000
60.	जठर आन्त्र कैंसर शल्य क्रिया	एस वी इंस्टीट्यूट आफ मेडिकल साइंसेज, तिरुपति	मार्च 26-27, 2000
61.	विकिरण निदान	गवर्नमेंट मेडिकल कालेज, नागपुर	मार्च 4-5, 2000
62.	स्तन कैंसर	बंगलौर इंस्टीट्यूट आफ ऑनकोलॉजी, बंगलौर	मार्च 8-10, 2000
63.	एच आई वी/एड्स	श्री परमुखस्वामी मेड़िकल कालेज, करमसाद	मार्च 13-14, 2000
64.	कोलोरेक्टल कैंसर	कस्तूरबा मेडिकल कालेज, मनीपाल	मार्च 19, 2000
65.	हिपाटोलोजी	इंस्टीट्यूट आफ मेडिकल साइंसेज, वाराणसी	मार्च 24-26, 2000
66.	राइनोप्लास्टी	मौलाना आजाद मेडिकल कालेज, नई दिल्ली	मार्च 31 से अप्रैल 2, 2000

जोजिला दर्रे में सुरंग का निर्माण

4382. श्री अली मोहम्मद नायक: क्या जल-भूतल परिवहन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या जम्मू और कश्मीर का लद्दाख क्षेत्र भारी हिमपात के फलस्वरूप ज़ोजिला दर्रे के लगातार छह महीने तक बन्द रहने के कारण बाकी दुनिया से बिल्कुल अलग-थलग पड़ जाता है;

(ख) क्या सरकार का जोजिला दर्रे पर सुरंग के निर्माण का कोई प्रस्ताव है; और

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

जल-भूतल परिवहन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री हुक्मदेव नारायण यादव): (क) जी हां।

(ख) जी नहीं।

(ग) प्रश्न नहीं उठता।

गुलबर्गा में टेलीफोन कनेक्शन की प्रतीक्षा सूची

4383. श्री इकबाल अहमद सरडगी: क्या संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या कर्नाटक के गुलबर्गा टेलीफोन एक्सचेंजों तथा विशेषकर ग्रामीण क्षेत्रों में बड़ी संख्या में आवेदक नए टेलीफोन कनेक्शन जारी किए जाने हेतु प्रतीक्षारत हैं;

(ख) यदि हां, तो एक्सचेंज-वार तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) पिछले तीन वर्षों के दौरान आज तक जिले के शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों में कितने टेलीफोन कनेक्शन दिए गए हैं;

(घ) लम्बी प्रतीक्षा अवधि के बाद भी नए कनेक्शन जारी न किए जाने के क्या कारण हैं; और

(ङ) प्रतीक्षा सूची को निपटाने के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं?

संचार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सयन सिक्दर): (क) जी, हाँ। गुलबर्गा जिले में, (31.7.2000 की स्थिति के अनुसार) 12292 आवेदक टेलीफोन कनैक्शनों के लिए प्रतीक्षा-रत हैं। इनमें से 5881 आवेदक ग्रामीण क्षेत्रों में तथा 6411 आवेदक शहरी क्षेत्रों में टेलीफोन कनैक्शनों के लिए प्रतीक्षारत हैं।

(ख) एक्सचेंज-चार ब्यौरे संलग्न विवरण में दिए गए हैं।

(ग) पिछले तीन वर्षों के दौरान तथा आज की तारीख तक उक्त जिले के ग्रामीण तथा शहरी क्षेत्रों में प्रदत्त टेलीफोन कनैक्शनों की संख्या निम्नानुसार है:-

वर्ष	शहरी	ग्रामीण
1997-98	3780	2968
1998-99	3196	2607
1999-2000	7592	2141
1.4.2000 से 31.7.2000	1302	539

(घ) उक्त 12292 की प्रतीक्षा-सूची में से 1424 आवेदकों को काफी लम्बे समय से टेलीफोन कनेक्शन प्रदान नहीं किए जा सके क्योंकि इसके लिए बहुत अधिक उपस्कर तथा केबल की आवश्यकता थी।

(ङ) वर्ष 2000-01 के दौरान 10 नए एक्सचेंज खोल कर 629 आवेदकों को टेलीफोन कनैक्शन दिए जाने प्रस्तावित हैं। वर्ष 2000-01 के दौरान वायरलैस इन लोकल लूप उपस्कर स्थापित करके 795 आवेदकों को उत्तरोत्तर रूप से टेलीफोन कनैक्शन प्रदान किए जाने प्रस्तावित हैं। एक वर्ष से कम अवधि से 10868 प्रतीक्षारत आवेदकों को विद्यमान एक्सचेंजों का विस्तार करके टेलीफोन कनेक्शन दिए जाने प्रस्तावित हैं।

विवरण

31.7.2000 तक की स्थिति के अनुसार गुलबर्गा एसएसए में एक्सचेंज-वार प्रतीक्षा सूची

क्रम सं.	एक्सचेंज का नाम	क्षेत्र	प्रतीक्षा सूची
1	2	3	4
1.	अब्बेतमकर	ग्रामीण	0
2.	आदित्यनगर	शहरी	103
3.	आदकी	ग्राणीण	17
4.	अफजलपुर	"	262
5.	ऐनोली	"	119
6.	आलाहली	"	19
7.	आलंद	शहरी	26
8.	अम्बालगा	ग्रामीण	24
9.	अन्दोला	ग्रामीण	35
10.	अत्तनूर	,,	88
11.	औराद (बी)	,,	76
12.	बी. गुड़ी	शहरी	106
13.	बदादल	ग्रामीण	53
14.	बगोदी	,,	1
15.	बालीचक्रा	,,	33
16.	बल्लूर्गी	,,	0
17.	बेदरवाड़	,,	15
18.	भीमपल्ली	,,	11
19.	मसनूर	,,	103
20.	चमनाल	,,	2
21.	चंदनकेरा	,,	54
22.	चिम्पवचोड़	,,	56
23.	चिंचोली	शहरी	104
24.	चीतापुर	,,	4
25.	चौड़ापुर	ग्रामीण	27
26.	दंडोटी	,,	39
27.	देवापुर	,,	0
28.	दुरुन्नाहल्ली	,,	0
29.	फराटाबाद	,,	93
30.	फिरोजाबाद	,,	0
31.	गढीकेश्वर	ग्रामीण	65
32.	गंगापुर-टी	,,	86
33.	गंगापुर-आरएस	,,	67
34.	गनवार (सी. क्रास)	,,	22
35.	जीजीएमेन (ई10बी+ओसीबी)	शहरी	1222
36.	जीजीएआरएसयू बी. स्टैंड	,,	1050
	जीजीएआरएसयूबी स्टैंड	,,	0

1	2	3	4
37.	जीजीएआरएलयू गंग	शहरी	715
38.	जीजीएआरएलयूटी चाक	,,	340
39.	जीजीएआरएसयूएस रोड	,,	504
	जीजीएआरएसयूटी चौक	,,	0
40.	गब्बूर (बी)	ग्रामीण	78
41.	गोगी	,,	83
42.	गंजानुर	,,	14
43.	गुरमीतकल	शहरी	32
44.	हल्लीसलगार	,,	25
45.	हरसूर	ग्रामीण	24
46.	हखाल	,,	16
47.	हाट्टीगुड्डूर	,,	2
48.	हट्टीकुनी	,,	0
49.	हावानूर	,,	2
50.	हरयाल	,,	3
51.	हेब्बल	,,	51
52.	हेब्बल बी	,,	24
53.	हिप्पर्गा बी	,,	0
54.	हारेनंदूर	,,	15
55.	हिरौली	,,	0
56.	होनागुंटा	,,	25
57.	हुनासगी	शहरी	148
58.	आईजरी	ग्रामीण	20
59.	जीवांगी	,,	37
60.	जेवारगी	,,	03
61.	जेवारगी (बी)	,,	6
62.	कादागंची	,,	70
63.	कक्केरा	,,	4

1	2	3	4
64.	कालाहंगर्गा	ग्रामीण	56
65.	कलगी	,,	35
66.	कल्लुदं	,,	30
67.	कमलापुर	,,	259
68.	काराजगी एण्ड मशाल	,,	49
69.	केम्भावी	,,	122
70.	खजूरी	,,	43
71.	खंडाल	,,	14
72.	खानापुर	,,	71
73.	किरंगी	,,	16
74.	कोडेक्कल	,,	61
75.	कोडला	,,	19
76.	कोदली	,,	52
77.	कल्लूर	,,	17
78.	कंचूर	,,	18
79.	कोकंल	,,	0
80.	कृष्णापुर	शहरी	0
81.	कुकुंदा	ग्रामीण	17
82.	कुरकुंदा	,,	0
83.	कुरकुंटा	शहरी	505
84.	एम. हिप्पर्गा	ग्रामीण	48
85.	मड्डाकीं	,,	9
86.	मडियाल	,,	5
87.	महागांव	,,	64
88.	मतगट्टी	,,	11
89.	मलखेड़	,,	38
90.	मांडेवाल	,,	0
91.	मन्नूर	,,	55

1	2	3	4
92.	मरगुट्टी	ग्रामीण	39
93.	मर्टूर	,,	1
94.	मरियान	,,	37
95.	मडबूल	,,	0
96.	मधोल	,,	42
97.	मडनूर	,,	12
98.	मुगलनागांव	,,	12
99.	नगनूर	,,	45
100.	नलवार	,,	13
101.	नारायणपुर	शहरी	23
102.	नरीबोली	ग्रामीण	10
103.	नरोना	,,	40
104.	नरोना	,,	0
105.	नलोगी	,,	17
106.	नीम्बल	,,	8
107.	नीमबर्गा	,,	119
108.	पेचसीरूर	,,	16
109.	राजनकल्लूर	,,	77
110.	रामासमुद्र	,,	1
111.	रेजोला	,,	1
112.	रटकाल	,,	4
113.	रेवूर (बी)	,,	37
114.	रुद्रवाड़ी	,,	112
115.	एस. सर्दबी	,,	40
116.	सागर	,,	33
117.	सैदापुर	,,	61
118.	सरस्वम्बा	,,	15
119.	सबालगी	,,	60
120.	सेदाय	शहरी	271
121.	शाहाबाद	,,	490
122.	शाहापुर	,,	112
123.	शिरवाल	ग्रामीण	10
124.	गोरापुर	शहरी	216
125.	सोठ	ग्रामीण	73
126.	सुलेपीड	,,	56
127.	टडकाल	,,	106
128.	ताजसूल तालपुर	,,	39
129.	तेगंली	,,	20
130.	उड़चन	,,	32
131.	वी. के. सालगर	,,	17
132.	बडगेरा	,,	0
133.	वादी	शहरी	182
134.	वनदुर्गा	ग्रामीण	27
135.	यादागिरि	शहरी	592
136.	यादरामी	ग्रामीण	104
137.	यालगी	,,	10
138.	येलहेरी	,,	0
139.	येरगोल	,,	5
	कुल		10868
	मौजूदा एक्सचेंजों के माध्यम से निपटाई जाने वाली लम्बित मांग		10868
	नए एक्सचेंजों के माध्यम से निपटाई जाने वाली लम्बित मांग		629
	वायरलेस इन लोकल लूप उपस्करों के माध्यम से निपटाई जाने वाली लम्बित मांगें		795
	कुल		12292

परिवार नियोजन कार्यक्रम

4384. श्री जोरा सिंह मान:
श्री रामजी लाल सुमन:

क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या देश में परिवार नियोजन कार्यक्रम इस संबंध में निर्धारित लक्ष्य के अनुसार सफलता पाने में असफल रहा है;

(ख) यदि हां, तो इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है;

(ग) क्या सरकार का विचार इस योजना पर पुनर्विचार करने का है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (प्रो. रीता वर्मा): (क) और (ख) नमूना पंजीयन पद्धति के परिणाम से प्रकट होता है कि देश में 1951 की जन्म दर 40.8 से कम होकर 1998 में 26.5, कुल प्रजनन दर जो 1951 में 6.0 थी, 1997 में कम होकर 3.3 और वर्ष 1998 के दौरान जनसंख्या की सहज वृद्धि दर 1.75 प्रतिशत तक कम हो गई है। जन्म दर में यह कमी देश में सुधरी हुई स्वास्थ्य सेवाओं के कारण स्वतंत्रता से मृत्यु दर के अधिक तेजी से कम होने तथा जन्म के समय जीवन-प्रत्याशा दर लगभग दुगुनी होने के बावजूद देखी गई है।

(ग) से (ङ) सरकार ने फरवरी, 2000 में एक राष्ट्रीय जनसंख्या नीति अपनाई है जिसमें देश में जनसंख्या स्थिरीकरण प्राप्त करने के लिए समग्रतावादी दृष्टिकोण की व्यवस्था है।

यह नीति प्रजनन, स्वास्थ्य परिचर्या सेवाओं का लाभ उठाने में नागरिकों की स्वैच्छिक और समझपूर्ण पसन्द/सहमति के प्रति और परिवार नियोजन सेवाएं प्रदान करने में लक्ष्यमुक्त नीति को जारी रखने के प्रति सरकार की वचनबद्धता की पुष्टि करती है।

[हिन्दी]

पत्तन न्यासों में राजस्व का दुरुपयोग

4385. श्री अशोक कुमार सिंह चन्देल:
श्री ब्रह्मानन्द मंडल:
श्री दिलीप कुमार मनसुखलाल गांधी:
कुमारी भावना पुंडलिकराव गवली:

क्या जल-भूतल परिवहन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक ने मार्च, 1999 की अपनी रिपोर्ट में लगभग सभी पत्तन न्यासों में व्यापक स्तर पर फैले भ्रष्टाचार के कारण होने वाले सरकारी राजस्व के दुरूपयोग की शिकायत की थी;

(ख) यदि हां, तो इन सभी पत्तन न्यासों द्वारा अभी तक कुल कितना घाटा उठाया गया; और

(ग) ऐसे भ्रष्टाचार को रोकने के लिए चालू वित्त वर्ष के दौरान किए जाने वाले उपायों का ब्यौरा क्या है?

जल-भूतल परिवहन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री हुकमदेव नारायण यादव): (क) जी, नहीं।

(ख) और (ग) प्रश्न नहीं उठता।

[अनुवाद]

पैरासिटामॉल-निमसुलाइड का सम्मिश्रण

4386. श्री ए. कृष्णास्वामी: क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या औषधि नियंत्रक ने पैरासिटामॉल-निमसुलाइड के सम्मिश्रण की अनुमति नहीं दी है;

(ख) यदि हां, तो उन विनिर्माताओं के विरुद्ध कोई कार्यवाही न करने के क्या कारण हैं, जो बिना अनुमति के उक्त सम्मिश्रण के विनिर्माण में लिप्त हैं;

(ग) क्या राज्य औषधि नियंत्रकों को ऐसी औषधि सम्मिश्रणों की अनुमति देने की शक्ति प्राप्त है; और

(घ) यदि हां, तो सरकार द्वारा राज्य औषधि नियंत्रकों के विरुद्ध क्या कार्यवाही करने का विचार है?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (प्रो. रीता वर्मा): (क) से (घ) पैरासिटामॉल-निमसुलाइड का मिश्रण बनाने की अनुमति औषधि लाइसेंसिंग प्राधिकारी, महाराष्ट्र द्वारा दी गई थी न कि भारत के औषध महानियंत्रक द्वारा। तथापि, औषध महानियंत्रक (भारत) के निर्देशों के आधार पर महाराष्ट्र राज्य लाइसेंसिंग प्राधिकारी ने उनके ही द्वारा दी गई अनुमति को वापिस ले लिया था। विनिर्माताओं ने महाराष्ट्र सरकार से अपील की और महाराष्ट्र के अपीलीय प्राधिकारी द्वारा स्थगन आदेश दिया गया। यह मुद्दा औषध तकनीकी सलाहकार बोर्ड के ध्यान में लाया गया जिसने एक विशेषज्ञ समिति द्वारा निर्धारित खुराक सम्मिश्रण की

समीक्षा करवाने की सलाह दी, जो प्रगति पर है। औषध तकनीकी सलाहकार बोर्ड की अनुशंसाओं पर अमल करते हुए भारत सरकार ने औषध एवं प्रसाधन सामग्री अधिनियम, 1940 की धारा 33(पी) के अंतर्गत सभी राज्य सरकारों को निर्देश जारी किये हैं कि वे अपने औषध लाइसेंसिंग प्राधिकारियों को औषध महानियंत्रक (भारत) के पूर्व अनुमोदन के बिना निर्माता को नए सम्मिश्रण बनाने हेतु लाइसेंस प्रदान नहीं करने का अनुदेश दें।

असम सरकार को निदेश

4387. श्री सानजुमा खुंगुर बैसीमुखिआरी: क्या पर्यावरण और वन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या असम सरकार ने-

(एक) उत्तर ब्रह्मपुत्र घाटी के सभी वन संभागों विशेषकर "बोडोलैंड" क्षेत्र में वनोन्मूलित क्षेत्रों में पुन: वनरोपण करने,

(दो) गैर-कानूनी तरीकों से पेड़ों को काटने, वन भूमि पर अतिक्रमण करने और दुर्लभ जंगली जानवरों जैसे गैंडा, चीते और हाथी के अनधिकार शिकार करने,

(तीन) वनों की सुरक्षा, संरक्षण और प्रबंधन हेतु,

(चार) मानस राष्ट्रीय अभयारण्य, काजीरंगा वन प्राणी उद्यान, राजीव गांधी-ओरांग वन प्राणी उद्यान की सुरक्षा हेतु सीमा सुरक्षा बल तथा अन्य अर्द्ध सैनिक बल की तैनाती करने,

(पांच) राज्य और स्थानीय दोनों स्तरों पर आदिवासी लोगों को शामिल करके संयुक्त वन प्रबंधन समितियों का गठन करने,

(छ:) उत्तरी ब्रह्मपुत्र घाटी में पुन: वनरोपण हेतु निर्धारित धनराशि का वन संभागों में समान उपयोग करने के संबंध में उनके मंत्रालय द्वारा जारी दिशानिर्देशों और निदेशों को क्रियान्वित कर दिया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं; और

(घ) सरकार का संबंधित मामलों में संबंधित मंत्रालय के दिशानिर्देशों/निदेशों के पालन हेतु असम सरकार पर दबाव डालने के लिए क्या सुधारात्मक उपाय किए जाने का विचार है?

पर्यावरण और वन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री बाबू लाल मरांडी): (क) से (घ) वनों के प्रबंध, संरक्षण और विकास तथा राष्ट्रीय उद्यानों, अभयारण्यों, अवैध शिकार, वृक्षों की अवैध कटाई, संयुक्त वन प्रबंध और अन्य संबंधित मामलों के लिए दिशानिर्देश समय-समय पर असम सहित संबंधित राज्य सरकारों को जारी किए गए हैं। राज्य सरकारों द्वारा तुरन्त अनुवर्ती कार्रवाई करना, दिशा निर्देशों का अनुपालन और मॉनीटरनिंग करना सुनिश्चित करने के लिए विभिन्न स्तरों पर समीक्षा बैठकें आयोजित की जाती हैं, और समय-समय पर अन्य प्रशासनिक कदम उठाए जाते हैं।

खाद्य सामग्री की निगरानी करने के लिए पैनल

4388. श्री ई. एम. सुदर्शन नाच्चीयप्पन: क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार का ध्यान दिनांक 10 जुलाई, 2000 के "द टाइम्स ऑफ इंडिया" में "गवर्नमेंट फेल्स टू सेट अप पेनल टू मॉनीटर फूडस्टफ" शीर्षक से प्रकाशित समाचार की ओर से आकर्षित किया गया है;

(ख) क्या सरकार को वर्ष 1998 में मिलावटी सरसों के तेल के कारण ड्रॉप्सी नामक बीमारी से छियासठ लोगों की मृत्यु हो जाने की जानकारी है;

(ग) यदि हां, तो इस उद्देश्य के लिए आयोग गठित नहीं करने के क्या कारण हैं; और

(घ) सरकार द्वारा इस संबंध में क्या कार्रवाई की गयी/करने का प्रस्ताव है?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (प्रो. रीता वर्मा): (क) जी, हां।

(ख) जी, हां।

(ग) और (घ) राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली की सरकार ने सूचित किया है कि उन्होंने ड्रॉप्सी त्रासदी के बाद ड्रॉप्सी मामलों की पड़ताल के लिए अगस्त/सितम्बर, 1998 में एक आयोग गठित करने का विचार किया था। तथापि, केन्द्रीय जांच ब्यूरो ने नजफगढ़ थाना, नई दिल्ली में प्राथमिक सूचना रिपोर्ट सं. 496/98 दिनांक 25.8.1998, ड्रॉप्सी मौत से जुड़े एक मामले की जांच की थी और आरोपी व्यक्तियों के विरुद्ध भा. द. सं. की विभिन्न धाराओं के अंतर्गत मुख्य मेट्रोपोलिटन मजिस्ट्रेट, दिल्ली की अदालत में दिनांक 23.11.1998 को आरोप-पत्र दाखिल किया था। उपर्युक्त के अलावा दिल्ली पुलिस द्वारा विभिन्न थानों में 385 प्राथमिक सूचना रिपोर्ट दर्ज की गई थी। राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली की सरकार का इस चरण में कोई आयोग नियुक्त करने का विचार नहीं है।

राष्ट्रीय राजमार्गों का रख-रखाव/विकास

4389. श्री विनय कुमार सोराकेः क्या जल-भूतल परिवहन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) वर्ष 1999-2000 के दौरान राष्ट्रीय राजमार्ग के रखरखाव और विकास हेतु कितनी राशि वितरित की गई;

(ख) उक्त वितरण में कर्नाटक का हिस्सा कितना है और क्या हिस्से की पूरी राशि का उपयोग कर लिया गया है;

(ग) क्या कर्नाटक के तटीय राजमार्ग पर सड़क के किनारे यात्री परक सुविधाओं के विकास हेतु उद्यमियों को कोई आशय पत्र जारी किए गए थे; और

(घ) यदि हां, तो वे स्थान कौन से हैं जहां ये सुविधाएं दी जा रही हैं?

जल-भूतल परिवहन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री हुक्मदेव नारायण यादव): (क) और (ख) एक विवरण संलग्न है।

ऐसी संभावना है कि कर्नाटक सहित सभी राज्य राष्ट्रीय राजमार्गों के अनुरक्षण एवं विकास के तहत आवंटित की गई पूरी राशि का उपयोग कर लेंगे।

(ग) और (घ) कर्नाटक के तटीय राजमार्गों पर यात्रीपरक मार्गस्थ सुविधाओं के लिए कोई आशय-पत्र जारी नहीं किया गया है।

विवरण

(लाख रु.)

क्रम सं.	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र का नाम	एन एच (ओ)	एम एंड आर	एस आर पी	ई ए पी
1	2	3	4	5	6
1.	आंध्र प्रदेश	5045.00	3440.26	3457.00	50.00
2.	अरुणाचल प्रदेश	0.00	0.00	0.00	0.00
3.	असम	4186.83	3420.00	2000.00	0.00
4.	बिहार	6000.00	5807.64	6100.00	0.00
5.	चंडीगढ़	100.00	91.50	50.00	0.00
6.	दिल्ली	700.00	139.84	0.00	0.00
7.	गोवा	1700.02	826.69	600.00	0.00
8.	गुजरात	7307.17	2318.17	1502.00	0.00
9.	हरियाणा	4200.00	1611.70	400.00	5800.00
10.	हिमाचल प्रदेश	4000.00	2326.24	400.00	0.00
11.	जम्मू एवं कश्मीर	100.00	302.36	0.00	0.00
12.	कर्नाटक	4600.08	3921.04	4524.00	1224.00
13.	केरल	10468.12	4059.00	1250.00	2100.00
14.	मध्य प्रदेश	3226.75	5573.14	1000.00	8810.00

v	w	x	y	z	{
15.	महाराष्ट्र	10354.31	4654.63	3994.00	7000.00
16.	मणिपुर	1010.75	876.08	0.00	0.00
17.	मेघालय	1730.28	905.89	400.00	0.00
18.	मिजोरम	300.00	380.00	400.00	0.00
19.	नागालैंड	800.00	501.63	423.00	0.00
20.	उड़ीसा	3850.00	3622.24	2016.00	5200.00
21.	पांडिचेरी	319.46	105.00	164.00	0.00
22.	पंजाब	1819.56	1235.80	400.00	3300.00
23.	राजस्थान	4550.30	3320.00	4500.00	200.00
24.	सिक्किम	0.00	0.00	0.00	0.00
25.	तमिलनाडु	6500.00	5479.66	8000.00	0.00
26.	त्रिपुरा	50.00	24.00	0.00	0.00
27.	उत्तर प्रदेश	9155.35	6105.49	4074.00	2865.00
28.	पश्चिम बंगाल	5138.02	3700.00	2560.00	3680.00
29.	अंडमान निकोबार, लक्षद्वीप	0.00	0.00	0.00	0.00
30.	दादर व नगर हवेली	0.00	0.00	0.00	0.00
31.	दमन दीव	0.00	0.00	0.00	0.00
32.	एनआईटीएचई	0.00	0.00	0.00	0.000
33.	मंत्रालय	20.00	0.00	0.00	561.00
34.	बी आर डी बी	11230.00	0.00	93.72	0.00
35.	एन एच ए आई	0.00	4000.00	0.00	49160.00
36.	अन्य संस्थान	0.00	10.00	0.00	0.00
		108462.00	68758.00	48307.72	89950.00

[हिन्दी]

दाहोद में नई टेलीफोन कनेक्शन योजना

4390. श्री भाबूभाई के. कटारा: क्या संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) गुजरात के दाहोद जिले में नई टेलीफोन कनेक्शन योजना के अन्तर्गत विभिन्न ताल्लुकों, शहरों और गांवों में कितने टेलीफोन कनेक्शन दिए गए;

(ख) उक्त योजना के अन्तर्गत टेलीफोन कनेक्शन पाने हेतु प्रतीक्षा सूची में कितने व्यक्ति हैं; और

(ग) उक्त कनेक्शनों को कब तक लगा दिए जाने की संभावना है?

संचार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री तपन सिकदर): (क) गुजरात के विभिन्न तालुकों, शहरों और दाहोद जिले के गांवों में 23.3.2000 से 31.3.2000 की अवधि के दौरान शुरू की गई कम रजिस्ट्रेशन प्रभार स्कीम के तहत 151 नए टेलीफोन कनेक्शन प्रदान किए गए हैं।

(ख) उक्त स्कीम के तहत टेलीफोन कनेक्शनों के प्रावधान के लिए प्रतीक्षा सूची में दर्ज व्यक्तियों की संख्या 521 है।

(ग) 31.3.2000 की स्थिति के अनुसार प्रतीक्षा सूची में दर्ज व्यक्तियों को 31.3.2001 तक टेलीफोन कनेक्शन प्रदान करने के प्रयास किए जा रहे हैं।

[अनुवाद]

भारत और दुबई के बीच हवाई सेवाएं

4391. श्री नागमणि: क्या नागर विमानन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या भारत और दुबई के बीच 26 मई, 2000 में दोनों देशों के बीच विमान सेवा के परिचालन के संबंध में समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए गए थे;

(ख) यदि हां, तो किए गये समझौते का ब्यौरा क्या है तथा इससे मिलने वाले लाभों का ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार द्वारा पूर्व में भारत और दुबई के बीच इस प्रकार के समझौतों के प्रस्तावों को अस्वीकार कर दिया गया था;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा उक्त प्रस्तावों को कितनी बार अस्वीकार किया गया था तथा इसके क्या कारण थे; और

(ङ) इस बात के मद्देनजर कि सरकार द्वारा पूर्व में इस प्रकार के समझौता प्रस्तावों को अस्वीकार कर दिए जाने के बाद भी 26 मई, 2000 को समझौता करने का क्या औचित्य है?

नागर विमानन मंत्री (श्री शरद यादव): (क) और (ख) दिनांक 26.5.200 को भारत सरकार और यू.ए.ई. सरकार के बीच एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए गए थे जिसमें भारत और दुबई के बीच सितम्बर, 2002 तक चरणबद्ध तरीके से दोनों तरफों की विमान कंपनियों के लिए प्रत्येक दिशा में मौजूदा एयर सीट क्षमता 5400 सीटों/सप्ताह को प्रत्येक दिशा में 7400 सीटों/सप्ताह तक वृद्धि करने की व्यवस्था है। करार में यह भी व्यवस्था है कि यू.ए.ई. की नामित विमान कंपनी सितम्बर, 2000 से चेन्नई और कोचीन अथवा त्रिवेन्द्रम को सेवाएं प्रचालित करेंगी जैसा कि भारत सरकार द्वारा निर्णय लिया जा सकता है जो सितम्बर, 2002 से प्रभावी भारत की नामित विमान कंपनी के साथ वाणिज्यिक प्रबंध के अन्तर्गत होगा। भारत की नामित विमान कंपनी को दुबई से पूरे यूरोप में यू.के. और यू.एस.ए. के स्टेशनों से यातायात अधिकारों के प्रयोग करने का भी अधिकार है। यातायात अधिकारों में वृद्धि से भारत और दुबई के बीच बेहतर यात्रा सुविधा की व्यवस्था होगी और इन दोनों पक्षों की विमान कंपनियों को बेहतर वाणिज्यिक सुविधाएं प्राप्त होंगी।

(ग) और (घ) जनवरी, 2000 में हुई द्विपक्षीय वार्ताओं के पहले दौर में किसी करार पर अन्तिम निर्णय नहीं लिया गया क्योंकि यू.ए.ई. के शिष्टमंडल में विमान सीट क्षमता में 5400 सीटों/सप्ताह से 7900 सीटों/सप्ताह तक की तत्काल वृद्धि पर जोर दिया था।

(ङ) उपर्युक्त (ग) को देखते हुए प्रश्न नहीं उठता।

सी.जी.एच.एस. के औषधालयों द्वारा औषधियों की खरीद

4392. डा. विजय कुमार मल्होत्रा: क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) गत तीन वर्षों के दौरान प्रतिवर्ष दिल्ली में विभिन्न सी.जी.एच.एस. औषधालयों द्वारा औषधालय-वार एलोपैथिक, होम्योपैथी और आयुर्वेद की औषधियों की खरीद पर कुल कितना खर्च आया;

(ख) सी.जी.एच.एस. के लाभार्थियों को अच्छी गुणवत्ता की औषधियां मिल सकें यह सुनिश्चित करने हेतु एलोपैथिक और आयुर्वेदिक की औषधियों की आश्यक गुणवत्ता और विशिष्टीकरण को बनाए रखने हेतु सरकार द्वारा स्थापित परंपरा का ब्यौरा क्या है;

(ग) ऊपरलिखित तीनों चिकित्सा पद्धतियों में पकड़ी गई मिलावटी और घटिया स्तर की औषधियों के नामों, मात्रा और गुणवत्ता का ब्यौरा क्या है; और

(घ) इन घटिया औषधियों के लिए जिम्मेदार पाए गए अधिकारियों के विरुद्ध क्या कदम उठाए गए हैं या उठाने का विचार है?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (प्रो. रीता वर्मा): (क) से (घ) सूचना एकत्र की जा रही रही है और सभा पटल पर रख दी जाएगी।

ग्रामीण सार्वजनिक टेलीफोन

4393. डा. एन. वेंकटस्वामी: क्या संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या दूरसंचार विभाग ने लाइसेंस प्रदत्त उन निजी टेलीफोन कंपनियों को जिन्होंने लाइसेंस की अवधि में गांवों में सार्वजनिक टेलीफोन लगाने के लक्ष्य को पूरा नहीं किया है (डिमांड नोटिस) जारी किए हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी कंपनीवार ब्यौरा क्या है; और

(ग) दूरसंचार विभाग द्वारा निजी टेलीफोन कंपनियों से कितनी परिसमापन क्षति की राशि मांगी गई है?

संचार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री तपन सिकदर): (क) से (ग) निजी बुनियादी टेलीफोन सेवा लाइसेंधारकों से कहा गया है कि लाइसेंस की तीन वर्ष की उक्त अवधि के भीतर पहले तीन वर्षों के लिए अपनी वचनबद्धता के अनुसार ग्रामीण सार्वजनिक टेलीफोन उपलब्ध कराएं। मांग की गई परिसमापन क्षति का कंपनी-वार ब्यौरा संलग्न विवरण में दिया गया है।

विवरण

बुनियादी टेलीफोन सेवा लाइसेंसधारकों से मांगी गई परिसमापन क्षति का ब्यौरा

लाइसेंसधारक कंपनी का नाम	लाइसेंसशुदा सेवा क्षेत्र	मांगी गई कुल परिसमापन क्षति (रुपये करोड़ में)
भारत टेलीनेट लि.	मध्य प्रदेश	4.00
टाटा टेलीसर्विसेज लि.	आंध्र प्रदेश	13.00
ह्यूजेस टेलीकॉम (इंडिया) लि. (पूर्ववर्ती ह्यूजेस इस्पात लि.)	महाराष्ट्र	7.75
रिलायंस टेलीकॉम प्रा. लि.	गुजरात	13.00
श्याम टेलीलिंक लि.	राजस्थान	7.30
ईसीएल टेलीकम्युनिकेशन लि. (पूर्ववर्ती एस्सार कॉमविजन लि.)	पंजाब	8.00
	जोड़	53.05

[हिन्दी]

बिहार में खराब पड़े टेलीफोन एक्सचेंज

4394. श्री राजो सिंह: क्या संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) पिछले तीन वर्षों के दौरान बिहार के ग्रामीण क्षेत्रों में कितने टेलीफोन एक्सचेंज स्थापित किए गए तथा इनमें से जिले-वार कितने टेलीफोन एक्सचेंज खराब पड़े हैं; और

(ख) सरकार द्वारा इन्हें फिर से चालू करने हेतु क्या कदम उठाए गए हैं?

संचार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री तपन सिकदर): (क) पिछले तीन वर्षों के दौरान बिहार के ग्रामीण क्षेत्रों में स्थापित किए गए टेलीफोन एक्सचेंजों का जिला-वार ब्यौरा संलग्न विवरण में दिया गया है। पिछले तीन वर्षों के दौरान किसी भी एक्सचेंज के खराब पड़े रहने की सूचना नहीं मिली।

(ख) उपरोक्त भाग (क) के उत्तर को देखते हुए प्रश्न नहीं उठता।

विवरण

वर्ष 1997-98, 1998-99 तथा 1999-2000 के दौरान बिहार के ग्रामीण क्षेत्रों में स्थापित किए गए टेलीफोन एक्सचेंजों की जिला-वार संख्या

क्र.सं.	जिला का नाम	स्थापित एक्सचेंजों की संख्या		
		1997-98	1998-99	1999-2000
1	2	3	4	5
1.	भोजपुर	1	2	3
2.	बक्सर	–	1	–
3.	भागलपुर	1	1	2
4.	बंका	1	2	2
5.	सरन	1	2	3
6.	गोपाल गंज	–	–	1
7.	सिवान	–	1	1
8.	पालमू	1	–	4
9.	गढ़वा	–	–	1
10.	दरभंगा	2	–	3
11.	मधुबनी	2	1	–
12.	समस्तीपुर	–	–	2
13.	धनबाद	1	–	2
14.	बोकारो	–	–	2
15.	पाकुर	–	1	–
16.	साहेबगंज	–	–	1
17.	गोड्डा	–	–	1
18.	दुमका	–	1	2
19.	देवघर	1	–	1
20.	गया	2	–	1
21.	औरंगाबाद	–	–	–
22.	जहानाबाद	1	–	2
23.	नवादा	1	1	2
24.	वैशाली	–	1	1
25.	हजारीबाग	–	1	4
26.	गिरीदीह	–	–	2
27.	कोडरमा	–	–	–
28.	छतरा	–	–	2
29.	पश्चिमी सिंहभूम	–	1	1
30.	पूर्वी सिंहभूम	1	–	4
31.	कटिहार	–	1	3
32.	किशनगंज	–	1	2
33.	अररिया	–	1	–
34.	पुर्निया	1	1	2
35.	खगरिया	1	–	–
36.	बेगुसराय	1	2	1
37.	पश्चिम चम्पारन	–	2	–
38.	पूर्वी चम्पारन	1	3	3
39.	मुंगेर	2	1	1
40.	लखीसराय	–	1	2
41.	शेखपुरा	–	1	2
42.	जमुई	–	1	–
43.	मुजफ्फरपुर	1	2	4
44.	सीतामढ़ी	1	1	1
45.	शेओहर	–	–	–
46.	पटना	1	2	6
47.	नालन्दा	–	–	2
48.	रांची	1	3	8
49.	गुमला	1	1	5
50.	लुहारदग्गा	–	1	–

1	2	3	4	5
51.	सहरसा	-	-	1
52.	मधेपुरा	-	1	2
53.	सुपॉल	-	-	1
54.	रोहतास	1	-	2
55.	झबुआ	-	-	2
56.	डाल्टनगंज	-	1	-
	कुल जोड़	28	43	100

[अनुवाद]

कुपोषण सम्बन्धी सम्मेलन

4395. श्री वी. के. पार्थसारथी: क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या निकट भविष्य में कुपोषण संबंधी सम्मेलन बुलाए जाने की सम्भावना है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) सरकार द्वारा देश में विशेषरूप से गरीबी की रेखा से नीचे रहने वाले व्यक्तियों और निर्धन व्यक्तियों के कुपोषण पर काबू पाने के लिए किन उपायों पर विचार किया गया है?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (प्रो. रीता वर्मा): (क) और (ख) सरकार/गैर-सरकारी संगठनों/निजी क्षेत्रों द्वारा समय-समय पर आयोजित किए जाने वाले विभिन्न सम्मेलनों/संगोष्ठियों में पोषण, कुपोषण के विषयों पर विचार-विमर्श किया जाता है। पोषण के बारे में नौवीं एशियाई कांग्रेस 2003 में नई दिल्ली में आयोजित किए जाने का प्रस्ताव है।

(ग) भारत सरकार ने 1993 में राष्ट्रीय पोषण नीति अपनाई थी जिसमें कुपोषण की समस्या को नियंत्रित करने तथा लोगों की पोषणिक स्थिति में सुधार करने के लिए एक बहु-क्षेत्रीय दृष्टिकोण का परामर्श दिया गया है। राष्ट्रीय पोषण नीति में अल्पकालिक/प्रत्यक्ष कार्यकलाप और दीर्घकालिक/अप्रत्यक्ष कार्यकलाप दोनों हैं। पोषण नीति की बातों को कार्यरूप देने के लिए एक ढांचे के रूप में कार्य करने हेतु सरकार के विभागों/मंत्रालयों के लिए पोषण पर एक राष्ट्रीय कार्य योजना तैयार की गई।

जनसंख्या विशषतौर से गरीबों की पोषणिक स्थिति में सुधार करने के लिए सरकार द्वारा अपनाए गए विभिन्न उपाय इस प्रकार हैं:-

- बढ़ा हुआ कृषि उत्पादन,
- आय पैदा करने वाली योजनाओं के माध्यम से लोगों की क्रय शक्ति बढ़ाना;
- सार्वजनिक वितरण प्रणाली के माध्यम से रियायती दरों पर अनिवार्य खाद्य वस्तुओं की उपलब्धता;
- जागरूकता बढ़ाने और स्तन-पान को बढ़ावा देने सहित खाने-पीने की आदतों में वांछित परिवर्तन लाने के लिए पोषण शिक्षा;
- पूरक आहार कार्यक्रम नामत: एकीकृत बाल विकास सेवा योजना (आई सी डी एस) (2) विशेष पोषण कार्यक्रम (एम एन पी) (3) बालवाड़ी पोषण कार्यक्रम (बी एन पी) (4) गेहूँ-आधारित पूरक पोषण कार्यक्रम (5) दोपहर भोजन कार्यक्रम इत्यादि।

इसके अतिरिक्त राष्ट्रीय आयोडीन अल्पता विकार नियंत्रण कार्यक्रम, प्रजनन एवं बाल स्वास्थ्य कार्यक्रम के एक अंग के रूप में विटामिन "ए" की कमी के कारण दृष्टिहीनता रोकने के लिए रोग निरोधक कार्यक्रम तथा सूक्ष्म पोषक कुपोषण के नियंत्रण के लिए प्रायोगिक परियोजना जैसे विशिष्ट पोषक अल्पता विकारों की रोकथाम के कार्यक्रमों को भी कार्यान्वित किया जा रहा है।

नए टेलीफोन कनेक्शन

4396. श्री त्रिलोचन कानूनगो: क्या संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार को उड़ीसा के ग्रामीण क्षेत्रों में टेलीफोन की खराब सेवा की जानकारी है; और

(ख) यदि हां, तो सरकार द्वारा राज्य के ग्रामीण क्षेत्रों में सेवाओं की गुणवत्ता में सुधार के लिए क्या कदम उठाए गए हैं?

संचार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री तपन सिकदर): (क) ग्रामीण क्षेत्रों में सभी टेलीफोन एक्सचेंज इलेक्ट्रानिक टाइप के हैं और संतोषजनक ढंग से कार्य कर रहे हैं।

(ख) उपरोक्त भाग (क) के उत्तर को देखते हुए प्रश्न नहीं उठता।

[हिन्दी]

परिवार नियोजन के संबंध में सर्वेक्षण

4397. डा. जसवंत सिंह यादव: क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या उनके मंत्रालय ने पिछले तीन वर्षों के दौरान देश में परिवार नियोजन कार्यक्रमों से संबंधित कोई सर्वेक्षण कराया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या राजस्थान सरकार ने इस संबंध में प्रगति दर्ज की है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (प्रो. रीता वर्मा): (क) और (ख) जी हां। वर्ष 1998 और 1999 के दौरान विभिन्न व्यवसायिक एजेंसियों के जरिए देश में क्रमश: चरण-1 में 252 जिलों तथा चरण-2 में 254 जिलों को कवर करते हुए द्रुत परिवार सर्वेक्षण (जिला स्तर पर) करवाए गए । सर्वेक्षणों ने ग्रामीण और शहरी, दोनों क्षेत्रों को कवर करने के लिए प्रत्येक चुने हुए जिले में सांख्यिकी रूप से चुने गए 1000 परिवारों के नमूने को कवर किया। वर्ष 1998-99 के दौरान 15-49 वर्ष की 9000 विवाहित महिलाओं को कवर करते हुए 26 राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों (त्रिपुरा राज्य को छोड़कर) में राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वेक्षण-2 नामक दूसरा सर्वेक्षण करवाया गया। इन दोनों सर्वेक्षणों में अंतर्राष्ट्रीय जनसंख्या विज्ञान संस्थान, मुम्बई ने संयोजन और पर्यवेक्षण के लिए नोडल एजेंसी के रूप में कार्य किया।

(ग) और (घ) द्रुत परिवार सर्वेक्षण के अंतर्गत दोनों चरणों में राजस्थान में कुल 30 जिलों को कवर किया गया। 1990-99 में राजस्थान राज्य में राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वेक्षण- पूरा कर लिया गया है। राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वेक्षण-1 वर्ष 1992-93 में करवाया गया था। रा. प. स्वा. सर्वे-1, रा. प. स्वा. सर्वे-2 तथा द्रुत परिवार सर्वेक्षण से प्राप्त परिवार कल्याण कार्यक्रम के कुछ महत्वपूर्ण संकेतकों की स्थिति दर्शाने वाले ब्यौरे विवरण-I तथा II के रूप में संलग्न हैं।

विवरण-I

राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वेक्षण-1 और 2 — कुछ संकेतकों की स्थिति दर्शाने वाला एक तुलनात्मक ब्यौरा

संकेतक		रा.प.स्वा.सर्वे-1	रा.प.स्वा. सर्वे-2
1		2	3
1.	नवजात शिशु मृत्यु दर	42.1	49.5
2.	शिशु मृत्यु दर	76.3	80.4
3.	बाल मृत्यु दर	33.8	37.6
4.	कुल प्रजनन दर	3.58	3.73
5.	प्रसव पूर्व परिचर्या प्राप्त माताओं की प्रतिशतता	32.8	47.2
6.	इस समय प्रयोग की जा रही किसी पद्धति की प्रतिशतता		
	(क) बंध्यकरण	26.2	31.8
	(ख) अंतराल पद्धति	3.3	5.8
7.	पूरी तरह से टीकाकृत किए गए बच्चों की प्रतिशतता	21.1	16.0
	क. बी सी जी	45.7	53.9
	ख. डी पी टी 3	29.7	26.1

1		2	3
	ग. पोलियो 3	32.8	43.2
	घ. खसरा	31.2	27.1
8.	सांस्थानिक प्रसव (%)	11.6	21.7
9.	सुरक्षित प्रसव (%)	22.0	36.2
10.	रक्त की कमी वाले बच्चों का प्रतिशत	अनुपलब्ध	48.7
11.	रक्त की कमी वाली महिलाओं का प्रतिशत	,,	48.7

सूचना उपलब्ध नहीं

विवरण-II

1998 और 1999 में राजस्थान में द्रुत परिवार सर्वेक्षण (जिला स्तर) के अनुसार चुने गए परिवार कल्याण संकेतक

संकेतक (%)	चरण-1	चरण-2
जन्म क्रम 3 और ऊपर के द्वारा जन्मों में योगदान	51.2	-
गर्भनिरोधक व्यापकता दर	35.4	42.1
किसी प्रकार की प्रसव पूर्व जांच वाली गर्भवती महिलाएं	52.4	70.7
सांस्थानिक प्रसव	21.8	23.1
सुरक्षित प्रसव	32.3	29.8
पूरी तरह से प्रतिरक्षित बच्चे	29.8	34.0

हरियाणा में टेलीफोन एक्सचेंज

4398. श्री रतन लाल कटारिया: क्या संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) हरियाणा में अम्बाला, पंचकुला और यमुनानगर जिलों में चालू टेलीफोन एक्सचेंजों की संख्या कितनी है;

(ख) क्या सरकार का विचार इन जिलों में कुछ नए एक्सचेंज स्थापित करने का है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी स्थान-वार ब्यौरा क्या है; और

(घ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

संचार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री तपन सिकदर): (क) ब्यौरे नीचे दिए गए हैं-

क्र.सं.	जिले का नाम	31.7.2000 की स्थिति के अनुसार टेलीफोन एक्सचेंजों की संख्या
1.	अम्बाला	80
2.	पंचकुला	22
3.	यमुनानगर	54

(ख) जी, हां।

(ग) अम्बाला, पंचकुला तथा यमुनानगर जिलों में निम्नानुसार टेलीफोन एक्सचेंज स्थापित करने की योजना है:

क्र.सं.	जिले का नाम	स्थापित किए जाने वाले प्रस्तावित टेलीफोन एक्सचेंजों की संख्या	स्थान
1.	अम्बाला	1	बरोला
2.	पंचकुला	3	सेक्टर 15, सेक्टर, 21/25 तथा स्वास्तिक नगर
3.	यमुनानगर	4	घोर पिपली, कोटला, रंजीत नगर तथा लवाना

(घ) उपर्युक्त (क) भाग के उत्तर को देखते हुए प्रश्न नहीं उठता।

सी जी एच एस के लाभार्थियों को निजी नैदानिक जांच के लिए भेजना

4399. श्री जय प्रकाश: क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या इलाज हेतु राम मनोहर लोहिया अस्पताल में दाखिल सी. जी. एच. एस. के लाभार्थियों को अस्पताल में रक्त, मूत्र और अन्य नैदानिक जांचों की सुविधा न होने के कारण इनके लिए रोगियों को किसी विशेष निजी प्रयोगशाला में भेजा जाता है;

(ख) यदि हां, तो सी. जी. एच. एस. द्वारा मान्यता प्राप्त ऐसी प्रयोगशालाओं का ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या निजी प्रयोगशाला में नैदानिक जांच करवाने वाले रोगियों के बिलों को अस्पताल के प्राधिकारियों द्वारा सत्यापित/प्रतिहस्ताक्षर नहीं किया जाता;

(घ) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं; और

(ङ) इस संबंध में सी. जी. एच. एस. के लाभार्थियों को प्रतिपूर्ति दिए जाने हेतु वर्तमान नीति या निदेशों का ब्यौरा क्या है?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (प्रो. रीता वर्मा): (क) जी नहीं।

(ख) उपर्युक्त (क) के विचार से प्रश्न नहीं उठता।

(ग) यह सही नहीं है कि बिलों को अस्पताल के इलाज कर रहे डॉक्टरों/एकक के अध्यक्ष/विभाग के अध्यक्ष द्वारा सत्यापित नहीं किया जाता है।

(घ) उपर्युक्त (ग) के विचार से प्रश्न नहीं उठता।

(ङ) जब कोई केन्द्रीय सरकार स्वास्थ्य योजना का लाभार्थी किसी सरकारी अस्पताल में इलाज/नैदानिक जांच कराता है तो प्रतिपूर्ति वास्तविकता के अनुसार की जाती है। यदि इलाज/नैदानिक जांच किसी निजी अस्पताल/केन्द्रीय सरकार स्वास्थ्य योजना के अन्तर्गत मान्यता प्राप्त निजी अस्पताल में कराया जाता है तो चिकित्सा व्यय की प्रतिपूर्ति सरकार द्वारा अनुमोदित दरों के अनुसार की जाती है। यदि किसी विशेष जांच आदि के लिए कोई अनुमोदित दर उपलब्ध नहीं है, तो अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान की दर या वास्तविक जो भी कम हो के अनुसार प्रतिपूर्ति की अनुमति है। यदि अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान की दर भी उपलब्ध न हो तो प्रतिपूर्ति वास्तविक कीमतों के आधार पर की जाती है।

[अनुवाद]

महाराष्ट्र में आप्टिकल फाइबर केबल का लगाया जाना

4400. श्री सुरेश रामराव जाधव: क्या संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार को जानकारी है कि महाराष्ट्र के विशेषकर मराठवाड़ा क्षेत्र के डिवीजनल इंजीनियरों के पास आप्टिकल फाइबर की कमी के कारण वर्तमान तांबे के केबल के स्थान पर इन्हें लगाने संबंधी कार्य अत्यधिक धीमी गति से चल रहा है; और

(ख) यदि हां, तो सरकार द्वारा महाराष्ट्र के सभी जिलों विशेषकर उक्त क्षेत्र में ऑप्टिकल फाइबर केबल की पर्याप्त मात्रा में आपूर्ति किए जाने हेतु क्या कार्यवाही की गई है अथवा किए जाने का विचार है?

संचार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री तपन सिकदर): (क) मौजूदा कॉपर केबलों को बदने के लिए ऑप्टिकल फाइबर केबलों का सामान्यत: प्रस्ताव नहीं किया जा रहा है। इन्हें अधिकांशत: लम्बी दूरी पारेषण के लिए अलग-अलग शहरों को इंटरकनेक्ट करने तथा उसी शहर के अलग-अलग एक्सचेंजों को भी कनेक्ट करने के लिए बिछाया जा रहा है। उक्त कार्यों के लिए ऑप्टिकल फाइबर केबल की कोई कमी नहीं है।

बरसात का मौसम होने के कारण ऑप्टिकल फाइबर केबल बिछाने की गति धीमी रही है। तथापि इसमें सुधार होगा।

(ख) इस समय महाराष्ट्र में चालू वर्ष के दौरान 12,000 कि.मी. केबल बिछाने की अपनी योजनाओं की तुलना में 3219 कि.मी. ऑप्टिकल फाइबर का भंडार है। मराठवाडा क्षेत्र के 8 जिलों में उपलब्ध स्टॉक, इस वर्ष के 2252 कि.मी. की आवश्यकता की तुलना में 771.49 कि.मी. है। शेष केबल प्राप्त करने के लिए कार्रवाई पहले ही शुरू की जा चुकी है।

एड्स नियंत्रण हेतु सरकारी संगठनों को सहायता

4401. **श्री रामशेठ ठाकुर:**
श्री अशोक ना. मोहोल:
श्री ए. वेंकटेश नायक:

क्या **स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या एड्स नियंत्रण कार्यक्रम हेतु गैर-सरकारी संगठनों को कोई वित्तीय सहायता प्रदान की गई है;

(ख) यदि हां, तो पिछले तीन वर्षों के दौरान प्रतिवर्ष विशेषकर महाराष्ट्र और कर्नाटक में राज्य-वार इन गैर-सरकारी संगठनों को कुल कितनी सहायता प्रदान की गई;

(ग) क्या सरकार ने इन गैर-सरकारी संगठनों द्वारा कार्यान्वित कार्यक्रमों की निगरानी की है;

(घ) यदि हां, तो उक्त अवधि के दौरान इसका क्या परिणाम निकला;

(ङ) क्या गैर-सरकारी संगठनों ने केन्द्रीय सहायता में वृद्धि करने के लिए केन्द्र सरकार से अनुरोध किया है;

(च) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(छ) सरकार द्वारा इस संबंध में क्या कार्यवाही की गई है?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (प्रो. रीता वर्मा): (क) जी, हां।

(ख) राष्ट्रीय एड्स नियंत्रण परियोजना पर कार्य जारी रखने के लिए गैर-सरकारी संगठनों के वित्त पोषण की प्रक्रिया को अब राज्य एड्स नियंत्रण सोसाइटियों को विकेन्द्रीकृत कर दिया गया है। तथापि, राष्ट्रीय एड्स नियंत्रण संगठन एच आई वी/एड्स से ग्रस्त लोगों के लिए सामुदायिक परिचर्या केन्द्रों की स्थापना करने तथा आदर्श/प्रायोगिक परियोजना को वित्तीय सहायता सीधे गैर-सरकारी संगठनों को प्रदान कर रहा है। पिछले 3 वर्षों के दौरान तथा राष्ट्रीय एड्स नियंत्रण संगठन ने महाराष्ट्र से एक गैर-सकारी संगठन (बेल एअर अस्पताल पंचघनी) और कर्नाटक से दो गैर-सरकारी संगठनों मैसर्स फ्रीडम प्रतिष्ठान, बेंगलूर और स्नीहादान, बैंगलूर को 1999-2000 के दौरान सीधे प्रत्येक को 19,48,740रु. की धनराशि मंजूर की गई थी। पिछले 3 वर्षों के दौरान राष्ट्रीय एड्स नियंत्रण संगठन द्वारा सीधे वित्त-पोषित महाराष्ट्र (मुम्बई जिला एड्स नियंत्रण सोसाइटी) और कर्नाटक राज्य एड्स नियंत्रण सोसाइटियों और गैर-सरकारी संगठनों द्वारा लक्षित कार्यकलाप परियोजनाओं के लिए गैर-सरकारी संगठनों को प्रदान की गई वित्तीय सहायता के बारे में दो विवरण-I और II में संलग्न हैं।

(ग) जी हां।

(घ) अधिकतर गैर-सरकारी संगठनों को कारगर ढंग से कार्य करते हुए पाया गया है।

(ङ) जी नहीं।

(च) और (छ) प्रश्न नहीं उठता।

विवरण-I

गैर-सरकारी संगठनों के नाम	स्वीकृत लक्षित कार्यकलाप परि.
1	2
कर्नाटक	
1. भोरुका धर्मार्थ न्यास	ट्रक चालक
2. श्रीकान्त शिक्षा सोसाइटी	ट्रक चालक

1		2
3.	कन्सर्नड फॉर वर्किंग चिल्ड्रेन	गलियों में फिरने वाले बच्चे
4.	ग्राम स्वराज्य समिति	प्रवासी श्रमिक
5.	ग्रामीण विकास एवं प्रशिक्षण हेतु नगरिक गठबंधन	प्रवासी श्रमिक
6.	सोसाइटी फार पीपल्स एक्शन फार डेव्लेपमेंट	सामुदायिक सामाजिक कार्यकर्ता
7.	जनोदय न्यास	सामुदायिक सामाजिक कार्यकर्ता एवं कैदी
8.	बैंगलूर ओनियावरा सेवा कूता	गलियों में फिरने वाले बच्चे
9.	जागृति	एम.एस.एम.
10.	सुरक्षा	प्रवासी श्रमिक
11.	डीड्ल डेव्लेपमेंट एज्युकेशन सोसाइटी	प्रवासी श्रमिक
12.	किड्स कर्नाटक इन्टेग्रेटिड डेव्लेपमेंट सोसाइटी	ट्रक्कर्स
महाराष्ट्र		
1.	मानस व्यसनमुल्दी	ट्रक्कर्स
2.	रचना सामाजिक पुनर्निर्माण सोसाइटी	ट्रक्कर्स
3.	सोशल वेल्फेयर इन्स्टीट्यूट फॉर नीडि नेग्लेक्टेड	सामुदायिक सामाजिक कार्यकर्ता
4.	भागिनी निवोदिता प्रतिष्ठान	सामुदायिक सामाजिक कार्यकर्ता
5.	मानाव्या	सामुदायिक सामाजिक कार्यकर्ता
6.	अखिल बुद्धवार पेढ देवदास संगठन	सामुदायिक सामाजिक कार्यकर्ता
7.	कायाकल्प	सामुदायिक सामाजिक कार्यकर्ता
8.	जॉन पोल स्लम डेव्लेपर्स प्रोजेक्ट	ट्रक्कर्स
9.	वंचित विकास	सामुदायिक सामाजिक कार्यकर्ता
10.	सिविल अस्पताल	सामुदायिक सामाजिक कार्यकर्ता
11.	मुस्लिम समाज प्रबोधन	सामुदायिक सामाजिक कार्यकर्ता
12.	पिम्परी चिकवाड नगर निगम	ट्रक्कर्स
13.	पिम्परी चिकवाड नगर निगम	ट्रक्कर्स
14.	श्री हनुमन्त राव देशमुख बहुद्देश्यीय संस्था	ग्रामीण महिलाएं

1		2
15.	शहीद अहीरराव स्मारक न्यास	ट्रक्कर्स
16.	जी. के. गुजर स्मारक न्यास	ट्रक्कर्स
17.	सांई शिक्षा सोसाइटी	ट्रक्कर्स
18.	भारतीय रेड क्रास सोसाइटी	ट्रक्कर्स
19.	भारतीय रेड क्रास सोसाइटी	सामुदायिक सामाजिक कार्यकर्ता
20.	वी नीड यू सोसाइटी	ट्रक्कर्स
21.	हमसफर न्यास	5 राज्यों में एम.एस.एम की मैपिंग
मुम्बई		
1.	सप्पोर्ट	गलियों के बच्चे
2.	शेल्टर डान वोस्को	गलियों के बच्चे
3.	एम.एन.पी. +	पी.एल.डब्ल्यू.एच.ए.
4.	स्वयं सिद्ध संस्था	पी.एल.डब्ल्यू.एच.ए.
5.	द हमसफर न्यास	एम.एस. डब्ल्यू.
6.	दाई कल्याण सोसाइटी	हिजड़े
7.	राष्ट्र स्वास्थ्य प्रबोधिनी	ट्रक्कर्स
8.	विजय कृदा मंडल	ट्रक्कर्स
9.	पापुलेशन सर्विसेज इन्टरनेशनल	ट्रक्कर्स
10.	नगरी सेवा प्रबोधिनी	ट्रक्कर्स
11.	नगरी सेवा प्रबोधिनी	प्रावासी श्रमिक
12.	जागृति केन्द्र	प्रवासी श्रमिक
13.	प्रफुल्ता	सामुदायिक सामाजिक कार्यकर्ता
14.	तारा स्मारक संस्था	-तदैव-
15.	शेप अप इंडिया	-तदैव-
16.	परिवार नियोजन एवं चिकित्सीय सहायता न्यास	-तदैव-
17.	पोपुलेशन सर्विसेस इन्टरनेशनल	-तदैव-
18.	आशा परियोजना	सामुदायिक सामाजिक कार्यकर्ता की परियोजनाएं (2)
19.	अपनालय	पी. एल. डब्ल्यू. एच./ए.
20.	प्रतिबद्ध समुदाय विकास न्यास	ड्राप इन सेन्टर

विवरण-II

राष्ट्रीय एड्स नियंत्रण संगठन द्वारा 1997-98 के दौरान गैर-सरकारी संगठनों को जारी किया गया सहायतानुदान

क्रम सं.	संगठन का नाम	क्षेत्र का कार्य	जारी की गई धनराशि (रुपये में)
1	2	3	4
1.	भोरुका जन कल्याण न्यास, कलकत्ता	ट्रक चालकों के साथ उपचार कार्यक्रम	10,92,332
2.	विवेकानन्द शिक्षा सोसाइटी, कलकत्ता	दूरभाषित परामर्श सेवा	4,20,000
3.	चाइल्ड इन नीड्स इन्स्टीट्यूट, कलकत्ता	-तदैव-	2,20,500
4.	दरवार महिला समन्वय समिति, कलकत्ता	यौन-कार्यकर्ताओं के लिए राष्ट्रीय कार्यशाला	50,000
5.	राजस्थान, उत्तर प्रदेश केथोलिक स्वास्थ्य संघ, नई दिल्ली	एड्स जागरूकता के बारे में कार्यशाला	30,000
6.	इन्नर व्हील क्लब, नई दिल्ली	-तदैव-	15,000
7.	टार्च, नई दिल्ली	टैक्सी चालकों के साथ उपचार कार्यक्रम	1,40,000
8.	जनशक्ति वाहिनी, नई दिल्ली	महाविद्यालयों के छात्रों के साथ एड्स जागरूकता के बारे में कार्यशाला	5,000
9.	-तदैव-	राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली के मलिन बस्ती के क्षेत्रों में जागरूकता कार्यक्रम	2,40,000
10.	मिराज गैलरी ऑफ आर्टस, नई दिल्ली	एड्स हेतु प्रदर्शनी सह-बिक्री कला	1,87,500
11.	-तदैव-	-तदैव-	1,87,500
12.	राजीव गांधी प्रतिष्ठान, नई दिल्ली	एच.आई.वी./एड्स के बारे में चलती-फिरती परामर्शी सेवाएं	2,94,000
13.	-तदैव-	भारतीय चिकित्सा परिषद के व्यवसर्मययों के साथ कार्यशाला	1,76,000
14.	टार्च, नई दिल्ली	दूरभाषिक परामर्शी सेवा	6,31,500

राष्ट्रीय एड्स नियंत्रण संगठन द्वारा 1998-99 के दौरान गैर-सरकारी संगठनों को जारी किया गया सहायतानुदान

क्रम सं.	संगठन का नाम	क्षेत्र का कार्य	जारी की गई धनराशि (रुपये में)
1.	आदर्श परामर्श केन्द्र, सफदरजंग अस्पताल, नई दिल्ली	सफदरजंग अस्पताल में चर्म एवं यौन संचारित रोग विभाग में परामर्शी सेवाओं की व्यवस्था	3,70,200
2.	सिनी, पश्चिम बंगाल	दूरभाषिक परामर्शी सेवा	2,20,500
3.	टार्च, नई दिल्ली	-तदैव-	2,19,500
4.	सुलभ अन्तरराष्ट्रीय स्वास्थ्य एवं स्वच्छता विज्ञान संस्थान, नई दिल्ली	सुलभ प्रसाधन गृहों के माध्यम से कन्डोमों का वितरण	5,05,000
5.	ओर्स्ड, पटना	दूरभाषिक परामर्शी सेवा	4,94,000
6.	प्रयास, नई दिल्ली	जागरूकता परामर्श और गलियों के बच्चों के साथ यौन संचारित रोगों के उपचार के माध्यम से व्यापक एड्स निवारण कार्यक्रम	4,49,944
7.	भारत का स्वैच्छिक स्वास्थ्य संघ, नई दिल्ली	देश-भर में गैर-सरकारी संगठनों को एड्स के बारे में अनन्त वीडियो फिल्में और एच.आई.वी./एड्स के बारे में शैक्षणिक सामग्री का वितरण	1,43,360
8.	दृष्टिकोण, नई दिल्ली	सागरपुर, पश्चिमी दिल्ली में प्रवासी कार्यकर्ताओं और उनकी पत्नियों के लिए जनन स्वास्थ्य परिचर्या सेवाओं की व्यवस्था	5,01,500

1999-2000 में राष्ट्रीय एड्स नियंत्रण संगठन द्वारा गैर-सरकारी संगठनों को सीधे मंजूर की गई धनराशि

क्रम सं.	संगठन का नाम	क्षेत्र का कार्य	जारी की गई धनराशि (रुपये में)
1	2	3	4
1.	प्रयास, दिल्ली	दिल्ली में गलियों के बच्चों में स्वास्थ्य/ यौन संचारित रोगों/एच.आई.वी./एड्स के लिए उपचार परियोजना	7,07,044.00
2.	दृष्टिकोण, 1207, सेक्टर-डी, पाकेट-1 बसंत कुंज, नई दिल्ली	परियोजना आधुनिक प्रजनन स्वास्थ्य परिचर्या में महिलाओं और उनके यौन भागीदारों में एच.आई.वी./एड्स/यौन संचारित रोगों सहित प्रजनन स्वास्थ्य को बढ़ावा देने हेतु	9,47,500.00

1	2	3	4
3.	टार्च, 45 फ्रैंडस कालोनी (पूर्वी) फ्लैट सं. 2, नई दिल्ली	नाको दूरभाषिक परामर्श सेवा	2,85,100.00
4.	मैसर्स सहारा, दिल्ली	सामुदायिक परिचर्या केन्द्र की स्थापना करना	11,88,500.00
5.	मैसर्स फ्रीडम प्रतिष्ठान, बैंगलूर	सामुदायिक परिचर्या केन्द्र की स्थापना करना	11,88,500,00
6.	शेलोम, मणिपुर	सामुदायिक परिचर्या केन्द्र की स्थापना करना	11,89,240.00
7.	कुष्ठ रोगी कल्याण सोसाइटी इम्फाल	सामुदायिक परिचर्या केन्द्र की स्थापना करना	11,89,240.00
8.	बेल-एअर अस्पताल, पंचघनी, महाराष्ट्र	सामुदायिक परिचर्या केन्द्र की स्थापना करना	26,01,900.00
9.	स्नीहादान, बैंगलूर	सामुदायिक परिचर्या केन्द्र की स्थापना करना	9,74,370.00

संयुक्त रूप से और अधिक राजमार्ग परियोजनाओं को बढ़ावा दिया जाना

4402. श्री सुबोध मोहिते: क्या **जल-भूतल परिवहन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार का विचार संयुक्त रूप से और अधिक राजमार्ग परियोजनाओं को बढ़ावा देने का है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार ने उपलब्ध राजमार्ग-नेटवर्क की तुलना में इन पर चल रहे वाहनों की संख्या बढ़ाने के संबंध में कोई अध्ययन करवाया है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

जल-भूतल परिवहन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री हुक्मदेव नारायण यादव): (क) और (ख) जी हां। सरकार राष्ट्रीय राजमार्गों के विकास और रख-रखाव, जिसमें परियोजनाओं को परस्पर मिलकर बढ़ावा देना शामिल है, में निजी क्षेत्र की सहभागिता को प्रोत्साहन दे रही है। वर्तमान नीति के अनुसार सरकार परियोजना की 40% लागत तक पूंजीगत सब्सिडी प्रदान कर सकती है और/अथवा निर्माण, प्रचालन और हस्तांतरण (बी ओ टी) के आधार पर शुरू की गई परियोजनाओं के मामले में आवश्यकतानुसार निजी रूप से वित्तपोषित परियोजनाओं की इक्विटी में परियोजना की 30% इक्विटी तक भागीदारी कर सकती है।

(ग) और (घ) जी, नहीं। वस्तुत: मौजूदा सड़क नेटवर्क को हमारी सड़कों पर हो रही यातायात की वृद्धि का मुकाबला करने के लिए अपर्याप्त समझा जाता है और उपलब्ध संसाधनों से सड़क नेटवर्क के स्तर को उन्नत करने तथा इसका विस्तार करने के प्रयास किए जा रहे हैं।

तार घर

4403. श्री पोन राधाकृष्णन: क्या **संचार मंत्री** 31 जुलाई, 2000 के अतारांकित प्रश्न संख्या 1249 के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या तमिलनाडु के कन्याकुमारी जिले में नागरकोइल तारघर छ: महीने पहले चौबीसों घंटे काम कर रहा था;

(ख) यदि हां, तो इस सुविधा को स्थगित करने के क्या कारण हैं;

(ग) क्या सरकार का विचार इन पर पुन: विचार करने का है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

संचार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री तपन सिकदर): (क) से (ङ) नगरकोईल तार-घर के सप्ताह में काम के घंटे 0700-2200 और रविवार/अवकाश के दिनों में 0800-1600 बजे तक हैं। तथापि, टेलीग्राफ बुक करने की सुविधा कार्य घंटों के बाद भी "लेट फी सिस्टम" नामक प्रणाली के तहत उपलब्ध थी जिसमें उपभोक्ता को दी गई सेवा के लिए उपभोक्ता को प्रति टेलीग्राम 3/-रु. की अतिरिक्त राशि का भुगतान करना होता था। यह लेट फी प्रणाली" 31 जनवरी 2000 तक उपलब्ध थी। "लेट फी प्रणाली" स्वयंसेवी प्रणाली है जहां तारघर का स्टाफ विभाग पर कोई लागत भार डाले बिना काम के बाद घंटों के बाद की ड्यूटियों के लिए स्वयंसेवक की भूमिका निभाता है। तार-घर के काम के बाद के घंटों के दौरान की गई ऐसी ड्यूटियों के लिए एकत्र की गई "लेट फी मनी" स्वयंसेवक स्टाफ की व्यक्तिगत राशि मानी जाएगी। स्वयंसेवी ड्यूटी को न तो नियमित ड्यूटी माना जाता है और न ही स्टाफ सदस्यों को इसके लिए कोई समयोपरि भत्ता दिया जाता है। 1 फरवरी 2000 से किसी भी कर्मचारी ने "लेट फी ड्यूटी" के लिए स्वैच्छिक सेवाएं नहीं दी हैं। तार सेवाएं अत्यधिक सहायता प्राप्त सेवाएं हैं और 24 घंटे इन तारघरों को खुला रखने से अतिरिक्त व्यय का भार पड़ेगा। इस समय नगरकोईल तारघर को 24 घंटे खुला रखने का ऐसा कोई प्रस्ताव नहीं है।

कोचीन शिपयार्ड को विकसित करना

4404. श्री टी. गोविन्दन: क्या **जल-भूतल परिवहन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार को कोचीन शिपयार्ड के विकास के लिए सहायता प्रदान करने हेतु केरल सरकार से कोई प्रस्ताव प्राप्त हुआ है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) सरकार ने इस संबंध में क्या कार्यवाही की है?

जल-भूतल परिवहन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री हुक्मदेव नारायण यादव): (क) जी नहीं।

(ख) और (ग) प्रश्न नहीं उठता।

[हिन्दी]

भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण के बोर्ड में पूर्णकालिक सदस्यों की नियुक्ति

4405. कर्नल (सेवानिवृत्त) सोना राम चौधरी: क्या **नागर विमानन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण के बोर्ड के अधिकतर सदस्य अंशकालिक रूप से इस बोर्ड के साथ जुड़े हैं;

(ख) यदि हां, तो क्या इससे विमानपत्तनों के कार्यकरण तथा सुरक्षा पर विपरीत प्रभाव पड़ा है जिससे अपहरण तथा दुर्घटनाएं हुई हैं;

(ग) बोर्ड के कार्यकरण में/देश की हवाई यात्रा सुरक्षा में सुधार लाने के उद्देश्य से पूर्णकालिक बोर्ड के सदस्यों की नियुक्ति हेतु क्या कदम उठाए जाने का प्रस्ताव है; और

(घ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

नागर विमानन मंत्री (श्री शरद यादव): (क) से (घ) जी, नहीं। भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण के अध्यक्ष तथा कार्मिक एवं प्रशासन, वित्त, प्रचालन और योजना के क्षेत्र से चार सदस्य भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण के निदेशक मंडल में पूर्णकालिक कार्यकारी निदेशक हैं तथा बोर्ड/भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण के प्रभावी कार्यकरण में महत्वपूर्ण योगदान देते हैं।

मृत कर्मचारियों की बकाया देय राशि का भुगतान

4406. श्री किरीट सोमैया: क्या **संचार मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) जनवरी, 2000 से केन्द्रीय प्रभाग, नई दिल्ली डाक विभाग में कार्यरत उन कर्मचारियों का ब्यौरा क्या है जिनकी मृत्यु ड्यूटी पर रहते हुए हुई है;

(ख) क्या मृत्यु-सह-उपदान, सामान्य भविष्य निधि, छुट्टियों के बदले पैसे और सी.जी.ई.आई.एस. का मृतकों के निकट संबंधियों को भुगतान कर दिया गया है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(घ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं;

(ङ) इसको भुगतान करने के लिए क्या कोई समय सीमा निर्धारित की गई है; और

(च) पीड़ितों को उक्त भुगतान कब तक किए जाने की संभावना है?

संचार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री तपन सिकदर): (क) सर्वश्री दिलीप कुमार, महेन्द्र कुमार मीणा, रामगोपाल, एस.आर. मल्होत्रा और महेन्द्र सिंह।

(ख) जी, नहीं।

(ग) प्रश्न नहीं उठता।

(घ) दावों की जांच-पड़ताल की जा रही है। सभी लोगों की मृत्यु मई, 2000 के बाद हुई है।

(ङ) इस प्रकार का भुगतान करने के लिए कोई समय-सीमा निर्धारित नहीं की गई है। किंतु यदि प्रशासनिक गलती के कारण विलंब हुआ है तो मृत्यु उपदान तथा सामान्य भविष्य निधि के विलंबित भुगतानों के लिए विनिर्दिष्ट अवधि के लिए ब्याज देय हैं।

(च) जितना जल्दी संभव हो सके।

[अनुवाद]

विश्व पर्यावरण दिवस

4407. श्री जितेन्द्र प्रसाद: क्या पर्यावरण और वन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या विश्व पर्यावरण दिवस के अवसर पर वनों के संरक्षण हेतु नई योजनाओं की घोषणा की गई थी;

(ख) यदि हां, तो क्या भारतीय वन्य अनुसंधान और शिक्षा परिषद् (आई.सी.एफ.आर.ई.) ने कहा है कि इस क्षेत्र हेतु किया गया आबंटन अनुसंधान कार्यों हेतु पर्याप्त नहीं है जिसकी वन संरक्षण हेतु अत्यधिक आवश्यकता है; और

(ग) यदि हां, तो सरकार की इस पर क्या प्रतिक्रिया है?

पर्यावरण और वन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री बाबू लाल मरांडी): (क) वनों के संरक्षण के लिए इस वर्ष विश्व पर्यावरण दिवस के अवसर पर किसी नई स्कीम की घोषणा नहीं की गई है।

(ख) और (ग) प्रश्न नहीं उठता।

आंध्र प्रदेश में निरोध का उत्पादन

4408. श्री वाई. एस. विवेकानन्द रेड्डी: क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या "हिन्दुस्तान लैटेक्स लिमिटेड" द्वारा उत्पादित लगभग 1.38 करोड़ निरोधों को 6 लाख प्रति जिला की दर से बांट दिया गया है;

(ख) यदि हां, तो क्या राज्य सरकार ने "सामाजिक विपणन" के लिए नियत निरोधों की आपूर्ति नि:शुल्क करने का निर्णय किया है;

(ग) यदि हां, तो क्या देश में 76,481 एच.आई.वी. के मामलों में से 6,692 मामले आंध्र प्रदेश में हैं; और

(घ) यदि हां, तो राज्य सरकार द्वारा राज्य में एड्स के प्रसार को रोकने के लिए क्या कदम उठाए जा रहे हैं?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (प्रो. रीता वर्मा): (क) नि:शुल्क आपूर्ति स्कीम के अंतर्गत कण्डोम (निरोध) की आपूर्ति पिछले वर्ष में राज्य सरकार द्वारा सूचित उपयोग और बजटीय संसाधनों के आधार पर की जाती है। अब तक चालू वर्ष के दौरान आंध्र प्रदेश को 2.5 करोड़ नग कण्डोमों की आपूर्ति की जा चुकी है। राज्य को पूरे वर्ष के लिए 4 करोड़ नग आबंटित किए गए हैं।

(ख) राज्य सरकार ने जिला कुष्ठ रोग अधिकारियों (डी.एल.ओ.) जो सामाजिक विपणन स्कीम के अंतर्गत गैर-सरकारी संगठनों (एन जी ओ) को कण्डोम की बिक्री करने हेतु जिला स्तर पर नोडल अधिकारी होते हैं, के जरिए वितरण हेतु मैसर्स हिन्दुस्तान लैटेक्स लिमिटेड से 25 लाख नग कण्डोम की खरीद की है। राज्य सरकार ने जन्मभूमि और अन्य स्वास्थ्य संबंधी कार्यक्रमों के दौरान कण्डोमों के नि:शुल्क वितरण के लिए जिला कुष्ठ रोग अधिकारियों को निदेश दिया है।

(ग) 30 जून, 2000 की स्थिति के अनुसार देश में कुल 98,451 एड्स रोगियों में से आंध्र प्रदेश में एच आई वी के 6,944 पाजीटिव मामले थे।

(घ) भारत में एच आई वी/एड्स को फैलने से रोकने और नियंत्रित करने के लिए केन्द्रीय प्रायोजित स्कीम के रूप में एक व्यापक कार्यक्रम इस समय देश भर में (आंध्र प्रदेश सहित) कार्यान्वित किया जा रहा है। इसकी मुख्य बातें निम्नलिखित हैं:-

- लक्षित लोगों की पहचान करके प्रशिक्षित और व्यक्तियों द्वारा परामर्श देने की व्यवस्था करके, कण्डोम के प्रयोग को बढ़ावा देकर, यौन संचारित संक्रमणों के लिए उपचार प्रदान करके उच्च जोखिम वाले समूहों में एच आई वी के फैलने को कम करना।

- सूचना, शिक्षा और संचार तथा जागरूकता अभियान, स्वैच्छिक परीक्षण और परामर्श, निरापद रक्ताधान सेवाओं और व्यवसायिक प्रभाव (एक्सपोजर) की रोकथाम द्वारा जन सामान्य के लिए निवारात्मक उपाय।

- अवसरवादी संक्रमणों, एच.आई.वी/एड्स से ग्रस्त लोगों के लिए गृह (होम) और समुदाय आधारित परिचर्या हेतु वित्तीय सहायता प्रदान करना।

- राष्ट्रीय, राज्य और नगरपालिका स्तरों पर प्रभावकारिता तथा तकनीकी प्रबंधकीय, वित्त समर्थन (सस्टेनेबिलिटी) को सुदृढ़ करना।

- सार्वजनिक, निजी और स्वैच्छिक क्षेत्र के बीच सहयोग बढ़ाना।

[हिन्दी]

राष्ट्रीय पर्यावरणीय अधिकरण

4409. श्री महेश्वर सिंह: क्या **पर्यावरण और वन मंत्री** 20 जुलाई 1999 के अतारांकित प्रश्न संख्या 3112 के उत्तर के संबंध में यह बताने की कृपा करेंगे कि सरकार द्वारा राष्ट्रीय अधिकरण अधिनियम, 1995 के अंतर्गत राष्ट्रीय पर्यावरण अधिकरण गठित करने हेतु की जा रही कार्यवाही का ब्यौरा क्या है?

पर्यावरण और वन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री बाबू लाल मरांडी): सरकार ने राष्ट्रीय पर्यावरण न्यायाधिकरण अधिनियम, 1995 के अंतर्गत राष्ट्रीय पर्यावरण न्यायाधिकरण स्थापित करने की कार्रवाई शुरू कर दी है।

विदेश संचार निगम लिमिटेड द्वारा इन्टरनेट सेवाओं की दर में रियायत

4410. श्री उत्तमराव ढिकले: क्या **संचार मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या विदेश संचार निगम लिमिटेड ने इन्टरनेट सेवाओं में बढ़ती प्रतिस्पर्धा को देखते हुए इनकी दरों में 50 प्रतिशत रियायत देने और रात में निशुल्क इन्टरनेट सेवा उपलब्ध कराने का निर्णय लिया है; और

(ख) यदि हां, तो इसके परिणामस्वरूप सरकार को कितना लाभ मिलने की संभावना है?

संचार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री तपन सिकदर): (क) जी, हां। बीएसएनएल ने 2 माह की मानसून अवधि के लिए प्रोत्साहन पेशकश के रूप में रात में डायल-अप इंटरनेट टैरिफ तथा मुफ्त इंटरनेट सेवा में छूट देने का प्रस्ताव किया है।

(ख) इसके परिणामस्वरूप 31 जुलाई, 2000 की स्थिति के अनुसार 56000 नए इंटरनेट कनेक्शनों के रजिस्ट्रेशन तथा 1.25 लाख कनेक्शनों का नवीकरण किया गया। इंटरनेट सेवा क्षेत्र में ग्राहक आकर्षण सेवा की गुणवत्ता, ग्राहकों के बीच सेवा मार्का की महत्ता बनाए रखना ही इसके लंबी अवधि तक बने-रहने का प्रमुख सफल कारक माना जाएगा। इंटरनेट बाजार में कड़ी प्रतिस्पर्धा तथा अधिकतम ग्राहक पाने की दौड़ को ध्यान में रखते हुए प्रत्येक आईएसपी (इंटरनेट सेवा प्रदाता) यह आशा करता है कि इंटरनेट माध्यम के जरिए मूल्यवर्धित सेवाओं का मूल्य-निर्धारण करके और उनकी पेशकश करके भविष्य में अत्यधिक लाभ कमा सकता है।

[अनुवाद]

बंदरों की संख्या

4411. श्री सुशील कुमार शिंदे:
श्रीमती रेणूका चौधरी:

क्या **पर्यावरण और वन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या हाल ही में देश में बंदरों की संख्या में तेजी से वृद्धि हो रही है और जिसके कारण इतनी खतरनाक स्थिति पैदा हो गई है कि बन्दर वन क्षेत्रों और अभयारण्यों में बाघों और शेरों के लिए खतरनाक साबित हो रहे हैं;

(ख) क्या सरकार का ध्यान 11 जून, 2000 के "द इंडियन एक्सप्रेस" में "ऑनर स्टेट्स स्टील फ्रेश सरिस्का शट्स डोर ऑन जयपुर मंकीज" शीर्षक से प्रकाशित समाचार की ओर दिलाया गया है; और

(ग) यदि हां, तो देश में बंदरों की संख्या को नियंत्रित करने और कम करने हेतु क्या कदम उठाए गए हैं और उठाए जाने का विचार है?

पर्यावरण और वन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री बाबू लाल मरांडी): (क) और (ख) बन्दरों के बढ़ते जोखिम का सम्बन्ध मात्र बन्दरों की संख्या में वृद्धि से नहीं है। इसके लिए लोगों विशेषकर सरकारी कर्मचारियों द्वारा भोजनावकाश के दौरान बन्दरों को खाना खिलाने की आदत तथा शहरी क्षेत्र में वनावरण में कमी ज्यादा उत्तरदायी है। शहरी जनसंख्या द्वारा भोजन के पश्चात छोड़ा गया बचा-खुचा भोजन खाने के कारण बन्दर क्षयरोग और अन्य संक्रामक रोगों के शिकार हो जाते हैं। ऐसे जानवरों को जंगलों में

छोड़ना आई यू सी एन की नीति से खिलाफ है। मुख्य वन्यजीव संरक्षक द्वारा शहरों में पले बन्दरों को सरिस्का में छोड़ने की अनुमति न देना इन दिशानिर्देशों के अनुरूप है।

(ग) ऐसे जानवरों को पकड़कर तथा उनका बन्ध्यीकरण करके उन्हें चरणबद्ध ढंग से ऐसे क्षेत्रों में छोड़ना, जहाँ वन्य प्राणियों की स्वस्थाने संख्या बहुत अधिक नहीं है, इस समस्या का एकमात्र एवं व्यावहारिक हल है। जानवरों को छोड़ने के बाद उनकी मानीटरी करना एक कठिन कार्य है।

[हिन्दी]

म्यांमार के बरास्ते भारत और चीन को जोड़ने वाले राजमार्ग का निर्माण-कार्य

4412. श्री रामदास आठवले: क्या जल-भूतल परिवहन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार का विचार म्यांमार के बरास्ते भारत और चीन को जोड़ने वाले किसी राजमार्ग का निर्माण करने का है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) इस संबंध में नवीनतम स्थिति क्या है; और

(घ) इस कार्य पर कुल कितनी अनुमानित धनराशि खर्च किए जाने का अनुमान है और इसके कब तक पूरा होने की संभावना है?

जल-भूतल परिवहन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री हुक्मदेव नारायण यादव): (क) जी नहीं।

(ख) से (घ) प्रश्न नहीं उठता।

टेलीफोन कनेक्शन हेतु संसद सदस्यों का विवेकाधीन कोटा

4413. श्री माणिकराव होडल्या गावित: क्या संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) एक साल में एक संसद सदस्य द्वारा कितने टेलीफोन कनेक्शनों की सिफारिश की जा सकती है;

(ख) क्या संसद सदस्य केवल अपने चुनाव क्षेत्र के लिए ही टेलीफोन कनेक्शनों की सिफारिश कर सकता/सकती है;

(ग) यदि हां, तो क्या सरकार का विचार राज्य सभा की तरह लोक सभा सदस्यों को भी कोटा प्रदान करने का है ताकि वे अपने चुनाव क्षेत्र के उन लोगों को टेलीफोन कनेक्शन दे सकें जो अन्य राज्यों में निवास करते हैं; और

(घ) यदि हां, तो इसे कब तक लागू किए जाने की संभावना है?

संचार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री तपन सिकदर): (क) एक संसद सदस्य कैलेन्डर वर्ष में उसके आबंटित कोटे में से 100 बिना बारी के टेलीफोन कनेक्शन संस्तुत कर सकता है/सकती है।

(ख) जी, हां। लोक सभा का संसद सदस्य अपने चुनाव क्षेत्र के भीतर जहां से वह चुना गया है/चुनी गई है, बिना बारी के टेलीफोन कनेक्शन संस्तुत कर सकता है। राज्य-सभा का संसद सदस्य जहां से उसने राज्य का प्रतिनिधित्व किया है वहां टेलीफोन कनेक्शन संस्तुत कर सकता है/सकती है। संसद के दोनों सदनों की वेतन और भत्ते संबंधी संयुक्त समिति द्वारा 19 जून 1970 को आयोजित बैठक में राज्य सभा के संसद सदस्यों के चुनाव क्षेत्र को परिभाषित किया जाता है, इस समिति को संसद सदस्य अधिनियम 1954 की वेतन, भत्ते और पेंशन के खंड 9 के तहत नियम तैयार करने की शक्ति प्राप्त है।

(ग) जी नहीं। ऐसा कोई प्रस्ताव नहीं है। इसके अलावा, राज्य सभा के सदस्य अपने राज्य के बाहर रह रहे लोगों के लिए कोई टेलीफोन संस्तुत नहीं कर सकते हैं।

(घ) प्रश्न नहीं उठता।

एस.टी.डी./आई.एस.डी. के अवैध कनेक्शन

4414. श्री मणिभाई रामजीभाई चौधरी:
श्री सुन्दर लाल तिवारी:

क्या संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या विभाग को अधिकारियों द्वारा नियमों का उल्लंघन करके अन्य लोगों की सांठ-गांठ से एस.टी.डी. और आई.एस.डी. के अवैध कनेक्शन दिए जाने के कारण भारी घाटा उठाना पड़ा है;

(ख) यदि हां, तो गत तीन वर्षों के दौरान तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या इसकी केन्द्रीय जांच ब्यूरो द्वारा जांच कराई गई है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा इस संबंध में अब तक कितने अधिकारियों के विरुद्ध कार्यवाही की गई है?

संचार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री तपन सिकदर): (क) और (ख) 35 ऐसे मामलों की सूचना प्राप्त हुई है जिसमें 65 कर्मचारी तथा 19 बाहरी व्यक्ति शामिल हैं। ये मामले सदाशयता सत्यापित किए बिना जाली नामों/दस्तावेजों इत्यादि के आधार पर गैर-कानूनी अप्राधिकृत एस.टी.डी./आई.एस.डी. प्रदान करने से संबंधित हैं तथा पार्टियां बहुत अधिक कालें करने के पश्चात फरार हो गई हैं।

(ग) और (घ) जिन मामलों में बाहरी व्यक्ति शामिल थे उनकी केन्द्रीय जांच ब्यूरो/पुलिस प्राधिकारियों द्वारा जांच की गई थी और उनकी जांच के आधार पर मुकदमें/65 कर्मचारियों के खिलाफ विभागीय अनुशासनिक कार्यवाही की गई है।

[अनुवाद]

टेलीफोनों का टेप किया जाना

4415. श्री के.पी. सिंह देव: क्या संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार को कुछ राज्यों में टेलीफोन टेप किए जाने की बढ़ती घटनाओं की जानकारी है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) गत तीन वर्षों के दौरान किन-किन राज्यों से ऐसी घटनाओं की सूचना मिली है; और

(घ) सरकार द्वारा ऐसी गैर-कानूनी घटनाओं को रोकने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं?

संचार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री तपन सिकदर): (क) से (घ) टेलीफोनों की मॉनिटरिंग भारतीय तार अधिनियम 1885 की धारा 5(2) तथा भारतीय तार नियमावली, 1951 के उपबंधों के तहत प्राधिकृत है जिसमें ऐसे मामलों पर कड़ी प्रक्रिया अपनाने का उल्लेख है। टेलीफोनों को बीच में रोक कर सुनने के लिए प्राधिकृत करने संबंधी आदेश राज्य सरकारों के संबंध में राज्य सरकारों में गृह सचिव द्वारा तथा केन्द्रीय सरकार के संबंध में केन्द्रीय सरकार के गृह सचिव द्वारा जारी किए जाते हैं। राज्य सरकारों द्वारा मॉनिटर किए गए टेलीफोनों से संबंधित सूचना, भारत सरकार द्वारा व्यवस्थित नहीं की जाती । उपर्युक्त जारी आदेशों के संबंध में संचार मंत्रालय सिर्फ तकनीकी सहायता प्रदान करता है।

[हिन्दी]

टेलीफोनों का स्थानांतरण

4416. श्री मानसिंह पटेल: क्या संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार को एम.टी.एन.एल. में उसी एक्सचेंज अथवा एक एक्सचेंज से दूसरे एक्सचेंज में टेलीफोन स्थानांतरित करने के लिए नियमों के उल्लंघन के बारे में कोई शिकायतें मिली हैं;

(ख) यदि हां, तो गत तीन वर्षों का तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) इस संबंध में सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं?

संचार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री तपन सिकदर): (क) और (ख) पिछले तीन वर्षों के दौरान एमटीएनएल में एक एक्सचेंज से दूसरे एक्सचेंज में अथवा एक ही एक्सचेंजों में टेलीफोन शिफ्ट करने के लिए नियमों का उल्लंघन करने संबंधी 29 मामले चल रहे हैं। 12 राजपत्रित अधिकारियों तथा 14 अराजपत्रित अधिकारियों के खिलाफ नियमित विभागीय कार्रवाई शुरू की गई है।

(ग) उपर्युक्त (क) तथा (ख) के उत्तर को देखते हुए प्रश्न नहीं उठता।

[अनुवाद]

चेन्नई हवाई अड्डे पर सुरक्षा में खामी

4417. डा. वी. सरोजा: क्या नागर विमानन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या हाल ही में प्रधान मंत्री की यात्रा के दौरान चेन्नई हवाई अड्डे पर सुरक्षा में खामी हुई थी; और

(ख) यदि हां, तो चेन्नई हवाई अड्डे तथा तमिलनाडु के अन्य हवाई अड्डों पर सुरक्षा में सुधार करने हेतु क्या कदम उठाए गए हैं?

नागर विमानन मंत्री (श्री शरद यादव): (क) प्रधानमंत्री की हाल की यात्रा के दौरान चेन्नै विमानपत्तन पर सुरक्षा संबंधी कोई चूक नहीं हुई थी।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

एलाइंस एयर को काली सूची में डालना

4418. श्री अजय सिंह चौटाला: क्या नागर विमानन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार का ध्यान दिनांक, 21 जुलाई, 2000 के "द हिन्दुस्तान टाइम्स" में "यू. के. ब्लैक लिस्ट्स एलाइंस" शीर्षक से प्रकाशित समाचार की ओर दिलाया गया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या अनेक देशों ने अपने राजनयिकों तथा पर्यटकों को एलाइंस एयर में उड़ान न भरने का निर्देश दिया है; और

(घ) यदि हां, तो अन्य देशों को ऐसा न करने से रोकने हेतु सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं?

नागर विमानन मंत्री (श्री शरद यादव): (क) जी, हां।

(ख) से (घ) समाचार मद का कटाक्ष, रोल्स रायस द्वारा सुरक्षा आधार पर इंजन के लिए सर्विस कांट्रेक्ट वापस लेने के कारण एलायंस एयर का प्रयोग न करने के वास्ते भारत में अपने राजनयिकों को ब्रिटिश विदेशी कार्यालय द्वारा जारी दिशा-निर्देश से संबंधित था।

तथापि, यह वास्तव में गलत था। एलायंस एयर के बी-737 विमान में कोई रोल्स रॉयस इंजन नहीं लगा है, जैसा कि लेख में आरोप लगाया गया है। वास्तव में, इनमें प्रैट एंड ह्विटनी इंजन लगे हैं जिसकी सर्विसिंग नई दिल्ली में इंडियन एयरलाइंस के जेट इंजन ओवरहॉल सुविधा में की जाती है। ब्रिटिश राजनयिकों के विदेशी कार्यालय ने भी पुष्टि की है कि उन्होंने दिल्ली में अपने मिशन को एलायंस एयर के प्रयोग के विरुद्ध कोई अनुदेश जारी नहीं किए हैं।

बीमारी में सहायता हेतु कोष

4419. श्री ए. नरेन्द्र: क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) किन-किन राज्यों ने बीमारी में सहायता हेतु कोष की स्थापना की है और प्रत्येक राज्य द्वारा इसमें कितना धन जुटाया गया है;

(ख) उक्त कोष में प्रत्येक राज्य को केन्द्र सरकार द्वारा दी गई अनुदान/सहायता राशि का ब्यौरा क्या है; और

(ग) उक्त कोष से ऐसी सहायता पाने वाले लाभार्थियों की संख्या कितनी है और इनमें से प्रत्येक को कितनी सहायता राशि प्राप्त हुई है?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (प्रो. रीता वर्मा): (क) और (ख) सूचना संलग्न विवरण में दी गई है।

(ग) सूचना एकत्र की जा रही है और बाद में प्रस्तुत की जाएगी।

विवरण

रुपये करोड़ में

वर्ष	राज्य	राज्यों द्वारा किए गए योगदान	केन्द्रीय सरकार द्वारा जारी सहायता अनुदान की राशि
1	2	3	4
1996-97	कर्नाटक	10.00	5.00
	मध्य प्रदेश	10.00	5.00
	त्रिपुरा	4.00	2.00
1997-98	आंध्र प्रदेश	10.00	5.00
	तमिलनाडु	10.00	5.00
	हिमाचल प्रदेश	0.50	0.25
	जम्मू व कश्मीर	0.45	0.20

1	2	3	4
1998-99	महाराष्ट्र	4.00	2.00
	प. बंगाल	1.00	0.50
	केरल	2.00	1.00
	मिजोरम	1.00	0.50
	राजस्थान	2.00	1.00
1999-2000	गोवा सरकार	0.30	0.15
	गुजरात सरकार	2.00	1.00
	राजस्थान (दूसरी किस्त)	2.00	1.00
2000-01	सिक्किम	0.50	0.25
	जम्मू व कश्मीर (दूसरी किस्त)	0.25	0.125
	बिहार	2.50	1.25

परियोजनाओं के लिए धनराशि

4420. श्री चन्द्रकांत खैरे: क्या संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) महाराष्ट्र में चल रही उन परियोजनाओं का ब्यौरा क्या है जिन्हें धनराशि की कमी के कारण बंद कर दिया गया है या स्थगित कर दिया गया है;

(ख) इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है; और

(ग) उक्त परियोजनाओं को कब तक शुरू किए जाने की सम्भावना है?

संचार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री तपन सिकदर): (क) ऐसी कोई परियोजनाएं नहीं हैं जिन्हें निधियों की कमी के कारण बंद कर दिया गया हो या स्थगित कर दिया गया हो।

(ख) और (ग) उपरोक्त भाग (क) के उत्तर को देखते हुए प्रश्न नहीं उठता।

यमुना नदी में प्रदूषण

4421. श्रीमती निवेदिता माने:
श्री रामदास आठवले:
श्रीमती श्यामा सिंह:
श्री श्रीनिवास पाटील:
डा. मदन प्रसाद जायसवाल:

क्या पर्यावरण और वन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या उच्चतम न्यायालय ने हाल ही में दिल्ली, उ.प्र, और हरियाणा सरकार को यमुना जल की गुणवत्ता में सुधार लाने के लिए उठाए गए कदमों के संबंध में हलफनामा दायर करने के निदेश जारी किए हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड ने यमुना जल की गुणवत्ता को घटिया पाया है;

(घ) यदि हां, तो क्या राज्य सरकारों ने यमुना जल को प्रदूषण मुक्त रखने हेतु केन्द्रीय सरकार से सहायता मांगी है; और

(ङ) यदि हां, तो केन्द्र सरकार द्वारा इस संबंध में राज्य-वार इन राज्यों को दी जाने वाली सहायता का ब्यौरा क्या है?

पर्यावरण और वन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री बाबू लाल मरांडी): (क) और (ख) जी, हां। उच्चतम न्यायालय ने अपने दिनांक 11 जुलाई, 2000 के आदेश में उत्तर प्रदेश राज्य सरकार को अंत में यमुना में पहुंचने वाली ड्रेन की जल गुणता को स्वीकार्य विसर्जन मानकों के भीतर सुनिश्चित करने के लिए किए गए या किए जाने वाले प्रभावी उपायों को बताने के लिए चार

सप्ताह के भीतर एक शपथ-पत्र दाखिल करने के निदेश दिए हैं। हरियाणा सरकार ने इस मामले में पहले ही अपना शपथ-पत्र प्रस्तुत कर दिया है। उच्चतम न्यायालय ने यमुना नदी के प्रदूषण को नियंत्रित करने लिए राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार द्वारा उनके आदेशों का अनुपालन न करने पर गम्भीर अप्रसन्नता व्यक्त की है। 10 अक्तूबर, 2000 तक मामले को स्थगित करते हुए न्यायालय ने राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार को निर्देश दिए हैं कि यदि तब तक जल गुणता में सुधार नहीं हुआ तो न केवल पहले किए गए जुर्माने को वसूल करने के निर्देश दिए जाएंगे बल्कि इस मामले में आगे और कार्रवाई भी की जाएगी।

(ग) जी, हां। दिल्ली के साथ-साथ यमुना नदी और इसके अधोप्रवाह में यमुना की जल गुणवत्ता अपेक्षित मानदण्डों से बहुत कम हैं। केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड ने अपनी निगरानी रिपोर्टों में इन तथ्यों की पुष्टि की है जिन्हें जनहित याचिका के अंतर्गत उच्चतम न्यायालय में नियमित रूप से प्रस्तुत किया जाता है।

(घ) और (ङ) सरकार ने अप्रैल, 1993 में यमुना कार्य योजना के नाम से जानी जाने वाली प्रदूषण उपशमन की एक योजना अनुमोदित की थी। कार्य योजना की मौजूदा अनुमोदित लागत 509.54 करोड़ रुपये है। इस योजना के अंतर्गत 21 शहरों में कार्य प्रारंभ किया गया है, जिसमें से दिल्ली के अलावा 8 शहर उत्तर प्रदेश के और 12 शहर हरियाणा के हैं। हरियाणा, उत्तर प्रदेश और दिल्ली राज्यों के लिए परियोजना की अनुमोदित लागत क्रमश: 226.28 करोड़ रुपये, 250.23 करोड़ रुपये और 19.94 करोड़ रुपये हैं। यमुना कार्य योजना का दिल्ली का घटक छोटा है जिसमें प्रति दिन 10 मिलियन लीटर क्षमता वाले 2 मलजल शोधन संयंत्र तथा एक विद्युत शवदाहगृह शामिल हैं। अब तक इस योजना पर 431.87 करोड़ रुपये खर्च किए गए। राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार यमुना प्रदूषण उपशमन कार्यक्रम के अधिकांश भाग को अपनी आयोजना राशि में से कार्यान्वित कर रही है। इस कार्यक्रम के अंतर्गत सम्बद्ध कार्यों के साथ-साथ 14 अतिरिक्त मलजल शोधन संयंत्रों का निर्माण किया जाना है इनमें से 7 शोधन संयंत्र पहले ही पूरे हो गए हैं और अन्य 6 मार्च 2001 तक पूरे हो जाएंगे तथा शेष एक मलजल शोधन संयंत्र के लिए निविदाएं मांगी गई हैं। अभी तक इस कार्यक्रम पर 496 करोड़ रुपये की धनराशि खर्च की गई है। राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार ने दिल्ली में ट्रंक सीवरेज प्रणाली की बहाली के लिए लगभग 435 करोड़ रुपये की अनुमानित लागत पर एक प्रस्ताव प्रस्तुत किया है, जोकि यमुना नदी के प्रदूषण के लिए महत्वपूर्ण रूप से जिम्मेवार है। सरकार ने इस उद्देश्य के लिए यमुना कार्य योजना की बचत का प्रयोग करने हेतु अनुमति प्राप्त करने के लिए अंतर-राष्ट्रीय सहयोग संबंधी जापान बैंक को यह प्रस्ताव प्रस्तुत किया है। तथापि, अंतर-राष्ट्रीय सहयोग संबंधी जापान बैंक प्रस्ताव से सहमत नहीं है। इसके अलावा राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार ने 90 करोड़ रुपये की अनुमानित लागत पर दिल्ली में 21 औद्योगिक क्षेत्रों में औद्योगिक बहिस्राव के शोधन हेतु 15 सामूहिक बहिस्राव शोधन संयंत्रों का भी निर्माण करना है। यह परियोजना कार्यान्वित की जा रही है।

[हिन्दी]

नए डाकघर

4422. श्री अब्दुल रशीद शाहीन: क्या संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार को नए डाकघर खोलने के लिए कोई प्रस्ताव प्राप्त हुआ है;

(ख) यदि हां, तो गत तीन वर्षों के दौरान राज्य-वार तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) इस संबंध में सरकार द्वारा की-गई-कार्रवाई का ब्यौरा क्या है और अब तक स्वीकृति न दिए जाने के क्या कारण हैं?

संचार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री तपन सिकदर): (क) जी हां।

(ख) और (ग) गत तीन वर्षों के दौरान डाक सर्किलों से प्राप्त प्रस्तावों के विवरण, डाक विभाग के निदेशालय द्वारा अनुमोदित प्रस्तावों की संख्या तथा सर्किलवार खोले गए डाकघरों की वास्तविक संख्या संलग्न विवरण में दी गई हैं। नए डाकघर पंचवर्षीय योजना के भाग के तौर पर वार्षिक योजना के अनुसार खोले जाते हैं। यह निर्धारित मानदंडों की पूर्ति होने तथा वित्त मंत्रालय द्वारा अपेक्षित पदों की मंजूरी मिलने पर निर्भर करता है। वर्ष 1999-2000 के दौरान अतिरिक्त विभागीय एजेंटों के 442 पदों की मंजूरी देने के प्रस्ताव पर वित्त मंत्रालय ने अपनी सहमति नहीं दी। तालिका में दिए गए आंकड़ों में पदों के नवसृजन द्वारा खोले गए और पुन: तैनाती के जरिए खोले गए डाकघर शामिल हैं।

विवरण

अनुबंध-"क"

		सर्किलों से प्राप्त प्रस्तावों की संख्या			निदे.* द्वारा अनुमोदित प्रस्तावों की संख्या			खोले गए डाकघरों की संख्या		
		97-98	98-99	99-2000	97-98	98-99	99-2000	97-98	98-99	99-2000
1.	आन्ध्र प्रदेश	9	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	10	10	4
2.	असम	26	63	46	36	54	20	18	54	24
3.	बिहार	42	80	90	40	72	51	31	72	51
4.	दिल्ली	05	04	शून्य	4	04	शून्य	5	4	4
5.	गुजरात	23	34	33	14	27	27	18	31	28
6.	हरियाणा	17	14	12	5	12	09	13	13	12
7.	हिमाचल प्रदेश	10	13	06	7	07	शून्य	4	7	2
8.	जम्मू एवं कश्मीर	14	27	01	15	23	शून्य	11	23	14
9.	कर्नाटक	34	09	03	24	05	शून्य	24	12	21
10.	केरल	10	07	शून्य	4	06	शून्य	7	12	4
11.	मध्य प्रदेश	33	13	शून्य	4	शून्य	शून्य	41	50	40
12.	महाराष्ट्र	26	45	08	11	42	03	34	69	50
13.	उत्तर-पूर्व	26	61	19	6	54	शून्य	18	54	19
14.	उड़ीसा	31	13	04	19	07	शून्य	21	10	14
15.	पंजाब	16	03	02	5	03	शून्य	12	12	9
16.	राजस्थान	33	शून्य	शून्य	6	शून्य	शून्य	33	30	24
17.	तमिलनाडु	11	01	शून्य	3	शून्य	शून्य	21	10	15
18.	उत्तर प्रदेश	88	84	43	13	81	07	57	82	10
19.	पश्चिम बंगाल	51	शून्य	43	31	43	41	24	43	41
	कुल	505	471	310	347	440	158	402	598	386

* निदेशालय

[अनुवाद]

स्थानांतरण संबंधी पैकेज

4423. श्री अनंत गुडे: क्या संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार का ध्यान भारत के नियंत्रक तथा महालेखापरीक्षक द्वारा की गई उस टिप्पणी की ओर आकृष्ट कराया गया है कि स्तानांतरण संबंधी पैकेज के कारण गैर-सरकारी टेलीफोन कंपनियों के लाइसेंस धारकों को अनुचित लाभ और दोहरी रियायत प्राप्त हुई है; और

(ख) यदि हां, तो सरकार की इस पर क्या प्रतिक्रिया है?

संचार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री तपन सिकदर): (क) और (ख) मार्च,. 1999 को समाप्त वर्ष के लिए भारत के नियंत्रक एवं महालेखा-परीक्षक की रिपोर्ट 2000 की रिपोर्ट संख्या 6 में ''पैकेज ऑफ कन्सेशन्ज टू एक्जिस्टिंग सेल्यूलर एण्ड बेसिक टेलीफोन सर्विस ऑपरेटर'' शीर्षक के अन्तर्गत एक पैरा शामिल किया गया है।

सरकार ने लेखा परीक्षा पैरे के मसौदे के स्तर पर लेखा-परीक्षा की टिप्पणियों को स्वीकार नहीं किया है और निर्दिष्ट किया है कि मौजूदा लाइसेंस धारकों के नई दूरसंचार नीति 1999 (एनटीपी-99) की राजस्व भागीदारी की व्यवस्था में माइग्रेशन से संबंधित नीति दूरसंचार उद्योग जगत से संबंधित वास्तविकताओं के आधार पर सर्वाधिक लोक हित में उपयोगी व्यवस्थाओं हेतु संसूचित एवं संस्थागत निर्णय के परिणामस्वरूप बनाई गई थी। नई दूरसंचार नीति 1999 को देश भर में समान रूप से लागू करने से बहुव्यवस्था, अपेक्षाकृत बेहतर अभिगम्यता तथा उपभोक्ताओं को संशोधित/लागत प्रभावी सेवा प्रदान करके दूरसंचार क्षेत्र का विकास सुनिश्चित होगा जो नई दूरसंचार नीति के लक्ष्यों की प्राप्ति में अहम् भूमिका निभाएगा।

[हिन्दी]

प्रजनन को बढ़ाने में सफलता

4424. श्रीमती जयाबेन बी. ठक्कर: क्या **स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि महाराष्ट्र के एक डाक्टर ने फ्रोजन एम्ब्रिओ ट्रांसफर टेक्नोलॉजी का विकास कर गर्भधारण में इस तकनीक को कारगर साबित कर प्रजनन को बढ़ाने में सफलता हासिल की है;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार इस टेक्नोलॉजी से आम जनता को परिचित कराने पर विचार कर रही है; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (प्रो. रीता वर्मा): (क) महिलाओं को फ्रोजिंग एम्ब्राज के ट्रांसफर की तकनीक 15 वर्षों से प्रयोग में है। इसका चिकित्सीय अनुप्रयोग विश्व भर में प्रसिद्ध है।

(ख) और (ग) लागू नहीं होता।

बिना लागत बढ़े परियोजनाओं को पूरा करना।

4425. श्री सुकदेव पासवान:
श्री रामजी लाल सुमन:

क्या जल-भूतल परिवहन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या योजना आयोग ने आरोप लगाया है कि सरकार बिना पूरी तैयारी के परियोजनाएं शुरू करती हैं जिससे उनके पूरे होने में विलम्ब होता है और उनकी लागत भी बढ़ जाती है;

(ख) यदि हां, तो इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है;

(ग) क्या नौवीं पंचवर्षीय योजना के पहले दो वर्षों के दौरान प्रक्रियागत खामियों के कारण आबंटित धनराशि का केवल 75 प्रतिशत ही खर्च किया गया है; और

(घ) यदि नहीं, तो तत्संबंधी तथ्य क्या हैं और परियोजनाओं की लागत न बढ़ने देने और उन्हें समय पर पूरा करने हेतु सरकार द्वारा क्या नए कदम उठाए जाने का प्रस्ताव है?

जल-भूतल परिवहन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री हुकमदेव नारायण यादव): (क) से (घ) सूचना एकत्र की जा रही है और लोक सभा के पटल पर रख दी जाएगी।

[हिन्दी]

मस्तिष्क ज्वर के लिए बेल्लारी में वाइरस विज्ञान केन्द्र

4426. श्री आर.एल. जालप्पा:
श्री कोलूर बसवनागौड़:

क्या **स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार को कर्नाटक में मस्तिष्क ज्वर की बढ़ती घटना को देखते हुए बेल्लारी में एक वाइरस विज्ञान केन्द्र खोलने के लिए राज्य सरकार से कोई प्रस्ताव प्राप्त हुआ है; और

(ख) यदि हां, तो सरकार द्वारा इस संबंध में क्या कार्यवाही की गई है?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (प्रो. रीता वर्मा): (क) जी नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

गैर-सरकारी क्षेत्र हेतु एस.टी.डी. लाइनें

4427. श्री सुनील खां: क्या संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार का विचार एस.टी.डी. को गैर-सरकारी क्षेत्र के साथ संयुक्त रूप से शुरू करने का है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) सरकारी और गैर-सरकारी मालिक के बीच शुल्क की हिस्सेदारी का ब्यौरा क्या है;

(घ) क्या इससे सरकार के राजस्व में वृद्धि होने की संभावना है;

(ङ) सरकार की इस पर क्या प्रतिक्रिया है; और

(च) इस संबंध में कोई अंतिम निर्णय कब तक लिए जाने की संभावना है?

संचार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री तपन सिकदर): (क) सरकार ने राष्ट्रीय लंबी दूरी क्षेत्र में प्राइवेट सेक्टर के प्रवेश की अनुमति देने का निर्णय लिया है।

(ख) संलग्न विवरण में दिए गए ब्यौरे के अनुसार।

(ग) सरकार और प्राइवेट क्षेत्र के बीच कोई टैरिफ हिस्सेदारी नहीं है।

(घ) और (ङ) उपर्युक्त भाग (ग) के उत्तर को देखते हुए प्रश्न नहीं उठता।

(च) सरकार ने पहले ही 13.8.2000 को दिशानिर्देशों की घोषणा कर दी है।

विवरण

अनुबंध

राष्ट्रीय लंबी दूरी की सेवा के लिए लाइसेंस जारी करने के लिए मार्गनिर्देशों का ब्यौरा।

नई दूरसंचार नीति, 1999 में निजी ऑपरेटरों के सेवा क्षेत्र से बाहर राष्ट्रीय लंबी दूरी सेवा खोलने की परिकल्पना की गई थी। सरकार ने ऑपरेटरों की संख्या पर बिना किसी प्रतिबंध के राष्ट्रीय लंबी दूरी की सेवा खोलने का निर्णय लिया है। भारत में राष्ट्रीय लंबी दूरी के प्रचालनों (एनएलडीओ) के लिए लाइसेंस जारी करने के बारे में व्यापक मार्गनिर्देश जारी किए गए हैं जो इस प्रकार हैं:-

1. आवेदक कंपनी अधिनियम, 1956 के अंतर्गत पंजीकृत एक भारतीय कंपनी होनी चाहिए।
2. आवेदक कंपनी अपना आवेदन निर्धारित आवेदन प्रपत्र में प्रस्तुत करेगी।
3. आवेदक कंपनी एनएलडीओ के केवल एक लाइसेंस के लिए आवेदन कर सकती है।
4. एनएलडीओ के लिए लाइसेंस भारत के प्रादेशिक क्षेत्राधिकार के भीतर अंतर-सर्किल लंबी दूरी के प्रचालनों के लिए गैर-विशिष्ट आधार पर 20 वर्षों की अवधि के लिए जारी किए जाएंगे जिसे एक बार 10 वर्ष तक बढ़ाया जा सकेगा।
5. पूरी लाइसेंस अवधि के दौरान किसी भी समय आवेदक कंपनी में कुल विदेशी इक्विटी 49 प्रतिशत से अधिक नहीं होनी चाहिए। किसी अनिवासी भारतीय ओसोबी/ अन्तर्राष्ट्रीय फंडिंग एजेंसियों द्वारा आवेदक कंपनी की इक्विटी में निवेश, इसकी विदेशी इक्विटी में निवेश माना जाएगा। इस संबंध में आवेदक कंपनी सक्षम प्राधिकारी से इस आशय का प्रमाण-पत्र प्रस्तुत करेगी आवेदक कंपनी में कुल विदेशी इक्विटी 49 प्रतिशत से अधिक नहीं है।
6. आवेदक कंपनी अलाभकारी तथा दूरस्थ क्षेत्रों की कवरेज सहित चार चरणों में कवरेज के लिए आने आवेदन के साथ प्रत्येक दूरसंचार सर्किल में लंबी दूरी के प्रभारण क्षेत्रों (एलडीसीए) का नाम उल्लेख करते हुए एक रोल आउट योजना प्रस्तुत करेगी।
7. आवेदक कंपनी लाइसेंस पर हस्ताक्षर करने से पूर्व एक बार प्रवेश शुल्क के रूप में 100 करोड़ रुपये वेतन एवं लेखा अधिकारी (मुख्यालय), दूरसंचार विभाग के पक्ष में नई दिल्ली में देय डिमांड ड्राफ्ट/भुगतान आदेश के रूप में भुगतान करेगी, जो अप्रतिदेय होगा। इसके अतिरिक्त, 100-100 करोड़ रु. की चार बैंक गारंटियां दी जाएंगी जो एलडीसीए में पॉइंट ऑफ प्रेजेंस स्थापित करके नेटवर्क रोल आउट दायित्वों को पूरा करने की शर्त पर नीचे दिए गए तरीके से प्रत्येक चरण के पूरे होने पर वापस रिलीज की जाएंगी।

(1) चरण 1 का पूर्ण होना 100 करोड़ रु.

(2) चरण 2 का पूर्ण होना 100 करोड़ रु.

(3) चरण 3 का पूर्ण होना 100 करोड़ रु.

(4) चरण 4 का पूर्ण होना 100 करोड़ रु.

8. नेटवर्क कवरेज-चरण 1, 2, 3 तथा 4 की प्रतिशतता में किसी प्रकार की कमी होने से उस विशेष चरण से संबंधित बैंक गारंटी भुना तथा जब्त कर ली जाएगी। पूरे नहीं किए नेटवर्क दायित्वों को एक चरण से दूसरे चरण में नहीं ले जाया जाएगा।

9. आवेदक कंपनी परियोजना का वित्तपोषण करने के लिए इसकी वित्त की व्यवस्था के ब्यौरे सहित एक कारोबार-योजना प्रस्तुत करेगी।

10. आवेदक कंपनी "राइट ऑफ वे" (आरओडब्ल्यू)के लिए अपनी व्यवस्था स्वयं करेगी। तथापि, केन्द्र सरकार भारतीय तार अधिनियम, 1885 के भाग-3 के अंतर्गत अनुरोध किए जाने पर तार लाइनें बिछाने के उद्देश्य से एनएलडीओ लाइसेंस धारकों को लाने के लिए आवश्यक अधिसूचना जारी करेगी। लेकिन शर्त है कि "राइट ऑफ वे" की अनुपलब्धता अथवा किसी एजेंसी से अनुमति/क्लियरेंस प्राप्त करने में हुए किसी विलंब को रोल आउट दायित्वों को पूरा नहीं करने के लिए किसी प्रकार का बहाना नहीं माना जाएगा।

11. आवेदक कंपनी के पास आवेदन करने के दिन 250 करोड़ रु. की न्यूनतम-प्रदत्त इक्विटी पूंजी होगी तथा वह लाइसेंस के लिए आवेदन के साथ इसका सर्वोत्तम प्रमाण प्रस्तुत करेगी।

12. आवेदक कंपनी के प्रवर्तकों का संयुक्त निवल मूल्य 2500 करोड़ रु. होगा। केवल उन प्रवर्तकों के नेटवर्थ की गणना की जाएगी जिनका कंपनी की कुल इक्विटी में कम से कम 10 प्रतिशत का इक्विटी हिस्सा हो। यहां नेटवर्थ का अर्थ, प्रदत्त इक्विटी-पूंजी तथा स्वतंत्र आरक्षित पूंजी का भारतीय रुपयों में कुल योग है। नेटवर्थ की गणना करते समय विदेशी मुद्रा को आवेदन की तारीख को भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा उल्लिखित दर पर भारतीय रुपयों में बदला जाएगा।

13. जिन व्यक्तियों की आवेदक कंपनी में कम से कम 30 प्रतिशत की कुल इक्विटी हो, उन्हें दूरसंचार क्षेत्र का अनुभव होना चाहिए तथा लाइसेंस के आवेदन के साथ इसका प्रमाण संलग्न होना चाहिए।

14. ऊपर बताए गए प्रवेश शुल्क के अतिरिक्त, लाइसेंस-शुल्क के रूप में 10 प्रतिशत की दर से राजस्व शेयर तथा उसमें "यूनिवर्सल ऑब्लीगेशन फंड" (यूएसओफंड) के प्रतिनिर्धारित अंशदान जोड़कर 15 प्रतिशत के कुल कैप के साथ देय होगा।

15. यह भी शर्त है कि स्पेक्ट्रम के इस्तेमाल तथा बेतार टेलीग्राफी उपस्कर के स्वामित्व के लिए शुल्क/रॉयल्टी बेतार योजना तथा समन्वय स्कंध के ब्यौरों तथा विवरण के अनुसार अलग से देय होगी। उपोरक्त स्पैक्ट्रम/बेतार टेलीग्राफी उपस्कर का स्वामित्व शुल्क/रायल्टी फ्रीक्वेन्सी हॉप व लिंक लैंथ तथा प्रचालन क्षेत्र आदि जैसे विभिन्न फैक्टरों पर आश्रित है।

16. आवेदक कम्पनी को, लाइसेंस करार पर हस्ताक्षर की तारीख से एक वर्ष के पश्चात् या सेवा की शुरुआत से पूर्व, जो भी पहले हो, लाइसेंस-करार में दिए गए विहित प्रप्रत्र में 20 करोड़ रु. की वित्तीय बैंक-गारंटी (एफ.बी.जी.) देनी होगी। शुरू में, वित्तीय बैंक-गारंटी छह माह की अवधि तक वैध रहेगी तथा उनकी राशि के लिए नवीकृत (रिन्यू) करानी होगी, जितनी राशि केन्द्र सरकार समय-समय पर निर्दिष्ट करे।

17. स्पैक्ट्रम के उपयोग के लिए बेतार टेलीग्राफी-उपस्कर के स्वामित्व की देयताओं/शुल्कों/रॉयल्टियों की, एक वर्ष की अवधि के लिए समान राशि का एफबीजी देकर पृथक रूप से समीक्षा की जाएगी जो ऐसी देयताओं के अंतिम शोधन होने तक, समय-समय पर नवीकरणीय हो।

18. कंपनी अधिनियम, 1956 के प्रावधानों के अनुसार, आवेदक कंपनी/या लाइसेंसधारी, जैसी भी स्थिति हो, के नाम में परिवर्तन अनुमत्य होगा।

19. व्यवहार्यत:, आवेदन प्रस्तुत करने के 15 दिनों के भीतर उस पर निर्णय लेकर आवेदक कंपनी को तदनुसार सूचित कर दिया जाएगा। यदि आवेदक एनएलडीओ-लाइसेंस पाने का पात्र पाया जाता है तो, उसे पत्र जारी होने के तीन माह के भीतर तत्काल प्रवेश-शुल्क, बैंक गारंटी/अन्य दस्तावेज जमा कराकर लाइसेंस-करार पर हस्ताक्षर करने होंगे अन्यथा यह माना जाएगा कि आवेदक की लाइसेंस लेने में कोई रूचि नहीं है तथा उसका आवेदन रद्द कर दिया जाएगा।

20. यदि आवेदक एनएलडीओ-लाइसेंस पाने का पात्र नहीं पाया जाता है तो, उसे तदनुसार सूचित कर दिया जाएगा। उसके बाद, वह खामियां दूर कर नया आवेदन प्रस्तुत कर सकता है।

21. एनएलडी-सेवा का संबंध लंबी दूरी की स्विच्ड कैरियर टेलीकाम-सर्विस चलाने से है तथा उक्त सेवा के लाइसेंस धारक को, अंतरा-सर्किल ट्रैफिक से भिन्न, अंत: सर्किल ट्रैफिक के वहन का अधिकार होगा। जबकि अंत: सर्किल का वहन, फिक्स्ड सर्विस-प्रदाता के साथ परस्पर सहमति की शर्तों के अनुसार प्रदान किया जाता है एनएलडी-ऑपरेटर, लंबी दूरी के प्रभारण-केंद्रों (एन एल डी सी) व कम दूरी के प्रभारण-केन्द्रों (एस डी सी सी) के बीच के पड़ाव के ट्रैफिक के चयन हेतु, फिक्स्ड-सेवा-प्रदाताओं से आपसी सहमति की व्यवस्था कर सकते हैं।

22. एनएलडी-ऑपरेटरों को, एक्सेस प्रदाताओं के साथ लीज्ड लाइनों को अंतिम मील के लिए स्वयं के अपने उपयुक्त प्रबंध/करार करने होंगे।

3. प्रवेशकों की संख्या पर बिना किसी प्रकार के प्रतिबंध के एनएलडी-सेवाओं के लाइसेंस जारी किए जाएंगे।

4. विभिन्न सेवा-प्रदाताओं के नेटवर्कों के मध्यवर्ती इंटर कनैक्शन, दूरसंचार इंजीनियरी केन्द्र (टीईसी) द्वारा समय-समय पर जारी सीसीएस सं.07 के राष्ट्रीय मानकों के अनुरूप होंगे।

5. इंटर कनेक्टैड नेटवर्क से निम्नलिखित कार्यों के निष्पादन की समुचित व्यवस्था हेतु, एनएलडी-ऑपरेटर अन्य सेवा-प्रदाताओं से इन कनैक्शनों के करारों के बारे में बातचीत कर सकते हैं:

(क) अपनी व्यवहार्य प्रणालियों को जोड़ना व उन्हें चालू रखना;

(ख) व्यवहार्य प्राणालियों के जरिए संदेशों के पारेषण व रिसेप्शन में मदद के लिए वाजिब तौर से अपेक्षित पर्याप्त क्षमता व पर्याप्त संख्या के एक या अधिक इंटर कनैक्ट प्वाइंटों की स्थापना व उनका रख-रखाव।

(ग) इण्टर कनेक्टैड-प्रणालियों के मध्य पारेषण व रिसेप्शन की समूची वाजिब मांग पूरी करना।

26. मानक इंटरफैसों, इंटर कनेक्शनों के प्वाइंटों व तकनीकी पहलुओं सहित इंटर कनेक्शन की शर्तें सेवा-प्रदाताओं के बीच आपसी सहमति से तय की जाएंगी।

27. एनएलडीओ लाइसेंसधारी सेवा प्रदान करने के प्रयोजन से, अन्य सेवा/एक्सेस प्रदाताओं के उपस्करों के अनुकूल अपना स्वयं का उपकरण लगाएगा, जो इंटर कनेक्शन हेतु एनएलडीओ-लाइसेंस-धारक व्यवहार्य प्रणालियों के लिए अपेक्षित है।

28. एनएलडीओ-लाइसेंसधारी ट्राई अधिनियम, 1997 के तहत ट्राई द्वारा जारी इंटर कनेक्शन के विनियम संबंधी सभी प्रकार के निदेशों का पालन करेगा।

29. एनएलडीओ-लाइसेंसधारी, नेटवर्क व नेटवर्क-इंटरफैस की बाबत सेवा-प्रदाताओं के बीच आपसी सहमति सेवा-मानकों की गुणवत्ता के अनुरूप लाइसेंस शुदा नेटवर्क चलाएगा व उसका रख-रखाव करेगा।

30. अन्य नेटवर्कों के साथ एक्सेज या इंटर कनैक्शन के प्रभार सेवा-प्रदाताओं की आपसी सहमति पर आधारित होंगे, बशर्ते वे प्रभार ट्राई-अधिनियम, 1997 के तहत ट्राई द्वारा समय-समय पर जारी पाबंदियों के अनुसार हों।

31. लंबी दूरी की राष्ट्रीय सेवा की सेवा अपेक्षाएं पूरी करने हेतु नेटवर्कों के उन्नयन/सुधार-लागत समेत नेटवर्क के संसाधन, सेवा प्रदाताओं के मध्य हिस्सेदारी-व्यवस्था को आपसी बातचीत से तय किए जाएंगे।

32. फिक्स्ड सेवा-प्रदाताओं, सेल्यूलर मोबाइल सेवा-प्रदाताओं, केबल-सेवा प्रदाताओं के लिए एनएलडी सेवा प्रदाताओं को इंटर कनैक्शन उपलब्ध कराना लाजिमी होगा, ताकि उपभोक्ता एनएलडी सेवा प्रदाता के माध्यम से कहीं भी अत:-सर्किल/लंबी दूरी की अंतर्राष्ट्रीय कालें कर सकें।

33. आवेदक कंपनी वेतन एवं लेखाधिकार (मुख्यालय) दूरसंचार विभाग के नाम से नई दिल्ली में देय डिमाण्ड ड्राफ्ट/पे आर्डर के रूप में 15,000/-रुपये का प्रोसेसिंग-शुल्क आवेदन के साथ अदा करेगी। किसी भी हालत में उक्त राशि वापिस नहीं लौटाई जाएगी।

34. आवेदन, अनुभागाधिकारी बीएस-1 दूरसंचार विभाग, कमरा न. 1119, संचार भवन, 20 अशोक रोड़, नई दिल्ली-110001 को प्रस्तुत करना होगा।

डाकघर-बचत-योजना

4428. मोहम्मद शहाबुद्दीन: क्या संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि देश में नेशनल सेविंगस सर्टिफिकेट्स (एनएससी) और किसान विकास पत्र (केवीएस) जैसी लघु बचत योजनाओं के एजेंट स्थानीय प्रधान डाकघर के कर्मचारियों की मिलीभगत से करोड़ों रुपये के सरकारी राजस्व को नुकसान पहुंचाने में लिप्त हैं;

(ख) यदि हां, तो इस संबंध में बनाए गए दिशानिर्देशों का ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या ये एजेंट इन मानदंडों/दिशानिर्देशों का खुल्लमखुल्ला उल्लंघन कर डाक कर्मचारियों के संरक्षण में कमीशन के रूप में सरकारी खाते के पैसों का गबन करते देखे जा सकते हैं;

(घ) यदि हां, तो क्या वे ग्राहक जो ये सर्टिफिकेट खरीदना चाहते हैं के–फार्म एजेंटों द्वारा अपने कब्जे में ले लिए जा रहे हैं जिससे वे बिना श्रम किए ही एक प्रतिशत कमीशन के हकदार हो जाते हैं;

(ङ) गत तीन वर्षों के दौरान प्रतिवर्ष प्रकाश में आए ऐसे मामले और सरकार को हुए राजस्व के नुकसान का ब्यौरा क्या है; और

(च) डाकघरों में ऐसी गतिविधियों पर अंकुश लगाने हेतु सरकार द्वारा क्या सुधारात्मक कदम उठाए गए हैं?

संचार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री तपन सिकदर): (क) और (ख) जी नहीं। किंतु, इस प्रकार के व्यवहार पर रोक लगाने के लिए विस्तृत मार्गदर्शी सिद्धान्त जारी किए गए हैं जो अन्य बातों के साथ-साथ उन्हें डाकघर द्वारा नियत घंटों में अपना कारोबार चलाने की अनुमति देते हैं, उन्हें कार्य-समय के दौरान डाकघर परिसर में आने के लिए मना करते हैं और लघु बचत योजनाओं के अंतर्गत धन-राशि जुटाने हेतु जनता से संपर्क करने के लिए बीच की अवधि का उपयोग करने के लिए उन्हें प्रोत्साहित करते हैं।

(ग) जी नहीं। किंतु, डाकघर ऐसे सार्वजनिक स्थान होते हैं जहां लोग बेरोकटोक आ-जा सकते हैं, इसलिए एजेंटों के डाक कर्मचारियों से मिलीभगत करके काम करने की संभावना से पूरी तरह इंकार नहीं किया जा सकता।

(घ) और (ङ) प्रश्न नहीं उठता।

(च) डाकघरों में इन क्रियाकलापों पर रोक लगाने के लिए सभी डाक सर्किलों को समय-समय पर अनुदेश जारी किए जाते हैं।

[हिन्दी]

बिहार में टेलीफोन सलाहकार समिति

4429. प्रो. दुखा भगत: क्या संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या बिहार में विशेषरूप से रांची में टेलीफोन सलाहकार समिति में सदस्यता हेतु संसद सदस्यों के पत्रों पर कोई कार्यवाही नहीं की जाती है;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं और सरकार की इस पर क्या प्रतिक्रिया है;

(ग) गत छ: महीने के दौरान टेलीफोन सलाहकार समिति की सदस्यता हेतु कितने संसद सदस्यों द्वारा पत्र लिखे गए हैं; और

(घ) कितने पत्रों के आधार पर सदस्यता प्रदान की गई?

संचार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री तपन सिकदर): (क) जी, नहीं। टेलीफोन सलाहकार समिति की सदस्यता के लिए माननीय संसद सदस्यों के पत्रों पर कार्रवाई की जाती है।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

(ग) और (घ) सूचना एकत्र की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जाएगी।

बिहार की लम्बित परियोजनाएं

4430. श्री दिनेश चन्द्र यादव: क्या पर्यावरण और वन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) बिहार सरकार की उन योजनाओं का ब्यौरा क्या है जो केन्द्र सरकार के पास पर्यावरणीय स्वीकृति हेतु लंबित पड़ी हैं; और

(ख) उक्त योजनाओं को कब तक स्वीकृति मिल जाने की संभावना है?

पर्यावरण और वन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री बाबू लाल मरांडी): (क) पर्यावरणीय मंजूरी के लिए बिहार सरकार की कोई स्कीम लंबित नहीं है।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

[अनुवाद]

वन्य जीवों का संरक्षण

4431. वैद्य विष्णु दत्त शर्मा: क्या पर्यावरण और वन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या केन्द्र सरकार का विचार जम्मू कश्मीर में वन्यजीव संरक्षण अधिनियम लागू करने और राज्य के वन्यजीव अभयारण्यों के आस-पास बाड़ लगाने का है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार का विचार जम्मू-कश्मीर में वन्य जीव संरक्षण अधिनियम का उल्लंघन रोकने का है;

(घ) यदि हां, तो क्या केन्द्र सरकार द्वारा राज्य में वनों के रख-रखाव का प्रस्ताव है;

(ङ) यदि हां, तो क्या केन्द्र सरकार ने जम्मू कश्मीर सरकार से भी वनों के कटाव पर रोक लगाने और एक असरदार अभियान शुरू करने के लिए कहा है; और

(च) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

पर्यावरण और वन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री बाबू लाल मरांडी): (क) और (ख) जम्मू व कश्मीर राज्य का अपना वन्यजीव (सुरक्षा) अधिनियम है। इसलिए जम्मू और कश्मीर में वन्यजीव सुरक्षा अधिनियम, 1972 लागू किए जाने का प्रश्न ही नहीं उठता।

(ग) जम्मू और कश्मीर वन्य जीव (सुरक्षा) अधिनियम के क्रियान्वयन संबंधी जिम्मेदारी राज्य सरकार की है।

(घ) जम्मू और कश्मीर में वनों की सुरक्षा और प्रबंधन की जिम्मेदारी राज्य सरकार की है। केन्द्र सरकार, राज्य सरकार द्वारा मांग किए जाने पर मंत्रालय के पास उपलब्ध बजट के भीतर वित्तीय सहायता और तकनीकी विशेषज्ञता मुहैया करती है।

(ङ) केन्द्र सरकार जम्मू और कश्मीर सहित सभी राज्यों को उनके वनों की सुरक्षा तथा बढ़ते हुए भंडार में वृद्धि के लिए उचित उपाय करने हेतु सदैव अनुरोध करती है।

(च) प्रश्न नहीं उठता।

खुर्दा-बोलांगीर राष्ट्रीय राजमार्ग की स्थिति

4432. श्रीमती संगीता कुमारी सिंह देव: क्या जल-भूतल परिवहन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) के बी के (काला हांडी-बोलांगीर-कोरापट) क्षेत्र को विकास में प्राथमिकता दिए जाने को ध्यान में रखते हुए खुर्दा-बोलांगीर राष्ट्रीय राजमार्ग की वर्तमान स्थिति क्या है; और

(ख) कब तक उपर्युक्त परियोजना के पूरा होने की संभावना है?

जल-भूतल परिवहन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री हुकमदेव नारायण यादव): (क) खुर्दा से बोलांगीर सड़क राष्ट्रीय राजमार्ग नहीं है। इसलिए इस सड़क के विकास के लिए यह मंत्रालय जिम्मेदार नहीं है।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

चिड़ियाघर में पशुओं का संरक्षण

4433. श्री एन. जनार्दन रेड्डी:
श्री सुरेश कुरूप:
श्रीमती श्यामा सिंह:

क्या पर्यावरण और वन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार का ध्यान दिनांक 21 जुलाई, 2000 के "द हिन्दू" में एक्सपोर्ट फार इन्सपेक्शन आफ जुअज" शीर्षक से प्रकाशित समाचार की ओर आकृष्ट किया गया है;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार की किसी विशेषज्ञ दल द्वारा देश भर के सभी चिड़ियाघरों की जांच कराने की सिफारिश की गई है ताकि वहां के पशुओं के स्वास्थ्य की स्थिति का पता चल सके;

(ग) यदि हां, तो विशेषज्ञ दल द्वारा की गई सिफारिशों का ब्यौरा क्या है तथा इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है;

(घ) क्या केन्द्रीय चिड़ियाघर प्राधिकरण ने चिड़ियाघरों की दयनीय स्थिति के लिए विशेषज्ञों को जिम्मेदार ठहराया है;

(ङ) यदि हां, तो क्या केन्द्रीय चिड़ियाघर प्राधिकरण दिशा निर्देशों के अनुपालन की जांच करने हेतु सरकार का कोई निगरानी कार्यक्रम है;

(च) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(छ) चिड़ियाघरों में पशुओं के संरक्षण हेतु राज्य सरकारों को कितनी धनराशि आबंटित की गई है?

पर्यावरण और वन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री बाबू लाल मरांडी): (क) जी, हां।

(ख) और (ग) पर्यावरण और वन मंत्रालय ने यह निर्णय लिया है कि विशेषज्ञों का एक दल देश के सभी चिड़ियाघरों क निरीक्षण करेगा और अपनी रिपोर्ट मंत्रालय को देगा।

(घ) जी, नहीं।

(ङ) से (छ) केन्द्रीय चिड़ियाघर प्राधिकरण ने दोहराया है कि देश के चिड़ियाघरों द्वारा दिशा-निर्देश और शर्तें अनिवार्यत: संकलित की जाएं। वर्ष 1999-2000 के दौरान, केन्द्रीय चिड़ियाघर प्राधिकरण ने देश के विभिन्न राज्यों के 21 चिड़ियाघरों को 1073.58 लाख रुपये जारी किए हैं।

[हिन्दी]

उ.प्र. में जल-प्रदूषण

4434. योगी आदित्यनाथ: क्या पर्यावरण और वन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या उत्तर प्रदेश में विभिन्न औद्योगिक इकाइयों से निकलने वाले अपशिष्ट पदार्थों के नदियों में गिरने से राज्य में जल-प्रदूषण की गंभीर समस्या खड़ी हो गई है; और

(ख) यदि हां, तो इस स्थिति में सुधार के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाए जा रहे हैं?

पर्यावरण और वन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री बाबू लाल मरांडी): (क) और (ख) उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के अनुसार राज्य में विभिन्न उद्योगों द्वारा नदियों में औद्योगिक अपशिष्ट छोड़ने के कारण जल प्रदूषण की तीव्र समस्या पैदा होने के बारे में कोई खबर नहीं है। कुल 241 दोषी उद्योगों का अभिनिर्धारण किया गया जो नदियों और उत्तर प्रदेश की झीलों में अपने बहिस्राव का निस्तारण कर रहे हैं। इनमें से 175 यूनिटों में अपेक्षित प्रदूषण नियंत्रण सुविधाएं उपलब्ध हैं, 59 यूनिटें बन्द हो गई हैं और 7 यूनिटें दोषी हैं और उनके विरुद्ध कानूनी कार्रवाई की जा रही है।

कैंसर, काला-अजार, डेंगू और मस्तिष्क ज्वर के मामले

4435. कुमारी भावना पुडंलिकराव गवली:
श्री हरीभाऊ शंकर महाले:
श्री जी. पुट्टास्वामी गौड़ा:
श्री राजो सिंह:
योगी आदित्यनाथ:
श्री रामदास आठवले:
श्री प्रभुनाथ सिंह:

क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) उन राज्यों के नाम क्या हैं जिनमें कैंसर, डेंगू, काला-अजार और मस्तिष्क ज्वर की बीमारियां तेजी से फैल रही है;

(ख) गत तीन वर्षों में प्रत्येक वर्ष के दौरान इन बीमारियों के कारण राज्य-वार कितनी मौतें हुई;

(ग) क्या केन्द्र सरकार ने गत एक वर्ष के दौरान और आज की तिथि तक विभिन्न राज्यों में इन बीमारियों के तेजी से फैलने को रोकने के लिए सुरक्षापायों पर विचार करने हेतु स्थिति का तत्स्थानिक अध्ययन करने हेतु कोई दल भेजा है;

(घ) क्या सरकार को अभी तक उक्त दल से कोई रिपोर्ट प्राप्त हुई है;

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(च) सरकार द्वारा इस संबंध में क्या कदम उठाए गए हैं/ उठाए जाने का विचार है?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री. रीता वर्मा): (क) और (ख) जहाँ तक कैंसर का संबंध है, कोई राष्ट्रव्यापी आंकड़े उपलब्ध नहीं हैं। यह अनुमान लगाया है कि देश में किसी भी निर्धारित समय में लगभग 2 से 2.50 मिलियन कैंसर के रोगी हैं और प्रति वर्ष लगभग 7 लाख नए रोगियों का पता लगता है इस रोग से प्रति वर्ष इस संख्या के करीब आधे लोग मरते हैं।

डेंगू और कालाजार में तेजी से वृद्धि नहीं हुई है। वर्ष 1996 से दिल्ली, गुजरात हरियाणा, कर्नाटक, महाराष्ट्र, उड़ीसा, पंजाब, राजस्थान, तमिलनाडु, और उत्तर प्रदेश राज्यों से डेंगू के रोगियों की सूचना प्राप्त हुई है।

कालाजार बिहार और पश्चिम बंगाल के भागों में स्थानिकमारी है और उत्तर प्रदेश से छुट-पुट मामलों की सूचना प्राप्त होती है।

डेंगू और कालाजार से संबंधित सूचना संलग्न विवरण-I में और मेनिनजाइटिस से संबंधित सूचना विवरण-II में दी गई है।

(ग) स्थिति का आकलन करने और डेंगू एवं कालाजार के प्रभावकारी नियंत्रण हेतु राज्यों को सलाह देने के लिए एक दल ने डेंगू हेतु लुधियाना (पंजाब) का और दो दलों ने कालाजार के लिए कटिहार, मधुबनी, नालंदा एवं दरभंगा (बिहार) का दौरा किया है।

(घ) और (ङ) बिहार और पंजाब का दौरा करने वाले दलों की अनुशंसाएं संलग्न विवरण-III में दी गई हैं।

(च) राष्ट्रीय कैंसर नियंत्रण कार्यक्रम को सुदृढ़ करने हेतु सरकार ने शुरूआत में कैंसर का पता लगाने, इसके बारे में जागरूकता पैदा करने और इसके उपचार के लिए निम्नलिखित स्कीमें शुरू की हैं:-

1. विभिन्न राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों में क्षेत्रीय कैंसर केंन्द्रों को समुन्नत करना।
2. पहचान किए गए मेडिकल कालेजों/अस्पतालों में अर्बुद-विद्या विंग बनाना।
3. देश के विभिन्न भागों में कोबाल्ट चिकित्सा सुविधाओं की स्थापना।
4. जिला कैंसर नियंत्रण कार्यक्रम।
5. शुरू में ही पता लगाने और जागरूकता पैदा करने हेतु गैर-सरकारी संगठनों को वित्तीय सहायता।

डेंगू और कालाजार के नियंत्रण करने हेतु निम्नलिखित कदम उठाए गए हैं:-

डेंगू:

1. स्थिति की गहन मॉनीटरिंग।
2. राज्यों को आवश्यकतानुसार वेक्टर नियंत्रण हेतु लार्वासाइड आदि जैसी सामग्री सहायता प्रदान की जाती है।
3. समुदाय जागरूकता और भागीदारी हेतु डेंगू के प्रति संवेदनशील राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों द्वारा गहन सूचना, शिक्षा एवं सम्प्रेषण संबंधी कार्यकलाप किए जाते हैं।
4. पता लगाए गए अस्पतालों में रोग का निदान एवं प्रबंधन सेवा जिसे डेंगू के प्रति संवेदनशील राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों द्वारा सुदृढ़ किया जा रहा है।
5. अपर स्वास्थ्य सेवा महानिदेशक की अध्यक्षता में विशेषज्ञ समिति द्वारा समय-समय पर समीक्षा जिसमें विभिन्न क्षेत्रों के विशेषज्ञ, राज्य के प्रतिनिधि, गैर-सरकारी संगठन आदि भाग लेते हैं।

कालाजार:

केन्द्रीय प्रायोजित कालाजार नियंत्रण कार्यक्रम बिहार और पश्चिम बंगाल में कार्यान्वित किया गया है:-

1. प्रभावित क्षेत्रों में विशिष्ट इंजेक्टिसाइडल स्प्रे करके वेक्टर नियंत्रण के जरिए संचरण को रोकना।
2. शुरू में ही निदान और बुनियादी स्वास्थ्य परिचर्या प्रणाली के जरिए पूर्ण उपचार।
3. स्वास्थ्य शिक्षा और कालाजार की रोकथाम एवं नियंत्रण में लोगों की भागीदारी।

विवरण-I

पिछले तीन वर्षों के दौरान इन रोगों के कारण हुई मौतों की संख्या

राज्य	डेंगू			काला-अजार		
	1997	1998	1999	1997	1998	1999
दिल्ली	01	05	02	0	05*	01*
बिहार	0	0	0	251	215	253
कर्नाटक	04	03	0			
महाराष्ट्र	05	05	12			
पंजाब	03	0	01			
राजस्थान	01	0	0			
तमिलनाडु	21	05	02			
उत्तर प्रदेश	01	0	0	01	0	0
पश्चिम बंगाल	0	0	0	03	06	06

(* बिहार से आए मामले)

विवरण-II

भारत में राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों में मैनेंजाइटिस के दर्ज मामले/उसके कारण हुई मौतें

क्रम सं.	राज्य/संघ राज्य	1997	1998	1999
1	2	3	4	5
1.	आंध्र प्रदेश	1859/125	2737/161	1110/72
2.	अरुणाचल प्रदेश	0/0	–	–
3.	असम	103/4	44/0	–
4.	बिहार	–	–	–
5.	गोवा	2/0	0/0	3/0
6.	गुजरात	9/7	0/0	0/0
7.	हरियाणा	103/6	101/12	–
8.	हिमाचल प्रदेश	0/0	3/2	0/0
9.	जम्मू व कश्मीर	10/एन. आर.	176/एन.आर.	34/0
10.	कर्नाटक	263/38	248/36	124/7
11.	केरल	27/4	30/2	252/17
12.	मध्य प्रदेश	496/37	304/23	100/8
13.	महाराष्ट्र	324/87	337/93	310/87
14.	मणिपुर	6/0	0/0	67/5
15.	मेघालय	301/4	0/0	1/0
16.	मिजोरम	0/0	36/7	16/2
17.	नागालैंड	4/0	0/0	0/0
18.	उड़ीसा	379/36	285/28	–
19.	पंजाब	–	35/0	–
20.	राजस्थान	154/20	132/8	141/15
21.	सिक्किम	0/0	6/0	0/0
22.	तमिलनाडु	101/5	46/4	468/2
23.	त्रिपुरा	7/2	11/5	27/0
24.	उत्तर प्रदेश	66/7	505/33	520/15

1	2	3	4	5
25.	पश्चिम बंगाल	1586/417	-	-
26.	अ.व नि. आईसलैंड	3/0	3/1	1/1
27.	चण्डीगढ़	43/13	-	-
28.	दादर व न. हवेली	5/2	3/1	0/0
29.	दमन व दीव	1/0	0/0	0/0
30.	दिल्ली	523/17	306/27	314/32
31.	लक्षद्वीप	0/0	0/0	0/0
32.	पाण्डेचेरी	0/0	0/0	8/2
	कुल	6369/831	5348/443	3496/265

स्रोत: केन्द्रीय स्वास्थ्य आसूचना ब्यूरो, पुष्प भवन, दिल्ली

विवरण-III

कटिहार जिला (बिहार)
(केन्द्रीय दल का दौरा 29.5.2000 से 2.6.2000)

अनुशंसाएं

अल्पावधि

1. कालाजार रोगियों की अस्थि-मज्जा जांच करने के लिए प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र के अधिकारियों को प्रशिक्षित, सज्जित और प्रोत्साहित किया जाना चाहिए। चूंकि विभिन्न कारणों से ऐसा नहीं किया जा रहा है, इसलिए सिफारिश की जाती है अस्थि-मज्जा जांच हेतु रेफरेंस प्रयोगशाला के रूप मे जिला/उपजिला अस्पतालों में एक केन्द्रीय प्रयोगशाला खोली जाए।

2. शुरूआत में ही निदान और शीघ्र उपचार सुनिश्चित करने के लिए काला-आजार के संदिग्ध रोगियों पर लीस्ट एल्डीहाइड परीक्षण करने हेतु मुख्यत: प्रभावित केन्द्र-स्थल में प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र के उपकेन्द्र स्तर में अप्रभावित क्षेत्रों के पड़ौसी प्रयोगशाला तकनीशियनों को जुटाना।

3. रोगी उपचार कार्ड के जरिए राष्ट्रीय दिशा-निर्देशों के अनुसार सभी संदिग्ध रोगियों का समुचित उपचार। उपचार सुनिश्चित करने के लिए चूककर्ताओं से मिल/ जाना चाहिए।

4. कालाजार से प्रभावित खण्डों/ग्रामों में डीडीटी छिड़काव के निर्धारित दो दौर हेतु 50 प्रतिशत डीडीटी की पर्याप्त मात्रा उपलब्ध कराई जाए।

5. पर्याप्त रूम कवरेज के लिए प्रत्यक्ष पर्यवेक्षण में छिड़काव किया जाना चाहिए।

6. मड-प्लास्टरिंग आदि से बचने के लिए छिड़काव का कवरेज बढ़ाने में समुदाय की भागीदारी सुनिश्चित करने हेतु समुदाय जागरूकता कार्यक्रमों को तीव्र करना।

7. डीडीटी छिड़काव के तीसरे और चौथे दौर की हिमायत तकनीकी आधार पर नहीं की जानी चाहिए।

दीर्घकालिक

1. सक्रिय रोग पहचान कार्यकलाप को बढ़ाने और सेन्डफ्लाई आबादी की नियमित मॉनीटरिंग करने के लिए प्राथमिकता के आधार पर स्टाफ के रिक्त पड़े पदों को भरा जाए।

2. चिकित्सा अधिकारियों हेतु अभिमुखीकरण प्रशिक्षण पाठ्यक्रम चलाए जाएं जिसमें रोग के निदान एवं उपचार प्रबंधन के लिए राष्ट्रीय दिशा-निर्देशों के अनुपालन पर जोर दिया जाए।

3. जनशक्ति, उपस्कर और गुणवत्ता रिपोर्टिंग से संबंधित प्रयोगशाला सुविधाओं को विकसित किया जाए।

4. छिड़काव से पूर्व छिड़काव अभियान से संबद्ध स्टाफ को समुचित रूप से प्रशिक्षित किया जाना चाहिए।

5. डीडीटी की पर्याप्त मात्रा में आपूर्ति सुनिश्चित की जानी चाहिए।

6. सोडियम एन्टीमॉनी ग्लूकोनेट के प्रति प्रारम्भिक प्रतिरोध के लिए अनुसंधान अध्ययन किया जाए।

नालन्दा जिला (बिहार)
(11.6.2000 - 14-6-2000 को केन्द्र दल का दौरा)

मलेरिया-रोधी राष्ट्रीय कार्यक्रम निदेशालय और राष्ट्रीय संचारी रोग संस्थान द्वारा दिए गए सुझाव

सुझाव:

1. जिला मलेरिया अधिकारी, सहायक मलेरिया अधिकारी, 17 प्रयोगशाला तकनीशियनों (मंजूरशुदा 18 पदों में से), 77 स्वास्थ्य पर्यवेक्षकों के पद तत्काल भरे जाने चाहिए।

2. वर्ष के दौरान अपेक्षित डी.डी.टी. छिड़काव-कार्य में छिड़काव कर्मचारियों की सक्षम सहभागिता सुनिश्चित करने के लिए उनकी लम्बित मजदूरी का तत्काल भुगतान किया जाना चाहिए।

3. जिले में काला-अजार की उच्च स्थानिकमारिता को देखते हुए पर्याप्त सुख-सुविधाओं सहित जिला अस्पताल में एक पृथक काला-अजार वार्ड होना चाहिए।

4. रोग संचरण को रोकने के लिए छिड़काव का दूसरा दौर तत्काल शुरू किया जाना चाहिए।

5. सम्पूर्ण जिले में डी.डी.टी. के दूसरे दौर का छिड़काव तत्काल किया जाना चाहिए और गांव वालों को यह परामर्श दिया जाना चाहिए की डीडीटी के छिड़काव के पश्चात् वे अपने घरों को कम से कम 2 से $2^1/_2$ महीनों तक मिट्टी से न लेपें।

6. छिड़काव कार्य की निगरानी के लिए जिला मलेरिया अधिकारी को एक वाहन प्रदान किया जाना चाहिए।

7. प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र स्तर पर रोग-नैदानिक सुविधा उपलब्ध कराई जानी चाहिए।

8. उपयुक्त रूप से दवाई देने के लिए प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र के डाक्टरों को काला-अजार का प्रशिक्षण दिया जाना चाहिए।

9. काला-अजार के रोगी को नियमित उपचार करवाने का परामर्श दिया जाना चाहिए, अन्यथा उनमें औषध प्रतिरोध शक्ति उत्पन्न हो जाएगी।

मधुबनी जिला

राष्ट्रीय मलेरिया रोधी कार्यक्रम निदेशालय और राष्ट्रीय संचारी रोग संस्थान द्वारा की गई संस्तुतियां

1. प्रभावित गांव में काला-अजार के सभी रोगी मुसहर जाति से संबंध में रखते हैं। वे अधिकतर श्रमिक हैं जो अन्धेरे वाली बन्द झोपड़ियों में रहते हैं। यह महत्वपूर्ण है कि सफाई के बारे में जागरूकता, जीवन स्तरों और काला-अजार में सुधार किया जाना होगा। डीडीटी के छिड़काव के पश्चात् कम से कम 2-3 महीनों के लिए घरों को न लेपने के लिए सूचना, शिक्षा व सम्प्रेषण संबंधी कार्यकलापों को सुदृढ़ किया जाना चाहिए।

2. शुरू में ही रोग निदान और उपचार करने के लिए प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र स्तर पर सुविधाएं उपलब्ध होनी चाहिए।

3. प्राथमिक स्वास्थ्य कार्यकर्ता के रिक्त पदों को तत्काल भरे और कार्यक्रम के कार्यान्वयन के लिए पर्यवेक्षण में सुधार किए जाने की आवश्यकता है।

4. गांवों में स्वास्थ्य कार्यकर्ताओं द्वारा निगरानी सुदृढ़ किए जाने के कार्य को उच्च प्राथमिकता दी जानी चाहिए ताकि रोगियों की सूचना शीघ्र दी जा सके और उपयुक्त उपाय समय पर शुरू किए जा सकें।

5. रोगियों के उपचार की व्यवस्था गांवों में ही उपलब्ध होनी चाहिए क्यों कि ग्रामीण प्रत्येक मामले में लगभग बहुत दूर अर्थात 10 कि.मी. दूर होते हैं स्वास्थ्य कार्यकताओं द्वारा औषधों की नियमित आपूर्ति सुनिश्चित की जानी चाहिए।

6. यद्यपि डीडीटी का छिड़काव बिल्कुल हाल ही में किया गया है और इस समय कोई सैंडफलाई नहीं है तथापि अभी भी स्थिति पर नजर रखने के लिए कीट विज्ञानियों द्वारा समय-समय पर इसकी निकट से मानीटरिंग की जानी चाहिए।

7. रोगियों को प्रयोगशाला नैदानिक सुविधा उपलब्ध कराई जानी चाहिए। यह पाया गया है कि रोगियों को काला अजार के निदान के लिए निजी क्लीनिकों में जाना पड़ता है।

8. स्वास्थ्य शिक्षा

निम्नलिखित के बारे में स्थानीय स्वास्थ्य प्राधिकारी को गहन सूचना, शिक्षा व सम्प्रेषण संबंधी कार्यकलाप शुरू करने चाहिए:-

(क) लोगों को इस बात की जानकारी दी जानी चाहिए कि कोई भी रोगी जिसको 15 दिनों से ज्यादा का बुखार है, काला-अजार का रोगी हो सकता है और उसकी सूचना स्वास्थ्य केन्द्र को दी जानी चाहिए।

(ख) गांव के लोगों को इस बात की जानकारी दी जानी चाहिए कि सैंडफ्लाई इस रोग को कैसे संचारण करती है तथा उपयुक्त रूप से डी डी टी का छिड़काव करके इसकी रोकथाम कैसे की जा सकती है। उनको डी डी टी के छिड़काव कार्य में सहयोग करने के लिए प्रेरित किया जाना चाहिए। उनको डी.डी.टी. के छिड़काव के पश्चात कम से कम तीन महीने के लिए दीवारों को नहीं लेपने के लाभों के बारे में जानकारी दी जानी चाहिए।

(ग) पशुओं को मनुष्यों के रहने वाले स्थानों से अलग रखने के लिए प्रेरित किया जाना चाहिए।

(घ) उनकों अधूरे और अनियमित उपचार, जो मृत्यु का मुख्य कारण हैं, के बारे में जानकारी दी जानी चाहिए।

लुधियाना जिला (पंजाब)
(20-10-1999 से 23-10-1999 तक केंद्रीय दल का दौरा)

राष्ट्रीय मलेरिया-रोधी कार्यक्रम द्वारा की गई सिफारिशें

1. क्योंकि कस्बे में लार्वा का सूचकांक बहुत ऊंचा है, इसलिए एडीज मच्छरों के पलने वाले स्रोतों को समाप्त करने के लिए विशेष घरेलू पलने वाले स्थानों का तत्काल सर्वेक्षण किया जाना चाहिए।

2. साप्ताहिक अन्तरालों पर डिब्बों और कूलरों का टेमिफोस से उपचार किया जाना चाहिए। एडीज मच्छरों की लार्वा, प्यूपल और प्रौढ़ आबादी को नियंत्रित करने के लिए इस कार्य को यथाशीघ्र पूरा किया जाना चाहिए।

3. नियंत्रण संबंधी उपयुक्त उपाय समय पर कार्यान्वित करने के लिए एडीज एजिपती की निरन्तर नमूना लेने का कार्य चलाया जाना चाहिए।

4. इस कस्बे के सबसे बुरे प्रभावित क्षेत्रों में मालाथियन/ पाइरेथ्रम धूम्रीकरण करने का सुझाव दिया गया है।

5. राज्य के सभी प्रभावित जिलों में निदान किटों की आपूर्ति तत्काल की जानी चाहिए।

दरभंगा जिले (बिहार) में काला अजार मौतों की जांच
(सार रिपोर्ट)

राष्ट्रीय संचारी रोग संस्थान काला-अजार एकक, पटना से एक दल ने दिनांक, 31.8.99 के समाचार पत्र "हिन्दुस्तान" के अंक में निम्नलिखित समाचार कि "दरभंगा जिले (बिहार) में कुशेशवर प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र के अंतर्गत चार गांवों में काला-अजार के कारण 250 मौतें हुई, की क्षेत्रीय जांच शुरू की। इस दल ने 13.9.99-17.9.99 के दौरान प्रभावित गांवों में से दो गांव (बतौया और मिस्सी) का दौरा किया। इस रिपोर्ट से जो टिप्पणियां की गई हैं, वे इस प्रकार हैं:-

- प्रभावित गांवों तक पहुंच बहुत ही कठिन है। इस दौरे के समय दोनों गांव बाढ़ के पानी से घिरे हुए असहाय अवस्था में थे। इस क्षेत्र की स्वच्छता संबंधी स्थिति बहुत ही खराब है बतौया और मिस्सी गांवों की जनसंख्या क्रमश: 500 और 800 है।

- प्रभावित प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र क्षेत्र काला-अजार का स्थानिकमारी वाला क्षेत्र है जिनसे वर्ष में लगभग 60-100 काला-अजार के रोगियों की सूचना दी जा रही है। औषध प्रतिरोध के मामलों की भी आमतौर पर सूचना दी जाती है।

- बतौया और मिस्सी गांवों में वर्ष-वार रोगियों, मौतों, सी.एफ.आर. और आक्रमण-दर का ब्यौरा संलग्न है। पिछले वर्षों से तुलना करने से चालू वर्ष में रोगियों की संख्या में वृद्धि का पता चलता है, यद्यपि माह-वार आंकड़े उपलब्ध नहीं हैं। उन गांवों के सर्वेक्षण से बतौया गांव में बहुत ही उच्च रोगी मृत्यु-दर (44.9 प्रतिशत) और आक्रमण दर (9.8 प्रतिशत) का पता चला। तथापि, मिस्सी गांव से किसी मौत की सूचना नहीं दी गई है।

- अधिकतम रोगी 5-30 वर्ष की आयु वर्ग से हैं। रोगियों में कोई महत्वपूर्ण लिंग विशिष्टता नहीं हैं। निम्न सामाजिक-आर्थिक स्तर के लोग सबसे अधिक प्रभावित हैं।

- कीट विज्ञानीय जांचों से प्रकट हुआ कि वैक्टर सैंडफ्लाई प्रजातियों, पी.एच.अर्जेन्टिप्स, प्रति व्यक्ति घंटा सघनता दर की व्याप्तता-दर क्रमश: 7.5 -10.00 है। 1998 और 1999 में डी.डी.टी. छिड़काव कम किया गया जैसा कि समुदाय द्वारा बताया गया।

- रोगियों का पता लगाने और उनका नैदानिकीय प्रस्तुतीकरण करने के लिए दो गांवों में सामुदायिक सर्वेक्षण किया गया। इस सर्वेक्षण के दौरान दिल्ली में स्थित राष्ट्रीय संचारी रोग संस्थान की प्रयोगशालाओं में सीरम विज्ञानीय जांच के लिए काला-अजार के रोगियों और उनके सम्पर्कों के 134 रक्त नमूने संग्रहित किए गए।

- अधिकतर रोगी उपयुक्त रूप से उपचार नहीं ले रहे हैं। इस उपचार को बीच में ही छोड़ने वाले रोगियों की दर बहुत ऊंची है। इस समय कुछ तकनीकी कारणों की वजह से एस.ए.जी. इन्जेक्शन की आपूर्ति भी कम कर दी गई है। यद्यपि स्थानीय स्वास्थ्य प्राधिकारियों ने काला-अजार के रोगियों का उपचार करने के लिए शिविर आयोजित किए हैं, तथापि, परिणाम संतोषजनक नहीं हैं।

- औषधों की उपयुक्त उपलब्धता और रोगियों के नियमित उपचार को सुनिश्चित किए जाने की सिफारिश की जाती है। जानपदिक रोग विज्ञानीय और कीट विज्ञानीय निगरानी और नियंत्रण संबंधी उपाय शुरू किए जाने और उनको बनाए रखे जाने की आवश्यकता है।

तालिका 1: वर्ष-वार काला-अजार के रोगी, मौतें, सी एफ आर और आक्रमण-दर, बतौआ गांव, कुशेशवर स्थान प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र, दरभंगा जिला (बिहार), 1997-99

वर्ष	रोगी	मौतें	सी एफ आर	आक्रमण-दर
1997	3	0	0	0.67
1998	44	24	54.5	8.8
1999*	49	22	44.9	9.8

*15.9.99 तक

तालिका 2: वर्ष-वार काला-अजार के रोगी, मौतें, सी एफ आर और आक्रमण-दर, मिस्सी गांव, कुशेशवर स्थान प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र, दरभंगा जिला (बिहार), 1997-99

वर्ष	रोगी	मौतें	सी एफ आर	आक्रमण-दर
1997	-	0	0	0.67 प्रतिशत
1998	0	0	-	-
1999*	8	0	0	1 प्रतिशत

*15.9.99 तक

अपहृत वायुयानों के साक्ष्यों को मिटाना

4436. श्री हरीभाऊ शंकर महाले: क्या नागर-विमानन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या अपहृत आई.सी.-814 वायुयान में मिले साक्ष्यों को मिटाने का षडयंत्र किया गया था;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है?

नागर विमानन मंत्री (श्री शरद यादव): (क) अपहृत विमान से मिले हुए सबूत मिटाए जाने के बारे में किसी प्रकार के षडयंत्र का प्रमाण सरकार को नहीं मिला है।

(ख) और (ग) प्रश्न नहीं उठते।

[अनुवाद]

जंगलों में डकैती

4437. श्री प्रभुनाथ सिंह:
श्री वाई.एस. विवेकानन्द रेड्डी:
श्री विलास मुत्तेमवार:

क्या **पर्यावरण और वन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या उनके मंत्रालय ने राज्य सरकारों से वनों और राष्ट्रीय उद्यानों में अवैध शिकारियों, डकैतों और आंतकवादियों से निपटने के लिए प्रादेशिक सशस्त्र पुलिस कांस्टेबुलरी (पीएसी), सीमा सुरक्षा बल या अन्य कोई अतिरिक्त बल तैनात करने को कहा है;

(ख) यदि हां, तो इस सबंध में सरकार ने क्या कार्रवाई की है; और

(ग) गत तीन वर्षों के दौरान वनों में अवैध शिकार, डकैती और आतंकवाद के कितने मामले सरकार के ध्यान में आए और तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

पर्यावरण और वन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री बाबू लाल मरांडी): (क) कुछ बाघ रिजर्वों में कानून एवं व्यवस्था की बिगड़ती स्थिति और घुसपैठ को ध्यान में रखते हुए शत प्रतिशत केन्द्रीय सहायता के अंतर्गत सशस्त्र दस्तों को तैनात करने के प्रस्ताव को भारत सरकार द्वारा अनुमोदित कर दिया गया था। राज्य

सरकारें बाग रिजर्वों में बाघों की सुरक्षा के लिए वन गार्डों एवं फारेस्टरों सहित राज्य सशस्त्र कान्स्टेबुलरी, अर्ध-सैनिक बलों या किन्हीं अन्य वर्दीधारी कर्मचारियों को लगा सकती हैं।

(ख) इस प्रयोजन के लिए 1999-2000 के दौरान विभिन्न राज्यों को रिलीज की गई निधियों का ब्यौरा निम्नलिखित है:

1.	बांधवगढ़ बाघ रिजर्व (मध्य प्रदेश)	5.00 लाख रुपये
2.	बांदीपुर बाघ रिजर्व (कर्नाटक)	10.00 लाख रुपये
3.	कालाकड- मुंडनथुरई बाघ रिजर्व (तमिलनाडु)	5.00 लाख रुपये
4.	कान्हा बाघ रिजर्व (मध्य प्रदेश)	5.00 लाख रुपये
5.	सरिस्का बाघ रिजर्व (राजस्थान)	3.00 लाख रुपये
6.	इन्द्रावती बाघ रिजर्व (मध्य प्रदेश)	15.00 लाख रुपये

(ग) डकैती और उग्रवाद के बारे में रिकार्ड पर्यावरण एवं वन मंत्रालय में नहीं रखे जाते हैं। तथापि, 1988 के दौरान राज्यों द्वारा सूचित बाघ के चोरी छिपे शिकार के मामले 9 थे, 1999 के दौरान 12 तथा 2000 के दौरान 15 अगस्त तक 11 थे।

[हिन्दी]

एलायंस एअर दुर्घटना के बाद यात्रियों की संख्या में कमी

4438. श्री ब्रह्मानंद मंडल: क्या नागर विमानन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या हाल ही में पटना में हुई एलायंस एअर दुर्घटना के बाद से यात्रियों की संख्या में तेजी से गिरावट आई है; और

(ख) यदि हां, तो सरकारी एअरलाइनों के बारे में यात्रियों और पायलटों के मन में समाये डर को दूर करने के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाए जा रहे हैं?

नागर विमानन मंत्री (श्री शरद यादव): (क) एलायंस एयर दुर्घटना के बाद, इंडियन एयरलाइंस (एलायंस एयर को छोड़कर) के यात्री वहन में कोई खास कमी नहीं आयी है। लीन पीरियड होने के कारण, इन महीनों के दौरान सभी एयरलाइनों के यात्री वहन में कमी आयी है। वी टी-ई जी डी विमान के पटना में दुर्घटनाग्रस्त होने से पूर्व प्रतिदिन यात्रा कर रहे 4350 औसत यात्रियों की तुलना में दिनांक 18.7.2000 -31.7.2000 के पखवाड़े के दौरान एलायंस एयर के नेटवर्क में यात्रियों की औसत संख्या प्रतिदिन 3160 थी। दिनांक 8-14 अगस्त, 2000 के सप्ताह में यात्री वहन में प्रतिदिन 3595 तक सुधार हुआ है।

(ख) एलायंस एयर के विमानों का अनुरक्षण नागर विमानन महानिदेशालय द्वारा निर्धारित तथा अनुमोदित अनुरक्षण अनुसूची के अनुसार किया जाता है। अधिक पारदर्शिता तथा सार्वजनिक विश्वास प्राप्त करने के लिए एलायंस एयर की अनुरक्षण अनुसूची को इंटरनेट पर लाया गया है।

[अनुवाद]

सॉफ्टवेयर प्रौद्योगिकी पार्क

4439. श्री अन्नासाहेब एम.के. पाटील: क्या संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या दूरसंचार विभाग ने अपने वर्तमान ढांचे में ही सॉफ्टवेयर प्रौद्योगिकी पार्कों को शुरू करने की योजना बनाई है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या इन सॉफ्टवेयर प्रौद्योगिकी पार्कों के लिए स्थानों का अंतिम रूप से चयन कर लिया गया है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) इन पार्कों से अनुमानत: कितने राजस्व की प्राप्ति होगी?

संचार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री तपन सिकदर): (क) से (ङ) दूरसंचार आयोग ने यह निर्णय किया है कि दूरसंचार प्रचालन विभाग राज्य सरकारों के साथ संयुक्त रूप से सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पार्क (एसटीपी) की स्थापना करे। जिन क्रियाविधियों पर विचार किया जा रहा है उनमें राज्य सरकार द्वारा भूमि की व्यवस्था करना, भवन, अनुरक्षण तथा एस.टी.पी. का प्रबंधन शामिल है जबकि दूरसंचार प्रचालन विभाग समस्त दूरसंचार सुविधाएं प्रदान करेगा। स्थान-स्थिति तथा अन्य ब्यौरे राज्य-सरकारों के परामर्श से तैयार किए जाऐंगे। इस स्तर पर राजस्व का अनुमान लगाना संभव नहीं है।

संयुक्त वन प्रबंधन

4440. श्री दिलीप कुमार मनसुखलाल गांधी:
श्री रतन लाल कटारिया:
श्री ए. ब्रह्मनैया:

क्या पर्यावरण और वन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने वन संसाधनों के संरक्षण हेतु संयुक्त वन प्रबंधन कार्यक्रमों के क्रियान्वयन हेतु एक समिति गठित की है;

(ख) यदि हां, तो महाराष्ट्र के विशेष संदर्भ में तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) प्रत्येक कार्यक्रम के लिए आबंटित धनराशि का ब्यौरा क्या है;

(घ) क्या उक्त समिति में जनजातीय वर्ग के किसी व्यक्ति को सदस्य नियुक्त किया गया है; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

पर्यावरण और वन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री बाबू लाल मरांडी): (क) से (ङ) जी, नहीं। राष्ट्रीय वन नीति, 1988 के उपबंधों के अनुसार संयुक्त वन प्रबन्धन कार्यक्रम राज्य सरकारों द्वारा कियान्वित किया जा रहा है। राज्य सरकारों द्वारा दी गई सूचना के अनुसार देश के 22 राज्यों में लगभग 10.249 मिलयन हैक्टेयर वन क्षेत्र का प्रबंध 36130 संयुक्त वन प्रबंधन समितियों द्वारा किया जा रहा है। राज्य सरकारों, गैर-सरकारी संगठनों और अन्य शैक्षिक और अनुसंधान संस्थानों से व्यापक परामर्श को सुनिश्चित करने के लिए वन महानिरीक्षक और विशेष सचिव की अध्यक्षता में संयुक्त वन प्रबंधन नेटवर्क स्थापित किया गया है। संयुक्त वन प्रबंधन नेटवर्क की 27.7.2000 को हुई बैठक में भाग लेने के लिए महाराष्ट्र सरकार के प्रतिनिधि को आमंत्रित किया गया था। सरकार की सभी वनीकरण स्कीमों में जनता की सहभागिता अनिवार्य है और नौवीं योजना अवधि के दौरान मंत्रालय द्वारा 477.50 करोड़ रुपये की राशि केन्द्र द्वारा प्रायोजित स्कीमों के तहत वनीकरण क्रियाकलापों के लिए निर्धारित की गई है। संयुक्त वन प्रबंधन नेटवर्क में संयुक्त वन प्रबंधन के क्षेत्र में कार्यरत आधारिक गैर-सरकारी संगठनों के प्रतिनिधियों को इसके सदस्यों के रूप में नियुक्त किया गया है।

पी.जी.आई., चंडीगढ़

4441. **श्री चन्द्रनाथ सिंह:** क्या **स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या पंजाब और हरियाणा सरकारों को पी.जी.आई., चंडीगढ़ को करोड़ों रुपये के ऋण का भुगतान करना है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) सरकार द्वारा इन राज्यों से ऋण की वसूली करने के लिए क्या उपाय किए गए हैं?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (प्रो. रीता वर्मा): (क) जी हां।

(ख) और (ग) स्नातकोत्तर चिकित्सा शिक्षा और अनुसंधान संस्थान चण्डीगढ़ अधिनियम 1996 की शर्त के अनुसार पंजाब और हरियाणा राज्यों को क्रमश: 120 बिस्तरों तथा 80 बिस्तरों की संस्थान रख-रखाव लागत का भुगतान करना है। रख-रखाव लागत को 01.04.1990 से प्रति बिस्तर वार्षिक रुपये 11,600/-से बढ़ाकर रु. 64,500/- कर दिया गया। तथापि राज्य सरकारों ने रख-रखाव लागत को-1.04.1990 से रु. 64500/- के बजाय क्रमश: 01.04.1993 तथा 01.04.1995 से अपने-अपने स्तरों पर संशोधित कर रु. 11,000/ से रु. 23,200/- कर दिया। उपर्युक्त तथ्यों के विचार-से पंजाब तथा हरियाणा की राज्य सरकारों से क्रमश: रु. 502.74 लाख तथा रु. 413.92 लाख की राशि बकाया है। बकाये के भुगतान के लिए संबंधित राज्य सरकार के पास मामले को ले जाया गया है।

चिकित्सकों की लापरवाही के कारण नेत्रहीन होना

4442. **श्री अशोक ना. मोहोल:** क्या **स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार के ध्यान में देश में चिकित्सकों द्वारा शल्य क्रिया किये जाने के दौरान रोगियों के नेत्रहीन होने के मामले आए हैं;

(ख) यदि हां, तो, सरकार के ध्यान में गत तीन वर्षों के दौरान राज्य-वार अब तक आए मामलों का ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार ने राज्य सरकारों से इन घटनाओं की सी.बी.आई/सी.आई.डी. द्वारा जांच कराये जाने का निदेश दिया है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी राज्य सरकारों द्वारा इस पर क्या कार्यवाही की गई है; और

(ङ) केन्द्र सरकार उक्त जांच के परिणामों से किस हद तक संतुष्ट है?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (प्रो. रीता वर्मा): (क) से (ङ) विगत तीन वर्षों में राज्य सरकारों द्वारा मोतियाबिंद की शल्य क्रिया के दौरान नेत्रहीन होने के मामले निम्नलिखित हैं:-

महाराष्ट्र	32
केरल	24
आंध्र प्रदेश	24
उड़ीसा	06
उत्तर प्रदेश	04
गुजरात	10

संबंधित राज्य सरकारों ने इन मामलों की जांच-पड़ताल की और घटना के लिए जिम्मेदार अधिकारियों के विरुद्ध आवश्यक कार्रवाई की। महाराष्ट्र में हमारे नेत्र-रोग सर्जनों का स्थानांतरण किया गया गया और परा-चिकित्सा कर्मचारियों को निलंबित किया गया। आन्ध्र प्रदेश में सिविल सहायक सर्जन को निलंबित रखा गया है। उत्तर प्रदेश से संबंधित प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र के प्रभारी मेडिकल अधिकारी को निलंबित किया गया और नेत्र का आपरेशन करने वाले सर्जन को कड़ी चेतावनी दी गई। उड़ीसा और केरल में डाक्टरों की लापरवाही के कारण घटना नहीं घटी। भविष्य में ऐसी घटना को रोकने के लिए भारत सरकार ने मानदण्डों और मानकों के अनुपालन किए जाने के संबंध में राज्यों को तकनीकी दिशा निर्देश जारी किए हैं और नेत्र परिचर्या सेवाएं प्रदान करने संबंधी सुविधाएं निर्धारित की जिनका समुचित अनुपालन किया जाना है. मानक शल्य क्रिया रिकोर्डों के प्रयोग, देश के विभिन्न भागों में प्रहरी निगरानी एककों की स्थापना और कार्यक्रम संबंधी कार्यकलापों की स्वतंत्र समीक्षा के जरिए सेवाओं की मानीटरिंग एवं पर्यवेक्षण को सुदृढ़ किया गया है।

[हिन्दी]

नये विमानपत्तनों की स्थापना

4443. प्रो. रासासिंह रावत: क्या **नागर विमान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) देश में नए विमानपत्तनों की स्थापना के लिए गत तीन वर्षों के दौरान केन्द्र सरकार को मिले प्रस्तावों का ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या देश में विमानपत्तनों की जरूरत के संबंध में सरकार ने अपने स्रोतों से कोई सर्वेक्षण कराया है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(घ) क्या अजमेर (राजस्थान) में विमानपत्तन की स्थापना के लिए भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण ने सर्वेक्षण करके भूमि का चयन कर लिया है;

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(च) क्या इस उद्देश्य के लिए भूमि अधिग्रहण की कार्रवाई शुरू की जा चुकी है और केन्द्र सरकार ने सिद्धान्त रूप में अजमेर में विमानपत्तन की स्थापना की अपनी इच्छा जाहिर कर दी थी; और

(छ) इस मामले में अपने दृष्टिकोण को बदलने के क्या कारण हैं?

नागर विमानन मंत्री (श्री शरद यादव): (क) सरकार को बंगलौर के निकट देवनहाली, गोवा के निकट मोपा, हैदराबाद के निकट शमशाबाद, केरल में कन्नूर तथा राजस्थान में अजमेर में नये विमानपत्तनों के निर्माण के प्रस्ताव प्राप्त हुए हैं।

(ख) जी, नहीं।

(ग) प्रश्न नहीं उठता।

(घ) से (छ) जी, हां। भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण ने एक सर्वेक्षण किया है जिससे पता चलता है कि परियोजना वित्तीय परिमाणों के आधार पर व्यवहार्य नहीं है। इसके अतिरिक्त अजमेर, जयपुर के विद्यमान विमानपत्तम से केवल 136 किलोमीटर दूर है तथा वर्तमान नीति के अधीन, सामान्यतया किसी भी वर्तमान विमानपत्तन के 150 किलोमीटर के वैमानिक दूरी के अन्दर किसी भी ग्रीनफील्ड विमानपत्तन का विकास नहीं किया जा सकता।

[अनुवाद]

म.टे.नि.लि. द्वारा इन्टरनेट शुल्क दरों में कटौती

4444. श्री दलपत सिंह परस्ते: क्या **संचार मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या महानगर टेलीफोन निगम लिमिटेड ने हाल ही में इंटरनेट की शुल्क दरों में 30 प्रतिशत तक की कटौती की घोषणा की है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

संचार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री तपन सिकदर): (क) जी हां। एमटीएनएल ने विभिन्न श्रेणियों में इंटरनेट टैरिफ कम करने की शुरूआत कर दी है।

(ख) ब्यौरा संलग्न विवरण में दिया गया है।

विवरण

एम.टी.एन.एल. की विभिन्न इंटरनेट सेवाओं के लिए टैरिफ इस प्रकार है:

बीसीपी/आईपी पीएसटीएन डायल अप विवरण

1. योजना की किस्म	अवधि (घंटों में)	21.6.2000 से पूर्व प्रभार		21.6.2000 से प्रभार	
		नए एकाउन्ट के लिए	नवीकरण के लिए	नए एकाउन्ट के लिए	नवीकरण के लिए
योजना-1	100 घंटे	1600	1500	500	
योजना-2	250 घंटे	3500	3300	1000	
योजना-3	500 घंटे	5500	5100	1500	

*कोई रजिस्ट्रेशन शुल्क नहीं

*जीवन भर के लिए वैध

*प्रत्येक वेब पृष्ठ के लिए 2 एम बी मेमरी स्पेस मुफ्त दिया जाएगा।

2. पीएसटीएन डायल अप असीमित उपयोग योजना:

योजना की किस्म	अवधि (महीने में)	एमटीएनएल के प्रभार	
		21.6.2000 से पूर्व	21.6.2000 से रुपयों में
योजना 4	एक महीना	1000	200
योजना 5	तीन महीने	2500	500
योजना 6	छः महीने	4000	1100
योजना 7	12 महीने	6000	2000

*कोई रजिस्ट्रेशन शुल्क नहीं

*4 एमबी मेमरी स्पेस के साथ 4 ईमेल इड्स दिया जाएगा।

*प्रत्येक वेब पृष्ठ के लिए 2 एम बी मेमरी स्पेस मुफ्त दिया जाएगा।

टीसीपी/आईपी आईएसडीएन डायल अप विवरण

3. टी.सी.पी. /आई पी आई एस डी एन डायल अप योजना

योजना की किस्म	अवधि (घंटों में)	एम.टी.एन.एल के प्रभार (रुपयों में)			
		64 केबीपीएस के लिए टैरिफ		128 केबीपीएस के लिए टैरिफ	
		21.6.00 से पूर्व	21.6.00 से	21.6.00 से पूर्व	21.6.00 से
योजना 8	100	3000	1000	6000	2000
योजना 9	250	7000	2000	14000	4000
योजना 10	500	12500	3000	25000	6000

* कोई रजिस्ट्रेशन शुल्क नहीं

* जीवन भर के लिए वैध

* प्रत्येक वेब पृष्ठ के लिए 4 एम बी मेमरी स्पेस मुफ्त दिया जाएगा।

4. टी.सी.पी. /आई पी आई एस डी एन फ्लैट यूसेज योजना:-

योजना की किस्म	64 केबीपीएस के लिए एमटीएनएल के प्रभार (रुपयों में)		128 केबीपीएस के लिए एमटीएनएल के प्रभार (रुपयों में)	
	21.6.00 से पूर्व	21.6.00 से	21.6.00 से पूर्व	21.6.00 से
योजना -11	25 प्रति घण्टा	5 प्रति घण्टा	30 प्रति घण्टा	10 प्रति घण्टा

* यह योजना 100 घंटों वाले स्लैब मे 1000 घंटे और उससे ऊपर के न्यूनतम अंशदान के लिए लागू है।
* कोई रजिस्ट्रेशन शुल्क नहीं
* जीवन भर के लिए वैध
* प्रत्येक वेब पृष्ठ के लिए 4 एम बी मेमरी स्पेस मुफ्त दिया जाएगा।
* 8 एमबी मेमरी स्पेस सहित चार ई-मेल इड्स।

विमान दुर्घटना के लिए पायलट की गलती को जिम्मेवार ठहराना

4445. श्री ए.वी.वी.एस. मूर्ति: क्या नागर विमानन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या इंडियन कॉमर्शियल पायलट एसोशिएशन (आई.सी.पी.ए.) ने वरिष्ठ नागर विमानन अधिकारियों के इस सुझाव के लिए कि "एलायंस एयर" की विमान दुर्घटना के लिए पायलट की गलती जिम्मेवार थी पर कड़ी आपत्ति जाहिर की;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं और इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है; और

(ग) सरकार द्वारा आई.सी.पी.ए. की मांग पर आगे क्या कदम उठाए जाने का विचार है?

नागर विमानन मंत्री (श्री शरद यादव) (क) से (ग) इंडियन कॉमर्शियल पायलेट्स एसोशिएशन (आई.सी.पी.ए.) से कोई औपचारिक पत्र प्राप्त नहीं हुआ है। दिनांक 17 जुलाई, 2000 को पटना हवाई अड्डे के निकट एलायंस एयर के विमान की हुई दुर्घटना के कारणों की जांच हेतु वायुयान नियम, 1937 के नियम 75 के अधीन एक जांच अदालत नियुक्त कर दी गई है।

कमेटी ऑन टेलीकाम एण्ड आई.टी. कन्वर्जेन्स

4446. श्री रवीन्द्र कुमार पाण्डेय: क्या संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या "ग्रुप ऑफ टेलीकाम एण्ड इन्फॉर्मेशन टेक्नॉलाजी कन्वर्जेन्स" ने "राइट आफ वे" को शीघ्रता से मंजूरी देने के लिए किसी तन्त्र का सुझाव देने हेतु कोई समिति गठित की है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और ग्रुप की संरचना क्या है; और

(ग) उक्त ग्रुप द्वारा अपनी रिपोर्ट कब तक प्रस्तुत कर दिए जाने की संभावना है?

संचार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री तपन सिकदर): (क) से (ग) जी, हां। "राइट आफ वे" की शीघ्र मंजूरी के लिए तंत्र बनाने संबंधी उपायों तथा सभी राज्यों सरकारों द्वारा अनुपालनार्थ आदर्श-प्रबंध व्यवस्था की सिफारिश करने वाली उक्त समिति का गठन सचिव, दूरसंचार विभाग की अध्यक्षता में किया गया था जिसमें सूचना प्रौद्योगिकी, भूतल-परिवहन पर्यावरण एवं वन तथा रेल मंत्रालयों के सचिव तथा आंध्र प्रदेश, गुजरात, कर्नाटक, महाराष्ट्र राज्य सरकारों के मुख्य सचिव, (अथवा उनके नामिति) सदस्य के रूप में होंगे। समिति ने अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत कर दी है।

आनंदगढ़ की स्वीकृति

4447. श्रीमती प्रेनीत कौर: क्या पर्यावरण और वन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या पंजाब सरकार ने संघ राज्य क्षेत्र चंडीगढ़ के साथ नया शहर आनंदगढ़ बसाने की प्रस्तावित परियोजना हेतु वन भूमि अधिग्रहण करने संबंधी आवश्यक मंजूरी प्राप्त कर ली है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार ने इस उद्देश्य हेतु प्रस्तावित वन भूमि के अधिग्रहण संबंधी कोई जांच करवाई है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

पर्यावरण और वन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री बाबू लाल मरांडी): (क) मंत्रालय को वन (संरक्षण) अधिनियम, 1980 की धारा-2 के अंतर्गत वानिकी मंजूरी प्राप्त करने के लिए पंजाब सरकार से ऐसा कोई प्रस्ताव प्राप्त नहीं हुआ है। तथापि, मामले पर चर्चा करने के लिए माननीय मुख्य मंत्री, पंजाब ने पर्यावरण एवं वन मंत्री से मुलाकात की थी।

केन्द्रीय सरकार से वन (संरक्षण) अधिनियम, 1980 के अंतर्गत मंजूरी प्राप्त करने के लिए राज्य ने केवल एक प्रस्ताव तैयार करने के लिए भारत सरकार के साथ पूर्व परामर्श किया था।

(ख) से (घ) प्रश्न नहीं उठता।

विषैले अपशिष्ट पर प्रतिबंध

4448. श्री राशिद अलवी: क्या पर्यावरण और वन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या हाल ही में सरकार ने पश्चिम के धनी देशों द्वारा देश में पुनर्प्रयोज्य सामग्री और डम्पिंग हेतु प्रयुक्त विषैले अपशिष्ट के आयात पर प्रतिबंध लगाया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सिंगापुर सरकार द्वारा अलग स्क्रैप यार्ड में कराए गए अध्ययन से भारी मात्रा में धात्विक प्रदूषण का पता चला है जिसके कारण पोत भंजन गतिविधियों के बीच रहने वाले कामगारों और परिवारों को स्वास्थ्य समस्याओं और मृत्यु का सामना करना पड़ता है; और

(घ) इस संबंध में सरकार ने क्या कदम उठाए हैं?

पर्यावरण और वन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री बाबू लाल मरांडी): (क) और (ख) 2000 में संशोधित परिसंकटमय अपशिष्ट (प्रबंधन एवं हथालन) नियम, 1989 के अनुसार देश में किसी विपाक्त अपशिष्ट की पाटन या रिसाइक्लिंग के लिए अनुमति नहीं दी जाती है। तथापि, बासल कनवेंशन की सूची ख (अनुबंध-9) में रिसाइकिल योग्य अपशिष्टों के आयात की अनुमति पर्यावरण एवं वन मंत्रालय में पंजीकृत इकाइयों को मामला दर मामला आधार पर रिसाइक्लिंग के लिए दी जाती है।

(ग) गुजरात मेरिटाइम बोर्ड (जी.एम.बी.) और इस्पात मंत्रालय के अनुसार सिंगापुर सरकार द्वारा अलग स्क्रेप यार्ड्स में इस तरह के किए गए अध्ययनों को सरकार के ध्यान में नहीं लाया गया है।

(घ) प्रश्न नहीं उठता।

बच्चों में खून की कमी

4449. श्री अवतार सिंह भड़ाना: क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या दिल्ली में तीन वर्षों से कम आयु के करीब 67 प्रतिशत बच्चे खून की कमी संबंधी रोग से ग्रस्त हैं;

(ख) यदि हां, तो क्या सर्वेक्षण से यह पता चला है कि देश में अन्य राज्यों में भी ऐसी स्थिति हुई है जो बच्चों में अनीमिया रोग दिल्ली की तुलना में कम है;

(ग) यदि हां, तो इस संबंध में ब्यौरा क्या है और राज्यों के क्या नाम हैं; और

(घ) सरकार द्वारा इस बीमारी को दूर करने हेतु लोगों में जागरुकता पैदा करने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (प्रो. रीता वर्मा): (क) से (घ) राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वेक्षण-2 (1998-99) के अनुसार दिल्ली में तीन वर्ष से कम आयु के 69 प्रतिशत बच्चों को रक्त की कमी से पीड़ित पाया गया है। अन्य राज्यों में तीन वर्ष से कम आयु के रक्त की कमी से पीड़ित बच्चों की प्रतिशतता संलग्न विवरण में दर्शाई गई है।

प्रजनन और बाल स्वास्थ्य कार्यक्रम के अंतर्गत रक्त की कमी के निवारण और उपचार के लिए 1-5 वर्ष के आयुवर्ग के बच्चों को आयरन और फॉलिक एसिड की टैबलेट वितरित की जाती हैं।

बच्चों की पोषणिक स्थिति में सुधार लाने के लिए 4-6 माह की आयु तक के बच्चों के लिए विशेष स्तनपान तथा उपयुक्त पूरक भोजन को बढ़ावा दिया जा रहा है। सूचना, शिक्षा और संप्रेषण प्रयास के अंग के रूप में आयरन-युक्त खाद्य के उपयोग को बढ़ावा दिया जा रहा है।

विवरण

बच्चों में रक्त की कमी की व्यापतता

राज्य	किसी तरह की रक्त की कमी वाले 3 वर्ष से कम आयु के बच्चों की प्रतिशतता (*)
दिल्ली	69.0
हरियाणा	83.9
हिमाचल प्रदेश	69.9
जम्मू और कश्मीर	71.1
पंजाब	80.0
राजस्थान	82.3
मध्य प्रदेश	75.0
उत्तर प्रदेश	73.9
बिहार	81.3
उड़ीसा	72.3
पश्चिम बंगाल	78.3
अरुणाचल प्रदेश	84.2
असम	63.2
मणिपुर	44.1
मेघालय	64.1
मिजोरम	53.9
नागालैंड	41.4
सिक्किम	76.5
गोवा	53.4
गुजरात	74.5
महाराष्ट्र	76.0
आंध्र प्रदेश	72.3
कर्नाटक	70.6
केरल	43.9
तमिलनाडु	69.0

*हीमोग्लोबीन स्तर को मापने के लिए वहनीय उपकरण (हेमोक्यू) का प्रयोग करके रक्त की कमी को मापा गया।

स्रोत: राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वेक्षण-2, (1998-99)

जनसंख्या स्थिरीकरण

4450. श्री जयभद्र सिंह: क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या प्रधानमंत्री ने हाल ही में घोषणा की है कि राष्ट्रीय जनसंख्या स्थिरीकरण कोष के अंशदाता आयकर में छूट के अधिकारी होंगे;

(ख) यदि हां, तो क्या "जम्बो" की पहली बैठक में राष्ट्रीय जनसंख्या आयोग ने यह भी घोषित किया कि इस कोष के प्रबंधन में गैर-सरकारी प्रतिनिधि सहायक होंगे; और

(ग) यदि हां, तो इस नए राष्ट्रीय जनसंख्या आयोग से संबधित ब्यौरा क्या है और इसके सदस्यों के नाम तथा कार्यप्रणाली क्या है?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (प्रो. रीता वर्मा): (क) जी, हां।

(ख) जी, हां। 22 जुलाई, 2000 को हुई राष्ट्रीय जनसंख्या आयोग की पहली बैठक में यह घोषणा की गई कि गैर-सरकारी प्रतिनिधियों को राष्ट्रीय स्थिरीकरण कोष से संबद्ध किया जाएगा।

(ग) दिनांक 11 मई, 2000 का संकल्प जिसके द्वारा राष्ट्रीय जनसंख्या आयोग की स्थापना की गई है विवरण के रूप में संलग्न है। आयोग के गठन और कार्य संकल्प में दिए गए हैं।

विवरण

(भारतीय गजट के भाग-1, उपखंड 1 में प्रकाशनार्थ)

सं.ए- 43011/17/2000- प्रशा. 1

भारत सरकार

योजना आयोग

योजना भवन, संसद मार्ग
नई दिल्ली, 11 मई, 2000

संकल्प

जनसंख्या स्थिरीकरण सतत विकास के लिए अनिवार्य पूर्वापेक्षा है, इस बात को मानने वाला भारत पहला देश था और इसलिए 1952 में राष्ट्रीय परिवार नियोजन कार्यक्रम तैयार किया गया। अगले दो दशकों के दौरान, देश को जनसंख्या स्थिरीकरण और मानव विकास में सतत उपलब्धि, दोनों को तीव्रता से प्राप्त करने के लिए जनांकिकीय संक्रमण के मौजूदा चरण द्वारा पेश की गई

चुनौतियों का सामना करना होगा और अवसरों का उपयोग करना होगा। इस लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए जनांकिकीय, शैक्षिक, पर्यावरणीय विकासात्मक कार्यक्रमों के बीच सहक्रिया को बढ़ावा देने पर ध्यान केंद्रित करते हुए इस प्रक्रिया को तेज करना, योजनाकारों, कार्यक्रम कार्यान्वयनकर्ताओं और स्वयं जनता के लिए अत्यंत आवश्यक है। इस राष्ट्रीय प्रयास को समग्र मार्गनिर्देश प्रदान करने के लिए भारत सरकार ने तत्काल प्रभाव से निम्नयत एक राष्ट्रीय जनसंख्या आयोग गठित करने का निर्णय किया है-

अध्यक्ष

भारत के प्रधानमंत्री

उपाध्यक्ष

योजना आयोग के उपाध्यक्ष

सदस्यगण

शिक्षा के प्रभारी केंद्रीय मंत्री

पर्यावरण और वन के प्रभारी केंद्रीय मंत्री

वित्त के प्रभारी मंत्री

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण के प्रभारी केंद्रीय मंत्री

सूचना और प्रसारण के प्रभारी केंद्रीय मंत्री

ग्रामीण विकास के प्रभारी केंद्रीय मंत्री

सामाजिक न्याय और अधिकारिता के प्रभारी केंद्रीय मंत्री

शहरी विकास के प्रभारी केंद्रीय मंत्री

महिला और बाल विकास के प्रभारी केंद्रीय मंत्री

लोक सभा में विपक्ष के नेता

राज्य सभा में विपक्ष के नेता

सभी राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों के मुख्यमंत्री

डा. (श्रीमती) नजमा हेपतुल्ला, उपाध्यक्ष, राज्य सभा

भारतीय जनता पार्टी के नेता (श्री कुशा भाऊ ठाकरे)

कम्यूनिस्ट पाटी के नेता (श्री ए.बी. बर्द्धन)

भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की नेता (श्रीमती सोनिया गांधी, संसद सदस्य)

राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के नेता (श्री शरद पवार, संसद सदस्य)

जनता दल (यूनाइटेड) (श्री शरद यादव, ससंद सदस्य)

श्रीमती मारग्रेट अल्वा, संसद सदस्य

श्री पूर्णो संगमा, संसद सदस्य

श्रीमती शबाना आजमी, संसद सदस्य

श्री विनोद खन्ना, संसद सदस्य

अध्यक्ष, एसोसिएटेड चैंबर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री ऑफ इंडिया

अध्यक्ष, भारतीय उद्योग परिसंघ

अध्यक्ष, एडिटर्स गिल्ड ऑफ इंडिया

अध्यक्ष फेडरेशन ऑफ इंडियन चैंबर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री

अध्यक्ष फेडरेशन आफ आब्सट्रटिक्स एंड गायनोकालॉजी सोसायटी ऑफ इंडिया, फोग्सी

अध्यक्ष, इंडियन मेडिकल एसोसिएशन

अध्यक्ष, भारतीय न्यूजपेपर सोसायटी

अध्यक्ष, भारतीय नर्सिंग परिषद

प्रतिनिधि, जैन टी.वी. (डा. जे. के. जैन)

अध्यक्ष, भारतीय चिकित्सा परिषद

प्रतिनिधि स्टार टी.वी. (श्री प्रणय राय)

प्रतिनिधि, सन टी.वी.

प्रतिनिधि, जी टी.वी. (श्री. सुभाष चन्द्रा)

प्रो. आबाद अहमद

श्री अभय बंग, सर्च, गड़चिरोली

श्री ए.सी. मुथैया

श्री आलोक मुखोपाध्याय, अध्यक्ष, वी.एच.ए.आई.

श्री अलीक पदमसी

डा. ए. वैद्यनाथन, मद्रास इंस्टीट्यूट ऑफ डेवलपमेंट स्टडीज

श्री अवीक सरकार, टेलीग्राफ

डा. बानू कोयाजी, निदेशक, के.ई.एम. अस्पताल, रास्टापेट

श्री बरूण सेनगुप्ता, बर्तमान

डा. दर्शन शंकर (आई.एस.एम.), अध्यक्ष, स्थानीय स्वास्थ्य परंपरा पुनर्जीवनीकरण फाउंडेशन

डा. ई.के. इकबाल, के.एस.एस.पी.

श्रीमती इला भट्ट, सेवा, अहमदाबाद

श्रीमती इमरान कादिर, प्रोफेसर, जनसंख्या अध्ययन, जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय, नई दिल्ली

श्रीमती जया जेटली

श्रीमती जयन्ती नटराजन

श्री के. गोपालकृष्णन, अध्यक्ष, जनानी

डा. के. श्रीनिवासन, अध्यक्ष, इंडियन एसोसिएशन फॉर स्टडी ऑफ पॉपुलेशन

डा. महिप सिंह

श्री मैमन मैथ्यू, मलयालम मनोरमा

प्रो. मो. अमीन, पूर्व कुलपति, जामिया हमदर्द

सुश्री मोहसिना किदवई

श्री नारायण मूर्ति

श्री नरेन्द्र मोहन, दैनिक जागरण

डा. नीना पुरी, अध्यक्ष एफ.पी.आई.ए.

श्रीमती नीडोनुड अंगामी, अध्यक्ष, नागा मदर्स एसोसिएशन

श्री एन.रवि, द हिन्दु

श्री एन. एस. देवधर, पुणे

सुश्री पद्मा सचदेवा

श्री प्रभाष जोशी, जनसत्ता

डा. प्रवीण विसारिया, निदेशक, आई.ई.जी., दिल्ली

श्री पी.एन. त्रिपाठी, एक्शन

श्री कारि एम.एम. मजारि, उर्दू, सेकुलर कयादत

सुश्री कुतर्लएन हैदर

सुश्री रागमी बेन बनवारी, सेवा आश्रम, उत्तर प्रदेश

डा. रजनीकांत अरोले, जामखेड परियोजना, अहमदनगर

सुश्री रमि छाबरा

श्री रामजी राव इनाडु

सुश्री रानीबंग, सर्च, गडचिरोली

श्री रतन टाटा

श्री आर. श्रीनिवासन, पूर्व स्वास्थ्य सचिव

डा. सरोज पचौरी, क्षेत्रीय निदेशक, दक्षिण एवं दक्षिण-पूर्व एशिया जनसंख्या परिषद

सुश्री शर्मिला टैगोर

सुश्री शीमा रिजवी, विधान परिषद सदस्य, उत्तर प्रदेश

डा. सुदर्शन (राइट लाइवलीहुड अवार्डी), मैसूर

प्रो. सुन्दर लाल, रोहतक मेडिकल कालेज, भारतीय निवारक एवं सामाजिक औषधि एसोसिएशन

डा. सुशीला नैय्यर, गांधी मेडिकल कालेज, वर्धा

प्रो. स्वप्ना मुखोपाध्याय, आई.ई.जी., इंस्टीट्यूट ऑफ सोसल स्टडीज ट्रस्ट

श्रीमती थेल्मा नारायण, विश्व स्वास्थ्य संगठन का अंतर्राष्ट्रीय स्वास्थ्य नेटवर्क

डा. त्रिलोचन सिंह

डा. वी.एच. पई पनंदिकर, सेन्टर फॉर पॉलिसी रिसर्च

सदस्य-सचिव

श्रीमती कृष्णा सिंह, योजना आयोग

2. उपर्युक्त संरचना के अलावा निम्नलिखित व्यक्ति आयोग में स्थायी आमंत्रित व्यक्ति होंगे:-

प्रधान मंत्री के प्रमुख सचिव

मंत्रिमंडल सचिव

सचिव, बुनियादी शिक्षा विभाग

सचिव, परिवार कल्याण विभाग

सचिव, वित्त

सचिव, स्वास्थ्य विभाग

सचिव, उच्च एवं तकनीकी शिक्षा विभाग

सचिव, सदस्य-सचिव, योजना आयोग

सचिव, सामाजिक न्याय और अधिकारिता विभाग

सचिव, महिला और बाल विकास विभाग

संयुक्त सचिव, प्रधानमंत्री कार्यालय (स्वास्थ्य और परिवार कल्याण के प्रभारी)

3. आयोग के विचारार्थ मुद्दे निम्नलिखित होंगे:-

(1) नीति में निर्धारित किए गए लक्ष्यों को प्राप्त करने के विचार से राष्ट्रीय जनसंख्या नीति के कार्यान्वयन की समीक्षा करना, मानीटर करना और दिशानिर्देश देना।

(2) जनांकिकीय, शैक्षिक पर्यावरणीय और विकासात्मक कार्यक्रमों के बीच सहक्रिया को बढ़ावा देना ताकि जनसंख्या स्थिरीकरण की प्रक्रिया में तेजी लाई जा सके।

(3) नीति में निर्धारित लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए केन्द्र और राज्य सरकारों की सरकारी एजेंसियों के बीच योजना और कार्यान्वयन में अंतर्क्षेत्रीय तालमेल को बढ़ावा देना, सिविल समाज और निजी क्षेत्र को शामिल करना और अंतर्राष्ट्रीय सहयोग की संभावनाओं का पता लगाना।

(4) इस राष्ट्रीय प्रयास को प्राप्त करने के लिए उत्साहपूर्ण जन आंदोलन के विकास को आगे बढ़ाना।

4. यदि आवश्यक हो, आयोग अपने उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए किसी विशेषज्ञ निकाय या व्यक्ति को संबद्ध कर सकता है। आयोग की सामान्यत: प्रति वर्ष दो बार या जितनी बार आवश्यक समझा जाए, बैठक होगी। आयोग जनसंख्या नीति को कार्यान्वित करने के लिए आवश्यक कार्यदलों/कार्यबलों का गठन कर सकता है।

(5) आयोग का सचिवालय योजना आयोग में स्थित होगा।

(6) आयोग या इसके उप समूहों की बैठकों में भाग लेने वाले आयोग के गैर-सरकारी सदस्यों के यात्रा भत्ते/दैनिक भत्ते की स्वीकृति से संबंधित मामलों में व्यय योजना आयोग द्वारा वहन किया जाएगा। और आवश्यक भुगतान गैर-सरकारी सदस्यों को यात्रा भत्ते/दैनिक भत्ते की स्वीकृति संबंधी नियमों के अनुसार किया जाएगा। आयोग के सरकारी सदस्यों के मामलों में वे यात्रा भत्ते/दैनिक भत्ते अपने-अपने कार्यालयों से प्राप्त करेंगे।

(एन.सी. सक्सेना)
सचिव, भारत सरकार

जुडपी जंगल भूमि

4451. श्री नरेश पुगलिया: क्या **पर्यावरण और वन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या महाराष्ट्र की जुडपी-जंगल भूमि पहले राजस्व विभाग की थी;

(ख) यदि हां, तो क्या महाराष्ट्र के अमरावती डिवीजन में जुडपी-जंगल भूमि अब भी राजस्व विभाग की है;

(ग) यदि हां, तो क्या नागपुर डिविजन में जुडपी-जंगल भूमि को वन विभाग की सम्पत्ति के रूप में दिखाया गया है और वन विभाग इस पर अपना दावा जता रहा है;

(घ) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं;

(ङ) क्या सरकार का विचार महाराष्ट्र के अमरावती डिवीजन की जुडपी-जंगल भूमि की तरह महाराष्ट्र के नागपुर डिवीजन की जुडपी-जंगल भूमि को भी राजस्व विभाग को सौंपने का है; और

(च) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

पर्यावरण और वन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री बाबू लाल मरांडी): (क) से (च) महाराष्ट्र के पांच जिलों अर्थात् भद्रा, चन्द्रपुर, गढ़चिरोली, नागपुर और वर्धा में आने वाले जुडपी-जंगल भूमि राजस्व विभाग की है और यह अभी भी इसी विभाग के पास ही है। हालांकि वन संरक्षण अधिनियम 1980 के उपबंध इन भूमियों पर लागू होते हैं क्योंकि राजस्व रिकार्डों में इसे "वन" भूमि के रूप में वर्गीकृत किया गया है। राज्य सरकार को अधिनियम के अंतर्गत इस मंत्रालय से पूर्व अनुमोदन लेना होगा यदि वह इस भूमि को वनेत्तर प्रयोजनों के लिए इस्तेमाल करना चाहती है। अनुमोदन देते समय मंत्रालय यह शर्त रखता है कि ऐसी जुडपी भूमि जो अनिवार्य वनीकरण के लिए पेश की गई है उसे भारतीय वन अधिनियम 1927 के उपबंधों के अंतर्गत आरक्षित वन/सुरक्षित वन के रूप में अधिसूचित कर वन विभाग को अंतरित किया जाना चाहिए।

इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय विमानपत्तन पर प्रदूषण का स्तर

4452. श्री साहिब सिंह: क्या **नागर विमानन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या आई.जी.आई.ए. में वायु, पानी तथा ध्वनि प्रदूषण की मात्रा का पता करने हेतु कोई सर्वेक्षण कराया गया है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

नागर विमानन मंत्री (श्री शरद यादव): (क) जी, नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

पेट्रोल पंपों के लिए सड़कों की मंजूरी

4453. श्री एम.वी. चन्द्रशेखर मूर्ति: क्या **पर्यावरण और वन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या उनके मंत्रालय द्वारा कारगिल योजना और सामाजिक श्रेणी के अंतर्गत राष्ट्रीय राजमार्गों/राज्य राजमार्गों में पेट्रोल पंपों के लिए संपर्क मार्ग नहीं प्रदान किया जा रहा है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसके क्या कारण हैं; और

(ग) केन्द्र सरकार द्वारा इस संबंध में मामले को संबंधित राज्यों के समक्ष रखने हेतु क्या कदम उठाए गए हैं?

पर्यावरण और वन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री बाबू लाल मरांडी): (क) से (ग) मंत्रालय को राष्ट्रीय राजमार्गों/राज्य राजमार्गों पर स्थित पैट्रोल पम्पों के लिए सम्पर्क मार्गों के निर्माण हेतु अनुमति के लिए राज्य सरकार से प्रस्ताव प्राप्त हो रहे हैं और इन प्रस्तावों पर वन (संरक्षण) अधिनियम, 1980 के नियमों और दिशा निर्देशों के ढांचे के अंतर्गत निर्णय किया जा रहा है। तथापि, इस मंत्रालय के क्षेत्रीय कार्यालयों को अनुदेश जारी किए गए हैं कि यदि इस प्रकार के अनुरोध कारगिल योजना और सामाजिक वर्ग में संबंधित हों तो वे उन पर सहानुभूतिपूर्वक और शीघ्रता से विचार करें।

दीघा तटीय जोन में होटल और दुकानों का निर्माण

4454. श्री नीतिश सेनगुप्ता: क्या पर्यावरण और वन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या पश्चिम बंगाल में दीघा तटीय जोन द्वारा बड़ी संख्या में होटलों और दुकानों का निर्माण सरकार के दिशानिर्देशों का खुल्ला उल्लंघन है कि उच्च जल रेखा के 500 मीटर के भीतर किसी निर्माण की अनुमति न दी जाए;

(ख) यदि हां, तो इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है;

(ग) क्या सरकार इस मामले को राज्य सरकारों के समक्ष रखने जा रही है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

पर्यावरण और वन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री बाबू लाल मरांडी): (क) से (घ) दीघा में तटीय विनियमन क्षेत्र में कुछ होटलों और दुकानों/स्टालों के निर्माण से तटीय विनियमन क्षेत्र 1991 के उपबंधों के उल्लंघन के बारे में सूचना मिली है। पश्चिम बंगाल सरकार ने दीघा में तटीय विनियमन क्षेत्र में अप्राधिकृत निर्माण के विरुद्ध कार्रवाई शुरू की है। इसमें गैर-कानूनी होटलों को गिराने का नोटिस जारी करना और अप्राधिकृत दुकानों/स्टालों को हटाने के लिए कार्रवाई शुरू करना शामिल है।

आयकर की वसूली न होना

4455. श्री रामसागर रावत: क्या संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या आयकर अधिनियम, 1961, जिसे बाद के वर्षों में वित्तीय अधिनियमों द्वारा यथासंशोधित किया गया, के अनुसार सभी डाक प्राधिकरणों पर (1) पट्टे पर दिए गए भवनों पर 1.20 लाख प्रतिवर्ष से अधिक के पट्टा-किराए के देय-भुगतान पर 20 प्रतिशत स्त्रोतस्थ आयकर की कटौती करने और (2) राष्ट्रीय बचत योजना (एन.एस.एस.) के अंतर्गत आहरण पर भुगतान करने पर, का दायित्व ठहरता है;

(ख) यदि हां, तो क्या ऐसे भी मामले सामने आए हैं जिनमें इस अनिवार्य प्रावधान का अनुपालन नहीं किया गया जिसके परिणामस्वरूप जनवरी 1994 से मई 1998 के बीच लाखों रुपये के आयकर की वसूली मारी गई; और

(ग) यदि हां, तो उन सब मामलों का ब्यौरा क्या है, साथ ही इस विषय में क्या कार्यवाही की गई है?

संचार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री तपन सिकदर): (क) जी, हां।

(ख) और (ग) राष्ट्रीय बचत योजना के अंतर्गत निकासी के समय आयकर की पूरी तरह कटौती की जाती है। विभाग द्वारा भुगतान किए जा रहे पट्टा-किराए से स्रोत पर कर की कटौती करने संबंधी उत्तर यथासमय प्रस्तुत कर दिया जाएगा क्योंकि अपेक्षित जानकारी पूरे देश से एकत्र की जा रही है।

जहरीले पदार्थ

4456. श्री चन्द्र विजय सिंह: क्या पर्यावरण और वन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 24 राजधानी को लखनऊ से जोड़ता है और गजरौला होता हुआ अन्य शहरों से निकलता है;

(ख) यदि हां, तो अनेक यात्रियों को इस मार्ग पर वैम आर्गेनिक नामक रसायन फैक्टरी से निकलने वाली अत्यधिक जहरीली गंध झेलनी पड़ती है;

(ग) उक्त इकाई द्वारा पर्यावरण में छोड़े जाने वाले प्रदूषण और जहरीली गैस का स्तर कितना है; और

(घ) इस संबंध में सरकार द्वारा क्या उपचारात्मक कदम उठाए जा रहे हैं?

पर्यावरण और वन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री बाबू लाल मरांडी): (क) जी, हां।

(ख) और (ग) मैसर्स वैम ऑर्गेनिक केमीकल्स लि. (वी.ओ.सी.एल.) औद्योगिक ग्रेड की अल्कोहल का निर्माण करने के साथ ही अल्कोहल को कच्ची सामग्री के रूप में प्रयोग करके अनेक कार्बनिक रसायनों का उत्पादन भी करता है। वी ओ सी एल के रासायनिक संयंत्र विभिन्न प्रक्रियाओं और प्रचालनों के दौरान गन्धयुक्त गैसें उत्पन्न करते हैं। सल्फर डाई आक्साईड नाइट्रोजन आक्साइड, फ्लूराइड् और निलम्बित धूल कण पदार्थ के परिवेशी स्तर पर क्रमश: 2.5 से 73.6 माइक्रोग्राम प्रति घन मी. (यू जी/एम 3), 1 से 7.3 यू जी/एम 3, 0.33 से 7.5 यू जी/एम 3 और 151 से 412 यू जी/एम 3 तक होते हैं।

(घ) सरकार ने पर्यावरण (सुरक्षा) अधिनियम, 1986 की धारा 5 के अंतर्गत वी ओ सी एल को निदेश जारी किए थे और इन निदेशों के अनुसरण में उक्त उद्योग ने निम्नलिखित कदम उठाए हैं:-

* मौजूदा शोधन संयत्र की क्षमता के अनुरूप अल्कोहल का उत्पादन 260 किलो लीटर तक सीमित करना।
* रंग और गंध संबंधी समस्या को कम करने के लिए बागड नदी को गाद रहित करना।
* बायोगैस से सल्फर निकालने के लिए संयंत्र स्थापित करना और;
* गंध युक्त वाष्पशील कार्बनिक गैसों और वाष्पकणों को इकट्ठा करना और उन्हें भस्म करने की सुविधाओं की व्यवस्था करना।

मध्याह्न् 12.00 बजे

सभा पटल पर रखे गए पत्र

[अनुवाद]

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री (डा. सी.पी. ठाकुर): महोदय, मैं सभा पटल पर निम्नलिखित पत्र रखता हूं:-

(1) (एक) सेन्ट्रल काउंसिल फार रिसर्च इन आयुर्वेद एण्ड सिद्ध, नई दिल्ली के वर्ष 1998-99 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)

(दो) सेन्ट्रल काउंसिल फार रिसर्च इन आयुर्वेद एण्ड सिद्ध, नई दिल्ली के वर्ष 1998-99 के वार्षिक लेखाओं की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा उन पर लेखापरीक्षा प्रतिवेदन।

(तीन) सेन्ट्रल काउंसिल फार रिसर्च इन आयुर्वेद एण्ड सिद्ध, नई दिल्ली के वर्ष 1998-99 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)

(2) उपर्युक्त (1) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रन्थालय में रखे गये। **देखिए** संख्या एल टी 2251/2000]

नागर विमानन मंत्री (श्री शरद यादव): महोदय, मैं वायुयान अधिनियम, 1934 की धारा 14क के अंतर्गत वायुयान (पहला संशोधन) नियम, 2000 जो 11 मार्च, 2000 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा.का.नि. 86 में प्रकाशित हुए थे की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा एक व्याख्यात्मक टिप्पण सभा पटल पर रखता हूं।

[ग्रन्थालय में रखे गये। **देखिए** संख्या एल टी 2252/2000]

[हिन्दी]

पर्यावरण और वन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री बाबू लाल मरांडी): अध्यक्ष महोदय, मैं निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखता हूं:

(1) पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 की धारा 26 के अंतर्गत अधिसूचनाओं की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण):-

(एक) दि बायो-मेडिकल वेस्ट (मेनेजमेंट एण्ड हैंडलिंग) (संशोधन) नियम, 1998 जो 7 मार्च, 2000 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या का.आ. 201 (अ) में प्रकाशित हुए थे।

(दो) दि बायो-मेडिकल वेस्ट (मेनेजमेंट एण्ड हैंडलिंग) (दूसरा संशोधन) नियम, 1998 जो 2 जून, 2000 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या का.आ. 545 (अ) में प्रकाशित हुए थे।

[ग्रन्थालय में रखे गये। **देखिए** संख्या एल टी 2253/2000]

[अनुवाद]

श्रम मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मुनिलाल): महोदय, मैं कर्मचारी भविष्य निधि और प्रकीर्ण उपबंध अधिनियम, 1952 की

धारा 7 की उपधारा (2) के अंतर्गत कर्मचारी निक्षेप-सहबद्ध बीमा (संशोधन) स्कीम, 2000 जो 24 जून, 2000 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा.का.नि. 238 में प्रकाशित हुई थी की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) सभा पटल पर रखता हूं।

[ग्रन्थालय में रखी गई। देखिए संख्या एल टी 2254/2000]

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (प्रो. रीता वर्मा): मैं निम्नलिखित पत्र पटल पर रखती हूँ:-

(1) खाद्य अपमिश्रण निवारण अधिनियम, 1954 की धारा 23 की उपधारा (2) के अन्तर्गत खाद्य अपमिश्रण निवारण (दूसरा संशोधन) नियम, 2000 जो 29 मई, 2000 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा.का.नि. 501 (अ) में प्रकाशित हुए थे की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रन्थालय में रखी गई। देखिए संख्या एल टी 2255/2000]

(2)(एक) नेशनल इन्स्टीट्यूट आफ बायोलॉजीकल्स, नई दिल्ली के वर्ष 1992-93 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) नेशनल इन्स्टीट्यूट आफ बायोलाजीकल्स, नई दिल्ली के वर्ष 1992-93 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(3) उपर्युक्त (2) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रन्थालय में रखे गये। देखिए संख्या एल टी 2256/2000]

(4)(एक) नेशनल इन्स्टीट्यूट आफ बायोलॉजीकल्स, नई दिल्ली के वर्ष 1993-94 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) नेशनल इन्स्टीट्यूट आफ बायोलाजीकल्स, नई दिल्ली के वर्ष 1993-94 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(5) उपर्युक्त (4) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रन्थालय में रखे गये। देखिए संख्या एल टी 2257/2000]

(6)(एक) नेशनल इन्स्टीट्यूट आफ बायोलाजीकल्स, नई दिल्ली के वर्ष 1994-95 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) नेशनल इन्स्टीट्यूट आफ बायोलाजीकल्स, नई दिल्ली के वर्ष 1994-95 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(7) उपर्युक्त (6) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रन्थालय में रखे गये। देखिए संख्या एल टी 2258/2000]

(8)(एक) नेशनल इन्स्टीट्यूट आफ बायोलाजीकल्स, नई दिल्ली के वर्ष 1995-96 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) नेशनल इन्स्टीट्यूट आफ बायोलाजीकल्स, नई दिल्ली के वर्ष 1995-96 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(9) उपर्युक्त (8) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रन्थालय में रखे गये। देखिए संख्या एल टी 2259/2000]

(10)(एक) नेशनल इन्स्टीट्यूट आफ बायोलॉजीकल्स, नई दिल्ली के वर्ष 1996-97 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) नेशनल इन्स्टीट्यूट आफ बायोलॉजीकल्स, नई दिल्ली के वर्ष 1996-97 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(11) उपर्युक्त (10) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रन्थालय में रखे गये। देखिए संख्या एल टी 2260/2000]

(12)(एक) नेशनल इन्स्टीट्यूट आफ बायोलॉजीकल्स, नई दिल्ली के वर्ष 1997-98 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) नेशनल इन्स्टीट्यूट आफ बायोलाजीकल्स, नई दिल्ली के वर्ष 1997-98 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(13) उपर्युक्त (12) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रन्थालय में रखे गये। **देखिए** संख्या एल टी 2261/2000]

(14) (एक) नेशनल इन्स्टीट्यूट आफ बायोलाजीकल्स, नई दिल्ली के वर्ष 1998-99 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) नेशनल इन्स्टीट्यूट आफ बायोलाजीकल्स, नई दिल्ली के वर्ष 1998-99 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(15) उपर्युक्त (14) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रन्थालय में रखे गये। **देखिए** संख्या एल टी 2262/2000]

(15)(एक) नेशनल इन्स्टीट्यूट आफ बायोलाजीकल्स, नई दिल्ली के वर्ष 1999-2000 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) नेशनल इन्स्टीट्यूट आफ बायोलॉजीकल्स, नई दिल्ली के वर्ष 1999-2000 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रन्थालय में रखे गये। **देखिए** संख्या एल टी 2263/2000]

[हिन्दी]

संचार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री तपन सिकदर): अध्यक्ष महोदय, मैं निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखता हूं:-

(1) विदेश संचार निगम लिमिटेड और संचार मंत्रालय (दूरसंचार सेवा विभाग) के बीच वर्ष 2000-2001 के लिए हुए समझौता ज्ञापन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रन्थालय में रखी गई। **देखिए** संख्या एल टी 2264/2000]

(2) टेलीकम्यूनिकेशन्स कंसलटेन्ट्स इंडिया लिमिटेड और दूरसंचार सेवा विभाग के बीच वर्ष 2000-01 के लिए हुए समझौता ज्ञापन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रन्थालय में रखी गई। **देखिए** संख्या एल टी 22652000]

जल-भूतल परिवहन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री हुकमदेव नारायण यादव): अध्यक्ष महोदय, मैं निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखता हूं:-

(1) महापत्तन न्यास अधिनियम, 1963 की धारा 1 की उपधारा (2) के अन्तर्गत जारी अधिसूचना संख्या सा.का.नि. 296 जो 28 फरवरी, 1964 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुई थी तथा जिसके द्वारा महापत्तन न्यास अधिनियम, 1963 को 29 फरवरी, 1964 को प्रवृत्त होने की तारीख के रूप में नियत किया गया है कि एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(2) महापत्तन न्यास अधिनियम, 1963 की धारा 124 की उपधारा (4) के अंतर्गत निम्नलिखित अधिसूचनाओं की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण):-

(एक) महापत्तन न्यास (नियमों का अंगीकरण) विनियम, 1964 जो 24 फरवरी, 1964 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा.का.नि. 297 में प्रकाशित हुए थे।

(दो) कोचीन पत्तन कर्मचारी (अस्थायी सेवा) विनियम, 1964 जो 24 फरवरी, 1964 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा.का.नि. 311 में प्रकाशित हुए थे।

(तीन) कोचीन पत्तन कर्मचारी (छुट्टी यात्रा रियायत) विनियम, 1964 जो 24 फरवरी, 1964 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा.का.नि. 312 में प्रकाशित हुए थे।

(चार) कोचीन पत्तन कर्मचारी (आचरण) विनियम, 1964 जो 24 फरवरी, 1964 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा.का.नि. 313 में प्रकाशित हुए थे।

(पांच) कोचीन पत्तन कर्मचारी (भर्ती, ज्येष्ठता और पदोन्नति) विनियम, 1964 जो 24 फरवरी, 1964 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा.का.नि. 314 में प्रकाशित हुए थे।

(छः) कोचीन पत्तन (पायलटों को प्राधिकृत करना) विनियम, 1964 जो 24 फरवरी, 1964 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा.का.नि. 316 में प्रकाशित हुए थे।

(सात) कोचीन पत्तन कर्मचारी (सामान्य भविष्य निधि) विनियम, 1964 जो 24 फरवरी, 1964 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा.का.नि. 318 में प्रकाशित हुए थे।

(आठ) कोचीन पत्तन कर्मचारी (वर्गीकरण, नियंत्रण और अपील) विनियम, 1964 जो 24 फरवरी, 1964 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा.का.नि. 319 में प्रकाशित हुए थे।

(नौ) कोचीन पत्तन कर्मचारी (सेवानिवृत्ति) विनियम, 1977 जो 10 जून, 1978 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा.का.नि. 750 में प्रकाशित हुए थे।

(दस) सा.का.नि. 644 (अ) जो 31 जुलाई, 2000 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनके द्वारा तूतीकोरिन पत्तन कर्मचारी (छुट्टी) दूसरा संशोधन विनियम, 2000 का अनुमोदन किया गया है।

(ग्यारह) सा.का.नि. 652 (अ) जो 7 अगस्त, 2000 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनके द्वारा कोचीन पत्तन कर्मचारी (भर्ती, ज्येष्ठता और पदोन्नति) संशोधन विनियम, 2000 का अनुमोदन किया गया है।

(बारह) सा.का.नि. 558 (अ) जो 22 जून, 2000 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिसमें अक्तूबर, 1998 की अधिसूचना संख्या सा.का.नि. 603 (अ) का शुद्धिपत्र अंतर्विष्ट है।

(तेरह) सा.का.नि. 650 (अ) जो 4 अगस्त, 2000 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनके द्वारा मद्रास पत्तन न्यास कर्मचारी (नियुक्ति, पदोन्नति, आदि) संशोधन विनियम, 2000 का अनुमोदन किया गया है।

[ग्रन्थालय में रखे गये। देखिए संख्या एल टी 2266/2000]

(3) महापत्तन न्यास अधिनियम, 1962 की धारा 122 की उपधारा (3) के अंतर्गत निम्नलिखित अधिसूचनाओं की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण):-

(एक) महापत्तन न्यास (बोर्ड की बैठक की प्रक्रिया) नियम 1981 जो 1 अगस्त, 1981 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा.का.नि. 725 में प्रकाशित हुए थे।

(दो) महापत्तन न्यास (न्यासियों को शुल्क भत्तों का संदाय) नियम, 1981 जो 6 फरवरी, 1982 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा.का.नि. 134 में प्रकाशित हुए थे।

(4) उपर्युक्त (1), (2) की मद संख्या (एक) से (नौ) तथा (3) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलंब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रन्थालय में रखे गये। देखिए संख्या एल टी 2267/2000]

(5) राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम, 1956 की धारा 10 के अंतर्गत निम्नलिखित अधिसूचनाओं की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण):-

(एक) का.आ. 35 (अ) जो 12 जनवरी, 2000 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जिसके द्वारा यह निदेश दिया गया कि अधिसूचना में उल्लिखित राष्ट्रीय राजमार्गों के विकास अथवा अनुरक्षण से संबंधित कार्यों के निष्पादन संबंधी कृत्य कतिपय शर्तों के अध्यधीन राज्य सरकार द्वारा भी प्रयोक्तव्य होंगे।

(दो) का.आ. 195 (अ) जो 6 मार्च, 2000 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जिसके द्वारा 4 अप्रैल, 1957 की अधिसूचना, संख्या का.नि.आ. 1181 में कतिपय संशोधन किए गए हैं।

(तीन) का.आ. 355 (अ) जो 6 अप्रैल, 2000 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जिसके द्वारा राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम, 1956 की अनुसूची में से राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 4 ख का लोप किया गया है।

(चार) का.आ. 356 (अ) जो 6 अप्रैल, 2000 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जिसके द्वारा 4 फरवरी, 1957 की अधिसूचना संख्या का.नि.आ. 1181 में कतिपय संशोधन किए गए हैं।

(पांच) का.आ. 357 (अ) जो 6 अप्रैल, 2000 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जिसके द्वारा अधिसूचना में उल्लिखित राजमार्गों को राष्ट्रीय राजमार्ग घोषित किया गया है।

(छः) का.आ. 358 (अ) जो 6 अप्रैल, 2000 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जिसके द्वारा 4 फरवरी, 1957 की अधिसूचना संख्या का.नि.आ. 1181 में कतिपय संशोधन किए गए है।

(सात) का.आ. 479 (अ) जो 19 मई, 2000 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जिसके द्वारा यह निदेश दिया गया कि अधिसूचना में उल्लिखित राष्ट्रीय

राजमार्गों के विकास अथवा अनुरक्षण से संबंधित कार्यों के निष्पादन संबंधी कृत्य संबंधित राज्य सरकार द्वारा भी प्रयोक्तव्य होंगे।

(आठ) का.आ. 605 (अ) जो 28 जून, 2000 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जिसके द्वारा 4 फरवरी, 1957 की अधिसूचना संख्या का.नि.आ. 1181 में कतिपय संशोधन किए गए हैं।

[ग्रन्थालय में रखे गये। देखिए संख्या एल टी 2268/2000]

(6) अधिसूचना संख्या का.आ. 196 (अ) जो 6 मार्च, 2000 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुई तथा जिसके द्वारा राष्ट्रीय राजमार्गों को भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण को सौंपा गया है, की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रन्थालय में रखी गई। देखिए संख्या एल टी 2269/2000]

(7) भारतीय अंतर्देशीय जलमार्ग प्राधिकरण अधिनियम, 1985 की धारा 36 के अंतर्गत भारतीय अंतर्देशीय जलमार्ग प्राधिकरण (कार्य ग्रहण की अवधि) विनियम, 2000 जो 3 जुलाई, 2000 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा.का.नि. 260 में प्रकाशित हुए थे, की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रन्थालय में रखी गई। देखिए संख्या एल टी 2270/2000]

अपराह्न 12.02 बजे

राज्य सभा से संदेश

[अनुवाद]

महासचिव: महोदय, मुझे राज्य सभा के महासचिव से प्राप्त निम्नलिखित सन्देश की सूचना सभा को देनी है:-

" राज्य सभा के प्रक्रिया तथा कार्य संचालन नियमों के नियम 127 के उपबन्धों के अनुसरण में मुझे लोक सभा को यह बताने का निर्देश हुआ है कि राज्य सभा 18 अगस्त, 2000 को हुई अपनी बैठक में लोक सभा द्वारा 16 अगस्त, 2000 को हुई अपनी बैठक में अर्द्ध चालक एकीकृत परिपथ अभिन्यास डिजाइन विधेयक, 2000 में किए गए संशोधन* से सहमत हुई।"

खण्ड-2

*पृष्ठ 3 पंक्ति 7**

---

* यह संशोधन हिन्दी पाठ पर लागू नहीं होता।

अपराह्न 12.02$^{1}/_{2}$ बजे

[हिन्दी]

सरकारी उपक्रमों संबंधी समिति

विवरण

डा. विजय कुमार मल्होत्रा (दक्षिण दिल्ली): अध्यक्ष महोदय, मैं सरकारी उपक्रमों संबंधी समिति (ग्यारहवीं लोक सभा) के विद्युत वित्त निगम लिमिटेड के बारे में तीसरे प्रतिवेदन के अध्याय एक में अंतर्विष्ट सिफारिशों पर सरकार द्वारा की गई कार्यवाही तथा अध्याय पांच में अंतर्विष्ट सिफारिशों के संबंध में अंतिम उत्तरों को दर्शाने वाला एक विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) सभा पटल पर रखता हूं।

[हिन्दी]

श्री मुलायम सिंह यादव (सम्भल): अध्यक्ष महोदय, मैं आपका संरक्षण चाहता हूं। अभी थोड़ी देर पहले जो कहा था, अध्यक्ष महोदय, मैं आपके हर निर्देश का पालन करता हूं तथा करूंगा।

अध्यक्ष महोदय: मुलायम सिंह जी, मेरा एक निवेदन है कि आप अपने सदस्यों को बता दें कि वैल में न आएं।

...(व्यवधान)

श्री मुलायम सिंह यादव: संसदीय कार्य मंत्री किससे रिपोर्ट मंगवाएंगे। मैं लोक सभा की कमेटी की जांच की मांग करता हूं। जब दोनों चुनाव आयोग ने उन दोनों अधिकारियों के विरुद्ध लिखा ही नहीं बल्कि उ.प्र. पंचायत राज चुनाव आयुक्त ने स्थानांतरण हेतु भी लिखा है उसके बाद आप किसके रिपोर्ट मंगवाएंगे। जब चीफ मिनिस्टर उनके साथ हैं तो आप रिपोर्ट किससे मंगवाएंगे। उ.प्र. चुनाव आयुक्त ने चीफ सैक्रेटरी को शीघ्र स्थानांतरण हेतु लिखा कि इन दोनों अधिकारियों के रहते निष्पक्ष चुनाव संभव नहीं?

...(व्यवधान)

श्री चन्द्रशेखर (बलिया, उ.प्र.): अध्यक्ष जी, जो मामला मुलायम सिंह जी ने उठाया है, पिछले कुछ दिनों से उत्तर प्रदेश के सब समाचार पत्रों में इसका जिक्र है। यह आज का मामला नहीं है, चुनाव के समय भी चुनाव आयोग ने उत्तर प्रदेश को लिखा था कि इन दो अधिकारियों का व्यवहार निष्पक्षपूर्ण नहीं है और उनकी जगह पर दूसरे अधिकारी नियुक्त किए जाने चाहिए। इसके बावजूद भी उत्तर प्रदेश सरकार ने कुछ नहीं किया। अभी तुरन्त एटा में जो घटनाएं हुई हैं, समाजवादी पार्टी के दफ्तर से किताबें उठा कर फेंक दी गई, नेताओं के फोटो उठा कर फेंक दिए गए, वहां से सब सामान उठा कर ले गए या फैंक दिए, कुछ पता नहीं है। अगर यह परिस्थिति पैदा होगी तो हम समझते हैं कि वहां आपसी तनाव का वातावरण बढ़ता जा रहा है और यह बहुत अप्रिय बात हो रही है। मैं संसदीय कार्य मंत्री से कहूंगा कि अगर श्री मुलायम सिंह कहते हैं, आप अपनी पार्टी और विरोधी पक्ष के 3-5 आदमियों की कमेटी वहां भेज दें।

वे जाकर इस स्थिति को देख आयें, इसमें क्या दिक्कत हो सकती है हमारी समझ में नहीं आता है। हम नहीं चाहते हैं कि सब लोग जाएं। एक-दो आदमी आपके, एक-दो आदमी आपके, सोमनाथ चटर्जी जी जैसे, चार-पांच आदमी चले जायें और वहां की स्थिति को देखकर रिपोर्ट दे दें। क्योंकि चुनाव आयोग की रिपोर्ट के बाद भी अगर सरकार कुछ नहीं करती है तो यह मामला अत्यन्त गम्भीर है।

[अनुवाद]

संसदीय कार्य मंत्री तथा सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री (श्री प्रमोद महाजन): मेरा सुझाव है कि भोजनावकाश के दौरान आप कृपया एक बैठक बुलाएं। इसके पश्चात् हम कोई निर्णय ले सकते हैं...*(व्यवधान)*

श्री सोमनाथ चटर्जी (बोलपुर): महोदय, यहां इस प्रकार का वातावरण चुनाव आयोग द्वारा दो अधिकारियों के संबंध में की गई टिप्पणियों के कारण है। उक्त अधिकारियों के विरुद्ध इस मामले को श्री मुलायम सिंह यादव द्वारा गत शुक्रवार को उठाया गया था। उनसे कोई रिपोर्ट प्राप्त करना कोई विश्वसनीय बात नहीं होगी। अत: एक सुझाव दिया गया है मैं मंत्री महोदय से इस मुद्दे पर विचार करने का अनुरोध कर रहा हूँ।

ऐसा लगता है कि लोकतांत्रिक कांग्रेस ने भी इसे एक गंभीर मामला बताते हुए इस पर अपना विरोध प्रकट किया है। उन्होंने इस पर अपनी चिंता भी प्रकट की है। उन्होंने कहा है कि इस संबंध में समाजवादी पार्टी का मत सही है। मुझे विश्वास है कि उनके आपसी मतभेद कम नहीं हुए हैं। लेकिन इसके बावजूद उन्होंने इसका समर्थन किया है। अत: इस मामले पर गंभीरता से विचार किया जाना चाहिए।

अध्यक्ष महोदय: हम लोग इस पर मेरे चैम्बर में विचार करेंगे। आप बैठ जाइये।

श्री एस. जयपाल रेड्डी (मिरयालगुडा): माननीय अध्यक्ष महोदय, सबसे पहले मैं आपको मुझे बोलने का अवसर देने हेतु धन्यवाद देता हूं। मैं आपके माध्यम से पूरे सदन के ध्यान में कतिपय बातें लाना चाहता हूं आज आंध्र प्रदेश में दु:ख और आश्चर्य का माहौल है। 90 से अधिक विधायक अनिश्चित कालीन भूख-हड़ताल पर बैठे हैं...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय: श्री जयपाल रेड्डी के भाषण के अतिरिक्त कार्यवाही वृत्तांत में कुछ भी शामिल नहीं किया जाएगा।

*...(व्यवधान)**

अध्यक्ष महोदय: नहीं, मैंने श्री जयपाल रेड्डी को बोलने की अनुमति दी है।

...(व्यवधान)

श्री एस. जयपाल रेड्डी: मैं यह बात स्पष्ट कर रहा हूं कि यह आंध्र प्रदेश में लाखों लोगों द्वारा तीन महीने से किए जा रहे आंदोलन का परिणाम है फिर भी आंध्र प्रदेश सरकार इस मामले पर संवेदनहीनता और तानाशाही ढंग से कार्य कर रही है।

श्री प्रमोद महाजन: हम राज्य विधान सभा के अधिकारों का अतिक्रमण कर रहे हैं।

अध्यक्ष महोदय: श्री एस. जयपाल रेड्डी यह राज्य से संबंधित विषय है। विधान सभा का भी सत्र चल रहा है।

...(व्यवधान)

श्री के. येरनायडू (श्रीकाकुलम): महोदय, कांग्रेस पार्टी देश में दोहरा मानदंड अपना रही है...*(व्यवधान)* महोदय, कृपया मेरी बात सुने।

श्री एस. जयपाल रेड्डी: उन्हें अपनी प्रतिक्रिया व्यक्त करने का अवसर दिया जाना चाहिए...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय: माननीय सदस्यगण, मैं आपसे अनुरोध कर रहा हूं।

...(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय: यदि आप कुछ कहना चाहते मैं आपको उनके बाद अवसर दूंगा। अभी मैंने श्री एस. जय पाल रेड्डी को अनुमति दी है।

...(व्यवधान)

---

*कार्यवाही-वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया गया।

अध्यक्ष महोदय: नहीं, अभी नहीं। श्री येरननायडू आप बाद में बोल सकते हैं।

...(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय: माननीय सदस्य आप कृपया अपना स्थान ग्रहण कर लें।

...(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय: श्री जयपाल रेड्डी कृपया इसे समझने की कोशिश करें।

...(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय: श्री जयपाल रेड्डी, आप एक वरिष्ठ सांसद हैं। आप समझने की कोशिश करें कि यह पूर्णतया राज्य का विषय है। राज्य विधान सभा का सत्र भी चल रहा है। अब हम राज्य से संबंधित इस विषय पर कैसे चर्चा कर सकते हैं। आप पहले मुझे बतायें।

...(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय: यदि हम सभी विषयों पर लोक सभा में ही चर्चा करना चाहते हैं तो राज्य विधान सभा का क्या योगदान होगा। कृपया इसे समझने की कोशिश करें।

...(व्यवधान)

श्री माधवराव सिंधिया (गुना): यह एक अप्रत्याशित मामला है। महोदय, इस देश के इतिहास में कभी भी किसी विधान सभा के 95 विधायक भूख हड़ताल पर नहीं गए हैं...*(व्यवधान)* एक सदस्य की स्थिति अत्यधिक गंभीर है और उन्हें अस्पताल में दाखिल कराया गया है...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय: मैं श्री एस. जयपाल रेड्डी से एक प्रश्न पूछता हूँ। लोक सभा में राज्य विधान सभा से संबंधित विषय पर किस नियम के अंतर्गत चर्चा की जा सकती है?

...(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय: आप कृपया स्थान ग्रहण कर लें।

...(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय: कृपया पहले मुझे नियम बताएं।

...(व्यवधान)

श्री एस. जयपाल रेड्डी: महोदय, यहाँ केन्द्र सरकार भी शामिल है और विद्युत दर में भी वृद्धि की गई है ...*(व्यवधान)*

श्री के. येरननायडू: महोदय, उन्हें इस सभा में बोलने का कोई अधिकार नहीं है। उन्होंने ही सुधार की प्रक्रिया शुरू की है। वे पहले इसे स्वीकारें।...*(व्यवधान)* वे दोहरा मानदंड अपना रहे हैं। वे उड़ीसा और राजस्थान में सुधार कार्य शुरू कर रहे हैं और आंध्र प्रदेश में इस पर प्रश्न कर रहे हैं...*(व्यवधान)*

श्री एस. जयपाल रेड्डी: महोदय, आपने मुझसे एक प्रश्न पूछा है, मुझे इसका उत्तर देने दें...*(व्यवधान)* महोदय, इस मामले में केन्द्र सरकार शामिल है ...*(व्यवधान)*

श्री माधवराव सिंधिया: महोदय, आपने उन्हें बोलने के लिए आमंत्रित किया है। उन्हें अपनी बात कहने की अनुमति दी जाए ...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय: मैंने उन्हें बोलने के लिए बुलाया है लेकिन मैंने यह प्रश्न भी पूछा है कि वह किस नियम के अंतर्गत वे इस मामले को सभा में उठा सकते हैं।

...(व्यवधान)

श्री एस. जयपाल रेड्डी: महोदय, मैं केवल उस प्रश्न का उत्तर दे रहा हूं। केन्द्र सरकार ने आंध्र प्रदेश सरकार के लिए ऋण स्वीकृत किया है। इस तरह इसमें केन्द्र सरकार भी शामिल है...*(व्यवधान)* दूसरे केन्द्रीय विद्युत प्राधिकरण ने विद्युत परियोजना को स्वीकृत किया है और इसलिए वह इसमें शामिल है ...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय: श्री येरननायडू कृपया आप बात को समझें यदि आप बोलना चाहते हैं तो आप बाद में बोल सकते हैं। कृपया अपने स्थान पर बैठ जाएं।

...(व्यवधान)

श्री के. येरननायडू: महोदय, मैं जानना चाहता हूँ कि उन्होंने किस नियम के अंतर्गत सभा में राज्य से संबंधित मामला उठाया है...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय: श्री येरननायडू मैंने यही प्रश्न उनसे पूछा है।

...(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय: कृपया बात को समझने की कोशिश करें हम राज्य की विधान सभा को क्या संदेश भेज रहे हैं? यह राज्य से संबंधित मामला है।

...(व्यवधान)

श्रीमती रेणूका चौधरी (खम्माम): महोदय, कुछ लोगों को वहां पर पुलिस द्वारा पिटाई की गई...*(व्यवधान)*

श्री एस. जयपाल रेड्डी: महोदय, केन्द्र सरकार शामिल है, केन्द्रीय विद्युत प्राधिकरण शामिल है...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय: कार्यवाही वृत्तांत में कुछ भी शामिल नहीं किया जाएगा।

*...(व्यवधान)**

अध्यक्ष महोदय: माननीय सदस्यों, कृपया अपने स्थान पर बैठ जाएं।

...(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय: कृपया अपने स्थान पर बैठ जाएं।

...(व्यवधान)

अपराह्न 12.16 बजे

(इस समय, श्रीमती रेणूका चैधरी और कुछ अन्य माननीय सदस्य आये और सभा पटल के निकट खड़े हो गए)

अध्यक्ष महोदय: कार्यवाही वृत्तांत में कुछ भी शामिल नहीं किया जाएगा।

*...(व्यवधान)**

[हिन्दी]

अध्यक्ष महोदय: टेलीकास्ट को बंद कर दीजिए।

...(व्यवधान)

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय: कृपया अपने स्थान पर जाकर बैठ जाएं। यह कोई तरीका नहीं है।

...(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय: मैंने श्री जयपाल रेड्डी को बोलने की अनुमति दी है और उनकी बात भी सुनी है। कृपया अपने स्थान पर जाकर बैठ जाएं।

...(व्यवधान)

*कार्यवाही-वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया गया।

अपराह्न 12.18 बजे

(इस समय श्रीमती रेणूका चौधरी और कुछ अन्य माननीय सदस्य अपने-अपने स्थानों पर वापस चले गए)

अध्यक्ष महोदय: मै माननीय सदस्यों से अपील करता हूं कि वे अपनी-अपनी सीटों पर वापिस जाकर बैठ जाएं।

...(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय: कार्यवाही वृत्तांत में कुछ भी शामिल नहीं किया जाएगा।

*...(व्यवधान)**

अध्यक्ष महोदय: श्री जयपाल रेड्डी कृपया मेरी बात सुनें।

...(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय: श्री रघुनाथ झा, कृपया अपने स्थान पर बैठ जाएं।

...(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय: श्री एस.वी.वी.एस. मूर्ति, कृपया अपने स्थान पर बैठ जाएं। मैं बोलने के लिए खड़ा हूं। कृपया अपने स्थान पर बैठ जाएं।

...(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय: श्री जयपाल रेड्डी क्या हम सभा में राज्य से संबंधित मामले पर चर्चा करेंगे, कृपया मेरी बात पहले सुनें।

...(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय: संसद में राष्ट्रीय मसलों पर चर्चा की जाती है। हम इस सभा में राज्य से संबंधित मामलें पर किस तरह चर्चा कर सकते हैं? किस उपबंध के अंतर्गत और किस नियम के अंतर्गत आप इस मामलें को यहां उठा सकते हैं? वह भी इस समय जबकि विधान सभा का सत्र चल रहा है तो आप इस मामले को किस तरह यहां उठा सकते हैं? आप विधान सभा को क्या संकेत देना चाहते हैं?...*(व्यवधान)*

श्री एस. जयपाल रेड्डी: आपने प्रश्न किया है और मैंने उसका उत्तर नहीं दिया है ...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय, राज्य सरकार ने केन्द्रीय सरकार की मध्यस्थता से विश्व बैंक के साथ एक गुप्त करार किया है केन्द्रीय विद्युत प्राधिकरण द्वारा उन परियोजनाओं को स्वीकृति प्रदान करने की वजह से स्थिति और भी गंभीर हो गई है जिनकी कीमतें अत्यधिक बताई गई थी। ...*(व्यवधान)*

*कार्यवाही-वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया गया।

श्री के. येरननायडू: मैं कांग्रेस पार्टी से पूछ रहा हूं। उनकी नीति क्या है। ...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय: कृपया अपनी बात समाप्त करें।

...*(व्यवधान)*

श्री के. येरननायडू: वे आन्ध्र प्रदेश की बात कर रहे हैं। उनका एक राष्ट्रीय दल है। उनकी एक नीति होनी चाहिए। ...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय: श्री येरननायडू कृपया आप बैठ जाइए। मैं इनके बोलने के बाद आपको बोलने का मौका दे सकता हूं लेकिन अभी नहीं।

...*(व्यवधान)*

श्री एस. जयपाल रेड्डी: मुझे उत्तर देने की अनुमति नहीं दी जा रही है।

अध्यक्ष महोदय: श्री जयपाल रेड्डी कृपया अपनी बात समाप्त करें और भी मामले है।

...*(व्यवधान)*

श्री एम.वी.वी.एस. मूर्ति (विशाखापत्तनम): उन्हें यह मामला नहीं उठाना चाहिए था। वह यह मामला किस तरह उठा सकते हैं। ...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय: श्रीमती रेणूका चौधरी बहुत हो गया।

श्री एस. जयपाल रेड्डी: अध्यक्ष महोदय, राज्य सरकार ने केन्द्र सरकार की मध्यस्थता से विश्व बैंक के साथ गुप्त करार किया है।

दूसरी समस्या यह है कि भारतीय केन्द्रीय विद्युत प्राधिकरण ने कई स्वतंत्र विद्युत निर्माताओं की परियोजना लागत को स्वीकृत किया है...*(व्यवधान)* अत: केन्द्र सरकार इस मामले में पूरी तरह शामिल है। हम सुधार कार्यों का विरोध नहीं कर रहे हैं...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय: आप ऐसे मामले पर कैसे चर्चा कर सकते हैं जो बहुत पहले घटित हुआ था। इस संबंध में राज्य और केन्द्र सरकार द्वारा बहुत पहले निर्णय लिया गया था।

श्री एस. जयपाल रेड्डी: मैं जानता हूं कि लेकिन इसके कारण ही यह समस्या उत्पन्न हो रही है।...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय: आप वरिष्ठ सदस्य हैं। आपको अध्यक्ष पीठ को सम्बोधित करते हुए बोलना चाहिए आप कृपया अध्यक्ष पीठ को सम्बोधित करते हुए बोलें। इस नियम के अंतर्गत हम इस मामलें पर चर्चा कर सकते हैं? यह निर्णय बहुत पहले लिया गया था। हम इस मामले पर किस तरह चर्चा कर सकते हैं?

...*(व्यवधान)*

श्री एस. जयपाल रेड्डी: भारत सरकार द्वारा लिए गए किसी भी निर्णय की संसद द्वारा जांच और संवीक्षा की जानी चाहिए। ...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय: श्री जयपाल रेड्डी के वक्तव्य के अतिरिक्त कार्यवाही सारांश में कुछ भी शामिल नहीं किया जाएगा।

...*(व्यवधान)**

श्री एस. जयपाल रेड्डी: भारत सरकार द्वारा लिए गए किसी निर्णय अथवा भारत सरकार के संस्थानों द्वारा की गई कार्रवाई की संसद द्वारा संवीक्षा की जानी चाहिए। सभा को आंध्र प्रदेश की स्थिति के प्रति उदासीन नहीं होना चाहिए। आन्ध्र प्रदेश की स्थिति बहुत ही गम्भीर है इस संबंध में सभा द्वारा हस्तक्षेप करने की आवश्यकता है।...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय: दूसरे भी मामले हैं। कृपया अपनी बात समाप्त करें अब श्री येरननायडू।

...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय: श्री येरननायडू, कृपया एक मिनट इंतजार करें।

...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय: श्री जयपाल रेड्डी, कृपया अपना भाषण समाप्त करें।

श्रीमती रेणूका चौधरी: उन्हें अपना भाषण पूरा करने की अनुमति दी जाए।

अध्यक्ष महोदय: महोदया, आप सभा की कार्यवाही को चलाने के लिए अध्यक्षपीठ को निर्देश मत दीजिए आप निर्देश दे रही हैं। बहुत हो गया। आप अध्यक्ष पीठ को निर्देश दे रही हैं। आप अध्यक्ष को निर्देश नहीं दे सकती हैं। यह क्या है?

...*(व्यवधान)*

*कार्यवाही-वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया गया।

श्री एस. जयपाल रेड्डी: भारत सरकार इसके प्रति न तो उदासीन रह सकती है और न ही भारत की संसद एक मूक दर्शक बनकर रह सकती है। किसी भी स्थिति में इन सभी बातों को केन्द्रीय विद्युत अधिनियम के अंतर्गत शामिल किया जाना चाहिए...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय: श्री जयपाल रेड्डी कृपया अपनी बात समाप्त करें।

श्री एस. जयपाल रेड्डी: वे भी खड़े हैं। क्या आप उन्हें अपनी सीटों पर बैठने के लिए कहेंगे...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय: कृपया अपना भाषण समाप्त करें।

श्री एस. जयपाल रेड्डी: महोदय, आजकल आंध्र प्रदेश में बहुत ही आश्चर्यजनक घटनाएं घटित हो रही हैं। आज आन्ध्र प्रदेश की स्थिति बहुत गम्भीर है।

अध्यक्ष महोदय: आपने यह मामला पहले ही उठाया है

...(व्यवधान)

श्री के. येरननायडू: अध्यक्ष महोदय, संसद राज्य से संबंधित मामले पर चर्चा नहीं कर सकती है। ...*(व्यवधान)*

श्री माधवराव सिंधिया: उन्हें बोलने की अनुमति दी जाए।

श्री के. येरननायडू: कांग्रेस एक राष्ट्रीय दल है, उनकी इस देश में एक नीति होनी चाहिए। उन्होंने इस देश में विद्युत सुधार आरम्भ किए। उन्होंने इसे उड़ीसा में आरम्भ किया, मध्य प्रदेश में आरम्भ किया, कर्नाटक में आरम्भ किया...*(व्यवधान)*

श्री एन. जनार्दन रेड्डी और श्रीमती रेणूका चौधरी जो कह रहे हैं वह राजनीति से प्रेरित है...*(व्यवधान)* वे इसकी राजनीतिक पूंजी बनाना चाहते हैं।

अपराह्न 12.26 बजे

[इस समय श्री सत्यव्रत चतुर्वेदी और कुछ अन्य माननीय सदस्य आए और सभापटल के निकट खड़े हो गए]

अध्यक्ष महोदय: मैं उनके नाम भी पुकार रहा हूं। कृपया समझने का प्रयत्न करें। अपनी जगह पर बैठ जाएं।

...(व्यवधान)

[हिन्दी]

श्री प्रभुनाथ सिंह (महाराजगंज, बिहार): महोदय, हमें बोलने का मौका कब मिलेगा?

अध्यक्ष महोदय: हम सब को बुलाएंगे।

[अनुवाद]

श्री के. येरननायडू: यह सभा में एक नई परम्परा होगी।

अध्यक्ष महोदय: श्री येरननायडू, कृपया बैठ जाइए। जिन्होंने भी अपने नाम दिए हैं। मैं उनके नाम पुकार रहा हूं। कृपया समझने का प्रयत्न कीजिए। अब कृपया अपनी जगह पर चले जाइए।

श्री जनार्दन रेड्डी और श्रीमती रेणूका चौधरी भी अपने को श्री जयपाल रेड्डी से सम्बद्ध कर सकते हैं। उन्होंने भी इसी विषय पर नोटिस दिया है, वे भी इस मामले को उठा चुके हैं।

...(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय: और लोग भी हैं। आज यही एक मुद्दा नहीं है। कृपया समझने का प्रयत्न कीजिए की कई अन्य सदस्यों को भी बोलना है। कृपया अपने स्थान पर बैठ जाइए। श्री येरननायडू, कृपया बैठ जाइए।

अपराह्न 12.27 बजे

इस समय श्री सत्यव्रत चतुर्वेदी और कुछ अन्य माननीय सदस्य अपने-अपने स्थानों पर वापस चले गए

अध्यक्ष महोदय: श्री जनार्दन रेड्डी।

श्री एन. जनार्दन रेड्डी: इस समस्या को राज्य सरकार के समक्ष रखा गया है और अंततः आंध्र प्रदेश के मुख्य मंत्री ने आज जो कहा वह रिकार्ड में है, जो आज के समाचार-पत्रों में भी छपा है कि यह उनके हाथ में नहीं है। इसका मतलब है कि उन्होंने इसे अपने हाथों से खो दिया।...*(व्यवधान)* हम किसके पास जा सकते हैं?

अध्यक्ष महोदय: आप फिर से इसे उठा रहे हैं।

...(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय: इसे कार्यवाही वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया जाएगा।

*...(व्यवधान)**

*कार्यवाही-वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया गया।

अध्यक्ष महोदय: श्रीमती रेणूका चौधरी भी स्वयं को उनके विचारों से सम्बद्ध कर सकती हैं।

माननीय सदस्यगण, कृपया अपनी जगह पर बैठ जाइए। आपके नेता श्री येरननायडू जी यहां हैं। कृपया बैठ जाइए।

अब श्री जनार्दन रेड्डी जी। वे स्वयं को श्री जयपाल रेड्डी ने जो कुछ कहा है उससे सम्बद्ध कर सकते हैं।

श्री एन. जनार्दन रेड्डी: मेरे मित्र लोग कह रहे हैं कि यह राज्य का विषय है। आंध्र प्रदेश के मुख्य मंत्री अब कहते हैं कि "मैंने इससे हाथ खींच लिए हैं और अब यह मेरे हाथ में नहीं है।" हम किसके पास जाएं? अगर किसी राज्य का मुख्यमंत्री ही हाथ खींच ले तब क्या किया जाए? पिचानवे विधायक धरने पर बैठे हैं।...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय: आप यहां विधायकों के मामलों की चर्चा न करें।

श्री एन. जनार्दन रेड्डी: क्या यह लोकतंत्र है?...*(व्यवधान)**

अध्यक्ष महोदय: इसे कार्यवाही वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया जाएगा।

*...(व्यवधान)**

अध्यक्ष महोदय: आप इन सबकी चर्चा यहां कैसे कर सकते हैं? कानून और व्यवस्था की समस्या को राज्य सरकार सुलझा लेगी। आप भी पूर्व मुख्य मंत्री थे।

...(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय: इसे कार्यवाही वृत्तान्त में सम्मिलित नहीं किया जाएगा।

*...(व्यवधान)**

अध्यक्ष महोदय: श्रीमती रेणूका चौधरी, आपने मामला उठाया था। मैंने सुना। आप भी श्री जयपाल रेड्डी और श्री जनार्दन रेड्डी के विचारों से स्वयं को सम्बद्ध कर सकती हैं।

श्री एन. जनार्दन रेड्डी: मेरा एक और भी मुद्दा है।

अध्यक्ष महोदय: कृपया समझने की कोशिश कीजिए। आप इसकी चर्चा कैसे कर सकते हैं? विधान सभा है; सत्र चल रहा है।

श्रीमती रेणूका चौधरी: मैं कुछ तथ्य सभा पटल पर रखना चाहता हूं। करीब तीन वर्ष पहले राज्य सरकार द्वारा 3,00,000 करोड़ रु. की लागत वाली एक परियोजना के लिए एक वचन पत्र दिया गया था। ये राज्य सरकार को दिए जाने वाले ऋणों के लिए उस वचन-पत्र के खण्ड थे...*(व्यवधान)*

गत पांच वर्षों में उच्च प्रौद्योगिकी शहर के नाम पर भारी-भरकम धनराशि इकट्ठी की गई है। जबकि, राज्य में एक मेगावाट विद्युत भी बढ़ाई नहीं गई है।...*(व्यवधान)* मानवाधिकारों का खुला उल्लंघन हुआ है। महिलाएं इसके खिलाफ विरोध प्रकट करती रही हैं। ...*(व्यवधान)*

श्री के. येरननायडू: महोदय, यह सही नहीं है। कृपया मुझे स्थिति स्पष्ट करने का एक अवसर दें।

श्रीमती रेणूका चौधरी: महोदय, मैं चाहूंगी ...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय: कुछ भी कार्यवाही वृत्तांत में सम्मिलित न किया जाए।

*...(व्यवधान)**

श्रीमती रेणूका चौधरी: महोदय, मैं यह कहना चाहती हूं ...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय: ये कार्यवाही वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया जाएगा।

*...(व्यवधान)**

श्री के. येरननायडू: महोदय, इन्हें इस विषय को यहां उठाने का कोई अधिकार नहीं है। दरअसल, इनके पास इस मुद्दे को उठाने का कोई नैतिक अधिकार नहीं है, ये दोहरे मानक अपना रहे हैं। कर्नाटक, मध्य प्रदेश और राजस्थान में बिजली की दरें बढाई गई हैं।...*(व्यवधान)*

श्री माधवराव सिंधिया: महोदय, विरोधस्वरूप हम सभा से बाहर जा रहे हैं।

अपराह्न 12.31 बजे

इस समय श्रीमती सोनिया गाँधी और कुछ अन्य माननीय सदस्य सभा भवन से बाहर चले गये।

अध्यक्ष महोदय: यह क्या है? मैंने श्री सोभनाथ चटर्जी को पुकारा है।

...(व्यवधान)

*कार्यवाही-वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया गया।

*कार्यवाही-वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया गया।

श्री सोमनाथ चटर्जी: महोदय, हम कई लोग सभा में यह कहते रहे हैं कि ...*(व्यवधान)*

[हिन्दी]

श्री विजय गोयल (चांदनी चौक): अध्यक्ष महोदय, कांग्रेस कलैक्टिव ढंग से ड्रामा करती है, फिर वाकआउट करती है और किसी दूसरे की बात सुनती नहीं है। यह कांग्रेस के लिए शर्म की बात है।...*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

श्री सोमनाथ चटर्जी: महोदय, जब यहां राज्य के मुद्दे उठाए जाते हैं तो यह समस्या खड़ी हो जाती है। अब मैं देख रहा हूं कि श्री सोमैया जोर से बोल रहे है, इस ओर के हमारे मित्र भी जोर-जोर से बोल रहे हैं,...*(व्यवधान)* इसलिए सभा में यह समस्या खड़ी होगी, ...*(व्यवधान)*

श्री सुदीप बंद्योपाध्याय (कलकत्ता उत्तर पश्चिम): महोदय, वे अंक हासिल करने की कोशिश कर रहे हैं।...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय: मैंने श्री सोमनाथ चटर्जी को अनुमति दी है।

...*(व्यवधान)*

[हिन्दी]

श्री प्रभुनाथ सिंह: अध्यक्ष महोदय, मैं 'जीरो आवर' में बहुत महत्वपूर्ण सवाल उठाना चाहता हूं। यह सदन का समय खराब कर रहे हैं...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय: मैं सभी को बोलने के लिए बुलाऊंगा।

[अनुवाद]

श्री सोमनाथ चटर्जी: हम सभा के सभी वर्गों से अपील करते रहे हैं। मैं जानता हूं कि विभिन्न राज्यों में तनाव और समस्याएं हैं। यहां हम समय-समय पर विभिन्न राज्य विधानसभाएं बना लेते हैं। तेलुगु देशम के मेरे मित्र ने आज यहां राज्य के मुद्दे उठाए जाने पर कड़ा विरोध जताया था। किन्तु कृपया इसे भूलें नहीं। अत: ये समस्याएं खड़ी होंगी...*(व्यवधान)* इसलिए मेरा एक मात्र अनुरोध है कि...*(व्यवधान)*

श्री सुदीप बंद्योपाध्याय: यह विधायिका का मामला है, राज्य का मामला नहीं है। इसका सीमांकन होना चाहिए, यह राज्य विधायिका का मुद्दा है, इसकी चर्चा यहां नहीं की जा सकती ...*(व्यवधान)*

श्री सोमनाथ चटर्जी: महोदय, अगर हम चयनात्मक रूप से उस प्रक्रिया का पालन करें तो समस्याएं पैदा होंगी। अब सदस्यगण राज्य के मुद्दे यहां उठाने को प्रोत्साहित होते हैं क्योंकि हमारी आपत्तियों के बावजूद कई राज्य संबंधी मुद्दे यहां उठाए जा रहे हैं।...*(व्यवधान)*

जब मैं चयनात्मक प्रतिक्रिया की बात करता हूं तो हमारे युवा और उत्साही संसदीय कार्य मंत्री व्यग्र हो जाते हैं। यही होता है। मुझे पता है कई महत्वपूर्ण मुद्दे हैं। हमारे दल का सदस्य भी हड़ताल में शामिल हुआ है। ...*(व्यवधान)* हालांकि हमारे दल के सदस्य भी इस भूख हड़ताल में शामिल हैं फिर भी मैंने इसे नहीं उठाया। वह महत्वपूर्ण मामला है और वे उसे सुलझा लेंगे। मैं सरकार से जानना चाहूंगा कि क्या इस मामले में विश्व बैंक की कोई भूमिका है। मुझे और कुछ नहीं पूछना है। इसलिए इस मामले को स्पष्ट होने दिया जाए।...*(व्यवधान)*

[हिन्दी]

श्री किरीट सोमैया (मुम्बई उत्तर पूर्व): अध्यक्ष महोदय, सोमनाथ बाबू ने मेरा नाम लिया है, इसलिए मुझे भी बोलने की अनुमति दें।

[अनुवाद]

श्री सोमनाथ चटर्जी: अगर मुझे हमेशा कांग्रेस को ही समर्थन देना होता तो मैं उनके साथ बाहर चला गया होता। लेकिन सरकार को भी उचित बर्ताव करना चाहिए। इस देश में आर्थिक मामलों में जो हो रहा है वह भी महत्वपूर्ण है, उस पर गम्भीरतापूर्वक चर्चा होनी चाहिए।

श्री के. येरननायडू: अध्यक्ष महोदय, सबसे पहले मैं यह कहना चाहूंगा कि हैदराबाद में आंध्र प्रदेश विधान सभा का सत्र चल रहा है। कांग्रेस पार्टी के सभी विधायक निलंबित किए हुए हैं। उन्होंने लगातार पांच दिनों तक कार्यवाही नहीं चलने दी। इसलिए अध्यक्ष ने ऐसा निर्णय लिया है...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय: यहां भी शेष दिनों के लिए हमें वही तरीका अपनाना होगा नहीं तो सभा का चलना बहुत मुश्किल है।

श्री के. येरननायडू: महोदय, इसका स्वागत है।

महोदय, कांग्रेस एक राष्ट्रीय पार्टी है। उन्होंने इस देश में सुधारों की शुरूआत की। उड़ीसा के मुख्यमंत्री, श्री जे.बी. पटनायक ने अपने राज्य में सबसे पहले बिजली संबंधी सुधारों की शुरूआत की। इसके बाद राजस्थान, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र और कर्नाटक ने भी यही किया। अब विद्युत विनियामक प्राधिकरण के अधीन कानून

[श्री के. येरननायडू]

के तहत आंध्र प्रदेश सरकार ने एक निर्णय लिया है। कांग्रेस पार्टी एक राष्ट्रीय पार्टी है परन्तु यह दोहरे मानक अपना रही है। अब यह श्री चन्द्रबाबू नायडू से यह कह रही है कि शुल्क में बढ़ोत्तरी वापस लो। इसलिए मैं कांग्रेसी सदस्यों से राजस्थान और कर्नाटक के मुख्य मंत्रियों से सबक सीखने के लिए कह रहा हूं कर्नाटक के मुख्य मंत्री ने कहा है कि विद्युत विनियामक प्राधिकरण कानून के तहत गठित एक निकाय है और विनियामक प्राधिकरण से हमारा कोई लेना-देना नहीं है। चाहे जितनी बढोत्तरी करें हम उसे नहीं रोक सकते। यही बात राजस्थान के मुख्यमंत्री ने कही है। कांग्रेस पार्टी एक राष्ट्रीय पार्टी है और उन्हें एक नीति अपनानी चाहिए। दोहरे मानक नहीं। इसी कारण कांग्रेस पार्टी इस देश में समाप्त होती जा रही है। वर्ष 1996 में इसके 180 सदस्य थे, 1998 में इसके 140 सदस्य थे और अब इसकी संख्या घटकर 110 रह गई है। यदि यह उन दोहरे मानकों, दोहरीकरण नीतियों और अन्य बातों का अनुसरण करती रहीं तो यह धीरे-धीरे समाप्त हो जायेगी। इसलिए इसे एक ही नीति का अनुसरण करना चाहिए यह नाटक है आंध्र प्रदेश में विधायक नाटक कर रहे हैं और इस सभा में भी यही हो रहा है।

श्री किरीट सोमैया: महोदय: मेरा कहना यही है कि राज्य विधान सभा और अध्यक्ष के विरुद्ध जो भी टिप्पणियां की गई हैं कार्यवाही वृत्तांत से निकाल दिया जाए।

अध्यक्ष महोदय: यह मुद्दा अब समाप्त हो गया।

[हिन्दी]

श्री प्रह्लाद सिंह पटेल (बालाघाट): अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय रेल मंत्री का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं। मैं मध्य प्रदेश के बालाघाट जिले से आता हूं जो वामपंथी उग्रवादियों की गतिविधियों का केन्द्र है गोंदिया से जबलपुर तक रेल लाइन के आमान परिवर्तन के लिए प्रोजेक्ट हाथ में लिया गया और पिछले साल इसके लिए 22 करोड़ रुपया आबंटित हुआ था। रेलवे बोर्ड ने इस पर ऐसी आपत्तियां की कि पांच करोड़ रुपया भी खर्च नहीं हुआ। उसके बाद सरकार ने 17 करोड़ रुपया आबंटित किया लेकिन रेलवे बोर्ड ने निविदाओं पर आपत्ति लगा रखी है। मैं लगातार रेलवे बोर्ड के चेयरमैन तथा राज्य रेल मंत्री से मिलता रहा हूं। रेल मंत्री महोदय के पास तो समय ही नहीं है आज मुझे मजबूर होकर उनके माध्यम से यह मामला उठाना पड़ा है। जहां एक तरफ मेरा जिला वामपंथी उग्रवाद से प्रभावित है वहां दूसरी ओर सरकार ने अंतर्राज्यीय परियोजना के लिए पैसा आबंटित किया है। मैं चाहता हूं कि उस राशि का कम से कम उपयोग तो हो सके। पिछली बार 10 प्रतिशत धनराशि का भी उपयोग नहीं किया गया। इसलिए आपके माध्यम से निवेदन करना चाहूंगा कि आप रेलवे बोर्ड को सख्त निर्देश दे कि प्राथमिकता आधार पर गोंदिया-जबलपुर रेल लाइन के आमान परिवर्तन का कार्य शुरू कर दिया जाए। इस शिकायत के कारण सारे जबलपुर, मंडला, छिंदवाड़ा क्षेत्रों में आन्दोलन चल रहा है।

श्री राम शकल (राबर्टसगंज): अध्यक्ष महोदय, मैं आपका ध्यान उत्तर प्रदेश की कुछ अनुसूचित जाति एवं पिछड़ी जातियों- गौड़, बेगा, माझी, पनिका, चेरो, खरवार, कोल और धागर की ओर दिलाना चाहता हूं जिन्हें मध्य प्रदेश और बिहार में अनुसूचित जन जाति के अंतर्गत रखा गया है।

लेकिन उत्तर प्रदेश में अनुसूचित जातियों के अंतर्गत ये जातियां नहीं आती हैं। मेरा सरकार से निवेदन है गौड़, बैगा, माझी, पनिका, चेरा, खरवार, कोल और धागर आदि जातियों को भी उत्तर प्रदेश में अनुसूचित जन जातियों के अंतर्गत रखा जाए।

[अनुवाद]

श्री पी.सी. थामस: महोदय, भारतीय वैज्ञानिकों और दार्शनिकों के एक दल ने करीब नौ वर्षों तक एक साथ काम करने के बाद एक 'सुपर साइंस' नामक विज्ञान विकसित किया है यह ब्रह्मांड की उत्पत्ति और ब्रह्मांड की इस नाभिकीय पूर्व चरण की व्याख्या करता है जिसकी अब तक व्याख्या नहीं की गयी है। इसका सारा श्रेय भारत को मिलेगा क्योंकि यह भारत के दर्शन और भारतीय धर्मशास्त्रों के कुछ आदर्शों पर आधारित है। जहां तक वेदों और हमारे भारतीय धर्म ग्रंथों का संबंध है, हमारे पास करीब छः शास्त्र हैं, जिनका उल्लेख वेदों में किया गया है। जिसको उन्होंने अतिज्योतिष विद्या, शरीर रचना विज्ञान, मनोविज्ञान, सामान्य गणित, कम्प्यूटर गणित और उच्च भाषा प्रज्ञान का नाम दिया है ये छः शाखाएं हैं जिन्हें उन लोगों ने विकसित किया है। मैं समझता हूं यह बहुत ही विचित्र बात है। इन लोगों ने लंबे समय तक कार्य करके यह किया है और मानवता के प्रति यह बहुत बड़ा योगदान होगा। 12 संसद सदस्यों ने पहले ही माननीय प्रधान मंत्री और माननीय मानव संसाधन विकास मंत्री को इस मामले का गहन अध्ययन करने के लिए लिखा है।

मेरा सरकार से इस पर गंभीरता पूर्वक विचार करने का अनुरोध है तथा यह सुनिश्चित करने का भी अनुरोध है कि क्या इससे वैज्ञानिक क्षेत्र में भारत को वर्चस्व मिलेगा।

श्री वरकला राधाकृष्णन (चिरायिंकिल): महोदय, मैं केन्द्र सरकार की मूल्य निर्धारण नीति के संबंध में एक बहुत ही महत्वपूर्ण मुद्दा उठाने की अनुमति देने के लिए धन्यवाद ज्ञापित करता हूँ। हाल ही में भारतीय खाद्य निगम ने एक घोषणा की है कि वह 650 रुपये प्रति क्विंटल की दर से गेहूँ बेचेगा। जबकि वह केरल में इसे 826 रुपये प्रति क्विंटल की दर से बेच रहा है। यह दोहरे मानदण्ड की नीति है। यह घोषित नीति है कि एक समान मूल्य स्तर होगा।

लेकिन वही भारतीय खाद्य निगम केरल से 838 रुपये प्रति क्विंटल से गेहूँ ले रहा हूँ जबकि अन्य राज्यों में यह 650 रुपये प्रति क्विंटल की दर से बिक रहा है। यह तो अत्यन्त ही भेदभाव पूर्ण है।...*(व्यवधान)* मैं भारत सरकार से निवेदन करूंगा कि गेहूँ की बिक्री के मामले में एक समान मूल्य निर्धारण होना चाहिए चावल के मामले में भी वह विभिन्न राज्यों में भिन्न-भिन्न मूल्य पर चावल बेच रहा है। लेकिन इसके साथ ही खुले बाजार में वह इसे कम मूल्य पर बेच रहा है। ...*(व्यवधान)* यह अत्यंत भेदभाव पूर्ण बात है।

अध्यक्ष महोदय: श्री राधाकृष्णन, कृपया यह समझें कि अन्य सदस्यों को भी बोलना है।

श्री वरकला राधाकृष्णन: महोदय, केन्द्र सरकार की इस नीति द्वारा सार्वजनिक वितरण प्रणाली के माध्यम से खाद्यान्न वितरित की जाने वाली नीति की हार हुई है। मैं केन्द्र सरकार से निवेदन करूंगा कि पूरे देश में चावल और अन्य खाद्यान्नों को समान दर से बेचा जाए।

[हिन्दी]

श्री प्रभुनाथ सिंह: अध्यक्ष महोदय, बिहार के वित्त रहित शिक्षक संगठनों के कई शिक्षक जिसमें बिहार राज्य सम्बद्ध डिग्री महासंघ बिहार राज्य इंटरमीडियट शिक्षक एवं शिक्षकेतर कर्मचारी महासंघ, बिहार प्रदेश माध्यमिक शिक्षक संघ, बिहार प्रदेश संस्कृति शिक्षक संघ, बिहार राज्य अराजकीय प्राथमिक शिक्षक संघ आदि कई संगठनों के वित्त रहित कर्मचारी आज दिल्ली में जन्तर मन्तर रोड पर प्रदर्शन एवं धरने पर बैठे हुए हैं। करीब 15 से 20 वर्षों से ये शिक्षक एवं कर्मचारी निजी प्राइवेट स्कूलों में काम कर रहे हैं। इन्हें बिहार सरकार द्वारा एफीलिएशन दे दिया गया है। लेकिन उन्हें एक पैसे का भी भुगतान नहीं होता है। यहां रघुवंश बाबू बैठे हुए हैं, इस संबंध में वर्ष 1991 में उन्हीं की अध्यक्षता में बिहार में एक कमेटी बनी थी, इन्होंने अनुशंसा भी की, लेकिन उसे लागू नहीं किया गया। इसके बाद पुन: वर्ष 1997 में बिहार के सिंचाई मंत्री की अध्यक्षता में एक कमेटी बनी, उन्होंने कोई अनुसंशा नहीं दी। चुनाव हुआ उसके बाद से पुन: एक कमेटी बनी हुई है, जो कुछ काम नहीं कर रही है। बिहार में दो लाख कर्मचारी अभी भी बिना वेतन के काम कर रहे हैं। हमारा आपसे निवेदन है, हम यह जानते हैं कि यह मामला राज्य से संबंधित है। लेकिन देश के केन्द्रीय शिक्षा मंत्री जी अगर चाहें तो इसमें पहल करके कोई न कोई कार्रवाई कर सकते हैं।

हम आपसे निवेदन करेंगे कि सरकार इस सूचना को ग्रहण करे और अपने स्तर पर इस पर कार्रवाई करे। दो लाख शिक्षक एवं शिक्षकेतर कर्मचारी बिना वेतन के 15 वर्षों से बिहार के इन शिक्षा संस्थानों में काम कर रहे हैं। हम निवेदन करेंगे कि सरकार इस सूचना को ग्रहण करे।...*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय: श्री देवेन्द्र प्रसाद यादव और श्री नवल किशोर राय भी अपने आपको श्री प्रभुनाथ सिंह के वक्तव्यों से संबद्ध कर सकते हैं।

[हिन्दी]

श्री देवेन्द्र प्रसाद यादव (झंझारपुर): माननीय प्रभुनाथ सिंह जी ने जो वेतन रहित शिक्षकों का सवाल उठाया है, मैं उससे अपने को संबद्ध करता हूं और चाहता हूं कि सरकार इस सूचना को ग्रहण करे और इस पर रेस्पॉन्ड करे। यह लाखों कर्मचारियों के भविष्य का सवाल है। ...*(व्यवधान)*

श्री नवल किशोर राय (सीतामढ़ी): अध्यक्ष महोदय, मैं भी अपने को इससे संबद्ध करता हूं और सरकार से मांग करता हूं कि सरकार इस सूचना को ग्रहण करे।...*(व्यवधान)*

श्रीमती कान्ति सिंह (विक्रमगंज): मैं भी अपने को इससे संबद्ध करती हूं।

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय: क्या सरकार की तरफ से कुछ और व्यक्त किया जाना है।

श्री प्रमोद महाजन: महोदय नहीं।

[हिन्दी]

श्री राम प्रसाद सिंह (आरा): अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय रेल मंत्री जी का ध्यान बिहार के आरा रेलवे स्टेशन की ओर दिलाना चाहता हूं। यह रेलवे स्टेशन बहुत पुराना है लेकिन दुर्भाग्य है यहां के रेलवे स्टेशन के बरामदों की कोई

[श्री राम प्रसाद सिंह]

मरम्मत भी नहीं की गई है। जो वहां का मुसाफिरखाना है वह भी चू रहा है, सभी बिल्डिंग चू रही है। यात्रियों के बैठने की जगह नहीं है, बहुत से इससे छोटे स्टेशनों जैसे बक्सर, सासाराम पर कंप्यूटरीकृत आरक्षण की व्यवस्था की गई है, लेकिन यहां नहीं की गई। यहां पूर्व माननीय रेल मंत्री पासवान जी बैठे हैं और रेल राज्य मंत्री दिग्विजय सिंह जी भी बैठे हैं। सासाराम में फाउंडेशन स्टोन रखा गया आरा-सासाराम रेलवे लाइन बनाने के लिए लेकिन राशि अब बहुत कम दिया गया। वर्षों से यह परियोजना लंबित है। वहां के लोग बार-बार इसकी मांग करते हैं। मैं आपके माध्यम से भारत सरकार के रेल राज्य मंत्री जी से मांग करता हूं कि आरा रेलवे स्टेशन को विशेष स्टेशन का दर्जा दिया जाए, वहां कंप्यूटरीकृत आरक्षण की व्यवस्था की जाए, भवन निर्माण कराया जाए और आरा-सासाराम रेलवे लाइन जिसका फाउंडेशन माननीय मंत्री ने खुद किया है, उसको शीघ्र बनवाने के लिए भारी राशि आबंटित की जाए।

[अनुवाद]

श्री एम.वी.वी.एस. मूर्ति: महोदय, मेरे चुनाव क्षेत्र विशाखापत्तन में बहुत गम्भीर स्थिति है। दो साल पहले मैसर्स हिन्दुस्तान पेट्रोलियम कारपोरेशन लि. के परिसर में भयानक रूप से आग लगी जिसमें 65 से भी अधिक लोगों की जानें चली गई। इस महीने की 17 और 18 तारीख को फिर आग लगने की दो दुर्घटनाएं घटी। मैसर्स हिन्दुस्तान पेट्रोलियम कार्पोरेशन लिमिटेड शहर की घनी आबादी वाले इलाके में स्थित है। हाल ही की घटना में श्री सी. नीलकंठन नाम के एक वाहन चालक ने अपनी जान की परवाह किए बिना समय पर मदद की। आग लगने की दुर्घटना उस समय हुई जब ट्रक पर माल लादा जा रहा था। झटपट अपनी आशुबुद्धि दर्शाते हुए ड्राइवर ट्रक भगा ले गया है और उस घटना में उसने अपना मूल्यावान जीवन गंवा दिया। यदि वह ट्रक को वहीं छोड़कर भाग जाता तो अपनी जान बचा लेता। लेकिन उसने सम्पत्ति का ख्याल रखा और करोड़ों रुपयों की सम्पति का ख्याल रखा। नहीं तो सारा बर्बाद हो गया होता। उसने कई लोगों की जान भी बचाई। नहीं तो सबकी जानें उस घटना में चली जाती।

मैं आपके माध्यम से सरकार से और पेट्रोलियम और प्राकृतिक मंत्रालय से निवेदन करूंगा कि स्वर्गीय श्री सी. नीलकण्ठन के परिवार को कम से कम दस लाख रुपये तक की मदद की जाए और उसके परिवार के किसी सदस्य को कोई रोजगार भी दिया जाए। उसकी बहादुरी के कारण एक दारूण स्थिति से बचा जा सका और समुची सम्पत्ति को भी बचा लिया गया।

इसी महीने की अठारह तारीख को, कच्चा तेल आसवन स्थल पर पुन: आग लग गई, वहां मेन्टीनेंस की कोई सुविधा नहीं है। यह बिल्कुल ही खतरनाक स्थिति हो सकती थी।

मैं सरकार से निवेदन करूंगा कि इस घटना का पूरी तरह से पता लगाने हेतु उच्च स्तरीय जांच के आदेश दिए जांए और इस घटना के दोषी पाए गए लोगों के विरुद्ध मुकदमा चलाकर, उनके विरुद्ध कार्रवाई की जाए।

अध्यक्ष महोदय: कुछ सदस्य दूसरों की परेशानी को नहीं समझते 'शून्य काल' सिर्फ एक या दो मिनट बोलने के लिए है।

श्री एम.वी.वी.एस. मूर्ति: यदि, उपर्युक्त कार्रवाई नहीं की जाती है, तो बहुत से लोगों की जानें चली जायेंगी।

[हिन्दी]

श्री महेश्वर सिंह (मंडी) अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से सदन में निवेदन करना चाहता हूं कि 31 जुलाई की रात्रि एवं 1 अगस्त की प्रात: हिमाचल प्रदेश के जनजातीय क्षेत्र किन्नौर व मंडी और कुल्लू जिले के रामपुर क्षेत्र में आई भीषण बाढ़ में 100 लोग मरे व हजारों जलमग्न हो गए और बहुत बड़ी संख्या में लोग बेघर हो गए। उनके पुनर्वास एवं सहायतार्थ हिमाचल सरकार अपने सीमित साधनों के होते हुए निरन्तर प्रयास कर रही है। इसके विस्तार में मैं नहीं जाऊंगा क्योंकि पहले ही नियम 193 के अंतर्गत हुई बाढ़ संबंधी चर्चा में भाग लेते हुए मैंने तथा हिमाचल प्रदेश के अन्य सांसदों ने बड़े विस्तार से अपनी बात कही है, लेकिन हमारे एवं हिमाचल सरकार के बार-बार अनुरोध के बावजूद अभी तक केन्द्र से कोई विशेष आर्थिक सहायता उपलब्ध नहीं हुई है। जबकि मेरी जानकारी के अनुसार केन्द्रीय अध्ययन दल ने अपनी विस्तृत रिपोर्ट भी भारत सरकार को दे दी है।

अध्यक्ष महोदय, मेरा प्रधान मंत्री महोदय एवं विशेषरूप से वित्त मंत्री महोदय से अनुरोध है कि:-

(1) एक, तो हिमाचल प्रदेश को जहां बादल फटने और भीषण बाढ़ से 2 हजार करोड़ रुपये की क्षति पहुंची है वहां कम से कम 500 करोड़ रुपये की धनराशि अग्रिम सहायता के रूप में तत्काल दी जाए;

(2) दूसरे, हिमाचल प्रदेश के किन्नौर जिले, जहां के कुछ भागों में सड़कें नहीं हैं वहां तथा जहां सड़कें थीं लेकिन भीषण बाढ़ में उनके टूटने एवं पुलों के बहने से वहां का सेब मार्केट में लाना कठिन ही नहीं बल्कि असंभव हो गया है, उन क्षेत्रों के किसानों को विशेष परिस्थितियों में 10 रुपये प्रति किलो की दर से सेब का समर्थन मूल्य दिया जाए और जहां से सेब एवं अन्य फल पीठ पर, खच्चर पर और लंबे मार्गों से सब्जी मंडी तक पहुंचाना है वहां उन्हें राहत प्रदान

करने के लिए हिमाचल प्रदेश सरकार के माध्यम से ट्रांसपोर्ट सबसिडी दी जाए; और

(3) तीसरे, भारत सरकार ने उड़ीसा प्रान्त में आए चक्रवात के कारण वहां की जनता को हुई क्षति से राहत प्रदान करने के लिए उन्हें अपने घरों को बनाने हेतु लोहे व सीमेंट आदि मटीरियल पर जो केन्द्रीय उत्पाद शुल्क से छूट देकर सहायता प्रदान की है उसके लिए मैं भारत सरकार का आभार व्यक्त करना चाहता हूं और मांग करता हूं कि हिमाचल प्रदेश में भीषण बाढ़ से बेघरबार हुए लोगों को भी उड़ीसा प्रान्त की तर्ज पर हिमाचल प्रदेश के लोगों को मकान बनाने में राहत प्रदान करने हेतु लोहा, सीमेंट एवं टीन की चादरों पर केन्द्रीय उत्पाद शुल्क में शत-प्रति-शत छूट देकर सहायता प्रदान करें क्योंकि वे ऊंचे इलाके हैं जहां खूब बर्फ पड़ती है और वह सारा क्षेत्र बर्फ से ढक जाता है।

अध्यक्ष महोदय आपने मुझे समय दिया, इसके लिए आपको कोटिश: धन्यवाद।

श्री राजीव प्रताप रूडी (छपरा): अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्मय से सदन का ध्यान बिहार की ओर और विशेषकर उत्तरी बिहार की ओर आकर्षित करना चाहता हूं। आज की तारीख में कम से कम 20 जिले पूरी तरह से प्रभावित हैं और सारन जिले का जो भाग गंडक नदी से सटा है उसमें कम से कम 100 गांव कटाव और जलमग्न की स्थिति में हैं। इसलिए मैं आपके माध्यम से भारत सरकार एवं सदन में बिहार सरकार के जो प्रतिनिधि बैठे हैं, उनसे अनुरोध है कि वहां बाढ़ से खराब हुई स्थिति पर काबू पाने के लिए बिहार सरकार से अनुरोध करें और जो प्रभावित लोग हैं उनको राहत प्रदान की जाए और उनका पुनर्वास किया जाए तथा कटाव एवं जलमग्न होने वालों गांवों की रक्षा की जाए। *...(व्यवधान)*

डा. रघुवंश प्रसाद सिंह (वैशाली): एक भी पैसा बिहार सरकार को भारत सरकार ने नहीं दिया है। कृषि मंत्री जी वहां जाकर आए हैं। बिहार सरकार को एक भी पैसा नहीं मिला है। *...(व्यवधान)*

श्री राजीव प्रताप रूड़ी: अध्यक्ष महोदय, मैं माननीय सदस्य को बताना चाहता हूं कि भारत सरकार से बिहार सरकार को पूरा पैसा जाता है लेकिन वहां आधा काम होता है।...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय मैं आपसे अनुरोध करना चाहूंगा कि माननीय सदस्य को नियंत्रित किया करें। वे मेरे बोलते ही पता नहीं क्यों उत्तेजित हो जाते हैं मेरा आग्रह है कि ऐसे उत्तेजित सदस्य को नियंत्रित करें।...*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय: प्रो. ए. के. प्रेमाजम।

प्रो. ए.के. प्रेमाजम (बडागरा): यह अवसर देने के लिए मैं आपको धन्यवाद ज्ञापित करता हूँ।

अध्यक्ष महोदय: मैडम, कृपया यह समझें कि इस मामले को पहले ही उठाया गया है और ग्यारहवें वित्त आयोग के बारे में मंत्री ने जवाब भी दे दिया है।

प्रो. ए.के. प्रेमाजम: महोदय, उस दिन भी मुझे इस मुद्दे पर बोलने की अनुमति नहीं दी गई थी। आज, मैं ग्यारहवें वित्त आयोग के बारे में केवल एक बात का उल्लेख करना चाहती हूं कल भारतीय जनता पार्टी द्वारा शासित राज्यों सहित विभिन्न राज्यों के प्रधान और वित्त सचिव राजधानी नई दिल्ली आए। आज, करीब 15 मुख्य मंत्रियों ने भावी गतिविधियों के लिए अपनी कार्य विधियों पर चर्चा की और निर्णय लिया ।

मैं आपके माध्यम से सरकार का ध्यान इस ओर से आकर्षित करना चाहूंगी, पिछली बार, यह निर्णय लिया गया था कि हम संसद में इस मामले पर चर्चा करेंगे। लेकिन यहां, लोक सभा में इस पर चर्चा करने का हमें अवसर नहीं दिया गया। महोदय, मैं अनुरोध करती हूं कि इस मामले पर चर्चा करने के लिए अवसर दिया जाना चाहिए और ग्यारहवें वित्त आयोग की सारी सिफारिशों पर भी पुनर्विचार किया जाना चाहिए।

[हिन्दी]

योगी आदित्यनाथ (गोरखपुर): अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से भारत सरकार का ध्यान पूर्वी उत्तर प्रदेश में भारत सरकार, उत्तर प्रदेश राज्य चीनी निगम और नीजि क्षेत्र की चीनी मिलों की बदहाली की ओर आकर्षित करना चाहता हूं। पूर्वी उत्तर प्रदेश के किसानों का पिछले तीन-चार वर्ष का गन्ने का दाम चीनी मिलों पर बकाया है जिसका भुगतान अभी तक नहीं हो पाया है और आज निजी क्षेत्र की जो सरैयां चीनी मिल है उसके कर्मचारियों को पिछले 30 महीनों से वेतन का भुगतान भी नहीं हुआ है।

15 अगस्त को जब पूरा देश स्वतंत्रता दिवस मना रहा था, वहां के कर्मचारी ने आर्थिक तंगी के चलते आत्मदाह करने का भी प्रयास किया। सम्पूर्ण उत्तर प्रदेश का हर गन्ना किसान उस क्षेत्र में आर्थिक तंगी के कारण इस स्थिति में पहुंचा है। मैं आपके माध्यम से भारत सरकार से अनुरोध करना चाहता हूं कि पूरे उत्तर प्रदेश के लिए अलग से गन्ना निधि तय करके आर्थिक पैकेज की व्यवस्था करें जिससे उस क्षेत्र के चीनी उद्योग को पुन: चलाया जा सके।

श्री हरीभाऊ शंकर महाले (मालेगांव): भारत सरकार और महाराष्ट्र सरकार के सहयोग से महाराष्ट्र आदिम जाति के आर्थिक उत्थान के लिए शिवरी महामंडल बना है। भारत सरकार ने 51 प्रतिशत रकम और महाराष्ट्र सरकार ने कुछ रकम देनी है। लेकिन भारत सरकार ने अभी तक वह रकम नहीं दी है। मेरी आदिवासी विकास मंत्री से प्रार्थना है कि महाराष्ट्र सरकार को वह हिस्सा दिया जाए और आदिम जाति के उत्थान के लिए सहयोग किया जाए।

श्री रामजीलाल सुमन (फिरोजाबाद): अध्यक्ष महोदय, चेन्नई हाई कोर्ट के वकील श्री एस. कृष्णास्वामी का वीरप्पन ने अपहरण कर लिया था। ग्यारह दिन तक वीरप्पन के पास रहने के बाद 18.6.1998 को श्री एस. कृष्णास्वामी ने हिन्दुस्तान के गृह मंत्री को एक पत्र लिखा था और उसमें इस बात का खुलासा किया था कि वीरप्पन सुश्री जयललिता, श्री देवेगौड़ा, श्री के. मूपनार, श्री रजनीकांत और श्री राजकुमार के अपहरण की योजना बना रहा है। उस पत्र की प्रति मेरे पास है। भारत सरकार के साथ-साथ श्री एस. कृष्णास्वामी ने सैक्रेटरी टू गवर्नमैट ऑफ तमिलनाडु, सैक्रेटरी टू गवर्नमैंट ऑफ कर्नाटक और ज्वाइंट कमांडैंट, स्पैशल टॉस्क फोर्स को भी लिखा कि ग्यारह दिन तक मेरी वीरप्पन से जो बात हुई है इसमें वीरप्पन इन लोगों के अपहरण करने की योजना बना रहा है। यदि भारत सरकार ने सार्थक पहल की होती, राजकुमार की पर्याप्त सुरक्षा व्यवस्था सुनिश्चित की होती तो उस कन्नड़ अभिनेता को बंधक नहीं बनाया जा सकता था। यह अत्यधिक गंभीर मामला है। श्री ए. कृष्णास्वामी ने जो पत्र लिखा, उस पर न राज्य सरकार ने और न ही हिन्दुस्तान सरकार ने कोई तवज्जो दी है। मैं जरूर चाहूंगा कि इस मामले पर सदन में चर्चा हो और सरकार स्थिति स्पष्ट करे।

[अनुवाद]

श्री एम. चिन्नासामी (करूर): अध्यक्ष महोदय, कल के प्रमुख राष्ट्रीय समाचार पत्रों में लोक संगीत शास्त्र के एक प्रतिभा शाली विद्वान 34 वर्षीय श्री गवांग योपेल के बारे में समाचार प्रकाशित हुआ है जो चीन शासित तिब्बत की एक जेल में 18 साल की सजा भुगत रहे हैं। उनको चीनी अधिकारियों द्वारा तिब्बत में अगस्त, 1995 में गिरफ्तार किया गया था जहां वह तिब्बत की मृतप्राय लोक संस्कृति संबंधी दस्तावेज तैयार करने के लिए चुपके से गए थे। लम्बे संघर्ष के बाद उनकी माता को उन्हें कारागार में दूर से मिलने की अनुमति दी गई। उनके अश्रुपूर्ण बयान के अनुसार अध्येयता यकृत, फेफड़े और पेट की बीमारियों से पीड़ित है। वह मात्रा ढांचा रह गया है।

अत: मैं माननीय प्रधान मंत्री विशेषकर विदेश मंत्री से अध्येयता को छोड़ने के लिए इस मामले में दखल देने और जांच करने का अनुरोध करता हूँ।

[हिन्दी]

डा. रामकृष्ण कुसमरिया : अध्यक्ष महोदय बुंदेलखंड अपनी प्राकृतिक, सांस्कृतिक और ऐतिहासिक एवं पुरातत्व धरोहर में समन्न है किन्तु उदासीनता की वजह से पूरे क्षेत्र का विकास नहीं हो सका है और यह पुरातत्व धरोहर धीर-धीरे नष्ट होती चली जा रही है। ओरछा, खजुराहो, कालिंजर, चित्रकूट, सांरग मंदिर, चौमुख नाथ, सिद्धनाथ, कुंडरपुर, बांदकपुर, नयनागिरि, द्रोणगिरी, भीमकुंड, पांडवप्रपात, भेंडाघाट, राष्ट्रीय उद्यान पन्ना और मगरमछ सैंचुरी इत्यादि इतने रमणीक और सुरम्य पर्वत मालाओं के बीच विद्यमान है।

अपराह्न 1.00 बजे

किन्तु आवागमन की समुचित सुविधा न होने के कारण इनका विकास रुका हुआ है। अत: केन्द्र सरकार से मेरी गुजारिश है कि पुरातत्व पर्यटन और ट्रांसपोर्ट विभागों के द्वारा एक ऐसा पैकेज तैयार किया जाए ताकि आवागमन की सुविधा हो और पुरातत्व महत्व की इस सम्पदा को अक्षुण्ण रखा जा सके।

[अनुवाद]

श्री लक्ष्मण सेठ (तामलुक): महोदय, मैं गम्भीर चिन्ता के साथ एक महत्वपूर्ण मुद्दा उठाना चाहता हूं इस मुद्दे का संबंध भारतीय नागरिकों के बंगलादेशी नागरिक होने के बहाने उन पर पुलिस द्वारा किए जा रहे अत्याचारों से है।

महोदय, मैंने शनिवार को दिल्ली में कुछ क्षेत्रों का दौरा किया और मेरे पास इस मामले में लोगों की अनेक शिकायतें आई। यह एक महत्वपूर्ण मुद्दा है। इसका संबंध अपनी नागरिकता स्थापित करने के प्रश्न से है। कोई अपनी नागरिकता कैसे स्थापित कर सकता है। पुलिस और प्रशासन राशन कार्ड, निर्वाचन सूची में दर्ज नाम और उसके भारत का नागरिक होने के प्रमाणस्वरूप विधायक अथवा संसद सदस्य द्वारा दिए गए प्रमाण-पत्र को नहीं मानती। इसीलिए लोगों को उत्पीड़ित और उन पर अत्याचार किया जा रहा है। इसके परिणामस्वरूप एक गृहणी को कुछ दिन पूर्व मार दिया गया। इस प्रकार की घटनाएं हो रही हैं। बांग्ला बोलने वाले लोगों को बांग्ला देशी माना जा रहा है और उन पर अत्याचार किए जा रहे हैं यह गम्भीर चिन्ता का विषय है।

महोदय, मैं माननीय प्रधान मंत्री और माननीय गृह मंत्री से नागरिकता की स्थापना के बारे में आवश्यक दिशानिर्देश जारी करने का अनुरोध करता हूं अन्यथा भारतीय नागरिकों को उनके बंगलादेशी होने के बहाने उत्पीड़ित किया जाएगा और उनकी नागरिकता पर अंकुश लगा दिया जाएगा।

महोदय, माननीय संसदीय कार्य मंत्री सदन में उपस्थित हैं और मैं उनसे इस प्रश्न का उत्तर देने का अनुरोध करता हूं। यह एक गम्भीर मुद्दा है।...(व्यवधान)

श्री रूपचन्द पाल (हुगंली): महोदय, माननीय सदस्य ने एक बहुत महत्वपूर्ण मुद्दा उठाया है...*(व्यवधान)*

श्री लक्ष्मण सेठ: माननीय संसदीय कार्य मंत्री जी को इस प्रश्न का उत्तर देना चाहिए,...*(व्यवधान)* कोई भी व्यक्ति इस बात की पुष्टि कैसे करेगा कि वह भारत का नागरिक है...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय: अगले वक्ता श्री पी.डी. एलानगोवन हैं।

...(व्यवधान)

श्री लक्ष्मण सेठ: मैं माननीय मंत्री जी से इस मुद्दे पर प्रतिक्रिया जानना चाहता हूं...*(व्यवधान)* महोदय, दिल्ली में रहने वाले दस लाख से अधिक लोग बंगलाभाषी हैं ...*(व्यवधान)* नागरिकों को इस तर्क पर उत्पीड़ित किया जा रहा है कि बंगला भाषा बोल रहे हैं। ...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय: मैं समझता हूं कि यहां कुछ सदस्यों को बोलते रहने की आदत है।

...(व्यवधान)

श्री लक्ष्मण सेठ: महोदय, मैं माननीय मंत्री जी से इस मामले को स्पष्ट करने का अनुरोध करता हूं ...*(व्यवधान)*

श्री बसुदेव आचार्य: महोदय, संसदीय कार्य मंत्री को इस पर प्रतिक्रिया व्यक्त करनी चाहिए...*(व्यवधान)* यह एक महत्वपूर्ण मामला है।...*(व्यवधान)*

[हिन्दी]

अध्यक्ष महोदय: उनको मालूम होना चाहिए न।

[अनुवाद]

श्री बसुदेव आचार्य: महोदय, बंगला बोलने वाले हजारों लोगों को उत्पीड़ित किया जा रहा है।...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय: आपकी पार्टी के माननीय सदस्य ने इस मुद्दे को उठाया है।

...(व्यवधान)

श्री बसुदेव आचार्य: माननीय मंत्री जी इस पर प्रतिक्रिया क्यों व्यक्त नहीं कर सकते।...*(व्यवधान)*

श्री प्रमोद महाजन: महोदय, जो भी मुद्दा माननीय सदस्य ने उठाया है मैं उसे माननीय गृह मंत्री तक पहुंचा दूंगा।

अध्यक्ष महोदय: अब सभा अपराह्न 1.30 बजे पुन: समवेत होने के लिए स्थगित होती है।

अपराह्न 1.30 बजे

तत्पश्चात् लोक सभा अपराह्न 2.30 बजे तक के लिए स्थगित हुई

अपराह्न 1.37 बजे

लोक सभा अपराह्न एक बजकर सैंतीस मिनट पर पुन: समवेत हुई।

[श्री बसुदेव आचार्य *पीठासीन हुए*]

[अनुवाद]

सभापति महोदय: अब सभा नियम 377 के तहत मामलों पर चर्चा करेगी।

नियम 377 के अधीन मामले

(एक) ग्रामीण विद्युतीकरण के लिए राष्ट्रीय विद्युत प्राधिकरण की स्थापना किए जाने की आवश्यकता

[हिन्दी]

श्री नवल किशोर राय (सीतामढ़ी): सभापति महोदय, ग्रामीण क्षेत्रों में, घरों में बिजली के उपयोग की हालत बहुत ही दयनीय है। आजादी के 50 साल बीतने के बाद आज भी 50 प्रतिशत से कम परिवार बिजली का घरों में उपयोग कर पाते हैं तथा उन्हें बिजली की उपलब्धता तो और भी दयनीय है। उन्हें औसतन दो चार घन्टे ही बिजली मिल पा रही है। इसका मुख्य कारण है, राज्य बिजली बोर्डों की दयनीय आर्थिक स्थिति और उनकी अकुशलता। इन बिजली बोर्डों के माध्यम से ग्रामीण क्षेत्र के परिवारों को बिजली के उपयोग से लाभान्वित नहीं किया जा सकता है। भारत गांवों का देश है। अत: ग्राम के विकास के बिना देश के विकास की कल्पना नहीं की जा सकती है।

अत: केन्द्र सरकार से अनुरोध है कि राष्ट्रीय स्तर पर एक ग्रामीण बिजली प्राधिकरण की अलग से स्थापना करे और उसे ग्रामीण क्षेत्रों के परिवारों को बिजली उपलब्ध कराने का दायित्व सौंपे।

(दो) बेरोजगार स्नातकों और अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के युवाओं को रेलवे स्टेशनों पर किताबों की दुकानें आवंटित करने तथा खान-पान वस्तुएं बेचने के लिए ठेके दिए जाने की आवश्यकता।

[अनुवाद]

श्री अजय चक्रवर्ती (बसीरहाट): महोदय, काफी पहले 1974 में तत्कालीन केन्द्रीय रेल मंत्री ने लोक सभा में कहा था कि वह मैसर्स व्हीलर एंड कंपनी और मैसर्स गुलाब सिंह एंड सन्स के सभी समझौते निरस्त करने के लिए तैयार हैं बशर्ते कि शिक्षित बेरोजगार आगे आएं और उन्होंने उन्हीं रेलवे स्टेशनों पर कार्य नहीं किया जहां किताबों की दुकानें थी बल्कि उन्होंने नए रेलवे स्टेशनों पर कार्य करें। किन्तु मैसर्स व्हीलर एण्ड कम्पनी का एकाधिकार अभी भी बना हुआ है। किताबों की लगभग 400 दुकानें और किताबों की एक हजार छोटी दुकानें और ट्रालियां जो देश भर में अधिकतर बड़े और महत्वपूर्ण रेलवे स्टेशनों पर हैं, अभी भी इस कंपनी के हाथों में हैं। सड़क पर पड़ने वाले छोटे स्टेशनों को ही तब से शिक्षित बेरोजगार युवकों को किताबों की दुकानें आवंटित करने के लिए इस कम्पनी से रेलवे द्वारा खाली कराया गया है। इसके अतिरिक्त, मैसर्स व्हीलर एण्ड कंपनी को विशेष समान और सुविधा दी जाती है। मैसर्स व्हीलर एंड कंपनी द्वारा दी जा रही रायल्टी कुल व्यापार की बहुत अल्प तीन प्रतिशत से चार प्रतिशत तक है और इन समझौतों का नवीकरण नौ वर्षों की अवधि के लिए किया जाता है जबकि किताबों की सभी दुकानों और खान-पान की दुकानों को पांच वर्ष के बाद अपने समझौतों का नवीकरण कराना पड़ता है और अपने बिक्री व्यापार पर उनका रायल्टी लाइसेंस शुल्क बारह से लेकर 15 प्रतिशत तक निर्धारित होता है अत: मैं सदन में पूर्व मंत्री द्वारा दिए गए वचन को पूरा करने का आह्वान करता हूं मैसर्स व्हीलर एंड कंपनी के एकाधिकार को समाप्त करने के लिए कदम उठाया जाए और बेरोजगार स्नातकों और अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के युवकों को और अधिक किताबों की दुकानें और खान-पान की दुकानों के ठेके दें और सभी ठेकेदारों को बराबर समझें।

(तीन) हसन और बंगलौर के बीच नई लाइन बिछाए जाने के कार्य को शीघ्र पूरा किए जाने की आवश्यकता

श्री जी. पुट्टा स्वामी गौड़ा (हसन): महोदय, हासन - बंगलौर नई रेलवे लाईन हेतु भूमि का अधिग्रहण चार वर्ष पूर्व शुरु किया गया था। इस लाइन की कुल दूरी 167 किमी है लेकिन 56 किमी भूमि ही आज तक रेलवे द्वारा अधिग्रहीत की गई है। इस दर पर पूरी परियोजना के पूरा होने में दस वर्ष से अधिक समय लग सकता है। हासन और श्रवणबेलगोला (40 किमी) और बंगलौर और नेलामंगला (16 किमी) के बीच भूमि का अधिग्रहण पूरा कर लिया है। नेलामंगला और श्रवणबेलगोला के बीच की भूमि लगभग 111 किमी है जिसे रेलवे द्वारा अधिग्रहित किया जाना है मेरे निर्वाचन क्षेत्र के लोग इस परियोजना जो पत्तन शहर मंगलौर को राजधानी बंगलौर से जोड़ती है की प्रगति में हुए असाधारण विलम्ब से उत्तेजित हैं यह परियोजना बंगलौर शहर को मंगलौर के पत्तन शहर से जोड़ती है। अब तक 45 करोड़ रुपये इस परियोजना पर खर्च हो चुके हैं परियोजना के महत्व को ध्यान में रखते हुए खर्च की गई यह धनराशि पर्याप्त नहीं है। बंगलौर, हासन, उत्तरी मंगलौर के लोगों ने इस परियोजना को पूरा करने की धीमी गति की आलोचना करते हुए प्रदर्शन और आन्दोलन पहले ही शुरू कर दिया है।

अत: मैं माननीय रेल मंत्री से इस परियोजना के लिए तत्काल कम से कम एक सौ करोड़ रुपये आवंटित करने और कम से कम 31.8.2000 तक भूमि अधिग्रहण कार्य को पूरा करने का आह्वान करता हूं ताकि अगले वित्त वर्ष के दौरान रेल लाइन बिछाई जा सके। मुझे आशा और विश्वास है कि केन्द्र इस पर कार्यशील होगा और कर्नाटक के लोगों की सहायता करेगा।

अपराह्न 1.44 बजे

अनुपूरक अनुदानों की मांगें (सामान्य), 2000-2001 और

अतिरिक्त अनुदानों की मांगें (सामान्य),1997-98

सभापति महोदय: अब सभा अगला विषय—अनुदानों की अनुपूरक मांगें (सामान्य) और अतिरिक्त अनुदानों की मांगें 'सामान्य' पर विचार करेगी। अब मैं श्री रूपचन्द पाल को अपना भाषण जारी रखने के लिए आमंत्रित करता हूं।

श्री रूपचन्द पाल (हुगली): सभापति महोदय, 17 अगस्त को बोलते समय मैंने माननीय वित्त मंत्री जी से पूछा था कि वह सात केंद्रीय सरकारी क्षेत्र के उद्यमों नामत: एम.ए.एम.सी. एन.वी.सी.आर.एल., आर.आई.सी., टी.ए.एफ.सी.ओ., डब्ल्यू.आई.एल., बी.पी.एम.ई.एल. और टी.सी.आर.एल. के संबंध में बी. आर. एस. और वी.एस.एस. का प्रबंधन करने के लिए एक निश्चित धनराशि क्यों मांग रहे हैं। वह वी.एस.एस., के लिए इस अनुपूरक बजट में 150 करोड़ रुपये की धनराशि क्यों मांग रहे हैं?

उस स्थिति में वह अनेक लोगों जिनमें इस सभा के विभिन्न दलों के सदस्य पश्चिम बंगाल के मुख्य मंत्री, श्रमिक संघ और

अन्य शामिल हैं उनके इस अनुरोध पर विचार क्यों नहीं करते कि यूनिट-वार अध्ययन किया जाना चाहिए। एक विशेषज्ञ दल ने सुझाव दिया था कि पुनरुद्धार की संभावना है, यदि सरकार यह कार्य करने का निष्ठा से प्रयास करे। अत: मैं पुन: इस मांग को दोहरा रहा हूं कि सरकारी क्षेत्र के इन उद्योगों का पुनरुद्धार किया जाना चाहिए और उनकी सहायता की जानी चाहिए। इसमें सैकड़ों हजारों कामगार और उनके परिवार शामिल हैं।

मैंने एक प्रश्न पूछा था। छोटे राज्य झारखंड के बनने के बाद ऐसा लगता है कि सरकार बरौनी संयंत्र के संबंध में पुनर्विचार कर सकती है। हिन्दुस्तान फर्टिलाइजर कार्पोरेशन, फर्टीलाइजर्स कार्पोरेशन आफ इंडिया और पी.पी.सी.एल. हेतु अतिरिक्त बजटीय सहायता की मांग की गई है। यदि ऐसा हो जाए तो मैं माननीय वित्त मंत्री से दुर्गापुर संयंत्र के मामले में भी विचार करने का अनुरोध करूंगा। संयुक्त बिहार राज्य में से नया झारखंड राज्य बनाने के बाद, जब आप इस पर सहानुभूति पूर्वक विचार करते समय मैं आपसे अनुरोध करता हूं कि दुर्गापुर संयंत्र पर पुनर्विचार करें।

'इसको' के लिए भी प्रावधान है। जहां तक मैं समझता हूं, 'इसको' के लिए प्रस्तावित राशि 381 करोड़ रुपये 'सेल' के पुनरुद्धार पैकेज के एक भाग के रूप में ब्याज सहित बकाया ऋणों को माफ करने के लिए दिए जा रहे हैं। भारतीय इस्पात प्राधिकरण के अधीन इसके अंग के रूप में 'इसको' के पुनरुद्धार की लम्बे समय से मांग होती रही है। अब लगता है कि ब्लास्ट फर्नेस इस स्थिति में पहुंच गई है कि इसके क्षतिग्रस्त भाग की लाइनिंग और निर्माण के लिए कम से कम 370 करोड़ रुपये की राशि आवश्यक है।

'इसको' के पास विशाल परिसम्पत्तियां हैं। इस पर 26,000 या 27,000 लोग निर्भर करते हैं यदि आप उन पर आश्रित रहने वाले अन्य लोगों को भी शामिल कर लें तो यह संकाय 40,000 के ऊपर होगी। वे इस इकाई पर निर्भर करते हैं सभा के विभिन्न वर्गों के सदस्य यह मांग करते रहे हैं कि इस प्रतिष्ठित इकाई को सहायता दी जानी चाहिए और इसका पुनरुद्धार किया जाना चाहिए। जवाब देते समय माननीय मंत्री जी को स्पष्ट रूप से यह बताना चाहिए कि उनका प्रस्तावित पुनरुद्धार पैकेज क्या है।

सरकार के पास कई सुझाव लंबित पड़े हैं। सरकार को इन पर विचार करना चाहिए। यह केवल पश्चिम बंगाल के ही हित में नहीं, बल्कि पूरे देश के हित में होगा।

डा. नीतिश सेनगुप्ता (कोन्टाई): पहले कई अच्छे सुझाव अस्वीकृत किए जा चुके हैं।

श्री रूपचन्द पाल: हां, अपने दिमाग से काम नहीं लिया। आप इससे अधिक मदद कर सकते थे।

इलेक्ट्रानिक वोटिंग मशीनों की व्यवस्था है। देश के विभिन्न भागों में इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीनों का प्रयोग किया गया है। लेकिन इसके कार्य पर प्रश्न-चिन्ह लगाए गए हैं। जैसा कि आपको ज्ञात है, विधान नगर नगरपालिका चुनाव में एक वार्ड में मशीन बंद हो गई। हैदराबाद से इंजीनियर बुलाए गए। वे नहीं बता पाए कि यह काम क्यों नहीं कर रही। अन्तत: पुन: मतदान कराना पड़ा।

हालांकि, जापान जैसे विकसित देशों ने इलेक्ट्रॉनिक्स में बहुत प्रगति की है परन्तु उन्होंने भी इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीनों का प्रयोग न करने का निर्णय लिया है। ऐसा शायद इसलिए है क्योंकि पहले से ही प्रोग्राम करके चुनाव परिणामों को प्रभावित किया जा सकता है। चुनाव आयोग काफी मशीनें खरीदने जा रहा है। इसलिए सरकार को चाहिए कि वह इस देश की जनता को विश्वास दिलाए कि पूर्व प्रोग्राम द्वारा किसी राजनैतिक दल के पक्ष में परिणाम प्रभावित करने जैसी कोई संभावना नहीं है। ऐसा क्यों है कि जापान जैसे विकसित देशों ने भी इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीनों का प्रयोग न करने का निर्णय लिया है।

सड़कों के निर्माण और रख-रखाव के प्रश्न पर मैं कहना चाहता हूं कि राष्ट्रीय राजमार्ग खस्ता हाल में हैं। सरकार को बुनियादी ढांचे के निर्माण पर पुनर्विचार करना चाहिए। बुनियादी ढांचे, विशेषत: राष्ट्रीय राजमार्गों से संबंधित बुनियादी ढांचे के संबंध में सभा में विस्तार से चर्चा होनी चाहिए।

इस समय दो-तीन मुद्दों का उल्लेख करूंगा। इनमें से एक शेयर बाजार के बारे में है। शेयर बाजार में जो कुछ हो रहा है वह हम सबके लिए गंभीर चिन्ता का विषय है। व्यापारिक घराने भी यही कह रह हैं कि व्यापार में उनका विश्वास पूरी तरह डांवाडोल हो गया है। आज के प्रमुख समाचार पत्रों में प्रकाशित रिपोर्ट में भी जिन 200 कम्पनियों के तिमाही परिणाम उपलब्ध हैं उनमें से 50 प्रतिशत कम्पनियों के प्रचालन लाभ में कमी दर्ज हुई है। नई अर्थव्यवस्था में 23 सॉफ्टवेयर कंपनियों, 12 उपभोक्ता वस्तुएं बनाने वाली त्वरित कम्पनियों और 13 औषधि विनिर्माण कम्पनियों के अलावा सबकी हालत खराब है। क्या हमें नई अर्थव्यवस्था पर इतना निर्भर करना चाहिए। मेरा ख्याल है कि वित्त मंत्री जी प्रमुख अर्थशास्त्री और नार्थ-वेस्टर्न यूनीवर्सिटी के प्रोफेसर गॉर्डन के वक्तव्यों से अवगत होंगे। शेयर बाजार के अनुभव को देखते हुए उन्होंने कहा है कि नई अर्थव्यवस्था विगत के महानतम नवाचारों का मुकाबला नहीं कर सकती।

[श्री रूपचन्द पाल]

मैं जानता हूं कि माननीय वित्त मंत्री पिछड़ी (ग्रामीण) अर्थ-व्यवस्था, विकासशील (शहरी) अर्थव्यवस्था और अत्याधुनिक अर्थव्यवस्था के विलय पर बार-बार जोर दे रहे हैं मुझे पता है। लेकिन, पिछले कुछ समय से क्या हो रहा है। आज के समाचार पत्र भी अर्थव्यवस्था और इसकी कारगुजारी की अच्छी तसवीर पेश नहीं कर रहे हैं विदेशी संस्थागत निवेशकों का पीछे हटना गंभीर चिन्ता का विषय हैं। मैं नहीं जानता कि यह सही है या गलत कि विदेशी मुद्रा भंडार में लगभग 1.8 बिलियन डालर की कमी आ गई है। यदि मैं सही नहीं हूं। तो मुझे रोक दें। प्रत्यक्ष विदेशी निवेश में रियायतों और इसके लिए भरपूर स्वागत के बावजूद कमी आती जा रही है। कुछ नहीं हो रहा है। हालांकि, माननीय वित्त मंत्री इस सभा और इस राष्ट्र को बार-बार भरोसा दिलाने की कोशिश कर रहे हैं कि वह सुधार प्रक्रिया को आगे बढाने के लिए प्रतिबद्ध हैं, परन्तु कुछ भी नहीं हो रहा है। माननीय वित्त मंत्री को इस बारे में स्पष्टीकरण देना चाहिए। मैं उनके कथन से सहमत नहीं हूं। मैं सुधारों की दिशा ही नहीं बल्कि उनकी गति, क्रम और उनकी गुणवत्ता से भी सहमत नहीं हूं। सरकार को विनिवेश प्रक्रिया के बारे में इस देश को अभी स्पष्टीकरण देना है। सुधारों के नाम पर और फर्मों को महत्वपूर्ण भागीदार को देने के नाम पर सरकार फर्मों को उनके प्रतिद्वंद्वियों को बेच रही है।

अपनी बात समाप्त करने से पहले एक दो बिन्दुओं पर बात करुंगा। पहली बात पिछले कुछ वर्षों में नोटिस की गई बचतों के बारे में है। नियंत्रक और महालेखा परीक्षक ने वर्ष 1998-99 के बारे में परमाणु ऊर्जा, पर्यावरण और वन, अंतरिक्ष, इलेक्ट्रॉनिक्स, आदि विभागों पर तीखी टिप्पणियां की हैं। इस अवधि के दौरान वे 993.14 करोड़ रुपये की राशि को खर्च नहीं कर पाए। यदि ऐसा है, तो ऐसी स्थिति में जबकि सरकार कई परमाणु कार्यक्रमों की शुरूआत कर चुकी है। और पाकिस्तान प्रक्षेप्रास्त्र और ऐसी ही चीजों से हर प्रकार से हमारी बराबरी कर रहा है। इस विषय पर हम किसी अन्य अवसर पर विचार कर सकते हैं, तब भी ये विभाग आबंटित धन का उपयोग नहीं कर पाए हैं। नियंत्रक और महालेखा परीक्षक का कहना है कि परमाणु ऊर्जा विभाग आबंटित राशि में से 214.52 करोड़ रुपये, अंतरिक्ष विभाग 206.13 करोड़ रुपये पर्यावरण और वन 213.43 करोड़ रुपये और अपारम्परिक ऊर्जा विभाग 109.50 करोड़ रुपये, खर्च नहीं कर पाए। मंत्री महोदय, कृपया सभा को बताए कि सरकार, सरकारी उद्योग के लिए अनुपूरक बजट के प्रस्ताव क्यों ला रही है। ताकि वे प्रतिष्ठित सरकारी उद्यमों को बहुत अच्छी कीमत पर बेच सकें और जबकि उन्हें दी गई धनराशि को ही वह खर्च नहीं कर पा रही है।

मैं एक और चीज का उल्लेख करना चाहता हूं। हमने इसे सभा में भी उठाया था। वर्ष 1987 में इस सभा ने जूट पैकेजिंग 'अनिवार्य प्रयोग' विधेयक, 1987 स्वीकृत किया था जो बाद में अधिनियम बना। इसे खाद्यानों, चीनी, सीमेन्ट और उर्वरकों की पैकेजिंग में शत प्रतिशत जूट पैकेजिंग सामग्री के अनिवार्य उपयोग के लिए बनाया गया था। सीमेन्ट के मामले में कुछ कमी करने और शत प्रतिशत जूट पैकिंज के प्रावधान को वापस लिया गया था। यूरिया के मामले में 20 प्रतिशत की सीमा थी। मंत्रिमंडल इस संबंध में शीघ्र ही निर्णय लेने जा रहा है। हम प्रधान मंत्री जी से मिले और यह मुददा उठाया। हमें प्रधानमंत्री जी ने आश्वास्त किया कि इसमें कमी नहीं लाई जाएगी और इसे 30 सितम्बर तक स्थगित कर दिया गया है।

आप जानते ही हैं कि भारत के पूर्वी हिस्से में केन्द्रित इस उद्योग पर एक करोड़ से अधिक लोग आश्रित हैं। पश्चिम बंगाल की अर्थव्यवस्था जूट उद्योग पर आधारित है। पूरे देश में लगभग 79 जूट मिलें हैं और उनमें से 59 अकेले बंगाल में ही है। लगभग 14 लाख जूट उत्पादक हैं। हमारे कहने-सुनने और वित्त मंत्री जी द्वारा दिए गए आश्वासन के बाद व्यय आयोग संबंधी के.पी. गीताकृष्णन समिति ने खाद्य पदार्थों की कीमत कम करने के लिए जूट के कम से कम प्रयोग की सिफारिश की है। हमने मांग की थी कि गरीब वर्गों और गरीबी की दहलीज के आस-पास के लोगों के हित में खाद्यान्नों पर राजसहायता जारी रहनी चाहिए। सारी दुनिया इसे देख रही है। भारतीय खाद्य निगम के गोदामों में गेंहू और चावल की भरपूर मात्रा है। अगले कुछ सप्ताह में आने वाली खरीफ की फसल की खरीद से पहले स्टाक को कम करने का कोई आसान रास्ता नहीं है।

अपराह्न 2.00 बजे

सरकार कई तरह के प्रयास कर रही है। सबसे पहले, इन्होंने गेंहू के निर्गत मूल्य में प्रति क्विंटल 100 रु. से 150 रु. की भारी कमी की घोषणा की है। लेकिन इससे स्थिति नहीं सुधरी है। फिर इन्होंने निर्यात के लिए ऋण के प्रस्ताव मांगे और अब वस्तु विनियम व्यापार का प्रस्ताव कर रहे हैं। इसका भी कोई परिणाम नहीं निकला है। इससे यह पता चलता है कि सरकार के पास इस देश के लोगों को भोजन मुहैया कराने की कोई सोच नहीं है। एक ओर खाद्य निगम में खाद्यान्न सड़ रहे हैं। निर्गम मूल्य में कमी करने के और वस्तु विनियमय और अन्य प्रस्तावों के बावजूद कोई खरीद नहीं हुई है। दूसरी ओर उड़ीसा और बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों में लोग भूखे मर रहे हैं। सरकार को इस बारे में देश को बताना होगा कि आजादी के 50 वर्ष बाद भी ऐसी स्थिति क्यों है कि एक ओर इतने खाद्यान्न हैं और दूसरी ओर से सरकार के पास बाढ़ से प्रभावित और प्राकृतिक आपदाओं से पीड़ित गरीब लोगों में खाद्यान्न वितरण की कोई नीति नहीं है। सरकार की विनिवेश की नीतियों और अन्य ऐसी ही चीजों के कारण लोगों के रोजगार भी छिन गए हैं। आज पश्चिम बंगाल और अन्य कई राज्यों में धान

का मूल्य इतना गिर गया है कि कृषि उत्पादन इसे उगा ही नहीं रहे। हमने इस पर कई बार चर्चा की है। चाहे आंध्र प्रदेश हो या महाराष्ट्र या उत्तर प्रदेश किसानों के पास आत्महत्या के अलावा कोई विकल्प नहीं बचा। ऐसी स्थिति में खाद्यान्न की सुरक्षा खतरे में है।

अंत में, हम भुगतान संतुलन के संकट की ओर तेजी से बढ़ रहे हैं। मैं नहीं जानता मंत्री जी इस संबंध में हमें कैसे आश्वस्त करेंगे। परसों भी उन्होंने हमें आश्वस्त करने का प्रयास किया था, शायद जमशेदपुर में जहां उन्होंने कहा था कि उन्हें विश्व व्यापार संगठन के बंधन और अन्य ऐसी ही चीजें कांग्रेस से विरासत में मिली हैं क्योंकि उन्होंने इसे पर हस्ताक्षर किए थे और उन्हें इनको झेलना पड़ रहा है। आत्म निर्भरता और स्वदेशी के साथ वे आगे बढ़ रहे हैं और मुद्रा के अवमूल्यन और इन सब चीजों का हम पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। अगर तेल की कीमतें इस तरह बढ़ती जाएगी तो क्या होगा। पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री ने कहा है कि शायद उन्हें जल्दी ही पेट्रोल और पेट्रोलियम उत्पादों की कीमतें बढ़ानी होंगी।

महोदय, इस्पात उद्योग संकट में है, और निर्यात की जो भी संभावना थी वह अब नहीं है। अमरीकी सरकार ने शिकायत की है कि इस्पात से बाजार को पाटा जा रहा है और उन्हें यह मुद्दा हमारे इस्पात उद्योग के साथ सुलझाना है महोदय, यह सरकार हर चीज को नष्ट करने पर तुली है मेरे विचार से अगर वो अपनी आर्थिक नीति, अंधाधुंध और निराशाजनक विकेन्द्रीकरण और उदारीकरण नीति में परिवर्तन नहीं करते हैं तो स्थिति में सुधार नहीं होगा।

महोदय, आक्सफोर्ड विश्वविद्यालय में 14 करोड़ रुपये व्यय करके भारतीय इतिहास और संस्कृति के लिए एक विभाग (चेयर) के सृजन का प्रस्ताव है। आक्सफोर्ड और विश्व के अन्य विश्वविद्यालयों में अन्य पद सृजित किए गए हैं क्या मंत्री जी इसकी विशेषताएं बताने की कृपा करेंगे। इस सरकार के सहयोगी दल विशेषकर प्रमुख दल शैक्षिक संस्थाओं, सांस्कृतिक संस्थाओं तथा अन्य अध्ययन केन्द्रों को साम्प्रदायिक रंग देने पर तुली है। इन केन्द्रों को निधियों से वंचित किया जा रहा है। वे इतिहास को तोड़-मोड़ कर पुन: लिख रहे हैं। मंत्री जी यह बताएं कि भारतीय इतिहास और संस्कृति के संबंध में उनके विचार क्या हैं क्या यह भारतीय संस्कृति का भगवाकरण है? क्या यह भारतीय इतिहास की विकृत प्रस्तुति है या यह उद्देश्य परक इतिहास है जिसकी अनवरत प्रक्रिया रही है?

उस पर ध्यान केन्द्रित करना चाहिए। मंत्री जी इस विभाग (चेयर), इसकी विशेषता और विशेषकर इसके बारे में उनके क्या विचार हैं। इस बारे में बताएं।

डा. नीतिश सेनगुप्ता: कलकत्ता में सामाजिक विज्ञान अनुसंधान केन्द्र की स्थापना सर जे. एन. सरकार की याद में की गई थी। लेकिन उसके बाद कुछ नहीं किया गया है।

सभापति महोदय: कृपया अपना स्थान ग्रहण करें।

डा. रघुवंश प्रसाद सिंह (वैशाली): सभापति महोदय, बजट की अनुपूरक अनुदान मांगों पर बहस चल रही है। हमें याद है जब माननीय वित्त मंत्री ने ऐलान किया था कि प्रधान मंत्री ग्रामोदय योजना लागू करेंगे। हम लोगों को उत्सुकता हुई कि ग्रामोदय होगा, लेकिन जब हमने उसके बारे में जानकारी की, तो पता चला कि देवेगौड़ा जी जब प्रधान मंत्री थे, उस समय एक बेसिक मिनीमम सर्विस, बी.एम.एस. की योजना चली थी। उसमें यह व्यवस्था थी कि राज्य अपनी-अपनी प्राथमिकताएं तय करेंगे कि वे कौन सा काम पहले चाहते हैं। जैसे किसी राज्य ने पीने के पानी को प्राथमिकता दी, किसी राज्य ने गरीबों के घर बनाने के प्राथमिकता दी, किसी ने सड़क बनाने की प्राथमिकता दी इस प्रकार सभी राज्यों ने अपनी-अपनी प्राथमिकताए बताई। उसके अन्तर्गत बिहार राज्य को 250 करोड़ रुपये सालाना गरीबों के घर बनाने के लिए मिलना था लेकिन उस योजना को खत्म कर दिया गया है उसकी जगह पर प्रधान मंत्री ग्रामोदय योजना शुरू करने का निर्णय इस सरकार ने लिया। उसमें 5 हजार करोड़ खर्च करने की हम लोगों को जानकारी मिली है। उसमें से ढाई हजार करोड़ रुपये से सड़कों का निर्माण करने का निर्णय लिया गया। इसके अंतर्गत एक या डेढ़ हजार की आबादी वाले गांवों को जो सड़कों से नहीं जुड़े हैं उन्हें सड़कों से कनैक्ट करना शामिल है। हमें यह जानकार अत्यन्त प्रसन्नता हुई कि एन.डी.ए. की सरकार गांवों की ओर बहुत ख्याल कर रही है।

सभापति महोदय, हमने रुरल डैवलपमेंट विभाग का जो प्रतिवेदन पढ़ा उसमें हमने पाया कि डीजल पर सेस के रूप में जो एक रुपये का टैक्स लगाया गया है उससे सड़कें बनाने का काम होगा। इससे पांच हजार करोड़ रुपये की आमदनी होगी जिसमें से ढाई हजार करोड़ रुपये नैशनल हाइवे के निर्माण पर और ढाई हजार करोड़ रुपये रुरल रोड्स के निर्माण पर खर्च होगा। इसको पढ़कर हमें लगा कि गांवों को जोड़ने का जो बेसिक मिनीमम सर्विस पोग्राम था, उसमें भी गांवों को सड़कों से जोड़े जाने की बात कही गई, प्रधान मंत्री ग्रामोदय योजना में भी गांवों को सड़कों से जोड़ने की बात कही गई और डीजल के ऊपर लगे सेस से जो आमदनी होगी, उसमें से भी आधा धन रुरल रोड्स के निर्माण पर खर्च किया जाएगा। जिससे हमें बहुत प्रसन्नता हुई। इसी प्रकार की जानकारी सभी राज्य सरकारों को भी गई कि ग्रामों को सड़कों से जोड़ा जाएगा। इसलिए राज्यों की ओर से नक्शे और तमाम योजनाएं बनकर केन्द्र सरकार के पास आई, लेकिन अभी तक वह मामला

[डा. रघुवंश प्रसाद सिंह]

कैबीनेट में नहीं गया। मामला अटका हुआ है। हमको बहुत प्रसन्नता हुई कि सरकार तीन-तीन स्थानों पर गांवों को सड़कों से जोड़ने पर जोर दे रही है और तीन-तीन तरफ से पैसा उसके ऊपर खर्च करने की योजना बनाई जा रही है।

सभापति महोदय, हमें इन सब योजनाओं की जानकारी करने से पता चला कि यह कोई नई योजना नहीं बल्कि पुरानी योजना को समाप्त करके उसे नया नाम दे दिया गया है। यह तो वही बात हुई महोदय, जैसा हमारे यहां एक रामलीला हो रही थी। उसमें पात्रों की कमी थी। एक आदमी रावण का मुखौटा लगाकर आ जाता, कभी वही आदमी हनुमान का मुखौटा लगाकर आ जाता और कभी वही जामवंत का मुखौटा लगाकर जनता के सामने आ जाता। यही काम यह सरकार कर रही है। नाम नया है लेकिन योजना पुरानी ही है। अलग-अलग नामों से अलग-अलग कामों के जरिए पुरानी योजना को बता दिया है कि हम नई योजना चला रहे हैं यदि ऐसा है, तो मैं पूछना चाहता हूं कि डीजल के सेस का जो पैसा है वह कहां जमा है? क्या वह पैसा कंसोलिडेटेड फंड आफ इंडिया के खाते में जमा है या जहां-तहां चला गया और उस स्कीम का क्या हुआ? राज्य सरकार के लोग तैयार हैं और हर राज्य से हर प्रकार की सूचना आ गई है, इस बात की जानकारी हमें है, लेकिन अभी तक इस बारे में कैबीनेट का फैसला नहीं हो सका है। इसलिए हम आरोप लगाते हैं विभिन्न योजनाओं को, पुरानी योजनाओं के नामों को बदल कर दिखाएंगे और ऐसा काम करेंगे, तो यह राम लीला के पात्र की तरह से छल करने का काम हुआ और इस प्रकार जनता के साथ छल किया जा रहा है। इसलिए मंत्री महोदय अपने जवाब के समय बताएं के डीजल के सेस का पैसा कहां जमा है और वह पैसा प्रधान मंत्री की ग्रामोदय योजना के तहत लगाया जाएगा या उस योजना के तहत अलग से पैसा दिया जाएगा और इस प्रकार से देश के साथ छल कर के इतने बड़े देश को बिना सिद्धान्त और नीति के चलाया जा सकता है?

इसकी सफाई कौन देगा और लोगों को कैसे जानकारी होगी।

11वें वित्त आयोग ने अनुशंसाएं कीं और सरकार ने उन्हें मान लिया है जो पिछड़े राज्य हैं, जहां आर्थिक पिछड़ापन है, ज्यादा राज्यों की आर्थिक हालत खराब है, चौपट है।...*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

श्री त्रिलोचन कानूनगो (जगतसिंहपुर): बिहार को बहुत पैसा मिला है।

[हिन्दी]

डा. रघुवंश प्रसाद सिंह: बिहार से बढ़िया हालत उड़ीसा की नहीं है।...*(व्यवधान)*

श्री अरुण कुमार (जहानाबाद): नीति, सिद्धान्त से राज्य चला रहे हैं।...*(व्यवधान)*

सभापति महोदय: आप बैठिए।

डा. रघुवंश प्रसाद सिंह: क्या आप लोगों का फायदा नहीं होगा? आप गांव जाते हैं तो यह नहीं कहा जाता कि सड़कों से जोड़िए...*(व्यवधान)* 11वें वित्त आयोग ने कहा है कि पिछड़े राज्यों को ज्यादा सहूलियत दी जाए। हालांकि मैं कह रहा हूं कि 11वें वित्त आयोग की अनुशंसा में भी पिछड़े राज्यों को सहूलियत देने की बात है लेकिन वित्त मंत्री जी बताएं कि क्या उससे उनकी हालत मे कोई सुधार होने वाला है जो अनुशंसाएं की गई हैं, उससे सुधार नहीं हो सकता। भारत के संविधान की भावना है कि पिछड़ा समाज, पिछड़ी जाति, अनुसूचित जाति, जनजाति, जो अभी तक वंचित, शोषित, उपेक्षित हैं, उन्हें रिजर्वेशन दिया जाए। उसी आधार पर जो पिछड़े राज्य हैं, उन्हे राष्ट्र की मुख्यधारा में लाने के लिए विशेष तरजीह दी जाए। क्या क्षेत्रीय विषमता देश के लिए अच्छी चीज है? इसलिए उस भावना का ख्याल रखते हुए 11वें वित्त आयोग ने अनुशंसाएं की हैं। उसके खिलाफ विकसित राज्य एकजुट हों, भारतीय संविधान की भावना का ख्याल किए बिना कि हमने ज्यादा विकास कर लिया है, पिछड़ों को छोड़ दिया जाए। हर राज्य अपना सवाल उठा सकते हैं। कुछ राज्य के मुख्यमंत्रियों की बैठक हो रही है। श्री चन्द्र बाबू नायडू आंध्र चीफ मिनिस्टर को पहले पी.एम. मैटीरिएल कहते थे लेकिन वे अपने पैरों में अपने आप कुल्हाड़ी मार रहे हैं। कहते है कि 11वें वित्त आयोग ने पिछड़े राज्यों को इतना क्यों दे दिया। वह नाजायज है। विकसित राज्यों को उससे दंड मिल रहा है। यह उचित नहीं है। रिजर्वेशन के खिलाफ जो आत्मदाह कर रहे थे, क्या वह उचित था? सुप्रीम कोर्ट ने भी कहा है। इस देश को चलाने के लिए भारत के संविधान में आरक्षण को लागू करने की बात हो रही है। अभी संविधान संशोधन आएगा। पिछडे राज्यों की आर्थिक तबाही को देखते हुए उन्हें सोशल जस्टिस, फाईनैंशियल जस्टिस मिलना चाहिए। केन्द्र सरकार को 11वें वित्त आयोग से भी आगे बढ़ कर कार्य करना चाहिए। लेकिन इसमें राजनीति चल रही है, मुख्य मंत्रियों का कुछ दबाव चल रहा है और बैठक हो रही है। राज्यों के फाईनैंस सैक्रेटरीज की बैठक हो गई है। मुख्य मंत्रियों की बैठक अभी चल रही होगी। मैं आपके माध्यम से आग्रह करना चाहता हूं कि जो पिछड़े क्षेत्र हैं, देश में आर्थिक विषमता है, उसे दूर करने के लिए 11वें वित्त आयोग ने जो कदम उठाए हैं हमें उससे और आगे जाना चाहिए। देश के 10-12 राज्य आगे बढ़ जाएं, और राज्य पीछे छूट जाएं, तो क्या हिन्दुस्तान तरक्की करेगा। यह

कौन सा अर्थशास्त्र है, कहां का अर्थशास्त्र है 11वें वित्त आयोग की अनुशंसा से भी पिछड़े राज्यों की आर्थिक तबाही में समाधान नहीं होने वाला है। इसलिए पिछड़े राज्यों को राष्ट्र की मुख्यधारा में लाने के लिए उनकी तबाही को दूर करने का काम करना चाहिए ...*(व्यवधान)*

सभापति महोदय: आपके दो सवाल हो गए हैं, और कितने सवाल हैं। क्या यह अंतिम सवाल है?

डा. रघुवंश प्रसाद सिंह: डब्लू.टी.ओ. में 714 चीजों के आने का कानून पास हो गया और अगले साल 715 चीजें आयेंगी, कुल 1429 सामान आएंगे। उसमें क्या आयेगा। उसमें नमक, दूध पाउडर आयेगा। यह सब बाहर से आयेगा। हिन्दुस्तान मल्टीनेशनल का बाजार हो रहा है। मैं इस सभा के माध्यम से आम जनता का आम किसान का आह्वान करता हूं और माननीय सदस्यों का ध्यान आकृष्ट करता हूं कि देश कहां जा रहा है, किसानों की हालत क्या होगी। यहां मल्टीनेशनल बढ़ेगा ईस्ट इंडिया कंपनी की तरह आ रहा है। मल्टीनेशनल कंपनियों का इतना सामान आने का निर्णय हो गया, आटा चूरा, हल्दी, मसाला सब बाहर से आयेगा। दूध आयेगा तो यहां के पशुपालकों का क्या होगा, यहां के किसान का क्या होगा, यह सब सवाल सोचने के हैं या नहीं हैं कि देश हम लोग कहां ले जा रहे हैं।...*(व्यवधान)* मैं किसान का सवाल उठा रहा हूं आपको कष्ट हो रहा है क्या?

चौथे सवाल में इनका जो पी.डी.एस. है, उसमें इन्होंने गेहूं का भाव नौ रुपये किलो कर दिया और गरीब के लिए 4.50 रुपये कर दिया, लेकिन उसको वह पांच रुपये किलो मिल रहा है जबकि बाजार में 5.50 और छः रुपये किलों गेहूं का भाव है। अब यह सवाल उठा कि उनके गेंहू की खपत कैसे हो, इनके तमाम सहयोगी दलों ने कहा कि भाव घटाइये लेकिन इन्होंने उसे मूंछ की लड़ाई बना दिया। कोई खेल बात है, भाजपा का राज है, सहयोगियों की मैं कोई परवाह नहीं करता, यह भावना भी रही। व्यय समिति ने कहा तो 10-20 पैसे घटाये हैं, लेकिन व्यय समिति के कहने से 10-20 पैसा घटा। गरीब आदमी, गांव के आम उपभोक्ता को नौ रुपये में और व्यापारी के हाथ में छः और सात रुपये में बेचने का फैसला सरकार ने किया है कि नहीं किया है? इतना बड़ा छल, इतना बड़ा गरीब विरोधी, उपभोक्ता विरोधी कार्य हो सकता है, नहीं तो अनाज का क्या होगा। आप चाहते हैं कि अनाज का प्रिक्योरेमेंट नहीं होता तो किसान का क्या होगा, आम किसान और आम उपभोक्ता का क्या होगा। इस सरकार की क्या नीति है कि सरकारी सस्ते गल्ले की दुकान से नौ रुपये किलो और व्यापारी के हाथ में पांच, छः और सात रुपये किलो बेचने का सरकार ने फैसला किया है। इतना बड़ा छल, धोखा और गरीब, किसान विरोधी कार्रवाई कोई नहीं हो सकती।

अन्तिम पांचवें सवाल में मैं बिहार पर आता हूं। बिहार के बंटवारे के बारे में माननीय वित्त मंत्री जी बहुत उत्सुक थे, इन्होंने बड़ा जोर लगाया हुआ था। इनको बुझाता है कि बिहार के या किसी राज्य के बंटवारे से ही तरक्की कर जाएगा। यह कहां का समाजशास्त्र है, कहां का अर्थशास्त्र है, यह हमको नहीं बुझाता है। लेकिन सदन ने पारित किया तो बिहार से अभी श्री राजीव रूडी कह रहे थे कि बाढ़ से 27 जिलों में तबाही है, एक करोड़ लोग प्रभावित हैं। यह हर साल की बात है कि कुछ जिलों में बाढ़ है और कुछ जिलों में सुखाड़ है। बाढ़ है, सुखा है और ऊपर से बंटवारा है तो उस राज्य का क्या होगा। क्या आप वहां उग्रवाद चाहते हैं, इसलिए कहा कि स्पेशल केटेगरी देनी चाहिए। आज मार्क्सवादी लेनिनवादी पार्टी का बड़ा भारी जुलूस आया है और जंतर-मंतर पर प्रदर्शन किया है कि राज्य को स्पेशल केटेगरी घोषित किया जाये और उस पर जो बकाया कर्जा है, उसको माफ कर दिया जाए। वहां पर बरौनी का कारखाना बन्द है, सिन्दरी का कारखाना बन्द है। सुना है कि तीन-चार बार यहां एक बैठक हुई है, उस सवाल को हम उठा चुके हैं जो सिन्दरी फर्टिलाइजर कारखाना है, उसी का पी.डी.आई.एल. है, अंझोर खाद का कारखाना है, बरौनी कारखाना है, ये सब बन्द हैं, खराब चौपट हालत में हैं और इन पर एक्सपर्ट कमेटी की रिपोर्ट है...*(व्यवधान)*

सभापति महोदय: अब समाप्त कीजिए।

डा. रघुवंश प्रसाद सिंह: ग्रामीण विद्युतीकरण का पैसा नहीं गया, 40 करोड़ रुपया आर.ई.सी. ने मंजूर किया था, वह अभी तक नहीं गया। वहां विद्युतीकरण के बिना कैसे विकास होगा।

आज नौ लाख हेक्टेयर जमीन में जल भरा हुआ है। मोकामा में एक लाख हेक्टेयर जमीन में जल भराव है और गंगा, कोसी तथा गंडक नदियों के बेसिन वाले वाले एरिया में आठ लाख हेक्टेयर जमीन में जल भराव है। किसान परेशान हो रहा है। यहां सी.पी. ठाकुर जी बैठे हुए हैं। बिहार सरकार ने गंडक का फेज वन केन्द्र सरकार को भेजा है, लेकिन उस पर कोई ध्यान नहीं दिया गया। इसी तरह से कोसी फेज टू का क्या हुआ, कुछ पता नहीं है।

ये सारे सवाल ऐसे हैं जिन पर अगर विचार होगा तब क्षेत्रीय असंतुलन जो है, आर्थिक विषमता है, सामाजिक विषमता है, उसका समाधान हो सकता है। इसलिए मैं वित्त मंत्री जी से कहना चाहता हूं कि मेरे द्वारा उठाए इन चार बिंदुओं पर वे ध्यान दें और अपने जवाब में बताएं कि सरकार इनके बारे में क्या कर रही है। हम विपक्ष के लोगों में एक नहीं रहता, उधर के लोगों का भी कहना है कि सरकार को ठीक नहीं चल रही है, पूरी तैयारियां

[डा. रघुवंश प्रसाद सिंह]

हो गई हैं इस सरकार हटाने की और यह जरूरी भी है। हम लोग बड़े पैमाने पर आंन्दोलन करके इस सरकार को हटाने की तैयारी कर रहे हैं। वैकल्पिक व्यवस्था क्या होगी, इसका भी इंतजाम करेंगे। इसलिए सरकार निरंकुश न हो, गरीब विरोधी न हो, किसान विरोधी न हो। विनिवेश के जरिए देश को बेचने की तैयारी हो रही है। आप भी सभापति महोदय विनिवेश का विरोध करते हैं। माडर्न फूड इंडस्ट्री की 2000 करोड़ रु. की जमीन बेच दी। हमारा राष्ट्रीय झंडा आसमान में उड़ा करता था। उस एअर इंडिया को भी बेचने को यह सरकार उतारू है। इसलिए इनके खिलाफ हम आंदोलन करने वाले हैं। आंदोलन करके हम इनको मजा चखाएंगे और इस सरकार को हटा देंगे।

[अनुवाद]

डा. वी.वी. रमैया (एलूरू): सभापति महोदय, वित्त मंत्री ने अनुदान की अनुपूरक मांगें (सामान्य) पेश की है। ऐसा पहली बार नहीं हुआ है, यह एक रोज-मर्रा की बात है इसमें कोई नई बात नहीं है। बजट तैयार करने में कोई न कोई समस्या हमेशा होती है कहीं न कहीं कमी रह जाती है। इस बार अन्य विभागों की तुलना में खाद्य प्रसंस्करण विभाग, भारी उद्योग, विद्युत तथा जल-भूतल परिवहन विभागों की मांगें अधिक हैं, यह जो भी है आज हम अच्छे कार्यक्रम निर्माण, वित्तीय स्थिरता, बजट के घाटे में कमी करने का अधिकतम प्रयास और मुद्रा स्फीति को सीमित रखने की योजना बना रहे हैं। यह विषय का मुख्य हिस्सा है। हालांकि विषय केवल अनुदानों की अनुपूरक मांगें ही है, सामान्यतः ऐसे अवसर पर मैं बिल से जुड़े अन्य मदों पर कुछ अधिक बोलना चाहूंगा।

आज हम महसूस करते हैं कि आधारभूत सुविधाओं के लिए अनुदानों की अनुपूरक मांगें सर्वाधिक महत्वपूर्ण मदों में से एक है। और वित्त मंत्री को इसकी आवश्यकता को ध्यान में रखना चाहिए और यह सुनिश्चित करना चाहिए कि आधारभूत ढांचे को उच्च प्राथमिकता दी जाए। हम अनेक वर्षों से भरपूर प्रयास कर रहे हैं। मगर इसके बावजूद हम आधारभूत ढांचे का विकास नहीं कर पाय हैं जैसे-सडकें, विद्युत, पत्तन और अन्य आवश्यकताएं। ऐसा न होने के क्या कारण हैं। इस क्षेत्र में लोग निवेश क्यों नहीं कर पा रहे हैं। शायद इसका कारण कुछ बाधाएं हैं, जिन्हें दूर करने के लिए लम्बे समय तक कर रियायतों, वित्तीय समर्थन और केन्द्र तथा राज्यों से अतिरिक्त समर्थन की आवश्यकता है। ये सब केन्द्र और राज्यों के बीच परस्पर सहबद्ध हैं।

देखिए जल-भूतल परिवहन के मामले में क्या हुआ है। लोग आने को तैयार हैं मगर भूमि अर्जन एक समस्या है। अनेक अन्य मुद्दों को भी जल्द से जल्द सुलझाना होगा। ऐसी ही स्थिति विद्युत उत्पादन के मामले में है। हमने ऐसे मौके देखे हैं जब लोग विद्युत उत्पादन के क्षेत्र में निवेश करना चाहते हैं मगर उसके लिए हमें अनेक मुद्दों को सुलझाना है जिससे की विद्युत उत्पादन में अन्तर को कम करने के लिए इसे अधिक आकर्षित बनाया जाए।

किसी भी देश का विकास उसकी मूलभूत सुविधा के विकास पर निर्भर करता है। यदि पर्याप्त विद्युत आपूर्ति नहीं होगी तो उद्योग का विकास नहीं किया जा सकता। आज उद्योग और कृषि विद्युत पर निर्भर है, इसलिए मैं महसूस करता हूं कि माननीय वित्त मंत्री को इन महत्वपूर्ण क्षेत्रों में अधिक जोर देना होगा और हमारे आयात और निर्यात में तेजी लानी होगी। इसके लिए पत्तनों का आधुनिकीकरण करना होगा। सिंगापुर जैसा छोटा सा देश आज अपने पत्तनों के कारण बहुत तेज गति से आयात और निर्यात अधिक मांत्रा में कर सकता है। हमें भी अपने पत्तनों का आधुनिकीकरण अच्छे उपस्कर तथा अच्छे कम्प्यूट्रीकृत प्रचालन प्रणाली द्वारा किया जाना चाहिए। इसी के द्वारा ही हम अपने आयात एवं निर्यात में वृद्धि कर सकते है। मुझें विश्वास है कि माननीय वित्त मंत्री इन पहलूओं पर गौर करेंगे।

महोदय, हाल ही में हमने चर्चा की थी कि विभिन्न ग्रामीण विकास कार्यक्रमों के तहत निधियों का किस प्रकार उपयोग किया जा रहा है। ग्रामीण क्षेत्रों का विकास बहुत महत्वपूर्ण है जिस पर हम अब बहुत पैसा व्यय कर रहे हैं। इस संदर्भ में विभिन्न ग्रामीण विकास कार्यों के क्रियान्वयन विभिन्न कार्यक्रमों में से एम.पी.एल.ए.डी.एस. बहुत उपयोगी है। इस योजना के तहत वित्त मंत्रालय द्वारा जारी निधियों का उपयोग हम सिंचाई, उद्योग, शिक्षा या स्वास्थ्य सेवाओं में किए जाने वाले उपयोग की तुलना में बेहतर तरीके से कर सकते हैं। आज हम देखते हैं कि अच्छे नियंत्रण और उपयोग करने के बेहतर तरीके से ग्रामीण विकास के लिए हम निधियों का बेहतर उपयोग करने में सक्षम हैं। हम इन निधियों का अधिकतर उपयोग ग्रामीण विकास में कर रहे हैं इस योजना के लिए नियंत्रण की वर्तमान प्रक्रिया, भारत सरकार द्वारा किसी भी अन्य योजना हेतु जारी निधि, से बेहतर है। सब को इस योजना में दिलचस्पी है। और मुझे उम्मीद है कि इस योजना के तहत प्रत्येक सांसद को आवंटित राशि में वृद्धि करने के लिए हम माननीय प्रधान मंत्री को भी राजी कर लेंगे। अब राज्य सरकार प्रत्येक विधायक को अपने निर्वाचन क्षेत्र के विकास हेतु करीब एक करोड़ रुपये दे रही है। प्रत्येक सांसद के निर्वाचन क्षेत्र में सात विधान सभा क्षेत्र आते हैं। हम उतनी राशि की मांग नहीं कर रहे हैं हमारा निवेदन है कि वित्त मंत्री कम से कम वर्तमान राशि में कुछ वृद्धि करें।

महोदय, पहले सोच यह थी कि इस योजना के तहत राशि का उपयोग बहुत कम हुआ है और 1800 करोड़ रुपये अप्रयुक्त पड़े हैं इसका मुख्य कारण जिला आयुक्तों और केन्द्र के अधिकारियों के बीच उचित ताल-मेल नहीं था। अब हम उनके साथ अनेक

बैठकें कर रहे हैं जिससे कि आपसी ताल-मेल हो सके। हाल ही में हमने दक्षिण राज्यों के सभी जिला आयुक्तों, केन्द्र सरकार के अधिकारियों तथा सांसदों की बैठक आयोजित की और बैठक में हमने इस राशि के उपयोग में आने वाली बाधाओं को महसूस किया। अब हमने समुचित कार्रवाई करने के पश्चात छः महीने के भीतर 1844 करोड़ रुपये स्वीकृत किए हैं। अतः इस योजना के तहत ग्रामीण विकास के लिए राशि के इस्तेमाल की व्यापक संभावना है। मुझे उम्मीद है कि माननीय वित्त मंत्री इस योजना के तहत उपयोग हेतु अतिरिक्त निधियां प्रदान कर सकेंगे ।

महोदय, हमारे देश में जब-तब चक्रवात या सूखा जैसी प्राकृतिक आपदाएं आती हैं। इसलिए राष्ट्रीय आपदा राहत कोष के तहत आबंटन में व्यापक वृद्धि की जानी चाहिए क्योंकि हम हमेशा यही देखते हैं कि पर्याप्त निधि नहीं होती है और प्रभावित व्यक्तियों को पर्याप्त राहत नहीं मिल पाती है। एम.पी.एल.ए.डी. योजना के तहत निधियों का इस्तेमाल प्राकृतिक आपदा से प्रभावित लोगों को राहत उपलब्ध कराने के लिए भी किया गया था। हमने महसूस किया कि ऐसा करना जरूरी था। मुझे विश्वास है कि माननीय वित्त मंत्री इस योजना के तहत अधिक निधियां प्रदान कर सकेंगे।

महोदय, कृषि इस देश का आधार स्तम्भ है। हमारे देश की 70 प्रतिशत से भी अधिक आबादी ग्रामीण क्षेत्रों में रहती है और मुख्यतः कृषि पर निर्भर करती है इसके दो पहलू हैं। पहला यह कि हरित क्रांति के द्वारा हम चावल, गेहूं और चीनी के उत्पादन में वृद्धि कर सके हैं। दूसरी बात यह है कि हमारे इन उत्पादों हेतु पर्याप्त भण्डारण सुविधा नहीं है। बैंकों से पर्याप्त वित्तीय सहायता नहीं मिलती है जबकि डब्ल्यू.टी.ओ. मानदण्डों का पालन करने वाले अन्य देश अपने किसानों की सहायता करते हैं और वहां किसान अपने अतिरिक्त उत्पादन का निर्यात करते हैं ये देश विभिन्न मदों में व्यापक राजसहायता दे रहे हैं। उदाहरण के तौर पर हमारे देश में कुक्कुट उत्पादों में वृद्धि हुई है और इस उद्योग को पर्याप्त राजसहायता दी जानी चाहिए। मगर योजना आयोग इस या उस वजह से ऐसे उद्योगों को सहायता देने का इच्छुक नहीं है। मैं समझता हूं कि हम इस स्थिति में आ गए हैं कि हमारी जनसंख्या में वृद्धि के बावजूद हमें इनकी देख-भाल करनी होगी और जनसंख्या नियंत्रण के लिए हमें भारी राशि का निवेश करना होगा। जनसंख्या में वृद्धि के बावजूद हमने विभिन्न क्षेत्रों में उत्पादन में वृद्धि की है। इसके लिए सरकारी सहायता की आवश्यकता है। सरकार को अनेक अतिरिक्त सहायता देनी चाहिए जिससे कि देश और अधिक कमाई कर सके।

साफ्टवेयर प्रौद्योगिकी के मामले में भी यही बात लागू होती है। हमें केवल कम-लागत के आधार पर सॉफ्टवेयर प्रौद्योगिकी का उत्पादन करना चाहिए जिससे कि हमारे लोग इसे अन्य देशों में ले जाकर इनसे अधिक धन अर्जित कर सकें। मगर इन लोगों के लिए उपग्रह नियंत्रण प्रणाली तथा अन्य सुविधाओं की आवश्यकता है जिससे कि साफ्टवेयर प्रौद्योगिकी के द्वारा औद्योगिक विकास हो सके।

कुछ समय से हम विनिवेश की चर्चा कर रहे हैं। 1991 में आरंभ की गई विनिवेश नीति सही दिशा में जा रही है। पूर्व में हमने सरकारी क्षेत्र में 2,50,000 करोड़ रुपए का निवेश किया था जबकि कुछ क्षेत्रों में विनिवेश इतना अच्छा नहीं है।

घाटे के वित्त पर नियंत्रण रखने के लिए हमने आवश्यक उपाय किए हैं। हम जिस विनिवेश नीति का अनुसरण कर रहे हैं वह सही है। लेकिन आवश्यकता है पारदर्शिता और दक्ष लोगों की जो विनिवेश का सही उपयोग और अच्छा काम करने में सक्षम हो।

दूसरा काम जो हमें करना है वह है विनिवेश से प्राप्त होने वाले धन के उपयोग लिए एक समुचित-कार्यक्रम बनाया जाए और इसका सही दिशा में उपयोग में किया जाए मसलन स्वैच्छिक अवकाश योजना या चिकित्सा शिक्षा मद में। एक बार जब हम इन सब चीजों की योजना बना लेंगे तो निश्चय ही यह हमारे लिए अच्छा होगा। 10 वर्षों में हम 250000 करोड़ रुपये में से केवल 18000 करोड़ रुपये का विनिवेश कर सके हैं। इन दस वर्षों में यह बहुत ही थोड़ा है। जाहिर है हम इसके प्रति प्रतिबद्ध नहीं हैं हमें इस दिशा में ठोस प्रगति करनी है।

अब हम औद्योगिक रुग्णता के सवाल पर आते हैं। औद्योगिक रुग्णता के चलते वित्तीय संस्थानों या बैंकों में बहुत सारा पैसे फंसा पड़ा है। लघु उद्योग के क्षेत्र में संलग्न लोगों की समस्या से निपटने के लिए हमारे पास एकमात्र साधन बी आई एफ आर है।

सभापति महोदय: कृपया समाप्त करें।

डा. बी.बी. रमैया: महदोय, आपको मुझे समय देना चाहिए क्योंकि मुझे जो समय दिया जाना था उससे अधिक समय आपने लिया है। अब, आप यह नहीं कह सकते हैं कि मुझे समय नहीं मिलेगा।

अपराह्न 2.31 बजे

[डा. रघुवंश प्रसाद सिंह *पीठासीन हुए*]

बीआईएफआर सभी उपयोगों से निबटने के काबिल नहीं है। जिससे कि उद्योगों की रुग्णता से बचा जाए। मुझे विश्वास है कि

[डा. बी.बी. रमैया]

वित्त मंत्री कुछ ऐसा उपाय ढूंढ सकते हैं जिससे रुग्ण पड़े उद्योगों को एक दूसरे में विलय के माध्यम से फंसे पड़े पैसों, अनुप्रयुक्त औद्योगिक उपकरणों और अनुप्रयुक्त श्रमिक में यथासंभव कमी लाई जा सके।

कुछ ऐसे मद हैं जिन पर प्रतिबंध हैं। मैने डब्ल्यू.टी.ओ. का पहले भी उल्लेख किया है। डब्ल्यू.टी.ओ. ने हमें कई तरह की शक्तियां प्रदान की हैं। यदि आप इन शक्तियों का इस्तेमाल कर सकते हैं और शीघ्र निर्णय ले सकते हैं तो आप प्रत्यक्ष विदेशी निवेश लाने में सकल हो सकते हैं और एक ऐसे बोर्ड का गठन कर सकते हैं जहां आवेदनों का शीघ्र निपटारा किया जा सके। हमारे पास प्रत्यक्ष विदेशी निवेश होना चाहिए था। हमने अलग से एक बोर्ड बनाया है। जहां आवेदनों का शीघ्र निपटारा दिया जाए। यहां पर हमें विभिन्न उद्योग क्षेत्रों की भी पहचान करनी होगी। यहां तक कि कृषि उत्पादों के लिए भी आय 100 प्रतिशत का संरक्षी शुल्क रख सकते हैं। लेकिन यदि हम ऐसा नहीं करते हैं तो कभी-कभी हमें लघु उद्योग या भारी उद्योग या पेट्रो रसायन उद्योग या कृषि के क्षेत्र में कठिनाइयां आ सकती हैं। लोग भी यह सोचने लगेंगे कि हम जरूरत से ज्यादा उदारीकरण कर रहे हैं। उदारीकरण का मतलब है कि हम किस सीमा तक इस पर नियंत्रण रख सकते हैं। किन्तु प्रशुल्क संरक्षण एक कारण है जिसका प्रयोग हमें करना चाहिए। यदि हम ऐसा नहीं करते हैं तो इस देश के प्रति बड़ा अन्याय कर रहे हैं। इसमें डब्ल्यू.टी.ओ. (विश्व व्यापार संगठन) की गलती नहीं है अपने आय का इस्तेमाल नहीं करना एक कारण है जिस पर हमें विचार करना है।

पिछले सप्ताह रुपया-डालर प्रशुल्क पर एक लम्बी बहस हुई थी। यहां दो पहलू हैं। एक तो यह कि रुपया कमजोर है। आयात काफी महंगा हो चुका है। अत: हम आयात को निरुत्साहित कर रहे हैं हमें उत्पादन को बढ़ाना होगा। फिलहाल पेट्रोलियम मुख्य उत्पादन है ऊंची कीमत पर पेट्रोल और ऐसे ही अन्य चीजों के आयात से दाम बढ़ता जा रहा है। मैं समझता हूं कि इसी कारण से व्यापार शेष 4 बिलियन डालर से अधिक हो गया है। कम समय में हमारा निर्यात बढ़ा है किन्तु, ऊंचे दाम पर कच्चे तेल के आयात से व्यापार शेष बढ़ गया है। हमें मुद्रा स्फीति को स्थिर रखना होगा। जहां तक संभव हो सके इनमें से कुछ चीजों में कटौती करनी होगी आप उसके दाम बढ़ते ही एकदम से इन सभी चीजों के दाम नहीं बढ़ा सकते। भले ही यह बढ़ोत्तरी अस्थायी ही क्यों न हो और इसी कारण से हुई हो। लेकिन इन सभी कारणों में दिलचस्पी बहुत महत्वपूर्ण है।

जैसाकि मैंने पहले ही कहा है कि शिक्षा, चिकित्सा और कई ऐसी अन्य चीजे हैं। जिनमें से कुछ के बारे में माननीय वित्त मंत्री को ध्यान देना होगा। आवास क्षेत्र भी कुछ समस्याएं खड़ी करेगा। जो भी हो, पर मुझे उम्मीद है कि वित्त मंत्री मूलभूत समस्याओं में अधिक रुचि लेंगे उन्होंने अतिरिक्त पूरक अनुदान के रूप में एक छोटी राशि की जो बात कही है मैं उसका समर्थन करता हूं। विकास के लिए उन्हें अभी भी बहुत कुछ करना है। मैं आपका बहुत-बहुत आभार प्रकट करता हूं।

श्री प्रियरंजन दासमुंशी (रायगंज): सभापति महोदय, अनुदानों के लिए पूरक मांग पर बहस में भाग लेना एक बहुत ही परम्परागत विधान है लेकिन इससे देश के वित्तीय प्रबंधन का मूल्यांकन करने और सरकार के उस रुख को जिस दिशा में यह प्रयत्न कर रही है, समझने का मौका मिलता है।

सभापति महोदय, सही या गलत, आर्थिक सुधार की प्रक्रिया और इसके लिए किए गए दावों पर बहुत बहस हो चुकी है। और काफी प्रशंसा हो चुकी है। इसे दो दिशाओं में प्रक्षेपित किया गया है। अर्थात् एक बाहरी निवेश के रूप में और दूसरा घरेलू विनिवेश के रूप में मैं अभी विनिवेश पर कुछ नहीं कहने जा रहा हूं। मैं बाहरी निवेश की बात कर रहा हूं। 18 अगस्त को माननीय वित्त मंत्री द्वारा दिए गए जवाब से यह बात साफ है कि बाहरी निवेश के परिप्रेक्ष्य में। देश का आर्थिक परिदृश्य बहुत खराब है। सभा पटल पर खुद सरकार की ही वचन बद्धता से यह बात और भी साफ हो जाती है। सरकार इस मामले में स्पष्ट नहीं है कि कैसे वे अपने लक्ष्य को प्राप्त करेगी।

महोदय माननीय वित्त मंत्री ने अपने उत्तर में कहा है कि "एक नीति के अनुसार कुछ प्रतिवादात्मक क्षेत्रों के सिवाय सभी क्षेत्रों में विदेशी निवेश की अनुमति है और हमारी अर्थव्यवस्था पर विदेशी निवेश और उधार लेने का प्रभाव सीमित है जिसका पता इसी बात से चलता है कि निवेश की दर घरेलू बचत दर से थोड़ी सी ज्यादा है।"

उन्होंने आंकड़े भी दिए। वर्ष 1996-97 में बचत अनुपात 23.3 प्रतिशत था और निवेश का अनुपात 24.6 प्रतिशत था। 1997-98 में बचत अनुपात 24.7 प्रतिशत था जबकि निवेश का अनुपात 26.2 प्रतिशत था और वर्ष 1999 में बचत अनुपात 22.3 प्रतिशत था जबकि निवेश का अनुपात 23.4 प्रतिशत था। आगे उन्होंने कहा "राष्ट्रीय आय में विदेशी निवेश और अन्य स्रोतों से लिए गए उधार की भूमिका बहुत सीमित है। आठवीं योजना में बाहरी स्रोतों से लिए गए उधार सकल निवेश का मात्र 4.4 प्रतिशत थे।"

मै समझ सकता हूं क्योंकि वह आर्थिक सुधार का शुरुआती जमाना था और इसे तब भी स्पष्ट किया जाना था।

"शेष 95.6 प्रतिशत निवेश घरेलू स्रोत से है और नौवीं योजनावधि में बाहरी स्रोत से केवल 7.45 प्रतिशत का सकल निवेश में योगदान का अनुमान लगाया गया है।"

किन्तु, जैसाकि संकेत दिया गया है। इस वक्तव्य और विदेशी निवेश की वर्तमान अद्यतन स्थिति के प्रकाश में यह 7.45 प्रतिशत तक भी नहीं पहुंच सकता।

महोदय, यह आर्थिक हालात है आखिर देश में हो क्या रहा है। हमें इसकी समीक्षा करनी होगी। आपके आर्थिक सुधार कार्यक्रम और उस नीति जिसके लिए हम पूरी तरह से वचनबद्ध हैं प्रतिस्पर्धा के लिए सभी कंपनियों को आमंत्रित करना कोई बुरा नहीं है। मैं अपनी जवाब देही से मुकरना नहीं चाहता क्योंकि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने ही डा. मनमोहन सिंह के नेतृत्व में आर्थिक सुधार कार्यक्रम शुरू किए थे।

महोदय, मैं आपको दो बहुत ही महत्वपूर्ण उदाहरण दे सकता हूं और माननीय वित्त मंत्री को इन्हें स्वीकार करना होगा। सी.आई.आई. ने भी उनसे यही बात कही है विश्व में सीमेन्ट उद्योग की पांच विशालकाय कम्पनियां हैं। इनमें से मैं दो का उल्लेख करूंगा-एक लैफर्ड आफ फ्रांस और दूसरा ग्लबल आफ यूरोप। अब भारतीय सीमेन्ट की गुणवत्ता व क्षमता का जहां तक सवाल है तो सबसे पहले मैं इसकी गुणवत्ता की बात करूंगा। संयुक्त राज्य अमेरीका में इसकी गुणवत्ता की जांच की गई और इसे श्रेणी-1 की गुणवत्ता का पाया गया। मैं इस बात से सहमत हूं कि भारतीय सीमेन्ट उद्योग कई कारणों जैसे यथा परम्परागत संयंत्र और मशीनरी के होने, क्षमता संवर्धन संतोषजनक न होने, तथा निवेश व संस्थागत प्रतिष्ठान के आर्थिक व वित्तीय विधान के समतुल्य न होने से कमजोर पड़ रहा है। मैं इसकी तह में नहीं जा रहा हूं।

मैं एक उदाहरण देता हूं लैफर्ड नामक एक कंपनी भारत आई। इसने एक-एक कर सीमेन्ट इकाइयों को खरीदना शुरू कर दिया। अब सवाल है कि इसने किस पूँजी से इन्हें खरीदना शुरू किया। लैफर्ड कोई फ्रांस से पूँजी नहीं लाई थी। यह भारत आई और अपना नाम भुनाकर, यहां के बैंकों से ही ऋण लेकर एक-एक कर कम्पनियों को इसने खरीदना शुरू कर दिया। इसने कोई विदेशी निवेश से नहीं खरीदना शुरू कर दिया। इसने कोई विदेशी निवेश से नहीं खरीदा न ही निवेश किया, बल्कि हमारे ही सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों और वित्तीय संस्थानों के पैसों से किया। इसने हमारे ही मुद्रा भंडार से, हमारे ही नकद धन से और बैंकों के अर्जित संसाधन से धन लेना शुरू किया और इन सब कंपनियों को खरीदना शुरू किया।

अब वह अपने मन मुताबिक दामों में वृद्धि या कमी कर रही हैं, जबकि विदेशी निवेश के नाम पर कुछ भी नहीं है। क्या यही नीति है जिसको आप प्रोत्साहन दे रहे हैं? क्या यही नीति है जिसका आप अनुसरण कर रहे हैं? हमने अपना एक साम्राज्य कायम किया है। भले ही इसके हालात अच्छे न हो। कोई बाहर से आए और कहे "मैं इसके हालात को सुधारना चाहता हूं, आप मुझे कम ब्याज पर धन दें।" मैं इस पर बहस करने नहीं जा रहा हूं। मुख्य बात यह है कि वह हमारे बैंकों व वित्तीय संस्थानों से कह रहा है। कि इसे खरीदने के लिए वे उन्हें पैसा दें और वह डालर या करेंसी या किसी अन्य रूप से एक पैसा भी नहीं खर्च करेगा। मेरी परेशानी का यही कारण है। आपको इस संबंध में सी.आई.आई. से एक याचिका मिली है। मैं नहीं जानता कि सरकार ने इस पर क्या प्रतिक्रिया व्यक्त की है। मैं नहीं जानता कि सरकार का इस पर नियंत्रण है या नहीं; या सरकार सर्वोपरि है या वे कंपनियां।

सभापति महोदय, विनिवेश के मामले में मुझे ज्यादा कुछ नहीं कहना है। क्योंकि हमने इस पर काफी बहस की है हमारी पार्टी के नेता और विपक्ष की नेता श्रीमती सोनिया गांधी ने 18 अगस्त को लोक सभा के माननीय अध्यक्ष को एक पत्र लिखा था कि विनिवेश के मामले में संसद की एक स्थायी समिति का गठन किया जाना चाहिए। विनिवेश से संबंधी कोई भी प्रस्ताव जांच-पड़ताल व संतुलन के लिए इस समिति में आना चाहिए। कम से कम इतना भी जानने के लिए कि आखिर क्या हो रहा है। मुझे उम्मीद है कि सरकार इसके लिए एक निर्णय के साथ आगे आएगी। आप 1000 करोड़ रुपये प्राप्त करना चाहते थे। वित्त मंत्री जी, मैं कोई अंक नहीं गिन रहा हूं। भारत का एक नागरिक होने के नाते मैं इस बात से काफी खुश और निश्चित था कि विनिवेश विभाग वित्तीय मामलों से जुड़ा हुआ है। समस्त वित्तीय प्रसाशन की प्रत्येक क्षण जांच पड़ताल व संतुलन के लिए वित्त मंत्री और वित्त मंत्रालय ही जिम्मेवार होते थे। भारत जैसे विशाल देश में, जिसमें कई राज्य सरकारें हैं, इन सब चीजों की जांच पड़ताल व संतुलन बनाए रखने के लिए प्रमुख कर्ताधर्ता वित्त मंत्रालय ही है मैं नहीं जानता कि सरकार ने किस मजबूरी के तहत विनिवेश को वित्त मंत्रालय से बिलकुल अलग कर एक विनिवेश मंत्रालय बना दिया।

विनिवेश मंत्रालय क्या घोषणा कर रहा है इसका पता वित्त मंत्रालय को 48 घंटे अथवा एक सप्ताह बाद चलता है। सार्वजनिक रूप से अथवा तथाकथित राष्ट्रीय जनतान्त्रिक गठबंधन में कोई झगड़ा करने से पहले वे कहीं इकट्ठा होने का प्रयत्न करते हैं और संसद के बाहर ही मामले को सुलझाने का प्रयास करते हैं।

[श्री प्रियरंजन दासमुंशी]

अब, आपने यह घोषणा की है कि आपने विनिवेश के द्वारा 10,000 करोड़ रुपये इकट्ठा करने की योजना बनाई है। क्या आपने कभी अपनी नीति का खुलासा किया कि 10,000 करोड़ रुपये की यह राशि बजटीय घाटे को पूरा करने के लिए नहीं है बल्कि सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों तथा अन्य सामाजिक आधार भूत ढांचे को सुदृढ़ करने के लिए है, जिसके लिए आप अधिक विदेशी निवेश को आमन्त्रित करना चाहते हैं। नहीं। इसलिए वित्त मंत्री जी राष्ट्र आप के बारे में कल्पना कर रहा है। संसद आपके कार्यकरण की सहाशयता पर प्रश्न कर रहा है। क्या आप तेजी से विनिवेश कर रहे हैं? इन दिनों, आधुनिक विमान पत्तनों पर तीव्र गति से चैकिंग होती है— प्रवास और सभी चीजों की। मैं समझता हूँ कि आपका विनिवेश मंत्रालय तीव्र गति से कार्य करने वाला मंत्रालय है, जिसके साथ आप कदम मिलाकर नहीं चल सकते क्योंकि उचित सामंजस्य का अभाव है। आप तेजी से नहीं चल रहे हैं और आप एक आम पंक्ति में एक यात्री की भांति खड़े हैं और यह अनुभव करते हैं कि जब आपकी बारी आयेगी आप अपने पासपोर्ट के साथ चले जाएंगे। आपके विनिवेश मंत्री जी तीव्र गति से आगे बढ़ रहे हैं और जिस प्रकार से वह कार्य कर रहे हैं और चल रहे हैं उससे आप एक दिन यह पाएंगे कि आपके मंत्रालय का ही विनिवेश हो गया। वित्त मंत्री जी, आज आपको एक अवसर मिला है। इस सत्र के पश्चात् दो महीनों का अवकाश होगा। मैं नहीं जानता कि आप इन दो महीनों में क्या करने वाले हैं और इस बारे में संसद को भी पता नहीं चलेगा। राष्ट्रीय जनतान्त्रिक गठबंधन के घटक अपने मतदाताओं को अपने साथ रखने की प्रवृत्ति के कारण कुछ-न-कुछ कहेंगे—हैदराबाद से तेलुगु देशम पार्टी और उड़ीसा से बीजू जनता दल यह कहेंगे कि वे खुश नहीं हैं। अपने मतदाताओं को अपने विश्वास में लेकर कहेंगे कि उन्होंने ही शोर मचाया है। फिर, प्रधानमंत्री जी और राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन के अन्य घटकों की चाय पर बैठक बुलाएंगे और कहेंगे। 'देखो, देश की स्थिति गंभीर है। यदि आप मेरी बात नहीं सुनेंगे, कांग्रेस और अन्य हमारे विरुद्ध खड़े हो जाएंगे। कृपया आप शांत रहें' आप प्रायः यही करते आ रहे हैं। आप यह करे। यह मुद्दा नहीं है।

क्या आप आज सभा में वस्तुतः यह घोषणा करेंगे कि विनिवेश से प्राप्त धन आपके बजटीय घाटे को पूरा करने के लिए नहीं है तथा इसे भारत की संचित निधि में डालने के लिए आरक्षित नहीं किया जा रहा है अथवा ऐसी योजना नहीं बनाई जा रही है। अपितु इसका उपयोग निवेश के विभिन्न शीर्षों के अन्तर्गत किया जाएगा जिसके द्वारा सरकारी क्षेत्र के संगठन सुदृढ़ और विकसित किए जाएंगे? क्या आप यह घोषणा आज ही करेंगे यदि आप आज भी इसे स्पष्ट नहीं करते तो मैं समझता हूँ संसद को हर-एक अधिकार प्राप्त है और इसी कारण जहां तक देश के वित्तीय प्रबंधन का प्रश्न है, राष्ट्र को आपके कार्यकरण के संबंध में शंका करने का प्रत्येक अधिकार प्राप्त है। अतः मैं आपसे इस बात को स्पष्ट करने का आग्रह करूंगा।

पूँजी बाजार का दृश्य भी बहुत खराब है। वित्त मंत्री जी आपको बहुत सी शिकायतें प्राप्त हुई हैं। मैं इस मामले पर बोलना नहीं चाहता पूँजी बाजार और शेयर बाजार दोनों में, कुछ विदेशी संस्थागत निवेश और कैसिनों बोर्ड प्रवेश बाद में करते हैं और अपनी तरह से कार्य संचालन की योजना बना लेते हैं देश के छोटे, मझौले और स्वदेशी निवेशक मुझसे शिकायत कर रहे हैं कि इन कैसिनों बोर्डों में उनके लिए मुश्किल से कोई स्थान रहता है। यह आंतरिक परिदृश्य हैं। आप बेहतर जानते हैं आपका यह कार्य है। आप अच्छे ढंग से उत्तर दे सकते हैं। मैंने इस मुद्दे पर पहले भी बहुत चर्चा की है।

श्री रूपचन्द पाल जी ने कुछ वस्तुओं की चर्चा की है। न केवल जूट बल्कि अन्य वस्तुएं भी बुरी स्थिति में हैं। निःसन्देह, जूट आपकी पैकेजिंग नीति के कारण ही बहुत बुरी स्थिति में है। आप कहते हैं कि आप गरीब लोगो के हक में हैं। आप कहते हैं कि आप आम लोगों के हक में हैं। वित्त मंत्री जी, आप बिहार से हैं। आप जानते हैं, यदि जूट पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है तो बिहार के गांवों में कौन रोयेगा? उत्तरी बिहार के गांवों के लोग रोयेंगे क्योंकि उनमें से अधिकांश को आजीविका बंगाल की जूट मिलों से प्राप्त होती है। मुझे गर्व का अनुभव होता है कि बंगाली और बिहारी लोग जूट के माध्यम से ग्रामीण अर्थव्यवस्था और बंगाल अर्थव्यवस्था दोनों का पुनःउद्धार करने का संघर्ष करने के लिए मिलजुलकर रहते हैं। मैं सदैव गर्व का अनुभव करता हूं। होली के प्रत्येक पर्व पर मैं जूट मिल क्षेत्रों में देखता हूं कि हम इकट्ठे हैं और एक हैं। वित्त मंत्री जी, आप बिहार का प्रतिनिधित्व करते हैं। मैं नहीं जानता कि वस्त्र मंत्रालय और अन्य विभाग आपसे परामर्श करते हैं या नहीं। जूट की स्थिति खराब होती जा रही है। भगवान् हमें इस स्थिति से उबारे, इस पैकिंग आदेश के पश्चात् स्थिति बहुत खराब होने जा रही है। मैं जूट उत्पादक क्षेत्र का भी प्रतिनिधित्व करता हूँ। क्या हो रहा है मैं इसकी व्याख्या नहीं कर सकता क्योंकि आप गैरजिम्मेदार और नीति विहीन ढंग से कार्य कर रहे हैं।

चाय उद्योग की स्थिति भी खराब है। मुझे याद है जब मैं वाणिज्य मंत्रालय में चार वर्ष तक इस विभाग को देख रहा था, चाय उद्योग में सहसा तेजी आ गयी थी। भारतीय चाय उद्योग सुरक्षित, मजबूत और प्रभावी उद्योग था आज मैं आपकी नीति पर प्रश्न चिह्न नहीं लगा रहा हूँ क्योंकि गैट समझौते के पश्चात् हमने

अलग तरह से आयात और निर्यात नीति को स्वीकार कर लिया है। भारत के बाजारों को श्रीलंका की चाय से भर दिया है। भारतीय चाय उद्योग त्राहि-त्राहि कर रहा है। अतएव भारतीय गांवों में चाय जैसे सबसे सस्ते पेय की पूर्ति करने और इसका बड़ी मात्रा में निर्यात करने के लिए यही वह क्षेत्र हैं जहां भारत को अपनी पूरी शक्ति लगाने में गर्व की अनुभूति होनी चाहिए।

वित्त मंत्री जी, आप गरीबी उपशमन कार्यक्रम का विशिष्ट मूल्यांकन करते हैं। मै समझता हूं इस बात से कुछ लोग सहमत होंगे और कुछ लोग सहमत नहीं होंगे। गरीबी उपशमन और ग्रामीण विकास कार्यक्रम पंचायती राज द्वारा कार्यान्वित किए जाते हैं। मैं जानता हूँ आपके पास इसके लिए पर्याप्त सहायता नहीं है। तथाकथित गरीबों की सरकार होते हुए भी और इस बजट का स्वदेशी बजट होते हुए भी, आपने गरीबी उपशमन योजनाओं और कार्यक्रमों की सहायता राशि में भारी कमी करके इन पर कुठाराघात करने का प्रयत्न किया है। लेकिन मेरा मुद्दा यह नहीं है। मेरा मुद्दा उत्तरदायित्व से संबंधित है। आप राज्यों को धन देते हैं। राज्य जिलों को धन देते हैं। मैंने एक गैर-सरकारी संविधान (संशोधन) विधेयक प्रस्तुत किया था। वित्त मंत्री जी, अब समय आ गया है। यदि मैं वित्त मंत्री के रूप में आपको जिम्मेदार ठहराऊं और आप राज्यों के मुख्य मंत्रियों और वित्त मंत्रियों को जिम्मेदार ठहराएं, तो संविधान पंचायती राज के अधिकारियों को उनकी वित्तीय अनियमितताओं के लिए जिम्मेदार क्यों नहीं ठहराता? मैं उदाहरण दे सकता हूँ। मैं कोई राजनैतिक तथ्य स्थापित नहीं कर रहा हूं। आप पंचायती राज को जो पैसा देते हैं उसमें से आधा ग्रामीण माफिया लूट लेता है। यदि आप संविधान के उपबंधों को देखें, तो आप पायेंगे कि पंचायती राज अधिकारियों के लिए लेखा के परीक्षित विवरण देना कोई अनिवार्य उत्तरदायित्व नहीं है। एक भयंकर स्थिति चल रही है। मुझे यह मालूम है कि मेरे क्षेत्र में जो धन सड़कों और पेयजल के विकास के लिए दिया गया था, उसका तीन-चौथाई भाग लूट लिया गया था।

[हिन्दी]

गरीब लोगों के नाम से जाली दस्तखत करके, उनको बेबस कर दिया गया और उनके नाम पर कागजात जमा कर दिए। हम पार्लियामेंट के मैम्बर हैं, हमारी जिम्मेदारी है। आप मंत्री हैं। आपकी जिम्मेदारी है। मुख्य मंत्री की भी कानूनन जिम्मेदारी है, लेकिन जिला परिषद और पंचायत की कोई जिम्मेदारी कानून में नहीं दी गयी है। वे एकाउंट दें या नहीं दें, कोई वैधानिक दायित्व नहीं है। वे घपला करें, कुछ भी करें, कानूनन आप उनको नहीं पकड़ सकते।

[अनुवाद]

वहां कोई भी नहीं है। मैं प्रयत्न कर रहा हूँ। सरकार को संविधान में संशोधन अवश्य करना चाहिए। उत्तरदायित्व अवश्य होना चाहिए। यदि उत्तरदायित्व नहीं निर्धारित किया जाता तो भारत का ग्रामीण विकास का सारा सपना चकनाचूर हो जाएगा।

अब मैं पश्चिम बंगाल के सरकारी क्षेत्र की इकाइयों के महत्वपूर्ण विषय पर बोलूंगा। मैं यह देखता हूं कि आपने अपनी अनुपूरक मांग संख्या 13 में, रु.1 सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों के लिए 229.5 करोड़ रुपये प्राप्त किए, जिनमें से एक बंगाल की एम.ए.एम.सी. है।

[हिन्दी]

सर, आप हमेशा कहते रहे हैं कि इस पर चाहते हैं कि बहस हो। इसलिए मैं इस बारे में थोड़ा सा बोल रहा हूँ। कृपया मुझे समय दें।

[अनुवाद]

मुझे वह दिन याद है जब मैंने अपनी मां की गोद में पूर्वी पाकिस्तान में सब कुछ छोड़कर पूर्वी पाकिस्तान की सीमा को लांघकर बंगाल में कदम रखा था। हमने अपनी बहिन का सम्मान बचाने के लिए आधी रात को सीमा पार की थी। उस समय मैं बहुत छोटा था। एक मुसलमान परिवार ने हमारी रक्षा की और हमें भारत की ओर धकेल दिया। हम शरणार्थियों के रूप में भारत आये। उन दिनों डा. बी.सी. राय जैसे सशक्त मुख्य मंत्री थे जिन्होंने जवाहर लाल नेहरू से मुलाकात की और कहा कि पंजाब और बंगाल के लोग बंटवारे का शिकार हुए हैं जिन्होंने भारत आने के लिए अपनी सम्पत्ति छोड़ी और हर संभव तरीके से इन लोगों को सुरक्षा मिलनी चाहिए।

एक उद्योग स्थापित किया गया जिसका नाम था—पुनर्वास उद्योग निगम। इन समुदायों के लोगों को तत्काल रोजगार प्रदान करने और उन्हें समझने के लिए इसमें शामिल किया गया। बहुत से लोग लाभान्वित हुए।

इस सरकार को मैं विशेष रूप से माननीय मंत्री श्री तपन सिकदर को संबोधित कर रहा हूँ। एक निर्वाचन क्षेत्र से जनादेश प्रात है। क्या वह इस बात से इंकार कर सकते हैं उनके मतदाताओं की 90 प्रतिशत संख्या शरणार्थियों के रूप में बसे हुए पूर्वी पाकिस्तान के लोगों की है? उनमें से आधे लोग प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से आर.आई.सी. नामक संस्था से जुड़े हुए हैं। उन्होंने

[श्री प्रियरंजन दासमुंशी]

इस बात की चिन्ता ही नहीं की। उन्होंने इसे बंद कर दिया। इस संगठन को जिसे इंदिरा जी, राजीव जी और यहां तक कि श्री नरसिंह राव की सरकार तक संरक्षण मिला। वह उनको कह सकते थे, "देखो मुझे कई निवेशकों से प्रस्ताव प्राप्त हो रहे हैं, मुझे व्यापक प्रौद्योगिकी मिल रही है। तुम प्रतीक्षा करो, मैं आपको विभिन्न प्रस्ताव दूँगा" वह ऐसा कह सकते थे। लेकिन अब वे सड़क पर आ गये हैं।

मैं जानता हूं कि श्री तपन सिकदर को अपने निर्वाचन क्षेत्र में कितनी दुविधा पूर्ण स्थिति का सामना करना पड़ा। वस्तुत: वह सरकार का सदस्य होने के नाते नहीं बोल सकते। मैं उनकी ओर से बोल रहा हूं, उस संगठन का पुनर्वास करने, इसका पुनरुद्धार करने की बात कह रहा हूँ। मैं उनसे इसे बंद न करने के लिए कहूँगा।

दुर्गापुर की एम.ए.एम.सी. बंद कर दी गयी है। मैं यह जानना चाहता हूं कि बंगाल ने क्या गलत किया है। स्वतंत्रता संग्राम के दौरान हमने सबसे ज्यादा मूल्य चुकाया और सबसे ज्यादा बलिदान किया। अब सरकार बंगाल की सरकारी क्षेत्र की इकाईयों को एक के बाद एक बंद करती जा रही है। क्यों, मैं यह जानना चाहता हूं। क्या हमें यही मूल्य चुकाना होगा?

पिछले दिनों झारखंड बनने के पश्चात् बिहार रो रहा था। मैं रो रहा हूँ इसलिए नहीं कि मैं कांग्रेसी हूं मैं रो रहा हूं क्योंकि हमने 1967 से 1971 के बीच पश्चिम बंगाल में एक राष्ट्रवादी आंदोलन देखा था। मैं उन दिनों वहीं था। कई मित्र हमारे पास आये थे। हम जानते हैं। क्या चल रहा है उन दिनों में ऐसा नहीं किया जाता था। और आप पुन: प्रत्येक उद्योग को बंद किये जाने की सूचना भेज रहे हैं। नेशनल इंस्ट्रूमेन्ट्स रक्षा संबंधी उपकरण अत्याधुनिक उपकरण बनाती रही है। सरकार ने उन्हें चेतावनी दी और वे उन सभी लाभकारी कंपनियों में विनिवेश करने जा रहे हैं जो 'टाइम-फ्यूज' कंपनियां नहीं हैं।

अंतिम मुद्दा क्षेत्रवाद से संबंधित है। अब समय आ गया है कि सरकार इस संबंध में सोचे।

डा. नीतिश सेनगुप्ता: 'नेशनल इन्स्ट्रूमेन्टस' की संस्थापना डा. श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने की थी।

श्री प्रियरंजन दासमुंशी: मैं इस पर प्रश्न नहीं उठा रहा कि किसने उसकी स्थापना की। मैं यह कह रहा हूं कि भारत सरकार ने उसे हस्तगत किया। 'नेशनल इन्स्ट्रूमेन्ट्स' ने अत्याधुनिक उपकरण बनाएं...*(व्यवधान)* मैं उसकी ट्रेड यूनियन का 16 साल तक अध्यक्ष रहा। डा. श्यामा प्रसाद मुखर्जी बंगाल भर की ही धरोहर नहीं है। जैसे आप डा. श्यामा प्रसाद मुखर्जी पर गर्व करते हैं। मैं भी उन पर गर्व करता हूं? वह बंगाल के महान सपूत हैं। मैं उन पर गर्व करता हूं।

आप क्या कह रहे हैं? मैं समझ नहीं पा रहा कि आखिर क्यों आप यहां छोटी-छोटी बातें उठा रहे हैं।...*(व्यवधान)* वह उस समय पण्डित जवाहर लाल नेहरू की सरकार में केन्द्रीय मंत्री थे डा. सेनगुप्ता इतना तो मुझे पता है...*(व्यवधान)*

अब, मैं क्षेत्रीय असंतुलन पर आता हूं। उस दिन हमने तीन राज्यों का गठन किया। उस दिन मैंने माननीय वित्त मंत्री जी से कहा था, मैं आपसे फिर अपील करता हूं कि संसद का सत्रावसान होने के पश्चात् आप स्वयं ही, भारत के सपूत होने के नाते, एक पूर्व सरकारी अधिकारी होने के नाते और देश के समर्पित और प्रतिबद्ध मंत्री होने के नाते, कृपया योजना मंत्री के साथ एक अध्ययन करवाइए कि भारत के वे कौन से क्षेत्र है जहां आर्थिक असंतुलन खतरनाक स्थिति तक पहुंच गया है। मैं बिहार की बात नहीं कर रहा हूं। उस पर यहां चर्चा हो चुकी है। मैं उत्तरी बंगाल की बात कर रहा हूं। आप नहीं जानते कि नेपाल और बंगाला देश की सीमा से हथियार आ रहे हैं। सबसे शांतिप्रिय एक अनुसूचित जाति के समुदाय—राजबंगशी समुदाय—के एक वर्ग ने बंदूक उठा ली है। ये बंदूकें भूटान से आ रही हैं। उन्होंने हत्याये करना शुरू कर दिया है। पूरे उत्तरी बंगाल का हुलिया यदि आप एक दिन देंखे—आप अपने योजना आयोग के लोगों के साथ आधा घण्टा दीजिए—बिगड़ गया है।

बंगाल के दूसरे भागों में विकास की गति इतनी धीमी है कि आप कल्पना भी नहीं कर सकते। बंगाल का मतलब उस बंगाली जनता भर से नहीं है जो दुर्गापुर और हल्दिया में रहती है। हिमालय के तलवर्ती प्रांत से ही यह लगा हुआ है। तीस्ता नहर का काम, जिससे दस वर्ष पूर्व ही हो जाना था अभी तक पूरा नहीं हुआ है। हम कहां जाएं? हम सिंचाई के लिए पानी कहां से लाएँ?

महोदय, मुझे योजना और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय से एक रिपोर्ट मिली है। श्रीमान वित्त मंत्री जी क्या आप ऐसी स्थिति की कल्पना भी कर सकेंगे? सी.पी.आई. (एम) के मेरे मित्रों को बुरा नहीं लगना चाहिए। यह विकास का मामला है। शिक्षा के लिए रखी गई 600 करोड़ रु. की धनराशि का पिछले 20 वर्षों से उपयोग ही नहीं हुआ है और बाढ़-प्रबंधन के लिए 185 करोड़ रु. का उपयोग नहीं किया गया है। पश्चिम बंगाल को काफी हिस्सा मिला था। सड़क-आधार संरचना के लिए रखी गयी 216 करोड़ रु. की राशि का उपयोग नहीं किया गया है और

अधिक विस्मय की बात तो यह है कि जलपाईगुड़ी, कूचविहार, दिनाजपुर और मालदा क्षेत्र बाढ़ की चपेट में हैं। इसकी भारत सरकार को औपचारिक सूचना नहीं दी गई है। ऐसा आपके मंत्री ने जवाब दिया। आश्चर्यजनक स्थिति है। मेरा दायित्व बनता है कि उसे आपकी जानकारी में लाऊं। मैंने माननीय प्रधान मंत्री से एक श्वेत-पत्र प्रकाशित कराने की मांग की थी। मैंने पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री से भी अनुरोध किया था और आपसे भी करता हूं कि तत्काल इस स्थिति का आकलन करायें। मैं किसी संघर्ष के लिए नहीं कह रहा हूं। किसी आंदोलन के लिए नहीं कह रहा, पृथक्करण की बात नहीं कर रहा, मैं ऐसा कुछ भी नहीं चाह रहा, जिससे राष्ट्र की एकता को क्षति पहुंचे, मैं आपको एक संकेत भर दे रहा हूं। कृपया मेरा विश्वास कीजिए कि वहां एक गंभीर और विस्फोटक स्थिति बन रही है। मैं नहीं जानता कि अक्टूबर और नवम्बर में क्या होगा। अतएव, उत्तरी बंगाल के मुद्दे पर मेरी आपसे यह प्रार्थना है कि नौवीं पंचवर्षीय योजना के अन्त में इस योजना-दस्तावेज में क्षेत्रीय आर्थिक असंतुलन को कैसे सुधारा जाए-यह समझाने का प्रयास कीजिए।

महोदय, पूरे पूर्वोत्तर क्षेत्र का मुख्य यातायात माध्यम है—उत्तरी बंगाल का राजमार्ग क्रमांक 34 यदि उत्तरी बंगाल को सड़क मानचित्र से हटा लिया जाए, तो पूर्वोत्तर, सिक्किम, भूटान और नेपाल, सीमा की स्थिति विषम हो जाएगी। एक महीने पहले तक मैं चिन्तित नहीं था अब, कई लोग मुझसे पूछते हैं कि पिछले महीने भर से मैं इतनी चिन्ता क्यों कर रहा हूं। यह इसलिए क्योंकि मुझे लग रहा है कि यदि लोकतंत्र की आवाज का सम्मान नहीं किया जाएगा और उसका प्रत्युत्तर नहीं मिलेगा तो केवल बंदूक का राज चलेगा। वह लोकतंत्र का अंतिम दिन होगा। अतएव लोकतंत्र की आवाज बुलन्द करने के लिए, न कि किसी पार्टी विशेष के बतौर, मैं आपसे आर्थिक असंतुलन के मुद्दे पर पुनर्विचार करने की अपील करता हूं। मैं किसी पर आरोप नहीं लगा रहा हूं।

महोदय, आपके माध्यम से मैं पश्चिम बंगाल की सरकार से भी अनुरोध करूंगा कि यदि वे निष्ठावान और सत्यनिष्ठ हैं, तो उन्हें भी एक श्वेत-पत्र प्रकाशित करना चाहिए। उत्तरी बंगाल के संसाधन छिन रहे हैं। यह एक ऐसा क्षेत्र है, जहां आपको राजनीति नहीं चलानी चाहिए। चूंकि श्री प्रियरंजन दासमुंशी उत्तरी बंगाल के हैं। अत: आपको उनकी बात नहीं सुननी चाहिए। यह राजनीति है और आप उनकी नहीं सुनते। मैं चला जा सकता हूं, लेकिन फिर जब संसद इस मुद्दे पर चर्चा कर रही होगी तो वहां से केवल बंदूक की आवाज आएगी। अत:, कृपया लोकतंत्र की आवाज का मान रखिए और जो आपसे बन पड़े कीजिए।

अंत में, अपने भाषण को समाप्त करते हुए, मैं माननीय वित्त मंत्री जी से केवल चार बातों के लिए अनुरोध करूंगा। कृपया विनिवेश के लिए एकत्रित धनराशि के संबंध में और इसके लिए कि क्या वह घाटे की पूर्ति के लिए पर्याप्त है, अपनी नीति की रूपरेखा तय कीजिए। कृपया संसद की अंतर सत्रावधि में अपने लक्ष्य को तय कीजिए कि क्या आपके पास वृहत पैमाने पर विनिवेश के लिए कोई ऐसी योजना है। जिसे अभी तक संसद की जानकारी में न लाया गया हो।

अपराह्न 3.00 बजे

कम से कम हमें पता तो हो कि हमारा भाग्य मुहरबंद कर दिया जा रहा है और कोई भी ऐरा-गैरा आकर देश में लूटमार करेगा। तीसरी बात, श्रीमान् वित्त मंत्री जी, बहु राष्ट्रीय कंपनियों लाफार्ज, से लेकर किसी को भी, यह सलाह दीजिए कि वे भारत आएं, नियमों के अधीन रहकर जो चाहे करें लेकिन आपको निवेश लेकर आना है, ऐसा नहीं कि आप बैंक से हमारा ही धन उठाएं, निवेश करें और उस व्यापार पर काबिज हो जाएं, जिसे हमने अपनी मेहनत से लगाया है।

इन्हीं शब्दों के साथ, मैं अपनी बात समाप्त करता हूं और वित्त मंत्री से उनके उत्तर देते समय, इस दिशा में सकारात्मक प्रतिक्रिया व्यक्त करने का अनुरोध करता हूं।

श्री विक्रम केशरी देव (कालाहांडी): महोदय, मैं वर्ष 2000-01 के लिए 2,536.66 करोड़ रु. की पूरक अनुदान-मांगों का समर्थन करने के लिए खड़ा हुआ हूं। महोदय, आप देखेंगे कि सभा के समक्ष 27 मांगें हैं और इन कागजों में उल्लिखित सबसे महत्वपूर्ण मागें है: कृषि संबंधी मांगें, जिनकी धनराशि 410 करोड़ रु. है, 340.85 करोड़ रु. की भारी उद्योग और लोक उद्यम मंत्रालय की मांगें, जल-भूतल परिवहन मंत्रालय की 990 करोड़ रु. मांगें, और विद्युत मंत्रालय की मांगें, जिनमें 460 करोड़ रु. की धनराशि की बात की गई है। तो, ये वे प्रमुख मांगें हैं। जिन पर सरकार सभा में प्रस्तुत किए जाने वाले अगले बजट तक के दौरान खर्च करना चाहती है।

अब मैं कुछ बातों पर जोर देना चाहूंगा, प्रथमत: देश के भविष्य के लिए सरकार की नीतियों के संबंध में। महोदय, जैसा कि आप जानते ही हैं, यह सरकार सर्वप्रथम 1998 में सत्ता में आई। फिर संसद को भंग कर दिया गया और 1999 में इस सरकार को पुन: सत्तासीन होने का जनादेश मिला। हमें पूर्ववर्ती सरकारों से, जिन्होंने इस क्षेत्र का राजकाज चलाया, जो विरासत मिली—वह थी देश की खाली तिजोरियां। अत: हमें सब कुछ व्यवस्थित करने में कुछ न्यूनतम समय तो लगेगा ही।

[श्री बिक्रम केशरी देव]

महोदय, यदि आप विनिवेश नीति को देखें या देश में सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों की स्थिति को देखें, तो आप पायेंगे कि सरकारी क्षेत्र द्वारा संचालित बहुतेरे उद्योग, जिनमें कुछेक 'नवरत्न' भी शामिल हैं, रुग्ण हो गए हैं। अतएव, यही समय है कि विश्व-बाजार के साथ प्रतियोगिता करने के लिए, हमारी अर्थव्यवस्था को सुकर बनाने के लिए और हमारे वित्त के सौकार्य के लिए, विनिवेश का यह बड़ा कदम उठाया जाए और यह देखने के लिए अलग से एक विनिवेश विभाग भी बनाया जाए कि देश में ठप्प पड़े उद्योग भी कार्य शुरू कर दें। आज, वे काम नहीं कर रहे हैं। उनकी आस्तियां बेकार हैं और पड़ी-पड़ी खराब हो रही हैं। अत:, इन परिसंपत्तियों में विनिवेश के माध्यम से कुछ जान लाई जाने की आवश्यकता है जिससे वे राष्ट्र की संपदा में बढ़ोत्तरी करें। तो विनिवेश विभाग सृजित करने का सरकार का यह कदम हमारे देश की अर्थव्यवस्था सुधारने में निश्चित रूप से महती भूमिका निभाएगा।

इसके बाद, महोदय, मैं पिछले वर्ष के रिसर्जेंट बाण्डस की बात करना चाहूंगा, जिन्होंने हमारे भण्डार की वृद्धि में अत्यधिक योगदान किया है। उनके कारण हमारा विदेशी-मुद्रा भण्डार बढ़ा है। इस सबको देखकर कहा जा सकता है कि हम सही दिशा में जा रहे हैं। इसके अलावा, जब प्रधान मंत्री जी ने 1998 में लाल किले की प्राचीर से भाषण किया, तो उन्होंने देश में उत्पन्न क्षेत्रीय असंतुलनों का उल्लेख किया था। उन्होंने के.बी.के.—जिलों की बात की थी। यह उड़ीसा का एक ऐसा जिला—क्षेत्र है, जो देश के सर्वाधिक पिछड़े जिलों में से एक है।

सरकार ने के.बी.के.—कार्यक्रम को आगे बढ़ाया है। जिससे उन क्षेत्रों में गरीबी कम होगी और लोगों की स्थिति सुधरेगी। न सिर्फ के.बी.के— क्षेत्र में बल्कि देश के अन्य भागों जैसे बुंदेलखण्ड तथा उत्तर प्रदेश के कुछ स्थानों, और देश के विभिन्न क्षेत्रों के विभिन्न स्थानों में, जहां क्षेत्रीय असंतुलन महसूस किया जा रहा है— ऐसी ही स्थिति है। हमारी सरकार लोगों की असुविधाओं को पूरा करने के प्रति गंभीर है। यही कारण है कि आप देखेंगे कि पूरक बजट में ही, मांग सं. 1 में एक अनुमान है। जो कृषि से संबंधित है— जहां सरकार ने कृषि-क्षेत्र की आवश्यकताओं पर बल देने का प्रयास किया है। विशेषकर सूत-प्रौद्योगिकीय मिशनों पर जो किसानों की आर्थिक स्थिति सुदृढ़ कर सकते हैं और उन्हें आत्म-निर्भर बना सकते हैं। साथ ही उसकी स्थिति में भी सुधार ला सकते हैं। और तब आप यह भी देखेंगे कि बंजर-भूमि विकास के संबंध में मांग सं. 71 जो भूमि-संसाधनों से संबंधित है, यह स्पष्ट रूप से उल्लिखित है कि 1.90 करोड़ रु. पश्चिमी उड़ीसा की ग्रामीण-आजीविका परियोजनाओं के लिए रखे गए हैं। सरकार हमारे देश में गरीबी कम करने के लिए काफी सोच-विचार कर रही है। लेकिन, साथ ही, मैं इस बात पर जोर दूंगा कि इसकी मशीनरी में भी सुधार लाया जाना चाहिए और प्रमुखत:, राज्य सरकारों, जो इन परियोजनाओं का कार्यपालन करेंगी चूंकि ये राज्य सूची में आती है को इन परियोजनाओं को इमानदारी से लागू करना होगा।

मैं आपको उड़ीसा का उदाहरण देना चाहूंगा। उड़ीसा में, हमें एक ऐसी सरकार मिली थी, जिसने 1000, दिनों में, 1000 उद्योगों की स्थापना का वायदा किया था। लेकिन, आप आज सुनकर हैरान होंगे। मैं चैम्बर, आफ कामर्स, की रिपोर्ट का केवल उद्धरण ले रहा हूं।

यह बताया गया है कि लगभग दस वर्ष पूर्व उड़ीसा के उद्योगों में 57 प्रतिशत बिजली की खपत होती थी। लेकिन आज उड़ीसा के उद्योगों द्वारा केवल 11 प्रतिशत ही बिजली की खपत की जाती है इससे आप स्वयं अंदाजा लगा सकते हैं। कांग्रेस पार्टी ने हाल तक उड़ीसा में शासन की बागडोर संभाली है। आज उड़ीसा ने 17,000 करोड़ रुपये के ऋणों की अदायगी करनी है। प्रत्येक वर्ष हमें 2000 करोड़ रुपये का भुगतान करना पड़ता है। इस बीच, उड़ीसा में आए महाचक्रवात ने हमारे तटों को नष्ट भ्रष्ट कर दिया है और इससे 14 जिले प्रभावित हुए हैं। इसके परिणामस्वरूप संसाधनों को काफी नुकसान हुआ है।

कृषि और जीविकोपार्जन के सभी साधन पूरी तरह से समाप्त हो गए। मैं इस सम्माननीय सभा और माननीय वित्त मंत्री जो इस समय सभा में उपस्थित हैं, से अनुरोध करता हूं कि आप राज्य के इस ऋण को माफ करने की कृपा करें और दूसरे उड़ीसा सरकार को जिस 200 करोड़ रुपये के ऋण का बोझ प्रतिवर्ष वहन करना पड़ रहा है उसे पुन: निर्धारित किया जाए ताकि हम विकास की गति पुन: पा सकें। उड़ीसा की इस समय यही स्थिति है।

हमारे देश को जिस एक और भी समस्या का सामना आज करना पड़ रहा है। वह विरासत है जो हमें कांग्रेस से मिली है और वह आतंकवाद है। आप देखेंगे कि देश के प्रत्येक भाग में और विशेषरूप से कश्मीर में आतंकवाद दिन-प्रतिदिन बढ़ रहा है। यह ऐसा क्षेत्र है जहां से धन और निवेश का पलायन हो रहा है। हमारी सरकार ने आतंकवादियों को शांति वार्ता के लिए कई प्रोत्साहनों की पेशकश की है। हमारी सरकार पाकिस्तान से बातचीत करना चाहती है हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी लाहौर गए। तत्पश्चात् हम पाकिस्तान से बातचीत करना चाहते थे और हम हिजबूल मुजाहिद्दीन से भी शांति वार्ता करना चाहते थे। लेकिन यह संभव नहीं हुआ। इसके कारण भी बड़े पैमाने पर हमारे संसाधनों का पलायन हो रहा है।

श्री पवन कुमार बंसल (चंडीगढ़): उन्होंने तुम्हारे मुंह पर थप्पड़ मारा है।...*(व्यवधान)*

श्री बिक्रम केशरी देव: महोदय, आप यह नहीं कह सकते कि हमारी सरकार कोई प्रयास नहीं कर रही है। हमारी सरकार देश में शांति और अमन लाने के लिए सभी दिशाओं से प्रयास कर रही है।

इससे पहले कि मैं अपनी बात समाप्त करूं, मैं अन्त में एक और पूरक मांग, जो ग्रामीण विद्युतीकरण कार्यक्रम के बारे में है कुछ कहना चाहूंगा। आप यह देखेंगे कि अधिकांश राज्यों में बिजली बोर्डों की हालत कुप्रबंधन और खराब नीतियों के कारण खस्ता हो गई है।

लेकिन आज सरकार ने पूरक मांगों में जनजातीय और हरिजन बस्तियों में विद्युतीकरण के संबंध में चिन्ता व्यक्त की है और इस प्रयोजन के लिए 160 करोड़ रुपये का प्रावधान किया है।

इससे पहले कि मैं अपनी बात समाप्त करूं मैं पंचायती राज प्रणाली के बारे में भी कुछ कहना चाहूंगा मुझे यह कहते हुए खेद हो रहा है कि माननीय सभापति जब वे अपने गैर-सरकारी सदस्य विधेयक में पंचायती राज प्रणाली को सुदृढ़ करने के बारे में बोल रहे थे उन्होंने उल्लेख किया था कि अनेक राज्यों में कोई पंचायती राज प्रणाली लागू नहीं है। मैं अनुरोध करता हूं कि जिन राज्यों में पंचायती राज प्रणाली मौजूद नहीं है वहां पंचायती चुनाव कराए जाए और जिला परिषदों और पंचायती राज संस्थाओं को और अधिक शक्तियां प्रदान की जायें और शक्तियों का विकेन्द्रीकरण किया जाए क्योंकि यह संविधान के 73वें और 74वें संशोधनों का उद्देश्य है लेकिन इस कार्य को राज्य सरकारें पूरी निष्ठा से नहीं कर रही हैं। अत: केन्द्रीय सरकार को इसमें हस्तक्षेप करना चाहिए और यह सुनिश्चित करना चाहिए कि इसका उपयुक्त रूप से कार्यान्वयन किया जाए।

इससे पहले कि मैं अपनी बात समाप्त करूं, मैं उड़ीसा और विशेषरूप से कालाहांडी, बोलनगीर और कोरापुट क्षेत्रों के बारे में उल्लेख करना चाहूंगा। कालाहांडी, बोलनगीर और कोरापुट जिलों के लिए वर्ष 1989-90 से 2006-2007 तक की अवधि के लिए दीर्घकालिक कार्यक्रम को कियान्वित करने संबंधी एक संशोधित कार्य योजना तैयारी की गई है। केन्द्र सरकार द्वारा इन क्षेत्रों के लिए उक्त कार्य योजना शुरू की गई थी लेकिन योजना आयोग में उसे अनुसमर्पित तथा स्वीकृत नहीं किया। अत: मैं माननीय वित्त मंत्री से अनुरोध करूंगा कि इसे संशोधित किया जाए ताकि, इन क्षेत्रों से गरीबी, भुखमरी, उत्प्रवास और सूखे की समस्या को हमेशा के लिए दूर किया जा सके।

इन शब्दों के साथ मैं अपनी बात समाप्त करता हूं। धन्यवाद।

[हिन्दी]

सभापति महोदय: भाषण संक्षेप में ज्यादा जमता है और लिस्ट भी बहुत लम्बी है इसलिए पांच-पांच मिनट में सब कन्कलूड कर दें तो अच्छा रहेगा।

[अनुवाद]

श्री सुदीप बंद्योपाध्याय (कलकत्ता उत्तर पश्चिम): महोदय, क्या आप इस प्वाइन्ट से संतुष्ट है, ...*(व्यवधान)*

श्री सी.पी. राधाकृष्णन (कोयम्बटूर): सभापति महोदय, के पास अब कोई विकल्प नहीं है।...*(व्यवधान)*

[हिन्दी]

श्री तिलकधारी प्रसाद सिंह (कोडरमा): सभापति महोदय, यह जो अनुदान की मांगों पर चर्चा हो रही है, मैं उस पर बोलने के लिए खड़ा हुआ हूं। बहुत से डिपार्टमेंट्स की डिमांड्स हैं लेकिन मैं समय के अभाव के कारण केवल कृषि और सहकारिता विभाग के बारे में ही कहना चाहता हूं। अभी एक माननीय सदस्य ने विस्तार से चर्चा की। अभी हाल ही में चर्चा हुई बिहार दो राज्यों में बंटा और झारखंड राज्य अलग हुआ।

महोदय, मैं वित्त मंत्री जी को धन्यवाद देता हूं, वह मेरे बगल के क्षेत्र से आते हैं। वे हमारी समस्याओं को जानते हैं, नवगठित झारखंड राज्य नवगठित राज्य के किसानों के लिए एक मात्र सिंचाई की व्यवस्था अगर है तो वह बड़ी व्यास कूप की है। मंत्री जी इस पर गंभीरता से सोचें। इसके साथ ही अगर छोटा नागपुर, झारखंड राज्य में छोट-छोटी पहाड़ियों के बीच में जोड दें तो पानी लिफ्ट करके किसानों को सुविधाएं दी जा सकती हैं। इन सब बिन्दुओं पर गंभीरता से विचार करना चाहिए। दूसरा, मैं सहकारिता के बारे में कहना चाहता हूं मैं केन्द्र सरकार से कहना चाहूगा क्योंकि बार-बार पिछली सरकारों ने कहा कि जिन्होंने दस हजार तक सहकारिता ऋण लिए हैं, उनके ऋण माफ कर दिए जाएंगे। किसान इस उम्मीद पर हैं कि उसका ऋण माफ हो जाएगा। लेकिन वह माफ नहीं हो रहा है और उसे कई गुना सूद के साथ देना पड़ रहा है। सरकार को इस पर सोचना चाहिए, जो पूर्व के वित्त मंत्रियों ने घोषणा की उस पर विचार करके किसानों को राहत दें। अभी पिछले दिनों बाढ़ पर चर्चा हुई, परन्तु नवगठित झारखंड राज्य का सौभाग्य है कि बाढ़ पर चर्चा होने की नौबत नहीं आती है।

बिहार वहां कहीं बाढ़ और कहीं सुखाड़ की समस्या उत्पन्न हो रही है। खेती का पूरा समय खत्म हो गया है। मैं जिस क्षेत्र से चुन कर आया हूं कोडरमा लोक सभा क्षेत्र उसके पास वित्त मंत्री का क्षेत्र है। झारखंड क्षेत्र में पानी के अभाव में धान की रोपाई पूरी नहीं हो सकी। जो रोपा गया, वह सूख गया और सूख रहा है। वित्त मंत्री इस पर ध्यान दें जिससे किसानों को इससे राहत मिल सके। उस दोनों को सुखाड़ क्षेत्र घोषित किया जाए।

[श्री तिलकधारी प्रसाद सिंह]

अब मैं ग्रामीण विकास मंत्रालय की तरफ आपका ध्यान दिलाना चाहता हूं। ग्रामीण विकास की योजनाएं यहां से चलीं लेकिन वह पूरी तरह फेल हो गईं। सुनिश्चित रोजगार योजना और इंदिरा आवास योजना बनाई गई। ग्रामीण विकास मंत्रालय ने लिखा कि सुनिश्चित रोजगार योजना और इंदिरा आवास योजना में ग्राम सभा को पूरा अधिकार होगा और वह लाभार्थियों का चयन करेगी और उसका क्रियान्वयन करेगी। ग्राम समृद्धि योजना में कहा गया है कि यदि 50 हजार रुपये से अधिक की स्कीम होगी तो ग्राम सभा उसे तय नहीं करेगी, चयन नहीं करेगी। उसे जिला प्रशासन तय करेगा। ऐसा पेच लगा कर ठीक नहीं किया। अब सभी अधिकारी इसी कोशिश में रहते हैं कि पचास हजार रुपये से अधिक की स्कीम बनाई जाए जिससे ग्राम सभा के पास पावर न रहे। इसमें विभाग को सुधार करना चाहिए। सुनिश्चित रोजगार योजना के बारे में बिहार सरकार के सैक्रेटरी ने एक पत्र लिखा है कि जब तक बिहार में जिला परिषद का चुनाव नहीं होता है। तब तक परमंडलीय आयुक्त की अध्यक्षता में सुनिश्चित ग्रामीण योजना का चयन होगा। यदि वहां जिला परिषद के चुनाव नहीं हुए हैं तो उस क्षेत्र के लोक सभा सदस्य की अध्यक्षता में एक समिति गठित की जाए जो इसका चयन करे। मैंने इस बारे में विभाग को लिखा और बात भी की लेकिन तीन-चार महीने हो गए, इस पर कोई विचार नहीं किया गया।

अब मैं विद्युत के बारे में कुछ कहना चाहता हूं। दस वर्ष पहले आर.ई.सी. की तरफ से बिजली क्षेत्र में जो काम हुआ वह सब फेल रहा। इसमें पैसा ठीक से नहीं लगाया गया। आप इसके लिए रुपया दीजिए। छोटा नागपुर में बिजली की व्यवस्था पूर्णत: फेल है। आप उसे सुधारें। भूतल विभाग के बारे में भी निवेदन करना चाहता हूं। मैंने परसों भूतल राज्य मंत्री हुकम देव नारायण यादव जी से इस बारे में बात की थी। डुमरी से बरही 70 किलोमीटर लम्बी जी.टी. रोड है। उसे क्रास करने में 5-6 घंटे लगते हैं। वह रोड बहुत खराब है। मंत्री जी ने कहा था कि इस पर चल रहा काम 2002 तक पूरा हो जाएगा। 70 किलोमीटर लम्बी रोड जो खराब स्थिति में है, उसे सुधारने की कोशिश की जाए। मैं वित्त मंत्री से आग्रह करना चाहता हूं कि जब आप वहां एस.डी.ओ. थे तो बहुत सी योजनाएं बनाई थी लेकिन बहुत सी योजनाएं अधूरी जैसे पड़ी हैं। उन योजनाओं को पूरा करने के लिए पता नहीं मांग की गई है या नहीं? आप उन योजनाओं को पूरा कराने की व्यवस्था करिए।

हमारे यहां दलित आदिवासी बहुत हैं। वहां के आदिवासियों के लिए सब-प्लान, माडा योजना बनी थी। उसके लिए रखा गया पूरा पैसा खर्च नहीं हो रहा है। यदि उसके लिए रुपया दिया गया है तो खर्च क्यों नहीं हो रहा है। अब झारखंड राज्य बनने जा रहा है लेकिन बंटवारा होने में समय लगेगा और विभिन्न विभागों को बांटने में भी समय लगेगा। जब तक झारखंड राज्य क्षेत्र के बारे में सब चीजें तय नहीं हो जाती, आप रुपया रोकें नहीं।

आप रुपया रिलीज कर दें। बिहार में चुनाव के दौरान 800 करोड़ रुपया खर्च हुआ, क्या गलत किया गया है? अब बिहार राज्य का विभाजन होगा। मैं चाहता हूं कि नए राज्य झारखंड के लोगों को मौका दीजिए। वहां के लिए रुपया मत रोकिए। यही प्रार्थना है कि आप रुपया जल्दी रिलीज कीजिए।

इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी बात समाप्त करता हूं और वित्त मंत्री जी से पुन: निवेदन करता हूं कि मैंने जो सुझाव दिए हैं, उनकी ओर ध्यान देंगे।

[अनुवाद]

श्री त्रिलोचन कानूनगो (जगतसिंहपुर): सभापति महोदय, माननीय वित्त मंत्री ने इस सभा में दो प्रस्ताव नामत: अतिरिक्त अनुदान और अनुपूरक अनुदान मांगें प्रस्तुत किए हैं। अतिरिक्त अनुदानों को नियमित किया जाना है और अनुपूरक अनुदान मांगों को इस सभा द्वारा पारित किया जाना है। मुझे आशा है कि इन दोनों मांगों को पारित कर दिया जाएगा। मैं इन दोनों मांगों का विस्तार में उल्लेख नहीं करना चाहता हूं। तीन या चार प्वांइटों के संबंध में मुझे शंका है जिनके बारे में मेरे विचार में माननीय वित्त मंत्री को स्थिति स्पष्ट करनी चाहिए।

महोदय, हाल ही में इस सभा द्वारा तीन नए राज्यों का सृजन किया गया है इन राज्यों का जब गठन किया जाएगा तब उन्हें निश्चित रूप से धन की आवश्यकता पड़ेगी। नए सिरे से गठित राज्यों को धन आवंटित करने के लिए तीन तरीके हैं। पहला केन्द्र सरकार संविधान के अनुच्छेद 282 के अंतर्गत इन राज्यों को धन आवंटित कर सकता है दूसरे, सरकार भारत की समेकित निधि से इन राज्यों को धन आवंटित कर सकता है तीसरे मूल राज्य और नए राज्य के बीच संसाधनों को आपस में बांटा जाए।

महोदय, पहले विकल्प के संबंध में मैं यह कहना चाहूंगा कि इन तीनों राज्यों के लिए अनुपूरक बजट में कोई प्रावधान नहीं किया गया है। अत: क्या हम यह मानकर चले कि इन राज्यों को इस वित्त वर्ष के दौरान गठित नहीं किया जाएगा। दूसरे विकल्प के संबंध में मैं यह कहना चाहता हूं कि यदि सरकार भारत की समेकित निधि से धन आवंटित करना चाहे तो वह ऐसा नहीं कर सकती है ऐसा इसलिए है क्योंकि भारत की समेकित निधि से धन आवंटित करने के लिए दो शर्तों को पूरा करना अपेक्षित है। पहले

इसमें तात्कालिकता होनी चाहिए और दूसरे अप्रत्याशित व्यय होना चाहिए। इस मामले में ताप्कालिकता की शर्त पूरी नहीं होती है। क्योंकि तीनों राज्यों को गठित करने का विचार पहले से ठान कर लिया गया था। इसके अलावा, इसमें कोई अप्रत्याशित व्यय अंतर्ग्रस्त नहीं है अत: इस प्रयोजन के लिए भारत की समेकित निधि से धन आवंटित नहीं किया जा सकता है तीसरा विकल्प मूल राज्य और नए राज्य के बीच संसाधनों को बांटने के बारे में है लेकिन इस संबंध में कोई व्यवस्था नहीं की गई है। अत: मैं माननीय वित्त मंत्री से यह जानना चाहता हूं कि क्या वर्तमान वित्त आयोग की अवधि जो 31 अगस्त, 2000 को समाप्त हो रही है, को आगे बढ़ाया जाएगा ताकि वह उत्तर प्रदेश के राज्यों और उत्तरांचल, बिहार और झारखंड और मध्य प्रदेश और छतीसगढ़ के बीच संसाधनों को बांटने से संबंधित विषय पर विचार कर सके। माननीय वित्त मंत्री इन प्वाइन्टों के बारे में स्पष्ट उत्तर दे।

महोदय, मैं सभा का ज्यादा समय नहीं लेना चाहता हूं। मैं अपना भाषण 3.30 बजे अपराह्न पर समाप्त कर दूंगा। ग्यारहवें वित्त आयोग के पैनल में दो प्रख्यात अर्थशास्त्री हैं। मैं उनके प्रत्यय पत्रों और विद्वता उत्कृष्टता पर कोई विवाद नहीं करता हूं लेकिन इसके बावजूद भी क्या उपलब्धि हासिल की गई। इसमें तीन बातें शामिल हैं। पहली करों का अवमूल्यन दूसरी सहायता अनुदान और तीसरी ऋण सहायता।

महोदय जहां तक करों के अवमूल्यन का संबंध है, मैं माननीय वित्त मंत्री को सूचित करना चाहता हूं कि उन्हें इस बात की जानकारी नहीं है और इस सम्माननीय सभा के ध्यान में यह बात लाना चाहता हूं कि करों के अवमूल्यन के बाद, आंध्र प्रदेश राज्य पर पांच वर्ष की अवधि के लिए गैर-योजनागत अतिरिक्त राजस्व के रूप में 5226.90 करोड़ रुपये करों का अवमूल्यन करने के उपरांत बकाया होंगे। ग्यारहवें वित्त आयोग के मूल्यांकन के अनुसार आंध्र प्रदेश राज्य के पास इतनी अधिक गैर-योजनागत राजस्व अतिरिक्त राशि होगी।

[हिन्दी]

सभापति महोदय: अब आप समाप्त कीजिए।

[अनुवाद]

श्री त्रिलोचन कानूनगो: महोदय, मैंने आपसे 3.30 बजे अपराह्न तक बोलने के लिए अनुमति मांगी है। अन्यथा मैं बैठ जाता हूं।

[हिन्दी]

सभापति महोदय: गुंजाइश नहीं है, पांच मिनट से ज्यादा नहीं दे सकते, पांच मिनट हो गये हैं। साढ़े तीन बजे सरकार का जवाब होगा।

[अनुवाद]

श्री त्रिलोचन कानूनगो: पांच वर्षों के दौरान बिहार को 2002.66 करोड़ रुपये, गुजरात को 6680 करोड़ रुपये, हरियाणा को 6741 करोड़ रुपये, कर्नाटक को 5875 करोड़ रुपये, केरल को 2450 करोड़ रुपये, मध्य प्रदेश को 3308 करोड़ रुपये, महाराष्ट्र को 6787 करोड़ रुपये, पंजाब को 1310 करोड़ रु., राजस्थान को 542 करोड़ रुपये, तमिलनाडु को 3252 करोड़ रुपये और उत्तर प्रदेश को 96 करोड़ रुपये मिले जबकि उड़ीसा को केवल 47.12 करोड़ रुपये अतिरिक्त राजस्व के रूप में मिले। भारत के सबसे पिछड़े राज्य के साथ बहुत अन्याय किया गया है। ऐसा क्यों किया गया है? ऐसा इसलिए किया गया है क्योंकि ग्यारहवें वित्त आयोग ने राज्यों को धन आंवटित करने में भारी भूल की ...*(व्यवधान)*

[हिन्दी]

सभापति महोदय: कृपा करके आसन ग्रहण कीजिए, अब आप समाप्त कीजिए।

[अनुवाद]

श्री त्रिलोचन कानूनगो:*

[हिन्दी]

सभापति महोदय: यह कार्यवाही में नहीं जाएगा।

[अनुवाद]

श्री सुदीप बंद्योपाध्याय (कलकत्ता उत्तर पश्चिम): महोदय, मुझे भारतीय अर्थव्यवस्था को एक निश्चित दिशा देने में वित्त मंत्री की दूरदर्शिता, प्रेरणा और प्रबन्धकीय कुशलता पर भरोसा है, तथापि, मैं दो तीन मुद्दों पर सभा का ध्यान आकृष्ट करना चाहूंगा।

कुछ विषय हैं जिनकी चर्चा आम तौर पर इस सभा में नहीं की जाती। पहला है इस देश में बेरोजगारी की समस्या। हमने सभा में कई विषयों की चर्चा की लेकिन बेरोजगारी की ज्वलंत समस्या की चर्चा कभी नहीं की। कई वर्षों से केन्द्र सरकार के विभागों में भर्ती पर रोक लगी है। मैं जानना चाहूंगा कि क्या वित्त मंत्री का नौकरी की तलाश करने वाले और जीविका के लिए संघर्षरत लोगों की सहायता हेतु कोई कदम उठाने का प्रस्ताव है। करीब 20 वर्षों से देश के रोजगार कार्यलयों में पंजीकृत लोगों को भी

*कार्यवाही-वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया गया।

[श्री सुदीप बन्द्योपाध्याय]

बुलावा पत्र नहीं भेजे जा रहे हैं। अगर इस समस्या के समाधान के लिए कोई बड़ा प्रयत्न नहीं किया गया तो यह देश कहां जाएगा? इस अवसर का लाभ उठाते हुए मैं माननीय मंत्री जी से अनुरोध करूंगा कि देश में बेरोजगारी की समस्या का समाधान सुनिश्चित करने के लिए कुछ नए उपायों पर विचार करें।

हम यह कहते रहे हैं कि देश में काले धन की समानान्तर अर्थव्यवस्था चल रही है। हम सभा में समय-समय पर यह प्रश्न भी करते रहते हैं कि सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों और वित्तीय संस्थाओं को ऋणों को लौटाने में चूकने वाले लोगों के खिलाफ कोई कड़े उपाय क्यों नहीं किए जाते, पता नहीं यह सकारात्मक संकेत है या नकारात्मक कि जिनके खिलाफ ऋणों के संबंध में चूकने के गम्भीर आरोप लम्बित हैं वे औद्योगिक घरानों के प्रमुख स्वयं ही लोक सभा और राज्य सभा के सदस्य बनने की कोशिश कर रहे हैं मैं नहीं जानता कि वे अपने दुष्कृत्यों को विनियमित करने की कोशिश कर रहे हैं, या कुछ और। मैं केन्द्र सरकार से इस मामले पर ध्यान देने का अनुरोध करूंगा।

इन मामलों को हमारे कुछ साथियों ने उठाया है। डा. नीतिश सेनगुप्ता ने एक दिन बड़ी सही बात सभा में कही थी कि विनिवेश मंत्रालय की क्या आवश्यकता है? विनिवेश मंत्रालय को बन्द किया जा सकता है, इसे लोक उद्यम मंत्रालय को दिया जा सकता है। विनिवेश मंत्रालय स्पष्ट संकेत देता है कि सरकार का सभी केन्द्र सरकारी क्षेत्र की ईकाइयों के विनिवेश का विचार है। इसका नाम ही देश के कर्मचारी वर्ग के मन में भारी व्यग्रता पैदा कर रहा है।

इसके अतिरिक्त मैं देश के पूर्वी क्षेत्र के क्षेत्रीय असंतुलन के बारे में भी बात करूंगा।

सभापति महोदय, आप भी देश के पूर्वी भाग से हैं आजादी के कई वर्षों के बाद भी देश का पूर्वी क्षेत्र, विशेषकर बंगाल और बिहार आर्थिक रूप से बहुत बुरी तरह प्रभावित हुए हैं।

श्री प्रियरंजन दासमुंशी ने पश्चिम बंगाल के उत्तरी भाग का मुद्दा उठाया था। महोदय, उत्तरी बंगाल के विभाजन का नारा आ रहा है। जिसका हम पूर्णतया विरोध करते हैं मुझे जी एन एल एफ नेता श्री सुभाष घीसिंग का पत्र भी मिला है जिन्होंने पश्चिम बंगाल से दार्जीलिंग को अलग करने का समर्थन करते हुए हमसे समर्थन मांगा था। हम बंगाल का विभाजन नहीं चाहते लेकिन हम यह जरूर देखना चाहते हैं कि बंगाल, उत्तर बंगाल और भारत के अन्य पूर्वी हिस्सों के लिए विकास और आर्थिक पैकेजों पर पूरा ध्यान दिया जाए।

महोदय, हालांकि अनुदानों की अनुपूरक मांगें औपचारिकताओं का हिस्सा हैं फिर भी हमें आशा है कि उनके पास पर्याप्त विचारशीलता, दृष्टिकोण और दूरदर्शिता है जिससे वे भारत की जनता, विशेषकर देश के बेरोजगार युवाओं को एक नई दिशा दे सकते हैं।

इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपना भाषण समाप्त करता हूं।

सभापति महोदय: अब, श्री बसुदेव आचार्य। कृपया दो मिनटों के भीतर समाप्त कर दीजिएगा।

श्री बसुदेव आचार्य (बांकुरा): महोदय, कृपया मुझे कम से कम पांच मिनट का समय दें। मैं दो मिनट में समाप्त कैसे करूंगा।

महोदय, श्री रूपचन्द पाल और श्री प्रियरंजन दासमुंशी पहले बतला चुके हैं कि सात केन्द्रीय सरकारी उपक्रमों को बन्द करने के लिए 152 करोड़ रु. नियत किए गए हैं जिनमें टायर कार्पोरेशन आफ इंडिया, टांगरा सहित पश्चिम बंगाल के चार केन्द्र सरकारी उपक्रम हैं। इन सात केन्द्र सरकारी उपक्रमों के पुनरुद्धार के लिए आवश्यक धनराशि इन्हें बन्द किए जाने के लिए निर्धारित धनराशि या स्वैच्छिक पृथक्करण योजना (वी एस एस) की धनराशि से बहुत कम होगी।

महोदय, एम ए एम सी और उसके पूंजीगत पुनर्गठन के बारे में क्या बात है? हिन्दुस्तान मशीन टूल्स के बारे में क्या सुझाव दिया गया है? पूंजीगत पुनर्गठन के लिए 250 करोड़ रु. की राशि उपलब्ध कराई जा रही है। इन सभी सात केन्द्र सरकारी उपक्रमों के पूंजीगत पुनर्गठन की तुलना में इन उपक्रमों के पुनरुद्धार के लिए काफी कम धनराशि की आवश्यकता है, हजारों कर्मचारियों, रिहैबिलिटेशन इन्डस्ट्री कार्पोरेशन के कर्मचारियों, एम ए एम सी, टी ए एफ सी ओ, बी पी एम ई एल और डब्ल्यू आई एल के लिए स्वैच्छिक पृथक्करण योजना (वी एस एस) के लिए वित्त मंत्री जी कितनी धनराशि उपलब्ध कराएंगे? केवल 4 करोड़ रु. की राशि की आवश्यकता है।

महोदय, विशेषज्ञ समिति ने भी कहीं भी इनमें से किसी भी इकाई को बन्द किए जाने की सिफारिश नहीं की है। बल्कि इस समिति ने अन्य विकल्पों का सुझाव दिया अन्य विकल्पों की तलाश करने की बजाय भारत सरकार ने अब इन्हें बन्द करने का निर्णय लिया है, एम ए एम सी के मामले में कर्मचारी यूनियनों ने उच्च-न्यायालय में इसे बन्द किए जाने के खिलाफ मुकदमा किया जहां यह मामला अभी लम्बित है। जब मामला न्यायालय में है तो भारत सरकार इन्हें बन्द करने का निर्णय कैसे ले सकती है? जब एम ए एम सी का मामला लम्बित है तो सरकार इसे बन्द करने का निर्णय कैसे ले सकती है?

दूसरा गम्भीर मामला यह है कि 'जैसप्स' जैसे कई केन्द्र सरकारी उपक्रमों के मजदूरों और कर्मचारियों को उनका वेतन नहीं मिला है। 'जैसप्स' के पुनरुद्धार का प्रस्ताव है, यह पश्चिम बंगाल स्थित एक औद्योगिक इकाई है। कामगारों को चार महीने से वेतन नहीं मिला है। नेशनल बाइसाइकिल कार्पोरेशन, साइकिल कार्पोरेशन आफ इंडिया, बी पी एम ई एल, नेशनल इन्स्ट्रुमेन्टेशन लिमिटेड और हिन्दुस्तान स्टीलवर्क्स कन्स्ट्रक्शन लिमिटेड के कर्मचारियों को महीनों से वेतन नहीं मिला है। लेकिन भारत सरकार का वित्त मंत्रालय इस बात पर जोर दे रहा है कि जब तक कर्मचारी स्वैच्छिक पृथक्करण योजना का विकल्प नहीं चुनते उन्हें वेतन का भुगतान नहीं किया जाएगा। नेशनल प्रोजक्ट्स कन्स्ट्रक्शन कार्पोरेशन के कर्मचारियों को 17 महीनों से वेतन नहीं मिला है, कर्मचारी भुखमरी का शिकार हो रहे है। उपदान और भविष्य निधि जैसी सांविधिक देयताओं का भुगतान नहीं किया गया है। कुल बकाया देय राशि कितनी है? 1,700 करोड़ रुपये है। इस अनुपूरक बजट में इन इकाइयों को बस बन्द किए जाने का प्रावधान किया गया है। सांविधिक देयताओं के भुगतान हेतु कोई प्रावधान नहीं किया गया है।

मेरी मांग हैं कि इन इकाइयों को बन्द करने के बजाय सरकार को अपने निर्णय की समीक्षा करके इन सभी उपक्रमों के पुनरुद्धार की कोशिश करनी चाहिए। कर्मचारियों के वेतन के साथ-साथ सांविधिक देयताओं का भुगतान भी किया जाना चाहिए यहां इसका प्रावधान किया जाना चाहिए।

एक अन्य महत्वपूर्ण मुद्दा वेतन भुगतान में समता का मामला है। माननीय वित्त मंत्री जी जानते हैं कि लेखपरीक्षा और लेखा कर्मचारियों के वेतन और केन्द्रीय सचिवालय के कर्मचारियों के वेतन की क्षमता को तीसरे वेतन आयोग में छेड़ा गया था। पांचवें वेतन आयोग में भी यह जारी है। वित्त मंत्री जी को कई अभ्यावेदन किए गए पर वह विसंगति दूर नहीं की गई। मैं मांग करता हूं कि चौथे वेतन आयोग तक वेतन में जो समता थी उसे बहाल किया जाना चाहिए।

[हिन्दी]

सभापति महोदय: अब, माननीय वित्त मंत्री जी।

[अनुवाद]

श्री पी.एच. पांडियन (तिरूनेलवेली): महोदय, मुझे बोलना है...(व्यवधान)

संसदीय कार्य मंत्री तथा सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री (श्री प्रमोद महाजन): महोदय, हमे चार बजे जम्मू और कश्मीर पर चर्चा आरम्भ करनी है।

श्री पी.एच. पांडियन: मैं उस समय तक भाषण समाप्त कर लूंगा।

श्री प्रमोद महाजन: लेकिन आप चर्चा का उत्तर नहीं दे रहे हैं। वित्त मंत्री जी को उत्तर देना है। मागें पारित होने में समय लगता है।

श्री पी.एच. पांडियन: मुझे एक अनुरोध करना है।

श्री प्रमोद महाजन: हमने चर्चा के लिए दो घण्टे रखे थे और हम तीन घण्टे ले चुके हैं।

[हिन्दी]

सभापति महोदय: श्री पांडियन जी, लिस्ट में बोलने वालों में आपका नाम नहीं है। क्या आपने बोलने के लिए पहले नाम दिया है?

[अनुवाद]

श्री पी.एच. पांडियन: मैं संक्षेप में अनुरोध करुंगा। मैं पांच मिनट में अपनी बात कहूंगा। मुझे केवल दो महत्वपूर्ण अनुरोध करने हैं।

सभापति महोदय: मैंने मंत्री जी को पुकारा है।

श्री पी.एच. पांडियन: मुझे बोलने का अधिकार है। यह विनियोग विधेयक है। यह 'शून्य काल' नहीं है। मुझे बोलने का अधिकार है।

[हिन्दी]

सभापति महोदय: यदि आपके पास कुछ प्वाइंट्स हैं तो कृपया उन्हें वित्त मंत्री जी को दे दीजिए।

श्री पी.एच. पांडियन: मैं इसे दस मिनट में पूरा करता हूं हमारी संख्या दस है।

सभापति महोदय, मुझे यह अवसर प्रदान करने के लिए धन्यवाद। 18.8.2000 को माननीय वित्त मंत्री मौरीशस के साथ दोहरे कराधान से बचने के समझौते से संबंधित एक प्रश्न का जवाब दे रहे थे। उन्होंने कहा कि वर्ष 1993 में बिक्री कर कानूनों में संशोधन किया गया था।

मैं जानना चाहता हूं कि इस दोहरे कराधान से बचने के समझौते में वास्तविक लाभार्थी कौन हैं। उस समय मैं इस प्रश्न को पूछने की स्थिति में नहीं था।

[श्री पी.एच. पांडियन]

हमने विश्व व्यापार संगठन के साथ कई समझौतों पर हस्ताक्षर किए। हाल ही में भारत सरकार ने पुरानी कारों के आयात हेतु एक देश के साथ समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं जब हम पुरानी कारों का आयात कर सकते हैं तो भारतीय कार कंपनियों के भाग्य का क्या होगा? श्री बसुदेव आचार्य सिर्फ कर्मचारियों के भविष्य की बात कर रहे थे...*(व्यवधान)* संसदीय कार्य मंत्री संसद के प्रबंधक बन गए हैं।...*(व्यवधान)*

[हिन्दी]

सभापति महोदय: आपका समय खत्म हो गया है।

[अनुवाद]

श्री पी.एच. पाण्डियन: इस कारण, यदि आटोमोबाइल कम्पनियां बंद का सामना करें तो उनके कर्मचारियों के भाग्य का क्या होगा? सरकार ने पुरानी कारों के आयात के बारे में तो सदन को सूचित नहीं किया है। जब कोई पुरानी कार खरीद सकता है, तो फिर हिन्दुस्तान मोटर्स की कारों को तो कोई नहीं खरीदेगा। वे किसी भी कम्पनी की पुरानी कार खरीद लेंगे।

यह विनियोग विधेयक तथा अनुदान मांगों पर चर्चा है। मैं माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि अपने मंत्रालय के व्यय से किसी विशेष मंत्री द्वारा कितना व्यय किया गया है। कर्मचारियों पर किया गया व्यय इसमें शामिल नहीं है। मैंने एक समाचार पत्रिका में पढ़ा है कि कर्नाटक के एक मंत्री को मैं नहीं जानता वह मंत्री कौन है- प्रत्येक दो या तीन दिनों पर दिल्ली और कर्नाटक के बीच आना-जाना लगा रहा है। यह समाचार था कि वे सभी कार्यक्रमों में भाग ले रहे हैं। वे इस तरह से धन का व्यय क्यों कर रहे हैं। क्या वे इस व्यय को कम नहीं कर सकते? यह अनुपूरक अनुदानों की मांगों पर चर्चा चल रही है। यह ऐसे व्यय के लिए है जिसका कोई पूर्वानुमान नहीं था। मैं सरकार से इस मामले पर विचार करने का निवेदन करूंगा। मैं समझता हूं संसद के प्रबंधक इसे अवश्य नियंत्रित करेंगे।...*(व्यवधान)*

सभापति महोदय, आपके द्वारा इस चर्चा में भाग लेने का अवसर देने के लिए मैं आपका धन्यवाद करता हूं। अखिल भारतीय अन्ना डी. एम. के. पार्टी की तरफ से मैं इसका समर्थन करता हूं। मैं इसका विरोध नहीं करता हूं क्योंकि ये विनियोजन विधेयक है। लेकिन मंत्रालयों के व्यय को कम करें...*(व्यवधान)*

श्री प्रमोद महाजन: हम आपको धन्यवाद देते हैं।

वित्त मंत्री (श्री यशवंत सिन्हा): सभापति महोदय, अनुपूरक अनुदानों की मांगों पर दो दिन और बढ़ाकर हमने चर्चा की। मेरे आंकलन के अनुसार, श्री राजो सिंह से शुरू होते हुए श्री पाण्डियन तक खत्म होने वाली इस चर्चा में 12 माननीय सदस्यों ने भाग लिया और कई मुद्दे उठाए।

दुर्भाग्यवश, मेरे पास 15 मिनट से भी कम समय है। इसलिए, यह सभा मुझे क्षमा कर दे यदि मैं प्रत्येक मुद्दे का जवाब न दे सकूं। माननीय सदस्यों ने बहुत महत्वपूर्ण मुद्दे उठाए। लेकिन यदि आप 4 बजे तक इस विनियोग विधेयक को पारित करना चाहें तब मुझे अपना जवाब संक्षिप्त करना होगा।

चर्चा के दौरान उठाए गए कुछ महत्वपूर्ण मुद्दों पर जवाब देने की कोशिश करूंगा। यह उल्लेख किया गया कि यह एक सामान्य प्रक्रिया है। अनुदानों की अनुपूरक मांगों का यह पहला भाग है। यदि कहीं हमने कोई अपरिहार्य व्यय किया है। जिसे हमने आपात निधि से प्राप्त किया अथवा जिसका अनुमान बजट तैयार करते समय नहीं लगाया गया। व्यय के ऐसे मद ही अनुदानों की अनुपूरक मांगों में शामिल किए जाते हैं।

जैसा कि सभा को ज्ञात है, अनुदानों की इन अनुपूरक मांगों के लिए नकद व्यय 632.99 करोड़ रुपये हैं, शेष 1903.55 करोड़ रुपये केवल तकनीकी प्रकृति के है क्योंकि यह नकद व्यय नहीं है। नकद व्यय में से भारी उद्योग विभाग के खाते में 312.55 करोड़ रुपये और विधि एवं न्याय मंत्रालय के खाते में 150 करोड़ रुपये हैं। उर्वरक विभाग के खाते में 150 करोड़ रुपये और खाद्य प्रसंस्करण विभाग के खाते में 10.94 करोड़ रुपये हैं।

जहां तक भारत सरकार द्वारा इस वर्ष की पहली चौथाई में व्यय के प्रबंधन का संबंध है, मैं इस प्रतिष्ठित सभा को बताना चाहूंगा कि पिछले वर्ष की इसी अवधि की तुलना में इस वर्ष का प्रबंधन कुछ बेहतर रहा है। वर्ष 2000-2001 के बजट अनुमान के अनुसार इस वर्ष के लिए कुल व्यय बजट 3,38,487 करोड़ रुपये है इसमें से जून तक वास्तविक व्यय 57,083 करोड़ रुपये थे जो बजट अनुमान के प्रतिशत के अनुसार 17 प्रतिशत है। जब हम पिछले वर्ष की इसी अवधि के इन वास्तविक आंकड़ों की तुलना करते हैं तो हम पाते हैं कि पिछले वर्ष की 30 जून तक हमने बजट अनुमान 21 प्रतिशत व्यय कर दिया था। लेकिन इस वर्ष यह केवल 17 प्रतिशत ही है। कुल मिलाकर देखें तो पिछले वर्ष के दौरान जो हमने व्यय किया था उसकी तुलना में इस वर्ष 1,572 करोड़ कम व्यय किया है।

इस वर्ष की पहली तिमाही के दौरान बजट घाटा 25,073 करोड़ रुपये था। यह बजट अनुमान का 23 प्रतिशत है। पिछले

वर्ष बजट घाटा 33,512 करोड़ रुपये था जो बजट अनुमान का 42 प्रतिशत था। यह इसलिए संभव हो पाया क्योंकि राजस्व प्राप्ति बढ़कर 6,382 करोड़ रुपये हो गई। व्यय में 1,572 करोड़ रुपये की कमी हुई और 485 करोड़ रुपये की गैर-ऋण पूंजी की प्राप्ति में वृद्धि हुई । भारत सरकार ने आई.बी.आर.डी. को इस अवधि के दौरान आठ उच्च ब्याज दर वाले ऋण समय से पहले लौटा दिए जिनकी राशि 1257.28 करोड़ रुपये है और अमरीकी डालर में यह राशि 280 मिलियन अमरीकी डालर है। इसलिए, यह व्यय के मोर्चे पर प्रबंधन का व्यापक प्रदर्शन है।

अब माननीय सदस्यों द्वारा कई मुद्दे उठाए गए, मैं सामान्य मुद्दों की चर्चा करूंगा जैसे वर्तमान समय में अर्थव्यवस्था की दिशा लेकिन मैं उन कुछ मुद्दों पर चर्चा नहीं करुंगा जिन पर इस सत्र में इस सभा में चर्चा कर ली गई है। जैसे विनिवेश, विपक्ष के कुछ माननीय सदस्यों की तरफ से इस मुद्दे को उठाया गया। इस मुद्दे पर हमने विस्तार से चर्चा की है। श्री प्रियरंजन दासमुंशी यहां नहीं है। वे चाहते थे कि विनिवेश प्राप्तियों पर हम क्या करने जा रहे हैं इसका स्पष्टीकरण करें। यदि उन्होंने इस वर्ष के मेरे बजट भाषण को ध्यानपूर्वक सुनने या पढ़ने की जहमत उठाई होती तो उन्हें इस बात का पता लग गया होता कि मैंने अपने बजट भाषण में स्पष्ट रूप से कहा था कि विनिवेश से जो राशि संग्रहीत की जाएगी। वह सिर्फ तीन उद्देश्यों के लिए उपयोग की जाएगी। पहला उद्देश्य अर्थक्षम और क्षमतावान सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों के पुनर्गठन या पुनरुद्धार करने का है, दूसरा ऊंची लागत वाले सरकारी ऋणों को खत्म करना और तीसरा सामाजिक क्षेत्र पर व्यय करना है। ये तीन क्षेत्र है जहां विनिवेश से प्राप्त राशि का व्यय किया जाएगा। *...(व्यवधान)*

श्री बसुदेव आचार्य: महोदय, हमें कभी नहीं बताया गया कि सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों के पुनरुद्धार पर कितना व्यय किया जाएगा और सामाजिक क्षेत्र पर कितना व्यय किया जाएगा। *...(व्यवधान)*

श्री यशवंत सिन्हा: मुझे यह स्पष्ट करने दें की धनराशि भारत के संचित निधि में जमा होगी इस देश के वित्त मंत्री के रूप में मैं इस पक्ष में नहीं हूं कि प्रत्येक छोटे उद्देश्यों के लिए भारत की संचित निधि को यहां-वहां बिखरा दिया जाए। यह वित्तीय अनुशासन को पूरी तरह से नष्ट कर देगा। इसलिए, धनराशि संचित निधि में जमा होगी और वहां से इसे उन उद्देश्यों के लिए दिया जाएगा। जिसका मैंने अभी उल्लेख किया है।

मैं नहीं जानता कि क्यों श्री बसुदेव आचार्य इतने उत्तेजित हैं। मैंने सिर्फ अभी उल्लेख किया है कि हमने वर्ष की पहली तिमाही में उच्च ब्याज दर वाले विश्व बैंक के 280 मिलियन डालर के ऋण का भुगतान कर दिया है। राशि का उपयोग इस उद्देश्य के लिए हुआ है। हम बजट के अनुसार चलेंगे। मैं आंकड़ों में नहीं जाना चाहता, परन्तु यह याद रखना महत्वपूर्ण है कि वर्ष 1991 और 1999 के बीच विनिवेश द्वारा अब तक कुल प्राप्ति मात्र 18390 करोड़ रुपये है। इस अवधि में सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों को 61211 करोड़ रुपये की बजटीय सहायता दी गई है। हम किसकी तुलना कर रहे हैं 18,000 या 16,000 रुपये कहां हैं। इसलिए जिस बात का उल्लेख मैं कर रहा हूं वह इन आंकड़ों के बारे में नहीं है। मैं इस बात का उल्लेख कर रहा हूं कि सरकारी उपक्रमों के प्रति हमारी प्रतिबद्धता को संदेह की दृष्टि से नहीं देखना चाहिए। पिछले 28 महीनों में, हमने पुनरुद्धार के लिए 20 सरकारी उपक्रमों को हाथ में लिया है।

लेकिन मैं यह भी कहता हूं कि स्थापित नीति से हटने की मेरी नीति नहीं है। यह नीति वामपंथी पार्टी के लिए अच्छी हो सकती है। वे स्थापित नीति से हटते हैं, कुछ नहीं करते और हाथ पर हाथ धरे बैठे रहते हैं जैसे श्री बसुदेव आचार्य बैठे हैं मैं कह रहा हूं कि बदलाव हमारी नीति नहीं है और इसके अंतर्गत हम सकारात्मक नीति अपना रहे हैं। मैंने इस वर्ष के बजट में स्पष्ट रूप से सरकारी उपक्रमों के संबंध में भारत सरकार की नीति को परिभाषित किया था। हम जहां हो सके वहां-वहां पुनरुद्धार करेंगे। हमें उन्हें बन्द करना पड़ेगा जहां बार-बार के अध्ययन से यह पता चलता है कि इकाई महिनों से बंद पड़ी है और तीसरे, प्रत्येक मामले में श्रमिकों के हितों की रक्षा की जानी चाहिए यही कारण है कि हमने इस नीति का पालन किया है और करते रहेंगे।

माननीय डा. रघुवंश प्रसाद सिंह ने पी.एम.जी.वाई. का मामला उठाया है।

श्री वैको (शिवकाशी): सौभाग्यवश, वह पीठासीन हैं।

श्री यशवन्त सिंहा: मैं उन्हें देख नहीं सका।

पी.एम.जी.वाई. का प्रश्न मात्र बी.एम.एस. को बदले हुए रूप में प्रस्तुत करने का ही नहीं था। हमने उपलब्ध कराई गई धनराशि का मामला भी उठाया है। हमारे द्वारा बजट में ग्रामीण विकास और विभिन्न परियोजनाओं के लिए उपलब्ध कराये गए 8,000 करोड़ रुपये के अलावा हमने पी.एम.जी.वाई. के लिए 5,000 करोड़ रु. की धनराशि रखी है, जो कि गत वर्ष बी.एम.एस. के लिए उपलब्ध कराई गई धनराशि से 1300 करोड़ रुपये अधिक है। यह प्रतिबद्धता है।

डा. रघुवंश प्रसाद सिंह भी यही जानना चाहते थे कि आखिर जो पैसा हमने डीजल और पेट्रोलियम पर उपकर लगाकर एकत्रित

[श्री यशवन्त सिन्हा]

किया है वह जा कहां रहा है। इन दो वस्तुओं पर एक रुपये का उपकर लगाया गया है उससे 5,800 करोड़ रुपये इकट्ठा हुए हैं जिनमें से 2,500 करोड़ रुपये इस देश में केवल ग्रामीण क्षेत्रों में सड़कों के विकास पर खर्च होने हैं। दूसरे 2010 करोड़ रुपये प्रधानमंत्री जी के महत्वाकांक्षी राष्ट्रीय राजमार्ग कार्यक्रम के लिए हैं। हम राज्य राजमार्गों के उन्नयन के लिए भी 990 करोड़ रुपये दे रहे हैं। ऐसा पहली बार हुआ है जब कोई सरकार राज्य सरकारों को उनके राजमार्गों का उन्नयन करने हेतु पैसा उपलब्ध करा रही है। रेल सुरक्षा कार्यों के लिए हम 300 करोड़ रुपये और उपलब्ध करा रहे हैं। इस धनराशि के खर्च का यह ब्यौरा है। अत: इस धनराशि का विवरण बिल्कुल स्पष्ट है। मेरे साथी जल-भूतल परिवहन मंत्री सदन के सामने इस उपकर से एकत्रित सारे पैसे को एकत्रित करने और इसे उन कार्यों के लिए प्रयुक्त करने हेतु एक अलग खाता बनाने के लिए एक विधेयक रखेंगे।

मैं श्री राजो बाबू को भी आश्वस्त करना चाहूंगा कि हमारे मन में झारखंड के एक अलग राज्य बन जाने के बावजूद भी बिहार के प्रति कोई दुर्भावना नहीं है। हम इसके प्रति प्रतिबद्ध हैं। माननीय गृह मंत्री जी पहले ही यह स्पष्ट रूप से कह चुके हैं कि योजना आयोग में बिहार के हितों की रक्षा के प्रति समर्पित एक प्रकोष्ठ होगा। लेकिन मैं यह कहना चाहूंगा कि यदि यह अलग प्रबंध न हो तो भी हमने प्रत्येक राज्य सरकार के हितों का ध्यान रखा है आज कोई भी राज्य सरकार यह शिकायत नहीं कर सकती कि हमने आवश्यकता के समय उसकी मदद नहीं की और हमारी यह नीति आगे भी जारी रहेगी।

महोदय, विदेशी प्रसारण कंपनियों पर कराधान के संबंध में मेरे मित्र श्री किरीट सोमैया ने एक बहुत महत्वपूर्ण मामला उठाया था। यह सच है कि 1996 में सी.बी.डी.टी. ने यह निर्णय किया था कि इस संबंध में कुछ गणनाएं की जाएंगी। ऐसा इसलिए है जब भारत में कार्यरत कोई बहुराष्ट्रीय कम्पनी अपने द्वारा भारत में किए जा रहे व्यवसाय का अलग से हिसाब नहीं रखती है, तो उन्होंने यहां रहते हुए जो व्यवसाय किया है उनके विश्वव्यापी व्यवसाय से अर्जित लाभ में से उन्होंने यहां रहते जो भारत में स्थित व्यवसाय से हुए लाभ का आकलन करना एक दुसाहस कार्य बन जाता है यह सच है कि मई, 1996 में सी.बी.डी.टी. इस निर्णय पर पहुंचा था कि विदेशी प्रसारण कंपनियों को उनकी सकल प्राप्तियों पर 10 प्रतिशत की दर से अनुमानित लाभ होगा, जिसे वे बाहर भेजती थी। इस मामले की पुनरीक्षा की गई। इस सरकार के सत्ता में आने के साथ ही पुनरीक्षण का यह कार्य पूरा हो गया था। इस पुनरीक्षा के आधार पर मैं सदन को आश्वस्त कर सकता हूं कि हम ऐसे नए सिद्धांत बनाएंगे जिससे कि भारतीय और विदेशी प्रसारण कंपनियों के बीच यदि कोई भेदभाव बरता जा रहा होगा तो वह पूर्णतया समाप्त हो जाएगा। लेकिन मैं यह भी कह दूं कि कर योग्य आय पर ही कर है जहां तक कर योग्य आय का संबंध है भारतीय कंपनियां 35 प्रतिशत कर के रूप में और 10 प्रतिशत अधिभार के रूप में भुगतान कर रही हैं। जो कि कुल मिलाकर 38.5 प्रतिशत बैठता है विदेशी प्रसारण कंपनियां कर योग्य आय पर 48 प्रतिशत कर का भुगतान कर रही हैं। कर ढांचे के संबंध में यह असमानता बनाई रखी गई है ।

महोदय, श्री किरीट सोमैया ने इलैक्ट्रॉनिक मतदान मशीनों पर 150 करोड़ रुपये के व्यय का मामल भी उठाया था उन्होंने पूछा है कि क्या इसे बजट में ही सम्मिलित नहीं किया जा सकता था इसे बजट में सम्मिलित नहीं किया जा सकता था क्योंकि उस समय चुनाव आयोग की तरफ से इसकी कोई मांग नहीं थी। संसद द्वारा बजट को पारित कर देने के पश्चात् यह मांग हमारे सामने आई। बल्कि यह अभी हाल ही में की गई है हम इन्हें उपलब्ध कराने हेतु कदम उठा रहे हैं। क्योंकि हम भी चुनाव आयोग की इस बात से सहमत है कि इलैक्ट्रानिक मतदान मशीनें निष्पक्ष तरीके से मतदान कराने हेतु बनाई गई हैं और इनकी इस देश के बहुत से भागों के सख्त आवश्यकता है इसलिए हमें इन्हें जल्द से जल्द उपलब्ध कराना है।

महोदय, डाक घरों और पंचायत संचार सेवा केन्द्रों का प्रश्न श्री नवल किशोर राय और श्री राजो सिंह द्वारा उठाया गया था। यह योजना चल रही है और डाक विभाग इस विशेष मामले को देख रहा है।

महोदय, आर्थिक स्थिति के बारे में और एक ऐसी भयावह तस्वीर, जिसमें देश में विदेशी निवेश नहीं हो रहा और एफ.आई.आई. दूर भाग रहे हैं, के बारे में एक प्रश्न उठाया गया है। अब हमें इन दोनों का ही खतरा नहीं है। हम एक ओर उनकी निन्दा करते हुए दूसरी ओर उन पर न आने का दोष नहीं लगाते रह सकते। मेरे ख्याल से श्री रूपचन्द पाल ने उल्लेख किया कि बी.ओ.पी. संकट आ रहा है। महोदय, ध्यानाकर्षण प्रस्ताव का उत्तर देते हुए मैंने कहा था कि हमें इस सदन में बैठकर नकारात्मक बातें नहीं करनी चाहिए, मेरे द्वारा पढ़े गए स्वतंत्र राष्ट्रीय और अन्तर्राष्ट्रीय पर्यवेक्षकों के अनुमानों के अनुसार बहस केवल इस विषय पर हो रही है कि इस वर्ष विकास दर 6.50 प्रतिशत रहेगी या 7.00 प्रतिशत। यह बहस चल रही है 6.50 या 7.00 प्रतिशत की यह विकास दर आज दुनिया के किसी भी देश की उच्चतम विकास दरों में से एक है। भारत ने यह स्तर प्राप्त किया है।

अस्थायी समस्याएं हो सकती हैं मैंने इस सदन में उल्लेख किया था कि पेट्रोलियम की बढ़ती हुई कीमतें चिन्ता का विषय हैं। लेकिन आप आरक्षित कोष के 1.8 या दो बिलियन डालर कम हो जाने के बारे में बात कर रहे हैं। मैंने इस सदन में बताया था

कि गत दो वर्षों के दौरान हमारा आरक्षित भंडार नौ बिलियन डालर था। हमने अपने आरक्षित भंडार में नौ बिलियन डालर क्यों जोड़े हैं हमने इन्हें इसलिए जमा किया है कि जब कभी भी आवश्यकता होगी तो हम इसका उपयोग कर सकते हैं इसलिए चिंता की क्या बात है। बी.ओ.पी. संकट का प्रश्न ही नहीं है। हमारे पास हमारे देश के सभी खर्चों के आवश्यकतानुसार पर्याप्त विदेशी मुद्रा भंडार हैं। मैं अनुरोध करुंगा कि हमें इस सदन से ऐसा कोई संदेश नहीं देना चाहिए जिससे बाजार में अफरा-तफरी का माहौल बने। महोदय, मैंने इस बात का भी उल्लेख किया था कि दो महीनों की निकासी के बाद भी अगस्त के महीने में एफ.आई.आई. का आगम सकारात्मक रहा है। वो इसलिए क्योंकि यह एक अच्छा बाजार है।

अपराह्न 4.00 बजे

भारत एक बड़ा देश है हमारा अपना एक आकर्षण है इसलिए हमें सबकी अनुनय-विनय करने बाहर नहीं जाना पड़ता। यदि उन्हें यह अहसास होगा कि इस देश में आना उनके लिए लाभदायक है तो वे स्वयं आयेंगे। और यही बात इस दुनिया की समझ में आ गई है। इसलिए इस संबंध में कोई चिंता न करें।

हम पंचायती राज के प्रति प्रतिबद्ध हैं। मैं यह बात बहुत स्पष्ट रूप से कह चुका हूं कि हम ऐसा चाहते हैं कि इस देश में लोकतांत्रिक इकाई के रूप में पंचायती राज संस्थाएं अपनी सही भूमिका निभाएं। श्री प्रियरंजन दासमुंशी ने पंचायतों के द्वारा धन लूटे जाने के बारे में बताया था। मैं सोचना हूं कि बिलकुल निचले स्तर पर निगरानी की जानी चाहिए जिससे कि धन का सदुपयोग सुनिश्चित हो सके। हमने इस देश में गत गई दशकों के दौरान अफसरशाही के द्वारा कई प्रयोग किए हैं। अब हम पंचायतों के द्वारा प्रयोग कर रहे हैं। हमें इस देश के प्रत्येक नागरिक के दरवाजे तक विकास का लाभ पहुंचाने के लिए सही तरीका तलाश करना होगा। मैं व्यक्तिगत तौर पर इस बात से सहमत हूं कि जब केन्द्र स्तर पर यहां संसद के माध्यम से लोकतंत्र है, राज्य स्तर पर विधान सभाओं के माध्यम से लोकतंत्र है तो जिला या पंचायत के स्तर पर लोकतंत्र के न होने का कोई कारण नहीं होना चाहिए। मैं इस बारे में बिल्कुल निश्चित हूं कि यदि हम एक बार उन पर जिम्मेदारी का बोझ डालेंगे तो वे सीखेंगे। इसलिए हमें उनसे अधिकार लेने के बजाय उन्हे और अधिक अधिकार देने चाहिए जिससे की लोग सचेत हों। हमें निश्चित रूप से अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, समाज के कमजोर वर्गों और महिलाओं के हितों की रक्षा करने हेतु कुछ कदम उठाने चाहिए। हमें यह सुनिश्चित करना पड़ेगा कि इन के सभी विशेष हितों की पूरी तरह रक्षा हो सके। संविधान में इसके लिए पर्याप्त प्रावधान हैं।

श्री सुदीप बंद्योपाध्याय ने कुछ बहुत महत्वपूर्ण मुद्दे उठाए हैं। दुर्भाग्यवश समय की कमी के कारण हम उन पर चर्चा नहीं कर पायेंगे। मैं आशा करता हूं कि मुझे उन मुद्दों पर चर्चा करने का फिर कभी मौका मिलेगा।

मैंने पिछले अधिवेशन के दौरान नैशनल हाऊसिंग बैंक संशोधन विधेयक, जिसे इस सदन ने पारित कर दिया था लाते समय इस आंकड़े का उल्लेख किया था। मैंने कहा था कि राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबन्धन में सम्मिलित हम लोगों ने प्रतिवर्ष दो लाख मकानों या बीस लाख आवासीय इकाईयों को पूरा करने का लक्ष्य अपने सामने रखा है। हमने वर्ष 1998-99 में 1.8 मिलियन या 18 लाख मकानों का निर्माण किया। वर्ष 1999-2000 में यह आंकड़ा बढ़कर 32 लाख मकानों का हो गया है। इस वर्ष मैं वित्तीय संस्थाओं से आंकडे एकत्रित कर रहा था। जहां तक मकानों के आबंटन का संबंध है उसमें 42 प्रतिशत की वृद्धि हुई है। यदि मकानों का निर्माण हो रहा है। और यदि सड़कें बन रही है तो ये सब वे क्षेत्र है जिनमें रोजगार का सृजन होता है। इसलिए आधारभूत ढांचे पर जोर देना बहुत महत्वपूर्ण है। हमने इस देश में आधारभूत ढांचे को मजबूत बनाने हेतु बहुत से कदम उठाए हैं। क्योंकि पर्याप्त शहरी औद्योगिक आधारभूत ढांचे और ग्रामीण आधारभूत ढांचे के अभाव में हम सात या आठ प्रतिशत विकास दर को बनाए नहीं रख सकते।

श्री सुदीप बंद्योपाध्याय सहित अन्य बहुत से माननीय सदस्यों द्वारा एक बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न उठाया गया था। वह क्षेत्रीय असमानता के बारे में था। मैं रोजगार सृजन के मामले पर पहले ही बोल चुका हूं। क्षेत्रीय असमानता एक गंभीर मामला है लेकिन यह कल का मामला नहीं है। वास्तव में बहुत से विकास कार्य हो रहे हैं। यदि हम इस समस्या पर ध्यान नहीं देंगे तो क्षेत्रीय असमानताएं बढ़ जाएंगी।

पूर्वोत्तर क्षेत्र का उल्लेख किया गया था पूर्वोत्तर क्षेत्र की शुरुआत उत्तर-प्रदेश के गरीब पूर्वी क्षेत्र से होती है। पूर्वोत्तर क्षेत्र में हमारे सामने बहुत सी समस्याएं हैं। देश के अन्य भागों में भी गरीबी है। सभी विशेष श्रेणी के राज्य इस वर्ग में आते हैं। सूचना प्रौद्योगिकी के साथ ही इसमें भी असमानता का खतरा भी हमारे सामने है। इसलिए एक राष्ट्र के रूप में हमें ऐसी नीति को अपनाना पड़ेगा जिनसे इन बढ़ती हुई क्षेत्रीय असमानताओं को कम किया जा सके।

महोदय, यहां पर मैं इस सदन से एक बात विनयपूर्वक कहना चाहूंगा कि भारत सरकार में रहते हुए हम बहुत सी योजनाओं पर पहले से ही विचार कर रहे हैं और करेंगे—पूर्ववर्ती सरकारों ने भी इनके बारे में सोचा था—लेकिन इस सदन के सदस्यों की चिंताओं

[श्री यशवन्त सिन्हा]

का निराकरण केवल उसी अवस्था में किया जा सकता है जब भारत सरकार और राज्य सरकारें पूरी तरह मिलजुल कर कार्य करें। अन्यथा भारत सरकार कैसे धन उपलब्ध कराती है। भारत सरकार के पास केवल एक ही रास्ता है और वह है कि इन सभी कार्यक्रमों को लोगों तक पहुंचाने के लिए सरकारी तंत्र का उपयोग किया जाए।

अपराह्न 4.06 बजे

[अध्यक्ष महोदय *पीठासीन हुए]*

और मैं कहना चाहता हूं कि हमने राज्य सरकारों के साथ सहयोग किया है और राज्य सरकारों को विश्वास में लिया है और यह सुनिश्चित करने के लिए कि विकास के लाभ लोगों को मिलें, राज्य सरकारों के साथ बढ़-चढ़ कर सहयोग किया है। एक अन्य मुद्दा जो यहां उठा है। वह यह है।...*(व्यवधान)*

एक माननीय सदस्य: संसद सदस्य स्थानीय क्षेत्र विकास योजना का क्या हुआ?

श्री बसुदेव आचार्य: कामगारों को वेतन और उपदान देय का भुगतान न करने का क्या हुआ...*(व्यवधान)*

श्री यशवंत सिन्हा: संसद सदस्य स्थानीय क्षेत्र विकास योजना के संबंध में हमने इसकी धनराशि पहले ही दो करोड़ रुपये कर दी है। लेकिन संसद सदस्य के रूप में मैं एक बात कह सकता हूं...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय: पूर्ण सभा इस विषय पर बहुत उत्सुक है।

...(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय: मैं मंत्री जी से कुछ कहने के लिए कह रहा हूं। आप क्यों अनावश्यक रूप से वातावरण खराब कर रहे हैं।

...(व्यवधान)

श्री के. एच. मुनियप्पा (कोलार): अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के विकास हेतु बजट आबंटन क्या है।

श्री यशवंत सिन्हा: मैं आंकड़े बतलाऊंगा ये सब प्रकाशित आंकड़े हैं। मुझे बताया गया है कि यह स्थिति बहुत से राज्यों में पैदा हो गई है। संसद सदस्यों के निर्वाचन क्षेत्रों के विधायक संसद सदस्यों से अधिक धनराशि ले रहे हैं। मेरा यह भी अनुभव है कि संसद सदस्यों के लिए दो करोड़ रुपये न तो यहां हैं और न ही वहां। हमें खर्च करने हेतु मिलने वाली दो करोड़ रुपये की धनराशि बहुत कम है। परन्तु...*(व्यवधान)*

श्री माधवराव सिंधिया (गुना): इसका शेष भाग कार्यवाही वृत्तांत पर सम्मिलित नहीं किया जाना चाहिए।...*(व्यवधान)*

श्री यशवन्त सिंहा: विशेषकर जिस राज्य से मैं चुनकर आया हूं वहां स्थिति यह है कि जिला अधिकारी और अन्य अधिकारी जो विकास के कार्यों में लगे हुए हैं। वास्तव में संसद सदस्यों की परवाह नहीं करते। वे केन्द्रीय मंत्रियों की परवाह नहीं करते। यह सच है। हम नहीं ले सकते हैं। कम से कम मेरी सिफारिश पर मेरे निर्वाचन क्षेत्र में इंदिरा आवास योजना के अंतर्गत एक भी मकान नहीं बना है। यह स्थिति है।...*(व्यवधान)*

श्री प्रियरंजन दासमुंशी: यह स्थिति मेरे मामले में है। ...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय: वह सकारात्मक उत्तर देने जा रहे हैं।

...(व्यवधान)

श्री यशवन्त सिंहा: यह केवल उपलब्ध धन को बढ़ाने का प्रश्न नहीं है अपितु क्या काम करने की आवश्यकता है यह भी देखना है। श्री प्रभुनाथसिंह ने इसे छः करोड़ रुपये तक बढ़ाने के लिए कहा है। हम यह पायेंगे कि छः करोड़ रुपये भी अपर्याप्त होंगे क्योंकि विकास के उद्देश्य से जिले में लगभग एक सौ करोड़ रुपये लग रहे हैं। जिसमें हमारी कोई सुनवाई नहीं है। अतः यह और अधिक गम्भीर मामला है। महोदय, मेरा सुझाव है कि आप मेरी ग्रामीण विकास मंत्री और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्री की राजनीतिक दलों के साथ एक बैठक बुलायें।...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय: मेरा भी एक निर्वाचन क्षेत्र है।

...(व्यवधान)

श्री सी.पी. राधाकृष्णन (कोयम्बटूर): आप इसे पांच करोड़ रुपये तक बढ़ा सकते हैं।

[हिन्दी]

अध्यक्ष महोदय: रूलिंग से नहीं चलेगा, पैसा चाहिए।

[अनुवाद]

श्री यशवन्त सिन्हा: इसलिए जैसाकि मैंने कहा यह केवल आवंटन बढ़ाने का प्रश्न नहीं है। यह पूर्ण सांस्थानिक राजस्व का प्रश्न भी है। संसद सदस्य की उसके जिले में विकास की प्रक्रिया में क्या भूमिका है? इस मुद्दे को तय करने की आवश्यकता है।

[हिन्दी]

यह जब तक हम लोग तय नहीं करेंगे कि हमारा रोल क्या है। कोई रोल नहीं है।...*(व्यवधान)* इसलिए अध्यक्ष महोदय, मैं

आपसे निवेदन करूंगा कि आप अपने स्तर पर एक बैठक बुलाइए। उसमें सारे राजनीतिक दलों के लोग रहें। हम सोच समझकर दोनों बातों के बारे में कि एमपीलैड्स कितना होना चाहिए और उनके साथ-साथ जो संसद के सदस्य हैं उनकी भूमिका क्या होगी। जिले के विकास में यह तय करने के लिए आप मीटिंग बुलाइए। हम सब उसके लिए तैयार हैं।...*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय: अब मैं लोक सभा की स्वीकृति के लिए वर्ष 2000-2001 के लिए अनुपूरक अनुदानों की मांगें (सामान्य) रखूंगा।

प्रश्न यह है:

"कि कार्य सूची के स्तम्भ 2 में दिखाई गई निम्नलिखित मांगों के संबंध में 31 मार्च, 2001 को समाप्त होने वाले वर्ष में संदाय के दौरान होने वाले खर्चों को अदा करने के लिए कार्यसूची के स्तम्भ 3 में दिखाई गयी राजस्व लेखा तथा पूंजी लेखा संबंधी राशियों से अनधिक सम्बन्धित अनुपूरक राशियां भारत की संचित निधि में से राष्ट्रपति को दी जायें मांग संख्या 1, 3, 4, 6, 8, 11, 13, 25, 40, 45, 54, 58, 63, 64, 68, 69, 71, 73, 78, 79, 81, 85, 87, 95, और 96,"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ

लोक सभा द्वारा वर्ष 2000-2001 के लिए स्वीकृत अनुपूरक अनुदानों की मांगें (सामान्य)

मांग संख्या	मांग का नाम	सभा द्वारा स्वीकृत के अनुपूरक अनुदानों की मांग की राशि	
		राजस्व रुपए	पूंजी रुपए
1		2	3
	कृषि मंत्रालय		
1.	कृषि और सहकारिता विभाग	100000	-
3.	पशुपालन और डेयरी कार्य विभाग	25800000	-
4.	खाद्य प्रसंस्करण उद्योग विभाग	109400000	-
	रसायन और उर्वरक मंत्रालय		
6.	उर्वरक विभाग	-	1500000000
	वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय		
8.	वाणिज्य विभाग	50100000	-
	संचार मंत्रालय		
11.	डाक विभाग	-	97800000
13.	दूरसंचार सेवा विभाग	-	100000
	विदेश मंत्रालय		
25.	विदेश मंत्रालय	100000	-
	उपभोक्ता मामले और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय		
40.	उपभोक्ता मामले विभाग	-	30000000
	गृह मंत्रालय		
45.	गृह मंत्रालय	9500000	-

1	2	3
भारी उद्योग और सरकारी उद्यम मंत्रालय		
54. भारी उद्योग विभाग	381400000	3027100000
विध न्याय और कंपनी कार्य मंत्रालय		
58. विधि और न्याय	1500000000	-
खान और खनिज मंत्रालय		
63. खान विभाग	-	100000
गैर-परम्परागत ऊर्जा स्रोत मंत्रालय		
64. गैर-परम्परागत ऊर्जा स्रोत मंत्रालय	20000000	-
योजना मंत्रालय		
68. योजना मंत्रालय	100000	-
विद्युत मंत्रालय		
69. विद्युत मंत्रालय	100000	4600000000
ग्रामीण विकास मंत्रालय		
71. भूमि संसाधन विभाग	100000	-
विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय		
73. विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग	-	47500000
इस्पात मंत्रालय		
78. इस्पात विभाग	3810000000	-
भूतल परिवहन मंत्रालय		
79. सड़क परिवहन और राजमार्ग विभाग	9900000000	-
कपड़ा मंत्रालय		
81. कपड़ा मंत्रालय	-	10500000
शहरी विकास मंत्रालय		
85. लोक निर्माण कार्य	-	90200000
शहरी रोजगार और गरीबी उन्मूलन मंत्रालय		
87. शहरी रोजगार और गरीबी उन्मूलन	-	40000000
परमाणु ऊर्जा विभाग		
राष्ट्रपति, संसद, संघ लोक सेवा आयोग और उप-राष्ट्रपति का सचिवालय	-	-
95. राज्य सभा	100000	-
96. लोक सभा	55500000	-
कुल जोड़	15862300000	9443300000

अध्यक्ष महोदय: अब मैं वर्ष 1997-98 के लिए अतिरिक्त अनुदानों की मांगें (सामान्य) सभा की स्वीकृति के लिए रखता हूं।

"कि कार्यसूची के स्तम्भ 2 में दिखाई गई निम्नलिखित मांगों के संबंध में 31 मार्च, 1998 को समाप्त हुए वर्ष के दौरान संबंधित अनुदानों में अतिरिक्त राशि की कमी को पूरा करने के लिए कार्य-सूची के स्तम्भ 3 में दिखाई गयी राशियों से अनधिक संबंधित अतिरिक्त राशियां भारत की संचित निधि में से राष्ट्रपति को दी जायें:-

मांग संख्या 14, 47 और 80."

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

लोक सभा द्वारा 1997-98 के लिए स्वीकृत अतिरिक्त अनुदानों की मांगें (सामान्य)

मांग संख्या	मांग का नाम	सभा द्वारा स्वीकृत अतिरिक्त अनुदानों की मांग की राशि
14.	दूरसंचार विभाग	356,41,02,812
47.	संघ राज्य क्षेत्रों की सरकारों को अन्तरण	10,000
80.	पत्तन दीपस्तम्भ और नौवहन	13,65,98,367
	जोड़	370,07,11,179

अपराह्न 4.13 बजे

विनियोग (संख्यांक 3) विधेयक*

वित्त मंत्री (श्री यशवन्त सिन्हा): महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि वित्तीय वर्ष 2000-2001 की सेवाओं के लिए भारत की संचित निधि में से कतिपय और राशियों के संदाय और विनियोग को प्राधिकृत करने वाले विधेयक को पुर:स्थापित करने की अनुमति दी जाए।

अध्यक्ष महोदय: प्रश्न यह है:

"कि वित्तीय वर्ष 2000-20001 की सेवाओं के लिए भारत की संचित निधि में से कतिपय और राशियों के संदाय और विनियोग को प्राधिकृत करने वाले विधेयक को पुर:स्थापित करने की अनुमति दी जाए।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

श्री यशवन्त सिन्हा: मैं विधेयक** पुर:स्थापित करता हूं।

श्री यशवन्त सिन्हा: महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं**

"कि वित्तीय वर्ष 2000-2001 की सेवाओं के लिए भारत की संचित निधि में से कतिपय और राशियों के संदाय और विनियोग को प्राधिकृत करने वाले विधेयक पर विचार किया जाए।"

अध्यक्ष महोदय: प्रश्न यह है:

"कि वित्तीय वर्ष 2000-2001 की सेवाओं के लिए भारत की संचित निधि में से कतिपय और राशियों के संदाय और विनियोग को प्राधिकृत करने वाले विधेयक पर विचार किया जाए।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

अध्यक्ष महोदय: अब सभा विधेयक पर खंडवार विचार करेगी।

प्रश्न यह है:

"कि खंड 2 और 3 विधेयक का अंग बने।"

प्रस्ताव स्वीकृति हुआ।

खंड 2 और 3 विधेयक में जोड़ दिए गए।

अनुसूची विधेयक में जोड़ी दी गई।

खंड 1, अधिनियमन सूत्र और विधेयक का पूरा नाम विधेयक में जोड़ दिए गए।

श्री यशवन्त सिन्हा: मैं प्रस्ताव करता हूं:

"कि विधेयक पारित किया जाए।"

अध्यक्ष महोदय: प्रश्न यह है:

"कि विधेयक पारित किया जाए।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

---

*भारत के राजपत्र असाधारण भाग-II खंड-2, दिनांक 21.8.2000 में प्रकाशित।

**राष्ट्रपति की सिफारिश से पुर:स्थापित।

अपराह्न 4.14 बजे

विनियोग (संख्यांक 4) विधेयक*

वित्त मंत्री (श्री यशवन्त सिन्हा): महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं:

"कि 31 मार्च, 1998 को समाप्त हुए वित्तीय वर्ष के दौरान कतिपय सेवाओं पर खर्च की गई धनराशि, जो उन सेवाओं तथा उस वर्ष के लिए प्रदत्त राशियों से अधिक है, को पूरा करने के लिए भारत की संचित निधि में से राशियों के विनियोग को प्राधिकृत करने का उपबंध करने वाले विधेयक को पुर:स्थापित करने की अनुमति दी जाये।"

अध्यक्ष महोदय: प्रश्न यह है:

"कि 31 मार्च, 1998 को समाप्त हुए वित्तीय वर्ष के दौरान कतिपय सेवाओं पर खर्च की गई धनराशि, जो उन सेवाओं तथा उस वर्ष के लिए प्रदत्त राशियों से अधिक है, को पूरा करने के लिए भारत की संचित निधि में से राशियों के विनियोग को प्राधिकृत करने का उपबंध करने वाले विधेयक को पुर:स्थापित करने की अनुमति दी जाये।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

श्री यशवन्त सिन्हा: मैं विधेयक पुर:स्थापित** करता हूं।

अध्यक्ष महोदय: मंत्री जी अब प्रस्ताव करेंगे कि विधेयक पर विचार किया जाए।

श्री यशवन्त सिन्हा: महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं:**

"कि 31 मार्च, 1998 को समाप्त हुए वित्तीय वर्ष के दौरान कतिपय सेवाओं पर खर्च की गई धनराशि, जो उन सेवाओं तथा उस वर्ष के लिए प्रदत्त राशियों से अधिक है, को पूरा करने के लिए भारत की संचित निधि में से राशियों के विनियोग को प्राधिकृत करने का उपबंध करने वाले विधेयक पर विचार किया जाए।"

अध्यक्ष महोदय: प्रश्न यह है:

"कि 31 मार्च, 1998 को समाप्त हुए वित्तीय वर्ष के दौरान कतिपय सेवाओं पर खर्च की गई धनराशि, जो उन सेवाओं तथा उस वर्ष के लिए प्रदत्त राशियों से अधिक है, को पूरा करने के लिए भारत की संचित निधि में से राशियों के विनियोग को प्राधिकृत करने का उपबंध करने वाले विधेयक पर विचार किया जाए।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

*भारत के राजपत्र असाधारण भाग-II खंड-2, दिनांक 21.8.2000 में प्रकाशित।

**राष्ट्रपति की सिफारिश से प्रस्तुत पुर:स्थापित।

अध्यक्ष महोदय: अब सभा विधेयक पर खण्ड-वार विचार करेगी।

प्रश्न यह है:

"कि खंड 2 और 3 विधेयक का अंग बने।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

खंड 2 और 3 विधेयक में जोड़ दिए गए।

अनुसूची विधेयक में जोड़ दी गई।

खंड 1, अधिनियमन सूत्र और विधेयक का पूरा नाम विधेयक में जोड़ दिए गए।

श्री यशवन्त सिन्हा: मैं प्रस्ताव करता हूं।

"कि विधेयक पारित किया जाए।"

अध्यक्ष महोदय: प्रश्न यह है:

"कि विधेयक पारित किया जाए।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

अपराह्न 4.18 बजे

जम्मू-कश्मीर में निर्दोष लोगों की हत्या की घटनाओं पर रोष और गहरी संवेदना व्यक्त करना तथा इस मामले की जांच करने के लिए जांच आयोग की नियुक्ति की मांग किए जाने के बारे में प्रस्ताव

अध्यक्ष महोदय: अब सभा मद संख्या 25 पर विचार करेगी।

माननीय सदस्यों, इससे पहले कि सभा जम्मू-कश्मीर में निर्दोष लोगों की हत्याओं से संबंधित प्रस्ताव पर चर्चा करे, मैं एक टिप्पणी करना चाहता हूँ।

जम्मू-कश्मीर में हो रही अमानवीय हत्याओं की जितने भी कड़े शब्दों में निन्दा की जाए कम है और इस बारे में हम सब की इस चिन्ता के बारे में कोई संदेह नहीं कि इस प्रकार की त्रासद घटनाओं की पुनरावृत्ति को रोकने के लिए सभी प्रयास किए जाने चाहिएं।

आज की चर्चा के सम्बन्ध में सभा के सभी वर्गों के माननीय सदस्यों से अनुरोध करता हूं कि मामले की संवेदनशीलता को ध्यान में रखें।

हमें यह नहीं भूलना चाहिए कि हमारे सशस्त्र बल जम्मू-कश्मीर में आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई लड़ रहे हैं और विपरीत परिस्थितियों में भी सराहनीय कार्य कर रहे हैं। इसलिए, माननीय सदस्यों से मेरा अनुरोध है कि निराधार आरोप न लगाएं और ऐसा कुछ न कहें जिससे हमारे सशस्त्र बलों का मनोबल गिरे। सदस्य ऐसे भाषण देने से भी बचे जिनसे देश के मौजूदा साम्प्रदायिक सद्भाव का नाजुक संतुलन किसी प्रकार भी बिगड़े। अब श्री प्रियरंजन दासमुंशी।

श्री प्रियरंजनदास मुंशी (रायगंज): अध्यक्ष महोदय, इससे पहले कि मैं चर्चा शुरू करूं अध्यक्ष पीठ और इसकी गरिमा के प्रति सम्मानपूर्वक मैं यह कहना चाहता हूं कि मुझे आशा है कि संसद और संसदीय लोकतंत्र के आरम्भ से राष्ट्र के सर्वोच्च मंच वाली ऐसा लोकतांत्रिक संस्था में जब ऐसी गंभीर परिस्थिति पर चर्चा होती है तो संसद सदस्यों की सही-गलत की समझ के बारे में आपका विश्वास बरकार रहेगा। हमें भारत की अखंडता की रक्षा राष्ट्र के धर्मनिरपेक्ष चरित्र की रक्षा और अपने सशस्त्र बलों और सुरक्षा बलों का मनोबल ऊंचा रखने के लिए अपने सामूहिक विवेक पर भरपूर विश्वास है। इसलिए मैं आपकी टिप्पणी पर कुछ नहीं कहना चाहता परन्तु मुझे लगा कि चर्चा शुरू करने से पहले मुझे यह बात कह देनी चाहिए कि इसी प्रस्ताव पर चर्चा के दौरान ऐसी स्थिति उत्पन्न हो सकती है जिससे सशस्त्र बलों का मनोबल गिरे।

अध्यक्ष महोदय, हमारा लोकतंत्र परिपक्व है और केवल लोकतंत्र ही परिपक्व नहीं बल्कि मजबूत गणराज्य है। हम केवल इस मायने में ही मजबूत गणराज्य नहीं है कि हम राजनैतिक व्यवस्था में भागीदार हैं बल्कि भारतीय लोग सत्य का सामना करने से कभी नहीं डरते और सत्य में उनका विश्वास है।

महोदय, सरकार की मोहर, संविधान की मोहर, तीन शेरों पर ''सत्यमेव जयते'' अर्थात ''सत्य की ही विजय होगी'' का संदेश है। वह सच ही है सच से कम कुछ नहीं जो लोकतांत्रिक व्यवस्था को ही मजबूत नहीं करता बल्कि जनमानस और सरकार के कार्यनिष्पादन को भी मजबूत करता है। इस सोच के साथ मैं कहना चाहता हूं कि मुख्य विपक्षी दल भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस साम्प्रदायिक सदभाव, धर्मनिरपेक्षता, भारत की एकता और अखंडता के संरक्षण और अपने सशस्त्र बलों और सुरक्षा बलों का समर्थन करने की जिम्मेवारी को समझने में किसी से पीछे नहीं है। हम सालों से ऐसा करते आए हैं।

महोदय कांग्रेस क्या चाहती है। हमारी पार्टी इस मुद्दे का राजनैतिक लाभ उठाना नहीं चाहती। यहां मैं अपने प्रतिष्ठित प्रधानमंत्री श्री अटल बिहारी वाजपेयी जी के उस समय के शब्दों को उद्धत करना चाहता हूं कि जब वह विपक्ष के नेता थे, और जहां आज हमारी नेता श्रीमती सोनिया गांधी हैं, उन्होंने अलग परिस्थिति में एक अन्य अमरनाथ त्रासदी के बारे में कहा था। उन्होंने सरकार के काम-काज को ठप्प कराया और स्थगन प्रस्ताव लाते हुए कहा था:

''सरकार ने इसे गंभीरता से नहीं लिया जिसमें जम्मू-कश्मीर प्रशासन भी शामिल है। केन्द्र ने भी इतनी जिम्मेवारी से काम नहीं किया, जैसा उसे करना चाहिए था। ऐसी परिस्थितिवों में विपक्ष के सदस्य के रूप में मेरा कर्त्तव्य है। हमने स्थगत प्रस्ताव पेश किया है और इसमें कोई राजनैतिक उद्देश्य नहीं है।''

उन्होंने आगे कहा:

'अध्यक्ष महोदय आप विपक्ष में रहे हैं। ऐसी परिस्थिति में विपक्ष को क्या करना चाहिए?.....'

अन्त में उन्होंने कहा:

''अध्यक्ष महोदय, दो तरह की त्रासदी और आपदा होती है। एक प्राकृतिक है और दूसरी कृत्रिम।''

उन्हें शंका थी कि यह कराई गई थी। बाद में उन्होंने कहा:

''यदि स्थगन प्रस्ताव को स्थगित करा दिया जए तो भी मुझे बुरा नहीं लगेगा परन्तु सम्पूर्ण सत्य सामने आना चाहिए।''

महोदय, हम केवल विपक्ष में होने की वजह से ऐसा नहीं कर रहे। हम, लोगों की चिन्ता को व्यक्त कर रहे हैं। तीर्थयात्रियों की चिन्ता को कांग्रेस पार्टी या 'ए' पार्टी या 'बी' पार्टी ने विचार-विमर्श नहीं किया है। द इंडियन एक्सप्रैस समाचार पत्र ने 10 अगस्त अर्थात घटना के 9 दिन बाद इस मुद्दे पर एक मतदाता सर्वेक्षण कराया। इस मतदाता सर्वेक्षण के परिणाम क्या कहते हैं? इस सर्वेक्षण में भाग लेने वाले 73 प्रतिशत लोगों ने कहा कि मामले की न्यायिक जांच होनी चाहिए। 23 प्रतिशत ने कहा, ''नहीं'' और चार प्रतिशत ने कहां ''कह नहीं सकते''। यह नेशनल हैराल्ड में प्रकाशित नहीं हुआ था। यह द इंडियन एक्सप्रैस में प्रकाशित हुआ था। यदि मतदाता सर्वेक्षण में भाग लेने वाले 73 प्रतिशत लोग चाहते हैं कि सच सामने आए तो क्या मुख्य विपक्षी दल का यह दायित्व नहीं बनता कि वह लोगों की इच्छा का सम्मान करे?

महोदय, पृष्ठभूमि क्या है? पृष्ठभूमि यह है कि अमरनाथ यात्रा की तिथियां ज्ञात होती हैं। सरकार को यह पता होता है कि पुरी की रथ यात्रा कब होगी, दुर्गा पूजा किस समय होगी, हज

[श्री प्रियरंजन दासमुंशी]

के लिए यात्री मक्का कब जाऐंगे और अमरनाथ यात्रा के लिए यात्री कब जाएंगे। ये सुविदित तिथियां हैं। इन्हें यकायक निर्धारित नहीं किया जाता। एक जिम्मेवार सरकार को पहले यह मूल्यांकन करना चाहिए कि अमरनाथ यात्रा की तिथियां किन परिस्थितियों में निर्धारित की गई। पृष्ठभूमि में कई महत्वपूर्ण घटनाएं हुई हैं। पहली, पाकिस्तान की गंभीर दुश्मनी और आई एस आई प्रशिक्षित आतंकवादी भेजने की, दूसरी इंडियन एयरलाइन्स के विमान के अपहरण की घटना जिसमें भारत सरकार को मसूद-अल-अजहर और अन्य आतंकवादियों को छोड़ने की भारी कीमत चुकानी पड़ी, तीसरी, गृहमंत्री को बार-बार की प्रतिबद्धताओं के बावजूद का डोडा में एक के बाद दूसरा हत्याकांड हुआ—श्री चमनलाल गुप्ता यहां बैठे है। वह सब जानते हैं—चौथी, जम्मू-कश्मीर विधान सभा ने स्वायत्तता के प्रस्ताव पर चर्चा की और इस पारित किया, पांचवीं, सरकार ने बातचीत के लिए हुरियत नेताओं को छोड़ा, छठी, हिजबुल मुजाहिद्दीन द्वारा युद्धबंदी की घोषणा और लश्कर ए-तोयबा, हरकत उल अंसार और कुछ अन्य आतंकवादी गुटों द्वारा इसका कड़ा विरोध। इस गहमागहमी वाले वातावरण में, अनिश्चितता और अव्यवस्था के वातावरण में यदि भारत के तीर्थयात्री चाहे हिन्दू हों या मुस्लिम, गुरुद्वारा या अन्य पूजा स्थल जाना चाहते हैं तो सरकार को उनकी रक्षा करनी होगी।

यदि मैं हज जाता हूं, तो 'खुदा' मेरी रक्षा करता है। अमरनाथ जाता हूं तो भगवान शिव मेरी रक्षा करेंगे। वे निर्भीक हैं। सभी तीर्थयात्रियों के लिए इस देश में यह परम्परा और विश्वास रहा है। अमरनाथ यात्रियों पर इस बात का कोई असर नहीं पड़ता कि हिजबुल मुजाहिद्दीन शांति वार्ता कर रही है या नहीं। उन्हें तो यही महसूस हुआ कि अमरनाथ जाकर पूजा करने का समय हो गया है। सरकार को इस गहमागहमी भरे वातावरण की संज्ञेयता लेनी है। सरकार को यह समझना है कि तीर्थयात्री वहां किन परिस्थितियों में जा रहे हैं। कन्धार से लेकर हिजबुल-मुजाहिद्दीन के युद्धविराम तक के घटनाक्रम में यात्रा की गंभीरता का मूल्यांकन सरकार को सोच समझकर करना चाहिए। अत: सरकार पर मेरा आरोप है कि उसने घटना का सही मूल्यांकन नहीं किया। सरकार ने अनुमान लगाने का प्रयास भी नहीं किया। अमरनाथ यात्रा के दौरान सरकार के गहमागहमी भरे इस वातावरण की संज्ञेयता नहीं ली। यदि आपने ऐसा किया होता मैं यह नहीं कहता कि हत्याकांड नहीं होता परन्तु इससे बचा जा सकता था। त्रुटिरहित व्यवस्था से इसे बहुत हद तक रोका जा सकता था।

बातें हो रही हैं कि न्यायिक जांच से सुरक्षा बलों का मनोबल गिरेगा। क्यों? हमारे सुरक्षा बलों में कौन लोग हैं। वे हमारे देश के ही महान सपूत हैं। वे क्या कर रहे हैं। वे देश की रक्षा कर रहे हैं। वे सीमाओं की रक्षा कर रहे हैं। वे गम्भीर खतरे वाले काम को अंजाम देते हैं। परन्तु, राष्ट्र सुरक्षा बलों के समन्वय के बारे में जानना चाहता है? क्या जम्मू-कश्मीर सरकार द्वारा समुचित प्रबन्ध किए गए थे, क्या राज्य सरकार इस स्थिति में दैनंदिन व्यवस्था के बारे में गृह मंत्रालय से बातचीत करती है। राष्ट्र को इस बारे में जानने का हक है। एक सुरक्षा कमांडर भी आकर न्यायिक जांच आयोग को बता सकता है। "कि महोदय मुझे केवल हिजबुल मुजाहिद्दीन के विरुद्ध बंदूक न उठाने की हिदायत थी अमरनाथ यात्रियों के संबंध में मुझे कुछ नहीं बताया गया था।" वह क्यों बोलेगा? वह अपने विचार क्यों देगा? कार्यपालिका द्वारा की गई भयंकर गलती की जांच कार्यपालिका नहीं कर सकती। कार्यपालिका की गलती, यदि कोई संदेह हो, न्यायिक जांच द्वारा ही ठीक की जा सकती है। न्यायिक जांच क्या है। क्या कोई ऐसी बात है कि आसमान गिर पड़ेगा, सुरक्षा बलों का मनोबल गिर जाएगा?

1952 में जब तत्कालीन गृह राज्य मंत्री श्री काट्जू ने जांच आयोग विधेयक सर्वप्रथम रखा तो इसे प्रवर समिति को भेजा गया और जब यह वापिस आया तो डा. श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने इसे जोरदार तरीके से सभा में रखा। मैंने उस कार्यवाही वृत्तान्त को पढ़ा है।

मैं उन कार्यवाहियों से उद्धृत करके सभा का समय नहीं लेना चाहता, जब हमने प्रवर समिति से इसका अनुमोदन करा लिया तो यहां सारी सभा सर्वसम्मति से इस निष्कर्ष पर पहुंची कि भ्रष्टाचार के मामलों से लेकर प्रशासनिक खामियों की जांच जैसे उठने वाले महत्वपूर्ण मुद्दे के लिए उपलब्ध मंच केवल जांच आयोग अधिनियम है, इस प्रक्रिया के माध्यम से संविधान निर्माताओं और बाद में इस संसद ने उस अधिनियम में अनेक संशोधनों के प्रस्ताव दिए।

हमें संविधान के प्रावधानों की जानकारी है, मैं कानूनी बारीकियों में नहीं जाना चाहता। मैं इनके बारे में थोड़ी देर बाद में बोलूगा। मैं नहीं समझता कि जब जम्मू-कश्मीर में कुछ होता है तो लोगों का एक वर्ग क्यों दबी आवाज से बात करता है या कम विचार व्यक्त करते हैं और चुप्पी साध लेता है। अन्यथा कुछ गम्भीर बात हो जाएगी।

गम्भीर परिणाम क्यों होंगे? यदि कोई सुरक्षाकर्मी 10 जनपथ में प्रधान मंत्री की रक्षा नहीं कर पाता है, या 7 अकबर रोड की सुरक्षा नहीं कर पाता है, यदि कोई सुरक्षा कर्मी राज्य में यात्रा कर रहे मंत्री की रक्षा नहीं कर पाता है यदि किसी सुरक्षा कर्मी को यह नहीं बताया जाता कि खतरे से कैसे निपटा जाए और तीर्थ यात्री तनावपूर्ण वातावरण में कैसे जाएंगे, क्या यह राष्ट्र का कर्तव्य नहीं है कि वह यह जाने और मांग करे कि खामियां क्या हैं? यदि कलकत्ता में कोई सुरक्षा कर्मी असफल होता है तो उसे पकड़ लेना चाहिए। ऐसा करने से क्या मनोबल गिरेगा? यदि राजस्थान में कोई सुरक्षाकर्मी कुछ गड़बड़ी करता है तो क्या इससे मनोबल

गिरता है? यदि सरकार की चूक के कारण जम्मू कश्मीर में सुरक्षा में चूक हो जाती है इससे यह निष्कर्ष निकाला जाता है कि इसके लिए एक विशेष सुरक्षाकर्मी जिम्मेदार था तो क्या उसका मनोबल गिर जाएगा?

श्री आडवाणी से सम्मान सहित मैं कहूंगा कि न्यायिक जांच में शायद इसका खुलासा हो जाएगा। मुझे नहीं पता उनके मंत्रालय ने और उन्होंने इस विषय में पूर्वानुमान नहीं लगाया और सही समय पर सही कदम नहीं उठाये, वे ऐसा क्यों महसूस कर रहे हैं? वे पहले से ही ऐसा क्यों सोच रहे हैं कि कोई विशेष कांस्टेबल या एक सी आर पी एफ के निरीक्षक या सेना के एक विशेष लेफ्टिनेन्ट को दोषी ठहराया जाएगा और जम्मू-कश्मीर घाटी में समस्त सुरक्षा बल यह कहेंगे कि न्यायिक जांच के न्यायाधीश द्वारा इस संबंध में बुलाया जा रहा है, और इसलिए उनका मनोबल गिर गया है? मेरे विचार से ऐसा नहीं है।

जब बादामी बाग में मेजर पुरुषोत्तम मारे गए तो उस समय वो कारगिल में नहीं थे। वे अपने छावनी की रक्षा कर रहे थे। और मारे गए, यदि उनकी पत्नी माननीय गृह मंत्री और माननीय रक्षा मंत्री से पूछती है, "मेरे पति ने देश की रक्षा के लिए, शायद कुछ चूक के कारण अपनी जान दे दी और यदि चूक के लिए सरकार जिम्मेदार है, और यदि आप उनकी आसूचना की जानकारी की फाइल लेकर बैठ जाते हैं और कोई कार्रवाई नहीं करते तो क्या होगा। और यदि मैं सच्चाई जानना चाहती हूं तो आप यह बहाना बनाएंगे कि इससे सुरक्षाकर्मियों का मनोबल गिर जाएगा। कृपया यह न पूछें"

यदि मैं उनसे यह पूछूं कि यदि सेना का एक कमांडर कारगिल युद्ध से 20 दिन पहले दस टैंकों की मांग करता है और दो महीने बाद युद्ध के पश्चात् वो इस संबंध में कार्रवाई करते हैं और मैं न्यायिक जांच में कमांडर को खुलासा करने को कहता हूं तो आप कहेंगे कि ऐसा करने से मनोबल गिरेगा।

सच्चाई, एक पूर्णत: विकसित लोकतंत्र सदैव सच जानना चाहता है अमरनाथ में हिन्दुओं की प्रार्थना क्या होती है। वो वहां क्यों जाते हैं? अमरनाथ यात्रा की प्रार्थना क्या होती है। मैं श्री आडवाणी से जानना चाहता हूं। मैं बी.जी.पी. या हिन्दू महासभा की तर्ज पर बात नहीं कर रहा हूं। मैं हिन्दू दर्शन के अनुरूप बोल रहा हूं। अमरनाथ यात्रा की प्रार्थना क्या है? यह सत्यम् शिवम् सुन्दरम् है। मैं सच्चाई जानना चाहता हूं। हे भगवान, मुझे सच्चाई बताएं। भगवान शिव ही सच हैं, और सच सुन्दरता है, और सच्चाई के लिए प्रार्थना करने से पहले न्यायिक जांच को मना करके सच को दबाया जा रहा है।

अपराह्न 4.32 बजे

[डा. रघुवंश प्रसाद सिंह *पीठासीन हुए*]

अमरनाथ यात्रा का मकसद केवल अमरनाथ मंदिर जाना नहीं है। बल्कि सत्यम् शिवम् सुन्दरम् कहना है।

सभापति महोदय, कांग्रेस पार्टी ने इसे कभी भी मुद्दा बनाने का प्रयास नहीं किया, क्या गृह मंत्री इस बात से इन्कार कर सकते हैं? न केवल कांग्रेस पार्टी बल्कि समस्त विपक्ष ने बिना कोई वक्तव्य दिए या सवाल किए शांति पहल पर सरकार का समर्थन किया, क्या शांति वार्ता संबंधी हमने कभी कोई मुद्दा उठाया? क्या हमने कंधार में बंधकों की रिहाई से पहले, घटनाक्रम पूरा होने से पहले सवाल उठा कर सरकार को उलझन में डाला? क्या हमने कारगिल संबंधी की किसी मामले पर सरकार से प्रश्न किए? हमने ऐसा कभी नहीं किया। हमने सरकार का साथ दिया क्योंकि हम उनसे अधिक समय तक सत्ता में रहे। हमें दशकों तक देश का नेतृत्व करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ, हमें सरकार की परेशानियों और खुशियों का पता है, इसलिए हमने इस मुद्दे से कभी समझौता नहीं किया। हमने ऐसे सभी संकटों में सरकार का साथ दिया जिसमें देश की सुरक्षा को खतरा रहा हो।

मैं संसद में चुनावी भाषण नहीं देता हूं। वोट पाने के लिए राजनीति का उपयोग करना पड़ता है। आप जो चाहे कहें मैं यह नहीं कहना चाहता मगर कोई यह आरोप नहीं लगा सकता है कि कांग्रेस दल ने चाहे सत्ता में रही हो या विपक्ष में, सांप्रदायिक सौहार्द या धर्म निरपेक्ष जैसे या अन्य किसी भी गंभीर मामले में राजनीतिक लाभ उठाने का प्रयास किया।

सभापति महोदय, ग्यारहवीं लोक सभा में इस सभा में मैंने ऐसा कहा था। श्री सोमनाथ चटर्जी मेरी बात से सहमत होंगे। कांग्रेसी होने के नाते मैं नहीं मानता की दिल्ली की खौफनाक रात में सिख माता पिता आकरण रोए, उनका रोना सच्चा था और इस संबंध में यदि कोई गलती हुई है तो जांच करके सच्चाई का पता लगा कर दोषी को सजा दी जानी चाहिए, चाहे वो कोई भी हो और दृढ़तापूर्वक यह महसूस करता हूं कि इस संसद को सही दिशा में मुद्दा उठाने का अधिकार है, यह तर्क दिया जा सकता है कि न्यायिक जांच विलंब की प्रक्रिया है इसमें तीन महीने, छ: महीने या एक वर्ष लग सकता है और कभी-कभी सरकार जांच आयोग के निष्कर्ष को नहीं मानती है।

यह सरकार पर निर्भर है और अगर सरकार महसूस करती है कि यह एक समस्या है तो हम अधिनियम में संशोधन कर के इसे अनिवार्य बना सकते हैं मुझे इस पर कोई एतराज नहीं है। केवल इसलिए कि इसमें विलम्ब होगा और सिफारिशें स्वीकार या अस्वीकार करना सरकार का अधिकार है—और इसीलिए यह नहीं होना चाहिए—ऐसे में अनेक कानून हैं जिनकों हम समाप्त कर नए कानून बना सकते हैं, मुद्दा यह नहीं है।

[श्री प्रियरंजन दासमुंशी]

दिल्ली में सिखों के नरसंहार से संबंधी एक आयोग नियुक्त किया गया था और सरकार ने महसूस किया कि इससे मकसद पूरा नहीं होगा और अधिक सच का पता लगाने हेतु एक और आयोग नियुक्त कर दिया गया, इस पर किसी ने उंगली नहीं उठाई। कांग्रेस दल ने उस पर कोई प्रश्न नहीं उठाया। हां आपको अधिकार है यदि सरकार महसूस करती है। कि जांच आयोग अधिनियम के तहत न्यायिक आयोग लोगों के विरुद्ध कार्रवाई करने में सक्षम नहीं है और सरकार असहाय है तो आप अधिनियम में परिवर्तन कर सकते हैं। आप देखें हम सहयोग दे रहे हैं या नहीं। मगर ऐसा कुछ भी न करके, यह बहाना बनाना कि सुरक्षा बलों का मनोबल गिरेगा, विलंब होगा और सरकार माने या नहीं माने तो कार्यकारी जांच की जाए और हम केवल कुछ लोगों की हत्याओं की बात करें उनके परिवारों से शोक व्यक्त करें, दो या तीन लाख रुपये का मुआवजा दें और अगली अमरनाथ यात्रा में ध्यान रखा जाए। नहीं।

डा. सेनगुप्ता, तृणमूल कांग्रेस के वरिष्ठ नेता यहां बैठे हैं। श्री देवगौड़ा की सरकार के समय उन्होंने स्वयं ही अमरनाथ यात्रा की जांच की। उस समय कन्धार की घटना नहीं थी। इस प्रकार की युद्ध की स्थिति भी नहीं थी। युद्ध की स्थिति थी मगर ऐसी नहीं। मैं उन्हें उसके लिए बधाई देता हूं क्या उन्होंने उस समय अमरनाथ के पूरे मार्ग में, अमरनाथ तक, सेना की सुरक्षा की सिफारिश नहीं की थी। क्या सरकार ने इस पर ध्यान दिया?

यह श्री देवगौड़ा के शासनकाल की अमरनाथ यात्रा नहीं थी। यह अमरनाथ यात्रा, श्री अटल बिहारी वाजपेयी के शासन काल की है। स्थिति और बिगड़ चुकी थी। ऐसे में आपको सुरक्षा स्थिति, एहतियाती उपाय और हमारे व्यय पर ध्यान दिया जाना था।

श्री आडवाणी, आप मुझसे असहमत हो सकते हैं जिस दिन आपने, डा. फारूख अब्दुल्ला को विश्वास में लिए बगैर हुर्रियत के लोगों को रिहा किया, तो जाहिर है डा. अब्दुल्ला की सरकार और उनके बलों ने यह सोचा होगा कि भारत सरकार ने उन्हें विश्वास में लिए बगैर हुर्रियत के लोगों को शांति वार्ता के लिए रिहा कर रही होगी। तो उन्होंने यह सोचा होगा। "उन्हें करने दो, हमें इससे क्या लेना-देना" "उन्हें करने दो, हमें इससे क्या लेना-देना" एक चूक थी, समन्वय की कमी थी। एक विपत्ति थी, एक गलतफहमी थी, संवाद में कमी थी, जिसके परिणाम स्वरूप स्थिति यह हुई कि "अरे सी.आर.पी.एफ. आ गई। उन्हें स्थिति से निपटने दो। सरकार हुर्रियत से बातचीत कर रही है। हम लोगों से पूछा नहीं, हम लोग अपनी आटोनामी में रहेंगे वह हुर्रियत से बात करें।" गृह मंत्री जी, यह कश्मीर की वास्तविक स्थिति थी। कश्मीर में मुख्य एजेंसी वहां की राज्य सरकार है। इसका नेतृत्व मुख्य मंत्री करते हैं। मुख्यमंत्री का मनोबल गिराया गया था। उन्होंने अप्रैल 99 में एक प्रस्ताव दिया था और सरकार उससे सहमत नहीं हुई, उन्होंने हुर्रियत के विरुद्ध संघर्ष किया, मगर सरकार ने उन्हें विश्वास में लिए बगैर हुर्रियत के नेताओं को रिहा कर दिया। न्यायिक जांच आयोग का संकल्प पेश किए जाने से पहले, डा. फारुख अब्दुल्ला के साथ आपके बर्ताव के कारण उनका मनोबल काफी गिर गया था। मनोबल गिरने की यह पहली घटना थी और अमरनाथ तीर्थ यात्रियों का मारा जाना दूसरी। सुरक्षा बलों का मनोबल घटना की हमारी न्यायिक जांच की मांग के कारण नहीं गिरा। किसी भी सुरक्षा बल ने ऐसा नहीं कहा। जिस दिन देश के विदेश मंत्री मसूद-अल-अजहर, को ले जाने का काम गृह सचिव या उप सचिव को न सौंप कर स्वयं ही उसे कंधार ले गए उसी दिन सुरक्षा बलों का मनोबल गिर गया था। अब आप यह बहाना बना रहे हैं कि इससे सुरक्षा बलों का मनोबल गिरेगा और इसमें विलंब होगा। यह बहुत ही दिलचस्प तर्क है, मेरी समझ में यह नहीं आ रहा है कि एक संसदीय मंच में आप यह तर्क कैसे दे सकते हैं।

सभापति महोदय, न्यायिक जांच की हमारी मांग कोई श्रेय लेने की नहीं है। मगर हम कुछ प्रश्नों का उत्तर चाहते हैं।

हम कुछ प्रश्नों का उत्तर जानना चाहते हैं, इन सवालों का उत्तर कार्यकारी जांच से नहीं मिलेगा। गृह मंत्री इन प्रश्नों का महत्व समझेंगे अमरनाथ तीर्थयात्रियों का मार्ग क्या था? उस मार्ग में सुरक्षा बलों की संयुक्त कमान और कश्मीर सरकार द्वारा तीर्थयात्रियों की व्यवस्था हेतु कितने विशिष्ट केन्द्र स्थापित किए गए थे?

मेरा दूसरा सवाल है। क्या सरकार ने तीर्थ यात्रियों के आगमन से पहले इस बात पर गहन विचार विमर्श के लिए जम्मू और कश्मीर प्रशासन के साथ कोई बैठक बुलाई थी कि हुर्रियत और फिर हिजबुल-मुजाहिदीन के साथ आपकी होने वाली संभावित बातचीत के कार्यक्रम से रुष्ट पाकिस्तान के आई एस आई, लश्कर -ए-तोइबा और हरकत-उल-अंसार तीर्थयात्रा के दौरान उत्पन्न गंभीर स्थिति पैदा कर सकते हैं? क्या आपने जब हिजबुल मुजाहिद्दीन से वार्ता के लिए की जाने वाली पहल पर लश्कर-ए-तोइबा ने तीखी प्रतिक्रिया व्यक्त की थी, तो इस परिप्रेक्ष्य में सुरक्षित माहौल बनाए जाने को लेकर भारत सरकार के गृह मंत्रालय, जम्मू और कश्मीर की सरकार तथा वहां कार्रवाई में शामिल सेना की टुकड़ियों से संयुक्त रूप में या एकीकृत होकर कभी कोई विचार-विमर्श किया था? मैं जानना चाहता हूं कि क्या तीर्थयात्रियों की सुरक्षा व बचाव तथा लंगर खाते समय उनकी पहचान किए जाने में काफी सतर्कता बरते जाने को लेकर पहलगाम, अनन्तनाग, डोडा व कुपवाड़ा जिलों में वहां के जिला-प्रशासन को पर्याप्त जानकारी दी गई थी।

खबर है कि तीर्थयात्रियों को एक विशेष प्रकार के पहचान पत्र मुहैया कराए गए थे। मैं जानना चाहता हूं कि क्या उन पहचान

पत्रों की कभी कोई जांच-पड़ताल की जाती थी। वह इसलिए कि प्रधानमंत्री के साथ जब श्रीमती सोनिया गांधी, श्री सोमनाथ चटर्जी और कुछ अन्य लोग गए थे तो अखबारों में छपी एक खबर के मुताबिक कुछ लोगों ने कहा था कि उनके पहचान पत्रों की कभी कोई जांच पड़ताल नहीं की गई। फिर यात्रियों के एकत्रित होने की जगह बस स्टैण्ड, रेलवे स्टेशन जम्मू और कश्मीर हवाई अड्डा, ठहराव केन्द्र और लंगर वाले स्थानों पर अर्द्धसैनिक बल, सुरक्षा बल व सेना की पूर्ण तैनाती का मतलब क्या रहा है इसके पीछे क्या तर्क थे?

क्या दिल्ली में बैठे गृह मंत्री को ही 12 घंटों पर न सही कम से कम एक-एक दिन पर भी सूर्यास्त बाद जम्मू और कश्मीर की भूमि पर किए गए सुरक्षा इंतजाम और वहां उठ रही समस्याओं से अवगत कराए जाने की कोई व्यवस्था थी? मैं ऐसा क्यों कह रहा हूं? इसलिए कि जब गृह मंत्री का बयान घटना के 24 घंटे बाद आया था तो उन्होंने खुद भी स्वीकार किया था कि ब्यौरा उन तक नहीं पहुंच रहा है। विस्तृत ब्यौरा का उन्हें अब भी इंतजार है। नरसंहार पहले ही दिन शाम को हुए थे। आप उसके अगले दिन बयान दे रहे हैं। मैं आपके बयान को उद्धवत कर सकता हूं। आप ने कहा था वहां आर्मी थी या नहीं यह पता लगाना पड़ेगा जाहिर है वहां के सुरक्षाकमांड और यहां के गृह मंत्रालय के बीच संवाद व समन्वय में विशेषरूप से कमी रही होगी। आप सारे कामों को अपनी ही ओर से अंजाम दे रहे हैं। इसीलिए कश्मीर में स्थिति इतनी गंभीर हुई है। मैं अमरनाथ यात्रियों को कश्मीर के आम मामलों से बिलकुल अलग रखता हूं। क्या सेना और राज्य प्रशासन के बीच समन्वय स्थापित करने और एक रणनीति बनाने के लिए सेना व अर्द्धसैनिक बलों के साथ जम्मू और कश्मीर प्रशासन की कोई बैठक बुलाई गई थी? यदि हां तो यह कब और किसकी अध्यक्षता में बुलाई गई थी।

एक अदना सा आदमी भी कह सकता है कि अमरनाथ की यात्रा करने वाले तीर्थयात्रियों में अधिकांशत: हिन्दू ही होते हैं सारे देश से हिन्दू अमरनाथ पहुंच रहे हैं। पाकिस्तान ने इस देश में सांप्रदायिक दंगे भड़काने में असफल होने के बाद आई एस आई और लश्कर-ए-तोइबा के माध्यम से कई हथकंडे अपनाए। धन्यवाद है भारत की उस जनता को जो कभी इसकी जाल में नहीं फंसी। केवल शांति वार्ता को विफल करना बल्कि इस तरीके से तीर्थयात्रियों पर वार करना पाकिस्तान का शायद यह अंतिम प्रकार का षडयंत्र था जिससे हिन्दू और मुसलमानों के बीच सांप्रदायिक रंग बिखेरा जा सके। क्या आपको इस बात की आशंका थी? क्या आपकी खुफिया एजेंसी और सरकार ने आपको इस बात की सूचना दी थी कि अमरनाथ के वर्तमान परिप्रेक्ष्य में शांति व्यवस्था को जम्मू और कश्मीर की जमीनी वास्तविकता से जोड़कर देखा जाए तथा चौकसी व अस्त्र शस्त्र की व्यवस्था भी इसी के अनुरूप की जाए। यदि हां, तो हमने क्या निर्णय लिए? हमने क्या दिशानिर्देश जारी किए? क्या हिजबुल मुजाहिद्दीन द्वारा वार्ता की पुष्टि किए जाने के बाद तीर्थ यात्रियों की स्थिति से निपटने के लिए सेना, अर्द्धसैनिक बलों व जम्मू व कश्मीर सरकार को भारत सरकार की ओर से विशेषकर रक्षा मंत्रालय और गृह मंत्रालय से कोई विशेष आदेश जारी किए थे। मेरा मतलब यहां "विशेष आदेश" से है और फिर मैं "बाद" शब्द का इस्तेमाल क्यों कर रहा हूं? सभापति महोदय, मैंने एक अधिकारी लेफ्टिनेंट जनरल जे.एन. मुखर्जी को दूरदर्शन पर अपना साक्षात्कार देते हुए देखा था। ये देश के सबसे अच्छे अधिकारियों में से एक हैं।

वे दूरदर्शन पर साक्षात्कार दे रहे थे। उन्होंने कहा था "हां हमें युद्ध विराम की खबर मिली है। हम इसे बनाए रखेंगे और इसका सम्मान करेंगे।" उसके बाद एक सवाल एक अन्य अधिकारी से किया गया "यदि कोई आंतकवादी आपके पास गोला-बारूद लेकर आता है, तो आप कैसे उसे पहचानेंगे कि वह आदमी लश्कर-ए-तोइबा का है या हिजबुल मुजाहिद्दीन का? आप कैसे जान पाएंगे कि उनके कमांडर कहां है या उनके रेजिमेंट कहां हैं।" मैं समझता हूं कि सरकार को इन सब बातों की पर्याप्त जानकारी थी कि लश्कर-ए-तोइबा कहां-कहां मजबूत स्थिति में है। चाहे वे डोडा में हों या कुपवाड़ा में या अनन्तनाग में या भारत के किसी अन्य भाग में, या फिर पहलगाम के किसी हिस्से में हुर्रियत का ही कमांड क्यों न हो। ये सब जानकारी आपको थी।

इन्हें संसद के ध्यान में लाने की बात भूल जाइए। मैं यह नहीं कह रहा हूं कि आप इन सबका एक-एक कर खुलासा करें। किन्तु, यह बात तो आपके अंत:करण में होनी ही चाहिए थी कि अमरनाथ तक जाने वाले मार्गक्षेत्र में शांतिवार्ता का विरोध करने वाले संगठन लश्कर-ए-तोइबा व हुर्रियत की मजबूत स्थिति का पता लगाया जाए और हिजबुल मुजाहिद्दीन या हुर्रियत के दबदबे वाले स्थानों की पहचान कर वहां सुरक्षा इंतजाम पुख्ता करने के आदेश अर्द्धसैनिक बलों व सैनिकों को दिए जांए। क्या सरकार ने ऐसा किया था? मैं कैसे जानूं कि सरकार ने ऐसा किया है? क्या जांच अधिकारी को उन्हे निर्देश देने का अधिकार है? यह अधिकार है। कौन हैं जांच अधिकारी को कहने वाला कि वे डा. फारूख अब्दुल्ला या आप या आपके अधिकारी गृह सचिव श्री कमल पाण्डेय से बात करें? यह भी एक बात है। मैं जानना चाहता हूं कि कार्यकारिणी से जांच कराए जाने पर कोई जांच अधिकारी शीर्षस्तर से हुई भूल को लेकर सवाल नहीं कर सकता, इसका सीधा सा कारण है। वह यह कि ऐसा किया जाना अवज्ञाकारिता माना जाता है।

उदाहरण के लिए मुझे एक बात याद है। बहुत पहले हमारे राज्य में काली शवाली हत्याकांड की न्यायिक जांच में कई तरह

[श्री प्रियरंजन दासमुंशी]

की जांच की गई थी। वहां भी न्यायिक जांच अधिकारियों का बचाव किया गया है। यदि मैं अपने से वरिष्ठ अधिकारियों से कोई सवाल करूं तो वे इसे अवज्ञाकारिता मान सकते हैं। यह है। यह भी एक बचाव का रास्ता है। फिर तो सच्चाई सामने नहीं आ सकती। आप यह भी कह सकते हैं कि सरकार ने बंद कमरे में निर्णय लिया है। हम आपको सहयोग करने को तैयार हैं। अच्छी बात है कोई बात बाहर न जाने पाये। आप बंद कमरे में ही संसद को रिपोर्ट कर सकते हैं मुझे कोई आपत्ति नहीं है। किन्तु, आप इससे कतराएंगे, सच्चाई को उजागर नहीं करेंगे तो क्या इससे भविष्य में कोई हल निकल पाएगा और अमरनाथ जैसे कई काण्ड होंगे इससे कश्मीर संकट को और बढ़ावा मिलेगा। कल आप देखेंगे कि संसद के समस्त सदस्य कश्मीर जाकर एक दूसरा ही संदेश दें। हम सभी सांसद कश्मीर की भूमि पर होंगे और पाकिस्तान से कहेंगे "इधर देखो। आगे बढ़ने की कोशिश मत करो। हम सभी जम्मू और कश्मीर की जनता के साथ हैं। हम सब एक हैं।"

मान लीजिए कि अगर ऐसी स्थित आती है, तो सुरक्षा का क्या बन्दोबस्त है? आप इसकी गारंटी नहीं दे सकते, आप इस संबध में कुछ नहीं कह सकते । मुझे तो अब भी एहसास है उस टीम के बारे में जो उस दिन श्रीनगर के दौरे पर गई थी और वे जो कुछेक घटना स्थलों पर जाने को तैयार थी। गृह मंत्री जी मेरा तो मानना है की वहां स्थिति अब भी इस कदर बनी हुई है कि सरकार इस बारे में कोई गारंटी नहीं दे सकती है और कहेगी "आप जाएं और निरीक्षण करें हम आपको सुरक्षा देंगे" यदि यहीं बात है तो प्रधान मंत्री, श्री सोमनाथ चटर्जी, श्रीमती सोनिया गांधी या अन्य नेताओं की बात छोड़ दीजिए जो घटना स्थल के दौरे पर गये थे वहां तो सारे निर्दोष तीर्थयात्री ही गए थे। सरकार ने देश भर से आये यात्रियों को भगवान के सहारे छोड़ दिया और सरकार अब कह रही है वहां आर्मी थी या नहीं हमें पता नहीं। यह तो रवैया है।

गृह मंत्री जी, आपका नियंत्रण होना चाहिए। आपको पूरी तरह नियंत्रण में होना चाहिए था। मैं समझता हूं कि आपका नियंत्रण ढीला पड़ रहा है। मैं कोई आरोप या दोष नहीं लगा रहा हूं। मुझे आशंका इस बात की है कि प्रधानमंत्री कार्यालय और गृह मंत्री कार्यालय के बीच कोई तालमेल नहीं है। तीनों, बल्कि यूं कहें तो, चारों के बीच कोई समन्वय स्थापित नहीं है—सीएमओ यानी श्रीनगर स्थित मुख्यमंत्री कार्यालय, पीएमओ अर्थात प्रधानमंत्री कार्यालय, आरएमओ अर्थात् रक्षा मंत्री कार्यालय और एचएमओ अर्थात् गृह मंत्रालय के बीच कोई तालमेल नहीं है। ये चारों ही कश्मीर के मामले के महत्पवूर्ण अंग हैं। मैं क्यों न्यायिक जांच पर जोर दे रहा हूं। वह इसलिए कि आपसी समन्वय नहीं है।

श्री सोमनाथ चटर्जी (बोलपुर): परिणाम केवल शून्य है।

श्री प्रियरंजन दासमुंशी (रायगंज): मैं विश्वास के साथ कह सकता हूं कि आपस में कोई मयान्वय नहीं है। मेरे पास सबूत है, मैं किसी को भयाक्रांत नहीं करने जा रहा हूं। "कश्मीर में भाजपा के वालनटिअर पुतले जला रहे हैं।"

[हिन्दी]

आतंकवाद का पुतला जलाया, ठीक है लेकिन आतंकवादियों ने बेरहमी से हमारे लोगों को मार डाला। कितने मारे कितने नहीं मारे, पता नहीं। उसके बारे में क्या करना चाहिए।

[अनुवाद]

वहां कितने लोग मारे गये हैं यह महत्वपूर्ण नहीं है। मैं आपको बताऊंगा उस रिपोर्ट के बारे में जो छपी थी। मैंने इसे हिन्दी से अंग्रेजी में अनुवाद किया है। यह नवभारत टाइम्स में चार तीर्थयात्रियों के फोटोग्राफ के साथ छपी थी—सर सुनिए पिलग्रिम्स क्या बोल रहे हैं। उन्होंने क्या कहा है:-

> "आतंकवादी या तो बन्दूक लिए हुए थे या माउजर। सुरक्षाकर्मी तीर्थयात्रियों की जान की रक्षा करने के बजाय हवा में गोली चला रहे थे तकरीबन आठ तीर्थयात्री उस घटना में मारे गए थे।"

[हिन्दी]

यह हम नहीं हैं, ये पिलग्रिम्स हैं जो अमरनाथ जा रहे थे।

[अनुवाद]

> "जवाहर सुरंग के पास सीमा सुरक्षा बल के जवानों ने एक टाटासूमों को जाने दिया। उसमें दो पुरुष और एक महिला सवार थे। कुछ दूरी तय करने के बाद इन लोगों ने बिहारी मजदूरों को ले जा रही एक बस पर फायरिंग करना शुरू कर दिया।"

उनकी जान बचाने के लिए बस में कोई सुरक्षा नहीं थी बिहार के मजदूर काम करने जा रहे थे।

"आतंकवादियों ने एक ही समय नौ जगहों पर धावा बोला"

माननीय गृह मंत्री का सदन में बयान आया कि आतंकवादियों ने एक साथ छह स्थानों पर धावा बोला। लेकिन इसमें मैं संशोधन करूंगा। ये छह स्थान नहीं थे, बल्कि नौ स्थान थे। मैं एक बार फिर इस बात को उद्धृत करता हूं:

> "सुरक्षाकर्मी जिस तरह से हवा में फायरिंग कर रहे थे। उससे यही पता चलता था कि या तो वे आतंकवादियों से भयभीत थे या फिर उनसे मिले हुए थे।"

हमने वहां कोई सेना नहीं देखी है।

मैं पुनः उद्धृत करता हूं:

"अमरनाथ तीर्थयात्री घबराए हुए हड़बड़ाहट में भाग रहे थे, किन्तु वे स्वयं को बचाने का कोई स्थान नहीं ढूंढ सके।"

वे केवल चीखपुकार रहे थे। अमरनाथ तीर्थयात्रियों के अनुसार, जो कुछ भी हुआ था। हमें यही आशा थी कि हम सुरक्षा के घेरे में हैं। उनकी आशाएं क्या थीं?

[हिन्दी]

किसी ने पूछा पुलिस तो जरूर होगी, तो वे कहते हैं। व्हाइट ड्रेस में जरूर होगी हमारे साथ भेजी होगी, घबराओ नहीं।

[अनुवाद]

उन्होंने सोचा कि आपने उन्हें सादी वर्दी में भेजा है। लेकिन जब घटना शुरू हुई, तो उन्हें यह पता चला कि सामान्य कपड़ों वाले सभी लोग तीर्थयात्री थे और वर्दीधारी लोग कम थे। इस प्रकार से बस यात्रियों की नृशंसा हत्या कर दी गयी अथवा बिहार के श्रमिकों की हत्या कर दी गई। सर्वाधिक शुभ यात्रा के प्रबंध का आपका यह तो तरीका था। मैं अमरनाथ यात्रा की तुलना माननीय गृह मंत्री जी की अयोध्या यात्रा से नहीं कर रहा हूं। अमरनाथ यात्रा सभी प्रकार की राजनिति से मुक्त हिन्दू लोगों की पवित्र कामना थी। जहां जाकर देश के हिन्दुओं ने पूजा-अर्चना करने की सोची थी।

वे निर्दोष लोग थे उनको आप पर भरोसा था और वे आप पर निर्भर थे। यह घटना अगर डोडा अथवा पहलगाम में घटी होती तो मैं समझ सकता था, लेकिन यह घटना नौ अथवा दस स्थानों पर घटी। सुरक्षा के लिहाज से मैं वहां नियुक्त अधिकारियों के नामों का खुलासा नहीं करना चाहता। एक अति वरिष्ठ अधिकारी ने मुझे संवेदनशील स्थानों के बारे में बताया जहां कि तीर्थ यात्रियों को आना था। आंतकवादियों के आने की स्थिति में हमें कैसे स्थिति का सामना करना है, इस संबंध में कोई दिशा-निर्देश नहीं दिए गये थे। उसने बताया कि तीर्थयात्री सौ थे तथा आतंकवादी तीन हो सकते हैं और हथियार बढ़िया थे। अगर वे गोली चलाना शुरू करें तो उन्हें किस प्रकार अलग करना है। तीर्थ यात्रियों को अलग करने के लिए सुरक्षा बलों के प्रशिक्षित गुट नहीं थे। बैरिकेड लगाये जाने चाहिए थे।

अपराह्न 4.53 बजे

[श्रीमती मार्ग्रेट आल्वा *पीठासीन हुईं।*]

माननीय गृह मंत्री जी, मैं आपको गंगासागर मेले के संबंध में बताऊंगा।

[हिन्दी]

आडवाणी जी, उसको देखने के लिए मैं आपसे प्रार्थना करूंगा कभी गए होंगे।

[अनुवाद]

वहां लाखों लोग इकट्ठा होते हैं। पश्चिम बंगाल सरकार योजना का अनुसरण कर कार्यवाही कर रही है या नहीं, इस संबंध में मैं नहीं जानता। मुझे कुछ पता नहीं है। मैं वहां नहीं गया हूं।

महोदय, मुझे याद है, 1976 में हमें एक चेतावनी भरा पत्र मिला था कि नक्सलवादियों द्वारा कोई संकट खड़ा किया जा सकता है। उस समय श्री सिद्धार्थ शंकर राय जी मुख्यमंत्री थे। कार्रवाई की रूपरेखा तैयार की गयी। हावड़ा स्टेशन से लेकर मैदान तक और गंगा सागर तक सुरक्षार्थ प्रत्येक बस के आगे पीछे पुलिस बल और अर्ध-सैनिक बल गये थे। लंगर के स्थान पर, प्रत्येक व्यक्ति को जाना पड़ा और अपना भोजन लेना पड़ा। यात्रियों ने अपने-अपने कार्ड दिखाये और बाहर के किसी भी आदमी को वहां प्रवेश करने और भोजन करने की अनुमति न थी। यह 1976 की बात है। अब, वर्ष 2000 चल रहा है। आपकी सरकार ने क्या किया?

अतः हमारी मांग राजनैतिक मांग न होकर एक वास्तविक मांग थी। अब, मैं कानूनी पक्ष पर बोलूंगा...*(व्यवधान)*

श्री सिमरनजीत सिंह मान (संगरूर): छत्तीसिंहपुरा में सिक्खों की नृशंसा हत्या के बारे में आप क्या कहेंगे?

श्री प्रियरंजन दासमुंशी: आज सुबह श्री सिमरनजीत सिंह मान ने छत्तीसिंहपुरा की घटना के बारे में भी मुझे याद दिलाया। जी हां, यह नृशंस नरसंहार था। यह सबसे घृणित घटना थी उसकी न्यायिक जांच की मांग करना भी गलत नहीं था और उसका मैं समर्थन करता हूं। लेकिन सरकार ने वह जांच क्यों नहीं कराई? सरकार ने उस समय यह महसूस किया होगा कि यदि उन्होंने न्यायिक जांच की तो सुरक्षा बलों का मनोबल कम हो सकता है। पर आप इस बहाने पूरे राष्ट्र का मनोबल गिराते हैं। क्या इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। मैं समझता हूं कि अगले दिन संसदीय कार्य मंत्री द्वारा उसकी वैधता पर ही प्रश्न चिह्न लगा दिया गया था। इस विषय पर चर्चा करते हुए उन्होंने कहा था कि अनुच्छेद 370 के अनुसार यदि कोई सरकार कश्मीर के संबंध में न्यायिक जांच आयोग को नियुक्त करती है तो वह ऐसा नहीं कर सकती क्योंकि संविधान की सातवीं अनुसूची की I और III सूची

[श्री प्रियरंजन दासमुंशी]

में केन्द्र सरकार के विषय हैं और सूची II में राज्य सरकारों के विषय हैं। नहीं यह पूरी तरह से गलत है।

श्री सोमनाथ चटर्जी एक प्रसिद्ध वकील हैं। संभवत: वह इस विषय को ज्यादा स्पष्ट करेंगे। सूची I की प्रविष्टि 97 में संविधान के अनुच्छेद 248 के अंतर्गत अवशिष्ट विधायी शक्तियों से संबंधित क्रियाकलापों की रोकथाम के बारे में कहा गया है। अवशिष्ट विधायी शक्तियां कौन-कौन सी हैं? प्रविष्टि 97 के अनुसार:

''क्रियाकलाप को रोकना:—

(क) विधि द्वारा स्थापित सरकार को आंतकित करने या लोगों या लोगों के किसी अनुभाग में आंतक उत्पन्न करने या लोगों के किसी अनुभाग को पृथक करने या लोगों के विभिन्न अनुभागों के बीच समरसता पर प्रतिकूल प्रभाव डालने वाले आतंकवादी कार्यों को अंतर्वलित करने वाले, कश्मीर में आतंकवादियों अथवा किसी भी अन्य व्यक्ति द्वारा किया गया ऐसा कार्य विधि द्वारा स्थापित सरकार को आंतकित करने और लोगों में खौफ पैदा करने वाले आंतकवाद से अन्तर्ग्रस्त कार्य हैं। ये शक्तियां पूरी तरह से केन्द्र सरकार के अधीन हैं क्योंकि प्रविष्टि 97 आंतकवादी क्रियाकलापों को रोकने, भारत की संप्रभुता और अखण्डता को अस्वीकार करने, उस पर प्रश्न चिह्न लगाने अथवा उसे बाधित करने वाले क्रियाकलापों अथवा भारतीय क्षेत्र के किसी भाग को अलग करने अथवा संघ से भारतीय क्षेत्र के किसी भाग को अलग करने अथवा भारतीय राष्ट्रीय ध्वज, आदि का अपमान करने वाली गतिविधियों आदि से अंतर्ग्रस्त क्रियाकलापों के संबंध में संसद को विशिष्ट शक्तियां प्रदान करती है। ये सभी कार्य भारत सरकार के क्षेत्राधिकार में हैं। श्री प्रमोद महाजन ने प्रविष्टि 97 के इन उपबंधों का अध्ययन नहीं किया है। चूंकि ये उपबंध संघ सूची के हैं, न तो ये समवर्ती सूची के हैं और न ही राज्य सूची के इसलिए जम्मू और कश्मीर राज्य में इनके कार्यान्वयन के संबंध में स्पष्टत: भारत सरकार ही इस अधिनियम के अंतर्गत प्रश्नगत जैसी घटनाओं की जांच करने के लिए जांच आयोग नियुक्त कर सकती है। अत: गृह मंत्री जी, कानूनी रूप से, तकनीकी रूप से और संवैधानिक रूप से अनुच्छेद 370 अथवा अनुच्छेद 248 के बहाने न्यायिक जांच आयोग नियुक्त करने की आपको मनाही नहीं है। संसद द्वारा संशोधित सूची 1 की प्रविष्ठि 97 के अंतर्गत संसद ने स्वयं को पर्याप्त शक्तियां दी हैं और आपको जांच आयोग नियुक्त करने का पूरा अधिकार है। अत: मैं पूरी गंभीरता और विनम्रता से आपसे यह अनुरोध करुंगा कि आप इस प्रस्ताव के साथ राजनैतिक मांग जैसा बर्ताव न करें, इस प्रस्ताव को आप स्वयं को असमंजस में डालने वाली विपक्ष की मांग न समझें। इससे सुरक्षा बलों का मनोबल कम न होगा। त्रुटियों को जानकर सुरक्षा बल अधिक शक्तिशाली बनेंगे।

[हिन्दी]

वे हमको कहते हैं कि मुझे क्यों बदनाम करते हो, ऊपर से अगर खबर नहीं ली और हमें ठीक नहीं बताया, तो हमें बदनाम करते हो?

[अनुवाद]

अत: मै समझता हूं संभवत: इससे सुरक्षा बल हतोत्साहित नहीं होंगे बल्कि आप नहीं तो आपके मंत्रालय का मनोबल काफी हद तक कम हो सकता है इसलिए आप इस बहाने का सहारा लेने की कोशिश कर रहे हैं कि इसका इस्तेमाल नहीं किया जाना चाहिए ताकि सुरक्षा बलों का मनोबल न गिरे।

अंतत: आडवाणी जी, यदि आप वास्तव में ''सत्यम्, शिवम, सुन्दरम'' में विश्वास करते हैं, यदि आप ''सत्यमेव जयते'' के पुजारी हैं तो मैं आपसे यह अनुरोध करुंगा कि आप न्यायिक जांच का बुद्धिमतापूर्ण निर्णय लें और सत्य को सामने आने दें और जहां तक इस प्रकार की घटनाओं का प्रश्न है, सुरक्षा बलों, प्रशासन आज की सरकार, कल की और भविष्य की सरकार का सम्बन्ध है, इससे राष्ट्र के भाग्य को एक दिशा मिलेगी, इन शब्दों के साथ मैं, इस प्रस्ताव का समर्थन करता हूं और सरकार तथा सदन के दोनों सदनों से इसका समर्थन करने का अनुरोध करता हूं।

अपराह्न 5.00 बजे

[हिन्दी]

श्री मोहन रावले (मुम्बई दक्षिण मध्य): 12 मार्च, 1993 को 12 बम विस्फोट हुए।...*(व्यवधान)* आपको पता होने के बावजूद बम विस्फोट हुए थे। कश्मीर में आपके राज में इतने लोग मारे गए।...*(व्यवधान)*

सभापति महोदय: आप इंटरप्ट मत कीजिए।

...(व्यवधान)

सभापति महोदय: आप जब बोलेंगे, तब यह बात कीजिए।

...(व्यवधान)

श्री मोहन रावले: मुम्बई शहर में साढ़े तीन सौ लोग मारे गये थे। इनकी सरकार थी।...*(व्यवधान)*

सभापति महोदय: आप होम मिनिस्टर से बाद में बात कर लीजिए।

...(व्यवधान)

[अनुवाद]

सभापति महोदय: डा. विजय कुमार मल्होत्रा के भाषण के अलावा कुछ भी कार्यवाही वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया जाएगा।

*...(व्यवधान)**

सभापति महोदय: श्री मोहन रावले, आप बाद में बोल सकते हैं और इस विषय को उठा सकते हैं।

[हिन्दी]

डा. विजय कुमार मल्होत्रा (दक्षिण दिल्ली): सभापति महोदय, श्री प्रियरंजन दासमुशी ने एक बहुत ही दर्दनाक और दुर्दान्त घटना के संबंध में प्रस्ताव रखा। अमरनाथ यात्रा के दौरान तीस से अधिक लोगों का मारा जाना, साथ ही अन्य स्थानों पर सौ से अधिक लोगों की हत्या होना और उसके बाद पिछले 4-5 दिनों में लगातार कोई न कोई घटना होती जाए।...*(व्यवधान)*

कुंवर अखिलेश सिंह (महराजगंज, उ.प्र.) आप मरने वालों की जो संख्या बता रहे हैं, उसे ठीक कर लीजिए।...*(व्यवधान)* आठ लोग मेरे जनपद के मर चुके हैं। ...*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

श्री प्रकाश परांजपे (ठाणे): महोदया आपको इन्हें अध्यक्ष बना देना चाहिए। तब वह चुप रहेंगे...*(व्यवधान)*

[हिन्दी]

डा. विजय कुमार मल्होत्रा: ये घटना इतनी वीभत्स थी, इतनी भयंकर घटना है जिससे सारा देश आतंकित हुआ। मेरा भी खून खौलता है। अभी आपने कहा कि अखबारों में पूछा गया तो 73 प्रतिशत लोगों के यह कहा कि अमरनाथ कांड की न्यायिक जांच होनी चाहिए। मेरे विचार में तो देश में 100 प्रतिशत लोग ऐसे हैं जो कहते हैं कि इस तरह की घटनाएं नहीं होनी चाहिए और वहां आंतकवादियों को पूरी तरह समाप्त करना चाहिए। सारा देश इस बात की मांग कर रहा है।

मैं आपसे सहमत हूं कि इसके तथ्य सामने आने चाहिए। तथ्य जरूर सामने आने चाहिएं। यह सवा सौ, डेढ़ सौ लोगों की हत्या का सवाल नहीं है, पिछले 10-12 सालों में 30,000 से ज्यादा लोग जम्मू कश्मीर में आतंकवादी घटनाओं में मारे गए 5,000-6,000 सैनिक मारे गए। चार युद्धों में जितने लोग नहीं मारे गए, उससे ज्यादा सैनिक इस प्रॉक्सी वार में मारे गए। अमरनाथ यात्रा में जो स्थिति पैदा हुई, इन्होंने उसके साथ और बहुत सारे सवाल जोड़े हैं। मैं उन्हें इस समय जोड़ना नहीं चाहता परन्तु तथ्य जरूर सामने आने चाहिए और तथ्य सामने लाने के लिए सरकार ने कमीशन बनाया, जांच कमेटी बनाई और कमेटी के सामने मुद्दे रखे हैं:

[अनुवाद]

"समिति मुख्य रूप से निम्नलिखित की जांच करेगी:-

(क) क्या किसी सरकारी कर्मचारी की कोई सुरक्षा संबंधी चूक अथवा ड्यूटी के प्रति लापरवाही किए जाने की वजह से उग्रवादी आक्रमण संभव हुआ है अथवा उसकी इसको मदद मिली है।

(ख) सुरक्षा संबंधी चूक का पता चलने की स्थिति में, क्या उत्तरदायित्व निर्धारित किया जा सकता है और संबंधित सरकारी कर्मचारियों को उनकी संबंधित त्रुटियां बताई जा सकती हैं तथा क्या उस संबंध में सिफारिश की जा सकती हैं।

(ग) क्या कैंप में रहने वाले लोगों पर फायरिंग शुरू होने के तुरन्त बाद मरने वालों की संख्या को कम किया जा सकता था।"

[हिन्दी]

श्री प्रियरंजनदास मुंशी ने लगभग यही सवाल पूछे। उनमें कौन लोग हैं जिनके बारे में उन्होंने कहा कि यह केवल एग्जीक्यूटिव इन्क्वायरी है। उसमें रखा गया है जम्मू और कश्मीर सरकार के सुरक्षा सलाहकार वहां लैफ्टिनैंट जनरल श्री मुखर्जी को बनाया गया, प्रिंसिपल सैक्रेटरी, होम डिपार्टमैंट, डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट। प्रधान मंत्री जी ने यह बात भी कही कि अगर इस जांच के बाद सदन चाहेगा तो मुझे ज्यूडीशियल इन्क्वायरी में भी कोई संकोच नहीं है। परन्तु इसकी इन्क्वायरी हो जाने दीजिए। तथ्य सामने आ जाने दीजिए। तथ्य आपके सामने जायें उसके बाद इस बात को देखें। आप क्या समझते हैं कि ज्यूडिशियल इन्क्वायरी ऐसी चीज है जिसमें सारे तथ्य सामने आ जाते हैं। श्रीमती इंदिरा गांधी की हत्या के बाद ज्यूडीशियल इन्क्वायरी हुई थी। उसमें बताया गया कि शक की सुई किस पर है। कांग्रेस पार्टी ने उसी व्यक्ति को चुनाव में टिकट दी थी। क्या उसमें से तथ्य निकल आते हैं?

राजीव गांधी जी की हत्या के बाद जो ज्यूडीशियल इन्क्वायरी हुई तो उसमें से क्या तथ्य सामने आये। उसमें कितने वर्ष लगे। 10-10 साल, 15-15 साल और 20-20 साल से इन्क्वायरीज चल रही हैं और उन इन्क्वायरीज के बारे में आम तौर से यह कहा

*कार्यवाही-वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया गया।

[डा. विजय कुमार मल्होत्रा]

जाता है कि वह परदा डालना है। मैं तो सोचता था कि राजनैतिक दल अच्छी तरह से जानते हैं कि अगर किसी को कवर करना हो, अगर कोई चीज एकदम न करनी हो, किसी बात पर परदा डालना हो तो ज्यूडीशियल इन्क्वायरी कर देते हैं वह सालों साल चलती है और जब तक उसकी रिपोर्ट आती है, तब तक सब लोग उसे भूल चूके होते हैं। उसमें से कुछ निकलता नहीं है। अभी इन्क्वायरी में कहा गया कि तीन महीने में इन्क्वायरी करो, तीन महीने में तथ्य बताओ। तीन महीने में आपके सामने सारे तथ्य आ जाएंगे फिर अगर हाउस चाहे कि नहीं, इस पर और चीजें चाहिएं और बातें हमें पूछनी हैं तो आप पूछें, उसमें किसी को कोई एतराज की बात नहीं, परन्तु मुझे बड़ा आश्चर्य हुआ है कि कांग्रेस पार्टी ने यह रेजोल्यूशन नियम 184 के अंतर्गत रखा है। पिछले एक महीने में, जब से यह सदन चल रहा है लगातार पहले हुर्रियत कांफ्रेंस के नेता छूटे, उसका जिक्र किया गया तो बहस हुई। उसके बाद हिजबुल मुजाहिदीन से जब बात होने लगी तब बातचीत हुई। अमरनाथ यात्रा के बाद यहां पर सवाल आये और कश्मीर गवर्नमेंट ने अपना स्वयत्तता का प्रस्ताव पास किया तो उस पर बहस हुई और लगातार एक बार नहीं, दो बार नहीं, तीन बार नहीं, कभी जीरो ऑवर में, कभी स्पेशल मेंशन में, कभी डिबेट में सदन में इस विषय पर बहुत बार बहस हुई है। यह बहस पहली बार नहीं हो रही। सभी पार्टियों ने अपने-अपने विचार इस पर प्रकट कर दिये थे, परन्तु इसे नियम 184 में क्यों लाये, वोटिंग क्यों कराना चाहते हैं? क्या सरकार गिराना चाहते हैं, क्या यहां पर जो हमारे सहयोगी दल हैं, उनको तोड़ना चाहते हैं, क्या यह चाहते हैं कि यहां पर पता लगे कि कौन कहां पर खड़ा हुआ है। नियम 184 के अन्दर बहस क्यों, बहस नियम 193 में हो सकती थी, आप एडजर्नमेंट मोशन लाते। आपने कहा कि अटल जी एडजर्नमेंट मोशन लाये थे, आप भी एडजर्नमेंट मोशन लाकर बात करते और उस तरह की कोई बात करते तो कोई एतराज की बात नहीं थी। मतदान हो, वोटिंग हो, वोटिंग के अन्दर पता लगे, सरकार गिरे और फिर कहते हैं कि इसमें कोई राजनैतिक स्वार्थ नहीं है, फिर आप कहते हैं कि इसमें कोई पोलिटिकल मामला नहीं है। नियम 184 के अन्दर इसको लाना, मैं समझता हूं कि अमरनाथ यात्रा में जो सैंकड़ों लोगों का नृशंस नरसंहार हुआ है, उसका राजनैतिक लाभ उठाने का इतना निकृष्ट उदाहरण इससे पहले कभी नहीं हुआ। मुझे लगा कि कांग्रेस पार्टी ने कोई सबक ही नहीं सीखा। कारगिल के मामले में क्या हुआ। कारगिल का मसला आया तो कारगिल में 20,000 फीट, 18,000 फीट की चोटियों पर हमारे नौजवानों ने वीरता से शहादत देकर विजय प्राप्त की थी और मुझे मालूम है कि सभी दलों की प्रधान मंत्री जी ने मीटिंग बुलाई और उनसे कहा कि मैं आपके सामने सारे तथ्य रखना चाहता हूं, ये हालात हैं बताइये क्या करें। तब भी कहा जा रहा था कि पहले यह पता लगाओ की घुसपैठिये कैसे आ गए, घुसपैठिये क्यों आ गये, किसकी गलती से आये, पहले इसका पता लगाओ, इसकी ज्यूडीशियल इन्क्वायरी करो। कमीशन ऑफ इन्क्वायरी एक्ट के अन्दर इन्क्वायरी करो, इसकी इन्क्वायरी होनी चाहिए। उन्होंने कहा कि श्री सुब्रहमण्यम की अध्यक्षता में कमेटी बना दी गई है तो कहा कि नहीं, यह सुब्रहमण्यम कमेटी क्या करेगी। हमें तो ज्यूडीशियल इन्क्वायरी चाहिए। उस समय ज्यूडीशियल इन्क्वायरी की ये मांग कर रहे थे। मैंने आपसे कहा कि वहां दुश्मन ऊपर बैठा था और नीचे बैठे हुए हमारे लोग ऊपर चढ़ रहे थे, मर रहे थे और वहां से उनके शव देश के अन्दर आ रहे थे, तब भी ये ज्यूडीशियल इन्क्वायरी की मांग कर रहे थे। देश ने इन्हें उसका जबाब दिया। उसके बाद चुनाव हुए तो देश ने 115 साल पुरानी कांग्रेस को 115 सीटें भी नहीं, दीं, उससे कहीं कम सीटों पर आप पहुंच गये। उस समय जब युद्ध होता है प्रॉक्सी वार हो रही है, ये चीजें हो रही हैं, तब आपको सिर्फ यह सूझ रहा है कि वहां पर ज्यूडीशियल इन्क्वायरी होनी चाहिए। वहां पर पता लगे कि आडवाणी जी ने क्या किया था, फलां ने क्या किया था, इसकी बात करो। जब यहां पर युद्ध हो रहा होता है, लड़ाई हो रही होती है, उस पर यहां पर ज्यूडीशियल इन्क्वायरी की मांग की जाती है। मैं नेहरू जी की पुरानी बात नहीं कहना चाहता था, परन्तु जब चाइना की वार हुई ...*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

श्री प्रियरंजन दासमुंशी : कारगिल युद्ध के समय, हमने यह मांग नहीं की थी...*(व्यवधान)*

श्री प्रकाशमणि त्रिपाठी (देवरिया): हमने श्री दासमुंशी को बहुत शांति के साथ सुना। इन्हें भी डा. मल्होत्रा को शांति के साथ सुनना चाहिए...*(व्यवधान)*

[हिन्दी]

डा. विजय कुमार मल्होत्रा: कांग्रेस पार्टी ने चाइना की वार के समय एक सर्कुलर निकाला। उस सर्कुलर का एक वाक्य मैं पढ़कर सुना देता हूं:

[अनुवाद]

> सभी जिलों में, छोटी और बड़ी बैठकें आयोजित होनी चाहिए। प्रधानमंत्री के विषय में आलोचना करने के विरुद्ध सकारात्मक रूप से कार्यवाही की जानी चाहिए। इस पर ध्यान दिया जाए कि जो भी उनकी आलोचना करते, हैं वे राष्ट्रद्रोही हैं।

मैं तो नहीं कह सकता कि मेरे जो भाई हैं, जो सदस्य हैं, वे देशभक्त हैं, वे ट्रेटर हैं। इनको ट्रेटर कहने का मैं साहस नहीं

कर सकता। पर कांग्रेस पार्टी उस समय कहा करती थी जब युद्ध हो रहा हो या प्राक्सी वार हो रही हो, उस समय कोई आलोचना करे, वह ट्रेटर है। यह कांग्रेस पार्टी का कथन है जो मैंने इसको यहां रखा है।

[अनुवाद]

श्री अधीर चौधरी (बरहामपुर, पश्चिम बंगाल): लेकिन श्री कृष्णमेनन ने उस समय इस्तीफा दे दिया था।

[हिन्दी]

डा. विजय कुमार मल्होत्रा: उस समय नेहरू जी ने जो कहा था, वह भी मैं बताता हूं चीन के साथ युद्ध के समय उन्होंने कहा था, बहुत से सदस्यों ने कहा है कि हम तैयार नहीं हैं, उस समय बहुत से सदस्यों ने कहा था कि आपने नंगे पांव भेज दिया, बिना हथियार भेज दिया, मरवा दिया और हम लोग हारकर चले आए। तब नेहरू जी ने कहा कि इन्क्वायरी होगी, मौका आने पर अगर इसकी जरूरत होगी तो, पता चलेगा कि अपनी क्या गलतियां हैं, तो हम उनको सुधारेंगे, पर इस समय अगर कोई इस बात की मांग करता है कि अभी ज्यूडिशियल इन्क्वायरी कराओ, यह देश हित में नहीं है। समय नहीं है वरना मैं सारा पढ़ कर सुनाता। अपने मौके पर आप एक बात कहें, दूसरे मौके पर दूसरी बात कहें, यह उचित नहीं है। कांग्रेस पार्टी को कुछ बातों के बारे में विचार करना चाहिए।

सभापति महोदय, आपने कहा कि हमने समर्थन दिया है। यह ठीक है, जब सरकार कदम उठाए तो समर्थन करना चाहिए। परंतु तीन-चार चीजें आपके सामने रखना चाहता हूं, जब आडवाणी जी ने शुरू-शुरू में यह बात कही कि हमें प्रो एक्टिव रोल वहां अदा करना चाहिए, तो यह नहीं कहा था कि हॉट परस्यूट करके पाकिस्तान में जाना चाहिए। यह कहा था कि आतंकवादी हमला करें, तब रिएक्ट करने के बजाय हमें पहले ऑफेंसिव लेना चाहिए, हाइड डाउट्स पर जाना चाहिए, अपनी तरफ से रोकना चाहिए। कांग्रेस पार्टी ने लोक सभा में और राज्य सभा में हा-हाकार मचा दिया कि ये युद्ध करना चाहते हैं, ये लड़ाई की बात कर रहे हैं, आते ही इन्होंने ऐसी बात कह दी। आपको प्रो एक्टिव में किस बात पर आपत्ति थी। प्रो एक्टिव का मतलब यह था कि जो बात आज आप करने जा रहे हैं, हमें सब कुछ देख कर उपाय करने चाहिए।

सभापति महोदया, टाडा खत्म हो गया। कुछ जगह उसका दुरुपयोग हुआ। उसकी जगह कोई कानून बनना चाहिए, बहुत दिनों से ऐसी बात हो रही है। दिल्ली में सैकड़ों लोग इस तरह के पकड़े गये हैं जो बम ले जा रहे थे, जिनके पास से, हाथों से बम बरामद हुए। दीनदार अंजुमन के तीन आदमी जीप में मारे गये। दुर्भाग्य से उस दिन किसी ने जिक्र नहीं किया कि हिन्दुस्तान में दंगे फैलाने का पाकिस्तान कैसा खुला खेल खेल रहा है। उसके बारे में कांग्रेस पार्टी ने और अन्य किसी ने जिक्र नहीं किया। दीनदार अंजुमन के तीन आदमी रंगे हाथों पकड़ लिए गये। कांग्रेस शासित राज्यों की सरकारों द्वारा कहा जा रहा है कि पाकिस्तान किस तरह से साजिश कर रहा है। लेकिन इस तरह की घटनाओं के लिए कार्रवाई करने के लिए कोई एक्ट नहीं है, टाडा नहीं है, उनको रोकने का कोई कानून नहीं है, उनको बंद करने का कोई कानून नहीं है। आप इस बात पर भी विचार करें। पिछले दस साल से कश्मीर के अंदर एक भी आतंकवादी को सजा नहीं हो सकी। अगर उनको सजा नहीं होगी, दंड नहीं दिया जा सकता। कश्मीर में ऐसे हालात हैं कि कोई जज या कोई दूसरा व्यक्ति किसी आतंकवादी के खिलाफ बयान या गवाही नहीं दे सकता। आप ज्यूडिशियल इन्क्वायरी के बारे में बात करते हैं। किसी ने ठीक कहा कि मुम्बई में बम कांड हुआ, उसी के साथ अमेरिका में वर्ल्ड टावर में बम विस्फोट हुआ था। दो साल के अंदर वहां तीन-तीन सौ साल की सजा दी गई वहां तीन सौ साल तक की भी सजा होती है, मौत की सजा दी गई लेकिन हमारे यहां आज तक केस चल रहा है। उसका कोई पता नहीं है। आप हमेशा टाडा का विरोध करते हैं, कोई कानून लाना चाहे तो कहते हैं कि मत लाओ। अगर कोई कानून न हो, कोई दबदबा न हो तो आतंकवाद कैसे रुक सकता है और फिर धारा 370 की बात करते हैं कि एक कमांड होनी चाहिए, मिलिट्री को खुली इजाजत होनी चाहिये। अभी आपने ज्यूडिशयल इन्क्वायरी की बात कही और उसमें धारा 370 बाधक नहीं होती, यह बात साबित करने में लगे हुए हैं। धारा 370 और स्टेट एक्ट ये सब ऐसी चीजें हैं, जिन पर विचार करने को आप तैयार नहीं हैं। मुझे बहुत दुख होता है, जैसा कि आपने भी कहा, क्या हिन्दुस्तान में कभी कोई रुबैय, या राजकुमार या विमान अपहरण जैसी घटना हो, तभी कुछ यहां पर आतंकवादियों को छूट मिलेगी, उनको इस प्रकार से छोड़ा जाए।

यह सौ करोड़ की आबादी का देश है और सौ करोड़ लोगों के देश में कुछ आंतकवादी देश को अपनी मुट्ठी में रखते हैं। मुझे बड़ा आश्चर्य हुआ। मैं कोई राजनैतिक बात नहीं करता। मैं कोई इस पक्ष की या उस पक्ष की बात या कांग्रेस मिनिस्टर की बात या दूसरों की बात नहीं करता परन्तु जब मैंने देखा और सारे देश ने देखा कि कर्नाटक के मुख्य मंत्री टेप भेज रहे हैं और कह रहें हैं कि वीरप्पन जी, आपने यह अपहरण कर लिया, हमें बड़ी तकलीफ हुई है। उससे गिड़गिड़ा रहे हैं, भीख मांग रहे हैं। आज इस देश ने रुबैया के टाइम पर भी, आपने ठीक कहा और कांधार के मामले में भी जब हमने उन लोगो को छोड़ा था तो उससे भी बड़ा डीमोरलाइजेशन हुआ है। परंतु यह कोई एक पार्टी की बात

[डॉ. विजय कुमार मल्होत्रा]

नहीं है। सारे देश को सोचना चाहिए, हम सब को इस पर विचार करना चाहिए। क्या हमारी हालत आज ऐसी हो गयी है, क्या इस देश की सामूहिक प्रचंड शक्ति आज ऐसी हो गयी है कि एक आदमी, एक विमान या एक व्यक्ति का अपहरण करके ले जाएं और हम उसके सामने पूरी तरह से असहाय हो जाएं? वह स्थिति पिछले पचास साल में पैदा हुई है। दो साल में पैदा नहीं हुई है हम सबके कारण से हुई है और यही कारण है कि पाकिस्तान से चार-चार युद्ध हुए। पाकिस्तान ने इसलिए किया कि वह जानता है कि यह छोटा देश है और हिन्दुस्तान को जीता नहीं जा सकता। यह देश इसकी आप्शंस सौफ्ट ऑप्शंस हैं। यह देश पिलपिला देश है, यह देश साधारण देश है और इसलिए जब चाहे आप इस पर हमला करो, जब चाहे जमीन वापस ले लो। यह देश ऐसा देश है कि 91000 कैदी भी मांगे तो वे भी छोड़ देंगे और उसके बदले में कुछ नहीं मांगेंगे तथा शांति वार्ता भी करते रहेंगे। इन परिस्थितियों के अंदर हम लोग खड़े हैं।

सारे देश को आज एक मैसेज देने की जरूरत है। मैसेस पाकिस्तान को भी जाना चाहिए, आतंकवादियों को भी जाना चाहिए कि हम बातचीत करना चाहते हैं कि आओ, बातचीत करो, आओ, शांति वार्ता करो परन्तु अगर आपने शांति नहीं करी तो इसके अजाम भुगतने पड़ेंगे। एक समय था जब यही आतंकवादी इसी तरह किया करते थे। नत्थुआ ने भागते हुए ऐसा मारा था कि नत्थुआ का नाम लेकर अपने बच्चों को लोग डराया करते थे। गीता में जो बात कही, भगवान ने कहा है:

"यत्र योगेश्वरो कृष्णा, यत्र पार्थो धनुर्धरा,
तत्र श्री विजयोभूति ध्रुवा नीतिर्मतिर्म"

कृष्ण आगे होने चाहिए। कृष्ण की जरूरत है, बातचीत की जरूरत है। बातचीत करो, शांति वार्ता करो, उनसे मिलकर बैठकर अधिक से अधिक जो संविधान के अंदर दे सकते हैं, उसकी बात की जाए परंतु न हो तो फिर अर्जुन चाहिए, फिर युद्ध भी होता है, चार बार युद्ध हुआ है। युद्ध से नहीं बच सकते। फिर युद्ध होता है और उस युद्ध में जीत भी प्राप्त करने की ताकत होनी चाहिए। "अग्रतो चतुरोवेदा, कृष्णा सशरंधनु"।

आगे-आगे वेद लेकर शांति की बात करो और पीछे तीर-कमान होने चाहिए। पीछे ताकत होनी चाहिए और यह एक सरकार नहीं कर सकती, एक व्यक्ति नहीं कर सकता बल्कि सारा देश कर सकता है, सारा देश इस तरह की भावना पैदा कर सकता है। मैं आपको कांग्रेस के एक सदस्य का उदाहरण देता हूं उन्होंने कहा था कि जब आपके पांव में कांटा चुभ जाये तो यह नहीं देखा जाता कि कांटा कहां से आया, पहले कांटा निकाला जाता है। तो कांटा निकालो, पहले पाकिस्तान का प्रोक्सी वार खत्म करो। उसके लिए सब लोग मिलकर तैयारी करो। फिर जो कमियां रह गई हों, जैसे हम सुब्रहमणियम रिपोर्ट पर विचार कर रहे हैं, ऐसा विचार उसके बाद कर लेंगे। उसके बाद गलतियां भी देख लेंगे और जो भी लोग दोषी पाए जाएंगे, उनको दंड भी देंगे। लेकिन जिस समय देश संकट में हो तो उस समस ऐसी मांग करना उचित नहीं है। इस समय तो देश की तरफ से पाकिस्तान को और आंतकवादियों को एक मजबूत संदेश देने की जरूरत है। मैं आशा करता हूं कि यह सदन इस तरह का संदेश देने में सरकार का साथ देगा। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी बात समाप्त करता हूं।

[अनुवाद]

श्री सोमनाथ चटर्जी: सभापति महोदया, मुझे प्रसन्नता है कि यह प्रस्ताव आया, यद्यपि मैं चाहता हूँ कि इसकी रूपरेखा थोड़ी अलग तरीके से बनाई गई होती। किन्तु कोई भी इस बात से इंकार नहीं कर सकता कि यह विषय अत्यन्त महत्व का है। हमने अभी-अभी अपने आदरणीय मित्र, श्री वी.के. मल्होत्रा के विचार सुने। केवल एक न्यायिक जाँच की बात को छोड़कर। उन्होंने सुरक्षागत खामियों के विषय में एक भी शब्द नहीं कहा।

ये सब दु:खद घटनाएँ हुईं कैसे? हमने इस प्रश्न को देखने की कोशिश ही नहीं की! न्यायिक जाँच करवाना यह पता लगाने की एक विधि है कि कोई बात हुई कैसे! हम इस विधि से सहमत नहीं हैं। जहां तक इस विषय की गंभीरता का संबंध है, हम इसे केवल अपने प्रतिपक्षियों पर ही आरोप मढ़कर अलग नहीं रख सकते। किन्तु सत्तापक्ष के आदरणीय वक्ता ने बिलकुल ऐसा ही किया।

सभापति महोदया, आपसे विनम्र अनुमति लेकर मैं इस सभा में पूर्ववर्ती अमरनाथ यात्रा के संदर्भ में 26 अगस्त 1996 को श्री जसवन्त सिंह द्वारा दिए गए भाषण में से दो एक वाक्य उद्धृत करना चाहूंगा। उन्होंने कहा था:

> "उन तीर्थयात्रियों के लिए जो वहां छूट गए हैं, पर्याप्त व्यवस्था का नियोजन करने, और फिर उन्हें समय पर सहायता तथा राहत उपलब्ध कराने में सजगता बरतने में सरकारी संवेदनहीनता तथा पूरी तरह से अक्षमता..."

श्री जसवन्त सिंह द्वारा इस सभा में उस दिन यह आरोप लगाया गया था। उस समय उन्होंने संभवतया इस बात की धारणा ही न की होगी कि ये शब्द पलटकर उन्हीं पर चरितार्थ होंगे। इससे भी बुरी स्थिति तो वह थी, जो हमने उस दिन पहलगाम

में देखी। इस सभा में अपनी बात रखते समय, श्री जसवन्त सिंह ने कहा था:

> "सेना को समय पर नहीं बुलाया गया। सेना को नहीं बुलाया गया, क्योंकि जम्मू और कश्मीर में अधिकारिक रूप से सेना को बुलाने के लिए कोई था ही नहीं।"

इन्होंने प्रधानमंत्री की उन टिप्पणियों के अतिरिक्त जिन्हें श्री प्रियरंजन दासमुंशी ने उद्धृत किया था कुछ मसलों पर चर्चा की है। वह भी बहुत महत्वपूर्ण बात है। उन्होंने तत्कालीन सरकार के कार्यकरण की गंभीर आलोचना की थी। अब उससे भी बदतर घटना हुई है। हमें घटनास्थल पर जाने का अवसर मिला और हमने प्रधानमंत्री का पहले ही इस बात के लिए धन्यवाद किया है कि वे हममें से कुछ लोगों को अपने साथ पहलगाम ले गए।

मुझे इसमें किसी भी तरह का कोई सन्देह नहीं है-मैंने पहले ही कहा है कि गृहमंत्री जी ने अनुपस्थित रहकर इसे और स्पष्ट कर दिया है—कि पक्के तौर पर कोई गंभीर चूक हुई है। यदि हम इसे छुपाकर रखना चाहें, तो इससे कुछ मिलेगा नहीं। इससे किसी का भला नहीं होगा। दो आदमी पहलगाम में कहर बरपा गये। केवल दो आतंकवादी! वे विदेशी थे, प्रधानमंत्री ने यह कहा है। वे आ कैसे गये? कौन सी सावधानियाँ रखी गई थी, जबकि हरेक आदमी यह जानता था कि वे लोग बड़ी संख्या में वहां एकत्र होने जा रहे थे? आतंकवादियों की पहचान करने में 45 मिनट कैसे लग गए? यह कैसे हुआ कि केवल दो आदमियों ने इतनी सारी हत्याएं कर डालीं? हमें यह बताया गया था कि आते समय उनके पास पहले हथियार नहीं थे। वे किये रास्ते से आ गये? उन्होंने हथियार कहां से लिये? ये गंभीर बिन्दु हैं—जिनकी महोदया, मुझे लगता है कि—सूक्ष्म प्रशासनिक जांच कराई जा सकती है।

हमने सुझाव दिया कि माननीय अध्यक्ष महोदय द्वारा कुछ संसद सदस्यों को घटनास्थल की जांच-परख करने के लिए चुना जाए। उनके द्वारा चयनित समाधान की वजह से मैंने कांग्रेस पार्टी के साथ बहस की, मैं उनके द्वारा जताई गई चिन्ता की भावना की सराहना करता हूँ। मुझे विश्वास है कि सभा का प्रत्येक वर्ग, जो कुछ हुआ—उसकी गंभीरता को समझता है।

महोदय, यह घटना 1 और 2 अगस्त, 2000 को हुई और हम इस पर आज, 21 अगस्त, 2000 को चर्चा कर रहे हैं। कितने दिन निकल गए हैं! लेकिन आज तक, सरकार का कोई पक्ष ही नहीं है। यह बहुत ही आश्चर्यजनक रूप से अक्षमता भरा कार्य है। अक्षमता का यह स्पष्ट उदाहरण है।

जैसा कि मैंने पहले ही कहा, जहां तक इस सरकार के कार्यकरण का संबंध है, उसमें पूरी तरह गिरावट हो रही है। महोदया, हमें यह समझना होगा कि यह घटना जम्मू और कश्मीर में हुई है। आज, कोई व्यक्ति मेरे घर श्रीनगर के कुछ मामलों के संबंध में मुझसे मिलने आया। उसने मुझसे पूछा—"महोदय, आप सब लोग कहते हैं कि जम्मू और कश्मीर भारत का एक अभिन्न अंग है। लेकिन क्या आप कश्मीरियों को भारत की जनता से अभिन्न समझते हैं?" मैंने कहा—"आप ऐसा क्यों कहते है?", उसने कहा—"क्या आप हमारी स्थिति के बारे में सोचते हैं? क्या आप हमारी परेशानियों से परेशान होते हैं? क्या आप वाकई यह जानने की कोशिश करते हैं कि वे लोग मुख्यधारा से अपने को कटा क्यों महसूस कर रहे हैं? आप केवल यह कहते और प्रचारित भर करते हैं कि जम्मू और कश्मीर भारत का एक अभिन्न अंग है, लेकिन उन लोगों को इसमें संशय है। उन्हें उनका अधिकार नहीं मिल रहा। वहां प्रशासन में समुचित भागीदारी नहीं है। उनके साथ कैसा व्यवहार किया गया है। सरकार-दर-सरकार कैसा बर्ताव होता आया है? आज, राज्य सरकार वाकई लोगों से कट गई है। वे लोग प्रशासन की यथार्थता के बारे में ही शंकित हैं।"

सभापति महोदया, मुझे किसी भी प्रकार से इसमें संशय नहीं कि आज जम्मू और कश्मीर के लोग, जो भारतीय हैं, शान्ति चाहते हैं। वे वहां हो रही घटनाओं से उकता चुके हैं। आतंकवाद का मुकाबला करने का सबसे बड़ा अस्त्र, सबसे बड़ी शक्ति यही है कि जम्मू और कश्मीर के लोग स्वयं शांति चाहते हैं।

यहां, हम एक ऐसी अत्यन्त महत्वपूर्ण घटना के बारे में बात कर रहे हैं—निरपराध लोगों की हत्या के बारे में। श्री प्रियरंजन दासमुंशी ने सही कहा कि उस तारीख और अवसर का पता किया गया था कि जब बड़ी संख्या में लोग वहां एकत्र होंगे। डा. नीतिश सेनगुप्ता पर राजनीति इतनी हावी नहीं थी; उस समय जब वे अपने दूसरे राजनीतिक रूप में थे, ...*(व्यवधान)*

श्री एस. जयपाल रेड्डी: क्या इन्होंने कहा?

श्री सोमनाथ चटर्जी: मेरा यह कहने का आशय नहीं था। मुझे विश्वास है कि वे समझते हैं कि उन्होंने क्या गलतियाँ की थीं। दसवीं अनुसूची की वजह से, वे अभी भी वहां हैं ...*(व्यवधान)* हां, अपने उस दूसरे राजनीतिक रूप में आपने एक रिपोर्ट दी थी ...*(व्यवधान)* बहुत अच्छे!

डॉ. नीतिश सेनगुप्ता: मुझसे तत्कालीन गृहमंत्री ने अनुरोध किया था। तब, मैंने उनसे कहा कि मैं तो राजनीति में आ चुका

[डॉ. नीतिश सेनगुप्ता]

हूँ। उन्होंने मुझसे कहा, "इससे फर्क नहीं पड़ता। भूल जाइए। लेकिन, हमें एक वरिष्ठ आदमी चाहिए।" तब, मैंने कहा, "अच्छी बात है, मैं कहूँगा" ...*(व्यवधान)*

श्री सोमनाथ चटर्जी (बोलपुर): तब, आप कांग्रेस की राजनीति में थे ...*(व्यवधान)* तृणमूल का अस्तित्व भी नहीं था ...*(व्यवधान)* यह कोई तैयार सामग्री नहीं है ...*(व्यवधान)* मैंने कहा, अपने दूसरे रूप में, इन्होंने एक रिपोर्ट दी जो कि बड़े महत्व की थी। मैंने यही कहना चाहा था। आपने गलत मतलब ले लिया। पर क्या उस पर कार्यवाही की गई?

महोदया, मैं यहां यह सब बतलाने का प्रयास नहीं कर रहा, कि हमसे यहां क्या कहा गया था। लोगों की सुरक्षा करने का तरीका क्या है या क्या होगा, या उस पूरे मार्ग का प्रभारी कौन रहेगा, आदि आदि। लेकिन एक बात बहुत महत्व की थी। जब प्रधानमंत्री लोगों के प्रतिनिधिमण्डलों से मिल रहे थे, तो हमें भी वहां उपस्थित रहने का अवसर था। एक व्यक्ति ने कहा, "मैं सीधा जम्मू से आ रहा हूँ। हमें बड़ा आडम्बर करके एक परिचय-पत्र दिया गया था, लेकिन अभी तक किसी ने उस परिचय-पत्र को नहीं देखा।" यदि कोई इसे देख ही नहीं रहा, तो उस परिचय-पत्र के देने का मतलब ही क्या था? मैं इसका उल्लेख यहां इसीलिए कर रहा हूं क्योंकि इससे हम सभी को धक्का लगा और मुझे तो लगा ही, कि एक नि:शस्त्र आतंकवादी किसी तरह का एक परिचय पत्र पा लेता है; या यदि उसे कोई पत्र मिला न भी हो, तो भी—कोई उसकी जांच नहीं कर रहा है। उस व्यक्ति के पास वह परिचय-पत्र था, लेकिन किसी ने उसे नहीं देखा। उसने कहा कि वहां जांच हो रही थी, कुछ तलाशी-वलाशी हो रही थी—जो भी कहा हो।

स्पष्ट है कि वहां से तो वह हथियार नहीं लाता। वह पहलगाम पहुंचता है और तब हथियार मिलते हैं। फिर, वहां किस किस्म की सुरक्षा है?

पास में ही सी.आर.पी.एफ. का एक शिविर था; स्थानीय पुलिस वहां थी, बी.एस.एफ. वहां थी; और सेना भी वहां थी। यह लापरवाही की हद है। विफलता की भी यह हद है। यदि इस सरकार का कोई आत्मसम्मान है, तो कुछ शीर्ष व्यक्तियों को उसी दिन वहां जाना चाहिए था। हुआ केवल यह, कि माननीय प्रधानमंत्री वहां गए। वे हमें भी ले गए। वह कहते हैं कि कुछ सुरक्षागत खामियाँ थीं। लेकिन आज तक देश को विश्वास में नहीं लिया गया—तब भी, जबकि नियम 184 के अधीन यह प्रस्ताव आया। मैं हमेशा से यह कहता रहा हूँ कि ऐसे मामलों में, तब तक कोई सार्थक चर्चा नहीं हो सकती, जब तक कि सरकार कुछ न कहे। हम केवल अपने विचार पेश कर रहे हैं। माननीय गृह मंत्री इस चर्चा का जवाब देंगे ...*(व्यवधान)*

सभापति महोदया: श्री सोमनाथ चटर्जी, क्या मैं बीच में कुछ कह सकती हूँ? 5.30 बजे एक आधे-घण्टे-की-चर्चा होनी है।

...*(व्यवधान)*

[हिन्दी]

श्री मुलायम सिंह यादव (सम्भल): सभापति महोदया, आधे घंटे की चर्चा बाद में कराइए। यह इतनी महत्वपूर्ण चर्चा हो रही है।

[अनुवाद]

संसदीय कार्य मंत्री तथा सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री (श्री प्रमोद महाजन): मैंने उन माननीय सदस्य से, जिनके नाम पर आधे घण्टे की चर्चा अनुसूचित है, से इसे गुरुवार को कराने का अनुरोध किया था, क्योंकि आज यह प्रस्ताव है और कल एक संविधान संशोधन विधेयक है। वह बड़ी उदारतापूर्वक मान गई। यदि सभा की भी सहमति हो तो हम यह चर्चा जारी रखें, आधे घण्टे की चर्चा को गुरुवार को लिया जा सकता है।

सभापति महोदया: तो, इस पर सहमति हुई।

श्री सोमनाथ चटर्जी: महोदया, मैं कह रहा था कि जब लोग वहां इकट्ठे हुए थे, उस अवधि तक, सब कुछ अच्छा चल रहा था—अर्थात्, आतंकवादियों के कुछ गुटों के साथ बातचीत की संभावना थी। हम कहते रहे हैं कि बातचीत होनी चाहिए। जब आतंकवादी घटनाओं को विराम देने की बात कही गई तो कुछ संवाद करने या विचार-विमर्श करने का अवसर था। लेकन क्या सरकार ने इस बात को नहीं समझा कि ऐसी भी ताकतें हैं जो गंभीर समस्याएं उत्पन्न करने की और उस बातचीत को न होने देने की चेष्टा करेंगी? यदि यह मालूम था, या नहीं भी था—तो यह पूर्ण विफलता है। यदि यह पता था, तो अतिरिक्त सावधानी बरती जानी चाहिए थी। क्या वह बरती गई? हमें इसके बारे में कुछ पता नहीं है।

अब मैं उस बात पर आता हूँ, जो सर्वाधिक आश्चर्यजनक थी। मैं यहां कोई रहस्य खोलने नहीं जा रहा। हरेक को यह मालूम है कि 45 मिनट में वे दो आतंकवादी लगभग 300 मीटर तक चले होंगे, जबकि हमारे सभी बल वहां मौजूद थे। आखिर में, वे मार दिए गए। उनमें से एक को बी.एस.एफ. के एक जवान ने अपने निजी रिवाल्वर से मारा। वह ड्यूटी पर नहीं थे, बल्कि चाय पी रहे थे। दूसरे ने सफेद मारूति कार के पीछे छुपते हुये

सी.आर.पी.एफ. के कमाण्डेण्ट के घर में शरण ले ली थी। वह वहाँ से निकाले गये और जाहिर है कि वह इस मामले में उनके साथ थे। अगर यह हाल है तो सैकड़ों, हजारों लोगों को न्यूनतम सुरक्षा देने में यह पूर्ण असफलता और पूरी लापरवाही नहीं तो और क्या है?

श्री प्रियरंजन दासमुंशी ने कहा था कि तीर्थयात्रा पर अमरनाथ जाने के अलावा उनका और कोई गुप्त उद्देश्य नहीं था। वे किसी अन्य उद्देश्य से वहाँ नहीं थे। यही कारण है कि किसी ने भी इसे निरुत्साहित नहीं किया। न तो स्थानीय प्रशासन ने और न ही भारत सरकार ने। दूसरी ओर, उन्होंने ऐसा आभास दिया कि उनकी सुरक्षा के लिए विशेष प्रबंध किये जायेंगे। उनके लिए कुछ नहीं किया गया है। अलग से कोई कदम नहीं उठाये गये हैं। कम से कम हमें उन अन्य कदमों के बारे में नहीं बताया गया। मुझे लगा कि प्रशासन को पूरी संतुष्टि थी और इसने मामले को गंभीरता से नहीं लिया। इसे सामान्य आये दिन की गतिविधियों की तरह एक आम घटना के रूप में लिया गया अगर कोई विशेष प्रबंधन किये भी गये थे, तो वे दिखाई नहीं दिये। किसी ने हमें उसके बारे में नहीं बताया। वे तीर्थयात्रियों में घुल-मिल गये तथा वे मौका पाते ही आक्रमण करने वाले व्यक्तियों की तरह थे। इन दो व्यक्तियों ने पुल पार किया, पुल पार करने के बाद उन्हें कोई मिला और इन्होंने उसे मार दिया। उसके बाद वे तीर्थ यात्रियों में घुल मिल गए और लोगों की हत्या करते रहे, और 45 मिनट तक उन्हें नहीं मारा जा सका। जैसा हमें पता लगा है ऐसा ही हुआ है। मैं उस स्थान पर नहीं जा सका। वास्तव में, विपक्ष के नेता, रेल मंत्री ने वहां जाने की तकलीफ की। हम प्रधान मंत्री के साथ थे और प्रतिनिधिमंडल की बात सुन रहे थे। लेकिन मुझे किसी तरह का कोई शक नहीं है, जो व्यक्ति जिम्मेदार थे उन्होंने ही घोर चूकें की थी। मैं किसी का नाम नहीं लेना चाहता, अन्यथा लोग मुझे गलत समझेंगे। अब स्थिति यह है।

हमें नहीं मालूम सरकार क्या जांच कर रही है। 2 अगस्त से आज तक हमें और कोई सूचना नहीं दी गई है। यदि मेरी बात गलत है तो इसे ठीक से आप बताइये। मैं दो दिन तक अनुपस्थित रहा। मैं समझता हूँ कि कोई वक्तव्य नहीं दिया गया है। जब कोई वक्तव्य ही नहीं दिया गया है, तो हम सरकार की गंभीरता को नहीं समझते।

उस बैठक में भी जो परामर्शदात्री समिति की दूसरे दिन हुई थी, मैंने उसमें यह पता लगाने का प्रयास किया लेकिन उसमें कुछ नहीं कहा गया। पिछले तीन हफ्तों से क्या होता रहा? सच्चाई को जानने के लिए क्या किया गया है? जिम्मेवार लोगों का पता लगाने के लिए क्या किया गया है? क्या कार्यवाही की गई है? आप यह कैसे उम्मीद कर सकते हैं कि लोगों का सरकार के निर्णयों तथा कार्रवाई में विश्वास होगा।

मैडम, हम यह न भूलें। इसमें कोई शक नहीं कि मामला पेचीदा है। जम्मू-कश्मीर के मुख्यमंत्री ने क्या स्थिति ली है? हुरियत नेताओं ने क्या स्थिति ली है? हिजबुल मुजाहिदीन क्या करने का प्रयास कर रहा है। इस संबंध में सरकार का क्या दृष्टिकोण है? वास्तव में, कोई इस संबंध में नहीं जानता।

प्रधानमंत्री जी कतिपय टिप्पणियां कर रहे हैं। गृह मंत्री जी कतिपय टिप्पणियां कर रहे हैं। देश के उस हिस्से में क्या रहा है? हमें इस बात की पुख्ता रिपोर्टें मिली हैं कि जो कुछ वहाँ हो रहा है, उससे लोग तंग आ चुके हैं। देश के उस हिस्से में सामान्य स्थिति बहाल करने के उद्देश्य से इसका फायदा उठाने का यह उचित मौका है। हम समझते हैं कि यही कमी वहां रही है—देश के प्रजातांत्रिक ताकतों के लिए उस हिस्से में केन्द्र बिन्दु कश्मीर के लोग रहे होंगे। जब तक कि आप उनका विश्वास हासिल नहीं कर लेते और जब तक ये लोग यह महसूस नहीं कर लेते कि यह सरकार उन्हें संरक्षण देने का प्रयास कर रही है, और यह संरक्षण भी केवल शारीरिक तौर पर नहीं, अपितु उनको यह महसूस कराने वाला हो कि आप का देश के उस हिस्से से और लोगों से वाकई लेना-देना है, तब तक आपको जम्मू कश्मीर के लोगों की ओर से प्राप्त होने वाली कोई मदद नहीं मिल सकती और यही कमी वहां खल रही है। जहां तक जम्मू कश्मीर के स्वायत्तता संबंधी प्रस्ताव का संबंध है, सरकार ने जिस तरीके से व्यवहार किया है वह ठीक नहीं है। सरकार ने सीधे ही इसे अस्वीकृत कर दिया तो फिर उनके सहयोगी दलों सहित वहां के बहुत से लोगों ने यह कहा कि इस पर चर्चा होनी चाहिए। तो फिर इस पर सरकार ने कहा कि हालांकि इसने इसे अस्वीकार कर दिया है लेकिन फिर भी इस पर चर्चा करने के लिए वह तैयार है और यही कीमत श्री वैको के समर्थन और उस जैसे दोस्तों के समर्थन के लिए उसे चुकानी पड़ी है।

स्वायत्तता संबंधी प्रस्ताव के संबंध में मैंने सभा में कहा था कि हम 1953 के पहले की स्थिति वापिस नहीं लाना चाहते हैं। हमारे पास अन्य भी मुद्दे हैं, जिन पर चर्चा की जा सकती है।

लेकिन इस प्रयोजनार्थ कोई प्रयास नहीं किया गया, कोई बैठक नहीं हुई। कोई चर्चा नहीं हो रही है। इस संबंध में प्रधानमंत्री ने बैठक नहीं बुलाई है, तो फिर क्या होगा। जम्मू-कश्मीर के लोग राज्य सरकार से तंग आ चुके हैं। इसमें कोई शक नहीं है। लेकिन स्वायत्तता का प्रश्न प्रत्येक आदमी के दिमाग में सबसे ऊपर है। सरकार स्थिति का जायजा नहीं लेती है, अपितु स्वायत्तता संबंधी प्रस्ताव को अस्वीकृत कर देती है। दूसरी ओर जातीय और धार्मिक बातों को लेकर जम्मू-कश्मीर को विभाजित करने जैसे सभी तरह के प्रस्ताव आ रहे हैं। इस पृष्ठभूमि में जब ऐसे गंभीर सुरक्षा संबंधी चूकें पूर्ण रूप से नियंत्रित नहीं की जा रही हैं, तो स्थिति को तो और पेंचीदा होना ही है। अतः हम

[श्री सोमनाथ चटर्जी]

चाहते हैं कि सच्चाई बाहर आये। हमारी बड़ी आपत्तियां हैं। दूसरे दिन मैंने कहा था कि हम न्यायिक जांच की मांग हेतु सहमत नहीं हो सकते। इस मांग में मैं कांग्रेस पार्टी की सत्यनिष्ठा पर आपत्ति नहीं जता रहा हूँ, लेकिन यह बात पूर्णतया अनुचित होगी कि इस सरकार को बख्श दिया जाये। ऐसा करने पर यह अपने आचरण का स्पष्टीकरण नहीं दे पायेगी। यह कहेगी कि यह न्यायिक जांच का मामला है, तो इस संदर्भ में हमें यहाँ कुछ नहीं कहना चाहिए। यहाँ कोई चर्चा नहीं होगी। प्रेस में भी कोई चर्चा नहीं होगी। ...*(व्यवधान)*

यहाँ पर चर्चा से बचने और जांच से बचने हेतु इससे उनको बहाना मिल जायेगा। जो भी गति हो, जो भी न्यायाधीश हो, जांच पूरा होने में वर्षों लग जायेंगे। और दुर्भाग्य से अगर यही सरकार सत्ता में रही और प्रतिकूल रिपोर्ट आयी तो इसका भी वही हाल होगा जो श्री कृष्ण आयोग की रिपोर्ट का हुआ था। अत: मैं कांग्रेस पार्टी से अनुरोध करता हूँ कि वह इस मुद्दे पर विपक्ष को विभाजित न करें। यह मुद्दा पूरी सभा का मुद्दा है।

मैं माननीय अध्यक्ष महोदय से समिति गठित करने का अनुरोध करता हूँ। चूंकि इस समिति में सभी दलों के सदस्य होंगे अत: देरी करने की कोशिश नहीं की जायेगी। मुझे विश्वास है कि डेढ़ घंटे के दौरे के दौरान बिना किसी मुश्किल के तथ्य एकत्र किये जा सकते हैं। हमें बहुत सामग्री मिल सकती है। तब हम अध्यक्ष महोदय से चर्चा कर सकते हैं कि क्या हुआ है। आइये हम सच का पता लगायें। मुझे कोई शक नहीं है कि सरकार सच दबाने के लिये उतावली है। सेना, रक्षा और सुरक्षा संबंधी विचार विमर्श के अभिवचन पर सरकार यह सुनिश्चित करने के लिए उतावली है कि तथ्य बाहर न आये क्योंकि अगर सत्य बाहर आया तो सुनिश्चित हो जायेगा कि सरकार शासन करने में सक्षम नहीं है। इस सरकार के हाथों में इस देश की सुरक्षा सुरक्षित नहीं है। मुझे इस मुद्दे पर सोचना चाहिये था, श्री लालकृष्ण आडवाणी को वैसा ही हावभाव दिखाना चाहिये था जैसा कि लाल बहादुर शास्त्री ने अपने समय में दिखाया था।

श्री एम.वी.वी.एस. मूर्ति (विशाखापत्तनम): महोदया, अमरनाथ के रास्ते पहलगाम में दुखद घटनाओं के बारे में इस सभा के सभी सदस्यों के गुस्से और क्षोभ को हम समझ सकते हैं। यह केवल एक पार्टी का मामला नहीं है कि हम यह सोचें कि अमरनाथ यात्रियों की सुरक्षित यात्रा के लिए जरूरी कदम जो सरकार को उठाने चाहिये थे, नहीं उठाये हैं।

हर हालत में सच बाहर आना चाहिए। इसके बारे में दो मत नहीं हैं। हमें यह नहीं भूलना चाहिए कि ये घटनाएं हमारी संवेदनशील सीमाओं पर घटी हैं। अधिकांश क्षेत्र दुरुह तराई वाले हैं और वहां लंबे रास्ते से होकर जाना पड़ता है। जैसा कि जिक्र किया गया है कि मार्ग ज्ञात था और यात्रा की तारीख भी ज्ञात थी। अत: सभा को सरकार द्वारा तीर्थयात्रियों की सुरक्षा के लिए किये गये उपाय अपर्याप्त लगे और इसी कारण बहुमूल्य जानें गई। इस बारे में दो राय नहीं है। सौ से भी अधिक तीर्थयात्री मारे गये। क्या कारण हो सकता है कि जो घटना 1996 में घटी थी, इस साल दुबारा घटी है? ये घटनायें काफी कुछ एक जैसी हैं। ये हमारी सीमाओं पर घटी हैं।

हमें यह नहीं भूलना चाहिये कि आज स्थिति बदली हुई है। पाकिस्तानी छद्म युद्ध लड़ रहे हैं। उनके बहुत से एजेंट देश में घुस आये हैं। जिन क्षेत्रों को हम दक्षिण भारत की तरह सामान्य और सुरक्षित मानते थे वहां भी आतंकवादी गतिविधियां देखने को मिली हैं।

आज जब हम इस मुद्दे पर चर्चा कर रहे हैं तो यह कहना उचित नहीं है कि गृह मंत्रालय ने पर्याप्त कदम नहीं उठाये हैं। जैसा कि कई सदस्यों ने कहा है ये कृत्य हिजबुल मुजाहिद्दीन या लश्करे तोयबा ने की है। सवाल यह है कि हमारे अर्ध सैनिक बल और सुरक्षाकर्मी क्या कर रहे हैं।

सभी ने इस बात को माना है कि इसमें कोई साम्प्रदायिक कोण नहीं है। ये घटनाएं हमारे देश और लोगों की सुरक्षा से संबंधित हैं। जो भी खामियां हैं, उन्हें दूर किया जाना चाहिये और माननीय सदस्यों को सुरक्षा के बारे में आश्वस्त करने के लिए माननीय गृह मंत्री को इस सभा को सुरक्षापायों से अवगत कराना चाहिए। यात्रियों को समय-समय पर कैसे सुरक्षा प्रदान की जा रही है। उन्हें इस सभा को इस संबंध में बताना होगा। ये मौतें दो दिन हुई हैं न कि सिर्फ एक दिन। ये अनेक स्थानों पर हुई हैं। यह भी हम लोगों के लिए चिंता का एक कारण है।

लेकिन इन घटनाओं की न्यायिक जांच की मांग करना न्यायोचित और औचित्यपूर्ण नहीं है। हम जानते हैं कि न्यायिक जांच का अर्थ क्या होता है और इसमें कितना समय लगेगा। हम यह भी जानते हैं कि किस प्रकार की सच्चाई सामने आएगी। हमने विगत में देखा है कि कितनी न्यायिक जांचें हुई हैं। ऐसी किसी न्यायिक जांच की रिपोर्ट आने के समय तक इस सभा के सदस्य भी बदल जाएंगे, ऐसा मेरा विश्वास है कि इसमें बहुत समय लगेगा। तो अब एक दण्डाधिकारी स्तर की जांच पहले ही शुरु कर दी गई है।

जब एक बार जांच निष्कर्ष सामने आ जाये और यदि आवश्यक हो और यदि संदेह की ऐसी कोई गुंजाइश न रहती हो कि ये घटनाएं कैसे घटी तो हमारे माननीय प्रधान मंत्री पहले ही कह चुके

हैं कि वे आवश्यक उपयुक्त कदम उठाएंगे। और यदि इसकी आवश्यकता है तो न्यायिक जांच भी होगी। लेकिन आज प्रथम दृष्टतया न्यायिक जांच की मांग से यह मुद्दा विचलित हो जायेगा और हम समस्या का कोई समाधान नहीं निकाल पाएंगे। मुझे ऐसी आशंका है। हम भिन्न-भिन्न दिशा की ओर चलेंगे। और इसके तुरन्त परिणाम नहीं निकाल सकेंगे। जब तक कि हम इन कारणों को नहीं जान लें कि ये क्यों हुई, गृह मंत्रालय सुधारात्मक कदम उठा पाने में सक्षम नहीं होगा तो इस "आफिशियल इंक्वायरी" को जो शुरू की गई है, अपनी रिपोर्ट सौंपने दो। रिपोर्ट के आधार पर कार्रवाई करें और फिर अगला कदम इस रिपोर्ट के निष्कर्षों के आधार पर उठाया जा सकता है। लेकिन हम सभी नाखुश हैं कि निर्दोष लोग मारे गए हैं और उन्हें उचित सुरक्षा प्रदान नहीं की गई थी। यद्यपि उनके मारे जाने के बाद हम उचित सुरक्षा प्रदान करते हैं तो अलग-अलग मत दिए जाएंगे। यदि सभी ऐहतियाती उपाय किए जाने के बाद कोई दुर्घटना घटती है तो यह विचार भी आयेगा ...*(व्यवधान)*

महोदया, आपको हमारी पार्टी को भी कुछ और समय देना पड़ सकता है। कृपया दीवार घड़ी को न देखें। यदि आप मुझे रोकना चाहते हो तो मैं रुक जाऊँगा।

सभापति महोदय: मुझे शाम तक 20 से अधिक वक्ताओं को बोलने की सूची मिली है।

श्री एम.वी.वी.एस. मूर्ति: लेकिन यह एक अत्यंत ही महत्वपूर्ण मामला है और सदस्य अपने विचार व्यक्त करना चाहेंगे।

पाकिस्तान बार बार कह रहा है कि वह हमारी सीमाओं से छेड़छाड़ करता है। एक मांग है कि हमारी सीमाओं को सही ढंग से सुरक्षा प्रदान की जाए और इन तत्वों को जो आतंक पैदा कर रहे हैं उन्हें दंडित किया जाए यह एक अत्यंत ही दुष्कर कार्य है। हमारी सीमाएं लंबी और मौसम बहुत ही प्रतिकूल है। जब तक कि कोई अत्यंत ही सकारात्मक कदम नहीं उठाया जाता स्थिति इसी प्रकार गंभीर बनी रहेगी। हम ऐसा बिल्कुल नहीं कह सकते हैं कि हमारी संपूर्ण सीमाएं सुरक्षित हैं और आतंकवादी हमारे देश में नहीं आ रहे हैं। आतंकवादी आ रहे हैं और वे अभी तक एक स्थान से दूसरे स्थान पर जा रहे हैं। हमें अपनी गुप्तचरी को मजबूत करना होगा और सीमाओं को सुरक्षा प्रदान करनी होगी। तभी हम अपने देश और लोगों के हितों की रक्षा कर पाने में समर्थ होंगे। गृह मंत्री जी को हमारे पड़ोसी देशों जो अपनी आतंकवादी गतिविधियों को बढ़ावा देने का प्रयास कर रहे हैं को भी एक संदेश देना चाहिए कि हमारा देश अब और चुप नहीं बैठेगा। हमें इन सभी आतंकवादी गतिविधियों को कुचलना होगा और तभी हमें अहसास होगा कि हमारी सीमाएं सही सलामत और सुरक्षित हैं और हमारे लोग सकुशल हैं। तब तक इस प्रकार की छोटी घटनाएं समस्याएं बढ़ायेंगी और आतंकवाद फैलायेंगी। कोई भी कह सकता है कि सरकार ने सही ढंग से कार्रवाई नहीं की है और उचित कदम नहीं उठाए हैं। सरकार को इन चीजों को बरदाश्त करना होगा क्योंकि जब से घटनाएं घटी हैं यह सरकार को देखना है कि ऐसी घटनाएं भविष्य में न हों। मुझे विश्वास है कि हमारे गृह मंत्री निश्चित रूप से यह ध्यान में रखेंगे और आवश्यक कदम उठायेंगे ताकि ऐसी घटनाएं भविष्य में दुबारा न हों। इस बीच, मैं प्रतिपक्ष के सदस्यों और सत्तारुढ़ दल के सदस्यों से अपील करूँगा कि इस स्थिति का राजनीतिकरण नहीं करें। उस जांच रिपोर्ट का हम लोग इंतजार करें जिसे शुरू किया गया है। जिस भी तरीके से यदि जरूरत पड़ी तो हम उपयुक्त कदम उठायेंगे।

[हिन्दी]

श्री मुलायम सिंह यादव (सम्भल): अध्यक्ष महोदय, एक अगस्त की राशि को आतंकवादियों ने पहलगांव में अमरनाथ यात्रियों पर हमला करके जो जघन्य अपराध किया गया है, मैं समझता हूं कि देश का सबसे जघन्य अपराध है, ऐसा मैं मानता हूं। उसी रात में लगभग छः स्थानों पर सौ लोगों की हत्याएं की गई। ये हत्याएं तीर्थ यात्रियों की, मजदूरों की और गरीबों की जो रोजगार की तलाश में गए हुए थे, जिनमें यू.पी. और बिहार के हैं, इन निर्दोष लोगों की हत्याएं की गई। यह ऐसी पहली घटना हुई है। हर समय धमिकयां दी गई लेकिन अमरनाथ तीर्थ यात्रियों पर हमला कभी नहीं किया गया। धमकियां बार-बार दी गईं। अमरनाथ की यात्रा कश्मीर की संस्कृति का एक अभिन्न हिस्सा है। पहलगांव में अमरनाथ की गुफा में जाने वाले तीर्थ यात्रियों पर हमला, एक ऐसा गहरा झटका कश्मीर की संस्कृति पर पड़ा है कश्मीर की इसी संस्कृति ने हमारे देश को कश्मीर से जोड़ा है क्योंकि यह तीर्थ यात्रा सैकड़ों साल पुरानी है और हर वर्ष इससे हजारों मुसलमानों का रोजगार मिलता था और इसी संस्कृति और परम्परा ने दो राष्ट्र के सिद्धान्त को ठुकराकर भारत में विलय करने का फैसला किया था। यह हमारे देश के लिए चुनौती भरी घटना है। मैं बाद में इस बात पर आऊंगा कि यह घटना क्यों हुई और इसके लिए कौन जिम्मेवार था। हम मौके पर गये थे। सोमनाथ जी ने बहुत कुछ बता दिया लेकिन 2 अगस्त को ही अमरीका के राष्ट्रपति श्री बिल क्लिंटन ने फोन करके प्रधानमंत्री जी को सहानुभूति दिखायी। सहानुभूति की वजह से माननीय प्रधानमंत्री जी को बड़ी खुशी हुई। उन्होंने सदन में सफाई भी दी लेकिन इस मामले पर पूरे विपक्ष ने एक एकजुटता दिखायी लेकिन विरोध अगर कहीं था तो सरकार में बैठे हुए घटक दलों की ओर से ही विरोध था। इस संबंध में विपक्ष की तरफ से किसी को भी कोई विरोध नहीं था, सभी एक थे।

दूसरी बात यह है कि ये घटनाएं आखिर क्यों हुई। पहले सरकार ने बिना शर्त हुर्रियत के साथ बात की पहल की, तब भी

[श्री मुलायम सिंह यादव]

हमने समर्थन किया। 24 जुलाई को बिना शर्त हिजबुल मुजाहिददीन ने एक तरफा युद्ध विराम घोषित किया तो प्रधानमंत्री, गृह मंत्री व रक्षा मंत्री ने स्वागत किया और केन्द्र सरकार ने जम्मू कश्मीर की राज्य सरकार व फारुख अब्दुल्ला की उपेक्षा करके आतंकवादियों के घटकों से बातचीत की अब क्या बात हुई, क्या नहीं हुई कहां रुकावट आई और क्यों आई? बातचीत क्या उनकी शर्तों पर हो रही थी या आपकी शर्तों पर हो रही थी यह कैबिनेट फैसला कर रहा था या कोई दूसरा फैसला कर रहा था वह भी बातचीत शुरू होने से पहले टूट गयी और अब फिर हिजबुल मुजाहिद्दीन से बातचीत करने की कोशिश हो रही है। पहलगांव के हमले को लेकर पूरे देश में भारी बेचैनी है। आतंकवाद का प्रभाव कश्मीर में ही नहीं पूरे देश एवं संसद में भी है।

सांय 6 बजे

अभी 15 अगस्त को कितनी कड़ी सुरक्षा व्यवस्था देश भर में की गई थी केवल यहीं नहीं, पूरे देश में क्योंकि पूरे देश में आशंका थी कि कुछ भी हो सकता है और कहीं भी हो सकता है। केवल दिल्ली में ही नहीं, राज्यों की राजधानियों या छोटे शहर सभी में दहशत एवं बेचैनी थी कि कभी कहीं भी बमबारी या कुछ भी हो सकता है। इतनी बेचैनी इतने बड़े देश में अमरनाथ यात्रियों पर हुए हमले के बाद हुई। सरकार ने क्या महसूस किया, यह सोमनाथ चैटर्जी जी ने बता दिया है। यह पहले कहा गया था कि पाकिस्तान से बातचीत नहीं करेंगे क्योंकि पाकिस्तान में लोकतंत्र नहीं है। और वहां आतंकवादी हमले हो रहे हैं। आतंकवादियों के वहीं पर अड्डे हैं। और यह भी कहा गया कि अखबारों में आ रहा है कि अमरीका में बात होगी, लेकिन हमें पता नहीं है कि क्या बात होगी। हमने पहले भी कहा, आज भी कहना चाहता हूं कि इस बारे में देश जानना चाहता है। क्योंकि कश्मीर लगातार 11 साल से इन आतंकवादियों को भोग रहा है। सरकार बता सकती है जनता को शांति के लिए और कितनी कीमत चुकानी पड़ेगी?

महोदय, 1996 में हम श्रीनगर गए थे। श्रीनगर के राजनीतिक दलों, समूहों पत्रकारों, सभी संगठनों से मिले थे। एक बात सबने स्वीकार की कि कश्मीर में हिन्दू या मुसलमान ऐसा एक भी परिवार नहीं है, जिसने बलिदान न दिया हो। हजारों लोग शहीद हुए हैं, फौज से जवान भी शहीद हुए हैं। सुरक्षा बलों के जवान भी शहीद हुए हैं और कश्मीर की जनता भी शहीद हुई है, लेकिन कश्मीर की जनता को शान्ति चाहिए, इस शान्ति को आप कैसे लाना चाहते हो? क्या इसके लिए आपने देश की जनता को या देश को विश्वास में लिया है? आपने संसद को विश्वास में नहीं लिया है, जैसी कि हमें जानकारी है। फौज को लिया है, या नहीं लिया यह आप जाने, इस पर मुझे कोई टिप्पणी नहीं करनी है। आपने अभी तक किसको विश्वास में लिया है और विश्वास में लेकर क्या कार्यवाही की है और क्या करना चाहते हैं? कहीं कोई विवाद नहीं है। पूरा विपक्ष देश के साथ है, यह आपकी सरकार की बात नहीं, क्योंकि यह पूरे देश का सवाल है। जब कारगिल का मौका आया, तो पूरा विपक्ष देश के साथ खड़ा था और आज भी देश के साथ खड़ा है। यह समझ में नहीं आ रहा है कि कैबिनेट ने क्या फैसला किया है। बात यह है कि हमारे देश की किस्मत हमारी तकदीर का फैसला कोई दूसरा देश कर रहा है। देश के समक्ष यह स्पष्ट होना चाहिए अभी तक कैबिनेट के मामले में हमें नहीं लगता है कि कैबिनेट के फैसले से कोई काम हो रहा है। अगर हो रहा है तो विभिन्न मत हैं। जार्ज साहब ने कहा, दुर्घटना बचाई जा सकती थी, हो सकता है थोड़ा समाजवादी संस्कृति बची हो दर्द बना हुआ हो, इस वजह से कह गए। इस पर एतराज नहीं होना चाहिए। सत्य बोल गए, तो उसमें एतराज नहीं होना चाहिए क्योंक शायद उनमें समाजवादी संस्कार बचे हों हो सकता है। समाजवादी दर्द बना हुआ है। उन्होंने कहा कि दुर्घटना बचाई जा सकती थी। उन्होंने खामियां स्वीकार की। खामियां थी, लेकिन मैं खामियों के विस्तार में नहीं जाना चाहता हूं। उनके बारे में सोमनाथ चैटर्जी जी और प्रियरंजन दास जी ने बता दिया है वहा लोगों ने बताया कि दो आतंकवादी पुल से होकर निकले। मैं पूछना चाहता हूं क्या पुल पर जांच हो रही थी या नहीं हो रही थी? तीन सौ मीटर के पुल से हथियार लेकर निकल गये। अगर नदी में पानी का बहाव तेज नहीं होता,. तो आंतकवादी कहीं निकल कर जंगल में भाग जाते। अगर किसी ने मदद की है, तो नदी के तेज बहाव ने की है, जिसकी वजह से वे दूसरी जगह नहीं भाग सके। इतनी ढीली सुरक्षा व्यवस्था थी और नदी में पानी का बहाव तेज नहीं होता, तो वे जंगल में भाग जाते, तो और भी हत्यायें हो सकती थी और वे बचकर निकल जाते। पूरी की पूरी सुरक्षा व्यवस्था में असफलता थी।

महोदय, वहां पूछा गया, क्या इन्टैलीजेंस की रिपोर्ट थी?

क्या कोई सूचना थी। सभी ने स्वीकार किया कि सूचना थी और अगर सूचना नहीं थी तो प्रधानमंत्री जी या गृह मंत्री जी उत्तर दें कि पहले से सूचना थी या नहीं। धमकियां तो आ रही थी उसके बाद भी इतनी बड़ी दुर्भाग्यपूर्ण घटना कैसे हो गई। अमरनाथ यात्रियों पर हमले को लेकर आज सबसे ज्यादा दो बातों को लेकर देश में हल्ला मचा है। मैं ज्यादा लम्बा नहीं बोलना चाहता। पहली बात यह है कि पाकिस्तान और हिन्दुस्तान के बिगड़े संबंध और दूसरी बात यह है कि हमारे देश के अल्पसंख्यकों के अंदर भय

उत्पन्न हुआ है और वे असुरक्षित अनुभव कर रहे हैं। जहां तक पाकिस्तान और हिन्दुस्तान के रिश्तों की बात है, यह किसी से छिपा नहीं है। समाजवादी पार्टी महासंघ की पक्षधर है पहले भी थी आज भी है। हम चाहते हैं कि दोनों देशों में अच्छे रिश्ते हो और अच्छे रिश्ते बनाने में अगर कोई तीसरा देश भी मदद करे तो हमें उस पर एतराज नहीं होना चाहिए क्योंकि विदेशी शाक्तियों ने ही भारत व पाकिस्तान का बंटवारा कराया। अगर कोई तीसरा देश हमारे संबंधों को सुधारता है तो हमें कोई ऐतराज नहीं है— हम इस पक्ष के हैं, पहले भी थे और आज भी हैं। जब जर्मनी की दीवार टूट सकती है तो पाकिस्तान, हिन्दुस्तान और बंगलादेश की भी टूट सकती है। ढीला-ढाला महासंघ बनाने के हम पक्षधर हैं। गृह मंत्री जी, आप भी इस पर कुछ बोलिए क्योंकि हम सभी समाजवादियों ने हमेशा नकली बंटवारा हिन्दुस्तान और पाकिस्तान का माना है।यह नकली बंटवारा है और यह नकली बंटवारा खत्म होना चाहिए। हम इसके पक्षधर थे और अब भी हैं। लेकिन जब तक पाकिस्तान अलग राष्ट्र है और महासंघ नहीं बनता और वह हमारे देश में आंतकवादी हरकतें करवाता है तो पाकिस्तान को तत्काल सबक सिखाना चाहिए। अगर वह आपसे दोस्ती करता है, महासंघ बनाने के पक्ष में है, जैसे पूर्वी और पश्चिमी जर्मनी दोनों एक हुए हैं, यह प्रयास समाजवादियों द्वारा किया गया था वैसे ही हम इस पक्ष में रहेंगे कि महासंघ बने। लेकिन जब तक पाकिस्तान अलग है तब तक हमारी राय है कि पाकिस्तान को सबक सिखाना चाहिए। इसके लिए कड़े से कड़ा कदम उठाया जाए। हम समाजवादी लोग देश के साथ रहेंगे। लेकिन आपके जिस तरह के बयान हैं और जिस तरह की आपकी अलग-अलग राय है, उनसे आशंकाएं जरूर उत्पन्न होती हैं। लेकिन मेरी राय है कि अल्पसंख्यक समुदाय के दिमाग से असुरक्षा की भावना समाप्त करने का लगातार प्रयास किया जाए क्योंकि आतंकवाद को समाप्त करने के लिए मुसलमानों को विश्वास में लेना पड़ेगा। लेकिन हम तीसरे देश की दखलअंदाजी बर्दाश्त नहीं करेंगे। अखबारों में बहुत सी बातें छप चुकी हैं और पूरी चर्चा है कि अमेरिका में प्रधान मंत्री जी जा रहे हैं, उस समय बात होगी और इसे स्वीकार किया। पहले कहते थे कि हम जो आतंकवादियों से बात करेंगे वह संविधान की परिधि में और फिर मानवता की परिधि में करेंगे। अब पता नहीं किस परिधि में बात की जा रही है लेकिन उसमें हम एक नतीजे पर पहुंचे हैं, कश्मीर की जनता को शांति चाहिए। जहां तक सुरक्षा व्यवस्था का सवाल है, उसमें आपकी सरकार पूरी तरह से असफल रही है। कुछ साथियों ने कहा कि गृह मंत्री जी इस्तीफा दें। वह अकेले जिम्मेदार नहीं हैं, इसके लिए पूरी सरकार जिम्मेदार है। यह हो सकता है कि विपक्ष से नहीं बल्कि एन डी ए से ही गृह मंत्री के विरुद्ध साजिश हो सकती है। आपस में ही मतभेद हैं, इतने गंभीर मसले को लेकर हमारी तरह से मतभेद नहीं है, आपकी तरफ से हैं। आप कुछ भी उत्तर दें, हम तो पूरी सरकार को जिम्मेदार मानते हैं, जब इस्तीफा मांगेंगे तो हम पर सरकार का ही मांगेगे। अकेल गृह मंत्री का नहीं, लेकिन आज मैं देश की कीमत पर राजनीति नहीं करना चाहता। आपने अभी तक क्या कार्यवाही की है क्योंकि वहां सुरक्षा बलों की पूरी की पूरी असफलता है, चाहे वह राज्य सरकार की पुलिस हो, केन्द्रीय सुरक्षा बल हों या फौज हो। हम चाहते हैं कि पार्लियामेन्ट की संसदीय दल की समिति बने और तत्काल इसमें जो दोषी हैं, वे देश के सामने आयें। जनता जानना चाहती है कि जो दोषी हैं, उनके खिलाफ क्या कार्यवाही की जा रही है।

यह सही है कि न्यायिक जांच की परिधि में यह पहला मामला आएगा, हम इस पर बोल भी नहीं सकते। यह मामला आयेगा कि न्यायिक जांच हो रही है, इसलिए, मैं न्यायिक जांच का विरोध करता हूं इसलिए नहीं चूंकि हमें न्यायिक जांच के नतीजे के उदाहरण आपके सामने बताना चाहते हैं। पहला जो हमारे मित्र के साथ हुआ, वह उदाहरण दूंगा और दूसरा वर्ष 1984 के दंगों का उदाहरण मैं दे रहा हूं न्यायिक जांच के बाद भी आज तक सिखों को न्याय नहीं मिला। मैंने इस सवाल को कई बार उठाया था। मैं उसका एक उदाहरण देता हूं–श्री सरमुख सिंह साहनी, 123/406, फैक्टरी एरिया, फजल गंज, कानपुर के निवासी हैं। अभी उनकी उम्र 66 साल हैं। 1984 के दंगों में उनकी पूरी फैक्टरी जलाकर राख कर दी गई। न्यायालय ने अपने आदेश दि. 8.4.1996 को मुआवजे के तौर पर 2,72,86,470/-रुपये देने का आदेश दिया और कहा कि चार महीने के अंदर भुगतान कीजिए। उत्तर प्रदेश सरकार ने सर्वोच्च न्यायालय में अपील की। सर्वोच्च न्यायालय ने उच्च न्यायालय के निर्णय को दि. 3.5.1999 को सही माना तथा तुरंत अदायगी के आदेश जारी किए हाई कोर्ट तथा सुप्रीम कोर्ट दोनों ने आदेश जारी किए, लेकिन फिर भी आज तक श्री साहनी को कोई भुगतान नहीं किया गया है। यह मिश्रा आयोग की रिपोर्ट है, जूडीशियल इंक्वायरी है, उसका एक नतीजा है।

सभापति महोदय, दूसरा उदाहरण माननीय नेता विरोधी दल के प्रति इस देश के नेता जो मेरे मित्र तथा हमदर्द थे मैं पूछना चाहता हूं कि जैन आयोग कि रिपोर्ट का क्या हुआ। उस जूडीशियल इंक्वायरी का क्या हुआ, वह कहां गई। वह नेता विरोधी दल के पति ही नहीं, देश के नेता, हमारे हमदर्द हमारे मित्र थे। मैं मानता हूं कि हमारे उनसे अच्छे संबंध थे, लेकिन वह जूडीशियल इंक्वायरी कहां गई, जैन आयोग कहां चला गया। मेरे पास ऐसे दर्जनों उदाहरण हैं। चाहे हाशिमपुरा, मेरठ हो, मुरादाबाद हो और श्री कृष्ण आयोग की रिपोर्ट हो। जिन्हें 14,15 और 16 साल हो गये। हम अपने काग्रेसी मित्रों से कहेंगे कि जैन आयोग की रिपोर्ट कहां चली गयी, जिसे लेकर हमारी सरकार भी गिरा दी गयी और उसके बाद अभी तक इंसाफ नहीं मिला है। इसीलिए हम जूडिशियल इंक्वायरी का विरोध करते हैं। हम इसलिए भी विरोध करते हैं क्योंकि अमरनाथ यात्रियों पर यह हमला कोई आंतरिक हमला नहीं

[श्री मुलायम सिंह यादव]

है, यह विदेशी हमला है। यह एक देश पर दूसरे देश का हमला है। चाहे आप इसे आतंकवादी हमला कहें पर हम उसे पाकिस्तानी हमला ही कहेंगे। पाकिस्तान फौज को भेज रहा है, अपने लोगों को पैसा दे रहा है, इसमें अंतर है। इस अंतर को स्पष्ट करना चाहिए। यह विदेशी हमला है जब हमारी फौज या सुरक्षा बल विदेशियों से लड़ रहे हों और शहीद हो रहे हों तो उस वक्त हम किसी कीमत पर न्यायिक जांच को स्वीकार नहीं कर सकते हैं। इसलिए हम उसका विरोध करते हैं और इसलिए भी विरोध करते हैं क्योंकि आज जब देश के सामने खतरे हैं और हमारे सुरक्षा बल और हमारी फौज विदेशियों से लड़ रही हो और शहीद हो रही, ऐसे मौके पर हम नहीं चाहते, मेरी समझ के अनुसार और जो मैंने अध्ययन किया है या जानकारी प्राप्त की है, जब कभी इस प्रकार की कोई घटना हुई है तो दुनिया में किसी ने भी न्यायिक जांच नहीं कराई है। इसलिए हम न्यायिक जांच का विरोध करते हैं। लेकिन जो इसमें दोषी हैं, जो लापरवाही बरती गई है, उस लापरवाही को सरकार अपने स्तर पर तत्काल बताये कि उनके खिलाफ क्या कार्यवाही की जा रही है। इसलिए हम कहना चाहते हैं कि अमरनाथ यात्रियों पर जो हमला है, इससे बड़ा देश का कोई अपराध नहीं हो सकता है, जो यहां हुआ है। इसलिए हम यह जरूर कहेंगे कि अगर आपके अच्छे रिश्ते बनते हों तो खुशी की बात है, लेकिन अगर रिश्ते नहीं बनते हैं तो अब पाकिस्तान को सबक सिखाने के अलावा और कोई रास्ता नहीं है।

श्री अनन्त गंगाराम गीते (रत्नागिरी): सभापति महोदय, 1 अगस्त को अमरनाथ यात्रा में आतंकवादियों द्वारा जो नरसंहार हुआ, 2 अगस्त को उसी मामले को हमने इस सदन में उठाने की कोशिश की।

सायं 6.15 बजे

[श्री श्रीनिवास पाटील *पीठासीन हुए*]

सभापति जी, जो निरपराध यात्री अमरनाथ यात्रा में मारे गऐ, उनके बारे में हम गृह मंत्री जी से निवेदन करने की मांग कर रहे थे। यहां से मदन लाल खुराना जी बार-बार यह मांग कर रहे थे कि जो यात्री मारे गये हैं उनके प्रति सदन में शोक प्रकट किया जाए और मैं याद दिलाना चाहता हूं कि जब सारा सदन एक ओर से इस दुर्घटना के प्रति शोक प्रकट करने की मांग कर रहा था, उसी समय दासमुंशी जी कांग्रेस की ओर से जेठमलानी जी के इश्यू को लेकर जेपीसी की मांग कर रहे थे।...*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

श्री प्रियरंजन दासमुंशी: हमने पहले एक सूचना दी है लेकिन अध्यक्ष महोदय द्वारा स्वीकार नहीं किया गया।

[हिन्दी]

मैं आपको सुधारने के लिए कह रहा हूं कि आपके तथ्य गलत हैं। हमने घटना के बाद ही मोशन दिया लेकिन स्पीकर ने टाइम मांगा था। इसलिए यह कहना ठीक नहीं है।

श्री अनन्त गंगाराम गीते: उस दिन सदन की कार्यवाही जेठमलानी जी के मामले को लेकर स्थगित हो गई। फिर दूसरे दिन जब सदन शुरू हुआ फिर से हमने अमरनाथ यात्रा की दुर्घटना पर चर्चा की मांग सदन में की। खुराना जी बार-बार उसी बात को दोहरा रहे थे और फिर दूसरे दिन अध्यक्ष जी द्वारा इस सदन के अंदर शोक प्रस्ताव रखा गया।

सभापति जी, आज दासमुंशी जी ने नियम 184 के तहत यह चर्चा सदन में शुरू की है। मुझे लगता है कि अभी हमारे कांग्रेसी साथियों को अपनी गलती का अहसास धीरे-धीरे होने लगा है। पूरा नहीं होगा, लेकिन धीरे-धीरे हो रहा है और यदि उनको अपनी गलती का अहसास होता है तो भी देश के हित के लिए अच्छा है, बुरा नहीं है।

सभापति जी, जो नरसंहार हुआ, वह घटना इस देश के लिए कोई गर्व की बात नहीं, सरकार के लिए कोई गर्व की बात नहीं। उस घटना पर तीन बार चर्चा हो गई। प्रधान मंत्री जी घटनास्थल पर भी गए और अपने साथ विरोधी दल के कई नेताओं को लेकर गए थे।...*(व्यवधान)* हर बात में यदि आप राजनीति करेंगे तो इस चर्चा का कोई मतलब नहीं रहेगा। राजनीति की आवश्यकता है, हम राजनीति करने के लिए आए हैं लेकिन जो गंभीर मसला है। ...*(व्यवधान)* आपने तुरन्त गृह मंत्री जी का नाम लिया इसलिए।

सभापति जी, आज देश की सीमाएं असुरक्षित हैं, लगातार पाकिस्तान की ओर से हमले हो रहे हैं। हमने कारगिल की लड़ाई में विजय हासिल करने के उपलक्ष में विजय दिवस भी मनाया। जवानों पर सारे देश को गर्व है। उनके बलिदान से हमें कारगिल की विजय मिली। लेकिन जो कारगिल की विजय है, जिसे हम विजय मानते हैं, वह युद्ध हमारी भूमि पर हुआ था। हमने अपनी भूमि बचाने में सफलता पाई है फिर भी वह हमारे लिए विजय है। विजय इसलिए है कि इसके पूर्व जितने भी युद्ध हुए, और भारत की भूमि चाहे चीन के पास गई या पाकिस्तान के पास गई, उसे हम वापस हासिल नहीं ले पाए।

सभापति महोदय, पहली बार हमने कारगिल युद्ध में इंच-इंच जमीन हासिल की। इसलिए हम इसे विजय मानते हैं। कारगिल की जीत, पलभर का आनन्द है। असली जीत तब होगी जब हम पाक अधिकृत कश्मीर को हासिल करेंगें। उसे हासिल करने की आवश्यकता है।

सभापति महोदय, जब भी आंतकवादियों के हमले होते हैं, मुझे मालूम है, मैं 11वीं लोक सभा से इस सदन का सदस्य चुनता चला आ रहा हूं तो हर बार चाहे गृह मंत्री श्री इन्द्रजीत गुप्त हों, चाहे श्री लाल कृष्ण आडवाणी हों, सरकार किसी की भी हो, सदन में यही बयान दिया जाता है, कि इसमें पाकिस्तान का हाथ हैं, जो आंतकवादी हैं, उन्हें पाकिस्तान प्रशिक्षण दे रहा है और यह प्रशिक्षण पाक अधिकृत कश्मीर में दिया जा रहा है।

सभापति जी, अभी हमारे मुलायम सिंह जी यहां बोल रहे थे और कह रहे थे कि पाकिस्तान को सबक सिखाने की आवश्यकता है। आज सबसे बुरी हालत सीमा पर है और हमें यदि पाकिस्तान से मुकाबला करना है तो मैं नहीं समझता कि बातों से यह समस्या हल होगी। मैं नहीं मानता कि चर्चा से यह समस्या हल हो जाएगी। जब हिजबुल मुजाहिदीन ने शस्त्र प्रयोग न करने की संधि की, तो उनका एक कमांडर भारत के साथ शान्ति की वार्ता कर रहा था और दूसरा कमांडर इस्लामाबाद में घोषणा कर रहा था कि हमने कोई शस्त्र-बन्दी नहीं की है, कोई शस्त्र-संधि नहीं की है। इसका मतलब यह है कि पाकिस्तान द्वारा रचा हुआ यह एक षडयंत्र है। प्रति दिन सीमा पर हमले हो रहे हैं।

सभापति जी, मैंने प्रश्नकाल में एक प्रश्न पूछा था। महोदय, आप भी अपने क्षेत्र में जाने के लिए इंदिरा गांधी एयरपोर्ट से फ्लाइट पकड़ते होंगे। आपने भी देखा होगा कि वहां एक परमानेंट श्रद्धांजलि सभा स्थल बनाया गया है। हिन्दुस्तान की राजधानी में हवाई अड्डे पर एक परमानेंट श्रद्धांजलि स्थल बना हुआ है। आप वहां पर कभी भी जाएं, तो देखेंगे प्रतिदिन किसी न किसी जवान को श्रद्धांजलि दी जा रही होगी। वहां पर एक परमानेंट बटालियन कायम है जब भी आप जाएंगे वे आपको किसी न किसी जवान को श्रद्धांजली अर्पित करते हुए मिल जाएंगे। कभी-कभी तो हमने देखा है 8-8 और 10-10 जवानों के शव एक लाइन में रखे दिखाई देते हैं और उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की जा रही होती है। जब भी आतंकवादी हमला करते हैं, निरपराध नागरिकों की हत्याएं करते हैं हमारे जवानों को मार देते हैं और जब ऐसा होता है, तो हम मांग करते हैं, यहां चर्चा होती है और श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं।

अब यह मामला श्रद्धांजलि से खत्म होने वाला नहीं है। मुझे याद है जब हमने इस देश में पोखरण का विस्फोट किया, तब इस सदन में उसकी काफी चर्चा हुई। यहां उस विस्फोट की निन्दा भी की गई। प्रधान मंत्री जी ने उसका जवाब देते समय कहा था कि एन.डी.ए. की सरकार के लिए देश की सुरक्षा सर्वोपरि है। पाकिस्तान जिस प्रकार हमला कर रहा है, जिस प्रकार निरपराध नागरिक मारे जा रहे हैं, जवान मारे जा रहे हैं, कारगिल में कितना बलिदान करना पड़ा, कितना धन लगा, यह इस देश का सौभाग्य है कि जब भी सीमा पर हमला होता है, देश खतरे में होता है तो देश की सारी जनता अपने आपसी झगड़े भूल कर राष्ट्र के समर्थन में खड़ी हो जाती है। हमने कितना बड़ा बलिदान दिया है और कितना बलिदान इससे आगे देना चाहते हैं। हम बचाव करने के सिवाए कुछ नहीं कर रहे हैं और बचाव में भी जीत मान रहे हैं। यदि हमें कश्मीर का मसला खत्म करना है, इस प्रौबल्म को हमेशा के लिए सौल्व करना है तो पाकिस्तान को सबक सिखाने का समय आ गया है। पाकिस्तान के जितने प्रशिक्षण केन्द्र हैं, उनको खत्म करने की आवश्यकता है, उन पर हमला करने की आवश्यकता है। सिर्फ कहने से काम नहीं होगा। कुछ करने की आवश्यकता है। हम कितने दिनों तक डरते रहेंगे और मार खाते रहेंगे। उनके पास अणु बम हैं, किसके पास क्या है, यह कितने दिन चलेगा।

हिन्दुस्तान एक महान् देश है। आज पाकिस्तान में लोकतंत्र नहीं है। पाकिस्तान की हालत क्या है, उस पर यहां बहस करने की आवश्यकता नहीं है। पाकिस्तान नहीं चाहता कि इस देश में शांति रहे, हिन्दुस्तान का विकास हो, हिन्दुस्तान दुनिया के देशों के मुकाबले आगे बढ़े। इसलिए पाकिस्तान के जरिए सारा आतंकवाद चलाया जा रहा है। कभी यात्री मारे जाते हैं, कभी निरपराध नागरिक मारे जाते हैं। हम यहां राजनैतिक चर्चा तो करेंगे लेकिन आज जो हमारी सीमाएं खतरे में हैं, यदि इस समय हम सही कदम नहीं उठाते तो उन सीमाओं पर खतरा और भी बढ़ सकता है। अमरनाथ यात्रियों के प्रकरण की न्यायिक जांच हो या प्रशासनिक जांच हो, उसके लिए कौन जिम्मेदार है, जो जिम्मेदार है, उसकी जांच तो होनी चाहिए। लेकिन यहां न्यायिक जांच की मांग करना हमारे जवानों के मनोबल को खत्म करना है, सुरक्षा बलों के प्रति अविश्वास दिखाना है और एक तरह से पाकिस्तान को इनडायरैक्ट समर्थन देना है। यह उचित नहीं है।

सरकार कितने दिन चलेगी, मुझे नहीं मालूम।...*(व्यवधान)* सिर्फ पांच साल पूरे करना ही सरकार की जिम्मेदारी नहीं है, केवल देश चलाना ही जिम्मेदारी नहीं है।...*(व्यवधान)* आप पहले सुन लीजिए, बाद में जो टीका-टिप्पणी करनी हो कीजिए। ...*(व्यवधान)* हम कितने साल सत्ता में रहें, उससे बेहतर यह होगा कि हम जितने साल सत्ता में रहें, हमने देश की सुरक्षा को सर्वोपरि स्थान दिया है। हमारे दुश्मन बुरी नजर से न देख सकें, इतनी हिम्मत के साथ सीमा सुरक्षा के लिए सरकार को कदम उठाना चाहिए।

[अनुवाद]

श्री मणि शंकर अय्यर (मयिलादुतुरई): अध्यक्ष महोदय, मेरे साथी श्री प्रियरंजन दास मुंशी जी ने इस सभा के समक्ष हमारे इस प्रस्ताव को लाए जाने की तार्किकता का विस्तृत रूप से उल्लेख किया है। जो कुछ उन्होंने कहा है मैं उस बात को दोहराना नहीं

[श्री मणि शंकर अय्यर]

चाहता लेकिन हम जो इस न्यायिक जांच की मांग कर रहे हैं के खिलाफ व्यापक रूप से कुछ कहने की मेरी इच्छा है।

भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ऐसे किसी प्रस्ताव की वाहवाही करने में किसी से कम नहीं है जो अशांत राज्य जम्मू कश्मीर में शांति की बहाली करेगा। इस मुद्दे पर दलगत होना राष्ट्र विरोधी होगा। वे प्रधान मंत्री थे जिन्होंने खुशी-खुशी अगले दिन मान लिया था कि चूंकि उसकी सरकार एक अनुभवहीन सरकार थी "हम दूसरे, के विचार सुनेंगे"।

मैं एक दल का प्रतिनिधित्व करता हूं जो आजादी के पश्चात पहले पचास वर्षों तक जम्मू व कश्मीर के लिए जिम्मेदार रहा है। ये बात जो मैं यहां कहने का साहस जुटा पा रहा हूं उस अनुभव पर आधारित है मुझे यह बात कह लेने दीजिए मैं अपने उस व्यक्तिगत अनुभव के आधार पर नहीं बल्कि उस पार्टी के आधार पर कह रहा हूं जो कश्मीर को बखूबी जानती है और जो लगभग पचास वर्षों से वहां की अच्छाई और बुराई जो भी वहां रही है उसमें वह पार्टी शामिल रही है। और बात सीमित सी है कि जब प्रधान मंत्री ने इस सभा में प्रवेश किया था तो मैं स्कूल जाया करता था वार्ता के जरिए शांति की बहाली करने वाले जो मिशाल बने रहने चाहिए इसके साथ एक बात और कह हूं कि एक कश्मीरी के खिलाफ दूसरे कश्मीरी को बहकाकर शांति हासिल नहीं की जा सकती। हम किसी भी बाहरी दुश्मन के साथ वार्ता नहीं कर रहे हैं बल्कि हम अपने ही व्यक्तियों, सगे संबंधियों और अपने ही लोगों के साथ वार्ता कर रहे हैं। अत: वार्ता में राज्य का सारे का सारे राजनीतिक वातावरण समाहित होना चाहिए इस वार्ता में राज्यों के सारे के सारे प्रतिनिधि शामिल होने चाहिए और अंतत: यह बात भी याद रखी जानी चाहिए कि जो कुछ श्री गीते जी ने कहा है वह ही यहीं बल्कि राज्य की समस्याओं के प्रति अटल पाकिस्तानी दृष्टिकोण भी होना चाहिए। पाकिस्तान को समाप्त नहीं किया जा सकता।

इन व्यापक सिद्धांतों को ध्यान में रखते हुए आइए हम संक्षेप में यह समीक्षा करें कि विगत कुछ माहों के दौरान सब चीजें कैसे बदल गई पहली बात तो यह कि हुर्रियत के नेता छोड़ दिए गए। बहस के तौर पर तो यह बात स्वागतयोग्य थी लेकिन इनके छोड़े जाने के समय से ही यह प्रश्न बड़ा बवाल मचाए हुए है। लेकिन हैं आज भी अनुत्तरित। वे किस की शह पर छोड़े गए। क्या ऐसा सरकार की अंतरआत्मा की वजह से हुआ या इस दौर के गुप्त संपर्क के खुलासा हो जाने की वजह से हुआ या अथवा इसलिए हुआ कि कोई आदमी हमसे काम करवाना चाहता था। शायद वह मध्यस्थ जो अब सेवानिवृत्त होने वाला है बीते माह के दौरान भारत का दौरा किया और जिसको प्रधान मंत्री खुश करके बहुत उत्सुक दिखाई दिए। हालांकि इस बारे में प्रत्येक व्यक्ति जानता है कि व्यापार में यदि कोई सबसे बड़ा दिवालियाखोर है तो वह है संयुक्त राज्य अमेरिका।

चाहे आपने अपने दिल से हुर्रियत नेताओं को छोड़ा हो, अथवा दूसरों का दिल चुराने के लिए छोड़ा हो चाहे बात जो भी रही हो लेकिन अब बात यह है कि जब हुर्रियत के साथ वार्ता के दरवाजे खोले गए थे तो नेशनल कांफ्रेंस पूर्ण रूप से सामने क्यों नहीं आई। क्या यह सच्चाई नहीं है कि आपके कबीना मंत्रियों में से एक कबीना मंत्री, जो तब जम्मू और कश्मीर के राज्यपाल थे तो उन्होंने सभी दलों के उस शिष्टमंडल को कहा था जिस शिष्टमंडल ने मार्च 1970 में श्रीनगर का दौरा किया था कि जम्मू कश्मीर विधान सभा भंग हो जाने पर उसको तार्किक ठहराते हुए कुछ उन्होंने अपनी पसंद के तौर पर मुख्य मंत्री के रूप में शब्बीर शाह का नाम लिया था। वही शब्बीर शाह हुर्रियत की अग्रणी आवाज बने हुए है। वे कहते नहीं थकते थे कि डा. फारुख अब्दुल्ला की अपेक्षा शब्बीर शाह जम्मू-कश्मीर के लोगों का ज्यादा बड़ा प्रतिनिधि है और उसने यह दावा भी किया था इस तिकड़म की वजह से चुनाव वह जीते थे।

मैं इतिहास को नहीं कुरेद रहा हूं मैं उन खतरों की ओर संकेत कर रहा हूं वे खतरे तब हावी हो जाते हैं जब किसी मित्र की उपेक्षा की जाती है। मैं जानता हूं कि नेशनल कांफ्रेंस इस बात को नकार देगी कि लेकिन निश्चित ही यह सहज संयोग नहीं था कि हुर्रियत के साथ वार्ता हुई तो नेशनल कांफ्रेस ने एक वर्ष पहले प्रकाशित करवाई राज्य स्वायतता संबंधी रिपोर्ट अस्वीकार कर दी और फिर नेशनल कांफ्रेस राज्य विधान सभा के सामने ले आई, यदि नेशनल कांफ्रेंस इस बात को लेकर शंकित नहीं होगी कि उसकी बदौलत हुर्रियत का पक्ष लिया जा रहा है। तो क्या ये खुश करने वाले प्रस्ताव लाए जा सकते थे? वह बात जिस बात का यहां मैं अपने ही लोगों के साथ जिक्र कर रहा हूं के संबंध में यह कहना कि हम मैकियावेली और चाणक्य जैसे व्यक्ति नहीं हो सकते हैं। हमें हरेक को विश्वास में लेना होगा।

बुद्धिमानी से नेशनल कांफ्रेस को राज्य में महत्वपूर्ण स्थिति में लाने के पश्चात डा. फारुख अब्दुल्ला प्रधान मंत्री से मिलने दिल्ली आए। हमें नहीं पता उनके बीच क्या बातचीत हुई। मगर हम जानते हैं कि प्रधान मंत्री कार्यालय ने प्रेस में यह कह कर कि स्वायतता संकल्प पर मत विभाजन पर जोर न देने के लिए मुख्य मंत्री को मना लिया गया है इससे फारुख अब्दुल्ला ऐसा कहने को मजबूर हो गए। प्रधान मंत्री और मुख्य मंत्री-जो कोई साधारण मुख्य मंत्री न होकर भारत के सबसे संवेदनशील राज्य के मुख्य मंत्री और जो उनके सहयोगी हैं—के बीच गुप्त समझौते को एक तरफा सार्वजनिक कहने की क्या जरूरत थी?

यह मुद्दा अभी खत्म ही हुआ था कि सरकार ने हिजबुल मुजाहिदीन के साथ युद्ध विराम की घोषणा की मगर इसके पहले की वाह-वाही समाप्त होती गोलियों और बमों के विस्फोट ने इसकी जगह ले ली। इस बार नेशनल कांफ्रेंस को कोई शिकायत नहीं थी। और हुर्रियत का महत्व कम हो गया। हुर्रियत को प्रमुख प्रतिनिधित्व मानने के बाद हुर्रियत का महत्व कम होना—मुझे खेद के साथ यह कहना पड़ता है कि—यह सरकार की अपरिपक्वता को दर्शाता है जिसने सत्ता में कम और अधिकतर समय विपक्ष में ही रहे हैं।

यह स्पष्ट है कि सरकार का गुप्त रूप से संपर्क हिजबुल मुजाहिद्दीन से नहीं था बल्कि इस संगठन के एक वर्ग या कुछ वर्गों के साथ था। इससे सरकार को सतर्क हो जाना चाहिए था। यह स्पष्ट था कि इस बात-चीत में बाधा डालने के लिए पूरा प्रयास करेगा और इस बात पर गर्व करेगा।

ज्यादा गंभीर और स्पष्ट बात यह थी कि हिजबुल मुजाहिद्दीन में विरोधी पक्ष, विशेषकर पाकिस्तान और पाकिस्तान अधिकृत स्थित तथाकथित नेतृत्व हिंसा करेगा। यह निश्चित था कि विशेषकर भाड़े के विदेशी सैनिक वाले अन्य आतंकवादी बदला लेंगे। यह स्पष्ट था कि इन सभी असंतुष्ट संगठनों का लक्ष्य निर्दोष और असुरक्षित लोग होंगे। देश के अन्य हिस्सों से अमरनाथ की यात्रा कर रहे हिन्दू और राज्य के ईंट भट्टों में खतरनाक स्थिति में जीवन-यापन करने वाले लोगों से ज्यादा निर्दोष और असुरक्षित और कौन है?

महोदय, तृणमूल के हमारे सहयोगी डा. नीतिश सेनगुप्ता ने एक प्रश्न पूछा था जिसका आज तक उत्तर नहीं दिया गया है। उन्होंने कहा कि तत्कालीन गृह मंत्री श्री इन्द्रजीत गुप्त के अनुरोध पर उन्होंने एक रिपोर्ट प्रस्तुत की थी जिसमें उन्होंने अन्य बातों के साथ-साथ यह सिफारिश की थी कि तीर्थ यात्रा के पूरे मार्ग पर सेना नियुक्त की जाए। श्री इन्द्रजीत गुप्त ने सभा में इस बात की पुष्टि की थी कि अन्य बातों के साथ इस सिफारिश को स्वीकार करके लागू कर दिया गया था। डा. नीतिश सेनगुप्ता ने सवाल उठाया कि नियंत्रण रेखा के इतने पास यह घटना कैसे हुई? उन्होंने सिफारिश की थी कि मार्ग और विशेषकर शिविरों को नियंत्रण रेखा से अधिक से अधिक दूर स्थापित किया जाए। इस सवाल का भी जबाव नहीं दिया गया है। हमें केवल यह पता है कि अनेक यात्री और घाटी में अन्य स्थानों पर 70 अन्य निर्दोष लोग केवल इसलिए मारे गए कि केन्द्र सरकार ने आतंकवादियों के एक धड़े से बातचीत आरंभ की जिससे अन्य धड़े और राज्य का एक बड़ा वर्ग निराश हो गया।

क्या आपके गलत बातचीत की रणनीति के निर्दोष लक्ष्यों को बचाने का यही तरीका है? न्यायिक जांच आवश्यक है क्योंकि यह कोई छोटी-मोटी गलती नहीं थी। इन निर्दोषों की मौत का कारण अनुभवहीन सरकार द्वारा अपनी ही नीतियों के परिणामों को न समझ पाना है।

सरकार द्वारा की जा रही बातचीत पर सहमत न होने से जहां सभा में शोर-गुल हो रहा था वहीं, हिजबुल मुजाहिदीन से पहले दौर की वार्ता बहुत ही जोर शोर से आरंभ हुई। ऐसा प्रचार क्यों किया जा रहा है? क्या यह सही है कि राज्य सरकार द्वारा वांछित कट्टर उग्रवादी जोखिम उठाकर बातचीत के लिए आगे आ रहे हैं तो सरकार इसका प्रचार करे? प्रचार पर इतना जोर क्यों? जब पार्थसार्थी धैर्य के साथ मिर्जा अफजल बेग के साथ बातचीत कर रहे थे तो क्या आपने उन्हें कभी टी.वी. पर या अखबारों में उनका साक्षात्कार पढ़ा? क्या सरकार को अपने शासन अवधि पर इतना कम भरोसा है कि वो हर मिनट अपना प्रचार करे? सभा और सभा के बाहर सत्ता पक्ष द्वारा अपनी ही तारीफ करना। यदि यह इतना खतरनाक नहीं होता तो यह कुछ ज्यादा ही होता। बी.जे.पी. यह कब समझेगी कि राजनीतिज्ञता कोई मंच नहीं है और कूटनीति, कविता नहीं है? प्रधान मंत्री का 'इंसानियत के दायरे में' से क्या मतलब है? क्या मुशायरा है। यह क्या संविधान की कोई पवित्रता नहीं है? संविधान की भावना-चूंकि बी.जे.पी. का इसके निर्माण में कोई योगदान नहीं था इसलिए उन्हें यह पता नहीं होगा-इसमें संशोधन की प्रक्रिया शामिल है, दूसरा पक्ष उन मुद्दों को उठाने के लिए स्वतंत्र है जो संविधान के दायरे से बाहर है जैसा कि उन्होंने भारत सरकार द्वारा नागा, मिजो, दार्जिलिंग में गोरखा मणिपुर, त्रिपुरा और पंजाब में उग्रवादियों के साथ बात-चीत के दौरान किया जब वार्ता सफल होती है तो संविधान में आवश्यक संशोधन संबंधी प्रयास हेतु भारत सरकार संसद में आ सकती है। प्रधान मंत्री ऐसा क्यों नहीं कर रहे हैं? वो अपने को कव्वाल के रूप में क्यों पेश कर रहे हैं? सभा को सूचित किया जाना चाहिए। वर्तमान प्रधानमंत्री ने 1979 में विदेश मंत्री की हैसियत से बगैर तैयारी के चीन की यात्रा की थी। यदि उन्होंने अपने मंत्रालय के अवर सचिव से भी पता किया होता तो वे जान जाते की चीन वियतमान के साथ युद्ध के कगार पर था। उन्होंने ऐसा नहीं किया और जब वो चीन में थे तो चीन ने वियतनाम पर हमला किया और अटल जी को चीन से वापस आना पड़ा। जब वो प्रधान मंत्री बने तो बिना पर्याप्त तैयारी के भव्य घोषणाएं उसी आवेश से की गई। जल्द ही हम सुब्रह्मणयम समिति की रिपोर्ट पर बहस करेंगे। इसलिए मैं विस्तार से नहीं बोलूंगा। मगर यह स्पष्ट है कि लाहौर यात्रा की पर्याप्त तैयारी नहीं की गई थी...*(व्यवधान)* इसकी घोषणा जल्दबाजी में की गई थी और बाद में पछतावा हुआ। ऐसा ही काठमान्डू से कन्धार की यात्रा के संबंध में हुआ, सरकार तुरन्त निर्णय नहीं ले सकी और आकस्मिक घटना के लिए पहले से कोई तैयारी नहीं थी। हम देख रहे हैं कि मैं माननीय सदस्यों का ध्यान इस ओर इसलिए आकर्षित करता हूं क्योंकि संबंध यह है—जैसी सरकार की

[श्री मणि शंकर अय्यर]

पाकिस्तान संबंधी नीति अस्पष्ट और अन्तर विरोधी थी वैसी ही अपर्याप्त तैयारी कश्मीर के उग्रवादियों के साथ बातचीत में है।

विदेश मंत्री इस सभा के समक्ष कुछ शर्तों को गिना रहे हैं, जिन पर वे जोर दे रहे हैं—मगर वो कहते हैं कि ये शर्तें बिल्कुल ही नहीं हैं—पाकिस्तान से वार्ता के लिए और अचानक ही प्रधान मंत्री यह कहते हैं कि वो पाकिस्तान में किसी से भी सैनिक तानाशाह या कारगिल के हमलावार-बातचीत को तैयार हैं-'की फर्क पैन्दा'।

पाकिस्तान द्वारा परमाणु विस्फोट के बाद हमारे गृह मंत्री उग्रवादियों का सीमा पार पीछा किए जाने का जिक्र किया था...*(व्यवधान)*

गृह मंत्री (श्री लाल कृष्ण आडवाणी): मैंने केवल 'स्व सक्रिय' शब्द का उपयोग किया था, उस, वक्त भी सभी ने 'स्वयं सक्रिय' का मतलब पीछा करना माना गया मैने कहा नहीं, पत्रकार सम्मेलन में मेरे से लगातार 'हाट परसूट' के बारे में पूछा गया। मैंने कहा नहीं।

श्री मणि शंकर अय्यर: ठीक है महोदय, मैं अपने को सही करता हूं। मैं गृह मंत्री की बात मान लेता हूं। मैं समाचार पत्रों की खबर को अनदेखा करता हूं। मैं अपनी टिप्पणी का संशोधन करूंगा।

सभापति महोदय: कृपया भाषण समाप्त करें।

श्री मणि शंकर अय्यर: महोदय, मैं समाप्त करता हूं।

श्री सत्यव्रत चतुर्वेदी (खजुराहो): 'बिल्कुल बर्दाश्त न करने का क्या हुआ? यह कथन उनका था...*(व्यवधान)*

[हिन्दी]

श्री लाल मुनी चौबे (बक्सर): महोदय, मेरा एक व्यवस्था का प्रश्न है। हमारे प्रधान मंत्री जी से इंसानियत के तहत बात करने की जब बात कही तो अखबार वालों ने उनसे पूछा तब उन्होंने कहा कि हमारा संविधान इंसानियत का जीवित और जीवंत दस्तावेज है यह कह रहे हैं कि संविधान बनाने में शामिल नहीं थे। क्या ये शामिल थे?...*(व्यवधान)*

श्री मणि शंकर अय्यर: मुझे टोकने लगेंगे तो और ज्यादा समय लगेगा। मेरा अनुरोध है कि जब मैं अपनी बात खत्म कर देता हूं, उसके बाद आप जवाब दें।...*(व्यवधान)* महोदय, यदि मुझे टोका जाएगा तो ज्यादा समय लगेगा।

महोदय, मैं अपने वक्तव्य का संशोधन करता हूं।

[अनुवाद]

सभापति महोदय: कृपया समाप्त करें।

श्री मणि शंकर अय्यर: महोदय, मैं समाप्त कर रहा हूं कृपया मुझे एक मिनट दें। वे मुझे टोक रहें हैं।

सभापति महोदय: आपको एक मिनट दिया जाता है।

श्री मणि शंकर अय्यर: महोदय, हमारे गृह मंत्री एक समय पाकिस्तान के विरुद्ध 'स्व सक्रिय' और बिलकुल बर्दाश्त न करने की बात की थी। मगर इसके बाद चगाई में पाकिस्तान द्वारा परमाणु बिस्फोट के पश्चात् वे कुछ शांत हो गए हैं। जैसा कि समाचार पत्रों में छपा है-अगर समाचार पत्र गलत नहीं छाप रहे हैं—कि वे फिर से खाली धमकी दे रहे हैं।

जहां तक भारत के रक्षा मंत्री का संबंध है मैं, डी.आर. मानकेकर की पुस्तक 'द गिल्टी मैन आफ 1962' के नवीनतम संस्करण में श्री जॉर्ज फर्नान्डीज के प्रस्तावना की ओर मैं उनका ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं। प्रस्ताव, में श्री जॉर्ज फर्नान्डीज ने स्पष्ट लिखा है यह पुस्तक सब दुकानों में उपलब्ध है—कि पोखरन-II के पश्चात् पाकिस्तान से खतरा समाप्त हो गया है। भारत के रक्षा मंत्री ने मानकेकर व्याख्यान में मांग की थी और इसके तहत उनसे पुन: छपे संस्करण में एक प्रस्तावना लिखने को कहा गया और उन्होंने स्वयं स्पष्ट लिखा कि पोखरन-II के बाद पाकिस्तान से खतरा समाप्त हो गया है इसमें कोई शक नहीं कि कारगिल के दौरान यह खतरा उनके सामने था।

महोदय, यह जिम्मेदार सरकार नहीं है। यह परिपक्व नहीं है। यह नाटकबाज सरकार है। यदि अमरनाथ यात्रियों जैसी आपदा से अपने लोगों को बचाना है तो, इस त्रासदी के प्रत्येक पहलू पर व्यापक जांच जरूरी है। ऐसी जांच केवल न्यायिक जांच हो सकती है और मुझे बहुत खेद हैं कि भाजपा के डा. विजय कुमार मल्होत्रा समिति आयोग के अन्तर को नहीं समझते प्रतीत नहीं हो रहे हैं। वे समझते है कि अंतर इतना कम है कि पहले उन्होंने आयोग शब्द का प्रयोग किया। और किसी के चुपके से कहने पर समिति शब्द का प्रयोग किया। तब उन्होंने उस समिति के निदेशपद को पढ़ा। मेरा प्रश्न है कि: अगर समिति को निदेशपद बताये जा सकते हैं तो आयोग को क्यों नहीं? वे उससे क्यों बच रहे हैं?

फिर वे सभा में आए और हमें बताया कि 1962 में विपक्ष ने न्यायिक जांच की मांग की थी और पंडित जी ने मना कर दिया। मैं उनके इतिहास के सीमित ज्ञान को ताजा कराता हूं। 26 अक्तूबर 1962 को युद्ध चल रहा था और तवांग हमारे हाथ से जा चुका था—भाजपा के 37 या 38 साल के युवा नेता अटल

बिहारी वाजपेयी युद्ध के बीच में प्रधान मंत्री से मिले और अन्य बातों के अलावा राज्य सभा सत्र की मांग की। और भारत के उस महान प्रधान मंत्री और जो अटल जी से उतने ही बड़े थे, जितने अटल जी, आज मुझसे बड़े हैं, ने उनकी बात सुनी और तुरन्त राज्य सभा के अधिवेशन की मांग स्वीकार कर दिया।

राज्य सभा का सत्र आठ नवंबर 1962 को आहूत किया गया, उस समय, जब हमारे जवान बिना गमबूटों के बर्फीले इलाकों में लड़ रहे थे, यह सब असत्य है, लेकिन ऐसे ही मिथक प्रचलित कर दिए गए हैं। राज्य सभा के उस सत्र में, चालीस से भी कम उम्र के श्री अटल बिहारी वाजपेयी ने भड़काऊ भाषण दिया और किसी ने उन्हें ऐसा करने से नहीं रोका हमने उनकी बातें सुनी। हमें मालूम था कि युद्ध दुबारा शुरू होगा। वास्तव में यह शुरू हो चुका था लेकिन नेहरू जी ने उनकी बातें सुनी, अटल बिहारी वाजपेयी के कहे एक-एक शब्द उन्होंने सुने। उन्होंने श्री अटल बिहारी वाजपेयी द्वारा की गई प्रत्येक आलोचना जो नोट किया और जितना हो सकता था उतनी कार्यवाही की। इसके उत्तर में जब कांग्रेस पार्टी ने कारगिल मामले पर न्यायिक जांच की नहीं अपितु, कारगिल युद्ध के दौरान वहां की घटनाओं पर चर्चा करने के लिए संसद के विशेष सत्र की मांग की तो श्री अटल बिहारी वाजपेयी बिल्कुल भूल गए कि उन्होंने ऐसी ही मांग 1962 में की थी...*(व्यवधान)*

[हिन्दी]

श्री रघुनाथ झा (गोपालगंज): लोकसभा को भंग कराइए, फिर राज्य सभा में बहस कराइए...*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

डा. नीतिश सेनगुप्ता: उस समय लोक सभा भंग नहीं हुई थी, जबकि कारगिल युद्ध के दौरान लोक सभा भंग थी।...*(व्यवधान)*

सभापति महोदय: श्री अय्यर, कृपया अपनी बात समाप्त कीजिए।

श्री मणि शंकर अय्यर: महोदय, मैं अभी अपनी बात समाप्त करता हूं।

[हिन्दी]

सभापति महोदय: संभव है, क्योंकि मैं अंग्रेजी में बोल रहा था, मेरी बात उन्हें समझ में नहीं आई होगी।...*(व्यवधान)*

श्री लाल मुनी चौबे: मैं अच्छी तरह से समझ रहा हूं। मैं हिन्दी वाला हूं और मैं ट्रांसलेशन सुन रहा हूं आपको ऐसी बात नहीं कहनी चाहिए। बात कहिए, तो ईमानदारी से कहिए। आप राजनीति कर रहे हैं। यहां देश की बात हो रही है। आप राजनीति कर रहे हैं। आपको लोक सभा की 1965 की बात याद नहीं है। ...*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

सभापति महोदय: कृपया बैठ जाइए, यह कार्यवाही वृत्तांत में शामिल नहीं किया जाएगा।

...*(व्यवधान)**

सभापति महोदय: कृपया आप अध्यक्ष पीठ को संबोधित कीजिए।

...*(व्यवधान)*

सभापति महोदय: श्री चौबे, आप सभा की व्यवस्था भंग कर रहे हैं।

[हिन्दी]

श्री पवन कुमार बंसल (चंडीगढ़) सभापति महोदय, क्या यह रिकार्ड में जा रहा है?

सभापति महोदय: आप बैठ जाइए यह रिकार्ड में नहीं जाएगा।

...*(व्यवधान)**

[अनुवाद]

सभापति महोदय: श्री अय्यर, कृपया आप अपनी बात समाप्त कीजिए।

श्री मणि शंकर अय्यर: महोदय, हमने छत्तीसिंहपुरा मामले की न्यायिक जांच की मांग की थी और सरकार ने इसे अस्वीकृत कर दिया। अब हम अमरनाथ घटना की न्यायिक जांच की मांग कर रहे हैं और सरकार इसे फिर खारिज कर रही है। ऐसे समय श्री सोमनाथ चटर्जी जा चुके हैं—मैं कहना चाहता हूं कि हम विपक्ष को विभाजित नहीं कर रहे हैं हम सच सामने लाना चाहते हैं, हमारे साथ आने में कुछ पार्टियों को मुश्किल हो सकती है, लेकिन राष्ट्रीय मामलों पर विचार करते समय क्षेत्रीय हितों को नहीं आगे आने देना चाहिए। हम मत विभाजन की मांग करेंगे और जो भी परिणाम निकलेगा, उसे देश के लोगों को बताएंगे।

श्री खारबेल स्वाईं (बालासोर): महोदय, मै प्रस्ताव का विरोध करने के लिए खड़ा हुआ हूं वास्तव में, मुझे लगता है कि अब इसका विरोध करने की कोई जरूरत ही नहीं है क्योंकि जब मैंने

*कार्यवाही-वृत्तान्त में सम्मिलित नहीं किया गया।

[श्री खारबेल स्वाइं]

ध्यान से श्री मणिशंकर अय्यर की बात सुनी। तो मैं पूरी तरह समझ गया कि इस सभा में कांग्रेस पार्टी हताश हो गई है क्योंकि उसके पास किसी का समर्थन नहीं है। श्री अय्यर, हर चीज के बारे में चर्चा करते रहे। उन्हें इस सरकार में हर व्यक्ति गलत लगता है उनके लिए *..... उनके लिए सब कुछ गलत है लाहौर यात्रा गलत थी; पोखरन परीक्षण गलत था और हर प्रकार की नीतियां गलत हैं...*(व्यवधान)*

श्री सत्यव्रत चतुर्वेदी: महोदय, वे असंसदीय शब्दों का प्रयोग कर रहे हैं।

सभापति महोदय: उन्हें अपनी बात कहने दीजिए।

श्री खारबेल स्वाइं: महोदय, इन सभी बातों का उत्तर इस सभा में माननीय प्रधानमंत्री, आडवाणी जी और सत्ता पक्ष के लोग दे चुके हैं वैसे भी एक 'झूठ' को दस बार बोलने से वह 'सच' नहीं हो जाता है। श्री मणिशंकर अय्यर ने यही करने की कोशिश की । मैं उनकी बातों का जवाब देने नहीं जा रहा हूं, क्योंकि माननीय आडवाणी जी, इन सभी बातों का उत्तर देंगे।

मैं इस बारे में कुछ सुझाव दूगा, आतंकवाद के खिलाफ एक अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन में आतंकवाद को इस तरह परिभाषित किया गया। ''राजनैतिक लक्ष्यों की पूर्ति हेतु डर पैदा करने के लिए जानबूझकर और व्यवस्थित ढंग से निर्दोष लोगों की हत्या करना, उन्हें अपंग बनाना और धमकी देना आतंकवाद है,'' आतंकवाद को ऐसे ही परिभाषित किया गया।

कई लोग कहते हैं कि ''आतंकवादी स्वतंत्रता सेनानी होते हैं'' कहा जाता है कि ''एक व्यक्ति के लिए जो आतंकवादी है वही दूसरे के लिए स्वतंत्रता सेनानी है और वह अपने लोगों की मुक्ति के लिए लड़ता है।'' जब ऐसा कहा जाता है तो वह सच नहीं होता, आतंकवादी लोकतंत्र, मुक्त समाज, सभ्यता के खिलाफ लड़ता है और वह समाज को उस प्रागैतिहासिक युग में ले जाना चाहता है, जब कोई नागरिक समाज नहीं था कानून का शासन नहीं था, उसकी लड़ाई ऐसी ही होती है। आतंकवादी आक्रमण आपदा जैसे नहीं होते। आपदाएं कई बार आती हैं। आतंकवादी भी कई बार आक्रमण करते हैं। लेकिन दोनों में एक अंतर है, शुरूआती धक्के के बाद देश के लोगों में आंधी, चक्रवात, महाचक्रवात बाद जैसी आपदाओं के पीड़ितों के लिए सहानुभूति जगती है, लेकिन आतंकवादी आक्रमण के बाद लोगों को शुरू में झटका तो लगता है। लेकिन उनके मनों में क्रोध जगता है।

चर्चिल सिद्धांत के अनुसार ''सरकार का सबसे प्रमुख कर्तव्य है कि वह नागरिक के जीवन की रक्षा करे'' इस सिद्धांत के अनुसार तदुपरांत व्यक्ति कहता है, ''मैंने अपने जीवन की रक्षा का उत्तरदायित्व तुम्हें सौंपा था, लेकिन तुम इसे निभाने में असफल रहे'' वह सरकार पर आरोप लगता है, लोग सरकार से नरम रूख अपनाने की आशा भी करते हैं, और साथ ही यह भी चाहते हैं कि सरकार कठोर रवैया अपनाये। एक आम आदमी ऐसे समय में भ्रमित हो जाता है, क्योंकि एक ओर उसे पता चलता है कि उसके रिश्तेदार को बंधक बना दिया गया या उन्हें मार दिया गया है और दूसरी ओर यह भी चाहता है कि देश कड़े फैसले ले और शक्तिशाली बनकर उभरे। यह विरोधाभास और भ्रम की स्थिति ही आतंकवादी चाहते हैं। आतंकवादी चाहता है कि देश भ्रम में रहे, नेता भ्रम में रहें, और वे अपनी सरकार को ही कोसते रहें। यही वे चाहते हैं और ठीक यही कांग्रेस पार्टी के माननीय सदस्य इस समय कर रहे हैं। वे सरकार पर आरोप लगा रहे हैं क्योंकि पूरी तरह संशय में हैं। वे भ्रम में हैं, क्योंकि वे यह नहीं जानते कि इस समय ठीक-ठीक क्या किया जाना चाहिए।...*(व्यवधान)*

[हिन्दी]

श्रीमती श्यामा सिंह (औरंगाबाद): आपको कनफ्यूजन है।

[अनुवाद]

सभापति महोदय: कृपया उनकी बात बीच में न काटें। उन्हें अपनी बात कहने दें। आप अपनी बात जारी रखें

श्री खारबेल स्वाइं: जब कांग्रेस पार्टी के माननीय सदस्य और श्री सोमनाथ चटर्जी तक भी हम पर चोट पहुंचाने वाले, आरोप लगा रहे थे, तो मैं उनकी बात ध्यानपूर्वक सुन रहा था।

सायं 7.00 बजे

सारे समय मुझसे कहा गया कि जब मेरा नंबर आये तो, मैं उन बातों का जवाब दूं। आपने श्री चौबे से भी यही कहा। अब मैं उन बातों का जवाब दे रहा हूं। ऐसा नहीं है, कि हम जवाब नहीं दे सकते, लेकिन मैं चर्चा को सुन रहा था क्योंकि यह लोकतंत्र है। मैं विपक्ष का मत अपने जीवन की कीमत पर भी सुनूंगा।

महोदय, मेरा कहना यह है कि एक आतंकवादी बड़ा चालाक होता है। वह कहता है कि वह अपने लोगों की मुक्ति के लिए लड़ रहा है। वह तानाशाही का अग्रदूत होता है वह शोषण का अग्रदूत होता है। ऐसे इसलिए है क्योंकि अगर आप विश्व को किसी भी आतंकवादी देश को लें। किसी ऐसे देश को जिसने

*अध्यक्षपीठ के आदेशानुसार कार्यवाही-वृत्तान्त से निकाल दिया गया।

हिंसा के सहारे आजादी पायी है, तो आप देखेंगे कि वह कभी भी बहुत आगे नहीं बढ़ पाया। आप किसी देश का उदाहरण ले सकते हैं। इरान, उत्तरी कोरिया या फिर विश्व का कोई भी और देश, कभी भी आगे नहीं बढ़ पाया है।

महोदय, श्री सोमनाथ चटर्जी कह रहे थे कि हम कश्मीर के लोगों का दुख नहीं समझ सके। इसीलिए कश्मीरी लोग लड़ रहे हैं। मैं उड़ीसा का हूं। मेरे मन भी दुख का बहुत गहरा घाव है। श्री सोमनाथ चटर्जी कह रहे थे कि हम कश्मीरियों का दर्द नहीं समझ पाये और उनके दिलों दिमाग में भारत के प्रति अपनत्व की भावना नहीं भर पाये। लेकिन यह कैसे हो?

महोदय, मेरे पास भारतीय रिजर्व बैंक की एक रिपोर्ट है। भारत सरकार से हमें इस समय कितना आबंटन हुआ है। केवल 1396.20 करोड़ और जम्मू-कश्मीर राज्य को भारत सरकार से कितना मिला है। 2267.50 करोड़ उड़ीसा से संसद में 21 सदस्य हैं जबकि जम्मू-कश्मीर में केवल 6 सदस्य हैं। लेकिन उन्हें हमसे दुगुने से भी ज्यादा आवंटन हुआ है।

महोदय, मैं कश्मीर से किसी माननीय सदस्य या किसी भी व्यक्ति को उड़ीसा आने के लिए आमंत्रित करना चाहूंगा। मैं उन्हें दिखाऊंगा कि हम किस तरह जम्मू और कश्मीर की तुलना में कम ही भ्रष्ट हैं। मैं उन्हें दिखाऊंगा कि किस तरह उड़ीसा, जम्मू और कश्मीर राज्य से अधिक विकसित है। उनमें से किसी को भी मेरे साथ आने दीजिए।

सभापति महोदय: इसकी यहां क्या प्रासंगिकता बनती है।

...(व्यवधान)

श्री पवन कुमार बंसल: महोदय, यह कह रहे हैं कि उड़ीसा, जम्मू और कश्मीर की तुलना में अधिक भ्रष्ट राज्य है...*(व्यवधान)*

सभापति महोदय: कृपया काम की बात करें। अपनी बात करिए, लेकिन कृपया अपने विषय पर ही करिए। कृपया अब जारी रखिए।

...(व्यवधान)

श्री खारबेल स्वाईं: महोदय, ऐसा कहा जा रहा है कि कश्मीर के लोगों को सेना और सरकारी सेवाओं में प्रतिनिधित्व नहीं दिया जा रहा है। उड़िया लोगों को इन दो सेवाओं में कितना प्रतिनिधित्व मिला है? अंग्रेजों ने कहा था कि उड़िया एक गैर-सैनिक कौम है हमें सेना या सशस्त्र बलों में अधिक प्रतिनिधित्व नहीं मिला है।...*(व्यवधान)*

श्री कोडीकुनील सुरेश (अडूर): हम यहां अमरनाथ यात्रियों की बात कर रहे हैं...*(व्यवधान)*

श्री खारबेल स्वाईं: महोदय, आश्चर्यजनक बात है...*(व्यवधान)*

सभापति महोदय: श्री स्वाईं, हम यहां अमरनाथ यात्रियों के बारे में चर्चा कर रहे हैं। मैं आपको समय दे रहा हूं। आप दो-तीन मिनट और लें और समाप्त करें।

...(व्यवधान)

श्री खारबेल स्वाईं: महोदय, आपने श्री मणिशंकर अय्यर को इतना अधिक समय दिया, लेकिन जब मुझे समय देने की बारी आई तो आप ऐसा कह रहे हैं। मैं भा.ज.पा. की तरफ से बोलने वाला केवल द्वितीय वक्ता हूं। हमारे इस सभा में लगभग 180 सदस्य हैं...*(व्यवधान)* अभी तक मैंने केवल पांच या छह मिनट ही बोला है।

सभापति महोदय: अभी भी लगभग 20 सदस्यों को बोलना है।

श्री खारबेल स्वाईं: महोदय, यदि आप मेरी बात नहीं सुनना चाहते, तो मैं बैठ जाता हूं।

सभापति महोदय: कृपया अपनी बात को जारी रखें। अपना समय खराब मत करें।

श्री खारबेल स्वाईं: भारत सरकार द्वारा जम्मू और कश्मीर को वित्त उपलब्ध न कराने के संबंध में उस राज्य की उपेक्षा करने की ये सभी बातें सत्य नहीं हैं।

यह सही नहीं है। कुछ न कुछ कारण होगा। ये यह कैसे कह सकते हैं कि चूंकि कश्मीर में अधिकांश लोग मुसलमान हैं, अत: वे अलग होकर पाकिस्तान में चले जाएंगे? यह तर्क युक्तिपूर्ण नहीं है। कुवैत में क्या हुआ? कल मुझे कुवैत न्यूज, की एक प्रति मिली। उसमें विस्तार से यह ब्यौरा दिया गया है। कि कैसे इराक ने कुवैत पर आक्रमण किया और कुवैत निवासियों पर इराकी सेनाओं ने क्या कहर ढाया। इराकी भी मुसलमान हैं और कुवैती भी। यह कुवैत, जो कि एक इस्लामी देश है, से प्रकाशित पुस्तिका है, तो कोई यह कैसे कह सकता है कि चूंकि कश्मीर में इस्लाम के मानने वाले अधिक हैं, अत: उसे पाकिस्तान में चले जाना चाहिए? यह तर्क युक्तिपूर्ण नहीं है। पाकिस्तान में है क्या? क्या पाकिस्तान में कोई लोकतंत्र है? पाकिस्तान के लोगों को कोई स्वतंत्रता है? क्या वहां नियमित चुनाव होते हैं? सैनिक-शासक सभी निर्वाचित प्रतिनिधियों को जब-तब उठाकर निकाल बाहर कर देते हैं और फिर भी ये लोग कहते हैं कि ये पाकिस्तान जाना चाह रहे हैं।

[श्री खारबेल स्वाइं]

यह पाकिस्तान का षड्यंत्र है। वे इस बात को सहन नहीं कर पाते कि भारत एक पंथनिरपेक्ष देश है, कि भारत एक महान देश हैं। वे इस बात पर विश्वास करना ही नहीं चाहते। पाकिस्तान के लश्कर-ए-तोइबा और अन्य आतंकवादी संगठन भारत को एक पंथनिरपेक्ष राष्ट्र नहीं मानते। वे भारत से इसलिए बदला लेना चाहते हैं क्योंकि बंगला देश पाकिस्तान से अलग हो गया। वे आज भी ऐसा मानते हैं जूनागढ़ को भारत में नहीं होना चाहिए था। यह है कि उनकी सोच! पाकिस्तान के जीवित रहने का तर्कसाध्य ही भारत-विरोधवाद है।

मैं भारत सरकार को इस मुद्दे पर कुछ सुझाव देना चाहूंगा। हमने पाकिस्तान से संस्कृतिक प्रतिनिधि मण्डलों को भारत आने की अनुमति दी। हमने नुसरत फतेह अली खां को यहां आने की अनुमति दी और गुलाम अली का यहां आना मंजूर किया। मैं केवल यह जानना चाहूंगा कि पिछले 53 वर्षों के दौरान कितने भारतीय कलाकारों को पाकिस्तान जाने की अनुमति मिली केवल एक ही व्यक्ति वहां गया, वह भी केवल...*(व्यवधान)*

श्री मणि शंकर अय्यर: महोदय, क्या मैं इस प्रश्न का उत्तर दे सकता हूं? मैं कराची में भारत का कौसल जनरल था। मैं इस प्रश्न का उत्तर दे सकता हूं उस समय शांति हीरानन्द पाकिस्तान आए थे, अमजद अली खां आए थे, मुनव्वर अली खां आए थे। गुजराती कवियों का एक पूरा प्रतिनिधिमंडल आया था। यह क्या कह रहे हैं?

सभापति महोदय: यह प्रश्न काल नहीं है। आप केवल अपनी बारी पर ही बोल सकते हैं।

श्री खारबेल स्वाइं: यही तो पाकिस्तान चाहता है कि उनके भारत में और भारत की संसद में कुछ समर्थक होने चाहिए। बस यही पाकिस्तान चाहता है, और यही हम यहां देख रहे हैं।

श्री पवन कुमार बंसल: महोदय, इस तरह के आरोप लगाना इसके लिए जिम्मेवारी की बात नहीं है।

श्री मणि शंकर अय्यर: महोदय, इनका क्या आरोप मेरे विरुद्ध है? मैं अनुरोध करता हूं कि इस टिप्पणी को कार्यवाही-वृत्तांत से निकाल दिया जाए।

सभापति महोदय: कृपया बैठ जाइए। श्री स्वाइं, कृपया समाप्त कीजिए। आप पहले ही 17 मिनट का समय ले चुके हैं।

श्री पवन कुमार बंसल: महोदय, ये अपना संतुलन खो चुके हैं।

श्री खारबेल स्वाइं: महोदय, मैंने कुछ भी असंसदीय बात नहीं की।

श्री प्रियरंजन दासमुंशी (रायगंज): महोदय, मेरा अभिप्राय सदस्य के भाषण में व्यवधान उत्पन्न करना नहीं है। मैं केवल यह चाहता हूं कि रिकार्ड को ठीक रखा जाए। श्री मणिशंकर अय्यर ने कहा कि जब वह वहां भारत के कौंसिल-जनरल थे, तो कुछ सांस्कृतिक प्रतिनिधिमण्डल कराची पहुंचे थे। इसके तत्काल बाद ही सदस्य ने कहा कि पाकिस्तान का दावा है की संसद तक में उनके हितचिंतक हैं। यह टिप्पणी बहुत घटिया है। मैं समझता हूं कि इसे रिकॉर्ड में नहीं रहना चाहिए इसे कार्यवाही-वृत्तांत से निकाल दिया जाना चाहिए।

श्री खारबेल स्वाइं: महोदय, अभी मैं अपनी बात कर रहा हूं मैंने उसे समाप्त नहीं किया है। क्या आपने इन्हें बोलने की अनुमति दी...*(व्यवधान)* महोदय, क्या मेरी टिप्पणी कार्यवाही-वृत्तांत में ली जाएगी?

सभापति महोदय: प्रत्येक बात कार्यवाही-वृत्तांत में हैं। श्री स्वाइं, कृपया अब समाप्त करिए और भी कई सदस्यों को बोलना है।

श्री खारबेल स्वाइं: महोदय, मैं एक 182-सदस्यीय दल का सदस्य हूं।

सभापति महोदय: आप पहले ही 22 मिनट ले चुके हैं।

श्री खारबेल स्वाइं: मेरा दूसरा सुझाव यह है कि स्थिति सामान्य होने तक भारत को पाकिस्तान के साथ क्रिकेट खेलना बन्द कर देना चाहिए।...*(व्यवधान)* जब तक स्थिति सामान्य न हो जाए, तब तक पाकिस्तान के साथ कोई क्रिकेट मैच नहीं होना चाहिए ...*(व्यवधान)*

सभापति महोदय: आप अपने सुझाव सरकार को लिखित रूप में भेज सकते हैं। अब कृपया समाप्त कीजिए।

...*(व्यवधान)*

श्री खारबेल स्वाइं: मेरा तीसरा सुझाव यह है कि इस तरह की कार्यवाही करने के माध्यम से, हमें पाकिस्तान के लोगों को स्पष्ट रूप से यह जता देना चाहिए कि हम उनके शासकों की उन गतिविधियों से, जैसी वे कश्मीर में कर रहे हैं, बहुत नाराज हैं जब तक इन सब को रोक नहीं दिया जाता, तब तक हमें उनसे कोई संपर्क नहीं रखना चाहिए।...*(व्यवधान)*

सभापति महोदय: अब, कुमारी मायावती।

श्री खारबेल स्वाइं: मैं बस समाप्त कर ही रहा हूं।

सभापति महोदय: 22 मिनट से ज्यादा समय से आप बोल रहे हैं। अब आप कृपया अपना स्थान ग्रहण कीजिए।

श्री खारबेल स्वाईं: अंत में, महोदय, मैं यही कहूंगा कि आतंकवाद एक ऐसी परिघटना है जिससे मानसिकता विक्षुब्ध करने अर्थात्, भय उत्पन्न करने का प्रयास किया जाता है। आतंकवाद को परास्त करने के लिए जो एक गुण सर्वापेक्षा आवश्यक है, वह है-भय की काट-साहस! साहस न केवल एकमात्र गुण है, बल्कि यही वह गुण है जिसके बिना सभी अन्य गुण मूल्यहीन हैं। भ्रम और दुविधा की स्थिति से आतंकवाद को बढ़ावा मिलता है। स्पष्टता और साहस से उसकी पराजय सुनिश्चित हो जाती है। और, कांग्रेस पार्टी हमेशा भ्रम की स्थिति बनाए रखती है। कोई भ्रम होना नहीं चाहिए।

इन्हीं शब्दों के साथ, मैं अपनी बात समाप्त करता हूं।

[हिन्दी]

कुमारी मायावती (अकबरपुर): माननीय सभापति जी, जम्मू-कश्मीर में अमरनाथ यात्रियों सहित निर्दोष लोगों की हत्याएं हुई हैं, यह काफी गंभीर मामला है और इस मामले को हमें दलगत राजनीति से ऊपर उठकर देखना चाहिए। जम्मू-कश्मीर में पहली अगस्त के बाद से ही हत्याएं नहीं हो रही हैं, यह सिलसिला वहां वर्षों से चलता चला आ रहा है। निर्दोष लोगों की हत्याओं के बारे में हमें गंभीरता से सोचना होगा। इसलिए इनकी बैकग्राउंड में जाना बहुत जरूरी है। जम्मू-कश्मीर में होने वाली हत्याओं के लिए मौजूदा सरकार तो दोषी है ही, लेकिन मौजूदा सरकार के साथ-साथ आजादी के बाद लम्बे अरसे तक जिस पार्टी की सरकार हूकूमत में रही, इसके लिए मैं काफी हद तक उसे भी जिम्मेदार मानती हूं। 1971-72 में कांग्रेस पार्टी की सरकार थी, उस समय भारत और पाकिस्तान के बीच युद्ध हुआ था। उस युद्ध में भारत की फौजों ने पाकिस्तान की फौजों को अपने काबू में कर लिया था तथा उन्हें हर मामले में डिफीट दी थी। उस समय पाकिस्तान ने अपनी हार कबूल कर ली थी। जब पाकिस्तान ने अपनी हार कबूल कर ली थी और उनकी फौजें हमारी फौजों के अंडर थीं तो उस समय जम्मू-कश्मीर की समस्या को हल करने का हमारे पास एक सुनहरी मौका था। उस समय पाकिस्तान ने अपने हथियार डाल दिए थे और काफी संख्या में उनकी फौजें हमारे कब्जे में थी। उस समय उन्हें तभी मुक्त किया जाना चाहिए था, जब पहले जम्मू-कश्मीर की समस्या का हल हो जाता है।

उसमें लिखा-पढ़ी हो जानी चाहिए थी कि आप यह लिखकर दें कि जम्मू-कश्मीर में हम कोई दखल नहीं देंगे, कश्मीर भारत का हिस्सा है और इस पर पाकिस्तान का कोई अधिकार नहीं है। यदि उसी समय यह सब लिखत-पढ़त हो जाती तो मैं यह समझती हूं कि आज जो बरसों से निर्दोष लोगों की हत्याएं वहां पर हो रही हैं, वह शायद न होतीं। हमने वह सुनहरा मौका हाथ से खो दिया। हमारी जो कमजोरियां रही हैं, उनके बारे में हमें भी हमें सोच-विचार करना होगा कि वहां हमारी कमजोरियां रही हैं जिसका फायदा आज पाकिस्तान के आतंकवादी लोग उठा रहे हैं। जो वर्तमान सरकार है, वह भी अपनी जिम्मेदारी को निभाने में फेल हो चुकी है। आज भारत के चारों तरफ सीमाएं सुरक्षित नहीं हैं, चाहे वह भारत की पाकिस्तान से लगी हुई सीमा हो जो कई राज्यों से लगी हुई हैं, चाहे नेपाल से या चीन से लगी हुई सीमाएं हों या जिन देशों से भी हमारे देश की सीमाएं लगी हैं, वह सुरक्षित नहीं हैं जिसका कारण हमेशा यह डर बना रहता है कि किस तरफ से हमारे देश पर अटैक हो जाए, इस किस्म की संभावना बनी रहती है। खासतौर से जो पाकिस्तान के लोगों की सोच है, उस सोच को ध्यान में रखकर यदि हमारा रवैया, खासतौर से वर्तमान सरकार का रवैया ढुलमुल किस्म का रहेगा और बार-बार सरकार यह कहती रहेगी कि हम शांति के तौर-तरीके से इसका हल निकालना चाहते हैं, हम भी चाहते हैं कि शांति से इसका हल निकले लेकिन मेरा यह कहना है कि जब कारगिल युद्ध हुआ तो कारगिल युद्ध के बाद वर्तमान सरकार को शांति वाला रास्ता या आतंकवादी गुटों से बातचीत करने वाला रास्ता छोड़ देना चाहिए था और सख्ती वाला रवैया अपनाना चाहिए था। अक्सर देखने में यह आ रहा है कि सरकार की ओर से, चाहे वह लाहौर बस यात्रा का मामला हो, चाहे वह पाकिस्तान के किसी भी आतंकवादी गुट से बातचीत करने का मामला हो, जब भी कोई बातचीत का दौर शुरू होता है तो उसी दौरान बड़े पैमाने पर पर हत्याएं होती हैं। इस बात को भी हमें गंभीरता से लेना होगा। इसलिए जम्मू-कश्मीर और पाकिस्तान को लेकर आज गंभीर समस्या हमारे देश में बनी हुई है, इसका समाधान हमें अब सख्ती से करना होगा और भारतीय संविधान के अंतर्गत ही करना होगा। हमारी पार्टी की राय यह नहीं है कि आप संविधान के दायरे को तोड़ें।

सभापति महोदय, जो संविधान का दायरा है उसके अंदर ही हमें सख्ती से कोई स्टैप उठाना होगा क्योंकि भारत का संविधान यह नहीं कहता कि हमारे देश के किसी दूसरे हिस्से में आतंकवादी घुस कर निर्दोष लोगों की हत्या करें बल्कि हमारा संविधान यह कहता है कि जो भी सरकार है, उसकी यह जिम्मेदारी बनती है कि वह उनकी रक्षा करे। यदि देश के किसी भी हिस्से में लोग बाहरी आतंकवादियों के कारण असुरक्षित हैं, तो वर्तमान सरकार की यह जिम्मेदारी बनती है कि उनकी हिफाजत की जाए, उनकी रक्षा की जाए और उनकी देखभाल की जाए। इसलिए हमारा यह मानना है कि कांस्टीट्यूशन के अंदर ही इस समस्या का हल करें, लेकिन इसका परमानेंट हल निकलना चाहिए। यदि इसका कोई परमानेंट हल नहीं निकाला जाएगा। तो वहां आए दिन हत्याएं होती रहेंगी और इसके साथ-साथ सरकार का जो बातचीत का दौर चल रहा है, उसे हमें छोड़ना चाहिए। हमें इसके बैकग्राउंड में जाना

[कुमारी मायावती]

पड़ेगा। शुरू से ही पाकिस्तान के संबंध भारत के साथ कैसे रहे हैं उसको ध्यान में रख कर देखें, तो हमें बातचीत का रास्ता एकदम बन्द कर देना चाहिए, भारत के संविधान को ध्यान में रखेकर पाकिस्तान के साथ सख्ती से निपटना चाहिए और पाकिस्तान द्वारा पाकिस्तान में प्रशिक्षित जो आतंकवादी हमारे देश में भेजे जा रहे हैं उनके खिलाफ सख्त कार्रवाही करनी चाहिए।

सभापति महोदय, जब हम अपने देश की आजादी के दिवस के अवसर पर 15 अगस्त का समारोह मना रहे थे तो उसके एक दिन पहले ही 14 अगस्त को पाकिस्तान ने भी अपना स्वतंत्रता दिवस मनाया। उस दिन वहां के राष्ट्रपति जी का भाषण मैंने इलैक्ट्रानिक मीडिया के माध्यम से सुना है। उन्होंने कहा था कि कश्मीर को लेने के लिए हमारे लोग जो कुरबानी कर रहे हैं, उनका हौसला हमें बढ़ाना चाहिए। महोदय, आप स्वयं अनुमान लगाएं कि इससे बड़ी और क्या बात होगी, जब उस देश का राष्ट्र प्रमुख ही अपने मुंह से इस प्रकार की बात कहे कि कश्मीर को लेने के लिए जो लोग अपनी कुरबानी दे रहे हैं हमें उनका मनोबल बढ़ाना है। उससे बड़ी हमारे देश के विरुद्ध और कोई बात नहीं हो सकती। इसके बावजूद यदि हम ढुलमुल रवैया अपनाते हैं और कोई स्पष्ट नीति अपनाते हैं तो मैं समझती हूं, कि जम्मू-कश्मीर का हल नहीं निकल सकता।

सभापति महोदय, जम्मू-कश्मीर में अमरनाथ यात्रा के दौरान निरपराध तीर्थयात्री मारे गए, यदि आप इसका न्यायिक जांच से हल निकालना चाहते हैं तो मुझे कोई ऐतराज नहीं है, लेकिन हमें इसका बड़ा कटु अनुभव है। उत्तर प्रदेश में बहुजन समाजवादी पार्टी के विधायकों को तोड़ा गया जो दल-बदल कानून के अंदर नहीं आता था। यह मामला हम पार्टी की ओर से सुप्रीम कोर्ट में लेकर गए। चीफ जस्टिस के माध्यम से तीन न्यायाधीशों की एक बैंच गठित हुई है। उस बैंच के एक जज ने हमारे पक्ष में और दूसरे ने हमारे विरोध में फैसला दिया। चीफ जस्टिस ने हमारे मामले पर काफी दिन तक सुनवाई जारी रखी, लेकिन उन्होंने अपना फैसला न हमारे पक्ष और न विपक्ष में, कोई फैसला नहीं दिया और नतीजा यह हुआ कि हमारे मामले को कांस्टीट्यूशनल मानकर कांस्टीट्यूशनल बैंच को भेजने की बात कही गई। मैं उस समय के सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस महोदय से पूछना चाहती हूं कि यदि यह मामला कांस्टीट्यूशनल था, तो इतने दिनों तक सुनवाई क्यों जारी रखी गई, उसी वक्त इसे कांस्टीट्यूशनल बैंच को क्यों नहीं भेज दिया गया और कांस्टीट्यूशनल बैंच का गठन अभी तक क्यों नहीं किया गया? इसीलिए मैं कह रही हूं। कि इस समस्या का समाधान जूडीशियल कमीशन से होने वाला नहीं है। मुझे मालूम है कि हमारी जुडीशियरी का किस किस्म का रवैया है और इस प्रकार की जब जांच होती है तो उनके क्या परिणाम निकलते हैं और उन्हें किस प्रकार से मामला कांस्टीट्यूशनल बैंच को रैफर कर दिया जाता है।

आज तक वह कांस्टीट्यूशनल बैंच गठित नहीं हुई है, इस किस्म की ज्यूडीशियरी है। यदि हमारे कांग्रेस पार्टी के लोग चाहेंगे कि इसकी ज्यूडीशियल इन्क्वायरी हो तो मैं चाहती हूं कि यह मामले को लटकाने वाली बात है, इससे तुरन्त कोई रिलीफ हमारे लोगों को नहीं मिलेगा, इसलिए ज्यूडीशियल इन्क्वायरी के चक्कर में न पड़कर तक कांग्रेस पार्टी और तमाम विपक्ष को और सत्ता में बैठे हुए सहयोगी दलों को सरकार के ऊपर, गृह मंत्री जी के ऊपर और प्रधान मंत्री जी के ऊपर यह प्रैशर बनाना चाहिए और इसका कोई परमानेंट सोल्यूशन निकालना चाहिए ताकि हमारी कश्मीर की समस्या का कोई परमानेंट हल निकल सके। इस मामले में मैं समझती हूं कि मौजूदा सरकार को भी और सारे विपक्ष की पार्टियों को भी एकजुट रहना चाहिए। दलगत राजनीति से ऊपर उठकर रहना चाहिए। क्योंकि हमें देश के हित के बारे में सोचना चाहिए। हमारे देश का हित सर्वोपरि है। मैं न्यायिक जांच के चक्कर में ज्यादा नहीं पड़ना चाहती, मैं इसके हक में नहीं हूं क्योंकि इसके बारे में हमारा खुद का तजुर्बा है। सरकार को जो कुछ भी करना है उसमें सख्ती से कदम उठाना चाहिए और यदि सरकार की नीयत साफ है तो मैं समझती हूं कि इसका हल निकल सकता है। 1971-72 में भी निकल सकता था और वर्तमान सरकार भी निकाल सकती है।

मैं आपको बताना चाहती हूं कि जब मैं उत्तर प्रदेश की मुख्य मंत्री थी तो मुझे कहा जाता था कि आई.एस.आई. के लोग नेपाल से आते हैं। नेपाल हमारे प्रदेश के बोर्डर से लगा हुआ है, आई.एस.आई. के लोग उधर से आते हैं। मैंने कहा कि मैं देखती हूं कि कैसे आते हैं। मैने नेपाल के बोर्डर पर स्पेशल बोर्डर रैंज बनाई और वहां पर छांटकर अधिकारी लगाये। मैंने वहां पर चौकियां बनाई और पूरा बन्दोबस्त किया। मैं आज दावे के साथ कहती हूं कि मेरे दोनों मुख्यमंत्रित्वकाल में वहां आई.एस.आई. के लोग उत्तर प्रदेश में फटके नहीं थे। इसलिए केन्द्र सरकार सख्ती से कोई फैसला ले और चारों तरफ सीमाओं के ऊपर चौकसी बरते और इंटेलीजेंस डिपार्टमेंट को सख्त कर दे तो मैं समझती हूं कि इसका हल निकल सकता है और पाकिस्तान को फिर हम 1971-72 की तरह मुंहतोड़ जवाब देकर कश्मीर समस्या का परमानेंट हल निकाल सकते हैं।

इन्हीं लफ्जों के साथ मैं अपनी बात समाप्त करती हूं। धन्यवाद।

श्री प्रभुनाथ सिंह (महाराजगंज, बिहार): सभापति जी, एक अगस्त को अमरनाथ में जो दुखद घटना घटी थी, जिसमें भारत के कोने-कोने से महादेव में श्रद्धा रखने वाले लोग, विश्वास रखने वाले लोग अपनी मनोकामना पूरी करने के लिए बड़ी अभिलाषा के साथ जा रहे थे। उनके साथ जिस ढंग से कायरतापूर्ण यह घटना घटी, हम उसी संबंध में आज चर्चा कर रहे हैं। इस घटना के बाद सदन में चर्चा भी हुई थी और कश्मीर के सवाल पर तो

कई बार चर्चा हो चुकी है। अमरनाथ की घटना के सम्बन्ध में भी चर्चा सभी दलों के नेताओं के द्वारा की गई है। इसमें हमने भी हिस्सा लिया था लेकिन कांग्रेस के मित्रों को, सरकार की जो जांच कमेटी बनी है, उस पर आपत्ति होने के कारण वे न्यायिक जांच की मांग कर रहे हैं। आज इसी मुद्दे पर हम चर्चा कर रहे हैं कि अमरनाथ की घटना की जांच सरकार द्वारा बनाई गई कमेटी करे या न्यायिक जांच हो।

हम आपसे यह कहना चाहते हैं कि इस देश में बहुत महत्वपूर्ण घटनाएं घटी हैं, जिनकी न्यायिक जांच हुई है। वैसे हमारे यहां कहा जाता है कि किसी मामले को रफा-दफा करना हो तो सी.आई.डी. में भिजवा दो, उसी तरह बड़े मामले को अगर रफा-दफा करना हो तो न्यायिक जांच बना दें। वह मामला सीधे स्वत: समाप्त हो जाता है। इसके कई साथियों ने उदाहरण दिए हैं।

सायं 7.30 बजे

(श्री पी.एच. पांडियन *पीठासीन हुए*)

इस देश के पूर्व प्रधान मंत्री स्वर्गीय राजीव गांधी जी की जो न्यायिक जांच हुई थी, उनके मामले में इसी तरह हुआ। इसी तरह, प्रियरंजन दासमुंशी जी, भागलपुर में कांग्रेस की हुकूमत में हिन्दुओं और मुसलमानों के बीच में दंगा हुआ था, जिसमें हजारों की संख्या में लोग मारे गए थे। उसकी भी न्यायिक जांच हुई। लेकिन आज तक वह रिपोर्ट कहां है, किसी को कुछ पता नहीं चल सका। इसलिए न्यायिक जांच मामले को दबाने के लिए होती है, ऐसा हमारा मानना है। यह मान कर चलते हैं कि कागजी आधार पर और साक्ष्य के आधार पर न्याय देना और किसी मामले में तहकीकत करके, उसे ढूंढने और जांच करना दो बातें होती हैं। जो लोग न्यायपालिका की कुर्सी पर बैठ जाते हैं वो जांच से अलग होते हैं, साक्ष्यों के आधार पर और सबूतों के आधार पर न्याय करते हैं उनसे जांच का काम नहीं हो सकता। यदि हम अमरनाथ की चर्चा करेंगे तो हम कहेंगे कि यह सही है कि वहां त्रुटि थी। अगर त्रुटि नहीं होती तो इतना बड़ा हादसा नहीं होता। यदि सरकार ने भी यह महसूस नहीं किया होता कि त्रुटि नहीं थी तो जांच कमेटी बनाने का सवाल कहां से उठता। इसलिए सबने महसूस किया है। यह जो घटना हुई, बहुत दुखद घटना हुई। सारा देश और सारे सदस्य इससे मर्माहत हैं। लेकिन देखना होगा कि आतंकवाद की शुरूआत कब हुई कहां से हुई और कैसे हुई। हमने अपनी सरजमीं में कहां आतंकवादियों को प्रशिक्षण देने के लिए और ठहरने के लिए मौका दिया, इस बात पर हमें गौर करना पड़ेगा।

जिस समय देश का बंटवारा हुआ था, 1947 में ही पाकिस्तान ने हम पर हमला किया था। हमले के बाद हमारी जमीन का बहुत बड़ा हिस्सा पाकिस्तान के कब्जे में रहा। उस समय जो सीमांकन किया गया, मैं किसी पर दोष नहीं लगाना चाहता, मैं यह नहीं जानता कि उस समय के प्रधान मंत्री ने किस परिस्थिति में उस सीमांकन रेखा को कबूल किया, लेकिन उन्हीं की केबिनेट में गृह मंत्री सरदार वल्लभ भाई पटेल इसके विरोध में थे। हमने जमीन उसी दिन दे दी उन्हें प्रशिक्षण लेने के लिए। फिर हमने दोस्ती बढ़ाई चीन से। हिन्दी-चीनी भाई-भाई का नारा लगता था। उस दोस्ताना व्यवहार में भी युद्ध हुआ था। उसमें भी हमने अपनी सरजमीं गंवाई। आज भी चीन के कब्जे में अवैध रूप से हमारी 37555 वर्ग किलोमीटर जमीन हैं। इसके बाद दो और युद्ध हुए। 1962 में और 1965 में। फिर 1971 में पाकिस्तान के साथ युद्ध हुआ। 1965 और 1971 के बाद की बात मैं बताना चाहता हूं। जिस समय पाकिस्तान में सैनिक शासन था, उस समय वहां के राष्ट्रपति जिया उल हक थे। उस समय इस देश की प्रधान मंत्री स्वर्गीय श्रीमती इंदिरा गांधी थीं। उस समय पाकिस्तान के राष्ट्रपति ने एक बयान दिया था-कश्मीर में मुजाहिदीन जेहाद करेंगे। मुजाहिदीन का मतलब होता है अल्लाह के लिए लड़ने वाला और जेहाद का मतलब होता है धर्म युद्ध। कभी-कभी सदन में जब चर्चा होती है और जब पाकिस्तान का नाम आता है तो बहुत से सदस्य उठ कर खड़े हो जाते हैं, लगता है कि पाकिस्तान के लोग मौजूद रहते हैं इस तरह की परिस्थिति हमें देखने को मिलती है। अल्लाह और धर्म युद्ध के नाम पर हिन्दुस्तान की सरजमीं कश्मीर में जिस तरह से निर्दोष लोगों को मारा जा रहा है, आतंकवादी घटनाएं घट रही हैं क्या यह सहने के योग्य है। चर्चा चल रही है कि 11 वर्ष से इस देश में आंतकवाद है, हम कहते हैं कि 20 वर्ष पहले ही आतंकवाद की शुरूआत हो गई थी 11 वर्ष से तो यह व्यापक तौर पर बढ़ रहा है पर आखिर पाकिस्तान की मंशा इन घटनाओं के पीछे क्या है, यह खुल्लम-खुल्ला सबको पता है। जब भी हम कारगर कदम उठाना चाहते हैं, दोस्ताना हाथ बढ़ाना चाहते हैं, चाहे बस यात्रा करते हों, तो वहां छुपे हुए घुसपैठिए कारगिल में युद्ध की घोषणा का काम करते हैं। जिस समय देश में अमेरिका के राष्ट्रपति आते हैं, उस समय घाटी में निर्दोष आदमियों की हत्या की जाती है। जिस समय हम वार्ता करते हैं, उस समय सैकड़ों की संख्या में निर्दोष लोग मारे जाते हैं।

हम अपने देश के माननीय गृहमंत्री जी और माननीय प्रधान मंत्री जी से यह जानना चाहेंगे कि आखिर हमारे देश में जो परमाणु बम का परीक्षण हुआ, हम कहते थे कि हम सीमा की सुरक्षा करेंगे, हमारे देश में तोप, गोले और बारूद रखे गये हैं, किस काम के लिए टैंक रखे गये हैं? क्या इसीलिए कि हमारी सेना के लोग मारे जाएं और हम उनको श्रद्धांजलि अर्पित करते रहें। मैं कोई लम्बा-चौडा भाषण नहीं देना चाहता। समय की पुकार है कि अब हम अपने जवानों को लहू-लुहान नहीं देखना

[श्री प्रभुनाथ सिंह]

चाहते। अब हम अपनी सरहद पर सेना के जवानों की मौत नहीं देखना चाहते। अब हम अपने देश में निर्दोष लोगों की हत्या नहीं चाहते। अब समय एक बार ललकारने का फिर आ गया है। आज मात्र चार हजार आतंकवादी कश्मीर में मौजूद हैं। हम कहते हैं कि हमारी खुफिया फेल है। हमारी खुफिया इसलिए फेल है कि जब घाटी से निकलकर आंतकवादियों के कमांडर वार्ता करने के लिए आते हैं और वर्ता करके लौट जाते हैं तथा हमारी खुफिया को मालूम तक नहीं होता कि वे कहां से आये और कहां चले गये? शर्म की बात है और हम सीधे-सीधे कहेंगे कि हमें कश्मीर सेना के हवाले पूरी छूट के साथ सौंप देना चाहिए। अगर सेना को खुली छूट दे दी जाए तो चार हजार आतंवादियों को ढूंढ निकालना हमारी सेना के लिए कोई बड़ी बात नहीं हो सकती। इसलिए हम निवेदन करना चाहते हैं, और खास कर कांग्रेस के मित्रों से तथा आदरणीय सोनियां गांधी जी से निवेदन करेंगे और प्रियरंजन दास मुंशी जी, आप गुस्सा मत करिएगा। सोनिया जी से हम निवेदन करेंगे कि आपको कांग्रेस के लोग बरगलाकर गलत-सलत लोक सभा में कहलाते रहते हैं, देश में इसका गलत मैसेज जा रहा है कांग्रेस पार्टी राष्ट्रीय पार्टी है। आप इनके बरगलाने में मत आइए। आप न्यायिक जांच की मांग मत करिए। हम निवेदन करना चाहेंगे कि आप भी समर्थन कीजिए कि जो सरकार कदम उठा रही है और सरकार मजबूती से जांच करें। अगर उस जांच पर आप और हम मिलकर निगरानी रखेंगे, अगर जांच में कहीं कोई त्रुटि हो तो फिर हम और आप मिलकर तथा पूरा सदन मिलकर सरकार पर दबाव देकर कश्मीर की समस्या का हल निकालने का रास्ता ढूंढेंगे। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी बात समाप्त करता हूं और मुझे बोलने का मौका दिया, इसके लिए आपको धन्यवाद देता हूं।

[अनुवाद]

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री संतोष कुमार गंगवार): महोदय, मैं एक घोषणा करना चाहता हूँ।

[हिन्दी]

आज इस सदन में कार्यवाही देर रात तक चलेगी। इसलिए ऊपर रात्रि भोजन की व्यवस्था की गई है जो 8.30 बजे के बाद सभी के लिए उपलब्ध रहेगी। सदस्यों के अलावा जो लोक सभा की अन्य व्यवस्था में लोग हैं, उन सबके लिए भी यह व्यवस्था उपलब्ध रहेगी।

[अनुवाद]

श्री टी.एम. सेल्वागनपति (सेलम): सभापति महोदय, हमारे विद्वान मित्र, श्री दासमुंशी द्वारा लाए गए इस महत्वपूर्ण प्रस्ताव पर अपने विचार व्यक्त करने के लिए आपने मुझे समय दिया इसके लिए मैं आपका आभार व्यक्त करता हूँ।

महोदय, मैं अपने मित्र, श्री दासमुंशी द्वारा लाए इस प्रस्ताव का समर्थन करता हूँ। मूल सवाल यह है कि न्यायिक जाँच बैठायी जाए या नहीं, इसकी तह में जाने से पहले मैं अपनी पार्टी अखिल भारतीय अन्ना द्रमुक मुनेत्र कषगम की ओर से कायरता पूर्वक किए गए इस बर्बर अमानवीय नरसंहार की कठोर शब्दों में भर्त्सना करता हूँ। महोदय, मैं न केवल आतंक का राज कायम करने वाले आतंकवादियों की भर्त्सना करता हूं, बल्कि सुरक्षा में हुई चूक की भी निन्दा करता हूँ जिसके चलते जान की इतनी बड़ी क्षति और भयानक हिंसा हुई है। महोदय, ऐसा जान पड़ता है कि पहले भी घट चुकी इस तरह की कई घटनाओं से इस सरकार ने जो पिछले वर्ष भी सत्ता में थी और इस वर्ष भी है, सबक नहीं लिया है। इसीलिए यह हर चीज को परदे के पीछे एक रहस्य बनाकर रखना चाहती है। महोदय, यह शर्म की बात है कि पहली अगस्त से इस सरकार की ओर से कोई प्रतिक्रिया नहीं आई है।

यह सरकार कमजोर और अपरिपक्व सरकार है जो एक सौ निर्दोष तीर्थयात्रियों की नृशंस हत्या होने के बावजूद भी इस घटना को हलके ढंग से लेती है। इसने आज तक उस घटित घटना का समुचित उल्लेख तक नहीं किया है कि दरअसल हुआ क्या था। मेरा सवाल है कि यह सरकार जाँच आयोग बैठाने से क्यों डरती है? क्यों यह यथार्थ को उजागर करने से पीछे हट रही है? क्यों यह इतने महत्वपूर्ण मामले के प्रति असंवेदनशील है?

इस महान सभा में बैठे सभी लोग इस बात से सहमत हैं, और इसमें कहीं कोई दो राय नहीं है कि सुरक्षा प्रबंध में सरकार की तरफ से भारी चूक हुई है। सुरक्षा व खुफिया एजेंसियों की असफलता कारगिल के समय से ही चली आ रही है। कई महीनों से हथियार व गोला-बारूद का जमावड़ा चलता रहा, किन्तु इस सरकार की खुफिया एजेंसियों को इसकी खबर तक न लगी जिसके चलते पाँच सौ सैन्यकर्मियों की जानें गईं और कई हजार घायल हुए। यह क्या कर रही थी? क्या हमसे ऐसी आशा की जाती है कि अधिकारियों की कभी माफ न करने योग्य ऐसी लापरवाही पर हम संज्ञान न लें?

स्वयं गृह मंत्री, रक्षा मंत्री और माननीय प्रधान मंत्री ने भी इस बात को स्वीकार किया है कि सुरक्षा व्यवस्था में चूक हुई है। फिर भी, वे इस तरह की एक जायज मांग को नहीं मानते हैं। इससे हमारी भृकुटी तन जाती हैं। श्री नीतीश कुमार ने, जो वर्तमान में हमारे कृषि मंत्री हैं, रेल दुर्घटना की अपनी नैतिक जिम्मेदारी ली थी और अपने पद से इस्तीफा दे दिया था। मैं यह नहीं कहता कि श्री आडवाणी भी श्री नीतीश कुमार के पदचिन्हों का अनुसरण

करें। बल्कि, हम चाहते हैं कि इस तरह की घटना की पुनरावृत्ति न हो। इसलिए, हमारा मानना है कि न्यायिक जाँच से सच्चाई सामने आएगी और वे तथ्य उजागर होंगे कि आखिर में हुआ क्या था।

हम इसकी क्यों मांग करते हैं? वह इसलिए कि सौ से भी अधिक लोग मारे जा चुके हैं। इसके लिए कौन जिम्मेवार हैं? कौन इसके लिए जवाबदेह है?. सरकार कहती है कि इसकी जाँच अधिकारी स्तर पर की जाये। क्या इस तरह के संवेदनशील मामले को सुलझाने का यही तरीका है? यह विवाद का विषय है।

कृपया यह मत सोचें कि अकेले हम ही न्यायिक जाँच की मांग कर रहे हैं। कृपया यह भी मत सोचें कि सुरक्षा में हुई भयानक चूक के लिए केवल हम ही दोषी ठहरा रहे हैं। यहाँ तक कि संघ परिवार-आर एस एस और वी एच पी-ने भी स्पष्ट शब्दों में सरेआम कहा है कि सुरक्षा व्यवस्था में चूक हुई हैं। मैं श्री विजय कुमार मल्होत्रा से, हालाँकि वे अभी यहाँ नहीं हैं, और गृह मंत्री जी से भी आग्रह करूँगा कि वे आर एस एस के साप्ताहिक समाचार-पत्र पाञ्चजन्य में 13 अगस्त को प्रकाशित आर एस एस के महासचिव श्री मोहनदास देवी के आलेख को ध्यान से पढ़ें।

> "प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार सुरक्षा प्रबंध में भारी चूक हुई थी तथा अमरनाथ के तीर्थयात्रियों को भ्रष्ट व परेशान किया गया था।"

यह आलेख किसी और का नहीं, बल्कि स्वयं आर एस एस के सुप्रीमों का है। कुछ यात्री तो गोली-बारी में अपने ही सुरक्षा बलों के हाथों मारे गए। इस तरह के आरोप हम नहीं लगा रहे हैं। स्वयं भाजपा से जुड़े संगठन संघ परिवार इस तरह का दोषारोपण कर रहे हैं। प्रत्यक्षदर्शियों का कहना था कि कुछ यात्री सी आर पी एफ की अंधाधुंध फायरिंग में मारे गए। मैं अर्द्धसैनिक बलों के हौसलों को नीचा दिखाने को कोशिश नहीं कर रहा हूँ। इसी तरह की अंधाधुंध फायरिंग हाल ही में उस समय हुई थी जब एक बम धमाका हुआ था। इसमें 'द हिन्दुस्तान टाइम्स' का एक प्रेस फोटोग्राफर भी मारा गया था। अब यह दिन प्रति दिन की घटना बन गई है और जब यह आतंकवादियों से लड़ने का सवाल बन गया है तो हमारे अर्द्धसैनिक बलों ने जो गृह मंत्री आडवाणी के मंत्रालय के अधीन आते हैं, घबराहट में ऐसी अंधाधुंध फायरिंग की। महोदय, मैं सुरक्षा बलों के हौसले पर प्रश्नचिन्ह नहीं लगा रहा हूँ। उनके हौसले बहुत ऊंचे हैं। लेकिन, यह स्थिति क्यों है। इसीलिए, हम न्यायिक जाँच की मांग करते हैं।

और भी कई विचारणीय विषय हैं जिनकी तह में जाना अभी शेष है। एक महत्वपूर्ण बात यह है कि इसमें शिकार हुए बहुत से लोग इसलिए नहीं मरे कि उन पर ए.के. 47 बन्दूक से निकली गोलियों की बौछारें पड़ी थीं, बल्कि ये लोग सीआरपीएफ की गोलियों के शिकार हुए थे।

एक दूसरा महत्वपूर्ण सवाल है। उग्रवादी रसोईघर को या जाने वाली संकीर्ण पगडण्डी में कैसे घुस आए? इन सब चीजों को स्पष्ट करने वाला कोई नहीं है। महोदय, "पोनि स्टैण्ड में जहाँ से रसोईघर को जाने का रास्ता शुरू होता है, पोनिवालों सहित कई लोग मारे गए थे। कैसे लोग इस पतली गली में घुस आए, खासकर तब जब वहाँ दो-दो चेक पोस्टें थीं और इर्द-गिर्द सी आर पी एफ की आठ कम्पनियाँ लगाई गई थीं। इसलिए हम इस मामले की न्यायिक जाँच चाहते हैं।

प्रत्यक्षदर्शी यह भी कह रहे हैं कि जब यात्री घायलों को बचाने की कोशिश कर रहे थे तो उन्हें जम्मू और कश्मीर पुलिस बल द्वारा रोका गया था। यह मेरा कथन नहीं है। यह स्वयं आरएसएस के महासचिव का कहना है। उन्होंने केवल रोका ही नहीं था, बल्कि यहाँ तक कहा था, "आप लोग इस यात्रा पर अगर ऐसे ही आते रहेंगे, तो आप सबों का यही हश्र होगा। कश्मीर में आज यही स्थिति है। भूल की घटनाओं से हमें सबक सीखना होगा। इसीलिए, हम न्यायिक जाँच चाहते हैं। यदि एक अधिकारी किसी दूसरे अधिकारी की भूल की जाँच करें तो क्या इससे सच्चाई सामने आएगी? यह सरकार सब कुछ ठंडे बस्ते में डालने की कोशिश कर रही है।

महोदय, इन सब चीजों को आप केवल कानून और व्यवस्था की समस्या के रूप में ही नहीं देख सकते। इसके ताल्लुकात हमारे राष्ट्र की आंतरिक सुरक्षा से हैं। अब तक तीन बड़ी-बड़ी घटनाएं हो चुकी हैं। जब कभी भी शांति प्रक्रिया के लिए कोई पहल की गई है, आतंकवादी-वीभत्स तरीकों से पेश आए हैं। राजनयिक पहल के रूप में प्रधान मंत्री जब बस से लाहौर की यात्रा पर गए थे, तो फरवरी, 1999 में डोडा में बड़े पैमाने पर हत्याएं की गई थीं। अमेरिकी राष्ट्रपति श्री बिल क्लिंटन जब यहाँ ठहरे हुए थे तो उस दौरान भी एक भयानक नरसंहार हुआ था।

सैकड़ों सिखों का नृशंस संहार किया गया। अब जब हिजबुल मुजाहिद्दीन के साथ शांति प्रक्रिया की पहल जारी है तो इस तरह से परोक्ष युद्ध छेड़ दिया गया। मेरा एकमात्र सवाल है। वह यह कि इतने सारे अनुभवों के बावजूद आपका ध्यान इन सब चीजों की ओर जाने में क्यों असफल रहा? क्या आपको यह आशंका नहीं थी कि अमरनाथ यात्रा में ऐसी स्थिति उत्पन्न हो सकती है? क्या आपको इस बात का संदेह नहीं था कि ऐसी घटना घट सकती है? क्या आपको इन चीजों का पहले से एहसास नहीं था? आपने सबक क्यों नहीं सीखा? इसकी जवाबदेही किस पर निर्धारित की जाये? इसीलिए तो हम न्यायिक जांच चाहते हैं।

[श्री टी.एम. सेल्वागनपति]

मंत्री जी, यदि आप सुरक्षा बलों को अजीबोगरीब स्थिति में नहीं डालना चाहते हैं और कहते हैं कि ऐसा करने से उनके हौसले पस्त होंगे तो यह बात आपको उस समय भी सोचनी चाहिए थी, जब आपने शर्मनाक ढंग से आतंकवादियों को कंधार में आतंकवादी संगठनों के हाथों में सौंपा था। इस सरकार ने उन उग्रवादियों के सामने घुटने टेक दिये थे जो इस राष्ट्र को विभाजित करने की कोशिश कर रहे थे। क्या इससे सुरक्षा बलों के हौसले पस्त नहीं हुए होंगे? वह भी तब जब कारगिल के मोर्चे पर सैकड़ों सैन्यकर्मी मारे गए और हजारों की संख्या में घायल हुए और ठीक इसके बाद इस सरकार ने इस तरह घुटने टेकने की कार्रवाई की जो बिलकुल कायरतापूर्ण और कभी माफ न करने योग्य है। इसीलिए, हमारा कहना है कि कृपा कर आप किसी पर भी परदा डालने की कोशिश मत करें। सच्चाई को सामने आने दें। यही बात पहले भी हुई है ...*(व्यवधान)*

एक कहावत है कि बच्चा हर हाल में अपने माँ-बाप के पद चिन्हों का ही अनुसरण करेगा। मंत्री जी, आपने आतंकवादियों को कंधार में उग्रवादियों के हाथों में सौंपा था। अब आप देख सकते हैं कि प्रत्येक राज्य में टाडा के अंतर्गत बंद किए गए कैदियों को छोड़ दिया गया है। तमिल लिबरेशन आर्मी के 51 कैदी कर्नाटक में छोड़े गए और पांच उग्रवादी तमिलनाडु में मुक्त किए गए। यह तो आपका राष्ट्र को सन्देश है। यही चीज आप जनता को भी बता रहे हैं कि कल को इस देश में सभी उग्रवादी जेल से बाहर आ जाएँगे और सरकार उनके सामने घुटने टेक देगी। यह शर्मनाक बात है, न केवल केन्द्र के संदर्भ में, बल्कि राज्यों के संदर्भ में भी। राज्यों में भी ऐसा ही हो रहा है। नियंत्रण कहाँ है? कौन लेगा इन सबकी जवाबदेही?

महोदय, श्री आडवाणी यहाँ नहीं हैं। इसी तरह कोयम्बटूर में एक भयानक बम धमाका हुआ था जिसमें उन्हीं को लक्ष्य बनाया गया था। मैं जानता हूँ कि कोयम्बटूर के माननीय सांसद श्री सी.पी. राधाकृष्णन वहाँ मौजूद थे। वे सब चमत्कारिक रूप से बच गए। हमारे तेज-तर्रार नेता डा. पुराची थालवी ने बम रखने वाले का पता लगाने के लिए सीबीआई से जाँच की माँग की थी क्योंकि तमिलनाडु राज्य में सत्ता के केन्द्र और उग्रवादियों के बीच सांठगांठ थी पर उनकी मांग अस्वीकार कर दी गई ...*(व्यवधान)*

श्री एस.एस. पलानीमनिक्कम (तंजावूर): महोदय, यह आपत्तिजनक है। इसे कार्यवाही-वृत्तांत से निकाल दिया जाना चाहिए। उन्होंने कहा है कि वहाँ सरकार और उग्रवादियों के बीच सांठ-गांठ थी ...*(व्यवधान)* इसे निकाल दिया जाना चाहिए।

सभापति महोदय: श्री पलानीमनिक्कम, जब आप बोलें तो आप इसका जवाब दे सकते हैं।

...*(व्यवधान)*

सभापति महोदय: श्री पलानीमनिक्कम, जब आपकी बारी आए तभी आप जवाब दे सकते हैं। आप इसका खंडन कर सकते हैं।

...*(व्यवधान)*

ग्रामीण विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ए. राजा): किसी भी व्यक्ति को उत्तर देने का अधिकार हो सकता है। मात्र इसलिए कि उन्हें उत्तर देने का अधिकार है सदस्य सभा में कुछ भी बोल सकते हैं ऐसा नहीं है*...*(व्यवधान)*

इससे एक गलत मिसाल कायम होगी। मुद्दा है कि एक सदस्य कुछ भी बोल सकता है और अन्य माननीय सदस्य को इसे खण्डन करने का अधिकार है ...*(व्यवधान)*

श्री टी.एम. सेल्वागनपति: मैं इससे सहमत नहीं हूं। ...*(व्यवधान)*

श्री वैको: माननीय सदस्य। चर्चा को विषय तक ही सीमित रहने दें।

सभापति महोदय: आम तौर पर सामान्य चर्चा में कोई व्यवधान नहीं होता है। यदि किसी बात का उत्तर दिया जाना है तो आप उत्तर दे सकते हैं।

...*(व्यवधान)*

सभापति महोदय: श्री सेल्वागनपति कृपया अब समाप्त करें।

श्री ए. राजा: महोदय, कुछ हिस्सों को कार्यवाही-वृत्तांत से निकाल देना चाहिए ...*(व्यवधान)*

श्री टी.एम. सेल्वागनपति: मैं तथ्यों और आंकड़ों के आधार पर बोल रहा हूँ ...*(व्यवधान)*

श्री सत्यव्रत चतुर्वेदी: जब तक कि वे ऐसा कुछ नहीं बोलते हैं जो असंसदीय हो, जब तक वह विषय पर बोलते हैं उनके भाषण को कार्यवाही-वृत्तांत में अवश्य शामिल किया जाना चाहिए। अन्य माननीय सदस्य को मुद्दे को स्पष्ट करने के लिए अवसर मिलेगा। यदि कोई असंसदीय अभिव्यक्ति है तो आप इसको देख सकते हैं ...*(व्यवधान)*

---

*अध्यक्षपीठ के आदेशानुसार कार्यवाही-वृत्तांत से निकाल दिया गया।

श्री एस.एस. पलानीमनिक्कम: बात यह है कि चरमपंथियों और राज्य सरकार के बीच सांठगांठ के मुद्दे का इस विषय से कोई संबंध नहीं है ...*(व्यवधान)*

श्री टी.एम. सेल्वागनपति: ये सभी सच्चाई है। ये सब हमने महसूस किया है। राष्ट्र इसको देख रहा है। यह एक सच्चाई है कि भारत सरकार के पदचिन्हों पर तमिलनाडु जेल से उग्रवादियों को रिहा किया जाता है। यह एक सच्चाई है। इसीलिए एक सीबीआई छानबीन की मांग की गई थी जिसे अस्वीकार कर दिया गया।

श्री आडवाणी के अलावा कोई और लक्ष्य नहीं था। ...*(व्यवधान)* सैकड़ों लोग मारे गए। क्या यह सच्चाई नहीं है? ...*(व्यवधान)*

सभापति महोदय: श्री पलानीमनिक्कम, मैं अपना विनिर्णय दूँगा। श्री सेल्वागनपति, कृपया बैठ जाइए।

...*(व्यवधान)*

सभापति महोदय: आमतौर पर सामान्य चर्चा में कोई व्यवधान नहीं होता है।

श्री एस.एस. पलानीमनिक्कम: यह सभी माननीय सदस्यों के लिए है। ...*(व्यवधान)*

सभापति महोदय: यदि आप किसी बात का खंडन करना चाहते हैं तो आप इसका बाद में खंडन कर सकते हैं।

...*(व्यवधान)*

सभापति महोदय: यह एक संगत विचार है।

...*(व्यवधान)*

श्री एस.एस. पलानीमनिक्कम: उन्होंने कहा कि चरमपंथियों और तमिलनाडु सरकार के बीच सांठगांठ है। ...*(व्यवधान)* उनका कहना है कि सांठ-गांठ है। ...*(व्यवधान)*

श्री टी.एम. सेल्वागनपति: मैं गृह मंत्री जी की दयनीय अवस्था को समझ सकता हूँ। ...*(व्यवधान)*

सभापति महोदय: श्री पलानीमनिक्कम, आप अपने उत्तर में इसका खंडन कर सकते हैं?

...*(व्यवधान)*

श्री एस.एस. पलानीमनिक्कम: अध्यक्षपीठ इसे रोक सकते हैं। ...*(व्यवधान)*

सभापति महोदय: आप मुझसे क्या चाहते हैं? आप चर्चा में व्यवधान उत्पन्न नहीं कर सकते हैं।

...*(व्यवधान)*

श्री टी.एम. सेल्वागनपति: हमारी मांगें पूरी तरह तर्कसंगत हैं ...*(व्यवधान)*

श्री एस.एस. पलानीमनिक्कम: यह एक अत्यंत ही संवेदनशील मुद्दा है ...*(व्यवधान)*

सभापति महोदय: क्या किसी व्यक्ति विशेष के विरुद्ध कोई आरोप है?

...*(व्यवधान)*

श्री टी.एम. सेल्वागनपति: मैं उन्हें बोलने का अवसर देने के लिए तैयार नहीं हूं। ...*(व्यवधान)*

सभापति महोदय: कृपया अपना स्थान ग्रहण करें। मैं अपना विनिर्णय दूँगा।

...*(व्यवधान)*

श्री वैको: हम लोग एक गंभीर मुद्दे पर चर्चा कर रहे हैं। वे इसमें दलगत राजनीति कर रहे हैं। ...*(व्यवधान)* वे मुख्य मुद्दे से हट रहे हैं। यह चर्चा से संबंधित नहीं है।

...*(व्यवधान)*

श्री टी.एम. सेल्वागनपति: मैं गंभीरतापूर्वक बात कर रहा हूँ। यह राजनीति का विषय नहीं है। ...*(व्यवधान)* यह एक सच्चाई है। यह संदर्भ से जुड़ा हुआ है ...*(व्यवधान)* हमारा आरोप बिल्कुल युक्तिसंगत है ...*(व्यवधान)*

सभापति महोदय: मैं अपना विनिर्णय दूंगा। श्री कुप्पुसामी कृपया अपना स्थान ग्रहण करें। यदि कोई बात असंसदीय है और यदि कोई ऐसी बात है जिसको चुनौती नहीं दी गयी-अब आप इसको चुनौती दे रहे हैं तो आप अपने उत्तर में इसका खंडन कर सकते हैं।

...*(व्यवधान)*

श्री एस.एस. पलानीमनिक्कम: यह असंसदीय है। कोयम्बटूर बम विस्फोट की जांच पहले ही पूरी हो गई है। ...*(व्यवधान)*

सभापति महोदय: जब कोई सदस्य बोल रहा है तो वे इसे उस समय क्यों नहीं पूछते हैं?

...*(व्यवधान)*

श्री राजीव प्रताप रूडी (छपरा): जब कोई व्यक्ति कुछ भी बोल रहा है तो यह आपका कर्तव्य है कि आप हस्तक्षेप करें ...*(व्यवधान)*

सभापति महोदय: श्री रूड़ी, 'कोई व्यक्ति' नहीं कहें। 'कोई व्यक्ति' कहना असंसदीय है।

श्री सेल्वागनपति, कृपया समाप्त करें।

...*(व्यवधान)*

सभापति महोदय: मेरा एक जैसा विचार किसी भी चर्चा में व्यवधान उत्पन्न नहीं किया जाना चाहिए।

...*(व्यवधान)*

श्री एस.एस. पलानीमनिक्कम: हम पीठासीन अधिकारी को चुनौती नहीं दे रहे हैं ...*(व्यवधान)* तमिलनाडु का मुद्दा अत्यंत ही संवेदनशील मुद्दा है।...*(व्यवधान)*

सभापति महोदय: चर्चा में कोई व्यवधान उत्पन्न नहीं किया जा सकता ...*(व्यवधान)*

श्री एस.एस. पलानीमनिक्कम: तमिलनाडु और कर्नाटक से संबंधित अत्यंत ही संवेदनशील मुद्दा है। तमिलनाडु के लाखों लोग कर्नाटक में रह रहे हैं। आप इन दोनों घटनाओं को क्यों जोड़ रहे हैं?...*(व्यवधान)*

सभापति महोदय: आप कहना क्या चाहते हैं?

श्री एस.एस. पलानीमनिक्कम: उन्होंने कहा कि राज्य सरकार और उग्रवादियों के बीच साठगांठ है। मैं अध्यक्षपीठ से इसे हटाने का अनुरोध करूंगा।...*(व्यवधान)* हम अध्यक्षपीठ को संबोधित कर रहे हैं। ...*(व्यवधान)* हम जम्मू और कश्मीर के मुद्दे की चर्चा कर रहे हैं...*(व्यवधान)*

सभापति महोदय: श्री चतुर्वेदी, कृपया अपना स्थान ग्रहण करें।

...*(व्यवधान)*

श्री टी.एम. सेल्वागनपति: मैं उन्हें बोलने का अवसर देने के लिए सहमत नहीं हूं मैं सिर्फ सच बोल रहा हूं...*(व्यवधान)*

श्री एस.एस. पलानीमनिक्कम: उन्होंने कहा कि राज्य सरकार और उग्रवादियों के बीच सांठगांठ है

...*(व्यवधान)*

श्री टी.एम. सेल्वागनपति: मुझे उनका स्पष्टीकरण नहीं चाहिए मैं सिर्फ सच का पर्दाफाश कर रहा हूं और मैं देश में क्या हुआ उसका पर्दाफाश कर रहा हूं...*(व्यवधान)* वे पूरे बहस को दरकिनार करने का प्रयास कर रहे हैं...*(व्यवधान)*

सभापति महोदय: सभा में 544 माननीय सदस्य हैं वे जिम्मेदारी के साथ सच्चाई को सामने रख रहे हैं।

...*(व्यवधान)*

श्री एस. एस. पलानीमनिक्कम: जी हां, इसके साथ ही इसे लोगों की कीमत पर किया जाना चाहिए...*(व्यवधान)*

सभापति महोदय: श्री पलानीमनिक्कम, मेरा विचार सुनने के बाद मुझे बताएं।

रात्रि 8.00 बजे

सभापति महोदय: यहां कोई टोका-टाकी नहीं हो सकती है। कृपया अध्यक्षपीठ को संबोधित करें।

...*(व्यवधान)*

सभापति महोदय: कृपया मेरी बात सुनें।

...*(व्यवधान)*

सभापति महोदय: इस सभा में 544 माननीय सदस्य हैं और वे जिम्मेदारी के साथ सच्चाई को रख रहे हैं। हम यह नहीं कर सकते हैं कि वे जिम्मेदार नहीं हैं।

...*(व्यवधान)*

सभापति महोदय: हम यह नहीं कह सकते कि वे जिम्मेदार नहीं हैं और वे सच्चाई को नहीं जानते हैं। मैं यह कैसे जान पाऊंगा कि वे सच्चाई को नहीं जानते हैं?

...*(व्यवधान)*

श्री एस.एस. पलानीमनिक्कम: नहीं, मेरा अध्यक्षपीठ से कोई मतभेद नहीं है। मेरी बात उनके संभाषण में निहित है कि उन्होंने कहा कि राज्य सरकार और उग्रवादियों के बीच सांठ-गांठ है...*(व्यवधान)*

श्री टी.एम. सेल्वागनपति: यह मेरा आरोप है। मैं अपने आरोप पर दृढ़ हूं।...*(व्यवधान)* मैं अपने आरोप पर कायम हूं। यह पूरी तरह युक्ति संगत आरोप है। उन्हें इसे खंडन करने दें। ...*(व्यवधान)*

श्री एस.एस. पलानीमनिक्कम: महोदय, यह कर्नाटक में रह रहे लाखों तमिल लोगों के जीवन से संबंधित एक संवेदनशील मुद्दा है। मैंने उन्हें समस्या को और गंभीर नहीं बनाने के लिए कहा है।...*(व्यवधान)*

श्री टी.एम. सेल्वागनपति: महोदय, मैं स्पष्ट रूप से कहता हूं कि मैं अपने आरोप पर कायम हूं।...*(व्यवधान)*

सभापति महोदय: श्री पलानीमनिक्कम, कृपया मेरी बात सुनें।

श्री एस. एस. पलानीमनिक्कम: महोदय, मैं अध्यक्षपीठ की बात सुनने को तैयार हूं परन्तु साथ ही अध्यक्षपीठ से मेरा अनुरोध है कि दूसरे पक्ष को भी नियंत्रण में लें।...*(व्यवधान)*

श्री राजीव प्रताप रूडी (छपरा): सभापति महोदय, सभी नेताओं को यह सूचित कर दिया जाए इससे समस्या का समाधान हो जाएगा।...*(व्यवधान)*

सभापति महोदय: श्री रूडी, कुछ मिनट पहले आपने कहा "किसी ने कहा है" क्या आप सदस्य को किसी कहकर बुला सकते हैं?

श्री राजीव प्रताप रूडी: नहीं।

सभापति महोदय: आपने कहा "किसी ने कहा है"। "किसी" शब्द असंसदीय है। जब एक सदस्य बोल रहा है तो आप उसे "किसी" नहीं कह सकते । वह माननीय और जिम्मेवार सदस्य हैं।

श्री राजीव प्रताप रूडी: महोदय, किसी माननीय और जिम्मेवार सदस्य ने यह कहा है।

सभापति महोदय: आप ऐसा अब कह रहे हैं।

...(व्यवधान)

सभापति महोदय: श्री पलानीमनिक्कम, कृपया मेरी बात सुनिए।

...(व्यवधान)

सभापति महोदय: सभा में विभिन्न वर्गों और विभिन्न राजनैतिक दलों के सदस्य हैं। किसी पार्टी का कोई सदस्य बोल रहा है तो आप अपनी पार्टी का सदस्य या मुख्य सचेतक की हैसियत से अपनी बारी आने पर इसका विरोध कर सकते हैं।

श्री एस.एस. पलानीमनिक्कम (तंजावूर): महोदय, मैंने उन्हें नहीं टोका। जब उन्होंने बहुत ही गंभीर विषय का उल्लेख किया तो मैंने आपत्ति की।...*(व्यवधान)*

सभापति महोदय: उस स्थिति में, वक्ता को पूरी कार्यवाही कर अनुसरण करना होगा।

श्री एस.एस. पलानीमनिक्कम: हां...*(व्यवधान)* मैंने तभी आपत्ति की जब उन्होंने कहा कि राज्य सरकार के उग्रवादियों के साथ संबंध हैं। इसका क्या अर्थ है?...*(व्यवधान)*

श्री टी.एम. सेल्वागनपति (सेलम) महोदय, मैंने कहा कि सत्ताधारी पार्टी...*(व्यवधान)*

सभापति महोदय: श्री पलानीमनिक्कम, मैं यह कैसे कह सकता हूं कि यह असंसदीय है? मैं सभा की भावना जानना चाहता हूं कि क्या यह असंसदीय है।...*(व्यवधान)*

श्री टी.एम. सेल्वागनपति: मैं अपनी बात समाप्त करने जा रहा हूं मुझे अपना भाषण समाप्त करने की अनुमति दें।...*(व्यवधान)*

रात्रि 8.04 बजे

[अध्यक्ष महोदय पीठासीन हुए]

अध्यक्ष महोदय, मुझे अपना भाषण समाप्त करने की अनुमति दें। मेरा कहना है कि कोयम्बटूर में स्थिति को ठीक से संभाला नहीं गया। इसी प्रकार, कश्मीर में स्थिति को ठीक से नहीं संभाला जा रहा है। इसलिए, श्री आडवाणी को इसकी जिम्मेवारी लेनी चाहिए। यही समय है जब सरकार को अपनी खामियां स्वीकार करनी चाहिए।

अध्यक्ष महोदय: श्री सेल्वागनपति, अब समाप्त कीजिए।

श्री एस.एस. पलानीमनिक्कम: अध्यक्ष महोदय, कोयम्बटूर के बम धमाकों की जांच के लिए एक आयोग गठित किया गया था और इसने अपनी रिपोर्ट सौंप दी है। वह अब इस सब चीजों का उल्लेख क्यों कर रहे है?...*(व्यवधान)*

संसदीय कार्य मंत्री तथा सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री (श्री प्रमोद महाजन): अध्यक्ष महोदय, हम इस समय कश्मीर की स्थिति की चर्चा कर रहे हैं और वह कोयम्बटूर बम धमाकों की चर्चा कर रहे हैं।

अध्यक्ष महोदय: श्री सेल्वागनपति, अब कृपया समाप्त कीजिए।

श्री टी.एम. सेल्वागनपति: महोदय, मैं समाप्त कर रहा हूं।

महोदय, मैं ऐसी ही स्थिति की तुलना कर रहा हूं जिसमें गृह मंत्री श्री आडवाणी स्वयं लक्ष्य थे। उस घटना की समुचित जांच नहीं हुई। इसी प्रकार, सरकार इस घटना की भी न्यायिक जांच की विपक्ष की सही मांग की सुनवाई नहीं कर रही है।...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय: अब समाप्त कीजिए।

श्री टी.एम. सेल्वागनपति: आपने इसे किसी प्रकार की-गई-कार्यवाही संबंधी रिपोर्ट से बाहर कर दिया।

अध्यक्ष महोदय: श्री सेल्वागनपति, समाप्त कीजिए।

श्री टी.एम. सेल्वागनपति: वह मुझे पूरा नहीं करने दे रहे हैं।

अध्यक्ष महोदय: आप 25 मिनट से अधिक समय ले चुके हैं।

श्री टी.एम. सेल्वागनपति: काफी सारे व्यवधान होते रहे हैं।

सभी इस हत्याकांड से आहत हैं। नागरिकों की सुरक्षा की जिम्मेवारी सरकार की है। न्यायिक जांच से ही सत्य सामने आएगा।

मैं, अपने विद्वान मित्र, श्री प्रियरंजन दासमुंशी द्वारा लाए गये प्रस्ताव का समर्थन करता हूं।

श्री चैकोः अध्यक्ष महोदय, इस महत्वपूर्ण चर्चा में भाग लेने का अवसर देने के लिए आपका बहुत-बहुत धन्यवाद। इस सहस्राब्दि के अगस्त माह का पहला दिन पूरे देश के लिए दुख और संताप का दिन था, यह काला दिवस था जब अमरनाथ यात्रा के तीर्थ यात्रियों की नृशंसा और वहशियाना हत्या की गई। अमरनाथ जाने वाले यात्री इस महान देश के दूर-दूर के क्षेत्रों से आए निर्दोष नागरिक थे जो रोजमर्रा के जीवन के क्षोभ और उत्पीड़न की समस्याओं से राहत पाने और आत्मिक शांति प्राप्त करने आए थे। इन लोगों की जघन्य हत्या हुई। मैं अपनी पूरी ताकत के साथ हत्या और उन हत्यारों की निंदा करता हूं जिन्हें सभ्य समाज में रहने का कोई हक नहीं है।

हत्याओं और हत्यारों की निंदा करते हुए मैं अपने विद्वान मित्र श्री प्रियरंजन दासमुंशी द्वारा लाए गए नियम 184 के अधीन न्यायिक जांच के प्रस्ताव से सहमत नहीं हूं।

शोक संतप्त परिवारों के साथ मेरी सहानुभूति है। उनके दुख और आंसुओं में, मैं उनका भागीदार हूं? मैं न्यायिक जांच के लिए उनके साथ सहमत क्यों नहीं हूं। इस चर्चा में हमें छोटी-छोटी बातों से ऊपर उठना है।...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय: श्री राजीव प्रताप रूडी, आप सदस्यों को बाधा पहुंचा रहे हैं।

...(व्यवधान)

श्री चैकोः मैं अपने मित्र, श्री मणिशंकर अय्यर और श्री प्रियरंजन दास मुंशी को ध्यान से सुन रहा था। उन्होंने कुछ वैध मुद्दे उठाए हैं। परन्तु इस वर्ष खासतौर पर अमरनाथ यात्रियों की हत्या क्यों हुई? जम्मू-कश्मीर में हत्याएं होती रही हैं। ऐसी अनगिनत घटनाएं हुई है। परन्तु, ऐसा पहली बार हुआ है कि अमरनाथ यात्रियों को निशाना बनाया गया है। वर्ष 1995-96 में हरकत-उल-अंसार ने धमकी दी थी कि अमरनाथ यात्रियों को नहीं बख्शा जाएगा और उनकी हत्या कर दी जाएगी। लेकिन ऐसा नहीं हुआ। इस प्रकार अमरनाथ यात्रियों के साथ यह पहली दुर्घटना हुई है। तब, क्या कारण है? यह आतंकवाद का कोई अलग मामला नहीं है।

यह इस्लामाबाद के फौजी हुक्मरानों की कुत्सित योजना का एक हिस्सा है। हमें पूरे परिदृश्य को देखना होगा। यह हत्या भारत सरकार और हिजबुल मुजाहिदीन के बीच वार्ता से जुड़ी हुई है। जब भी भारत सरकार की ओर से अपने पड़ोसी पाकिस्तान के साथ शांति और सामान्य स्थिति और बेहतर द्विपक्षीय संबंध बनाने का प्रयास किया जाता है, पाकिस्तान हमेशा इस प्रयास को बेकार कर देता है।

भारत के प्रधानमंत्री श्री अटल बिहारी वाजपेयी की अमृतसर से लाहौर यात्रा बहुत ही सराहनीय थी। इस तथ्य के बावजूद कि उस तरफ के मेरे मित्रों ने इसकी आलोचना की थी परन्तु, इस यात्रा ने पूरे देश को ही नहीं, पूरे विश्व को यह संदेश दिया कि द्विपक्षीय मुद्दों पर भारत ने वार्ता की सद्भावनापूर्ण पेशकश की है और भारत शांति और दोस्ती चाहता है। कूटनीतिक मोर्चों पर हम सफल रहे हैं। करगिल संकट के दौरान पूरा देश एक हो गया था। करगिल भावना कन्याकुमारी से लेकर हिमालय के उत्तुंग शिखरों तक देखी गयी।

महोदय, हम युद्ध क्षेत्र में ही नहीं जीते, बल्कि कूटनीतिक मोर्चे पर भी विजयी रहे ऐसा इसलिए क्योंकि इस्लामिक संगठन का एक भी सदस्य पाकिस्तान के समर्थन में खड़ा नहीं हुआ। उस समय, जब लाहौर यात्रा की भावना थी, पाकिस्तान ने इसे बीच में ही तोड़ा। उन्होंने करगिल में युद्ध शुरू कर दिया और टकराव की स्थिति के पीछे और कोई नहीं बल्कि परवेज मुशर्रफ ही थे जिन्होंने बाद में नवाज शरीफ की सरकार का तख्ता पलट किया।

महोदय, हमें याद है कि अमरीकी राष्ट्रपति बिल क्लिंटन की भारत यात्रा के समय जब वह दोनों देशों के बीच वार्ता का सन्देश दे रहे थे। उसी समय उन्होंने छतीसिंहपुरा को निशाना बनाया और हत्याएं हुई। सिख समुदाय के लोगों की जघन्य हत्या की गई।

अब यह तीसरा परिदृश्य है। पहला अवसर है जब हिजबुल मुजाहिदीन के मुख्य कमांडर अब्दुल मजीद डार ने श्रीनगर में एक तरफा युद्ध-विराम की घोषणा की। उन्होंने कहा कि उनका उद्देश्य गतिरोध को तोड़ना और बातचीत के लिए वातावरण को अनुकूल बनाना है। यही नहीं, उन्होंने विश्वव्यापी निवेदन का उल्लेख किया कि एक कठिन दौर से गुजर रहे इस उपमहाद्वीप में शान्ति और सामान्य स्थिति पुन: स्थापित हो।

महोदय, 24 जुलाई को जब एकपक्षीय युद्धविराम की घोषणा की थी तो प्रस्तावित बातचीत में पाकिस्तान को शामिल करने का कोई उल्लेख नहीं था। इसकी फुसफुसाहट तक नहीं थी। 2 जुलाई को श्रीनगर में एक प्रेस सम्मेलन में श्री डार ने बहुत अच्छी बातें की। सर्वप्रथम, यह कि युद्ध विराम की पेशकश का निर्णय मजलिसे शूरा द्वारा लिया गया सामूहिक निर्णय था और उद्देश्यपूर्ण वार्ता के लिए सीमा के दोनों ओर हिजबुल मुजाहिदीन नेतृत्व में मतैक्य हो गया था। जिसके परिणामस्वरूप इस समस्या का शांतिपूर्ण हल निकलना चाहिए। दूसरे श्री डार ने यह तर्क रखा कि युद्धविराम की पेशकश से पहले हिजबुल मुजाहिद्दीन नेतृत्व ने कश्मीर में लोगों के मन को समझ लिया था और यह महसूस किया गया:

> "समाज के सभी वर्गों जिनमें स्थानीय राजनीतिक नेतृत्व और प्रचार माध्यम शामिल हैं के बीच बिना शर्त और अर्थपूर्ण वार्ता के आधार पर समस्या का शांतिपूर्ण हल निकालने की इच्छा।"

महोदय, दूसरी घोषणा श्री सैय्यद सलाउद्दीन द्वारा की गई। उनका मूल नाम मौहम्मद यूसुफ शाह था। उन्होंने 8 अगस्त को युद्धविराम को समाप्त करने की घोषणा की। उन्होंने कहा कि युद्ध विराम समाप्त कर दिया गया है। यह वक्तव्य इस्लामाबाद में दिया गया। अत: युद्ध विराम संबंधी पहला वक्तव्य श्रीनगर में दिया गया और सैयद सलाउद्दीन द्वारा युद्धविराम रद्द करने संबंधी दूसरा वक्तव्य पाकिस्तान में दिया गया जिससे बुनियादी कारण का पता चलता है जो इस बात का प्रमाण है कि वह श्री परवेज मुशर्रफ के सैन्य शासन के प्रभाव तले हैं। अत: यह आवाज सैय्यद सलाउद्दीन की न होकर इस्लामाबाद की है और यह आवाज श्री परवेज मुशर्रफ की है।

महोदय, एक विचारणीय प्रश्न यह है कि यदि सैय्यद सलाउद्दीन श्री परवेज मुशर्रफ के प्रभाव तले काम कर रहे हैं तो वह श्री अब्दुल मजीद डार की घोषणा पर युद्धविराम के लिए कैसे सहमत हो गए थे? यह बात बहुत रोचक है। पाकिस्तान शासन इस सोच में था कि भारत हिजबुल मुजाहिद्दीन के साथ वार्ता नहीं करेगा। यह कारण है। पश्चिमी शासन ने सोचा कि भारत सरकार आगे नहीं आएगी। श्री वाजपेयी की सरकार हिजबुल मुजाहिद्दीन के साथ वार्ता नहीं करेगी। किन्तु महोदय, पाकिस्तान को इस बात का झटका लगा और आश्चर्य हुआ कि भारत आगे आया, बातचीत शुरू हुई और उस समय ऐसी कोई पूर्व शर्त नहीं थी कि पाकिस्तान को बातचीत में शामिल किया जाना चाहिए। जब पाकिस्तान सरकार ने इस तथ्य को महसूस किया कि भारत वार्ता के लिए आगे आ गया है और कश्मीर के लोगों में वास्तव में शान्ति की इच्छा है तो उन्हें इसका सख्त झटका लगा। अत: वे बातचीत में बाधा डालना चाहते थे, वे भारत सरकार और हिजबुल मुजाहिद्दीन, जो पाकिस्तान सरकार के प्रभाव तले काम कर रहा है, के बीच बातचीत में बाधा डालना चाहते थे और इसलिए उनके निर्देश और आदेश के तहत श्री सैयद सलाउद्दीन ने युद्धविराम समाप्त करने की घोषणा कर दी।

महोदय, 1 अगस्त व 2 अगस्त के इन बर्बरतापूर्ण कृत्यों के बाद भी भारत सरकार ने बहुत स्पष्ट शब्दों में यह संदेश दिया कि हम वार्ता की पेशकश से पीछे नहीं हटेंगे। हम 1 अगस्त व 2 अगस्त के क्रूर नरसंहार के बाद भी बातचीत करने के अपने निर्णय से पीछे नहीं हटेंगे। युद्ध विराम रद्द होने के तत्काल बाद बारामूला में हमारी भारतीय सेना के डिवीजनल मुख्यालय पर पांच गोलों, कुछ राकेटों और गोलियों से हमला किया गया। युद्ध विराम रद्द करने के दो घंटे के भीतर यह स्पष्ट हो गया कि हिजबुल मुजाहिदीन प्रभावी युद्ध में कूद पड़ा है। महोदय, इसके बाद भी हमारे प्रधान मंत्री ने राज्य सभा में वक्तव्य दिया। उन्होंने कहा:

> "लोगों को मारने और भीड़-भाड़ वाले स्थानों में सुनियोजित ढंग से बम फोड़ने से आतंकवादियों को कुछ भी प्राप्त होने वाला नहीं है। ऐसे घिनौने कृत्यों से वे सीमापार के अपने स्वामियों को प्रसन्न कर सकते हैं किन्तु उनके कृत्य इस्लाम और मानवता के विरुद्ध हैं। किन्तु ऐसी कोई पूर्व शर्त नहीं है कि बातचीत के लिए वहां प्रजातंत्र ही होना चाहिए। वहां जैसी भी सरकार है हम उसके साथ बातचीत के लिए तैयार हैं।"

अत: हम स्पष्ट कर चुके हैं कि हम वार्ता के लिए तैयार हैं। महोदय, किन्तु यह षडयंत्र खतरनाक है। जब हम इस विषय पर चर्चा कर रहे हैं तो मैं अपनी शंका के बारे में इस सदन के माननीय सदस्यों को इस समय कुछ बताना चाहता हूं। मैंने सोचा कि अपने भय और शंका को व्यक्त करना मेरा कर्तव्य है। मैं निराशावादी नहीं हूं किन्तु मैंने महसूस किया कि मुझे अपना भय और शंका व्यक्त करनी चाहिए कि हम अपने पड़ौसी के साथ बड़े

[श्री वैको]

संघर्ष की ओर बढ़ रहे हैं। मैं इस गभीर चिन्ता के बारे में अपने मित्रों को बताना चाहता हूं क्योंकि पाकिस्तानी शासन पहले ही सर्वाधिक अलोकप्रिय और कुंठित सरकार बन गई है।

एक कुंठित सरकार सदैव खतरनाक सरकार होती है। लोगों का ध्यान हटाने के लिए भारत के साथ बडे टकराव हेतु बड़े पैमाने पर तैयारी कर रहे हैं। जब इस्लामाबाद में श्री नवाज शरीफ की सरकार थी तो उन्होंने श्री परवेज मुर्शरक जो करगिल संकट के सूत्रधार और संचालक थे, को प्रसन्न किया। अब वह स्वयं इस्लामाबाद में गद्दी पर बैठ गए हैं। 14 अगस्त को दिया गया उनका संदेश क्या था? इस्लामाबाद का संदेश क्या था? वह युद्ध लालायित भाषण और युद्धकारी दृष्टिकोण था।

इसी प्रकार मैंने समाचार-पत्रों में एक भयावह खबर पढ़ी। इस्लामाबाद में प्रचार माध्यमों और समचार-पत्रों में बहुत प्रमाणित रिपोर्टें प्रकाशित हुई हैं जो कि हमने संसार के किसी भाग में नहीं सुनी है—कि सेना के सैनिकों को द्वेष और घृणा की शिक्षा दी जा रही है। ये काम एडोल्फ हिटलर चालीस के दशक और तीस के दशक के अंत में अपनी "स्टार्म ट्रपर्स" (सैनिकों) के लिए अपने जेस्टापों के माध्यम से उन दिनों कर रहे थे। पाकिस्तानी सेना के सैनिकों के मन में कट्टरवाद की शिक्षा भरी जाती है विश्वसनीय स्रोतों से मुझे पता चला है कि पाकिस्तानी सेना के 17 प्रतिशत से लेकर 18 प्रतिशत सैनिक दाढ़ी बढ़ाते हैं। यह बात ईराक और ईरान में भी सुनने में नहीं आती है। ऐसा किसी इस्लामी देश में कहीं नहीं है। इस्लामी कट्टरवाद पाकिस्तानी सेना के सैनिक की नसों में भारा जाता है। अत: एक तरफ तो वे स्वयं को इस प्रकार तैयार कर रहे हैं तो दूसरी तरफ भारत के विरुद्ध अन्तरराष्ट्रीय जनमत जुटाने का प्रयास कर रहे हैं और वे कश्मीर को अन्तर्राष्ट्रीय महत्व का मुद्दा बनाना चाहते हैं वे इस मुद्दे को एक विवादास्पद मुद्दा बनाना चाहते हैं इस उद्देश्य हेतु वे भारत के विरुद्ध अन्तरराष्ट्रीय जनमत जुटाने के लिए ऐड़ी-चोटी का प्रयास कर रहे हैं। अत: हमें बहुत सावधान रहना होगा। हमें बहुत सतर्क रहना होगा।

मैं हत्याएं होने के मामलों पर न्यायिक जांच के विरुद्ध नहीं हूं। यह न्यूनाधिक युद्ध जैसी स्थिति है। जब श्री प्रियरंजन दासमुंशी सदन में भावनात्मक और क्रोधपूर्ण भाषण दे रहे थे, अचानक उनके भाषण में सच्चाई आ गई कि जम्मू और कश्मीर में स्थिति इतनी गम्भीर है कि माननीय प्रधान मंत्री, विपक्ष की नेता श्रीमती सोनिया गांधी और श्री सोमनाथ चटर्जी जैसे नेतागण भी जम्मू और कश्मीर में दूरदराज के सीमावर्ती क्षेत्रों में नहीं जा सके क्योंकि खतरा इतना अधिक गम्भीर है। उन्होंने स्वयं स्वीकार किया कि सीमावर्ती क्षेत्रों में खतरा इतना अधिक गम्भीर है। जब वह स्वयं इस बात को स्वीकार करते हैं कि खतरा इतना अधिक गम्भीर है कि प्रधान मंत्री अथवा श्रीमती सोनिया गांधी को सीमावर्ती क्षेत्रों में नहीं ले जाया जा सका तो आप यह आशा कैसे कर सकते हैं कि बंदूक लेकर लोगों को मार देने वाले दो खतरनाक आतंकवादी कौन हो सकते हैं? अभी श्री सोमनाथ चटर्जी ने कहा कि वे लोगों के साथ आसानी से घुल मिल जाते हैं। इन परिस्थितियों में क्या उन्हें इस क्षेत्र में प्रवेश करने के फौरन बाद गिरफ्तार करना संभव है? क्या यह संभव है?

निश्चित रूप से गलतियां हो सकती हैं भूलें हुई हैं। मैं इस बात से इंकार नहीं करता। किन्तु ऐसी गलतियां होती ही हैं। जब क्रास फायरिंग होती है तो ऐसी परिस्थितियों में लोग मारे जा सकते हैं ऐसी संभावना होती है। मैं उस बात से इन्कार नहीं करता। किन्तु जब आप न्यायिक जांच करें तो हमें सुरक्षा बलों, अर्ध सैनिक बलों और सैनिक कार्मिकों को नहीं भूलना चाहिए।

अध्यक्ष महोदय: श्री वैको, कृपया अपनी बात समाप्त कीजिए।

श्री वैको: मैं कुछ मिनट का समय लूंगा। अपने सगे संबंधियों को भूलकर अपने परिवारों को छोड़कर जब वे देश की धरती की रक्षा कर रहे हैं तो उन्हें निशाना बनाया जाता है। जब कफन से लिपटे उनके पार्थिव शरीर उनके घर पहुंचते हैं तो हम शोक संतप्त सदस्यों के आंसू देखते हैं।

अत: जब वे इस महान देश की एकता की रक्षा करने के लिए अपने जीवन को जोखिम में डाल रहे हैं तो न्यायिक जांच के नाम पर यदि किसी ऐसी घटना का क्रास फायरिंग में पता चलता है चाहे वे मरने वाले दो व्यक्ति हों या न हों, यदि इस पर ध्यान दिया भी जाए तो भी एक अथवा दो व्यक्ति क्रास फायरिंग के कारण मारे जाते हैं। इस्लामाबाद पहले ही प्रचार माध्यमों तथा समाचार-पत्रों के माध्यम से ऐसी मनगढंत घटनाएं प्रकाशित कर रहा है कि भारतीय सुरक्षा बलों द्वारा उनके व्यक्ति मारे जा रहे हैं। वे भारत के विरुद्ध अन्तरराष्ट्रीय जनमत जुटाना चाहते हैं। हमें पाकिस्तान के इस दुष्ट प्रचार को बढ़ावा नहीं देना चाहिए। अत: मैं कांग्रेस पार्टी में अपने मित्रों से अनुरोध करता हूं, मैं विपक्ष के अपने मित्रों से अपील करता हूं कि वे पाकिस्तानी तोपों को बारूद प्रदान न करें। अत: इन तीन कारणों से मैं न्यायिक जांच के कदम का पूर्ण रूप से विरोध करता हूं।

जब श्री अटल विहारी वाजपेयी ने मांग की कि चीन के विध्वंसक आक्रमण को लेकर कुछ चर्चा होनी चाहिए तो उस समय श्री प्रियरंजन दासमुंशी दूसरे सदन में हुई घटनाओं का उल्लेख कर रहे थे और श्री अटल बिहारी वाजपेयी के प्रति अभद्र थे। किन्तु जनरल थिमैय्या द्वारा दी गई चेतावनी के बावजूद तत्कालीन सरकार द्वारा बहुत बड़ी गलती हुई; भारत सरकार ने हिमालय क्षेत्र में सभी तैयारियां करने के लिए सशस्त्र बलों को सुदृढ़ करने हेतु कोई कदम नहीं उठाया। अत: हमने इसकी भारी कीमत चुकाई। यह इतिहास का तथ्य है। तब भी पंडित जवाहर लाल नेहरू के नेतृत्व में हम एकजुट खड़े थे।

यह वही श्री अटल बिहारी वाजपेयी हैं जब बंग्लादेश आपरेशन हुआ और 90 हजार पाकिस्तानी सैनिकों ने जनरल अरोड़ा के सामने आत्मसमर्पण किया तो उन्होंने स्वयं संसद के भीतर श्रीमती इंदिरा गांधी को भारत की दुर्गा कहकर उनका अभिवादन किया था।

तब ऐसी भावना थी और मेरे मित्र पचास के दशक, साठ के दशक और सत्तर के दशक का हवाला दे रहे हैं। अब सन् 2000 है। स्थिति पूर्णतया बदल चुकी है। अत: क्योंकि मुझे आशंका है कि इस्लामाबाद में सैनिक शासन भारत के साथ टकराव की स्थिति पैदा कर रहा है हमें उनका मुकाबला करना होगा। हम उनसे लड़ेंगे। भारत को एक उभरती हुई परमाणु ताकत साबित करने के बाद, परमाणु प्रतिरोधक क्षमता ने अपना काम किया है। लेकिन सीमा पर जब हम कारगिल युद्ध के दौरान अपनी सारी सेनाओं को एकत्रित कर रहे थे तब हमने स्व नियंत्रण, सैनिक नियंत्रण लगाया था। उस समय हमने नियंत्रण रेखा का उल्लंघन नहीं किया था। उसकी प्रशंसा हुई थी और सारी दुनिया ने उसकी सराहना की थी।

इन परिस्थितियों में जब सारे संकेत स्पष्ट हैं जब सैन्य प्रतिष्ठान युद्ध के लिए कमर कस रहे हैं और अन्तर्राष्ट्रीय राय भी उनके पक्ष में है, तब हमें पाकिस्तानी प्रतिष्ठानों को बहाना नहीं देना चाहिए।

अब, यहां के लोग शांति चाहते हैं। जब मैं हिज्बुल मुजाहिदीन की बात करता हूं तो वहां लश्कर-ए-तोयेबा और दीनदार अनजुमन जैसे संगठन भी हैं। ये संगठन आई. एस.आई. के साथ मिली भगत करके इस देश में अफरा-तफरी, खून-खराबा और सांप्रदायिक दंगे कराने की कोशिश कर रहे हैं।

इसलिए, हमें बहुत सावधान रहना होगा। लेकिन मुझे पूरा विश्वास है कि यदि कोई मुठभेड़ हुई भी तो हम श्री अटल बिहारी वाजपेयी के नेतृत्व में उसका कड़ा प्रत्युत्तर देंगे। चार युद्धों के बाद भी कड़ा उत्तर दिया जाएगा और वे अपने लक्ष्यों को प्राप्त करने में पूरी तरह असफल रहेंगे।

इसलिए, मैं अपने मित्र, श्री प्रियरंजन दासमुंशी जी से अपील करूंगा कि वे अपना संकल्प वापस ले लें।

महोदय, मैं इस संकल्प का विरोध करता हूं। महोदय, इन्हीं शब्दों के साथ इस चर्चा में भाग लेने का मौका देने के लिए आपको धन्यवाद देता हूं।

[हिन्दी]

डा. रघुवंश प्रसाद सिंह (वैशाली): अध्यक्ष महोदय, जम्मू-कश्मीर में अमरनाथ मशहूर तीर्थ है और वहां देशभर के लोग बड़ी श्रद्धा से जाते हैं। हर साल उग्रवादी बयान करते रहते हैं कि हम अमरनाथ तीर्थयात्रियों पर हमला करेंगे। एक तारीख की जो घटना घटी और तीर्थ यात्रियों पर हमला हुआ और जो तीर्थ यात्री मारे गए, उसमें कोई अचानक या अनजाने ढंग से हमला नहीं हुआ । पहले से बराबर ऐलान होता रहता है था कि वहां हमला हो सकता है और खतरनाक जगह है। उस संदर्भ में सभी लोगों ने दुख व्यक्त किया और माननीय सदस्यों ने सदन में सवाल उठाया। माननीय प्रधान मंत्री जी कुछ विपक्ष के नेताओं के साथ उस स्थान पर गये हैं और यहां आकर असलियत बता देंगे कि कैसे घटना घटी और क्या बात हुई है। प्रधान मंत्री जी ने जो संक्षिप्त वक्तव्य दिया, उसमें हमने यही अनुभव किया था कि उन्होंने कहा की जांच बैठा दी है, अफसरों की जांच बैठा दी है। इधर से ज्यूडिशिअल जांच की बात हुई थी। उन्होंने कहा था कि अफसरों की जांच के बाद देखेंगे कि ज्यूडिशिअल जांच की जरूरत है कि नहीं है। फिर माननीय गृह मंत्री जी ने उस संबंध में वक्तव्य दिया था और स्पष्टीकरण में पूछा गया था कि क्या वहां आर्मी का डेपुटेशन था? कहा कि हम जानकारी लेकर बता देंगे, अभी हम खुद निश्चय पर नहीं हैं। जहां इस तरह का बेखबर गृह मंत्री हो और इतनी बड़ी घटना घटे और सदन में आकर वह वक्तव्य दे और पूछने पर कहे कि हम आर्मी की जानकारी करेंगे, इससे समझा जा सकता है कि इतना इनइफैक्टिव होम मिनिस्टर जहां का होगा, इतना अनजान और बेखबर होम मिनिस्टर जिस देश का होगा, उस देश का क्या हाल होगा? उस देश को, वहां के नागरिकों को मिलिटेंट्स से कैसे बचाया जा सकता है? ये तर्क दिया जा रहा है कि ज्यूडिशिअल इंक्वायरी से देश का बड़ा भारी अनर्थ हो जाएगा। वहां जो सिक्योरिटी फोर्सेज हैं, उनका डी-मोरेलाइजेशन हो जाएगा। तो क्या अफसरों की जांच से बड़ा भारी मनोबल बढ़ जाएगा? इस तरह का तर्क हम उस समय से सुन रहे हैं। यदि सरकार कसूर वार है तो ज्यूडिशिअल जांच से ही वे बातें भी उसमें आ जाएंगी। अगर निचला अफसर या कर्मचारी कसूरवार है तो उसका बड़ा अफसर जांच करेगा निचला आदमी कसूरवार होगा। सरकार के कसूर को क्या कोई अफसर जांच करके बता देगा? होम मिनिस्टर कसूरवार है, उसकी जांच क्या अफसर करेगा? इसीलिए ज्यूडिशिअल जांच की मांग का औचित्य है कि सरकार भी कसूरवार है। सब लोगों ने कहा कि सिक्योरिटी लैप्स है यह बात डिफेंस मिनिस्टर ने भी कही। बाद में सुन रहे हैं कि होम मिनिस्टर साहब ने त्यागपत्र देने की भी इच्छा व्यक्त की थी लेकिन उनको परस्यू किया गया कि आप स्थिर रहिए। कोई खास बात नहीं है। ...*(व्यवधान)* अखबारों में ये बातें छपी कि नहीं छपी थी? सुदीप बंधोपाध्याय जी उन्ही के प्रखर सदस्य हैं, एन.डी.ए. के सदस्य हैं। 377 में उन्होंने सवाल उठाया था कि कई तीर्थयात्री वहां से आये

[डां रघुवंश प्रसाद सिंह]

थे, उन्होंने आशंका व्यक्त की थी कि हमला हो सकता है। ...*(व्यवधान)* उन्होंने इस सदन में 377 में सवाल उठाया कि जो आशंका है, प्रोपर सिक्योरिटी का इंतजाम होना चाहिए। इन्होंने इंतजाम नहीं किए, तो सरकार विफल है कि नहीं है? कोई भी उस तरफ से बता दे कि सरकार सिक्योरिटी का इंतजाम करने में विफल नहीं है। इनका कसूर यह है कि सुदीप बंधोपाध्याय जी ने नियम 377 के अंतर्गत सदन में सवाल उठाया और सदन को सूचना दी लेकिन ये उस पर सीरियस नहीं हुए। नीतिश सेन गुप्ता जी भी इन्हीं की पार्टी के थे। इन्हीं की कमेटी में अनुशंसाएं की थी और उस समय प्राकृतिक आपदा का हादसा हुआ था। बहुत लोग मारे गये थे, अमरनाथ यात्रा में भारी वर्षा हुई तो अफसर की कमेटी बनी थी और जांच करके कहा गया था कि हर जगह आर्मी डिप्यूट होनी चाहिए। उस जांच कमेटी की अनुशंसा का भी इन्होंने ख्याल नहीं किया। उस समय यह हादसा हुआ जिस समय सरकार दावा करती है कि हम ने हिजबुल से बात करके सीजफायर करवा दिया, बड़ा भारी काम किया।

हिजबुल से बात हो गई, उन लोगों ने सीजफायर कर दिया, तो ये लोग निश्चिंत हो गए कि सब लोग सुरक्षित हैं। उस अवधि में आतंकवादियों के द्वारा तीर्थ यात्रियों पर हमला हुआ। ये इतने बेखबर हैं, निकम्मी सरकार है, इस देश की सुरक्षा खतरे में है और देश के आम नागरिक की सुरक्षा हमेशा से खतरे में है। बतायें कि हिजबुल से बात क्यों नहीं की? करगिल की विजय पर मोमबत्ती जला कर कहते हैं कि हम विजय-दिवस मनाते हैं। ...*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

श्री राजीव प्रताप रूडी: महोदय, यह आपत्तिजनक है। किसी बात को प्रस्तुत करने का यह कोई तरीका नहीं है। सारे देश ने स्वयं को राष्ट्र को समर्पित किया। चीजों को प्रस्तुत करने का यह सही तरीका नहीं है। यहां तक कि माननीय अध्यक्ष महोदय ने भी एक दीप जलाया...*(व्यवधान)* महोदय, इसे कार्यवाही-वृत्तान्त में शामिल नहीं किया जाना चाहिए।

अध्यक्ष महोदय: मुझे अभिलेख देख लेने दीजिए। यदि उस में कुछ भी आपत्तिजनक है तो उसे कार्यवाही-वृत्तान्त में शामिल नहीं किया जाएगा।

...(व्यवधान)

श्री राजीव प्रताप रूडी: महोदय, मेरे विचार से मोमबत्ती जलाने के बारे में दिए गए बयान को माननीय अध्यक्ष महोदय, के निर्देश से कार्यवाही-वृत्तान्त में से निकाल देना चाहिए।...*(व्यवधान)* माननीय अध्यक्ष, महोदय, ने भी संसद भवन के सामने 'विजय दिवस' मनाया था और हम सबने मनाया था...*(व्यवधान)*

श्री मणिशंकर अय्यर: महोदय, वे उन्हें अपनी बात भी पूरी नहीं करने दे रहे हैं...*(व्यवधान)*

[हिन्दी]

डा. रघुवंश प्रसाद सिंह: लाहौर बस यात्रा के समय में ही वे लोग हमारी धरती पर घुस आए थे।...*(व्यवधान)* ये लोग बातचीत करके दावा कर रहे हैं कि हम देश की तरक्की कर रहे हैं पाकिस्तान से मित्रता कर ली है और सोल्युशन निकाल लिया है। बड़ा बहादुरी का काम किया और उसी समय वे हमारी जमीन में घुस आए। जब वे लोग हमारे धरती पर आए, उस समय इनकी सिक्योरिटी कहां थी। हमारी जमीन पर पाकिस्तानी आतंकवादी घुस आए। क्या यह इनकी विफलता नहीं है? उसके बाद हमारे जवानों ने बहादुरी दिखाई और बलिदान दिया। ये लोग अपने हाथ से अपनी पीठ ठोंक रहे हैं। आप लोगों ने कौन सी बहादुरी दिखाई यह आपकी विफलता है। इस विफलता को विजय में बदलने का काम हमारे जवानों ने किया...*(व्यवधान)* यह देश का सवाल है हिजबुल से बातचीत की, हम लोगों ने विरोध किया। आतंकवादियों से बात करेंगे? पाकिस्तान में लोकतन्त्र खत्म हो गया। वहां नवाज शरीफ की सरकार थी, उनके वक्त में आतंकवादी हमारी जमीन पर आए, इसका परिणाम उनको मिल रहा है। अब वहां मिलिटरी हुकूमत हो गई है, जिसने देश में लोकतंत्र की हत्या कर शासन पर कब्जा कर लिया है। उनसे बात करने से हिन्दुस्तान-पाकिस्तान की मित्रता होगी? कहा गया कि संविधान के अधीन इंसानियत की बात करेंगे। इन्सानियत के अधीन कोई आतंकवादी होता है या जो इन्सानियत के अधीन होगा। वह आतंकवादी होगा? प्रधानमंत्री का बयान था कि हम संविधान में ही इंसानियत के अधीन हिजबुल से, आतंकवादियों से बात करेंगे, इंसानियत से जो अलग होता है, वह होता है आतंकवादी और संविधान से जो अलग होता, वह आतंकवादी होता है।...*(व्यवधान)*

श्री मनोज सिन्हा (गाजीपुर): फार्मूला बताइए।

डा. रघुवंश प्रसाद सिंह: एक क्षण में फार्मूला बता रहे हैं, लेकिन बहादुर सरकार उस फार्मूले पर काम कर सकती है, लेकिन जो दीगर सरकार है, वह उस फार्मूले पर काम नहीं कर सकती है, यह वही सरकार है...*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

श्री राजीव प्रताप रूडी: महोदय, सदन में किस भाषा का प्रयोग किया जा रहा है...*(व्यवधान)* किन शब्दों का प्रयोग किया जा रहा है, महोदय?

[हिन्दी]

डा. रघुवंश प्रसाद सिंह: यह लैंग्वेज इसी सरकार के लिए है।...*(व्यवधान)* अमरीका के सामने घुटने टेके हुए यह सरकार है।

क्लिंटन जब यहां आए, तो सारे लोग खुशामद में लगे हुए थे। क्लिंटन की कृपा पर यह सरकार चलेगी और हिन्दुस्तान चलेगा? क्लिंटन जिस समय यहां आए, उसी समय छत्तीसिंहपुरा में 36 सिक्ख निर्दोष लोगों की हत्या की गई। कितने और मारे जाएंगे, तब गृह मंत्री और प्रधान मंत्री त्याग पत्र देंगे? आपका सिक्योरिटी लैप्स है, हिजबुल वार्ता आपकी विफल रही है, उससे आतंकवादियों का मनोबल बढ़ा है।

आज आतंकवादियों और पाकिस्तान का मनोबल बढ़ा हुआ है आप कहते हैं हमने पोखरन टैस्ट किए, आपने बड़ी बहादुरी का काम किया। फिजी में लोकतंत्र की हत्या हुई और यहां वहां के प्रधानमंत्री आए हुए हैं, उन्होंने कहा कि भारत हमारी मदद करे। उससे पूछा कि तुम भारत से क्यों मदद की अपेक्षा करते हो। ...*(व्यवधान)* आज हम मूल का सवाल उठाते हैं. जो भाजपा की हुकूमत है, वह भी मूल सवाल उठाती है। इन दोनों का तालमेल है। दुनियाभर में हिन्दुस्तान की डेमोक्रेसी है। ...*(व्यवधान)* यूएनओ के सिक्युरिटी काउंसिल में जाने के लिए हम योग्यता रखते हैं, लेकिन जो कमजोर राष्ट्र हैं, उनका हमनें समर्थन और विश्वास खो दिया। वहां तन कर आज तक कभी नहीं बोल सके, वहां डेमोक्रेसी की हत्या कैसे हुई। ये कहते हैं, कि आस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड बोले। वहां के प्रधानमंत्री, श्री महेन्द्र चौधरी आए हुए हैं, जो हिन्दुस्तानी मूल के हैं, जहां तमाम हिन्दुस्तानी और डेमोक्रेसी में विश्वास करने वाले लोग हैं। सब जगह डेमोक्रेसी खतरे में है। यूएनओ के सिक्युरीटी काउंसिल में जाने के लिए इनके पक्षधर जो कमजोर एवं गरीब राष्ट्र हैं, अब उन पर भरोसा छोड़ दिया है। इनमें नेशन को उनकी हुकूमत ने बड़ा भारी नुकसान पहुंचाया है। अब मेरा सुझाव नम्बर एक है।...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय: आप कितनी बार बोलेंगे—सुझाव नम्बर एक, दो, तीन चार।

डा. रघुवंश प्रसाद सिंह: महोदय, हम संक्षेप में बोल रहे हैं। ...*(व्यवधान)* यह सरकार कमजोर है, इनसे आतंकवादियों का दमन नहीं हो सकता, जबकि आतंकवाद की भारी समस्या है। जम्मू कश्मीर में फारूख अब्दुल्ला इनके सपोर्टर हैं, एनडीए में हैं। आप एक तरफ उन पर विश्वास करते हैं और दूसरी तरफ उन्हें विश्वास में लिए बिना हिजबुल हुर्रियत और तोएबा से बात करते हैं। जम्मू-कश्मीर की जो हुकूमत है, उसे छोड़ कर, बिना विश्वास में लिए हुए एक कदम भी चलना देश के लिए खतरनाक है। वहां की आम जनता निर्दोष और भोली-भाली है। वह भारत में विश्वास करती हैं, उन्हें इग्नोर करके गलत लोगों से बात करते हैं, उससे मामला बिगड़ता है। जहां-जहां आतंकवादियों का खेमा है। ...*(व्यवधान)* वहां की सरकार को विश्वास में लेकर आतंकवादियों से कोई बात नहीं और गैर-कानूनी आदमी, जो इंसानियत के खिलाफ हैं उससे बात करना शुतुरमुर्ग पक्षी की तरह है, जो अपना मुंह छिपा लेता है।...*(व्यवधान)* ये कह रहे हैं कि हमारे लोग सुरक्षित हैं, वहां पत्रकार आतंकवादी हमले में मारे गए। हम लोग शोक व्यक्त करते हैं। ...*(व्यवधान)* विदेश मंत्री और नागर विमानन मंत्री यहां आतंकवादियों को जेल से खोल कर उनके सुपुर्द कर दें, जहां इस तरह की घटना घटेंगी, उस देश की सुरक्षा खतरे में रहेगी। सब लोग ज्यूडिशियल इक्वायरी की मांग कर रहे हैं। कांग्रेस पार्टी बड़ी पार्टी है। ये लोग मुलामियत रुख अपना कर चल रहे हैं हम मांग करते हैं कि प्रधानमंत्री और गृह मंत्री त्याग-पत्र दें, ये तीर्थ यात्रियों की रक्षा करने में विफल रहे हैं। इनसे देश की सुरक्षा खतरे में है। ये कहते हैं कि ज्यूडिशियल इंकवायरी में देरी लग जाएगी।...*(व्यवधान)* यदि ऐसे मामले होंगे तो उनकी ज्यूडिशियल इनक्वायरी करवानी पड़ेगी। अच्छाई-बुराई हर जगह होती है।...*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय: यह कार्यवाही-वृतान्त में शामिल नहीं किया जाएगा। यह क्या है?

*...(व्यवधान)**

अध्यक्ष महोदय: श्री सुदीप बंद्योपाध्याय।

श्री सुदीप बंद्योपाध्याय:(कलकत्ता, उत्तर-पश्चिम) महोदय, मैं इस प्रस्ताव पर बोलने के लिए खड़ा हुआ हूं...*(व्यवधान)*

श्री राजीव प्रताप रूडी: अध्यक्ष महोदय, मुझे हस्तक्षेप करने की अनुमति दें। यदि हम ऐसी ही भाषा सुनते रहेंगे। हमारा हिन्दी का व्याकरण समाप्त हो जाएगा। हमें इसमें आपका संरक्षण चाहिए।

श्री सुदीप बंद्योपाध्याय: महोदय, अमरनाथ यात्रियों की हत्या ने पूरी दुनिया को हिला दिया। महोदय, एक अगस्त को घटी इस घटना नें हमें अगस्त, 1996 की घटना की याद ताजा करा दी। उस घटना में प्राकृतिक आपदा के कारण 300 लोगों की जानें गई थी जिनमें से 255 तीर्थयात्री थे।

महोदय, इस बार गत वर्ष के 1,07,000 तीर्थयात्रियों की तुलना में लगभग 1,77,000 अमरनाथ यात्री थे। अमरनाथ यात्रियों की इस संख्या से यह प्रतीत होता है कि यात्री अपनी सुरक्षा के बारे में निश्चिंत थे। 1,78,000 यात्रियों की यह बड़ी संख्या इस बात की ओर इशारा करती हैं कि 'यात्रियों' ने कभी ये सोचा भी नहीं था कि ऐसी कोई घटना घटित हो सकती है।

---

*कार्यवाही-वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया गया।

[श्री सुदीप बंद्योपाध्याय]

रात्रि 8.48 बजे

[श्री के. येरननायडू पीठासीन हुए]

महोदय, मेरे द्वारा नियम 377 के अन्तर्गत उठाए गए मामले का उल्लेख करने के लिए मैं डा. रघुवंश प्रसाद सिंह का आभार व्यक्त करता हूं। 31 जुलाई को नियम 377 के अंतर्गत मैंने यह मामला उठाया था क्योंकि कलकत्ता से तीन तीर्थयात्री इस यात्रा में भाग लेने गये थे और उन्होंने वहां से फोन करके मुझे बताया था कि उन्हें वहां किसी अनिष्ट की आशंका है क्योंकि वहां कुछ संदिग्ध व्यक्ति इधर-उधर घूम रहे थे। उन्होंने मुझसे इस मामले को गृह मंत्रालय, भारत सरकार के साथ उठाने का अनुरोध किया था। इस घटना से मात्र 24 घंटे पहले मैंने इस मामले को 31 जुलाई को उठाया था, मैंने कहा था कि मुझे अमरनाथ यात्रा में शामिल 'यात्रियों' से कुछ गंभीर शिकायतें और सुझाव मिले हैं। महोदय, मैंने इसका उल्लेख किया था कि सरकार को इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि इस यात्रा में कोई अप्रिय घटना न घटित हो। वह एक लंबा बयान था लेकिन मैंने इस अमरनाथ यात्रा में भाग ले रहे यात्रियों से प्राप्त सूचना के आधार पर अपनी आशंका व्यक्त की थी।

कई बार मुझे आश्चर्य होता है कि यदि यात्री स्वयं इस प्रकार के तत्वों का अंदाजा लगा सकते हैं तो भारत सरकार की आसूचना एजेंसियां ऐसा क्यों नहीं कर सकती? कहीं कुछ कमियां हैं। मुझे विश्वास है कि हमारे माननीय गृह मंत्री जी को इस बात को कहने में कोई संकोच नहीं होगा कि जहां तक अमरनाथ यात्रियों की सुरक्षा का संबंध है कहीं कुछ कमियां थी।

महोदय, मैंने अगस्त 1996 में हुई त्रासदी के पश्चात डा. नीतिश सेनगुप्ता द्वारा प्रस्तुत की गई रिपोर्ट को पढ़ा था। इस रिपोर्ट में एक स्थान पर एक बहुत मानवीय पक्ष उभर कर सामने आया, इसे मैं यहां पढ़कर सुनाना चाहता हूं।

अपनी रिपोर्ट में डा. सेनगुप्ता ने कहा:

> "सच्चे हीरो वे कश्मीरी ग्रामीण थे जिन्होंने इस त्रासदी के तुरंत बाद पहले कुछ दिनों के दौरान बचाव और राहत कार्य शुरू कर दिया। उन्होंने अपने कमरों या तम्बुओं में लोगों को ठहराया और अपना खाना भी परेशान तीर्थ यात्रियों के साथ बांटा। वहां लूटने या महिलाओं के साथ अभद्र व्यवहार करने की एक भी घटना नहीं घटी। इसके विपरीत प्रशासन उदासीन बना रहा"

वास्तव में, जब हमने इसे पढ़ा तो हमारे आंसू निकल आए, जब हम यह सुनते और इस पर चर्चा करते हैं कि कश्मीर में हिन्दू और मुसलमानों में टकराव की स्थिति है और वे आपस में लड़ रहे हैं। लेकिन इस रिपोर्ट के इस अंश से यह स्पष्ट हो जाता है कि यदि कश्मीर में हिंदू और मुसलमानों को पर्याप्त सुरक्षा और संरक्षण के साथ उचित मार्गदर्शन प्रदान किया जाए तो वे दोनों कश्मीर में इकट्ठा रहना चाहते हैं।

महोदय, पाकिस्तान आधारित, उग्रवादी कट्टरपंथी संगठन लश्कर-ए-तोयैबा ने जघन्य और बर्बर तरीके से हत्याएं की थीं। और वहीं इसके लिए जिम्मेदार है। इसमें कोई संदेह नहीं है कि इस जघन्य, अमानवीय और बर्बर हमले ने पूरी दुनिया को हिला दिया था। निश्चित रूप से इस जघन्य हत्याकांड तक के घटनाक्रम से सारी दुनिया जान गई है कि पाकिस्तान और उसके आतंकवादी ही आक्रमणकारी की भूमिका में हैं और इसमें कोई संदेह नहीं कि जहां तक भारत-पाक विवादों का संबंध है इसमें पाकिस्तान अलग-थलग पड़ गया है।

मैं सभापति महोदय, आप सहित उन सभी विपक्ष के नेताओं को धन्यवाद देता हूं कि जैसे ही माननीय प्रधानमंत्री महोदय ने विपक्ष की नेता श्रीमती सोनिया गांधी, स्वयं, श्री सोमनाथ चटर्जी, कुमारी ममता बनर्जी, श्री जार्ज फर्नान्डीज और अन्य सभी वहां थे और विपक्ष के नेताओं ने प्रधानमंत्री के बुलावे का तुरंत उत्तर देकर सौहार्दपूर्ण वातावरण बनाया और वे घटनास्थल पर गए। माननीय प्रधान मंत्री जी ने भी एक अच्छे राजनीतिज्ञ होने का परिचय देते हुए विपक्ष के नेताओं को अपने साथ लिया और श्रीनगर में हुए पत्रकार सम्मेलन के दौरान भी उन्होंने दृढ़ता का परिचय दिया जिसके इलैक्ट्रानिक मीडिया के माध्यम से हम भी गवाह हैं। वे बिल्कुल स्पष्ट थे और उन्होंने राष्ट्र को आश्वस्त किया कि इस प्रकार की जघन्य और बर्बर कार्यवाही को सहन नहीं किया जाएगा। महोदय, उसके बाद, हिजबुल मुजाहिद्दीन ने घोषणा की । यह लंबे समय तक नहीं चली।

अंत में, हम क्या देखते हैं कि एक अन्य गुट हुर्रियत बातचीत में तालमेल करने के लिए सामने आया। उनके क्या प्रस्ताव हैं? हुर्रियत की सात सदस्यीय निष्पादन समिति ने दो गुटों में बंटने का फैसला किया—एक गुट में चार सदस्य हैं और दूसरे में तीन। उन्होंने प्रस्ताव किया है कि चार सदस्यीय गुट भारत से वार्ता करेगा और तीन सदस्यीय गुट पाकिस्तान से। मैं यह जानने का इच्छुक हूं कि क्या हुर्रियत के इस प्रस्ताव को अधिकारिक रूप से भारत के सरकार के पास पहुंचा दिया गया है। क्या हम हुर्रियत के इस प्रस्ताव को स्वीकार करने जा रहे हैं या फिर हुर्रियत नेताओं या किन्हीं अन्य के साथ दिल्ली में किसी 'पिछले दरवाजे' या 'ट्रैक-II' की रणनीति पर विचार-विमर्श किया जा रहा है। भारत सरकार का प्रतिनिधित्व कौन कर रहा है? मैं यह जानना चाहूंगा कि क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि इन अतिवादी संगठनों ने अब आत्मघाती दस्तों के द्वारा कार्य करने का निर्णय लिया है। यह एक और खतरनाक सूचना मुझे मिली है। जैसे ही भारत सरकार जम्मू-कश्मीर के सीमावर्ती क्षेत्रों में सतर्कता बढ़ाएगी वैसे ही वे आत्मघाती दस्तों के द्वारा अपनी इकाइयां

स्थापित करने लगेंगे जो कि एक बहुत ही खतरनाक स्थिति होगी। जहां तक इस हिस्से का संबंध है, हम भारत सरकार से यह जानना चाहते हैं कि उसे कोई सूचना है कि नहीं।

महोदय, डा. नीतिश सेनगुप्ता की रिपोर्ट में स्पष्ट उल्लेख है कि जम्मू से अमरनाथ जाने वाली यात्रियों की सुरक्षा करने का कार्य सेना को सौंप दिया जाना चाहिए। लेकिन इसे क्रियान्वित नहीं किया गया। यह घटना का दुखद पहलू है।

महोदय, हम चाहते हैं कि कश्मीर में स्थिति पुन: सामान्य हो जाए। विपक्षी दल के रूप में कांग्रेस अवश्य मामले की न्यायिक जांच की मांग कर सकती है। वह इस देश का एक जिम्मेदार राजनीतिक दल है। उसके पास निभाने के लिए बड़ी जिम्मेदारियां हैं। यह नहीं समझना चाहिए कि उसने इस मामले में न्यायिक जांच की मांग करके इस देश के साथ कोई अन्याय किया है। लेकिन हम निश्चित रूप से यह विश्वास करते हैं कि यही वह समय हैं जब हमें एक होना होगा।

महोदय, नियम 184 के अंतर्गत मत-विभाजन होता है। निश्चित रूप से पाकिस्तान सहित पूरा राष्ट्र इस प्रस्ताव के नतीजे को देखने के लिए अपनी नजरें गड़ाए हुए होंगे कि कौन सी पार्टी इस मत विभाजन में जीतती है और कौन सी इस मत विभाजन में हारती है। न्यायिक जांच एक लम्बी प्रक्रिया है और इसके परिणाम के बारे में हम हमेशा सशंकित रहते हैं। कई अवसरों पर हम न्यायिक जांच करवाने की मांग करते हैं, लेकिन जम्मू और कश्मीर राज्य से जुड़ा यह मुद्दा भिन्न मामला है, मैं भी निश्चित रूप से नहीं कह सकता है कि न्यायिक जांच का आदेश देने का केन्द्र सरकार का सीधा अधिकार है या नहीं।

महोदय, मुझे विश्वास है कि सरकार मामले को निपटाने का भरपूर प्रयास करेगी और विपक्ष को भी विश्वास में लेगी स्वयं कांग्रेस पार्टी का सकारात्मक इतिहास है। यह इस राष्ट्र के प्रति भी प्रतिबद्ध है। सरकार को समय-समय पर विपक्ष के साथ मिलकर यह सुनिश्चित करना चाहिए कि इस ज्वलंत समस्या का समाधान किस तरह से होगा।

महोदय, हम एकीकृत भारत चाहते हैं। हम आमतौर पर पूरे विश्व को विशेष तौर पर पाकिस्तान को यह बतलाना चाहते हैं। जिससे पाकिस्तान को यह महसूस होने लगे कि भारतीय संसद भारत की राजनीतिक पार्टियां एक होकर स्पष्ट रूप से मासूम तीर्थयात्रियों पर हुए ऐसे बर्बरतापूर्ण और जघन्य हमलों का विरोध करती हैं सभी राजनीतिक पार्टियां इस पाकिस्तानी शासन के खिलाफ संघर्ष करने के लिए एक हैं।

महोदय, हमें पूरा विश्वास है कि कांग्रेस पार्टी उस प्रस्ताव पर अब मत विभाजन के लिए नहीं कहेगी जिसके लिए हमने कश्मीर मुद्दे से संबंधित तीन पंक्ति का व्हिप जारी किया है। इस समय यह वांछित नहीं हैं हम यह भी मानते हैं कि सरकार सुरक्षा संबंधी खामियों से अवगत है, हमने यह प्रश्न भी उठाया है। हम इस बात से इन्कार नहीं करते हैं। हमारा एकमात्र उद्देश्य पाकिस्तान को ऐसा सबक सिखाना है जिससे वह भविष्य में इन आंतकवादी संगठनों को समर्थन देने का साहस न करे और इस्लामाबाद में इन्हें अपने कैम्प लगाने और ठिकाने न बनाने दे। यदि आवश्यक हो तो सरकार को भारत की सभी राजनीतिक पार्टियों के समर्थन एवं आशीर्वाद से उनके विरुद्ध सामूहिक हमला बोलना होगा।

महोदय, हम जानते हैं कि सरकार को ऐसी परिस्थितियों में संकीर्ण विचार का नहीं होना चाहिए और कुछ भी छुपाने की कोशिश नहीं करनी चाहिए। उन्हें सच्चाई कहनी चाहिए ताकि हम स्थिति का सकारात्मक मूल्यांकन कर सकें।

[हिन्दी]

श्री सत्यव्रत चतुर्वेदी (खजुराहो): माननीय सभापति जी, इससे पहले कि मैं इस पर अपना वक्तव्य शुरू करूं मेरा अनुरोध है और मैं पूरी कोशिश करूंगा कि कोई असंगत बात, इरेलेवेन्ट बात यहां न आने दूं। मैं केवल संगत पक्षों को ही प्रस्तुत करने की कोशिश करूंगा। इस मैगजीन में एक छोटी सी पांच साल की बच्ची का एक चित्र है, जिसके सिर से बाप का साया और जमीन के नीचे उसकी मां की गोद छिन गई है। इस चित्र को जितनी बार देखता हूं हर बार मुझे अपनी छोटी सी बच्ची की याद आती है, कहीं यह मेरी बच्ची तो नहीं है। इन तमाम विधवाओं के चित्र देखता हूं जो सामूहिक रूप से चिताओं पर जलते हुए अपने पतियों की लाशें देख रही हैं इस हृदयविदारक घटना को पूरे सदन ने स्वीकार किया है, हम सबने स्वीकार किया है। किसी भी पक्ष के लोगों ने इससे असहमति व्यक्त नहीं की। इससे ज्यादा हिंसक इससे ज्यादा रोंगटे खड़े कर देने वाला नरसंहार हमने अभी निकट समय में नहीं देखा और नरसंहार उनका जो ईश्वर की प्रार्थना करने के लिए गए थे।

रात्रि 9.00 बजे

इस मुद्दे को लेकर हम आज यहां चर्चा करने के लिए खड़े हैं ऐसी हृदय विदारक घटना क्यों हुई, इन बातों के तथ्य सारे सदन और देश के सामने आएं, इस उद्देश्य से दासमुंशी जी ने यह प्रस्ताव रखा है और मैं इस प्रस्ताव का समर्थन करने के लिए खड़ा हुआ हूं।

सभापति जी, प्रश्न यह है कि इसकी न्यायिक जांच क्यों होनी चाहिए। अभी थोड़ी देर पहले मेरे कुछ साथियों ने चर्चा के दौरान

[श्री सत्यव्रत चतुर्वेदी]

कहा कि इस मुद्दे पर राजनीति से हटकर बात करनी चाहिए, मैं उनसे सहमत हूं, मैं इस बात से सहमत हूं कि हमारे उन जवानों को चाहे सीआरपी के हों या फौज के हों, जो वहां पर बड़ी कठिन परिस्थितियों में देश की रक्षा का काम कर रहे हैं उनका मनोबल नहीं गिरना चाहिए। लेकिन इन दोनों बातों को ध्यान में रखते हुए मैं अपनी बात कहने जा रहा हूं और फिर भी मैं इसका समर्थन करता हूं कि इस मामले में न्यायिक जांच होनी चाहिए और मैं उसके कारण बताना चाहता हूं

सभापति महोदय, मैंने पार्लियामेन्ट की लाइब्रेरी से रेफरेन्स मंगाए और मैं उन्हीं को यहां रखना चाहता हूं। हमारे कुछ साथियों ने कांग्रेस पार्टी की तरफ खासतौर से इशारा किया और और इस ढंग से इशारा किया जैसे हम कोई राजनीतिक उद्देश्य के लिए या राजनीतिक लाभ के लिए यह प्रस्ताव लेकर आए हैं। मैं आपके सामने यह रेफरेन्स रखना चाहता हूं जिसकी हैडलाइन है "इस मुद्दे पर विपक्ष सरकार के साथ हैं "उसी के नीचे एक बाक्स है जिसमें लिखा है" "लेकिन सहयोगी दल इसकी आलोचना कर रहे हैं।" मैं क्वोट करना चाहूंगा।

[अनुवाद]

> "कश्मीर में हिंसा को रोकने में इसकी सफलता और सीमा पार के आतंकवाद से निपटने में पर्याप्त सुरक्षा प्रबंध की कमी के कारणों पर आज वरिष्ठ भाजपा नेता मदन लाल खुराना राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन के सहयोगियों शिव सेना, तेलुगु देशम और तृणमूल कांग्रेस के साथ शामिल हो गए।"

यह हम नहीं बोल रहे हैं हम नहीं कह रहे हैं, यह तेलुगूदेश पार्टी कह रही है, यह शिवसेना कह रही है, मदन लाल खुराना जी कह रहे हैं। एन.डी.ए. की पार्टीज कह रही हैं, यह हमारा कहना नहीं है। आखिर उन्हीं के एन.डी.ए. के लोग यह कह रहे हैं। आर.एस.एस. और विश्व हिन्दू परिषद् के स्टेटमेन्ट्स को हमारे कुछ सदस्यों ने यहां पर पढ़कर सुनाया है। मैं उन्हें दोहराकर वक्त खराब नहीं करूंगा। उन्होंने भी यही बात कही है। आप छोड़ दीजिए शिवसेना और विश्व हिन्दू परिषद् की बात मैं दूसरे पक्ष की तरफ आपका ध्यान दिलाना चाहता हूं इस मंत्रिमंडल का रक्षा मंत्री कह रहा हैं कि "नरसंहार परिहार्य था—फर्नांडीज" और वह कहते हैं यह मैसाकर इसलिए एवाइडेबल था कि हमने वह गलती की कि सूसाइड स्क्वैड्ज जब इन आतंकवादियों ने बनाए थे और पिछले दिनों उन्होंने श्रीनगर के आर्मी कैम्प्स के भीतर जाकर हमले किए थे, ऐसी स्थिति में जब हम वार्ता चला रहे थे, हम जानते थे कि कुछ ऐसे गुट और संगठन हैं जो इस वार्ता को सफल नहीं होने देना चाहेंगे हमें तो ऐहतिहयाती कदम उठाने जरूरी थे यह फर्नान्डीज कर रहे हैं जो मंत्रिमंडल के सदस्य हैं, मैं नहीं कह रहा हूं कोई दूसरा आदमी नहीं कह रहा है, अपोजीशन का आदमी नहीं कह रहा है।...*(व्यवधान)* देखिए, मैंने शांति से बैठकर आपकी बात इतनी देर से सुनी है। आप जरूर बोलिये। मैं पूरे फैक्ट्स बता रहा हूं एक-एक करके उन पर आ रहा हूं। आप थोड़ा धैर्य रखिये।

इसके बाद तीसरा रैफरेन्स मैं आपके सामने लाना चाहता हूं। अभी चर्चा में कुछ ऐसा इशारा हुआ, कुछ इस ढंग की बातें कही गई जैसे फिर से कोई इन्टैलिजेन्स फेल्योर हुआ हो, गुप्तचर एजेन्सी ने गफलत की हो। नहीं इस मामले में यह नहीं हुआ, बिल्कुल नहीं हुआ। इन्टैलिजेन्स ब्यूरो की वार्निंग को इग्नोर किया गया।

[अनुवाद]

> महोदय, इसे मुझे कहने दें, इसमें कहा गया है:
>
> "गुप्तचर ब्यूरो की चेतावनियों की उपेक्षा की गई थी।"
>
> "पहलगाम में नृशंस हत्या उस समय की गई जब गृह सचिव कमल पाण्डेय और रॉ प्रमुख ए.एस. दुल्लत प्रधान मंत्री कार्यालय के इशारे पर हिजबुल नेताओं से बात करने के लिए श्रीनगर की उड़ान भरने वाले थे।"
>
> "सोमवार को लश्करे तोइबा की धमकी के परिणामस्वरूप गुप्तचर ब्यूरो द्वारा जम्मू कश्मीर पुलिस को कई बार त्राहिमान संदेश और यात्रा मार्ग के साथ-साथ सेना की टुकड़ियों की अभूतपूर्व तैनाती करने के बावजूद दर्जन पर सशस्त्र उग्रवादी उच्च सुरक्षा जोन में छिपकर आ गए और यात्रियों भर हमला कर उन्हें मार दिया।
>
> इसी तरह के त्राहिमाम संदेश डी.आई.जी. रेंज और जिला पुलिस प्रमुख को भेजे गए थे। लेकिन, पहले की तरह, केन्द्रीय अर्द्धसैनिक बलों की टुकड़ियों, राज्य पुलिस और सेना के बीच समन्वय की कमी के कारण भाड़े के सैनिकों ने अपना काम तमाम कर दिया जो प्रहार करने के लिए पहले ही उतावले हो रहे थे।"

[हिन्दी]

सभापति महोदय, यह स्थिति है कि वहां आई.बी. के निर्देश, गुप्तचरों के निर्देश वहां की पुलिस को नहीं पहुंचे, वे गफलत की स्थिति में रहे। हुआ यों है कि आपस में कोई तालमेल नहीं है। सरकार निर्णय लेने की स्थिति में नहीं है। गफलत की स्थिति में हैं, असमंजस की स्थिति में है। इन्हीं सब कारणों से यह स्थिति बनती है। यह गफलत क्यों पैदा हुई, यह भी मैं बताता हूं। बहुत पहले जब हुरियत कान्फ्रेंस के नेताओं से, उनके लोगों से बात-चीत करने का फैसला इस सरकार ने लिया, तो नैशनल कान्फ्रेंस को विश्वास में नहीं लिया जिसके कारण नैशनल कान्फ्रेंस नाराज

हो गई और उसका विपरीत असर हुआ। इस सरकार से यह राजनीतिक भूल हुई। इसके बाद जब हिजबुल मुजाहिद्दीन से बातचीत करने का वक्त आया तो हुरियत कान्फ्रेंस के लोगों को विश्वास में नहीं लिया जिससे हुरियत कान्फ्रेंस के लोग नाराज हो गए। उनके मनोबल पर विपरीत असर पड़ा। इसलिए वे भी आपके साथ सहयोग करने के लिए तैयार नहीं होते, वे भी आपके असहयोगी हो जाते हैं। जब कश्मीर मसले पर बातचीत करने का अवसर आता है, तो आप अपनी एन.डी.ए. सरकार के पार्टनरों को विश्वास में नहीं लेते। स्थिति यह है कि जब हुरियत से बात करते हैं, तो नैशनल कान्फ्रेंस के नेताओं को विश्वास में नहीं लेते और जब हिजबुल से बात करते हैं, तो हुरियत को विश्वास में नहीं लेते। इस प्रकार से नतीजा कुछ नहीं निकलता।

मैं कोट करता हूं:

[अनुवाद]

"जम्मू और कश्मीर द्वारा गृह मंत्रालय की बात न मानना घातक सिद्ध हुआ।"

[हिन्दी]

मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटरनल अफेयर्स ने जम्मू-कश्मीर सरकार से सहयोग मांगा और वहां की सरकार ने रिफ्यूज कर दिया कि हम सहयोग नहीं देंगे। यही कारण है और यही वजह है कि वहां गफलत पैदा हुई। मैं यही कहना चाहता हूं कि ये सारे हालात, ये सारी परिस्थितियां केवल एग्जीक्यूटिव इन्क्वायरी से बाहर नहीं आ सकती हैं। हमारे सिस्टम की कमियां बाहर नहीं आ सकती हैं। यह तो तभी हो सकता है जब गहरी तह में उतर कर देखें कि दरअसल गफलत किस स्तर पर हुई और इसके लिए कौन जिम्मेदार है।

[अनुवाद]

सभापति महोदय: कृपया अब अपनी बात समाप्त करें।

[हिन्दी]

श्री सत्यव्रत चतुर्वेदी: महोदय, मैं एक भी इरैलिवेंट चीज नहीं बोल रहा हूं। इसलिए मुझे कुछ समय बोलने के लिए दीजिए।

[अनुवाद]

सभापति महोदय: आपकी पार्टी से दो लोग पहले ही बोल चुके हैं।

[हिन्दी]

श्री सत्यव्रत चतुर्वेदी: हालात क्या हैं और यह क्यों हुआ, इसका मैं एक और उदाहरण दे रहा हूं यह 'आउटलुक' है। इससे मैं कोट करता हूं:

[अनुवाद]

"एकीकृत सुरक्षा कमान की 25 जुलाई को हुई बैठक में काफी हद तक आतंकवाद विरोधी आपरेशन कम करने का निर्णय लिया गया। घेराबन्दी और जांच अभियान उन क्षेत्रों को छोड़कर जहां पर लश्करे तोइबा या किसी दूसरे जेहादी गुट की सूचना थी, पूरी तरह से रोक दी गई है। सभी यूनिटों को कहा गया कि जहां तक संभव हो वे मुठभेड़ से बचें, चाहे भले ही शुरूआती गोलाबारी में उन्हें थोड़ी बहुत चोट ही क्यों न लगे।"

बिल्कुल यही हुआ है।

[हिन्दी]

ऐसे इंस्ट्रक्शन्स दिए गए, बिना सोचे-समझे, इस बात का विचार न करके कि अगर ऐसे इंस्ट्रक्शन्स दिए जाएंगे, तो उसके परिणाम क्या होंगे। अब इसमें कोई फौज के आदमी तो हैं नहीं कि वर्दी में हैं, इसलिए पहचान आ जाएंगे। यह लश्करे तोइबा है, यह हरकत उल अंसार है या यह हिजबुल मुजाहिद्दीन है, यह कैसे पता लगेगा। आपने कह दिया कि सब सस्पेंड हो गए। नतीजा यह हुआ कि 105 लोग विविध घटनाओं में अन्तत: 24 घंटे में कत्ल कर दिए गए या यों कहूं तो कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी कि 105 आदमियों को सिर्फ चार घंटे में कत्ल कर दिया गया।

यह दूसरा कारण है।

सरकार की तीसरी गलती सुन लें। जैसे ही वार्ता शुरू हुई, पहले नैशनल कौन्फ्रेंस का विश्वास खोया, उसके बाद हुर्रियत का विश्वास खोया, अब देखिए हिजबुल का विश्वास कैसे खोया। जैसे ही श्रीनगर में वार्ता शुरू होती है, वार्ता के दो घंटे पहले, मैं पूरी जिम्मेदारी से कह रहा हूं कि जम्मू कश्मीर पुलिस की तरफ से पूरे प्रैस और मीडिया को सूचना दी जाती है। कि फलां जगह फलां आवर में इतने बजे वार्ता होने जा रही है। पूरा लबाजमा वहां इक्ट्ठा हो जाता है और तमाम हिजबुल के लोग उसी दिन बयान जारी करते हैं कि यह क्या तमाशा है। आपने इस तरह उन लोगों में भी पहले शंका पैदा कर दी जिनसे आप अभी वार्ता शुरू करने जा रहे हैं। यह निर्णय हैं आपके, यह फैसले हैं आपके, आप में राजनैतिक परिपक्वता कितनी है, इसका तो ईश्वर ही मालिक हैं। आप किसी पर भी विश्वास नहीं रखना चाहते, किसी को भी

[श्री सत्यव्रत चतुर्वेदी]

विश्वास में नहीं लेना चाहते, न अपने एन.डी.ए. पार्टनर को विश्वास में लेना चाहते हैं, न हुर्रियत को विश्वास में रखना चाहते हैं, न हिजबुल मुजाहिदीन को विश्वास में रखना चाहते हैं। आप एक के बाद एक सबके साथ ट्रिक प्ले करते चले जाते हैं। नतीजा यह हो रहा है कि वे तमाम एजेंसियां, वे तमाम संगठन, जो इस वार्ता को किसी भी हालत में सफल नहीं होने देना चाहते थे, श्री वायको यहां बोल रहे थे, मैं उनसे सहमत हूं। दरअसल यह पाकिस्तान की खुद की बनाई हुई डिजाइन है। पाकिस्तान लम्बे अरसे से यह चर्चा करता आ रहा है कि हमसे सीधी बातचीत हो। जब यह असफल हुआ तो उसने हिजबुल मुजाहिदीन को आगे करके इस डिजाइन के साथ कि ऐन मौके पर जब वार्ता होने लगे तब त्रिपक्षीय वार्ता की बात उठाई जाएगी। सलाउद्दीन द्वारा उनके डिजाइन के अनुसार वह बात उठाई गई। उसके दो नतीजे होने थे—या तो भारत पाकिस्तान से वार्ता करने के लिए स्वीकार कर लेता, अगर ऐसा करता तो पाकिस्तान का डिजाइन पूरा हो जाता या भारत इंकार करता है तो पाकिस्तान का यह सोचना था कि अंतर्राष्ट्रीय क्षेत्रों में जाकर हम यह कह पाएंगे कि हम वार्ता करना चाहते हैं, हिजबुल मुजाहिदीन वार्ता करना चाहता है लेकिन भारत सरकार हमसे वार्ता नहीं करना चाहती। इस तरह हमारा अंतर्राष्ट्रीय समर्थन हमसे दूर चला जाए। उनकी डिजाइन के ये दो हिस्से थे। इसी आधार पर उन्होंने यहां गेम प्लान बनाया। हम बिना सोचे-समझे उसमें फंस गए। अब्दुल मजीद दर को हमने सलाउद्दीन से विभाजित करने की कोशिश की। नतीजा यह हुआ कि उनमें आपस में टकराव बढ़ गया। सलाउद्दीन और पाकिस्तान को साफ-साफ लगा कि अब हमारे हाथ से हमारे कश्मीर की इकाई बाहर निकल जाएगी। इससे पहले कि यह इकाई बाहर निकल जाए और भारत सरकार इसे खरीद ले, इस वार्ता को यहीं डीरेल कर देना उचित होगा। इनकी गलत नीतियों के कारण यह परिणाम हुआ और उस परिणाम के कारण इसमें इतने निरपराध लोगों की हत्याएं हुईं। इन सबके पीछे जिम्मेदार कौन है- मैं या यहां आर.जे.डी. में बैठा कोई आदमी या मायावती जी जिम्मेदार हैं। किसी न किसी को तो जिम्मेदारी लेनी होगी।

अभी बहुत सारी और बातें हैं लेकिन मैं अपनी बात समाप्त करने से पहले दो-तीन प्रश्न उठाना चाहता हूं यह वे तमाम परिस्थियां हैं जिनके कारण कुछ प्रश्न खड़े हुए हैं और इन प्रश्नों का जवाब मैं नहीं, मेरी पार्टी नहीं, इस देश का 73 फीसदी आदमी जिसने पोल में हिस्सा लेकर यह कहा है कि ज्यूडीशियल प्रोब होनी चाहिए, वह इन सवालों के जवाब मांगना चाहता है। इन सवालों के जवाब मिलने चाहिए। स्वाभाविक है कि एक सवाल यह उठता है कि ऐग्जीक्यूटिव प्रोब से वह क्यों नहीं हो सकता जो ज्यूडिशियल प्रोब से हो सकता है। इसका जवाब कई लोगों ने दिया है। इससे अच्छा और जवाब उसका कोई नहीं है। मैं जानना चाहता हूं एक मैजिस्ट्रेट क्या अपने होम मिनिस्टर की जांच करने का अधिकार रखता है, अपने कमिश्नर या चीफ सैक्रेटरी की जांच करने का अधिकार रखता है या डी.आई.जी., आई.जी. की जांच करने का अधिकार रखता है? क्या वह दबाव में नहीं आएगा। क्या उसके ऊपर प्रभाव नहीं डाला जाएगा? हकीकत कैसे बाहर निकल कर आएगी। हम यही गलती कर रहे हैं। वर्षों से हमने यह गलतियां की हैं। हम बातों को सतही तौर पर उनका तात्कालिक इलाज ढूंढते हैं लेकिन दूरगामी परिणामों से गफलत में रहते हैं और परिणाम यह होता है कि थोड़ी देर के लिए समस्या दब जरूर जाती है लेकिन वह जड़ से समाप्त होने का नाम नहीं लेती।

आज वह वक्त है कि हम कम से कम अभी भी चेत जाएं बहुत हो गया। वाइको साहब अभी यहां बात करते हुए कह रहे थे, उन्होंने तो युद्ध की भाषा की बात करना शरू कर दिया। पाकिस्तान के साथ गंभीर मुठभेड़ की संभावना है। यह तो बहुत बढ़ाने-चढ़ाने वाली बात है। कोई सेंसीबल आदमी, कोई भी सोच-समझ वाला आदमी इस तरह की बात को कभी स्वाकीर नहीं करेगा। इस तरह की भाषा बोलना भी सदन के अन्दर जिम्मेदारी की बात नहीं है। वाइको जी जैसे सीनियर आदमी को इस बात को जरूर समझना चाहिए। मायावती जी ने एक बात यहां कही कि अगर बंगलादेश वार के बाद जब शिमला में बात हुई तो उसी समय अगर फैसला हो गया होता, उसी समय अगर यह कश्मीर का मसला लिखत-पढ़त में हल हो गया होता तो आज यह नौबत नहीं आती। मायावती जी इस वक्त यहां नहीं हैं, मैं उनसे केवल एक ही निवेदन करना चाहता हूं कि उन्होंने उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्रित्व किया है, उसके अनुभव के लिए मैं उनको पूरे अंक देने के लिए तैयार हूं, लेकिन केन्द्र की राजनीति और अन्तर्राष्ट्रीय स्तर की राजनीति इन दोनों के लिए शायद अभी उन्हें और अनुभव की आवश्यकता है। मेरा अनुरोध केवल इतना है कि अन्तर्राष्ट्रीय स्तर पर इन तमाम फैक्टर्स को कन्सीडर करके निर्णय लिये जाते हैं, इन सारी चीजों को शायद वे भूल गई। बहरहाल इतना जो किया था और हमने जो किया था, उसका परिणाम यह था कि शिमला एग्रीमेंट हुआ, पाकिस्तान की फितरत आज तक विश्वासघात करने की है, यह अलग बात है, लेकिन हकीकत यह है कि शिमला एग्रीमेंट के बाद 27 साल तक पाकिस्तान की 1999 तक हिम्मत नहीं हुई कि एक बार हिन्दुस्तान की तरफ आंख उठाकर या उसकी सीमाओं के अन्दर घुसकर या उसके ऊपर हमला करने की हिमाकत कर पाता।

मेजर जनरल (सेवानिवृत) भुवन चन्द्र खण्डूड़ी (गढ़वाल) प्रॉक्सी वार में कितने लोग मरे, राष्ट्रपति शासन कितने सालों तक रहा, इन चीजों का कुछ हिसाब है?

श्री सत्यव्रत चतुर्वेदी: इन तमाम चीजों का हिसाब है। अगर आप इन तमाम चीजों पर मेरा जवाब चाहते हो तो कृपा करके चेयर से अनुरोध कीजए कि मुझे समय दे दिया जाए। मैं एक-एक प्रश्न का जवाब देने के लिए तैयार हूं, लेकिन मैं यहीं पर अपनी बात को समाप्त करना चाहता हूं इस बात के अनुरोध के साथ हमने वे सारे तथ्य देखे हैं। मैंने उनका अनुरोध आप सबसे,

पूरे सदन से किया है। कुछ गम्भीर चीजें ऐसी हैं, जिनकी बहुत ऊंचे स्तर पर खोज करनी जरूरी है। वह खोज, वह जांच-पड़ताल, वह सच्चाई तभी बाहर निकल पाएगी, तभी सामने आ सकती है और तभी हम अपने सिस्टम के अन्दर, जो हमारी व्यवस्था है, उसके अन्दर कहां-कहां हमारी कमजोरी है, कहां घुन लगा है, उसको हम तभी ठीक कर तक पाएंगे जब हम सच्चाई को आमने-सामने देखें, उससे शरमाकर न भागें, उससे घबराकर न भागें यह घबराने का वक्त नहीं है। पाकिस्तान के साथ और शान्ति वार्ता के मामले में हर जगह कांग्रेस पार्टी ने आपको इक्विवोकल समर्थन दिया है, उस बीच में हम कई असुविधाजनक प्रश्न उठा सकते थे, लेकिन नहीं उठाये। हमें अपनी जिम्मेदारी का अहसास है।

मैं अन्त में यही कहना चाहूंगा और पूरे सदन से अनुरोध करूंगा कि आप भी इस बात का समर्थन करें कि इसकी न्यायिक जांच हो, सच्चाई सामने आये और फिर उस सच्चाई के आधार पर हम अपनी व्यवस्था को आमूल-चूल सुधार सकें।

इतना ही मुझे कहना है।

[अनुवाद]

श्री ए. कृष्णास्वामी (श्रीपेरूम्बुदूर): सभापति महोदय, अपनी पार्टी डी.एम.के. की तरफ से और तमिलनाडु के लोगों की तरफ से पहली और दूसरी अगस्त को जम्मू और कश्मीर में पाकिस्तान प्रायोजित उग्रवादियों द्वारा की गई सैकड़ों अमरनाथ यात्रियों की नृशंस हत्या के लिए पूरे राष्ट्र के दु:ख के साथ मैं अपने को संबद्ध करता हूं।

जम्मू और कश्मीर राज्य में चल रही स्थिति के संबंध में इस प्रतिष्ठित सभा के समक्ष माननीय प्रधान मंत्री द्वारा व्यक्त की गई गंभीर चिंता से भी मैं अपने आपको संबद्ध करता हूं। मैं ऐसा वक्तव्य देने के लिए माननीय प्रधान मंत्री की प्रशंसा करता हूं कि आतंकवाद के विरुद्ध लड़ाई जारी रहेगी। भारत जम्मू और कश्मीर में शांति बहाल करने के प्रयासों को छोड़ेगा नहीं।

हिजबुल मुजाहिदीन द्वारा एकपक्षीय युद्ध विराम की घोषणा करना सरकार द्वारा जम्मू और कश्मीर में आतंकवाद की समस्या के समाधान हेतु अपनाई गई परिपक्व रणनीति का परिणाम था। अब हिजबुल मुजाहिद्दीन के प्रमुख सैय्यद सलाउद्दीन द्वारा युद्ध विराम की एकपक्षीय घोषणा वापस ले ली गई है, अब यह स्पष्ट हो गया कि वह सीमा पार से अपने आका की आवाज गुंजा रहे हैं।

महोदय, जो रिपोर्ट उपलब्ध है, उनसे पता चलता है कि सिर्फ जम्मू और कश्मीर के लोग ही शांति और सामान्य स्थिति की बहाली नहीं चाहते बल्कि वे कश्मीरी युवक जो आतंकवाद और विनाश के पथ पर चल रहे थे मुख्य धारा में लौट रहे हैं। इस तथ्य से यह स्पष्ट है कि हिजबुल मुजाहिद्दीन में निष्ठा रखने वाले दो उग्रवादियों ने कश्मीर के राजौरी जिले में सुरक्षा बलों के समक्ष हथियार डालकर आत्मसमर्पण किया।

आज हमें यह जानकारी मिली की आतंकवादियों ने चार निर्दोष लोगों की हत्या कर दी। अमरनाथ यात्रियों की नृशंस हत्या के अलावा पाकिस्तान प्रायोजित उग्रवादी ईंट-भट्टे के मजदूरों ग्राम सुरक्षा समिति के सदस्यों और मुस्लिम परिवार के पांच सदस्यों सहित निर्दोष लोगों की हत्या करने में लगे हुए हैं।

बिना किसी जरा से भी संदेह के यह साबित हो गया है कि इस भयंकर नरसंहार में पाकिस्तान आधारित उग्रवादी संगठन लश्करे तोइबा का हाथ है। पाकिस्तान के इस नृशंस अपराध का न केवल इस देश के लोगों और नेताओं ने विरोध किया है बल्कि अंतर्राष्ट्रीय समुदाय ने भी इसका विरोध किया है।

तमिलनाडु के मुख्यमंत्री डा. कलैंगर एम. करूणानिधि ने जम्मू-कश्मीर राज्य में निर्दोष लोगों की हत्या पर दु:ख और गंभीर चिंता प्रकट की है। राजनीतिक दलों के नेताओं ने पार्टी लाइन से हटकर जम्मू-कश्मीर में उग्रवाद से निपटने के लिए सरकार को अपना समर्थन किया है। संयुक्त राज्य अमरीका के महामहिम राष्ट्रपति ने भी जम्मू-कश्मीर में हुए नरसंहार पर अपनी गहरी संवेदना व्यक्त की है।

अब जबकि पाकिस्तान की यह योजना उल्टी पड़ गई है तो जम्मू-कश्मीर राज्य में प्रभावी कदम और ठोस उपाय कर हमें अवसर को हाथ से नहीं जाने देना चाहिए। शांतिपूर्ण समाधान का दरवाजा खुला रखकर भाड़े के विदेशी सैनिकों के विरुद्ध सैनिक कार्रवाई के विकल्प पर भी विचार करना चाहिए।

मीडिया में विस्तार से यह समाचार प्रकाशित हुआ कि केन्द्रीय अर्द्धसैनिक बलों, राज्य पुलिस और सेना के बीच समन्वय की कमी ने उन आतंकवादियों को यह अवसर दिया जो भीषण हमला करने के लिए उतावले हो रहे थे। गुप्तचर एजेंसियों की भूमिका आलोचना के घेरे में आ गई है। अमरनाथ यात्रियों के लिए सुरक्षा प्रबंध मजबूत किए जाने चाहिए ताकि भविष्य में ऐसे हमलों को रोका जा सके। नहीं तो जम्मू कश्मीर के लोगों का भारत सरकार से विश्वास उठ जाएगा।

श्री अजय चक्रवर्ती (बसीरहाट): महोदय, माननीय सदस्य श्री प्रियरंजन दासमुंशी द्वारा प्रस्ताव लाया गया है जिसमें अमरनाथ यात्रा के दौरान सुरक्षा खामियों के संदर्भ में नियम 184 के अंतर्गत न्यायिक जांच की मांग की गई है। मैं कांग्रेस पार्टी के माननीय

[श्री अजय चक्रवर्ती]

सदस्यों द्वारा व्यक्त किए गए दुःख, संवेदना और चिंता की कद्र करता हूं। यद्यपि मैं कांग्रेस की तरफ से व्यक्त की गई गहरी संवेदना से सहमत हूं लेकिन उनके द्वारा व्यक्त किए गए विचारों पर असहमत हूं।

यदि भारत सरकार इस मुद्दे पर न्यायिक जांच कराती है, तो इससे बहुत विधिक भ्रांति उत्पन्न हो जाएगी। विधि के अनुसार यह अतर्कसंगत और बुरा भी है क्योंकि जनादेश से संबंधित मामले की कल्पना करते हुए जम्मू और कश्मीर सरकार द्वारा पहले ही जांच शुरू कर दी गई है। महोदय, सूची-II के अनुसार यह मामला पूरी तरह से राज्य सरकार की सक्षमता के अंतर्गत है। जांच अधिनियम आयोग की धारा (एक)1 के अनुसार, यह मामला केन्द्र सरकार की सक्षमता के अंतर्गत नहीं है। मैं जम्मू और कश्मीर सरकार के संदर्भ में यह कहना चाहूंगा कि भारतीय संविधान का अनुच्छेद 370 भारत सरकार को ऐसा करने की अनुमति नहीं देता है।

यह स्वीकृत तथ्य है कि बिना किसी संदेह के अमरनाथ के तीर्थयात्रियों को बचाने में गंभीर सुरक्षा खामियां थीं। हमारे देश के दुश्मनों और उग्रवादियों के हाथों से निर्दोष तीर्थयात्रियों की जान बचाने में सरकार पूरी तरह असफल रही है। जैसे ही तीर्थयात्रियों ने लंगर में शरण ली हमारे देश के दुश्मन आतंकवादियों ने अवसर मिलते ही उनकी हत्या कर दी। सरकार को इस स्थिति को पहले ही भांपना चाहिए था और अमरनाथ यात्रा के तीर्थयात्रियों को बचाने हेतु ऐहतियाती कदम उठने चाहिए थे।

1996 में संयुक्त मोर्चा सरकार शासन काल के दौरान जब राभा के वारिष्ठ सदस्य श्री इद्रजीत गुप्त गृह मंत्री थे और आप भी उस सरकार में मंत्री थे, तो अमरनाथ में एक गम्भीर घटना हुई थी। यात्रियों पर उग्रवादियों ने हमला नहीं किया था बल्कि वे प्राकृतिक आपदा के कारण मारे गए थे। तत्कालीन सरकार द्वारा डा. नीतिश सेनगुप्ता की अध्यक्षता में एक सदस्यीय समिति का गठन किया गया था। उन्होंने कुछ सिफारिशें की थी। जो मुझे आशा है, सरकार ने स्वीकार कर ली थी। एक सिफारिश थी की सुरक्षाकर्मियों को पूरे यात्रा मार्ग पर तैनात किया जाना चाहिए। सरकार ने इस सिफारिश पर ध्यान नहीं दिया, सरकार इस संबंध में पूर्णतया विफल रही है। हमारे सशक्त गृह मंत्री जिनकी तुलना इस माननीय सभा में सरदार पटेल से की जाती है। उन्होंने भी कुछ हद तक स्वीकार किया है कि निर्दोष तीर्थयात्रियों के जीवन की रक्षा करने में सरकार की ओर से कमी और विफलता रही है।

मैं माननीय सदस्यों की भावनाओं को समझता हूं जिन्होंने नैतिक आधार पर गृह मंत्री का इस्तीफा मांगा है। लेकिन मंत्री जी ने वह जिम्मदारी नहीं ली है। क्योंकि उन्होंने अभी तक इस्तीफा नहीं दिया है। अगर कोई न्यायिक जांच कराई जाती तो मैं नहीं समझता समय गंवाने के अलावा हमें कुछ मिलेगा। गंगा, कावेरी नर्मदा या सिंधु नदियों में तो पानी बहता रहेगा। कोई नहीं जानता कि उस न्यायिक जांच की रिपोर्ट कब पेश की जाएगी। हम जानते हैं कि श्रीकृष्ण आयोग का क्या हुआ। अगर भारत सरकार न्यायिक जांच आरम्भ कराती है तो शत्रुओं से हमारी मातृभूमि की रक्षा करने वाले सुरक्षा बलों के मनोबल पर इसका बुरा प्रभाव पड़ेगा। सम्भव है हमारे सुरक्षा बलों का मनोबल गिर जाए। इससे सुरक्षा बलों को एक गलत संदेश जाएगा। मैं माननीय सभा से अनुरोध करना चाहूंगा कि अमरनाथ यात्रा के दौरान क्या हुआ और यह दुखद घटना क्यों हुई इसके लिए एक जांच अवश्य कराई जानी चाहिए।

महोदय, मैं समझता हूं कि आप और पूरी सभा मेरी उचित मांग को समझेंगे कि न्यायिक जांच के बजाय संसदीय समिति द्वारा जांच करा सकते हैं। मैं अध्यक्ष महोदय से सभी दलों के नेताओं को आमंत्रित करके एक संसदीय समिति के गठन की अपील करता हूं। वे उस स्थान पर जाकर जम्मू और कश्मीर के सभी वर्गों के लोगों से बात कर सकते हैं। उनसे एक निश्चित अवधि में सभा को रिपोर्ट पेश करने के लिए कहा जाए। यह समिति सरकार की ओर से सुरक्षा संबंधी और अन्य कमियों के कारणों का पता लगा सकती है। मैं सोचता हूं कि सरकार इससे सबक लेगी। एक शुभ संदेश पूरे देश को जाएगा।

[हिन्दी]

श्री अब्दुल रशीद शाहीन (बारामूला): जनाबे चेयरमैन साहब, आज हम इस एवान में हिज्बेइखतलाफ की तरफ से लाए गए रिजोल्युशन पर बहस कर रहे हैं। इस रिजोल्युशन में लिखा है- यह सभा पहलगाम में तीर्थयात्रियों सहित निर्दोष व्यक्तियों के मारे जाने की घटना पर क्षोभ और गहरा दुःख प्रकट करती है। हम इस हिस्से के साथ पूरी तरह से इत्तिफाक करते हैं और इस अफसोसनाक वाक्या के दिलआजार तकलीफ में उन सब लोगों के साथ बराबर शरीक हैं, जिन्हें यह तकलीफ पहुंची है। मैं यह अर्ज करना चाहता हूं कि इसमें सबसे ज्यादा तकलीफ जो पहुंची है, मुश्किल जो हुई है, वह कश्मीर के रहने वालों को हुई है। लेकिन इस रिजोल्युशन का दूसरा हिस्सा कि जुडिशियल एन्क्वायरी कायम की जानी चाहिए हम उसके साथ इत्तिफाक नहीं करते हैं। इसलिए इत्तिफाक नहीं करते हैं कि हमारे हिजबेइखतलाफ के रहनुमा जुडिशियल एन्क्वायरी से सच जानना चाहते हैं। मैं अदब के साथ अर्ज करना चाहता हूं कि सच जानने के लिए जुडिशियल एन्क्वायरी काफी नहीं होती है। आज इस एक दिलखराश वाक्या कश्मीर की तारीख में जर्बेकारी लगा। हमारे मशहूर-ए-जमाना, अमरनाथ यात्री पर जो हमारे मेहमान, जो मजहबी फरीदा अदा करने के लिए कश्मीर की सरजमीन पर आए हुए थे। हलाक हुए और उनके साथ कश्मीर के हमदर्द लोग भी हलाक हुए। इन्तहा अफसोसनाक

वाक्या हमारे लिए हैं। हमरी जिंकर यह है, दासमुंशी जी, इस बात के साथ-साथ हम 1990 साल की जनवरी से हुए कारनामों की शुरुआत करना चाहते हैं। हंदवारा के कत्लेआम से शुरू कीजिए। 600 मकान जले और 19 आदमी हलाक हुए। इनमें हमारे अपर हाउस के मैम्बर भी एक मस्जिद में हलाक हुए। इसके बाद मैं सोपोर के कत्लेआम का जिक्र करूंगा और गाउकदल के कत्लेआम की बात करिए, जिसमें दर्जनों लोग हलाक हुए। उसके बाद कश्मीर में कत्लेआम होते रहे। हमारे मौलाना फारूख जब शहीद हुए तब भी एक बहुत बड़ा कत्लेआम हुआ। इसके साथ मैं यह कहना चाहूंगा हमारे मुअज्जिज मेहमान कश्मीर की सरजमीन पर यात्रा करने के लिए आए, उनको तकलीफ हुई, वे हलाक हुए, कोई यह न समझे कि शायद हमें उसका गम और अफसोस नहीं है। मैं फिर एक बार दोहराना चाहता हूं कि कश्मीरियत के फलसफे के पैरोकार अक्सरियत के वही लोग हैं, जो हमेशा भाई-चारे और मेहमान के लिए जान देने के लिए हाजिर रहे हैं। हमारे ऐवान में चमनलाल गुप्त जी हैं। यह इस तारीखी हकीकत को झुठला नहीं सकेंगे, जो 1947 में हमने जम्मू के दोस्तों को जो दूसरे मजहब से ताल्लुक रखते थे, तांगेबानो के जरिए उनके हाथों में हमने जम्मू भिजवा दिया। शरपसंद लोगों ने उनको दागेबानी नगरोटा के पास जिबा कर दिया, लेकिन कश्मीर की वादी में हमारे रहनुमा ने सिर्फ यह नारा दिया था "सब का इतिहाद"। यह कहा कि इस अदम तशदुत्त की पैरवी के लिए और इंसानी दोस्ती के लिए कुर्बानियां तो देनी ही होती हैं, वे हमने पेश कर दीं। हमारी तारीख में दरक्शदां बाब यह था कि कश्मीरी लोग एक उम्मीद की किरण हैं, एक ऐसे फलसफे के पैरोकार हैं जहां मजहब इम्तियाज आपसी तनाजे रंजिशें तशदुत्त का रूप नहीं लेतीं। हमारी पोजिशन देखिए, हम छलनी हुए और दोनों तरफ से हो रहे हैं। महोदय, यहां हमारे लोग नाराज होते हैं, एक पुर्जा सच का अगर उनके हाथ लगे तो हमारी वकालत करने लगते हैं कि साहब, इस अखबार में लिखा है कि फारूख अब्दुल्ला के साथ यह किया गया, इसलिए यह हुआ। हम नहीं कहते, लेकिन वे वकालत करते हैं। मैं अपने बुजुर्ग दोस्तों को यह अर्ज करना चाहता हूं मुझे ऐसा लगा कि कश्मीर के बारे में जो सच है, उसके अजजाए परेशां इस तरह बिखर गए हैं कि अगर आसमान से फरिश्ते उतर आएं तो शायद वे भी उन्हें न समेटने पाएं।

महोदय, मैं आपसे दरख्वास्त करूंगा कि कश्मीर के बारे में जो कुछ हुआ है, अगर उस पर बात की जाए तो शायद नाराजगियां बढ़ेंगी। आप भी नाराज होंगे और उधर से भी इजारासानी होगी। मैं यह कहूंगा कि सच को जानने के लिए, इसके अजजाए परेशां बिखरे हुए जमा करने के लिए हम कोई एक मरहला मुकर्रर करें। जहां हम अपने तनजीमी मफादार के कवच को छोड़ कर आ जाएं और सब मिल कर बैठ कर सोचें कि इस इंसानियत और मुल्क के हिस्से पर जो तकलीफ इजारसां और अजीयतनाक सूरतेहाल कायम हुआ है, इससे किसी तरह उन्हें निजात मिले। लेकिन अफसोस है कि अब हमारे दोस्त गली में, जिसमें पार्लियामेंट मेम्बर हजरात, जो हमारे रहनुमा हैं और हकायक से वाकिफ हैं, हम उनका बहुत आदर करते हैं और लाजिम भी है। लेकिन बाहर भी देख लें, हर गली और कूचे में कश्मीर के मामलात पर एक एक्सपर्ट जब मुल्क में मौजूद है, जब वह हमारे और कश्मीर के बारे में भी अपना फरमान जारी करते हैं तो हम हैरान हो जाते हैं। लगता है कि हमारे बारे में यह बात भी है, जिसका हमें अपने बारे में इल्म नहीं है। जो इस तारीखी तवातुर का हिस्सा है जो गलतफहमी के शिकार होकर 22 साल शेख अब्दुल्ला के साथ जेलों में मुसीबतों में तूफानों में घिरे रहे, उन्हें भी अपने बारे में वे बातें पता नहीं, जो आज हमारे एक्सपर्ट और मेहरबानों को हमारे बारे में मालूम हैं।

मैं यही दरख्वास्त करूंगा कि कश्मीर की सरजमीन पर रहने वाली खामोश अक्सरियत परेशानी में गिरफ्तार है। उनके बारे में जर्रा-जर्रा में बिखरा सच बिखरने से तकीलीफें और पैदा होंगी, मसाइल और मुश्किल का हल नहीं निकल पाएगा। मैं तमाम दोस्तों से यही दरख्वास्त करूंगा कि कश्मीरियों की मुश्किल को समझने की कोशिश करें। प्वाइंट्स स्कोर करने की बजाय कश्मीर के हालात के बारे में सोचें। अपनी धुंआधार तकरीरों को बड़े खूबसूरत ढंग से आगे बढ़ाने में कोई एतराज नहीं है। लेकिन मुसीबत को हल करने के लिए नेकनीयती से सोचिए, मिलकर सोचिए और सच को खोजिए कि इस तकलीफ को कैसे दूर करें।

हमारी 720 किलोमीटर सरहद पाकिस्तान से लगती है। हमारी सरहद में सूडान से हथियारबंद आदमी आ चुके हैं। जब हमने इस बारे में बात की, जब दिल्ली की सरकार के ऐवानों में इस बात को जोर से उठाया तब यह हजरात कुर्सी पर थे लेकिन किसी ने इस बात को नहीं देखा। ये हंसते रहे कि वे उधर से कहां आएंगे? 720 किलोमीटर की वह सरहद जिस के पार एक तूफान पल रहा था हमारे लिए, इस मुल्क के लिए, इस सरजमीन पर आप यह तकाजा करते हैं कि सरकार इन संजीदा हालात में 70 हजार लोगों के बजाय तीन लाख लोगों को उस सरजमीन (कश्मीर) पर झोंक दे और रियायती हुकूमत से यह तकाजा करे कि वह एक-एक आदमी के लिए सिक्योरिटी बहाम करे। जो वाकया वहां हुआ, मेरी उन लोगों के साथ हमदर्दी है। मैं समझता हूं कि हमारी तारीख में यह दाग लगा है जिससे हम शर्मिंदा हैं, हम अफसोसजनक हालात में हैं। इससे बहुत से लोग यतीम हुए, बहुत से लोग मर चुके हैं, बहुत घरों में ताले लग गए हैं। यह सरजमीन की हालत है। मैं इस ऐवान में मौजूदा मोअज्जि हजरात से यही दरख्वास्त करूंगा कि वह हमारी मुश्किल को समझने के लिए दिल और नेकनीयती से कोशिश करे तब इन मसलों का हल होगा। जुडिशियल

[श्री अब्दुल रशीद शाहीन]

इनक्वायरी से कोई मसला हल नहीं होगा। कश्मीर अभी मुश्किल में है। या मुसलसल कोर्ट हर वाकया की जांच के लिए हर दिन रखिए, जुडिशियल इनक्वायरी के लिए सोचिए, लेकिन उससे भी कोई फायदा नहीं होगा। जब हमारे बेचारे नौजवान मिनिस्टर के पुर्जे बिखर गए तब भी एक एनक्वायरी की जरूरत थी। जब चट्टीसिंहपुरा में मुसीबत आ गई उसके बाद जो हालात पैदा हो गए तब भी ऐसी इनक्वायरी की जरूरत थी। ऐसी इन्क्वायरी कोई इलाज नहीं है। मैं दरख्वास्त करूंगा कि वह इस बात को छोड़ दें। वे इस बात की तरफ तवज्जह दें कि इस सरजमीन पर जो मुसीबत है, उसे कैसे मिल कर हल किया जाए।

جناب عبدالرشید شاہین (بارہ مولہ) : جناب ڈپٹی سپیکر صاحب، آج ہم اس ایوان میں حزب اختلاف کی طرف سے لائے گئے ریزولوشن پر بحث کر رہے ہیں۔ اس ریزولوشن میں لکھا ہے۔ This House expresses its anguish and deep sense of grief over the incidents of killing of innocent persons including pilgrims in Pahalgam. ہم اس حصے کے ساتھ پوری طرح سے اتفاق کرتے ہیں اور اس افسوسناک واقع کی دل آزار تکلیف میں ان سب لوگوں کے ساتھ برابر کے شریک ہیں، جنھیں یہ تکلیف پہنچی ہے۔ میں یہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ اس میں سب سے زیادہ تکلیف جو پہنچی ہے، مشکل جو ہوئی ہے، وہ ہم کشمیر کے رہنے والوں کو ہوئی ہے۔ لیکن اس ریزولوشن کا دوسرا حصہ۔ جوڈیشیل انکوائری قائم کی جانی چاہیئے، ہم اسکے ساتھ اتفاق نہیں کرتے ہیں۔ اسلئے اتفاق نہیں کرتے ہیں کہ ہمارے حزب اختلاف کے رہنما جوڈیشیل انکوائری سے بچ جانا چاہتے ہیں۔ میں ادب کے ساتھ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ بچ جانے کے لئے جوڈیشیل انکوائری کافی نہیں ہوتی ہے۔ آج ایک دلخراش واقع کشمیر کی تاریخ ضرب کاری لگا۔ ہمارے مشہور زمانہ، امرناتھ یاتری، ہمارے مہمان، جو مذہبی فریضہ ادا کرنے کے لئے کشمیر کی سرزمین پر آئے ہوئے تھے، ہلاک ہوئے اور انکے ساتھ کشمیر کے بھی لوگ بھی ہلاک ہوئے۔ انتہائی افسوسناک واقع ہمارے لئے ہے۔ ہماری مشکل یہ ہے، داس منشی جی، اس بات کے ساتھ ساتھ ہم ۱۹۹۰ء سال کی جنوری سے ہوئے کارناموں کی شروعات کرنا چاہتے ہیں۔ ہندوارا کے قتل عام سے شروع کیجئے، ۶۰۰ مکان جلے اور ۱۹ آدمی ہلاک ہوئے۔ اس میں ہمارے اپر ہاؤس کے ممبر بھی ایک مسجد میں ہلاک ہوئے۔ اس کے بعد میں سوپور کے قتل عام کا ذکر کروں گا اور گاؤ کدل کے قتل عام کی بات کریئے، جس میں درجنوں لوگ ہلاک ہوئے اس کے بعد کشمیر میں قتل عام ہوتے رہے۔ ہمارے مولانا فاروق اسی قتل عام میں شریک ہوئے۔ اس کے ساتھ میں یہ کہنا چاہوں گا، ہمارے معزز مہمان کشمیر کی سرزمین پر یاترا کرنے کے لئے آئے، ان کو تکلیف ہوئی، وہ ہلاک ہوئے، شاید ہمیں اس کا غم اور افسوس نہیں ہے۔ میں پھر ایک بار دوہرانا چاہتا ہوں کہ کشمیریت کے فلسفے کے پیروکار اکثریت کے وہی لوگ ہیں، جو ہمیشہ بھائی چارے اور مہمان کے لئے جان دینے کے لئے حاضر رہے ہیں۔ ہمارے ایوان میں پنچن لال گپتا جی ہیں۔ یہ اس تاریخی حقیقت کو جھٹلا نہیں سکیں گے، جو ۱۹۹۴ء میں ہم نے جموں کے دوستوں کو، جو دوسرے مذہب سے تعلق رکھتے تھے، تانگے بانو کے ذریعے ان کے ہاتھوں میں ہم نے انہیں بیچ دیا۔ شر پسند لوگوں نے ان کو نرگوڈا کے پاس ذبح کر دیا، لیکن کشمیر کی وادی میں ہمارے رہنما نے صرف یہ نارا دیا تھا۔ "سب کا اتحاد"۔ یہ گیا کہ اس عدم تشدد کی پیروی کے لئے اور انسانی دوستی کے لئے قربانیاں تو دینی ہوتی ہیں، وہ ہم نے پیش کر دیں۔ ہماری تاریخ میں درخشاں باب یہ تھا کہ کشمیری لوگ ایک اُمید کی کرن ہیں، ایک ایسے فلسفے کے پیروکار ہیں جہاں مذہبی امتیاز، آپسی تنازع، رنجشیں، تشدد کا روپ نہیں لیتیں۔ ہماری پوزیشن دیکھئے، ہم چھلنی ہوئے اور دونوں طرف سے ہو رہے ہیں۔ جناب، یہاں ہمارے لوگ ناراض ہوتے ہیں، ایک بیوہ عورت کا اگر ان کے ہاتھ لگے تو ہماری وکالت کرنے لگتے ہیں کہ صاحب، اس اخبار میں لکھا ہے کہ فاروق عبداللہ کے ساتھ یہ کیا گیا، اسلئے یہ ہوا۔ ہم نہیں کہتے، لیکن دو وکالت کرتے ہیں۔ میں اپنے بزرگ دوستوں کو یہ عرض کرنا چاہتا ہوں، مجھے ایسا لگا کہ کشمیر کے بارے میں جو بچ ہے، اسکے اجزائے پریشاں اس طرح بکھر گئے ہیں کہ اگر آسمان سے فرشتے اُتر آئیں تو شاید وہ بھی انہیں نہ سمیٹ پائیں۔

جناب، میں آپ سے درخواست کروں گا کہ کشمیر کے بارے میں جو کچھ ہوا ہے، اگر اس پر بات کی جائے تو شاید ناراضگیاں بڑھیں گی۔ آپ بھی ناراض ہوں گے اور اُدھر سے بھی ازار سانی ہوگی۔ میں یہ کہوں گا کہ بچ کو جاننے کے لئے، اس کے اجزائے پریشاں بکھرے ہوئے جمع کرنے کے لئے ہم کوئی ایک مرحلہ مقرر کریں۔ جہاں ہم اپنے تنظیمی مفادات کے ڈھال کو چھوڑ کر آجائیں اور سب مل کر بیٹھ کر سوچیں کہ اس انسانیت اور ملک کے حصے پر جو تکلیف، ہزار سال اور لایعنی ناک صورت حال قائم ہوا ہے۔ اس سے کسی طرح انہیں نجات ملے۔ لیکن افسوس ہے کہ اب ہمارے دوست گلی میں، جس میں پارلیمنٹ ممبر حضرات، جو ہمارے رہنما ہیں اور حقائق سے واقف ہیں، ہم ان کی بہت عزت کرتے ہیں اور لازم بھی ہے۔ لیکن باہر بھی دیکھ لیں، ہر گلی اور کوچے میں کشمیر کے معاملات پر ایک ایکسپرٹ جب ملک میں موجود ہے، جب وہ ہمارے اور کشمیر کے بارے میں اپنا فرمان جاری کرتے ہیں تو ہمیں پتہ لگتا ہے کہ ہمارے بارے میں یہ بات بھی ہے، جس کا ہمیں اپنے بارے میں علم نہیں ہے، جو اس ہر نجی توانا کا حصہ ہیں۔ جو غلط فہمی کا شکار ہو کر ۲۰ سال فاروق عبداللہ کے ساتھ جیلوں میں صعوبتوں میں طوفانوں میں گھرے رہے، انہیں بھی اپنے بارے میں وہ باتیں پتہ نہیں، جو آج ہمارے ایکسپرٹ اور مہربانوں کو ہمارے بارے میں معلوم ہیں۔

میں یہی درخواست کروں گا کہ کشمیر کی سرزمین پر رہنے والی خاموش اکثریت پریشانی میں گرفتار ہے۔ ان کے بارے میں ذرہ ذرہ میں بکھراؤ، بکھرنے میں اور تکلیفیں پیدا ہوگی، مسائل اور مشکل کا حل نہیں نکل پائے گا۔ میں تمام دوستوں سے یہی درخواست کروں گا کہ کشمیریوں کی مشکل کو سمجھنے کی کوشش کریں۔ پوائنٹس اسکور کرنے کی بجائے کشمیر کے حالات کے بارے میں سوچیں۔ اپنی دھنواد ھار

तक्रीरों को बड़े खूबसूरत ढंग से आगे बढ़ाने में कोई एतराज नहीं है। असली मसीबत को हल करने के लिए नेक नीयती से सोचिये, मिल कर सोचिये और एक सच को खोजिये कि इस तकलीफ को कैसे दूर करें। हमारी ७२० किलो मीटर सरहद पाकिस्तान से लगती है। हमारी सरहद में सौ आतंकवादी हथियार बन्द आ चुके हैं। जब हम ने इस बारे में बात की, जब दिल्ली की सरकार के लोगों ने इस बात को जोर से उठाया तब यह हजरात कुर्सी पर थे। लेकिन किसी ने इस बात को नहीं देखा, ये हंसते रहे कि वो इधर से कहां आयेंगे? ७२० किलो मीटर की वो सरहद जिस के पार एक तूफान पल रहा था, हमारे लिये, इस मुल्क के लिये, इस सरजमीन पर आप ये तकाजा करते हैं कि सरकार ने संजीदा हालात में ७० हजार लोगों की बजाये तीन लाख लोगों को इस सरजमीन पर झोंक दे और रियासती हकूमत से ये तकाजा करें कि वो एक एक आदमी के लिये सिक्योरिटी मुहैया करे। जो वाकया वहां हुआ, मेरी उन लोगों के साथ हमदर्दी है। मैं समझता हूं कि हमारी तारीख में ये दाग लगा है जिस से हम शर्मिन्दा हैं, हम अफसोसनाक हालात में हैं। उस से बहुत से लोग यतीम हुये, बहुत से लोग मर चुके हैं, बहुत से घरों में ताले लग गये हैं। ये सरजमीन की हालत है। मैं इस ऐवान में मौजूद मोअज्जिज हजरात से यही दरखास्त करूंगा कि वो हमारी मुश्किल को समझने के लिये दिल और नेक नीयती से कोशिश करें तब इन मसलों का हल होगा। जोड़ीशियल इन्क्वायरी से कोई मसला हल नहीं होगा। कश्मीर अभी मुश्किल में है। यहां मुसलसल कोरट हर एक दिन के लिये रखिये, जोड़ीशियल इन्क्वायरी के लिये सोचिये, लेकिन इस से भी कोई फायदा नहीं होगा। जब पंजाबी सिंगल पूरा में मसीबत आई उस के बाद जो हालात पैदा हो गये तब भी ऐसी इन्क्वायरी की जरूरत थी। ऐसी इन्क्वायरी की कोई गुंजाइश नहीं है। मैं दरखास्त करूंगा कि वो इस बात को नजरअंदाज कर दें। वो इस बात की तरफ तवज्जो दें कि इस सरजमीन पर जो मसीबत है, उसे कैसे हल कर हल किया जाये।

[अनुवाद]

श्री जी. एम. बनातवाला (पोन्नानी): सभापति महोदय, आज कश्मीर से संबंधित समूचे मामले पर विचार नहीं किया जा रहा है। अमरनाथ यात्रियों और न्यायिक जांच की आवश्यकता के संबंध में ही चर्चा की जा रही है।

महोदय, अमरनाथ में जिस तरह यात्रियों की हत्या की गई, जनसंहार किया गया, उसकी भर्त्सना करने के लिए कोई भी शब्द पर्याप्त नहीं हैं। यह निन्दनीय अपराध है। यह घृणित है कि बेगुनाह लोगों जिसमें प्रवासी श्रमिक और बड़ी संख्या में तीर्थयात्री शामिल थे, को निशाना बनाया गया। इस जनसंहार की घटना की भर्त्सना करने के लिए कोई भी शब्द पर्याप्त नहीं हैं। ऐसा प्रतीत होता है कि हिंसक प्रवृत्ति के लोग उन्मत हो गए हैं और उन्होंने बेगुनाह नागरिकों, प्रवासी श्रमिकों, यात्रियों और मीडिया से जुड़े लोगों को निशाना बनाया, उनकी हत्या करना और उन्हें घायल करने की ठान रखी है। जैसा कि मैंने पहले ही कहा है, हिंसक वर्ग पूरी तरह से उन्मत्त हो गया है। उदाहरण के तौर पर, कार बम धमाके में 'दा हिन्दुस्तान टाइम्स' का एक फोटो पत्रकार लगभग नौ पुलिस कर्मियों और जूते की दुकान के एक मालिक के साथ मारा गया। उस धमाके में कई पुलिसकर्मी, पत्रकार और अन्य लोग घायल हुए। जैसे ही हमारे प्रधानमंत्री को अमरनाथ यात्रियों की दिल दहला देने वाली रिपोर्ट प्राप्त हुई, वैसे ही वे घटना स्थल के लिए रवाना हो गए।

यह प्रशंसा योग्य है। उन्होंने यह निर्णय सोच-समझकर लिया। समूचा राष्ट्र प्रधानमंत्री द्वारा घटना स्थल पर तत्काल जाने और मामले की जांच करने के लिए उनके प्रति आभार प्रकट करता है और उन्हें धन्यवाद देता है। यह सही दिशा में उठाया गया कदम था। लेकिन अब स्थिति क्या है सरकार ने स्वयं इस बात को स्वीकार किया है कि सुरक्षा के मामले में कुछ चूकें हुई हैं। वह केवल प्रशासनिक जांच करवाना चाहती है। लेकिन कार्यकारी द्वारा किसी कार्यकारी के खिलाफ कोई भी प्रशासनिक जांच कभी भी संतोषप्रद नहीं हो सकती है। इसके अतिरिक्त समूचा राष्ट्र उस जांच से कभी भी संतुष्ट नहीं हो सकता है। अत: इस पूरे मामले में न्यायिक जांच करानी आवश्यक है।

मैं, अब कश्मीर की स्थिति की ओर आपका ध्यान दिलाना चाहूंगा। सरसरी तौर पर किए गए सर्वेक्षण से यह पता चलता है कि कश्मीर में आतंकवादियों की उपस्थिति भयानक स्थिति उत्पन्न कर रही है। वहां जो इस समय स्थिति है, वह चिन्ता का विषय हैं। उदाहरण के लिए जनवरी से मई, 2000 तक यानी सन् 2000 के पहले पांच महीनों में 195 सुरक्षाकर्मी मारे गए और जबकि सन् 1999 में 148 सुरक्षाकर्मी मारे गए। क्यों? यह स्थिति क्यों बिगड़ी? इसके क्या कारण हैं? हमें इन बातों पर ध्यान देना चाहिए।

महोदय, हमने देखा है कि आतंकवादियों द्वारा श्रीनगर में बादामीबाग में 15वें कोर्पस पर हमला करने के साथ-साथ कई ठिकानों पर हमले किए गए। अमरनाथ की घटना के मामले में हमने देखा कि केवल दो आतंकवादियों ने इतने अधिक जवानों को मौत के घाट उतार दिया। हमें इन बातों पर ध्यान देना है। यह कोई अच्छी बात नहीं है कि दो आतंकवादियों ने फौजी कैम्प के 14 जवानों को मौत के घाट उतार दिया अथवा घायल कर दिया। हमें इस बात का पता लगाना होगा कि ये चूकें किस जगह हुई ताकि ऐसी घटनाओं की भविष्य में पुनरावृत्ति न हो। यह हमारे पूरे राष्ट्र के हित में होगा।

आतंकवादियों की तुलना में हमारे जवानों के हताहत अनुपात को मद्देनजर रखते हुए आप देखेंगे कि यह अनुपात 1:18 है। जिसे हमें बहुत भारी मन से मानना पड़ रहा है। लेकिन आज यह अनुपात बढ़ गया है। आतंकवादियों की तुलना में हमारे सिपाहियों का हताहत अनुपात बढ़कर 2:5 हो गया है। हमें इसका कारण तलाशना होगा। हमें पूरे मामले की छानबीन करनी होगी। हमें पूरी स्थिति की जांच करनी होगी जहां ये चूकें हुई।

सभापति महोदय: कृपया अपनी बात समाप्त करें।

श्री जी. एम. बनातवाला: महोदय, आपको मुझे थोड़ा समय और देना चाहिए। कुछ पहलू ऐसे हैं जिन्हें सभा के सम्मुख रखना मेरे लिए जरूरी है। ये बहुत गम्भीर बातें हैं। मैं विनम्रता यही कह सकता हूं कि न्यायिक जांच की मांग को रद्द करना समूचे राष्ट्र के हित में नहीं होगा।

[श्री जी.एम. बनातवाला]

सभापति महोदय, सुरक्षा के मामले में कई बड़ी चूकें हुई हैं। इसका खामियाजा किसको भुगतान पड़ा है। हमारे तीर्थयात्रियों को इसका मूल्य चुकाना पड़ा है। हमारे जवानों को इसका मूल्य चुकाना पड़ा है। मुश्किल से एक दर्जन आतंकवादी अत्यधिक संवेदनशील जोन में प्रवेश करते हैं और इतनी अधिक संख्या में तीर्थयात्रियों और दूसरे लोगों को मौत के घाट उतार देते हैं। सेना के जवान भी यह जानना चाहते हैं कि ये चूकें कहां पर हुई। उनका खून खौल जाता है। जब आसूचना ब्यूरो की चेतावनी की परवाह नहीं की जाती है तो हमारे जवान यह जानना चाहते हैं कि ऐसा क्यों किया गया और उन्हें इस बात का उत्तर जानने का अधिकार प्राप्त है। इसका उत्तर केवल न्यायिक जांच करवाकर ही प्राप्त किया जा सकता है जैसाकि मैंने कहा कि इस संबंध में पहल से चेतावनी दे दी गई थी लेकिन उसकी परवाह नहीं की गई। इससे पता चलता है कि सरकार उग्रवादी कैम्पों से हिंसा के बढ़ने की संभावना का जायजा लगाने में पूरी तरह से अक्षम रही। सेना के जवान भी यह जानना चाहते हैं कि हिंसा के बढ़ने की संभावना का जायजा लगाने में पूरी तरह अक्षम रहने के लिए कौन जिम्मेदार है। हम हिजबुल मुजाहिद्दीन की एकतरफा युद्ध विराम की घोषणा के बहकावे में आ गए लेकिन हम उस खतरे को भूल गए कि यह हिंसा दूसरे ग्रुपों में भी हो सकती है। मैं यह जानना चाहता हूं कि क्या उन्होंने अपनी जिम्मेदारी को पूरी तरह से निभाया है? दिल्ली में बैठकर हमने क्या देखा? मैंने टेलीविजन पर देखा कि सुरक्षा अधिकारी टेलीविजन पर आते हैं और सैनिक कार्यों को बन्द करने की घोषणा करते हैं और वे सैनिक गतिविधियों को बन्द करने की घोषणा करते हैं और उसके साथ-साथ यह कहना मुश्किल है कि किस का संबंध हिजबुल मुजाहिदीन से है और किसका संबंध दूसरे कैम्प से है। यह परिप्रेक्ष्य है। हमारे द्वारा ही अपने कई लोगों की हत्या की गई। ऐसी स्थिति युद्ध विराम की घोषणा करने के परिणामस्वरूप हुई। यह आवश्यक है कि पूरी स्थिति पर गौर करें। मैं इसलिए यह नहीं कह रहा हूं कि हमारे सशस्त्र बलों का मनोबल गिरे। अपने सशस्त्र बलों को बचाने की दृष्टि से और यह सुनिश्चित करने के लिए कि हमारे सशस्त्र बल इन चूकों के शिकार न बनें, चाहे ऐसी चूकें किसी से भी हों, स्थिति का जायजा लिया जाए।

महोदय, मैं इस तथ्य की ओर आपका ध्यान दिलाना चाहता हूं कि सरकारी रिपोर्टों में इन आतंकवादी गतिविधियों की भूमिका के पीछे पाकिस्तान का हाथ है। यह एक बहुत गम्भीर स्थिति है। यह बहुत गम्भीर स्थिति है क्योंकि पाकिस्तान के मुख्य कार्यपालक ने स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर दिए अपने संदेश में घोषणा की थी कि पाकिस्तान ने अलगाववादी ताकतों का हमेशा से समर्थन किया है और वह उन्हें अपना समर्थन जारी रखेगा। यह एक गम्भीर मामला है और हमें इस पर गम्भीरता से विचार करना चाहिए। हमें यह कहा गया कि हम सतर्क रहें। लेकिन सतर्क रहने के लिए, हमें अपनी उन चूकों का भी पता लगाना होगा जो कहीं भी हो और आवश्यक सुधार कार्य करने होंगे...*(व्यवधान)*

सभापति महोदय: कृपया अपनी बात अब समाप्त करें।

श्री जी. एम. बनातवाला: यहां मुझे एक बात याद आ रही है जिसकी ओर मैं सभा का ध्यान दिलाना चाहता हूं जब भारत और पाकिस्तान अस्तित्व में आए, उस समय तत्कालीन अखिल भारत मुस्लिम लीग की अंतिम बैठक हुई थी।

उस बैठक के परिणामस्वरूप तत्कालीन अखिल भारतीय मुस्लिम लीग के कायदे मिलात जनाब मोहम्मद इस्माइल साहब उठे। वह बाद में वर्तमान भारतीय मुस्लिम लीग संघ के अध्यक्ष बने। तत्कालीन अखिल भारतीय मुस्लिम लीग की बैठक के समापन पर उन्होंने लियाकत अली खान को गले लगाया और जो शब्द उन्होंने कहे थे वे ऐतिहासिक थे। उन्होंने लियाकत अली खान को गले लगाते हुए कहा था:

> "तो इधर देखो, लियाकत अली खान, आज हम विदेशी के तौर पर जुदा हो रहे हैं। तुम अपने देश जा रहे, और हम अपने। अपने देश में अल्पसंख्यकों का पूरा ख्याल रखना और याद रखना हमारे मामलों में हस्तक्षेप कभी मत करना। याद रखना, भारत से संबंधित मामलों में हस्तक्षेप मत करना अन्यथा हम तुम्हें उचित जवाब देंगे।"

यही ऐतिहासिक शब्द थे। हमारे इतिहास में ये शब्द दे रखे हैं।

महोदय, मैं विषय से जरा भटक रहा था। लेकिन मैं नहीं भूल सकता कि चर्चा के आरम्भ में, माननीय अध्यक्ष महोदय ने स्वयं कुछ महत्वपूर्ण बातें कहीं थीं और उनमें से एक यह थी कि हमें व्याप्त नाजुक साम्प्रदायिक संतुलन को ध्यान में रखना चाहिए। मुझे प्रसन्नता है कि जब माननीय गृह मंत्री जी ने यहां सभा में अमरनाथ यात्रियों की नृशंस हत्या के संबंध में बात की तो उन्होंने पूरी दृढ़ता, नियन्त्रण और राष्ट्र के अनुकूल गौरव के साथ बात की। कश्मीर में सक्रिय गिरोहों द्वारा न केवल हिन्दुओं की हत्या की वरन् मुसलमान लोगों की हत्या की भी बहुत संतुलित तरीके से चर्चा की। अपने कथन में उन्होंने कुपवाड़ा जिले के कालाकस की भी बात की जहां एक मुस्लिम परिवार के पांच सदस्यों की नृशंस हत्या कर दी गयी। उन्होंने एक कुशल राज नेता के तौर पर बयान दिया लेकिन दुर्भाग्यवश ऐसे लोग हैं जो अनजाने में या दूसरी तरह से इन आतंकवादियों का स्वयं शिकार बन जाते हैं और उनके हाथों में खेलते हैं।

सभापति महोदय: श्री बनातवाला जी, आप कृपया अपनी बात समाप्त करें। कारगिल संघर्ष पर एक चर्चा होगी। आप उसके लिए कुछ बचाकर रखें।

श्री जी. एम. बनातवाला: महोदय, मैं अपनी बात समाप्त करूंगा।

मैं यह कह रहा था कि गुजरात के सूरत में मुसलमानों, मस्जिदों और इसी तरह के अन्य हमलों के कुछ अभागे साम्प्रदायिक दुष्परिणाम निकले। मुझे विश्वास है कि कोई सांप्रदायिक फूट नहीं पड़ेगी। दुर्भाग्यवश, हमारी कुछ विख्यात पत्रिकाएं भी संभवत: अनजाने में गैर-जिम्मेदाराना रिपोर्टिंग के शिकार हो जाते हैं। मैं इस वर्ष के 2 अगस्त के इंडिया टूडे ग्रूप आनलाइन का उल्लेख करता हूं इसमें हिन्दुओं की हत्याओं का नामवार वर्णन दिया गया है और जब माननीय गृह मंत्री जी द्वारा स्पष्ट रूप से वर्णित हत्याओं की बात आती है तो यह सिर्फ इतना कहता है कि एक परिवार के सात सदस्यों की हत्या हुई और वह यह दिखाने का प्रयत्न नहीं करता कि मारे गए वे कौन थे। संभवत: यह अनजाने में हुआ है।

लेकिन मैं यह देखना चाहूंगा कि राष्ट्र इस समय की नाजुक साम्प्रदायिक स्थिति के बारे में माननीय अध्यक्ष जी की बात को गंभीरता से लें। मुझे विश्वास है कि कोई सांप्रदायिक फूट नहीं पड़ेगी। सरकार को सख्त से-सख्त कदम उठाने दो और इंशा अल्लाह कश्मीर की रक्षा के लिए, हमारी मातृभूमि की रक्षा के लिए सारा देश एकजुट होकर उठ खड़ा होगा।

महोदय, जैसा कि मैंने कहा, प्रश्न यात्रियों की नृशंस हत्या तक सीमित है।

रात्रि 10.00 बजे

कुछ त्रुटियां हैं। लेकिन हम इन त्रुटियों की उपेक्षा नहीं कर सकते। ऐसा करना सारे राष्ट्र के लिए खतरनाक होगा। अत: आवश्यक सुधारों को कार्यान्वित करने के उद्देश्य से एक न्यायिक जांच एक पूरी व्यावहारिक आवश्यकता है।

अत: माननीय सदस्य, श्री प्रियरंजन दासमुंशी द्वारा प्रस्तुत प्रस्ताव का मैं समर्थन करता हूं।

[हिन्दी]

श्री रतन लाल कटारिया (अम्बाला): मिस्टर चेयरमैन सर, मैं श्री प्रियरंजन दासमुंशी जी ने जो मोशन रखा है, उसे अमोज करने के लिए खड़ा हुआ हूं। माननीय वाजपेयी जी के नेतृत्व में भारत सरकार ने अमरनाथ यात्रा के मद्देनजर हर प्रकार की तैयारी कर ली थी। जैसा कि यह महान सदन जानता है कि कश्मीर के साथ पाकिस्तान का जो हिस्सा लगता है जो बार्डर है, उसकी लंबाई बहुत ज्यादा है और बार्डर मैनेजमेंट के लिए डायनामिक डिप्लोयमेंट के लिए, उस एरिए के स्पेशल आपरेशन्स के लिए सरकार ने सारी सतर्कता बरती, लेकिन इस सब के पश्चात् भी एक और दो अगस्त को जो अमरनाथ यात्रियों पर जो कहर ढहाया गया, उसकी सारे महान् सदन ने निन्दा की है। न केवल यात्रियों पर कहर बरपा गया अपितु अगले दिन जो घट्ठे के ऊपर देश के विभिन्न प्रान्तों से अपनी रोजी-रोजी कमाने के लिए आए लोगों के ऊपर कहर ढहाया गया।

मिस्टर चेयरमैन सर, जैसा कि सब को विदित है अमरनाथ यात्रा, 'कश्मीरियत' की सबसे प्रभावशाली प्रतीक हैं। इस यात्रा के दौरान न केवल सारे भारत से हिन्दू जाते हैं बल्कि इस यात्रा के माध्यम से कश्मीर के लगभग 20 हजार कश्मीरी परिवारों को भी साल भर की आजीविका मिलती है। जैसे यात्रा की तैयारियां चल रही थी, यात्रा जारी थी, इसी बीच में श्रीनगर के अंदर हिजबुल मुजाहिदीन ने भारत सरकार के सामने एक पेशकश की कि हम राष्ट्र की मुख्य धारा में आना चाहते हैं। जैसे ही यह पेशकश हुई और जैसे ही समाचार-पत्रों में यह समाचार छपा अगले दिन ही पाकिस्तान के आका बौखाला उठे कि यदि भारत सरकार की बातचीत कामयाब हो गई तो हमारे मंसूबे कैसे पूरे होंगे। पाकिस्तान ने यह सोचा कि यदि भारत सरकार की बातचीत हिजबुल मुजाहिदीन से हो जाती है और वे सफल रहते हैं तो चूंकि इस गुट में ज्यादातर कश्मीर के मिलीटेंट हैं, इसलिए घर के अंदर ही घर की बात सुलझ जाएगी, तो हम क्या करेंगे और उसे लगा कि इस समस्या को इन्हें अपने देश के अंदर निपटाने देना चाहिए और उसने यह सारी गड़बड़ करवाई।

सभापति महोदय, जिस प्रकार से श्री अटलबिहारी वाजपेयी ने सारी परिस्थितियों को दृष्टिगत रखते हुए, अन्तर्राष्ट्रीय स्तर पर सारी चीजों को देखते हुए, कश्मीर के अंदर हो रहे ब्लडशैड को रोकने और भोलेभाले लोगों के कत्लेआम को रोकने के लिए उन्होंने बातचीत का रास्ता अपनाने पर विचार किया क्योंकि भारत सरकार चाहती है कि हर व्यक्ति को जीने का हक मिले और जो खूनखराबा चल रहा है वह बन्द होना चाहिए क्योंकि वाजपेयी जी ने खुद जाकर सारे हालात को देखा और आज कांग्रेस पार्टी कह रही है कि इस इश्यू को भाजपा ने गंभीरता से नहीं लिया। डा. श्यामा प्रसाद मुखर्जी को सरहद पर यही छोड़ कर आए थे। वे ही भारत माता के ऐसे अकेले सपूत थे जिन्होंने दो निशान, दो प्रधान और दो संविधान का विरोध कर, एक निशान, एक प्रधान और एक संविधान का नारा लगाकर जनजागरण किया और आज भी भारतीय जनता पार्टी अपने नेता डा. श्यामा प्रसाद मुखर्जी के बलिदान को नहीं भूली है।

आज उस बलिदान को मद्देनजर रखते हुए क्या श्री अटल बिहारी वाजपेयी, जो प्रधान मंत्री की कुर्सी पर बैठे हैं, ऐसे स्टैप्स नहीं उठाएंगे जिससे नार्मैलसी आए। आज पाकिस्तान इस बात को लेकर बौखला उठा है कि वाजपेयी जी के समर्थन में सारी दुनिया

[श्री रतनलाल कटारिया]

की डिस्पलौमैसी चल रही है। जब वहां बहस हो रही थी, आज उस ईशू पर इंग्लैंड की पार्लियामेंट में बहस होती है। जब इंग्लैंड की संसद में भाषण होता है तो वहां के प्रधान मंत्री श्री टोनी ब्लेयर द्वारा पाकिस्तान के उग्रवादी चेहरे को बेनकाब किया जाता है। वे कहते हैं कि कश्मीर में पाकिस्तान जो कुछ कर रहा है, उसे उससे कुछ हासिल नहीं होने वाला है क्योंकि जितने भी भाड़े के उग्रवादी आज कश्मीर में काम कर रहे हैं, उनको वहां की जनता का समर्थन प्राप्त नहीं है। आज अमरीका की पॉलिसी में माननीय वाजपेयी जी के नेतृत्व में बदलाव आया। श्री बिल क्लिंटन हिन्दुस्तान में आए और जब उन्होंने भारत के शांतिप्रिय कारनामों को देखा और देखा कि भारत के लोग किस तरह एक-दूसरे के साथ प्यार से रहते हैं, उनके सामने छत्तीसिंहपुरा की घटना हुई तो पाकिस्तान का उग्रवादी चेहरा बेनकाब हो गया।..*(व्यवधान)* भारत सरकार ने 1998 में 1,000 उग्रवादियों को घाटी में मार गिराया, 1999 में 1100 उग्रवादियों को मार गिराया और अब जून तक 700 उग्रवादियों को मार चुकी है। इसी तरह 1998 में 1500 के लगभग उग्रवादियों को सरकार पकड़ चुकी है। 1999 में 744 और अब जून तक 308 दुर्दांत उग्रवादियों को भारत सरकार पकड़ चुकी है। आज कांग्रेस के मित्र कह रहे हैं कि श्री वाजपेयी की सरकार कश्मीर के ईशू पर गंभीर नहीं है। कांग्रेस के एक मित्र समाचार-पत्रों की कतरनें उठा कर कह रहे थे कि यह छपा है, यह छपा है। मैं अपने बन्धुओं को यह भी बताना चाहता हूं कि न्यूज का जो एनालेसिस हुआ है, उसमें कहा गया है-पाकिस्तान की कुटिल नीति उसी को भुगतनी पड़ रही है, भारत की नीति सही साबित हो रही है...*(व्यवधान)*

अभी तो मेरा तवा गर्म होने लगा है। आप मुझे कन्फ्यूज कर रहे हैं। मैं तो बहुत लम्बा चलने वाला घोड़ा हूं।...*(व्यवधान)* वहां वर्षों से आतंकवाद का जो खेल चल रहा है, भारत सरकार सारे खेल को कुचलना चाहती है। हम चाहते हैं कि पाकिस्तान भी भारत के इरादों को समझे। अगर पाकिस्तान यह सोचता है कि कश्मीर के बिना पाकिस्तान अधूरा है तो भारत का भी यह स्टैंड है कि पाकिस्तान के बिना भारत अधूरा है। हम पाकिस्तान को पिछली चार लड़ाइयों में बताते रहे हैं कि किस तरह उसे हर मोर्चे में मुंह की खानी पड़ी, कारगिल में मुंह की खानी पड़ी और उग्रवाद के मोर्चे पर भी माननीय वाजपेयी जी की सरकार पाकिस्तान को बेनकाब करके छोड़ेगी। हिन्दुस्तान में रहने वाले हर नागरिक की रक्षा की जाएगी। वाजपेयी जी की सरकार इसके लिए प्रतिबद्ध है।

अंत में, मैं इस मोशन को औपोज करता हूं।

[अनुवाद]

श्री अधीर चौधरी (बरहामपुर, पश्चिम बंगाल): सभापति महोदय, मैं माननीय सदस्य श्री प्रियरंजन दासमुंशी द्वारा प्रस्तुत प्रस्ताव का समर्थन करता हूं। इस चर्चा में कई प्रतिष्ठित सदस्य पहले ही भाग ले चुके हैं। मैं भी इसमें कुछ योगदान करना चाहता हूं।

यह पहले जैसी बात है कि विपक्षी पार्टियां भी पहलगाम में हुई नृशंस हत्याओं के संबंध में न्यायिक जांच की मांग का विरोध कर रही हैं। आजकल वाम दल राष्ट्रीय लोकतांत्रिक गठबंधन की सरकार की हाँ में हां मिला रहे हैं और उन्हें खुश कर रहे हैं। क्योंकि उन्हें यह भय है कि कहीं पश्चिम बंगाल में राजनैतिक विरोधियों के विरुद्ध हिंसा करने से उन्हें रोकने के लिए पश्चिम बंगाल राज्य सरकार पर कुछ प्रशासनिक प्रतिबन्ध न लगा दिए जाएं।...*(व्यवधान)*

श्री अजय चक्रवर्ती: महोदय, क्या इसका इस विषय से कोई संबंध है?...*(व्यवधान)*

श्री अधीर चौधरी: महोदय, पाशविक रक्तपात से संबंधित न्यायिक जांच को जम्मू और कश्मीर प्रशासन की परिधि में ही सीमित नहीं किया जा सकता क्योंकि अब यह पहले ही राष्ट्रव्यापी विषय बन गया है। आरोप यह भी लगाया गया है कि कई मौतें हमारे अपने सुरक्षा कर्मियों द्वारा अंधाधुंध गोलियां चलाने से हुईं, आगे यह भी आरोप लगाया गया है कि लोग जिन गोलियों से घायल हुए वे कश्मीरी आतंकवादियों द्वारा प्रयुक्त ए के-47 की गोलियां नहीं थी। लोगों के दिमाग में यदि ऐसी कोई गलतफहमी हो तो वह दूर कर दी जानी चाहिए।

महोदय, यदि हम बार-बार होने वाली घटना तथा राष्ट्रीय लोकतांत्रिक गठबंधन सरकार द्वारा की जाने वाली कार्रवाइयों और कदमों की जांच करें, तो हर-आदमी इस बात से सहमत होगा कि सरकार 1998 से कश्मीर समस्या का समाधान दिखाने के लिए दबाव में रही है और दूरगामी परिणामों की चिंता किये बगैर कश्मीर समस्या को सुलझाने के लिए बेकार की नीतियां बनाती रही है।

महोदय, ऐसा लगता है कि यह सरकार लोगों के बीच सुखद बातों का गलत प्रचार करने की कला में पारंगत हो गई है ताकि इसे राजनीतिक लाभ मिल सके जो देश के लिए हानिकारक है। महोदय, आप बस कूटनीति और इसके बाद लाहौर घोषणा पर ध्यान दें। सरकार ने इन मुद्दों के आधार पर खुशी जताने की कोशिश की लेकिन इसका अंत युद्ध से हुआ।

महोदय, कंधार त्रासदी हमारे दिमाग में अभी भी ताजा है लेकिन इन कटु अनुभवों को भुलाने से पहले ही इस सरकार ने हिजबुल मुजाहिदीन द्वारा किए गए एकतरफा युद्ध विराम पर प्रतिक्रिया व्यक्त करके एक और कदम उठाया है। अनावश्यक जल्दबाजी

में क्या देखने को मिला, इस सरकार ने युद्ध विराम के तरीके तैयार करने के लिए अनेक उच्च अधिकारियों को तैनात किया। यह बात समझ में नहीं आती कि सरकार को किन परिस्थितियों के कारण युद्ध विराम की मूल रूपरेखा तैयार करने हेतु भेजने के लिए मजबूर होना पड़ा।

प्रधान मंत्री कार्यालय तथा गृह मंत्रालय के विचारों में मतभेद उभर कर सामने आए और दोनों के ही विचार प्रतिस्पर्धात्मक थे ताकि कोई विचार शांति वार्ता में दूसरे से आगे निकल सके।

सहस्राब्दि शिखर सम्मेलन में शिरकत करते हुए हमारे प्रधान मंत्री ने महसूस किया कि इसको महत्व दिया जाना जरूरी है। क्या मैं सरकार से यह पूछ सकता हूं कि क्या यह हिजबुल मुजाहिदीन से अपनी दुश्मनी समझती है जो अपना निर्णय अपने आप लेता है? यह संगठन सीमा पार से काफी समय से अपनी गतिविधियां चलाने के लिए जाना जाता है। दूसरी ओर कश्मीर पाकिस्तान से चिपकता रहा है।

सभापति महोदय: श्री चौधरी कृपया अपनी बात समाप्त करें।

श्री अधीर चौधरी: क्या मैं आई.एस.आई. के पूर्व प्रमुख श्री हामिदगुल द्वारा की गई टिप्पणियों को उद्धृत कर सकता हूं? उसने कहा था पाकिस्तान सेना के अस्तित्व का सबसे महत्वपूर्ण कारण कश्मीर है और हम भारत के विरुद्ध किसी भी हद तक युद्ध करने से भी नहीं डरते। अब, वही सेना पाकिस्तान में राज कर रही है। आगे अफगान युद्ध के पश्चात् कश्मीर में आतंकवाद लगभग तालिबान के इशारे पर हो रहा है। पाकिस्तान के विभिन्न नामों से जाने वाले आतंकवादी संगठन पाकिस्तान की विभिन्न संस्थाओं पर बुरी तरह छाए हुए हैं। पाकिस्तान के राजनीतिक समीकरण और तालिबान द्वारा कश्मीर में चलाए जा रहे आतंकवाद को ध्यान में रखते हुए भारत सरकार को कश्मीरी आतंकवादियों से वार्ता करने की कोई पहल करन से पहले अधिक सतर्क रहना चाहिए। शत्रु के बारे में पूरी तरह जानना अच्छे शासक का द्योतक है।

यह सरकार शुरू से ही विफल रही है। गलत रूप से बनाई गई योजनाएं और आधे-अधूरे उपायों का स्वाभाविक परिणाम हमेशा बीच में ही छोड़ देना होता है।

पूरा घटनाक्रम इस तरह का है, विश्व के सर्वश्रेष्ठ पुलिस अधिकारी ने पूरे प्रचार के साथ भारत का दौरा किया। इस यात्रा के कारण भारत सरकार ने शांति पूर्ण वार्ता के लिए सभी हुर्रियत नेताओं को रिहा कर दिया। कश्मीर समस्या में हुए इस अचानक घटनाक्रम से स्तब्ध कश्मीर के मुख्यमंत्री जो एन.डी.ए. सरकार में भी शामिल हैं, डा. फारुख अब्दुल्ला ने इस समस्या के समाधान हेतु स्वायत्ता के सिद्धान का रामबाण के रूप में उपयोग किया। स्वायतत्ता का सिद्धांत उन्हें कश्मीर मुद्दे से अलग नहीं रखने की कोशिश के सिवाय कुछ भी नहीं है। इससे प्रेरित होकर हिजबुल मुजाहिदीन ने सरकार के साथ गुप्त बैठक करके सड़कों पर प्रदर्शन किया। उन्हें इस गुप्त बैठक में हुए विचार-विमर्श की बेहतर जानकारी है।

सभापति महोदय: आपका समय समाप्त हो चुका है।

श्री अधीर चौधरी: मैं अपनी बात शीघ्र ही समाप्त कर रहा हूं। सरकार द्वारा तीर्थयात्रियों की सुरक्षा के लिए कोई त्रुटिरहित उपाय किए जाने के स्थान पर आतंकवादियों के साथ सौहार्द पूर्ण बातचीत और उनमें ''मानवता'' की भावना भरने का कार्य किया जा रहा था। ''मानवता'' एक आदर्श अवधारणा है जो सभी लोगों के पास हो। लेकिन राजनीतिक परिदृश्य से इसे अलग रखा जाना चाहिए और पूर्ण देशभक्ति और बुद्धिमत्ता के साथ स्पष्ट वास्तविकताओं का सामना करना ही बेहतर है। अत: मैं न्यायिक जांच कराने का समर्थन करता हूं क्योंकि लोग यह जानने के लिए आतुर हैं कि उस दुर्भाग्यपूर्ण दिन वास्तव में क्या हुआ? इसमें सीमापार के आतंकवादियों द्वारा न सिर्फ तीर्थयात्रियों बल्कि अप्रवासी श्रमिकों की भी हत्या की गई।

कुछ माननीय सदस्य इतिहास को गलत रूप से पेश करने की कोशिश कर रहे हैं। मैं अपने मित्रों को याद दिलाना चाहता हूं कि 1962 के युद्ध के पश्चात् तत्कालीन रक्षामंत्री श्री कृष्ण मेनन ने सरकार की विफलता स्वीकार करते हुए त्यागपत्र दिया था। साथ ही साथ इस विफलता की जांच करने हेतु एंडरसन एंड ब्रुक समिति गठित की गई थी।

अत: अपनी बात समाप्त करने से पहले मैं कांग्रेस दल द्वारा लाए गए इस न्यायिक जांच सम्बन्धी प्रस्ताव पर सभी लोगों द्वारा समर्थन करने का अनुरोध करता हूं।

[हिन्दी]

कुंवर अखिलेश सिंह (महाराजगंज, उ.प्र.): महोदय, 1947 से देश की आजादी के पश्चात जम्मू-कश्मीर रियायत के महाराजा हरि सिंह ने जम्मू-कश्मीर की रियासत को भारत के गणराज्य में विलय करने में जो विलम्ब किया, जो अड़ियल रवैया अख्तियार किया तथा जिन शर्तों पर महाराजा हरि सिंह की बातों को मानकर जम्मू-कश्मीर रियासत का भारतीय गणराज्य में विलय कराया गया, तब से आज तक राजनीति की विशाख पर जो शह और मात का खेल हुआ, उसी शह और मात के खेल का विकृत स्वरूप आज जम्मू-कश्मीर की आतंकवाद की समस्या है। जम्मू-कश्मीर के अंदर भारतीय जनता पार्टी ने राष्ट्रीयता के नाम पर हिन्दुत्व के नाम पर जो स्वांग रचने का काम किया, झंडा फहराने के नाम पर जो

[कुंवर अखिलेश सिंह]

नाटक रचने का काम किया, हिन्दुत्व के नाम पर लोगों के जज्बात के साथ जिस तरह खिलवाड़ करने का काम किया, उसने समस्याओं को सुलझाने के बजाय उलझाने का ही काम किया है। हम आपके माध्यम से भारतीय जनता पार्टी के लोगों से कहना चाहेंगे कि आप आत्ममंथन करें कि राजा रामचंद्र ने तो जरूर इनको उद्वेलित करने का काम किया लेकिन भगवान शंकर शिव जो हमारे आराध्य देव हैं, उन्होंने कभी इनको उद्वेलित करने का काम नहीं किया। 1962 में चीन ने जब कैलाश पर्वत और मानसरोवर पर अपना अधिकार जमा लिया तो इनके अंदर जरा भी सुगबुगाहट पैदा नहीं हुई और आज जब जम्मू-कश्मीर के अंदर पहलगांव में 36 से अधिक शिवभक्त मौत के घाट उतार दिए गए तब भी इनके अंदर कोई सुगबुगाहट पैदा नहीं हुई। आप धारा 370 को समाप्त करने की बात करते थे और कश्मीर की घाटी के अंदर अगर कोई छोटी सी भी घटना होती थी तो पूरे देश के अंदर कोहराम मचाने का काम करते थे। आज राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन के उसूलों के तहत धारा 370 के सवाल से आप बंधे हुए हैं, मैं यह मानता हूं इसलिए चालीस वर्ष के अंदर कश्मीर की घाटी से जो परिवार विस्थापित होकर दिल्ली की सड़कों पर आज भी भटक रहे हैं लगातार तीन बार की सत्ता प्राप्ति भी क्या विस्थापित परिवारों को कश्मीर घाटी में पुन: बसाने का काम किया गया? जम्मू कश्मीर का जो वर्तमान संविधान है, वह उन विस्थापित परिवारों को कश्मीर की घाटी में पुन: बसाने में क्या कोई अड़चन या रोक पैदा करने का काम कर रहा है—यह प्रश्न आपके समक्ष है। इस बारे में आपको आत्म-मंथन करना पड़ेगा, विचार करना पड़ेगा।

कांग्रेस के मित्रों से मैं कहना चाहता हूं कि 1971 में जब आपने बंगलादेश के अंदर पाकिस्तान के अंदर मुक्तिवाहिनी के रूप में अपनी सेना को भेजा था, उस समय कांग्रेस पार्टी को कांग्रेस का ही समर्थन प्राप्त नहीं था बल्कि इस देश के एक-एक बच्चे का, एक-एक राजनैतिक दल का समर्थन प्राप्त था। उस समय मैं कक्षा सात का छात्र था। मुझे वह दिन याद है, वह जज्बात याद है और अच्छी तरह से याद है जब इसी सदन के अंदर देश के वर्तमान प्रधान मंत्री आदरणीय अटल बिहारी वाजपेयी जी ने स्वर्गीय श्रीमती इंदिरा गांधी जी को रणचंडी दुर्गा की उपाधि से विभूषित करने का काम किया था। देश के सवाल पर कृपया राजनैतिक नाटक करना बंद करिए और जो यह दोगला चरित्र हमारा बनता चला जा रहा है, जो दोहरी मानसिकता बनती चली जा रही है, वही देश के पतन का कारण बनती जा रही है। मैं बड़े स्पष्ट शब्दों में कहना चाहता हूं कि भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने भी राजनैतिक खेल के अन्तर्गत कश्मीर की समस्या को उलझाने का काम किया।

भारतीय जनता पार्टी के लोग जितने दोषी हैं, उससे कम दोषी कांग्रेस पार्टी के लोग भी इस समस्या को उलझाने में नहीं हैं। इस बात को कहने में मुझे जरा भी हिचक नहीं है। आज यह कहना चाहते हैं कि जम्मू कश्मीर के अन्दर स्वायत्तता का नया विवाद इसी कारण पैदा हुआ। महाराजा हरि सिंह के तथ्यों के आधार पर जम्मू-कश्मीर रियासत को विलय करने का काम किया था और उसी समय निजाम हैदराबाद ने भी अड़चन पैदा करने की कोशिश की थी। निजाम हैदराबाद की किसी भी शर्त को उस समय के राजनीतिज्ञों ने स्वीकार नहीं किया, फिर क्यों महाराजा हरि सिंह की तथाकथित शर्तों को स्वीकार करने का कार्य किया। आज मैं साफ शब्दों में कहना चाहता हूं कि पहलगांव में एक तारीख को जो घटना घटित हुई है, उसमें जितनी व्यक्तिगत क्षति मुझे हुई है, शायद इस सदन में बैठे हुए किसी भी सदस्य को नहीं हुई होगी। मेरे निर्वाचन क्षेत्र के 8 लोग—जगरनाथ जी, द्रोपदी जी, राजाराम जी, रमेश मद्धेशिया जी, त्रिलोकीनाथगुप्त जी, ऋतुराज वर्मा जी, शंकर जयसवाल जी और श्यामबदन जी—उस घटना में मारे गए हैं। चुन्नीलाल जी जो मेरे महाराजगंज जनपद के निवासी हैं वे अभी-भी सफदरजंग अस्पताल में जीवन-मृत्यु से संघर्ष कर रहे हैं। सरकार इतनी संवेदनहीन हो चुकी है कि इस सरकार के मंत्रियों के पास वक्त नहीं है कि वे अस्पताल में जाकर उन घायल व्यक्तियों को देखें की वहां उनका सही तरीके से इलाज हो रहा है या नहीं हो रहा है। गाज-पट्टी के अभाव में चुन्नीलाल का परिवार संघर्ष कर रहा है। मुझे यह कहने में शर्म आ रही है कि स्वर्गीय त्रिलोकीनाथ की डैड-बाडी देने के लिए चार हजार रुपये जमा करा लिए गए और महाराजगंज बाड़ी ले जाने की इजाजत दी गई। इससे शर्मनाक स्थिति और क्या हो सकती है। पहले जम्मू में एक-दो व्यक्तियों की मौत हो जाती थी, तो आप पूरे देश में कोहराम मचा देते थे। अब जब अटल बिहारी बाजपेयी जी प्रधानमंत्री की कुर्सी पर बैठे हैं, आपने एक रुपया भी केन्द्रीय कोष से मृतक के परिवारों को अनुग्रह राशि के रूप में देने की घोषणा नहीं की। एक रुपया भी घायल परिवारों को अपने केन्द्रीय कोष से देने की घोषणा नहीं की। इस संवेदनहीनता को आपको छोड़ना होगा। मैं सदन के माध्यम से मांग करता हूं कि जम्मू-कश्मीर की घाटी में स्वायत्ता के प्रस्ताव के बाद लोग मरे हैं, उन प्रत्येक परिवार को दस लाख रुपये दिए जाने चाहिए और गम्भीर रूप से घायल हुए हैं, उनको दो-दो लाख रुपये दिए जाने चाहिए। आज देश के अन्दर जो राजनीतिक वातावरण बन रहा है उस राजनीतिक वातावरण को सही रूप देने में आपको दृढ़ इच्छाशक्ति का परिचय देना होगा। मुझे यह कहने में संकोच नहीं है, आज जिस तरह से पाकिस्तान हमारे देश में दखल-अंदाजी कर रहा है, उस स्थिति में पाकिस्तान को सबक सिखाने के अलावा कोई विकल्प नहीं है। मुझे तुलसीदास जी की कुछ पंक्तियां याद आ रही हैं—

विनय न मानत जलधि जड़
गए तीन दिन बीत,
बोले राम सकोप तब
भय बिनु होइ न प्रीति।

पाकिस्तान की स्थिति के बारे में श्री चतुर्वेदी जी कह रहे थे कि जो अन्तर्राष्ट्रीय स्थिति है, उस अन्तर्राष्ट्रीय स्थिति में हम इस तरह की चुनौती नहीं दे सकते हैं, मैं यह कहना चाहता हूं कि हमने चीन में थ्येन-आन-मन-चौक पर देखा कि दस हजार नौजवान मौत के घाट उतार दिए गए और मानवता की दुहाई देने वाले राष्ट्र मूक दर्शक बनकर खड़े रह गये।

आज वक्त आ गया है, पाकिस्तान को सबक सिखाना होगा। अगर हमने पाकिस्तान को सबक सिखाने का काम नहीं किया, तो काठमांडु में विमान अपहरण के कारण हमारे देश की जो शर्मनाक स्थिति बनी है वैसी स्थिति कायम रहेगी। करगिल के अन्दर भी हमारे देश को शर्मनाक स्थिति का सामना करना पड़ा है और आज जम्मू-कश्मीर के अन्दर भी जिस तरह से हमारे देश को शर्मनाक स्थिति का सामना करना पड़ रहा है, उससे आने वाला इतिहास हमें और आपको माफ नहीं करेगा। रक्तबीज की तरह आतंकवादी देश में बढ़ते जा रहे हैं। इसलिए वक्त आ गया है कि सरकार, राजनीतिक दल के लोग दृढ़ इच्छाशक्ति का परिचय देकर पाकिस्तान को सबक सिखाने का काम करें। पूरा देश का जनमानस इस बात के लिए कटिबद्ध हो चुका है। अब किसी भी कीमत पर पाकिस्तान के इस अन्याय, अत्याचार और आतंकवादी गतिविधियों को देश का बच्चा स्वीकार करने के लिए तैयार नहीं है।

इन शब्दों के साथ मैं विनती करना चाहता हूं कि न्यायिक जांच की मांग जो कांग्रेस पार्टी द्वारा की जा रही है, वह देश के हित में नहीं है, देश के सभी राजनीतिक दलों के लोग इस बात से भली-भांति परिचित हैं कि पहलगांव में क्या हुआ है। यदि उन बातों को ज्यादा उर्जा देने का काम करेंगे, तो निश्चित तौर पर पाकिस्तान और हमारे दुश्मन राष्ट्रों को कहीं-न-कहीं बल मिलेगा। मैं कांग्रेस पार्टी के लोगों से कहना चाहता हूं कि वे राजनीतिक खेल खेलना बन्द करें और अपनी न्यायिक जांच की मांग को समाप्त करें। न्यायिक जांच के स्थान पर एक संसदीय समिति का गठन कर दिया जाए और वह समिति पहलगांव जाकर अध्ययन करके अपनी रिपोर्ट दे और जम्मू-कश्मीर की समस्या को सुलझाने में आगे आए, उससे निश्चित तौर पर देश का हित होगा। धन्यवाद

श्री हरीभाऊ शंकर महाले (मालेगांव): ' ोदय, यह जो सदन में प्रस्ताव आया है, उस पर मैं अपने थोड़े से विचार रखने का प्रयास कर रहा हूं। महोदय, हाथ में जो कंगन होता है, उसे देखने के लिए आइने की जरूरत नहीं होती है। मुझे ऐसा लगता है कि इस विषय में न्यायिक जांच करने की जरूरत नहीं है। पाकिस्तान तो शुरू से ही आतंकवाद को भड़का रहा है।

महोदय, मेरी विनती है कि इस बारे में सब पार्टियों को अच्छी तरह से अपने विचार रखने चाहिए। बाहर के लोग आतंक फैलाते हैं, उससे पाकिस्तान का हाथ है, यह बात सच है। इसमें सब पार्टियों को सहयोग देना चाहिए। जिस समय पोखरन में टैस्ट हुआ तो सरकार को ऐसा लगा कि शांति रहेगी, लेकिन इससे पाकिस्तान और कुछ अन्य राष्ट्र आपके खिलाफ हो गए, यह प्रकरण बढ़ता गया। कारगिल युद्ध को भी पोखरन ने ही जन्म दिया।

महोदय, सरकार का काम देश की रक्षा करना है और देश को संगठित रखना है। इसके लिए सब पार्टियों को एक होकर, देश के हित को ध्यान में रखते हुए पार्टीबाजी छोड़ कर विचार करना चाहिए, यही मेरा सुझाव है। धन्यवाद।

श्री सुरेश रामराव जाधव (परभनी): महोदय, यह डिसकशन नियम 184 के अंतर्गत हो रहा है। अमरनाथ यात्रियों पर हमले हुए, उनकी निर्मम हत्या कर दी और ये हत्याएं पाकिस्तान के उग्रवादी संगठन द्वारा हुई, यह उजागर है। इसके बारे में कांग्रेस ज्यूडिशियल इंकवायरी चाहती है।

महोदय, मैं और मेरी शिवसेना पार्टी की तरफ से हम चाहते हैं कि इस घटना की इंकवायरी जरूर होनी चाहिए। ये हत्याएं कैसे और क्यों हुई? इसमें दोषी कौन है, सुरक्षा में कमी क्यों थी, इसकी जरूर जांच होनी चाहिए। मैं समझता हूं कि न्यायिक जांच उचित नहीं क्योंकि हमें आजादी मिले हुए 53 साल हो गए हैं और अभी तक जितनी ज्यूडिशियल इंकवायरी हुई, उनसे कुछ भी हमारे हक में नहीं आया। यह जो हादसा हुआ, घटना घटी, पूरे हिन्दुस्तान के हिन्दुओं को जो ठेस पहुंची, इससे हमें बड़ा दुख हुआ। इस घटना से पूरे हिन्दुस्तानी दुखी हैं।

कब तक कश्मीर के हिन्दु लोग मारे जायेंगे? पहले पहलगाम में उनकी हत्या हुई, बाद में राजौरी में घटना घटी और कल ऊधमपुर में हिन्दुओं की हत्या हो गई। आठ दिन में हिन्दुओं पर तीन-चार हमले किए गये। ये हमले क्यों किये गये, इनका क्या उद्देश्य है? सरकार इसकी जांच करवा रही है। वह इन्क्वायरी होनी चाहिए। ये हत्याएं कैसे हुई। सुरक्षा की कमी के कारण ये हत्याएं हुई। इसमें कौन दोषी है? इसके ऊपर सख्त कार्रवाई करनी चाहिए। पाकिस्तान के उग्रवादी संगठन चाहे वह लश्करे तोएबा हो, चाहे दीनदार अंजुमन हो, हिजबुल मुजाहिदीन हो या कोई आई एस आई का एजेंट हो, ये आतंकवादी हिन्दुस्तान में हिन्दुओं का कत्लेआम करना चाहते हैं, वहां कितने हिन्दू मारे गए, यह जानने की आवश्यकता है। इसके खिलाफ सख्ती से निपटने की जरूरत

[श्री सुरेश रामराव जाधव]

है। वक्त की पुकार है कि यदि सही मायने में कश्मीर की हालत साल्व करनी है तो हमें सख्ती से निपटना होगा। यह कांग्रेस की गलत नीतियों का परिणाम है और इस समस्या की जड़ कांग्रेस की गलत नीतिया हैं। अमरनाथ यात्रियों पर जो हमले हुए, ऐसे हमले भविष्य में न हों, इसके साथ हमें सख्ती से निपटना होगा। सरकार इस बारे में कुछ ठोस कदम उठाए। अन्त में, मैं आपका बहुत आभारी हूं कि आपने मुझे बोलने का समय दिया।

[अनुवाद]

सभापति महोदय: अब सभी वक्ता अपनी बात कह चुके हैं। इस पर माननीय मंत्री महोदय का हस्तक्षेप और उत्तर कल दिया जाएगा। अब माननीय संसदीय कार्य मंत्री अपना वक्तव्य देंगे।

रात्रि 10.38 बजे

मंत्री द्वारा वक्तव्य

उत्तर प्रदेश में एटा में समाजवादी पार्टी कार्यालय को आवंटित सरकारी भवन को खाली कराया जाना

[अनुवाद]

संसदीय कार्य मंत्री तथा सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री (श्री प्रमोद महाजन): महोदय, सदन को स्मरण होगा कि आज सुबह जब श्री मुलायम सिंह यादव ने एटा के बारे में मुद्दा उठाया था, तो तब मैंने वायदा किया था कि सभा के उठने से पहले, मैं इस संबंध में जांच पड़ताल करके एक वक्तव्य दूंगा।

राज्य सरकार से प्राप्त सूचना के अनुसार एटा जिले के डिप्टी कलेक्टर के सरकारी आवास को, राज्य सरकार द्वारा समाजवादी पार्टी को इसके कार्यालय के लिए 18 अगस्त, 1994 को आवंटित किया था। वह आबंटन नियमों के विरुद्ध था। इसलिए उचित विचार के बाद, राज्य सरकार द्वारा इस आबंटन को 21 अक्तूबर 1998 को रद्द किया गया। इसके अनुपालन में, राज्य प्रशासन ने इस भवन को 20 अगस्त, 2000 को खाली करवाया। इस भवन को खाली कराने के लिए राजस्व अधिकारियों और पुलिस अधिकारियों की संयुक्त टीम गठित की गई थी और इस भवन पर कब्जा शांतिपूर्ण ढंग से किया गया। इस प्रक्रिया में कोई अप्रिय घटना नहीं हुई...*(व्यवधान)*

सभापति महोदय: सभा की बैठक कल 22 अगस्त, 2000 को पूर्वाह्न 11.00 बजे पुन: समवेत होने के लिए स्थगित होती है।

रात्रि 10.39 बजे

तत्पश्चात् लोक सभा मंगलवार, 22 अगस्त, 2000/31 श्रावण, 1922 (शक) के पूर्वाह्न 11.00 बजे तक के लिए स्थगित हुई।

पी.एल.एस.–48/9/19/2000 (एन०)
280

© 2000 प्रतिलिप्यधिकार लोक सभा सचिवालय
लोक सभा के प्रक्रिया तथा कार्य संचालन संबंधी नियमों (नौवां संस्करण) के नियम 379 और 382 के अंतर्गत प्रकाशित और मैसर्स जैनको आर्ट इण्डिया, नई दिल्ली द्वारा मुद्रित।